राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 06]   चौदहवीं विधान सभा के छठे सत्र का छतीसवां दिवस   [संख्या: 22

सोमवार,

04 अप्रैल 2016

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। प्रश्नकाल। श्री रणधीर सिंह भीण्डर।

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में बैंकों से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनधारियों की समस्याओं का निराकरण

474. म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) : क्या सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पेंशनर्स की पेंशन उनके बैंक खातों में जमा की जाती है?

(2) क्या यह भी सही है कि पेंशनर्स द्वारा पेंशन खाते से राशि निकालते समय बैंक कर्मचारियों द्वारा उनकी मांग के अनुसार रुपये 500/- का भुगतान नहीं किया जाता है तथा काफी पेंशनर्स अनपढ़ होने के कारण ए.टी.एम. से पैसे निकालने में असमर्थ हैं?

(3) क्या सरकार इस समस्या का समाधान करने का विचार रखती है? यदि हां तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: आपके सवाल का जवाब चार विभागों में जाने के बाद भी तैयार नहीं हुआ है। इसलिए स्थगित करता हूं।

(स्थगित)

सुश्री कीर्ति कुमारी।

प्रदेश में पुलिसकर्मियों को आधुनिक हथियार देने की योजना

475. सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(सुश्री कीर्तिकुमारी)

(1) क्या सरकार प्रदेश में पुलिस थानों में चाक-चौबन्द व्यवस्था हेतु सिपाहियों को आधुनिक हथियार उपलब्ध करवाने की कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहन देने के लिए उनको देय भत्तों में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

गृह मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया): (1) प्रदेश के पुलिस थानों में चाक-चौबन्द व्यवस्था हेतु समय-समय पर आवश्यकतानुसार आधुनिक हथियार उपलब्ध करवाये जाते हैं।

(2) पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहन देने हेतु समय-समय पर आवश्यकतानुसार भत्तों में वृद्धि की जाती है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी कि थानों में क्या-क्या हथियार अभी उपलब्ध करवाये जा रहे हैं? क्या इन हथियारों को भी इस्तेमाल करने की हमारे पुलिसकर्मियों का ट्रेनिंग या कोई प्रेक्टिस करवायी जाती है। ये जो हथियार काम में ले रहे हैं, इन लोगों के हथियारों की मरम्मत की सरकार की क्या व्यवस्था है? अवैध हथियार जो जब्त हुए उनका कोई रिकार्ड उपलब्ध है? प्रतिरक्षा के लिए क्या हमारे पुलिसकर्मियों को बुलेटप्रूफ जॉकेट उपलब्ध करवायी जाती है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी पूछना चाहूंगी कि क्या इस तरह की कोई योजना है तो बतायें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वैसे प्रत्येक थाने पर क्या हथियार हैं वो तो शायद हमारी सुरक्षा की दृष्टि से भी बताना उचित नहीं होगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जो आज की आवश्यकता है और पिछले दस वर्षों में हमने हथियारों से हमारी फोर्स को लैस करने के लिए आधुनिकीकरण में भी और स्टेट बजट से भी बराबर सपोर्ट दिया है। जनरल बता सकता हूं मैं, इंडिविजुअल किसी थाने पर कौनसा हथियार है उसके बारे में नहीं। 12 बोर के 2890 हथियार हैं, वैसे यह भी बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं सोचता हूं कि हथियारों की गिनती और हथियारों की संख्या बताना स्टेट की सिक्योरिटी की दृष्टि से भी उचित नहीं है। लेकिन हमारे पास छोटी पिस्टल है, एके 47 है, इंसास राइफल है, एसएलआर पर्याप्त संख्या में जो कभी 303 थी, आज की तारीख में हमारे पास प्रत्येक थाने में लगभग 36626 एसएलआर हैं जिनमें 20 एक साथ ही फायर हो सकते हैं। एक बार मैगजीन

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
डालने के बाद लगातार उससे 20 फायर किये जा सकते हैं। एमपी-5 गन, ये भी हमारे पास में हैं, एलएमजी है, 51 एमएस मोर्टार हैं, रॉकेट लांचर हैं, टियरगैस गन है, ब्रजभान हैं। मतलब यों कह सकते हैं कि आज की आवश्यकता के अनुसार हमारे पास हथियार उपलब्ध हैं लेकिन हथियार कहां और किस जगह हैं इसके बारे में डिटेल यहां बताना उचित भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उसका जो इन्होंने पूछा था कि आपके पास यह जो जॉकेट है वह है या नहीं। मैं केवल संख्या बता दूं, वैसे 937 बुलेट प्रूफ जॉकेट हमारे पास हैं और अभी आवश्यकता समझते हुए 500 का आर्डर हमने और दे रखा है। विशेषकर आर.ए.सी. के पास लगभग 419 हैं और ये जो क्यू.आर.टी., (क्विक रेस्पोंस टीम) जो हमने सातों संभाग केन्द्रों पर बनाई हुई है उसके पास भी ये जॉकेट है लेकिन इसकी कमी को देखते हुए हमने 500 का आर्डर कर रखा है। मैं सोचता हूं कि बहुत ही जल्दी हमको उपलब्ध होगा। यह बात जरूर है कि महसूस करते हैं कि जब कभी आमना-सामना होता है तो बुलेट प्रूफ जॉकेट नहीं होने के कारण से पुलिस थोड़ी मनोबल से कमजोर रहती है इसलिए हम उसको वैल-इक्विप्ड करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप भी पहने हैं या नहीं जॉकेट कभी?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): नहीं, मेरे को जरूरत ही नहीं है। मनोज जी को जरूरत है, मेरे को जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर दो।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी कि क्या चालानी गार्ड जो अपराधियों को लेकर चलते हैं उनको हथियार उपलब्ध करवाये जा रहे हैं और उनको अच्छे वाहन उपलब्ध करवाने की सरकार की क्या योजना हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): वाहन की दृष्टि से भी पिछले कुछ वर्षों से जब माडर्नाइजेशन का पैसा लगभग 47-48 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष हमको 2003-04 से मिल रहा है और उसके कारण से हमने वाहन भी लगभग प्रत्येक थाने से लेकर जो हमारी आवश्यकता है उसके अनुसार पूरे हो रहे हैं। आज की तारीख में राजस्थान में 7221 वाहन हैं जिनमें हल्के कार और जीप हैं वो 2608 हैं, मोटर साइकिल हमने पर्याप्त मात्रा में 3704 दे रखी हैं और

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

सारा मिलाकर 7221 वाहन दे रहे हैं। प्रत्येक थाने पर आज की तारीख में जो वाहन हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो 6 या 7 साल पुराना हो, लेकिन फिर भी कुछ स्थानों पर हो सकता है कि वो इतने अच्छे नहीं रहे होंगे लेकिन जितने भी हो सकते हैं, नये से नये वाहन प्रत्येक थाने पर एक वाहन हमने उपलब्ध करवा रखा है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से पूछना चाहूंगी कि जो आधुनिक हथियार के अभाव में खुमाराम मारा गया तो क्या अब आधुनिक हथियार अपन पुलिस वालों को अवेलेबल करायेंगे और खुमाराम को क्या शहीद का दर्जा सरकार देगी?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं सोचता हूं कि उनके पास जो हथियार होने चाहिए थे वो हथियार थे, लेकिन एके 47 में जो मारक क्षमता है और जो फायरिंग की गति उसमें है वो अधिक है। उस टीम के पास भी एके 47 थी और जब आनन्दपाल को जो टीम लेकर गई थी उसके पास भी चार एके 47 थी। हथियार थे, इसमें दो राय नहीं लेकिन अपराधी तो पता नहीं कहां से लेटेस्ट ढूंढकर ले आता है और हम उनको वो लेटेस्ट तुरन्त उपलब्ध करा दें, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि माडर्नाइजेशन में जो सहायता हमको केन्द्र से और राज्य सरकार के बजट से मिल रही है, आज की तारीख में पुलिस के पास हर प्रकार की समस्या का निदान करने की ताकत उनके पास है और हथियारों की दृष्टि से वो कमजोर नहीं हैं। कमजोर अगर थोड़ा बहुत कहीं, जो मैं महसूस करता हूं, उनका जो समय-समय पर ट्रेनिंग होकर रिफ्रेशिंग कोर्स के आधार पर नियमित इस प्रकार के हथियारों का उपयोग करके उसको मार करने का जितना अभ्यास चाहिए उसमें कमी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक साल में हम अपनी ट्रेनिंग के माध्यम से जिन लोगों को इस प्रकार क्विक टीम जाकर कोई आपरेशन करना होता है तो उनको निश्चित रूप से वैल इक्विप्ड करेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इसी से सम्बन्धित हैं भत्ते। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जो थानों में कांस्टेबल और हैड कांस्टेबल उन पुलिसकर्मियों की 24 घंटे की ड्यूटी होती है और साल में एक बार भत्ते बढ़ाने वाले विषय में बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं और इस बार आपने नहीं बढ़ाया है। तो क्या आप बढ़ाने की

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)
मंशा रखते हैं? दूसरा, वास्तव में आधुनिक हथियार आपकी सेना के पास जो हैं वो संतोषजनक हैं क्या? और नहीं हैं, तो उसमें बढ़ाने की मंशा रखते हैं क्या?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि जो काम करता है वो भत्ते का इंतजार करता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह भी बात सच है कि जो 2004-05 में जो मैस भत्ता हैड कांस्टेबल और कांस्टेबल को राजस्थान में 550 रुपये मिलता था वो आज की तारीख में उसे 1600 रुपये मिलता है। ऐसा नहीं है, समय-समय पर जो वृद्धि कर सकते थे अपनी क्षमता में रहते हुए, वह किया है। मैस भत्ता जो एएसआई से लेकर सीआई तक नहीं मिलता था वो भी आज की तारीख में 1750 रुपया उनको देते हैं। ड्रिल भत्ता कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल इन सब को भी जो 15 रुपये और 20 रुपया उस जमाने में 2004-05 में मिलता था वो आज की तारीख में 400-500 और 600 रुपये तक मिलता है। इसलिए भत्ते में बढ़ोतरी तो हुई है। वर्दी भत्ते में भी जहां पहले सिलाई का कुछ पैसा नहीं मिलता था तो अब 300 रुपया उनको देते हैं। मोटर साइकिल पैट्रोल के लिए भी पहले कोई पैसा नहीं था तो आज हम जिसके पास मोटर साइकिल दे रखी है उसको 5 लीटर प्रतिमाह के हिसाब से पैट्रोल का पैसा भी देते हैं। यह जो राज्य विशेष शाखा है, यह जो एटीएस और क्विक रेस्पोंस टीम है इसको हम अपनी सैलेरी का 25 पैसा एक्स्ट्रा पैसा देते हैं। जितनी उसकी सैलेरी बनती है उसका उसको 25 परसेंट एक्स्ट्रा देते हैं। तो सामान्यतया समय पर कोशिश करते हैं। इस बार हम नहीं बढ़ा पाये, पिछली बार बढ़ाया था। फिर भी विषय हमारे ध्यान में है। राज्य की क्षमता के अनुसार हम प्रयत्न करेंगे एवं हम अपनी फोर्स को जितनी ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दे सकते हैं, देने का प्रयत्न करेंगे।

जहां तक आधुनिक हथियार के बारे में बात है, हथियार हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। और भी, इस साल भी, इस साल हम बहुत भाग्यशाली हैं कि वर्ष 2012-13 में जितना पैसा माडर्नाइजेशन के नाम पर मिला था, उसका उपयोग नहीं किया और उसके कारण से हमको पिछले साल 26 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा मिला। पुराना जो बैलेंस था, वह भी। उसमें हमको 21.10.2014 को, The funds are being released to the State Government as incentive funds for items timely utilized, a past released. मतलब हमको एक्स्ट्रा रिलीज हुआ,

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

क्योंकि समय पर हमने पैसे का उपयोग कर लिया, उसके कारण से हमको 26 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा मिला और इस बार भी हमको 48 करोड़ रुपया मिला है। मैं सोचता हूं, माडर्नाइजेशन के इस पैसे से हम अपने व्हीकल्स से भी और हथियारों से भी, अपनी फोर्स को लैस करेंगे।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न, श्री नन्दकिशोर महरिया।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय, हमारा जो बीट कांस्टेबल है, उसके पास लगभग 7-8 गांव होते हैं और उसका भत्ता भी उतना नहीं है, उसके बावजूद उसको थानों में अलग-अलग कई तरह की ड्यूटियां दी जाती हैं जैसे संतरी की ड्यूटी भी उसको दी जाती है, बाकी ड्यूटियां भी दी जाती हैं। क्या सिर्फ बीट की ही ड्यूटी में उसको रखने का आप विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो भावना है, उसका सम्मान करता हूं और मैं अबकी बार, इस सत्र के समाप्त होने के बाद, जो मेरे पास पुलिस फोर्स उपलब्ध है 92,000, इनका प्रोपर उपयोग कैसे हो, प्रोपर काम क्या हो, उनके लिए हम क्या सुविधाएं जुटा सकते हैं? हम प्रयत्न करेंगे और शायद अगले सत्र तक आयेंगे, तब तक मैं आपके इस प्रश्न का जवाब देने की स्थिति में हूंगा। इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल। श्री रामचन्द्र।

जनजाति क्षेत्र में आश्रम छात्रावासों में सोलर लाइट लगाने की योजना

476. श्री रामचन्द्र (डग) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार टी.एस.पी. क्षेत्र में संचालित आश्रम छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में विद्युत आपूर्ति हेतु सोलर लाईट लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा प्रदेश के जनजाति आश्रम छात्रावासों में सोलर लाईटें लगायी गई हैं? यदि हां, तो कब व कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (नन्दलाल मीणा) (1) जी हां। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 में अनुसूचित क्षेत्र में संचालित 208 आश्रम छात्रावासों एवं 10 आवासीय विद्यालयों में सोलर लाईट स्थापित की गई। सूची **परिशिष्ट-अ** पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2014-15 में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र माडा, बिखरी जनजाति क्षेत्र एवं सहरिया क्षेत्र (बांरा) में संचालित 280 आश्रम छात्रावासों एवं 18 आवासीय विद्यालयों में सोलर लाईट स्थापित की गई है। सूची **परिशिष्ट-ब** पर संलग्न है।

श्री अध्यक्ष: स्थगित किया जाता है।

(स्थगित)

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: वह छुट्टियां थी, मैं भूल गया सचिवालय को सूचित करना।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): धन्यवाद साहब।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री बृजेन्द्र सिंह ओला। छुट्टियां थीं ना, इसलिए भूल गये।

श्री रामचन्द्र (डग): अध्यक्ष महोदय, यह मेरा तीसरा प्रश्न स्थगित हुआ है इस सदन में।

श्री अध्यक्ष: कोई बात नहीं, अगली बार सब ले लेंगे। सब आपका एकोमोडेट कर लेंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: ऐसा प्रश्न क्यों पूछते हो जो स्थगित हो।

झुंझुनूं के चिकित्सालयों में रिक्त पद

477. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं में कौन-कौन से चिकित्सालय कब-कब से किस-किस श्रेणी के संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सालयों में चिकित्सकों के कौन-कौन से पद कब-कब से स्वीकृत हैं एवं उनमें से कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं तथा उन्हें कब तक भर दिया जायेगा?

(3) उक्त चिकित्सालयों में गत दो वर्षों में कितने रोगी पंजीकृत हुए व उन्हें क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

(4) क्या उक्त चिकित्सालयों में से कुछ चिकित्सालय निजी अथवा किराये के भवन में चल रहे हैं? यदि हां, तो उक्त चिकित्सालयों हेतु राजकीय भवन कब तक बनवाकर उपलब्ध करवा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़): (1) विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सालय, सिटी डिस्पेंसरी, क्षय निवारण केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम स्वीकृति वर्ष सहित परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सालय, सिटी डिस्पेंसरी, क्षय निवारण केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का रिक्ति दिनांक सहित संस्थानवार सूचना परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

चिकित्सा संस्थाओं के स्वीकृत होने एवं समय-समय पर क्रमोन्नत करने पर चिकित्सकों के पद स्वीकृत किये गये।

कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्साधिकारी के रिक्त पदों को डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से अथवा स्थानान्तरण से प्रतिबन्ध हटने के उपरान्त भरने के प्रयास किये जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी के 1,300 पदों पर भर्ती हेतु आरयूएचएस को अर्थना भिजवाई गई है। चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर चिकित्साधिकारी के रिक्त पद को भरने के प्रयास किये जायेंगे।

(3) विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सालय, सिटी डिस्पेंसरी, क्षय निवारण केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के आउटडोर में पंजीकृत हुए रोगियों का वर्ष 2014 एवं 2015 का चिकित्सा संस्थानवार विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है। उक्त चिकित्सा संस्थानों में पंजीकृत रोगियों को उपलब्ध करवाई गई चिकित्सा सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं पांच प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन मापदण्ड के अनुसार निर्मित नहीं हैं, जो वर्तमान में उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन में संचालित हैं, जिनके नाम निम्नानुसार हैं:-

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ईण्डाली
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अजाड़ीकलां
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बुडाना
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केहरपुरकलां

((श्री राजेन्द्र राठौड़)

5. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, किठाना

6. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बीबासर

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किठाना एवं केहरपुरकलां के भवन निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी गई है।

चालू/आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति जारी करवाने के प्रयास किये जायेंगे

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि जिला चिकित्सालय, झुंझुनूं में हृदय रोग चिकित्सा की व्यवस्था है, क्या वह पूर्ण है? उसमें नाम मात्र की व्यवस्था है तो मैं चाहूंगा कि आप उसको एसएमएस अस्पताल के लेवल का बनाने का विचार रखते हैं? जिला चिकित्सालय, झुंझुनूं में आप गुर्दे रोगियों के लिए डायलसिस यूनिट लगाने का भी विचार रखते हैं? क्या आप वहां सीटी स्कैन और एमआरआई की मशीन लगाने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला चिकित्सालय झुंझुनूं के अन्दर चार बैडेड आईसीयू स्वीकृत है। एसएमएस अस्पताल जैसे स्तर की सुविधाएं तो हम वहां नहीं दे पायेंगे, परन्तु हमारा प्रयास है, वहां एमडी फिजिशियन भी काम कर रहे हैं। वहां प्राथमिक तौर पर हृदय रोगियों के उपचार की सारी व्यवस्थाएं हैं।

माननीय सदस्य ने सीटी स्कैन की बात की है। इस बार राज्य सरकार ने नवाचार किया है। राज्य के सभी जिला चिकित्सालयों में हमने एक विज्ञापन जारी करके प्रस्ताव मांगे पीपीपी मोड पर, सीटी स्कैन संचालित करने के लिए। हमें झुंझुनूं का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। हम आगामी वित्तीय वर्ष में वहां सीटी स्कैन भी लगायेंगे।

एमआरआई की अभी वहां आवश्यकता है नहीं, इसलिए एमआरआई के बारे में अभी कोई निर्णय हुआ नहीं।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहूंगा, मैं भूल गया। डायलसिस के लिए इस बार...

श्री अध्यक्ष: उनको सवाल कर लेने देते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ...पूरे राजस्थान में सारे जिला मुख्यालयों पर एक नीतिगत निर्णय लेकर हम डायलसिस प्रारम्भ कर रहे हैं। इसलिए झुंझुनूं में भी डायलसिस की यूनिट को हम इसी वर्ष में प्रारम्भ करेंगे।

श्री अध्यक्ष: आ गया जवाब, पूरा आ गया। और करेंगे?

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि 2014 में जिला चिकित्सालय, झुंझुनूं में जितने मरीज थे, वर्ष 2015 में उसमें लगभग 54,000 आउटडोर पेशेंट्स की कमी आ गई। क्या वह इसलिए आ गई कि नि:शुल्क दवा योजनाओं में कुछ कमी कर दी गई या नि:शुल्क जांच योजनाओं में कुछ कमी कर दी गई या जननी सुरक्षा योजना में कुछ कमी कर दी? क्या यह तो इसका कारण नहीं रहा है?

दूसरा, मेरा प्रश्न एक और है कि जिन सब-सेंटर्स के लिए आपने राशि स्वीकृत कर दी, टेण्डर हो गये, वह कौन-कौनसे सब-सेंटर्स हैं? उन भवनों का कार्य कब तक शुरू करवा दिया जायेगा?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुफ्त दवा योजना और मुफ्त जांच योजना, मैं पहले भी सदन में कह चुका हूं कि सरकार इसमें बढोतरी कर रही है, गुणात्मक सुधार कर रही है। पिछले वर्षों में, 2013-14 में जो बजट था, उससे लगभग 52 करोड़ रुपये ज्यादा इस मुफ्त दवा योजना में किया है और मरीजों की संख्या भी इसमें बढ़ी है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मरीजों की संख्या में झुंझुनूं के अन्दर कमी हुई है। मैं समझता हूं कि झुंझुनूं के जिला अस्पताल के अन्दर 2014-15 के अन्दर 17,808 मरीज भर्ती हुए थे और 2015-16 में 18,579 लोग भर्ती हुए थे...

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): आउटडोर, आउटडोर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हां, आउटडोर के अन्दर कई बार हैल्दी सीजन आता है। आउटडोर में थोड़ी कमी जरूर है। 2014 -15 में 5,53,458 मरीज थे और 2015-16 के अन्दर 4,52,679 मरीज हैं।

आपने कहा कि भवन जो उप केन्द्र में चल रहे हैं, निश्चित रूप से 31 उप केन्द्र हैं जो बिना भवन के हैं। इनमें 12 उप केन्द्र आंगनबाड़ी में चल रहे हैं, 10 स्कूल भवन में चल रहे हैं, दो ग्राम पंचायत के दफ्तर में चल रहे हैं,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
एक सीएचसी में चल रहा है और चार किराये के भवन में हैं। दो दानदाताओं द्वारा निर्मित भवन में हैं। इसमें से 11 की स्वीकृति 321 लाख रुपये की हमने जारी कर दी, तीन कार्य प्रगति पर हैं और आठ की स्वीकृति इसी दिसम्बर, 2015 में जारी हुई है। मैं विश्वास दिलाता हूं, इनका काम भी आगामी एक महीने के अन्दर इनका काम प्रारम्भ हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक। श्री पूरणमल सैनी।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से झुंझुनूं विधान सभा के लिए मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। क्या पिछले दिनों जब आपके पास भर्तियां हुई थीं तो डाटा आपरेटर्स को आपने हटाया? पुन: राज्य सरकार ने फैसला ले लिया कि डाटा आपरेटर्स को पूर्व में जो लगे थे, उनको प्रायोरिटी में रखते हुए नियुक्तियां दे देंगे तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्या उन डाटा आपरेटर्स को, जो झुंझुनूं विधान सभा में ही नहीं, पूरे प्रदेश में आप लगा रहे हो, उनको परमानेंट करने का विचार रखते हो क्या?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मुफ्त दवा योजना के साथ डाटा आपरेटर लगे थे। उसके बाद आईटी विभाग ने स्थाई भर्ती कर ली उसके कारण से उन डाटा ऑपरेटर की जगह पर हमें स्थाई -कर्मी मिल गए तो हमने उनको लगाया। अब आईटी विभाग में जो डाटा आपरेटर आए थे वो अन्यत्र विभाग ने उनको काम में ले लिया। हमें यह कह दिया कि तदर्थ रूप से हम वापिस भर्ती कर सकते हैं जितने डाटा आपरेटर की आवश्यकता है। और अध्यक्ष महोदय, यह नीतिगत निर्णय तो हमने ले लिया कि पहले जिन्होंने काम किया उन्हें वरियता के आधार पर हम उन्हीं को भर्ती करेंगे। एक उच्च न्यायालय का आदेश भी हमें प्राप्त हुआ है जिसके आधार पर हम उन्हीं को भर्ती करने का काम करेंगे। झुंझुनूं के अन्दर भी अगर कोई उनके अन्यत्र कोई भर्ती हुए हैं तो आप मुझे बतायें निश्चित तौर पर कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर दो। डोटासरा जी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं में और प्रदेश में जो एनआरएचएम के तहत एएनएम लगी थी उनमें से कुछ को तो आपने नियमित कर दिया। लेकिन अभी भी काफी एएनएम ऐसी

(श्री गोविद सिंह डोटासरा)

हैं जो पांच, दस, पन्द्रह का बोनस मिलने के बाद में उनको नियमित नहीं किया जा सका है, बार-बार आश्वासन सरकार दे रही है तो उनको झुंझनूं विधान सभा क्षेत्र सहित प्रदेश में कितनी एएनएम बाकी हैं उनको आप कब तक नियमित कर देंगे?

जो पीएचसी, सीएचसी स्वीकृत की गई हैं झुंझनूं विधान सभा क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में नई, उनमें भवन नहीं है। डाक्टर, एएनएम इनको बैठने के लिए जगह नहीं है, संसाधन रखने के लिए जगह नहीं है। तो उनकी स्वीकृति आप कब तक कर देंगे और उसके भवन की स्वीकृति का आधार क्या होगा? क्या राजनीतिक आधार होगा या कोई मापदण्ड होगा जिससे समान रूप से सबके भवन बन सकते हों पीएचसी, सीएचसी के। यह कृपया मंत्री बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। झुंझनूं जोड़कर के साथ व्यापक कर दिया, कोई बात नहीं, माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो एनआरएचएम के कर्मी लगे थे उसमें से हमने 13 हजार से ज्यादा कर्मियों को समायोजित करके उन्हें नियमित वेतन श्रृंखला में शामिल कर लिया। लगभग 2 हजार 400 नर्स ग्रेड-।। के और 656 एएनएम के पद अभी ऐसे हैं जो पहले पूर्व में कार्यरत हैं, उनकी सेवाएं भी हैं पर उनको हम नियमित नहीं कर सके। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, जो 2013 के अन्दर जब पूर्ववर्ती सरकार अपने अंतिम पायदान पर थी उस समय उन्होंने जाते-जाते लम्बी चौड़ी विज्ञप्ति जारी कर दी, उनको भर्ती करने की बात कही और ये सारे पद तदर्थ पद थे। ये एनआरएचएम के पद थे जो सिर्फ एक वर्ष के लिए स्वीकृत थे।

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद इन्होंने कहा कि एक साल के दस नम्बर, दो साल के बीस नम्बर और तीन साल के तीस नम्बर, ये बोनस अंक देने तय कर दिए पूर्ववर्ती सरकार ने। उसके बाद में एक मामला माननीय उच्च न्यायालय में गया और उच्च न्यायालय ने कहा कि इसमें सिर्फ आप एक वर्ष के अधिकतम पांच अंक दे सकते हो बोनस के, दो वर्ष के दस दे सकते हो, तीन वर्ष के पन्द्रह दे सकते हो। उसके बाद अध्यक्ष महोदय, सरकार चली गई उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में और लम्बे समय तक सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में सरकार को अमन चैन पाया, क्योंकि इनको भर्ती करने नहीं थे, बजट का प्रावधान था नहीं। उसके बाद हमारी सरकार आने के बाद हमने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उस एसएलपी को विथड्रा किया और 5.10.2015 जो हाई कोर्ट का आदेश था उसके अनुसार भर्ती प्रारम्भ की।

यह पहली सरकार है जिसने एनआरएचएम के जो लोग आठ-आठ, नौ-नौ वर्ष से काम कर रहे थे जिनको आज तक नियमित वेतन श्रृंखला नहीं मिली। हमने अधिकांश को उसमें समायोजित कर लिया है। लगभग 80 फीसदी जो एनआरएचएम के कर्मी थे वो समायोजित हो गए, शेष को पदों की उपलब्धता के आधार हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न श्री रामलाल शर्मा। हां, सॉरी-सॉरी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जो आपने भवन की बात कही। पिछली बार भी अध्यक्ष महोदय, 1647 भवनों के निर्माण के काम को हमने हाथ में लिया था और उसके लिए 598 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे राजस्थान में। इस बार भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 802 करोड़ की स्वीकृति दी है। हमारा प्रयास है चरणबद्ध तरीके से क्योंकि चिकित्सा संस्थाएं ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें भवन की उपलब्धता निश्चित तौर पर होनी चाहिए। हम प्रयास कर रहे हैं दो वर्ष में आप देख रहे हो 1300 करोड़ से ज्यादा राशि स्वीकृत हो जाना....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने कीठाणा दे दिया था पीएचसी के भवन का पैसा और आपने आज तक सवा दो साल में बनाया। क्या कीठाणा में जो विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं में आता है क्या पीएचसी का भवन बनाने का विचार रखते हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैंने मेरे उत्तर में ही कह दिया था कीठाणा और एक कैरपुरा इन दोनों की स्वीकृति जारी हो गई है। एक जगह पर अध्यक्ष महोदय, भूमि की उपलब्धता नहीं हुई इसलिए उसमें लेट हो गया। हम कोशिश करेंगे जिला प्रशासन से बात करके दोनों जगह पर जो स्वीकृत है उसके निर्माण कार्य को जल्दी से जल्दी से स्वीकृत कराकर जल्दी से जल्दी निर्माण कराएंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न श्री रामलाल शर्मा।

जयपुर डेयरी द्वारा विज्ञापनों पर व्यय राशि

478. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर डेयरी को वर्ष 2014-15 व 2015-16 में कितनी आय हुई व किस-किस मद में कितना व्यय हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामलाल शर्मा)

(2) उक्त डेयरी द्वारा वर्ष 2014-15 व 2015-16 में विज्ञापन पर कितनी राशि व्यय की गई तथा किन-किन विज्ञापनों का किन-किन फर्मों को कितनी राशि का भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): (1) जयपुर डेयरी का वर्ष 2014-15 का आय व्यय खाता एवं वर्ष 2015-16 (फरवरी, 2016 तक) का आय व्यय खाता का मदवार विवरण प्रदर्श-अ पर संलग्न है1

(2) वांछित सूचना प्रदर्श-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आपने जो आय व्यय का लेखा जोखा दिया है। इस लेखे जोखे में चिलिंग जो खर्चा आपने दर्शाया है यह खर्चा दर्शाया है 2013-14 में 2 करोड़ 93 लाख रुपए, 2014-15 में दर्शाया है 3 करोड़ 13 लाख रुपए। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, 2015-16 का जो खर्चा दर्शाया गया है वह भी सिर्फ फरवरी तक और उसमें दर्शाया गया है 8 करोड़ 8 लाख रुपए आखिरकार यह अंतर कैसे है? और यह अंतर इस वजह से है कि आपके 2015-16 के अन्दर जो जयपुर चिलिंग प्लांट है डेयरी का उसमें यदि आग लगी थी और आग लगने की वजह से 8 से 10 दिन आपका प्लांट बंद रहा और दूध खराब नहीं हो और उसके लिए आपने प्राइवेट चिलिंग प्लांट से आपने चिलिंग कराने का काम शुरू किया। तो क्या प्राइवेट डेयरी से चिलिंग कराने का जो काम किया था वह किसी निविदा प्रक्रिया अपनाकर किया गया था? और यदि निविदा प्रक्रिया नहीं अपनाई गई तो फिर साढ़े 5 करोड़ रुपए का भुगतान चार महीने तक लगातार आपने प्राइवेट चिलिंग कराकर जयपुर जिले के किसानों के साथ ये अहित क्यों किया? क्या इस प्रक्रिया में जो भी दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ आप कार्यवाही करने का मन रखते हैं और इस पूरे प्रकरण की आप पीएसी से या किसी अन्य इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच कराने का मन रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में हुए आय व्यय के बारे में जो प्रश्न किया है। इसके संदर्भ में मेरा आपके

(श्री प्रभू लाल सैनी)

माध्यम से माननीय से निवेदन है कि 2014-15 में कुल सकल आय 1840 करोड़ 58 रुपए हुई और 2015-16 में 1802.62 करोड़ रुपए की आय हुई। यदि हम व्यय की बात करें माननीय अध्यक्ष महोदय तो 1819.63 करोड़ 2014 में और 1787.75 करोड़ का खर्च हुआ 2015-16 में। शुद्ध लाभ जो हुआ वह 20.95 करोड़ का 2014-15 में हुआ और फरवरी तक 14.87 करोड़ का फायदा हुआ।

जहां तक आपने जिस खर्च की बात की, उस संदर्भ में मेरा आपसे निवेदन है सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो इनके संचालक मण्डल के फैसले के आधार पर हैं। जो कि को-आपरेटिव एक्ट में जो प्रोविजन दिए हुए हैं उसी के आधार पर ये लोग खर्च करते हैं और यदि तत्काल किसी भी मद में या आवश्यकता पड़ने पर उस कमेटी के माध्यम से फैसला करके ये किसी भी आय व्यय को ये खर्च करते हैं और जिस प्रकार आपने कहा कि 2016 में जहां आग लगी और संयंत्र जला उसमें जो व्यय बढ़ा है। निश्चित रूप से इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूं क्योंकि आम उपभोक्ताओं को समय पर दूध और उसके उत्पादन उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक सेवाओं को तत्काल लेना आवश्यक हो जाता है और संचालक मण्डल के फैसले के बाद ये सेवाएं ली गई हैं और मैं समझता हूं कि इसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर दो।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूं कि बिना प्रक्रिया अपनाए हुए प्राइवेट चिलिंग कराना यह उचित है क्या? और फिर साढ़े 5 करोड़ रुपए जयपुर जिले के किसानों के ऊपर उनका अहित करना, मैं तो यह कह रहा हूं कि इसमें जो भी दोषी हैं। अगर प्रक्रिया अपनाकर की है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन बिना प्रक्रिया अपनाए हुए अगर प्राइवेट डेयरी को लाभ देने का काम किया है तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार रखते हैं?

माननीय मंत्री महोदय, दूसरा मेरा पूरक प्रश्न भी इसी के साथ करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर डेयरी वर्ष 2013-14 के अन्दर वार्षिक आम सभा का जो बजट था वह था सिर्फ 11 लाख 29 हजार रुपए। लेकिन यही बजट अगर 2014-15 में हम देखते हैं तो इस बजट को बढ़ाकर 1 करोड़ 11 लाख रुपए किए गए।

(श्री रामलाल शर्मा)

क्या माननीय मंत्री महोदय, यह बात सही है कि 2014-15 में चुनाव होने की वजह से आपके जयपुर डेयरी के द्वारा अध्यक्ष और सचिवों को नि:शुल्क कंबल वितरण किए गए? अगर इस तरीके का लाभ देने का विचार था तो जो दुग्ध उत्पादक किसान थे उनको लाभ देना चाहिए था और क्या सिर्फ वोट प्राप्त करने के लिए अध्यक्ष और सचिवों को नि:शुल्क कंबल वितरण की गई? क्या इस प्रकार की प्रक्रिया जयपुर डेयरी के अन्दर पहले भी की गई और यदि जयपुर डेयरी के अन्दर नहीं की गई तो इस प्रकार की परम्पराएं किसानों के लिए क्यों नहीं चालू की गईं और इस प्रक्रिया के अन्दर जो अपव्यय हुआ है। इस अपव्यय के लिए जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार रखते हैं और क्या इन दोनों प्रकरणों की आप निष्पक्ष किसी कमेटी के द्वारा या पीएसी के द्वारा जांच कराने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है मैंने पहले ही कहा है कि डेयरी फैडरेशन और डेयरी कारपोरेशन ये पब्लिक अथोरिटी नहीं हैं और इनमें को-आपरेटिव एक्ट की धारा-30 (बी) इनको स्वायत्तता प्रदान करती है और स्वायत्तता प्रदान के बाद इनका जो एजीएम होता है इनकी एक एनुअल मीटिंग होती है उसमें इस प्रकार के फैसले लेते हैं और किसी भी खर्चे को यदि किया जाता है तो उसको नियमित कराने के लिए एजीएम के अन्तर्गत जिसमें सरकारी अधिकारी भी होते हैं और उसमें 11 मैम्बर होते हैं उनके द्वारा, इसमें सीएमडी, आरसीडीएफ भी होता है इन सारों के द्वारा आय और व्यय के सारे मामलों को आडिट के माध्यम से देखने और सारा उसका अनुमोदन करने का प्रावधान दिया हुआ है।

फिर भी माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है निश्चित रूप से चूंकि यह तथ्य अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है लेकिन मैं इतना विश्वास आपके माध्यम से दिलाऊंगा कि इस मामले को निश्चित रूप से सीएमडी, आरसीडीएफ के माध्यम से प्रशासनिक दृष्टि से हम लोग दिखवायेंगे और यदि इसमें कहीं अनियमितता पायी जाती है तो राजस्थान को-आपरेटिव एक्ट की धारा-55 के अन्तर्गत यदि कोई दोषी पाये जाते हैं तो उसमें अग्रिम कार्यवाही

(श्री प्रभू लाल सैनी)

करेंगे। पहले प्राथमिक स्तर पर इस मामले को सीएमडी, आरसीडीएफ के माध्यम से मैं दिखवाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री प्रहलाद गुंजल। जयपुर डेयरी का मामला है यह।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): हां, जयपुर डेयरी।

श्री अध्यक्ष: जयपुर डेयरी। पूछिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से केवल इतना जानना चाहता हूं कि जयपुर डेयरी जो भर्तियां कर रही है क्या यह राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन सेवा बोर्ड के माध्यम से करायी जाएंगी या डेयरी इंडिपेंडेंट करेगी? अगर डेयरी इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी बॉडी है तो रोडवेज भी ऑटोनॉमी बॉडी है। रोडवेज की भर्तियां राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से हो रही हैं तो क्या डेयरी में भी इस बारे में विचार किया जा सकता है ताकि पारदर्शिता रहे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस प्रकार से भर्तियों का प्रश्न उठाया है मैं इसके बारे में एक संक्षेप में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि डेयरी में कई वर्षों से, लगभग 25-30 वर्षों से कोई भी भर्तियां नहीं हो रही हैं। अभी आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों को एक टेम्प्रेरी बेस पर लेकर डेयरी का संचालन किया जा रहा है। कई न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय में इस प्रश्न को प्रश्नगत किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर की डबल बैंच ने यह फैसला दिया है कि डेयरी का कार्यकलाप स्वयं का होता है सरकार का इसमें दखल नहीं होना चाहिए, चूंकि कांस्टिट्यूश्नल आर्टिकल 12 में इसको राज्य के उसमें सम्मिलित नहीं किया गया जो प्राइवेट सेक्टर के जितने भी लोग हैं।

इसलिए मैं इतना आपसे निवेदन कर सकता हूं कि यह फैसला लेना कि भर्ती किसके माध्यम से होगी, कैसे होगी, जो रेप्सार एक्ट के प्रोविजंस के माध्यम से भर्तियां फाइनेंस की अनुमति के पश्चात करने के जो प्रावधान दिये हुए थे उसका माननीय उच्च न्यायालय की डबल बैंच ने फैसला करके उसमें उद्धृत किया है कि भर्तियों का काम जिन-जिन क्लाज में, उसको इन्होंने अल्ट्रा

(श्री प्रभू लाल सैनी)

वायरस घोषित कर दिया है और अल्ट्रा वायरस घोषित करने के बाद अब ये सारा का सारा मामला जो भी प्राइवेट सेक्टर में जिसमें कोआपरेटिव सोसायटीज हैं, डेयरी फैडरेशन है, चाहे डेयरी सोसायटीज हैं जो मिल्क यूनियन हमारे 21 पूरे राजस्थान में हैं, उनमें भर्ती की प्रक्रिया उनके द्वारा तय की जानी है, सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है। भर्ती प्रक्रिया में स्वायतशासी होने के नाते उनको अधिकार है वो अपने स्तर पर किस संस्था के माध्यम से भर्ती की प्रक्रिया को अपनायेंगे। इतना मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न श्री सुखराम।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी ने 2015-16 के खर्च खाते की तो नकल दी है इसमें अकेले पेंटिंग वो चाहे दीवार पर हो, चाहे गाड़ी पर हो 27 लाख रुपये खर्च हुए हैं। पिछले साल कितने हुए उन्होंने उसका ब्यौरा नहीं दिया। 27 लाख रुपये बहुत होते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये वेरीफाई किये क्या? माननीय अध्यक्ष जी, जब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि वो फोटो नहीं लगा सकते डेयरी के अध्यक्ष, जबकि डेयरी अध्यक्ष की फोटो लगाकर के एड दी है तो उस पर क्या कार्यवाही की? वो अध्यक्ष लालबत्ती लगाकर घूम रहे हैं जबकि उनको पावर भी नहीं है। पूरा जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, लालबत्ती किसके लग रही है किसके नहीं लग रही है, मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जो मैंने खर्चा पूरा इसके माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है जो मुझे आंकड़े प्राप्त हुए थे, उनके माध्यम से खर्चा दिया, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जयपुर डेयरी के चैयरमेन आदि के एक पैसा भी किसी टीए, डीए पर और किसी प्रकार से नहीं हुआ है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): फोटो लगाकर के एड दी है। आप तो 2014-15 का खर्चा दो न, आपने 2014-15 का नहीं दिया। आपने 2015-16 का दिया है। लालबत्ती का जवाब दो। यों क्या कर रहे हो, बैठ क्यों रहे हो? नियम में है क्या लालबत्ती?

श्री अध्यक्ष: अगला पूरक प्रश्न। श्री रामहेत सिंह।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मेरा जवाब तो आने दो पहले।

श्री अध्यक्ष: बत्तियां गुल हो गयीं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): जवाब आया नहीं, साहब। लालबत्ती का जवाब आया नहीं, साहब। 2014-15 के खर्चे का जवाब आया नहीं और अध्यक्ष चैयरमेन ने फोटो देकर एड दिया, उसका जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: जवाब तो आ गया कि मुझे जानकारी नहीं है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): पहला ही पूछ रहे हैं, साहब। पहले का जवाब तो आने दो, साहब।

श्री अध्यक्ष: जवाब तो आ गया कि मुझे मालूम नहीं है कि लालबत्ती, पीलीबत्ती कहां लग रही है। यह आ गया जवाब।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ...(व्यवधान) गरीब किसानों के पैसे का विज्ञापन लगाते हैं, किस बात का, कौन सा नियम है ऐसा जो विज्ञापन लगा-लगाकर ये कर रहे हैं? और लालबत्तियां लगा-लगाकर, एमएलए, एमपी को पावर नहीं है और इनको लालबत्ती लगाने दे रहे हो।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी, जवाब तो आने दो पहले।

श्री अध्यक्ष: दे दिया उन्होंने।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): कहां दिया? दिया ही नहीं। कहां दे दिया?

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ×××

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ×××

श्री अध्यक्ष: जवाब दे दिया। जानकारी नहीं है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ×××

श्री अध्यक्ष: जो उन्होंने कह दिया वो सुनना पड़ेगा, मैं कई बार कह चुका हूं। उन्होंने कह दिया मैंने भी सुना है कि लालबत्ती हरी बत्ती की उन्हें जानकारी नहीं है। यह उन्होंने कह दिया।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ×××

श्री अध्यक्ष: नो। आप भी बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ×××

श्री अध्यक्ष: यह उनसे पूछ लेना आप बाद में।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ×××

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं...। आप उनका जवाब दे रहे हैं?

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): इनके बाद आप पूछ लेना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लालबत्ती का जो मामला चल रहा है वैसे इस बारे में प्रोटोकोल के सारे नियम बने हुए हैं कि किन-किन व्यक्तियों को लालबत्ती उपलब्ध होनी चाहिए। अब ये सब जानते हुए भी इस प्रश्न को कर रहे हैं। यदि ऐसा कहीं लग रही है लालबत्ती, कहीं तकलीफ है तो मुझे बताएं कहां लग रही है लालबत्ती? मैंने तो कभी लालबत्ती देखी नहीं।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। श्री रामहेतसिंह।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर महानगर के आस-पास पानी और चारे की उपलब्धता के कारण नौजवान जो किसान परिवार के नौजवान हैं वो विशेष रूप से आधुनिक डेयरी का धन्धा करने की प्रायोरिटी रखते हैं और उस कारण से जयपुर जिले में और आस-पास के जिलों में बहुतायत मात्रा में दूध का उत्पादन होता है लेकिन जयपुर डेयरी द्वारा जयपुर के जितने भी संकलन केन्द्र हैं उनमें अघोषित कटौती करके जयपुर के आस-पास की डेयरियों से दूध नहीं खरीदा जाता बल्कि अजमेर, भीलवाड़ा और टौंक जिलों से जयपुर डेयरी दूध खरीदती है। इसमें जो नौजवान इस डेयरी के व्यापार से जुड़े हुए हैं उनके साथ जयपुर जिले के नौजवानों के साथ अन्याय है। क्या आप इसमें जयपुर जिले के नौजवान जो डेयरी का व्यापार करते हैं उनके सम्पूर्ण दूध को जयपुर डेयरी द्वारा खरीदने की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की 2100 समितियां अभी काम

(श्री प्रभू लाल सैनी)

कर रही हैं और इसमें दुग्ध उत्पादक सदस्य के रूप में 1,47,938 सदस्य इससे जुड़े हुए हैं और क्रियाशील जो 1713 के लगभग हमारी सोसायटीज हैं उनके माध्यम से दूध का संकलन किया जाता है और जयपुर डेयरी में राजस्थान में सबसे ज्यादा बल्क मिल्क कूलर जो बीएमसी है वो 357 के लगभग लगी हुई है। साथ में 7,06,000 लीटर प्रतिदिन दूध का संकलन बीएमसी के माध्यम से किया जा रहा है। जयपुर डेयरी में जो भी रजिस्टर्ड सोसायटीज हैं हमारी जो प्राइमरी सोसायटीज हैं उनका दूध लेने का इस एक्ट में प्रोविजन है और उसी के आधार पर लेते हैं। यदि कोई भी युवा, कोई भी सदस्य, कोई भी व्यक्ति प्राइमरी सोसायटी का मैम्बर बनता है और यदि दूध की उत्पादकता उसके पास उपलब्ध होती है तो निश्चित रूप से मैं विभाग के अधिकारियों को डाइरेक्शन दूंगा कि उनका गुणवत्तायुक्त यदि मिल्क है तो उसको वो खरीदें। यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल श्री पब्बाराम।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनका पांच हजार कलेक्शन है।

श्री अध्यक्ष: नो। बैठिये। प्रश्न कर चुके आप। मि. रामलाल। अंकित नहीं हो। रामलाल जी का अंकित नहीं हो।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): ×××

श्री अध्यक्ष: रामलाल जी ने जो कुछ कहा है वो अंकित नहीं हो। बैठ जाइये।

फलौदी (जोधपुर) में जिला उद्योग केन्द्र के भवन का निर्माण

479. **श्री पब्बाराम** (फलौदी): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उपखण्ड क्षेत्र फलौदी में नवीन जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना की गई है? यदि हां, तो कब व उक्त कार्यालय का क्षेत्राधिकार क्या है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्यालय वर्तमान में किराये के भवन में संचालित किया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त भवन का किराया कितना एवं कब से अदा किया जा रहा है?

(श्री पब्बाराम)

(3) क्या यह भी सही है कि रीको के द्वारा जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय के भवन हेतु भूमि उपलब्ध करवा दी गई है एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में राशि उपलब्ध होने के उपरान्त भी भवन निर्माण नहीं किया जा सकता है? यदि हां, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर कब तक भवन निर्माण कर लिया जायेगा?

उद्योग मंत्री (श्री गजेन्द्रसिंह): (1) जी हां। उपखण्ड क्षेत्र फलौदी में जिला उद्योग उप केन्द्र को क्रमोन्नत कर जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.15(8)उद्योग/ग्रुप-2/2013 दिनांक 4.6.2013 से जारी कर उक्त कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में फलौदी, बाप, शेरगढ़ तथा लोहावट तहसीलों के क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है।

(2) जी हां। वर्तमान में उक्त कार्यालय किराये के भवन में संचालित किया जा रहा है। जिला उद्योग उपकेन्द्र के समय से दिनांक 6.3.2014 तक राशि रुपये 3524/- प्रतिमाह तथा दिनांक 7.3.2014 से 31.05.2015 तक रुपये 8177/- तथा दिनांक 1.06.2015 से 10,193/- प्रति माह भुगतान किया जा रहा है।

(3) जी हां। यह सही है कि रीको ने औद्योगिक क्षेत्र फलौदी में 1000 वर्ग मीटर का भूखण्ड उनकी प्रचलित दर पर राशि रुपये 5.01 लाख जमा कराने की शर्त पर आबंटन हेतु सहमति दी गई है। उक्त राशि का भुगतान करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में बजट प्रावधान कराया गया है। रीको को भुगतान करने हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी कराये जाने के क्रम में वित्त विभाग के चाहेनुसार जिला कलेक्टर, जोधपुर द्वारा दिनांक 15.3.2016 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। रीको को भूखण्ड का भुगतान करने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। आगामी वर्ष में बजट प्रावधान कराया जाकर भवन का निर्माण कार्य कराया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो बताया यह सही है कि 15.3.2016 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है और वित्तीय तथा प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी कर दी गई है और अगले वर्ष इसके लिये बजट भी जारी कर दिया जायेगा। परन्तु किसी भी

(श्री पब्बाराम)

जिला उद्योग केन्द्र की सार्थकता तभी है कि उस जिले के क्षेत्र में उद्योग फ्लोरिश करे, साजगार माहौल उत्पन्न हो। इसके लिये आपने फलौदी में बाप उप खण्ड में 500 हेक्टेयर की रीको औद्योगिक क्षेत्र हेतु जमीन आरक्षित की है और साथ ही 500 हेक्टेयर फलौदी के पास में ही मलार गांव के पास में सीयामाली में भूमि आरक्षित की है। इसके लिये आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इन क्षेत्रों का विकास कर उद्योगपतियों को देने हेतु और वहां पर उद्योग स्थापित हो, इस हेतु आपने बाप में तो बजट जारी कर दिया, इसके लिये भी आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस सरकार के आने के बाद ही दोनों ही क्षेत्रों को आपने अधिगृहित कर यह कार्य किया है। परन्तु क्या सीयामाली के लिये भी आप बजट आबंटित कर इसको विकसित करने का मानस रखते हैं, यह मेरा सवाल है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि अभी जो सब सेंटर क्रमोन्नत हुआ है उसका कार्य 2016-17 जो वित्तीय वर्ष है, उसमें कम्प्लीट कर दिया जायेगा। रीको का बाप क्षेत्र में 500 हेक्टेयर भूमि की जो हमने स्वीकृति दी है, उसमें कार्य शीघ्र शुरू होगा। अगर आपका और कोई भी प्रपोजल है, यदि वहां पर उद्योग की मांग है और वहां पर उससे सम्बन्धित रॉ मैटेरियल वगैरह जो भी, माननीय सदस्य को मैं यह बोलना चाहूंगा, आप तो मेरे पड़ौस में ही हैं, अगर मांग होगी, अगर उद्योगपति वहां पर आना चाहेंगे, भूमि की कोई समस्या नहीं है तो जरूर उस प्रपोजल को देखकर उसके ऊपर निर्णय लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग के लिये साजगार माहौल के लिये दो-तीन चीजें आवश्यक होती हैं, एक पानी की उपलब्धता, क्योंकि सीयामाली के पास में एक बडी जलप्रदाय योजना है और जो घटोर वाली बडीसिढ वाली जो योजना है वह भी पानी की बड़ी जलप्रदाय योजना है, जल उपलब्ध है। इसी प्रकार से नेशनल हाई वे 15 नंबर वहां पर है और रेल लाइन भी वहां पर है और ऊर्जा भी प्रचुर मात्रा में वहां पर है। वहां पर बड़ी संख्या में लोग चाहते हैं कि हम उद्योग लगायें। इसमें अगर यह

(श्री पब्बाराम)

मूलभूत सुविधाएं आप विकसित कर देंगे तो निश्चित रूप से आयेंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि आप उसको जल्दी से करें।

दूसरा मेरा इसी में प्रश्न है कि लोहावट क्षेत्र भी इसी परिक्षेत्र में आता है तो क्या आप लोहावट में भी रीको के लिये जमीन अधिगृहित करने का मानस रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कुछ बातें सामने लाये हैं, बिलकुल सही है कि कोई भी रीको औद्योगिक क्षेत्र के लिये इन्फ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है और उसमें पानी पश्चिमी राजस्थान के लिये एक बहुत अहम मुद्दा है। पानी की आपके कमी नहीं है। आपके सौर ऊर्जा के कई प्रोजेक्ट वहां आ रहे हैं। आपके 220 KV के 132 KV के जीएसएस खूब बने हुए हैं। कई हाईवे क्रिस-क्रोस कर रहे हैं। इसलिए माननीय सदस्य से मैं यही निवेदन करूंगा कि जो उद्योगपति उद्योग लगाना चाह रहे हैं वह कौन-कौन से उद्योग लगाना चाह रहे हैं। आपके रॉ मैटेरियल वहां पर क्या अवेलेबल हैं। अगर आप मुझे एक बार इसके बारे में अवगत करा दें या आप उन उद्योगपतियों से मिला दें। रीको इंडस्ट्रीयल एरिया की जमीन हम एक्वायर करके या सरकारी जमीन पर अगर हम प्लाटिंग करेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिये कि वह प्लाट्स खाली जायें।

दूसरा, आपने जो लोहावट के रीको एरिये के बारे में बोला, माननीय सदस्य चुनाव तो लडते हैं फलौदी से, पर रहने वाले मेरे विधान सभा क्षेत्र लोहावट के हैं, मुझे मालूम है कि लोहावट में मेरे से ज्यादा आपको ज्यादा इंटरेस्ट है। लोहावट का अभी सर्वे चल रहा है और शीघ्र ही लोहावट का रीको इंडस्ट्रीयल एरिया स्वीकृत कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक बाबू सिंह।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि अभी आपने बताया कि शेरगढ विधान सभा क्षेत्र को भी आपने फलौदी जिला उद्योग केन्द्र के अधीन किया है जबकि जोधपुर जिला मुख्यालय से फलौदी की दूरी ज्यादा है, बालेसर और इस इलाके की और जोधपुर जिला मुख्यालय उद्योग केन्द्र के अधीन ही रहना चाहते हैं। तो क्या आप वापस शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र को जोधपुर जिला मुख्यालय के अधीन रखेंगे, एक। दूसरा...

श्री अध्यक्ष: यह सवाल फलौदी से ही है, इधर उधर क्यों जाते हैं।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): फलौदी में साथ लिया है इसलिए मैं पूछ रहा हूं, फलौदी के साथ रखा है इसलिए पूछ रहे हैं। फलौदी के क्षेत्राधिकार में है इसलिए पूछ रहे हैं कि यह शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र बालेसर वगैरह आपने फलौदी में रखा, यह दूरी बहुत ज्यादा पड़ती है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न करो, प्रश्न।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): हम चाह रहे हैं जोधपुर जिला मुख्यालय के अधीन रहे और दूसरा बालेसर इलाके में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना चाहते हैं, इसके बारे में बतायें।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही बोला है कि शेरगढ़ को अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाये तो शेरगढ़ जोधपुर के करीब पड़ता है और फलौदी से थोड़ा दूर पड़ता है। इसमें जरूर विचार करके संशोधन करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा।

जहां और औद्योगिक क्षेत्र की बात है, मैंने जैसे बोला जो सर्टेन क्राइटेरिया है अपन बैठकर डिसकस करेंगे। अगर वहां पर पोटेंशल है और वहां पर उद्योगपति आना चाहते हैं तो आप तो मेरे पड़ोसी हैं, आपको जरूर ...

श्री अध्यक्ष: पड़ौस धर्म निभाइए। श्री छोटू सिंह, पूरक प्रश्न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यहां कोई पड़ौसी नहीं होता माननीय मंत्री महोदय, सब माननीय सदस्य होते हैं।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि फलौदी और जैसलमेर में बहुत कम दूरी है और हमारे यहां सभी प्रकार के रॉ मैटेरियल हैं। खनिज लाइम स्टोन भी है, पानी के लिये आईजीएनपी नहर है, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि को देखते हुए क्या जैसलमेर में आप सीमेंट उद्योग खोलना चाहते हैं या नहीं चाहते।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, माननीय मंत्री महोदय वैसे तो सम्बन्धित नहीं है फिर भी आप जवाब देना चाहें तो।

अगला पूरक प्रश्न श्रीमती कमसा मेघवाल।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में उद्योग को बढ़ावा देने के लिये वहां भी रीको द्वारा जमीन अधिगृहित करवाकर वहां भी आप खोलना चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष: फलौदी से आप वहां चली गईं। चलिए, छोड़िये।

अगला सवाल श्री जगदीश नारायण।

जमवारामगढ़ के राजस्व नक्शों का दुरुस्तीकरण

480. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के अधिकांश ग्रामों में नए राजस्व नक्शों एवं पुराने राजस्व नक्शों में भारी अंतर आ गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में नए राजस्व नक्शों एवं पुराने राजस्व नक्शों में अंतर को समाप्त करने हेतु किस-किस ग्राम पंचायत/ग्राम से राजस्व नक्शों के दुरुस्तीकरण हेतु कितने-कितने आवेदन किन-किन व्यक्तियों द्वारा किए गए तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में नए एवं पुराने राजस्व नक्शों में आये भारी अंतर को देखते हुए उक्त क्षेत्र में पुन: सर्वे करवाकर राजस्व नक्शों में दुरुस्तीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री अमराराम): (1) विधान सभा क्षेत्र जमवरामगढ के अधिकांश ग्रामों में नये राजस्व नक्शों एवं पुराने राजस्व नक्शों में भारी अंतर नहीं आया है। मात्र 12 ग्रामों के नवीन नक्शों में गत नक्शों से अंतर आया है। एकीकरण में बने नक्शों के अनुसार काश्तकारों का मौके पर कब्जा नहीं कर पाने तथा पुराने नक्शों में पुर्क होने के कारण हाल पैमाइश के दौरान बने नक्शों में अंतर आया है। ग्रामों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में नये राजस्व नक्शों एवं पुराने राजस्व नक्शों में अन्तर समाप्त करने हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है जिन पर दुरुस्ती की कार्यवाही जैरकार है।

(3) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में नए एवं पुराने राजस्व नक़्शों में आये अन्तर से सम्बन्धित प्रकरण परीक्षणाधीन हैं। परीक्षणोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक ।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड – 3 में माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में नए एवं पुराने राजस्व नक़्शों में आये अन्तर से सम्बन्धित प्रकरण परीक्षणाधीन हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सवाल यह पूछा था कि जिन गांवों के नक्शों में अंतर आया है। क्या उन गांवों में दुबारा सर्वे करवायेंगे? या फिर कोई और तरीका अपनाकर, उस अंतर को दुरुस्त करेंगे? इसमें माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि यह परीक्षणाधीन है। जब सरकार एक तरफ 12 गांवों के नक्शे के अंतर को मान चुकी है। सरकार यह मंजूर करे कि 12 गाँवों के नक्शों में अंतर आया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह जानना चाह रहा हूं कि 12 गांवों के नक्शों को दुरुस्त करने के लिए सरकार का तरीका क्या है? क्या उपाय करने जा रही है? यह कोई व्यक्ति विशेष या एक काश्तकार का मामला नहीं है, इसमें पूरे गांव के गांव इसकी चपेट में आए हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को आपके मार्फत अवगत कराना चाहूंगा कि ज्यों ही 2001 के अन्दर, जमवारामगढ़ का पहले जो सैटलमेंट 2008 में हुआ था, 2019 के अन्दर एकीकरण हुआ। एकीकरण में चकबंदी में कि किसी के पांच बीघा किसी दूसरी जगह है, छह बीघा कहीं और है तो उनको एक जगह..। तो ऐसे बहुत से थे जिन्होंने वापिस अपने स्थान पर कब्जा नहीं किया। वहां जाकर खेती नहीं की। तो उस प्रकार से हमने 2001 में सैटलमेंट वापिस करवाया और सैटलमेंट के दौरान उसमें कुछ खामियां फटे पुराने नक्शों में होने के कारण 2001 के बाद ज्यों ही क्लाज हुआ, तो कारण यह है कि लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर कलक्टर होता है और असिसटेंट लैण्ड रिकार्ड आफिसर होता है असिसटेंट कलक्टर जो उपखण्ड में होता है। इनके जो 82 प्रकरण है, वो असिसटेंट कलक्टर के पास चल रहे हैं और इन्होंने जितनी एप्लीकेशन दी हैं। चार खातेदारों की जो एप्लीकेशन आई हैं, उन्हीं का हमने वापिस करवाया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वैसे राजस्थान के अन्दर डी.आई.एल.आर.एम.पी. यानी डिजीटल इंडिया लैण्ड रिकार्ड मोडर्ननाइजेशन प्रोजेक्ट के तहत पूरे राजस्थान के सब जिलों के नक्शों का

(श्री अमराराम)

हम वापिस सुधार करवा रहे हैं और इनके 12 गांव में टीम लगाकर जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं। सब जगह नहीं है। 12 गांव में भी कुछ-कुछ जगह है। कहीं चार है, कहीं पांच है, कहीं दस है। उनका धारा-136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत शुद्धीकरण के बारे में जो प्रकरण विचाराधीन हैं, उसी के अनुसार उनका नक़्शे वगैरह ठीक करवायेंगे। उसके बावजूद भी यदि कोई कमी आएगी तो मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि मैं सैटलमेंट के एक्सपर्ट अधिकारियों को भेजकर जितना हो सकेगा उनका संशोधन करायेंगे। नक्शों को सही बनायेंगे। कब्जे के अनुसार बनायेंगे। आपको आश्वस्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: जगदीश नारायण जी दूसरा पूछेंगे क्या? जवाब पर्याप्त आ गया है।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अधिकार है। मैं कम-से-कम दूसरा प्रश्न तो पूछ सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, अधिकार का प्रयोग कीजिए।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि यह सारे गांवों के सारे लोगों का मामला नहीं है। कुछ-कुछ काश्तकारों का है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जब एक गांव में चार काश्तकारों का नक्शा परिवर्तित हो रहा है तो फिर बाकी काश्तकार यथास्थान कैसे रहेंगे। पूरे गांव का नक्शा बदला है। ऐसे मेरे पास उदाहरण है कि एक गांव के किसान का नक्शा बदलते ही उससे बदलते-बदलते पूरे गांव की सीमाएं बदल चुकी हैं और सारे किसान इससे परेशान हैं। काफी समय हो गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस पूरे गांव के नक्शे को दुरुस्त करने के लिए आप क्या उपाय अपनाना चाहते हैं?

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि कुछ काश्तकार, इसमें चौथे नंबर पर 'गोल' लिखा है, इसमें लिखा है कि आम जनता ग्राम – गोल। जो आपत्ति आई है उसमें आम जनता ग्राम – गोल है। इसका मतलब है कि आम जनता इससे त्रस्त है। यह जो सूचना चार आपत्तियों की है, माननीय अध्यक्ष महोदय यह भी गलत है। मैंने अधिकारियों से चर्चा की है, मैंने अधिकारियों से मालूम भी किया है, उत्तर मिलने के बाद मैंने पूछा कि चार ही लोग परेशान हैं क्या? अधिकारियों ने बताया कि हम गलती से ग्राम

(श्री जगदीश नारायण)

पंचायत समझ बैठे, बाकी प्रकरण तो 136 हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि ये 12 गांव पूरी तरह से परेशान हैं तो इन गांवों के नक्शों का या तो दुबारा सर्वे करायेंगे या फिर कोई और तरीका अपनाकर इन नक्शों को दुरुस्त करेंगे? दूसरा, बहुत-से गांवों के नक्शे फटी-पुरानी हालत में हैं, स्पष्ट नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में काश्तकारों के सीमा ज्ञान के सारे प्रकरण पैंडिंग पड़े हैं । तो क्या नक्शों को जल्दी ठीक करवाने की सरकार मंशा रखती है? यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी माननीय सदस्य को निवेदन किया कि हम डिजीटल इंडिया लैण्ड रिकार्ड मोडर्ननाइजेशन प्रोग्राम के तहत पूरे राजस्थान का सर्वे करा रहे हैं । आप जिन 12 गांवों के लिए कह रहे हो तो इनका इसी के द्वारा जल्दी से जल्दी सर्वे कराकर जहां भी जो तकलीफ है, उनको हम दूर करेंगे। लैण्ड रिकार्ड आफिसर, कलेक्टर उनको भी निर्देश देंगे। वो नहीं कर सके तो सैटलमेंट अधिकारियों से कहकर और कमिश्नर से कहकर और टीम भेजकर जैसा माननीय सदस्य कहेंगे हम दुरुस्त कराने का विचार रखते हैं। हम जरूर करायेंगे। मैं इनको आश्वस्त करता हूं। पहले भी कह चुका हूं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्री धीरज गुर्जर। क्या जहाजपुर का या जमवारामगढ़ का?

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): सिर्फ जमवारामगढ़ ।

श्री अध्यक्ष: बिल्कुल। अच्छे आदमी हो। बोलो।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): क्या जमवारामगढ़ के राजस्व विवादों का निस्तारण करने हेतु सैटलमेंट की कार्यवाही चाहते हैं? पूरे प्रदेश में सैटलमेंट की कार्यवाही कब तक कर देंगे? राजस्व नक्शे फट चुके हैं। इसलिए आप इनका डिजीटलनाइजेशन करना चाह रहे हैं। वो डिजीटलनाइजेशन कब तक कर देंगे? और, क्या आप सैटलमेंट इमेज के माध्यम से कब्जा एवं वस्तु स्थिति का पुन: सीमांकन कराना चाहते हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: डोटासरा जी जो बोल रहे हैं, उनका अंकित नहीं होगा। हुआ भी है तो एक्सपंज किया जाए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: आपने मेरी अनुमति नहीं ली। आप कौन होते हो, वो उनका जवाब दे रहे हैं। जब मंत्री उनका जवाब दे रहे हैं तो बीच में ही खड़े हो गए। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं जमवारामगढ़ के किसानों का ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: मैं कह रहा हूं आप विराजिए। तीन दूसरे नाम आए हुए हैं, उनको लेने दीजिए। माननीय मंत्री महोदय, जवाब दीजिए।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि यह कब तक करवा देंगे? जो फटे-पुराने नक्शे और उनकी दुरुस्ती वगैरह तो मैंने आपको यह बता दिया है कि डिजीटल इंडिया लैण्ड रिकार्ड मोडर्ननाइजेशन प्रोग्राम ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय सदस्य आप असत्य बता रहे हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: डोटासरा जी बोल रहे हैं, वो अंकित नहीं होगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: यहां सब महत्वपूर्ण है आप बैठिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल स्थगित। आप यह आदत छोड़ दीजिए, कह देता हूं आपको। 12 किसकी बज रही है, भाषा का भी आप जरा संयम रखिए। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। यहाँ पर आने वाला हर प्रश्न महत्वपूर्ण है। यहां पर जो भी विधायक, जो प्रश्न उठाते हैं, उनको महत्वपूर्ण माना जाता है, कोई एक का ही नहीं है। उस महत्व को कम नहीं किया जाना चाहिए, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(श्री अध्यक्ष)

1. श्री पूरणमल सैनी, सदस्य की ओर से संस्कृत शिक्षा विभाग में वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2. श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से खसरा नम्बर 326 सिघाणा नारनौल कस्टोडियन भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

3. श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 3(54) दिनांक 05.7.13 का गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा अनुचित लाभ उठाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

4. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से रीको औद्योगिक क्षेत्र, मानसरोवर में मनोरंजन के उपयोग हेतु दी गई 17 बीघा भूमि में से 16000 वर्गमीटर भूमि व्यावसायिक उपयोग हेतु दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

5. श्री रमेश, सदस्य की ओर से जिला करौली में कैलादेवी मंदिर मेले में शराब की खुली बिक्री के कारण आम जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

6. श्रीमती सोनादेवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में सेम की समस्या से उपजाऊ जमीनों के बंजर हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

7. श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से सरिस्का वन क्षेत्र का सीमांकन करने एवं वन क्षेत्र में आने वाले गांवों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

8. श्रीमती अंजू देवी धानका, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बस्सी में अग्निशमन केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती सोनादेवी, श्रीमती शकुन्तला रावत एवं श्रीमती अंजू

(श्री अध्यक्ष)

देवी धानका को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी। तीनों ही महिलाएं हैं। महिलाओं को भी बोलने का.....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने त्रि देवियों पर एक साथ ही कृपा कर दी। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): कुछ देवताओं पर भी कर देते।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष:

1. श्री श्रीराम भींचर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मकराना की ग्राम पंचायत-बोराबड-की-गौचर-भूमि-खसरा नंबर 413, 415, 238 पर से अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में।
2. श्री कैलाश चंद भंसाली, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर में बढ़ते भूजल स्तर से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3. श्रीमती अनिता कटारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में डेयरी संयंत्र स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में।
4. श्रीमती कामिनी जिंदल, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर नगर परिषद के लिए विशेष बजट स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।
5. श्री प्रहलाद गुंजल, सदस्य की ओर से कोटा की आवासीय कालोनियों के निवासीगण व सेना के मध्य विवाद को समाप्त करवाने के सम्बन्ध में।
6. श्री भंवरसिंह, सदस्य की ओर से आर्थिक रूप से पिछड़े अनारक्षित वर्ग के लिए आरक्षण बिल को शीघ्रातिशीघ्र लागू किए जाने के सम्बन्ध में।
7. श्री संजीव कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भादरा में रेलवे अण्डरब्रिज स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।
8. श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर में गाड़ोलिया-लुहार एवं पाक विस्थापितों को भूखण्ड आबंटित कर बसाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

9. श्रीमती शिमला बावरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की रावला से 365 हैड तक सड़क को चौड़ा करने के सम्बन्ध में।

10. श्री छोटूसिंह, सदस्य की ओर से जिला जैसलमेर के सेवण एवं पशु बाहुल्य क्षेत्रों में नलकूप खुदवाने के सम्बन्ध में।

11. श्रीमती द्रोपती, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की केसरदेसर वितरिका का लेवल सही कर किसानों को राहत प्रदान करने के सम्बन्ध में।

12. श्री कैलाश चौधरी, सदस्य की ओर से शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रबोधकों हेतु स्थानांतरण नीति बनाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 04 अप्रैल, 2016 को शून्यकाल में बोलने हेतु 43 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नांकित हैं:-

1. श्री शुभकरण चौधरी, तहसील उदयपुर वाटी में शामिल पंचायत सिंगनौर, धमारो, पोषणा को उप तहसील गुढा गोडजी में शामिल करने व नायब तहसीलदारों को तहसीलदारों की शक्तियां प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

2. श्री ज्ञानदेव आहूजा, अलवर शहर नगर परिषद, यूआईटी व मेवात क्षेत्र में अवैध बूचड़खानों को बंद नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

3. श्री शंकर लाल शर्मा, दौसा शहर की सीवरेज, नाली, सड़कों व बावड़ियों की दशा सुधारने एवं एल.ई.डी. लाइट लगाकर शहर का सौन्दर्यकरण किए जाने के सम्बन्ध में।

4. श्री जयराम जाटव, अलवर सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में आने वाले गांवों की खातेदारी भूमियों में अनावश्यक आपत्ति किए जाने से किसानों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज तीन बड़े महत्वपूर्ण बिल हैं, राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) विधेयक, 2016, राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016 और राजस्थान नगरीय भूमि (हक प्रमाणन) विधेयक, 2016. इन सभी विधेयक पर, एक पर 14 माननीय सदस्य विचार प्रकट कर रहे हैं जनमत जानने हेतु, एक पर 13 कर रहे हैं और एक पर 15 कर रहे हैं। कुल मिलाकर लगभग 50 माननीय सदस्य इन तीनों बिलों पर अलग-अलग समय पर बोलेंगे। अगर आसन की अनुमति हो और आपकी कृपा हो तो 295 को पढ़ा हुआ मान लिया जाए तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष: कृपा नहीं, यह आपने मांग की है, वाजिब मांग है। क्या सदन चाहता है कि इनको पढ़ने की अनुमति दे दी जाए। पढ़ा हुआ मान लिया जाए। मैं गलत बोल गया था। पढ़ने की अनुमति दे दी जाए, नहीं, पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

(स्वीकृत)

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्रीमती सोना देवी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

रायसिंहनगर में सेम की समस्या

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। प्रक्रिया के नियम 50 के अन्तर्गत निम्न गम्भीर एवं लोक महत्व के विषय पर चर्चा हेतु सदन में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं।

महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत 22 पीटीडी, 43 पीएस, खाटा एवं 75 एनपी सेम की चपेट में आ चुके हैं। इन ग्राम पंचायतों के दर्जनों गांव में भूजल स्तर बढ़ने से सेम के प्रभाव में है। ग्राम 23 पीटीडी में तो सेम का पानी जमीन से दो फीट ऊपर तक आ चुका है जिससे पूरा बसा बसाया गांव झील बन गया है। ग्राम पंचायत 43 पीएस एवं खाटा में तो भूजल स्तर मात्र 3-4 फीट पर ही रह गया है। भारत सरकार के स्वच्छता अभियान का यहां कोई मतलब नहीं रह गया है। जलबद्ध शौचालयों का निर्माण ही नहीं हो रहा है तो खुले में शौच मुक्त की कल्पना ही नहीं की जा सकती। विडम्बना

(श्रीमती सोनादेवी)

यह है कि अब यहां के किसान पीने एवं सिंचाई पानी के संग्रहण के लिए डिग्गी का निर्माण भी नहीं कर सकते। इन गांवों में निर्मित वाटर वर्क्स सहित अन्य सभी सरकारी-गैर सरकारी भवन सेम की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। पेयजल डिग्गियों का पानी सेम की वजह से सड़ कर बदबू मारने लग गया है, जिससे यहां पेयजल संकट गहरा गया है।

महोदय, मेरी साथी विधायक के पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में भी सेम समस्या विकराल रूप ले चुकी है। पीलीबंगा एवं रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र के कई गांवों की सैकड़ों मुरब्बे से अधिक उपजाऊ भूमि को चपेट में लेने के बाद सेम की इस विकराल समस्या की आहट अब अन्तरराष्ट्रीय सीमा तक आ चुकी है। यहां सीमा पर की गई तारबंदी को भी सेम का खतरा पैदा हो गया है। मेरा माननीय मंत्री महोदय जी से आग्रह है कि सेम समस्या को प्राकृतिक आपदा घोषित कर यहां के निवासियों को मुआवजा दिया जाए या जमीन के बदले जमीन दी जाए। यहां यह भी आवश्यकता है कि, सैकड़ों बेघर हो चुके ग्रामीण पलायन को मजबूर हैं इनके जीविकोपार्जन के साधन विकसित किए जाकर अन्यत्र बसाए जाएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): साहब, जवाब तो दिलाइये। प्लीज, निवेदन है, सर।

श्री अध्यक्ष: कोई रेस्पोंड कर रहा है? सरकार की ओर से कोई रेस्पोंड कर रहा है क्या? कोई नहीं कर रहा। चलो, शकुन्तला जी रावत।

सरिस्का वन क्षेत्र का सीमांकन

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से स्थगन नियम 50 के तहत निवेदन है कि सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है चाहे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसको बफर जोन का नाम देकर एक इस तरीके का आवरण सा बना दिया जिसके कारण वहां के लोगों को, जो वहां निवास कर रहे हैं, हजारों वर्षों से उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं लेकिन ऐसे लोग हैं वह बफर जोन के एरिया में पीढ़ियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हैं, उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, ऐसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखकर। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की थी कि अभयारण्य में बसे हुए लोगों

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

को उनकी स्वेच्छा से विस्थापित किया जाएगा जबकि गांव वालों पर दवाब बनाकर विस्थापन के लिए इस तरह से उनको मजबूर कर देते हैं अभयारण्य से हटाने के लिए कि उनको ना तो बिजली मिल पाती है, विद्यालय, अस्पताल है, ऐसी जगह उनको आने जाने में परेशानी होती है।

मेरा मानना यह है कि इसलिये उनको विस्थापित करना चाहते हैं ताकि आराम से शिकारी शिकार कर सकें और वहां गांव वालों की दखलंदाजी नहीं हो। यह ऐसा नहीं होना चाहिये।

जमीन से विस्थापित करने पर उनको सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपये दिये जाते हैं, 25 साल पहले भी इतना ही दिया जाता था और आज भी इतना ही दिया जा रहा है। मंहगाई को देखकर डी.एल.सी. रेट जो बढ़ रही है, हर साल डी.एल.सी. रेट बढ़ने के कारण कम से कम उनको एक करोड़ रुपये दिये जाएं या 10-10, 20-20 बीघा उनको जमीन के बदले जमीन दी जानी चाहिये, जिससे उनका गुजारा हो सके। अभयारण्य क्षेत्र के जो यूनिट लोगों की बनाते हैं 21 वर्ष की, अध्यक्ष महोदय, 21 वर्ष वे किस आधार पर मानते हैं, क्योंकि वहां अशिक्षा है, विद्यालय है नहीं, अनपढ़ लोग हैं तो राशन कार्ड के आधार पर उनकी आयु तय की जाती है तो वह ऐसे निर्धारित नहीं होनी चाहिये। या तो उनका मेडिकल मुआयना किया जाना चाहिये और मेडिकल करवा करके उनकी यूनिट तय होनी चाहिये।

जो अभयारण्य क्षेत्र है उसका सीमांकन होना चाहिये, जिससे कि जो जमीन खातेदारी की है उसको वह वन क्षेत्र में नहीं ले सकें। जिन गांवों में रोड बन चुके हैं, आज तक उन गांवों में बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा नहीं पहुंच पाई है। अभी, बीच-बीच में वहां पर जब खम्भे लगा दिये जाते हैं तो उनको उखाड़ करके फेंक दिया जाता है। कम से कम उनको बिजली मुहैया करानी चाहिये, जिससे कि वहां पर उनके बच्चे पढ़ सकें। विद्यालय और स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने चाहिये। उनका मुख्य धंधा पशुपालन है, अध्यक्ष महोदय, इतने सारे पशुओं को लेकर वे कहां जायें। ऐसी व्यवस्था उनके लिये करनी चाहिये।

एक जो अभयारण्य क्षेत्र में उनकी जमीन पड़ती है, सबसे मेन परेशानी है कि वे उसकी रजिस्ट्री नहीं करवा सकते। वे इतने मजबूर हैं, वे पक्के मकान नहीं बना सकते। फोरेस्ट विभाग आ करके रोक लगा देता है। जबकि फोरेस्ट विभाग बना सकता है। जो सरिस्का क्षेत्र है, वन क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र में मोबाइल

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

टावर भी लगाने की परमीशन दी जानी चाहिये। ऐसे क्षेत्र बहुत हैं। गुढा, बांकरवाड़ा, नाथूसर, लोद, छींड, जयसिंहपुरा, कल्याणपुरा, धामला का बास, खारी का बास, अधीरामेढ़ा, वैसे सर्वे करवा करके लगाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। स्थान ग्रहण कीजिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): छोटा सा, एक-दो पाइण्ट हैं, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, कोई भी ट्रैक्टर बजरी लेकर आ रहा है और रवन्ना है, उसके पास सारी चीजें हैं, लेकिन फोरेस्ट में से अगर गुजर रहा है तो मोटी राशि का उस पर जुर्माना लगा दिया जाता है। एक और, अगर वहां गाय और भैंस चली गई, गांव वालों की, तो उनको कोर्ट से जमानत करानी पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, इसको हटाया जाये, मेरा आपसे अनुरोध है और फोरेस्ट के वे जंगली जानवर पूरी फसल को चौपट कर देते हैं, सूअर आ करके, किसान रोता रह जाता है, वह एक घण्टे भी सो नहीं पाता है, पूरी रात अपनी फसल की रखवाली करता है। अगर वह सो गया तो समझो कि उसकी सारी फसल चौपट हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, एक-दो मेरे छोटे-छोटे पाइण्ट हैं।

(12.13 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि यह जो रोक लगाई गई है, उनके ऊपर, उनके पशुओं के जाने पर, इसको हटाया जाये। जंगली जानवर, जो नुकसान करके जाते हैं, उनका उनको मुआवजा मिलना चाहिये।

एक अभी ऐसी घटना हुई है। तोडिया का बास में उकेश की लड़की धौली, जिसको सूअर, वह अपने पिता के साथ जा रही थी, उसको झपट्टा मार कर काफी दूर तक खेंच कर ले गया। ग्राम वालों ने बड़ी मुश्किल से छुड़ाया तो ऐसे जो गांव और पंचायत हैं, मेरे रतनपुरा, बालास, रामपुर, बैराम का बास, सबलपुरा, बामणवास, कांकड़, मुंडावरा, खरकड़ी, गढ़ी, अजबपुरा, लेकड़ी, जयसिंहपुरा, छींड, हाजीपुर, ऐसी बहुत सारी जो मेरी ग्राम पंचायतें हैं, उनमें जंगली जानवर आ करके नुकसान करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि वन विभाग गांव वालों के साथ, जो हजारों वर्षों से रह रहे हैं, उनके साथ शिथिलता बरते, एक इंसानियत बरते। उन्हें मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराये जाने के लिये मेरा अनुरोध है। सबसे बड़ा, बिजली कनेक्शन के लिये वे इधर-

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

उधर एन.ओ.सी. के लिये मारे-मारे भटकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा आपसे अनुरोध है कि उन गांव वालों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अंजू देवी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं, इसी विषय पर एक पर्ची भी है माननीय जयरामजी की है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: उनको बुलवा दें? पर्ची वालों को बुलवा दें, साथ ही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बुलवा देते तो एक साथ माननीय मंत्री महोदय जवाब दे देंगे। अगर आपकी अनुमति हो तो, एक ही विषय है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: किनका है यह, जयरामजी का है क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हां, पर्ची है।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में खातेदारी भूमियों में अनावश्यक आपत्ति

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्षजी, अलवर-सरिस्का अभयारण्य के क्षेत्र में जो आने वाले किसानों की भूमि और उसमें जिनको खातेदारी राइट्स हैं, 500-700 साल पुराने जो राजस्व गांव हैं, उनमें वन विभाग द्वारा अनावश्यक रूप से अनापत्ति, मतलब आप रजिस्ट्री कराएंगे तो वन विभाग वाले कहते हैं कि हमारी अनापत्ति के बिना रजिस्ट्री आप नहीं करा सकते। वन विभाग वाले कहते हैं कि आपको सड़क बनानी है तो हमारी अनापत्ति चाहिये। आपको बिजली की लाइन खींचनी है तो हमारी अनापत्ति चाहिये। आपको उस रास्ते से निकलना है तो अनापत्ति हमारी चाहिये। ग्राम पंचायत अपनी सड़क बनाता है, सामुदायिक भवन बनाता है, विद्यालय का भवन बनाता है तो वहां भी अनापत्ति के लिये, रोक लगाने के लिये खड़े हो जाते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 22.08.1997 में राजस्थान उच्च न्यायालय, सिविल रिट पिटीशन का एक फैसला हुआ, जिसमें 22.10.1999 में अलवर जिला कलेक्टर ने इसको यथावत

(श्री जयराम जाटव)

मानने के लिये वन विभाग के सारे अधिकारियों को और जितने जो वहां के फोरेस्ट के चाहे वह डी.एफ.ओ. था, ए.सी.सी.एफ. था, या राजस्थान में जो ये अधिकारी थे, मुख्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान सरकार, क्षेत्रीय निदेशक बाघ परियोजना सरिस्का, शासन सचिव महोदय, वन विभाग, पर्यावरण, इन सारे विभागों को राजस्थान उच्च न्यायालय का जो जजमेंट आया, जो फैसला आया, जो सिविल कोर्ट में जा करके राजस्थान उच्च न्यायालय में गांव के लोगों ने रिट पिटीशन की, उसके फैसले को भी वन विभाग वाले मानने को तैयार नहीं हैं। जिला कलेक्टर ने, गांवों के लोगों के आये दिन ही वहां विवाद होते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले की बात ही हम कर रहे हैं। यह हमारी जमीन है, किसानों की जमीनें हैं, राजस्व गांवों की जमीने हैं। इन जमीनों के ऊपर हम अपना काम नहीं कर सकते, अपनी जमीन का बेचान नहीं कर सकते, हम दूसरे लोगों से खरीद नहीं सकते। किसान अपनी एग्रीकल्चर के लिये कुए का बोरिंग नहीं करा सकते। यह बड़ी अनापत्ति, और राजस्थान उच्च न्यायालय का जो जजमेंट रहा है, जो फैसला आया, उसको भी वहां का वन विभाग ताक में रखकर बैठा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह लिखा है, राजस्व भूमि पर ग्रामवासियों को, ग्राम पंचायतों को 25.11.75 से पूर्व की प्राप्त सार्वजनिक और निजी अधिकार राजस्व अभिलेखों में अंकित रखा जाये, यथावत रखा जाये। मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों के अध्याधीन इस क्षेत्र में पशुओं की चराई की भी व्यवस्था दी गई है। शासन सचिव, वन विभाग को लिखा है, पर्यावरण को लिखा है, वन्य जीव को लिखा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सरिस्का जिसको टाइगर बफर जोन कहते हैं, यह 492 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन इन्होंने अपनी मर्जी से, जो टोटल क्षेत्र था वह 866 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन इन्होंने अपनी मर्जी से 2013 में बढ़ाकर 332 वर्ग किलोमीटर और बढ़ा लिया। बढ़ाने के बाद में इन्होंने उस क्षेत्र को, अपनी मर्जी से बढ़ा करके 1213 किलोमीटर कर दिया। आज गांव का आदमी, जो हमारे यहां, जो आदिकाल से, स्टेट टाइम का जो किला है, बाला किला जिसको कहा जाता है, उस बाला किला को भी उस सरिस्का में रख दिया। यह इस तरह की अनापत्ति और यह जो रोक लगाई गई है, कोर्ट के फैसले को, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुमति चाहते

(श्री जयराम जाटव)

हुए, मंत्रीजी से निवेदन करुंगा कि किसानों की जमाबंदी पर रोक लगाई जाए, बिजली के कनेक्शन दिये जाएं, सड़कों का काम करवाया जाये। ग्राम पंचायतों के लिये भी उसमें सारे अधिकार दिये गये हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जितने गांव हैं, माधोगढ़ ग्राम पंचायत है, कुशालगढ़, इन्दोक, लालपुरी, धर्मपुरा, परसा का बास, डेलाबास, बख्तपुरा, रुंद सिरावास, रोगड़ा, सिरावास राम नगर, निर्भयपुरा, निगसपुरी, डोबा, किशनपुरा, पेपपुरा, बालेकर, बलदेवपुरा, लगभग 50 गांवों में लोगों को इतनी परेशानी है, इतनी ख्वाहमख्वाह दादागीरी, फोरेस्ट विभाग की दादागीरी, हम इनको कहते हैं, जब बार-बार वहां आन्दोलन हुए हैं, कई साल पहले, आन्दोलन के बीच में आ करके कह देते हैं हमने राजस्थान उच्च न्यायालय का, जो सिविल कोर्ट का फैसला था उसको मान लिया।

उसके बाद में फिर दुबारा किसान जाते हैं तो कुछ नहीं करने देते हैं। मुझे तकलीफ नहीं है? माननीय मंत्रीजी बैठे हैं, इनके क्षेत्र में बिजली की लाइन कट गयी। पी.डब्ल्यू.डी. की जमीन में भी बिजली की लाइन चली गयी। रात को खंभों को जे.सी.बी. से तोड़कर चले गये। ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। हम भी जानते हैं कि पर्यावरण को जिंदा रखने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारे कर्तव्य हैं, हम भी नहीं चाहते हैं कि वहां पर इस तरह का विनाश हो लेकिन जो खातेदारी लैंड, जो खातेदारी जमीन हमारे किसानों की है, हमारे को स्कूल चाहिए, हमको सड़क चाहिए, हमको पानी चाहिए, पानी की व्यवस्था भी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस तरह का आप आदेश करें वन विभाग के अधिकारियों को, आपके सरिस्का रेंज के अधिकारियों को कि लगी हुई रोक को तुरन्त हटाया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय का जो सिविल कोर्ट का फैसला है, उसको पुनः दिखवा लें, उसकी पुनः जांच करवा लें और एक कमेटी गठित करें। यह अपनी मर्जी से वन विभाग वाले, हमारे सरिस्का क्षेत्र में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 143 एनिकट बना दिये, 143 एनिकट बनाने से क्या हुआ कि हमारा जो जयसमंद का बाँध है, लगभग दस सालों से सूखा पड़ा है। एक बूंद पानी नहीं आने देते हैं। इनकी तो मर्जी के सौदे हैं। जिस मर्जी को अपनी, जितना किलोमीटर चाहिए उतना बढ़ा लिया। आज हमको हमारे क्षेत्र में इस तरह की किसानों को जो परेशानी है, यह परेशानी वहां हमारी सबकी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दुबारा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री जयराम जाटव)

कमेटी गठित करें और उस उच्च न्यायालय के फैसले को अमल करें, उसकी दुबारा से इस तरह की जो कानूनी पालना आपके द्वारा वन विभाग के अधिकारियों से करवाई जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के द्वारा अधिनियम, 1958 में सरिस्का को अभयारण्य घोषित किया था और वर्तमान में 882 वर्ग किलोमीटर को कोर एरिया और 383 वर्ग किलोमीटर को बफर एरिया घोषित किया गया है। उस क्षेत्र में 29 गांव आते हैं, तीन को विस्थापित किया जा चुका है। छह प्रक्रियाधीन है, प्रगति पर है, कुछ परिवार शिफ्ट भी हो गये हैं। मैं मानता हूं कि वास्तव में जो मुआवजा मिल रहा है वह बहुत कम है और आप तो जानते ही हैं और सम्माननीय सदस्या भी जानती हैं कि इसमें सारा का सारा जो कंट्रोल है वह वाइल्ड लाइफ बोर्ड का है, केन्द्र का है। जो सुप्रीम कोर्ट का अभी फैसला आया कि कुछ मूलभूत सुविधाएं देने का, चार इंच की पाइप लाइन का, 11 हजार किलोवाट तक का ट्रांसफार्मर लगाने का उन सबको हमारे जो मैनेजमेंट प्लान है, उसमें हम उस पर विचार करके उसको वाइल्ड लाइफ बोर्ड को दिल्ली भेजेंगे। हमें अगर स्वीकृति मिल जाती है तो हम निश्चित रूप से यह सब उनको अलाउ कर देंगे। सीमांकन का जहां तक सवाल है, यह उसी टाइम में सीमांकन हो गया था, अभी भी अलवर कलक्टर के अधीन एक कमेटी बनी हुई थी जो इस सीमांकन का सर्वे करके उसको निश्चित किया था और स्पष्ट है वह। उसके बाद में भी यदि किसान भाई को अगर उसमें लग रहा है कि मेरी जगह उसमें दबी हुई है तो जब मर्जी वह अपनी एप्लीकेशन देकर उसमें सीमांकन उसका करवा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है और जहां तक इसके अन्दर यह बात अभी सम्माननीय सदस्या बता रही थीं कि ठीक है, इसमें यह करिए, वह करिए तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ी जागरूकता तो अगर गांव वाले अनपढ़ हैं तो हम जो जन-प्रतिनिधि हैं, हमारा भी दायित्व है कि हम कुछ करें।

अभी डी.एन.पी., जो डेजर्ट नेशनल पार्क, जैसलमेर में अभी तक हमारे पास में 1009 एप्लीकेशंस आ गयी हैं, सुविधाएं मांगने करने की मगर अभी तक सरिस्का से एक भी मेरे डिपार्टमेंट को कोई इस तरह की मांग किसी भी सुविधा के लिए और के लिए नहीं आई है तो मेरा निवेदन है कि वह भी अपने प्रापोजल हैं, जो भी मांग, डिमांड है वह भेजें और हम अपने मैनेजमेंट प्लान से सारा बनाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से वाइल्ड लाइफ बोर्ड को भेजेंगे और वहां से स्वीकृति मिल जाने के बाद में हम पूरी मदद करेंगे।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पर बहस नहीं चाहता लेकिन मैं आपसे निवेदन चाहता हूं कि जो आपने विस्थापित गांवों के लिए, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जो 1999 में राजस्व विभाग, जिला कलक्टर ने जो उच्च न्यायालय के द्वारा जो फैसला हुआ, उसकी पालना में आज तक वन विभाग के अधिकारी नहीं मानते हैं। आप यह तो तय कर दो, यह तो बता दो कि 1999 का जो फैसला, 1997 का जो फैसला हुआ, उसको 1999 में लागू किया गया। उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): जिसके बाद 2007 में SC के अंतिम निर्णय के फैसले की मैंने चर्चा की अपने अधिकारियों से, मीटिंग ली है तो उन्होंने यही कहा है कि मैनेजमेंट प्लान में इसको लेकर वाइल्ड लाइफ को भेजते हैं। निश्चित रूप से जो लोग गांव वाले वहां पर रह रहे हैं, हम तो स्वेच्छा से कोई शिफ्ट होना चाहते हैं तो करते हैं, कानून में ऐसा किसी को जबरदस्ती तो कर भी नहीं रहे, बाकी जो कानून वाइल्ड लाइफ का है, उसमें भी हमारी मजबूरी है। तो निश्चित रूप से 2007 का जो फैसला है, उसको हम मैनेजमेंट प्लान में बनाकर वाइल्ड लाइफ को भेजते हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि शीघ्रातिशीघ्र उनको कुछ मूलभूत सुविधाओं की परमिशन मिले।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी निवेदन करना चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे, Generally on 'Sthagan', we don't allow such debates or questions & answers पर चलिए, I'll give you one more chance. बतायें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मैं मंत्री महोदयजी से आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि आप सरकार को भेजें और आप जो कह रहे हैं कि भाई, हमारे पास यह जमीन के कोई ऐसे मैटर नहीं आए, यह बहुत, अभी छह महीने पहले भी और एक महीने पहले भी एप्लीकेशन आपके विभाग को भी भिजवायी हुई है, राज्य सरकार को भिजवायी हुई है कि उनकी जो खातेदारी की जमीन है, उसमें भी वह परमिशन नहीं देते हैं, मकान बनाने की, यह सबसे बड़ी परेशानी है तो इसमें आप थोड़ी शिथिलता बरतें, बस इतना निवेदन है।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): अगर इस तरह की कोई आपकी एप्लीकेशन दी हुई है तो मेरे ध्यान में कराएं, मैं निश्चित रूप से कलक्टर से डी.एफ.ओ. को कहकर उसका करवा दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अंजू देवी धानका।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

बस्सी में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने नियम-50 के तहत समय दिया, धन्यवाद।

मेरे विधान सभा क्षेत्र बस्सी, जिला जयपुर में एक भी अग्निशमन केन्द्र न होने के कारण आकस्मिक घटना होने पर तत्काल सहायता नहीं मिल पाती। बस्सी विधान सभा क्षेत्र में 210 गांव और कई अन्य ढाणियां हैं। उसी से जुड़े हुए चाकसू, जमवारामगढ़, दौसा जैसी तहसीलें हैं जो 35 से 37 किलोमीटर की दूरी पर हैं इसलिए अग्निशमन, फायर बिग्रेड वहां पर पहुंच नहीं पाती बस्सी में, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

बस्सी में अगर जयपुर से भी यह मंगाई जाए तो वहां पर रेलवे फाटक एक-एक घंटे तक बंद रहता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो समय पर वह पहुंच नहीं पाती है जिसकी वजह से अभी शनिवार को भी मैं क्षेत्र में गयी हूं तो थर्स-डे के दिन आग लगी चार जगह एक साथ और सैटर-डे को मैं गयी हूं तो वहां पर एक गांव है- दामोदरपुरा, वहां पर 42 गाएं झुलस गयीं तो सभी जगह, जहां पर आग लगी है, उससे पहले भी जहां-जहां पर आग लगी है, वहां पर गाएं ज्यादातर झुलस रही हैं, गाएं मर रही हैं, बकरियां, भैंसें, बस्सी क्षेत्र में नगराजपुरा में लग जाने के कारण 12 गाय-भैंस व दामोदरपुरा में 42 गाएं झुलस गयीं। हाल ही में ग्राम ईंगोटी में 2 घरों में लगी आग के कारण चार गाए, दो भैंस व आठ बकरियां एवं कुछ नकदी भी एवं पशुओं का चारा जल गया एवं हाल ही में कुंदनपुरा में दो भैंस व तीन गाय जल कर मर गयीं व नगराजपुरा में फसल जल गयी।

यदि बस्सी तहसील के उप मुख्यालय पर, उप खण्ड बस्सी पर अग्निशमन केन्द्र होता तो यह दुर्घटनाएं होने से बचाया जा सकता था, इसके अलावा अगर हम गाड़ी मंगवाते भी हैं तो शायद अग्निशमन केन्द्र के पास जो गाड़ियां होती हैं वह इतनी खटारा होती हैं जो रास्ते में ही, खुद ही उसमें ही आग लग सकती है, ऐसी उन गाड़ियों की स्थिति है।

एक और बात मैं कहना चाहती हूं कि बस्सी, सॉरी, बी.जे.पी. सरकार हिंदुत्व का प्राय: है और इसीलिए गायों के पीछे, गायों के मुद्दे से आपकी

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

सरकार सत्ता में आई है तो अगर इन गायों के भी अच्छे दिन आ जाएंगे तो बहुत-बहुत अच्छा होगा, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: Is anyone going to react to that or should I call it..?

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ इतना आश्वासन दे दें कि होगा या नहीं होगा? हमारे अच्छे दिन तो आए नहीं, गायों के आएंगे कि नहीं आएंगे?

मंत्रीजी बिजी हैं, गुटखा खा रहे हैं, थोड़ा व्यस्त हैं। थोड़ा सा आश्वासन, झूठा ही दे दीजिए, कुछ तो बोलिए। स्वायत शासन में शायद यह आएगा? स्वायत्त शासन में, हो सकता है कि मैं गलत हूं। अगर मैं गलत हूं तो आप सही करके जो मंत्री इसका उत्तर देंगे वह आप दे दीजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सदस्य, यह सरकार जो कहती है वह करती है, जो करती है वह कहती है इसलिए झूठा आश्वासन नहीं देते हम।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): वह तो आपने अभी तक नहीं किया। आपने बी.सी.एम.ओ. का अभी तक नहीं हटाया। आपने तो किया नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): झूठा ही सही तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, झूठा ही सही तो एक गाना भी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री शुभकरण चौधरी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

उदयपुरवाटी की पंचायतों सिंगनौर, धमोरा, पोषाणा का उप तहसील गुढा गोड़जी में सम्मिलन व नायब तहसीलदारों को तहसीलदारों की शक्तियां

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में एक तहसील है, उदयपुरवाटी और एक उप तहसील है गुढा गौड़जी। तहसील और उप तहसील में दोनों में 20-20 ग्राम पंचायतें बटी हुई हैं पर उस तहसील से धमोरा, सिंगनौर और पोषाणा, तीन ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनकी दूरी क्रमश: 15, 17 और 18 किलोमीटर तहसील से है और उप तहसील गुढा गोड़जी वहां से 3, 4 और 5 किलोमीटर दूर पड़ती है। सरकार ने जनता की सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए उप तहसील का गठन किया है।

(श्री शुभकरण चौधरी)

सरकार की मंशा है कि लोगों को अपने राजस्व सम्बन्धी मामलों के निस्तारण के लिये 20-25 किलोमीटर न जाना पड़े, इसलिए गुढ़ागौड़जी में पिछली साल एक उप तहसील की स्थापना हुई। वहां पूरा स्टाफ है, बहुत सुन्दर आलीशान भवन बना हुआ है। नायब तहसीलदार वहां विराजते हैं। पर यह तीन ग्राम पंचायतें धमोरा, सिंग और पोसाणा, यहां के लोग रात-दिन अपनी छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिये गुढ़ागौड़जी जाते हैं, क्योंकि वहां शहर नजदीक पड़ता है। उसकी तीन से चार किलोमीटर दूरी पड़ती है पर राजस्व सम्बन्धी मामलों के लिये उन लोगों को चलकर 18-20 किलोमीटर जाना पड़ता है। नियम यह बना हुआ है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी तहसील या उप-तहसील अगर उसमें से बंटवारा करके नहीं बनाते हैं तो उसमें 15 से कम ग्राम पंचायतें नहीं होनी चाहिये। मेरी यह तीन ग्राम पंचायतें अगर मंत्री महोदय, उप तहसील में मिला भी देते हैं तो भी तहसील में 17 ग्राम पंचायतें शेष रहती हैं और एक नगरपालिका शेष रहती है। उप तहसील में भले ही 20 की जगह 23 ग्राम पंचायतें होती हैं, पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोग बहुत परेशान हैं, इस दूरी की वजह से भी और कोई कामों की वजह से भी उन्हें मात्र और मात्र तहसील के राजस्व सम्बन्धी कामों के लिये वहां 20 किलोमीटर जाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि तीन ग्राम पंचायतों के लोग इनके पड़ोसी सारे के सारे उप तहसील में अपना काम करवाते हैं और यह तीन ग्राम पंचायतों के लोग सारे कामों के लिये वहां तहसील में जाते हैं। किसी प्रकार की नियमों में कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी नियम हैं, वह पूरे कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने प्रस्ताव भी उचित माध्यम से भिजवा रखा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसकी घोषणा करें कि तीनों ग्राम पंचायतें उप तहसील में शामिल कर ली जाएं। मैं इनका बड़ा आभारी रहूंगा और क्षेत्र की जनता बहुत आभारी रहेगी।

इसके साथ ही एक प्रश्न और है। आज के पांच-छह महीने पहले जितनी स्वतन्त्र उप-तहसीलों की स्थापना की गयी, उन उप-तहसीलों में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधिनियम 15 की धारा 260 की उपधारा (1) के खण्ड-ख सपठित धारा 26 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा तहसीलदारों की समस्त शक्तियां उप-तहसीलदारों को प्रदान की गयी थीं। छह महीने तक बहुत आराम से काम चला। उन उप-तहसीलों में

(श्री शुभकरण चौधरी)

जहां नई स्थापना हुई थी, उनमें नायब तहसीलदारों ने तहसीलदारों का काम किया। इससे जनता को बहुत राहत मिली। सारे काम बहुत अच्छी तरह से चल रहे थे, अचानक महीने भर पहले उन अधिकारों को सरकार ने वापस ले लिया और वह सारी की सारी शक्तियां, जो उक्त नायब तहसीलदारों को प्रदान की गयी थीं, वह वापस तहसीलदारों में निहित हो गयी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह शक्तियां वापस प्रदान की जाएं। जब वह काम आराम से विधिवत चल ही रहा था, अब वापस लोगों को उस तहसीलदार से सम्बन्धित काम के लिये पहले नायब तहसीलदार के पास जाना पड़ेगा फिर तहसीलदार के यहां जाना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, वहां सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर है, सारी सुविधाएं हैं, बाबू है, स्टाफ है, नायब तहसीलदार है और नायब तहसीलदार भी, उपाध्यक्ष महोदय, काफी वरिष्ठ लोग हैं, क्योंकि बहुत दिन काम करने के बाद प्रमोशन होता है और वह भी कहीं कानूनी कार्यवाही में कोई कमी-खामी नहीं रखते। इसलिए मेरा निवेदन मंत्री महोदय से यह है कि वह अधिकार, जो तहसीलदारों के नायब तहसीलदारों को दिये गये थे, उन्हें उसी प्रकार नियमित रखा जाए, वह अधिकार वापस नहीं लिये जाएं। यह मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, धन्यवाद।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि जिला झुन्झुनूं की तहसील उदयपुरवाटी में नव भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्तों के 40 पटवार मण्डल शामिल हैं और तहसील उदयपुरवाटी में स्थित उप-तहसील गुढ़ागौड़जी के 21 पटवार मण्डल शामिल हैं। आपका यह तीन पंचायतों को उप-तहसील में गुढ़ागौड़जी में मिलाने के लिये आपने यह चर्चा की है। आपके इन तीनों के प्रस्ताव जिला कलक्टर से रेवेन्यू बोर्ड के मार्फत हमारे कार्यालय में आ चुके हैं। हम जल्दी ही इनका परीक्षण कराकर भौगोलिक दृष्टि से और जनहित के अन्दर आपने जो बात उठायी है तो इस पर जल्दी से जल्दी निर्णय करेंगे।

दूसरी बात आपने नायब तहसीलदारों की शक्तियों के बारे में उठायी है। पहले शक्तियां प्राप्त थीं। महीने भर पहले बंद हो गयीं। इसके लिये भी मैं आपके मार्फत, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि राज्य में नायब तहसीलदारों को तहसीलदारों की कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही गृह (ग्रुप-5)

(श्री अमराराम)

विभाग तथा विधि विभाग में विचाराधीन है। अब विधि विभाग में विचाराधीन होने के बाद में इस पर निर्णय लिया जाएगा और आपने जिन गांवों को मिलाने के लिये कहा है गुढ़ागौड़जी में, उसके लिये भी जल्दी निर्णय किया जाएगा। यह मैं आश्वस्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): थैंक्यू सर।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ज्ञानदेव आहूजा।

अलवर नगर परिषद्, यू आई टी व मेवात क्षेत्र में अवैध बूचड़खाने

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन में आपके माध्यम से एक ऐसी ज्वलन्त समस्या, जो वैसे तो पूरे राजस्थान के लिये है, लेकिन विशेष रूप से अलवर नगर परिषद सीमा, अलवर यू आई टी सीमा और मेवात क्षेत्र में फैली हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलवर में नगर परिषद सीमा में लगभग 200 अवैध बूचड़खाने, कत्लखाने चल रहे हैं। स्टेट टाइम में अलवर शहर में मान्यता प्राप्त एक बूचड़खाना नवाबपुरा मौहल्ले में था परन्तु अब हर एक किलोमीटर पर, आधे किलोमीटर पर शहर की सीमा में ही, जिसमें मेरी भी छह पंचायतें आती हैं और आगे मेवात में भी इसका जिक्र करूंगा, शहर की सीमा में ही मुर्गा, बकरा, पाड़े, भैंस और कहीं-कहीं ऊँट, जो आज हमारा राजकीय पशु है, उसका भी कत्ल होता है और स्टेट टाइम से नियम बने हुए हैं। नगरपालिका एक्ट में भी है कि अगर कोई जानवर काटा जाएगा तो उसका जो मांस बेचा जाएगा तो वह जानवर कहीं बीमार तो नहीं है, कहीं रूग्ण तो नहीं है इसलिये सेनेटरी इंस्पेक्टर की मोहर साथ में वेटरनरी डाक्टर की मोहर लगती थी, तब वह नवाबपुरा का बूचड़खाना, जो मान्यता प्राप्त है, उसमें होता था। परन्तु आज उस पर कोई सेनेटरी इंस्पेक्टर की मोहर नहीं, आज कोई वेटरनरी डाक्टर की मोहर नहीं, कोई जांच नहीं और सब तरह से इन जानवरों को काटा जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरेआम सड़क के किनारे ही मुर्गे, बकरे, पाडे, भैंस और उनके मांस के लोथड़े टांगकर बेचा जाता है। इसके बारे में मैं आपको, विशेष रूप से सदन में निवेदन करना चाहता हूं और इतना ही नहीं, लगभग इन 200 अवैध बूचड़खाने, जो शहर की सीमा में है और आगे चलकर मेवात में सब जगह फैले हुए हैं, इनको सरकार गैर-कानूनी तरीके से पता नहीं कब से चलने दे रही है। मैं पूर्व सरकार या वर्तमान सरकार, किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन यह बात तय है कि

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

इस समय यह चल रहे हैं और इन बूचड़खानों को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी? यह जो बूचड़खाने और अवैध कत्लखाने हैं, इनके यहां से जो मांस के लोथड़े और चींथड़े गिरते हैं, इन पर कौवे मंडराते रहते हैं और कुत्ते भी इनको खाने के लिये दौड़ते रहते हैं। इनके कारण बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं और भी दुर्घटनाएं होने का अंदेशा बना हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं यह शहर से आगे बढ़कर मेरे मेवात क्षेत्र में, जिसमें मेरा क्षेत्र भी है, तिजारा भी है और किशनगढ़ बास विधान सभा क्षेत्र भी है और लक्ष्मणगढ़, कठूमर, जो मेवात का क्षेत्र है, इसमें मेरे क्षेत्र से सम्बन्ध रामगढ़, बगड़ तिराहा, बकतल चौकी, शीतल चौराहा, बड़ौदामेव, गोविन्दगढ़, मुबारकपुर, नौगांवा, शायद लगभग हर पंचायत के इर्द-गिर्द यह मुर्गे काटने के और बकरे काटने के लोथड़े टांगने का एक अभ्यास सा कुछ लोगों का बना है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से तिजारा, भिवाड़ी, टपूकड़ा, भिण्डूसी, किशनगढ़, खैरथल, लक्ष्मणगढ़, मौजपुर, जालूकी, कठूमर, राजगढ़, माचेड़ी, रेणी, परवेणी, खेड़ली, तसई, मालाखेड़ा, उमरैण, अकबरपुर, धोला, सिलीसेढ़ ऐसे सब तिराहे और चौराहों पर इन मुर्गे और बकरे काटने के लगातार बूचड़खाने चल रहे हैं।

और इन बूचड़खानों के साथ में एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण अभी जो स्टेप राजस्थान सरकार के द्वारा हुआ कि नीलगाय को सरपंच की अनुमति से गोली से समाप्त किया जा सकता है, तो वहां मेवात में एक अभ्यास सा बन गया है कि नीलगाय को काटना बिना सरपंच की अनुमति से भी और उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने अनुमति दे दी है, और उनका मांस बेचना और मांस खाना, यह वहां एक अभ्यास सा बन गया है।

यह सब जो चल रहा है इस सब के पीछे मैंने लगातार एस.पी. और कलेक्टर साहब को भी एप्रोच की है कि ये बूचड़खाने, ये कत्लखाने अवैध हैं और नीलगाय को भी अवैध रूप से मारा जा रहा है, तो इसको रोका जाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं मेरा क्षेत्र हरियाणा से सटा हुआ, लगा हुआ है और वहां से बिरयानी के भगोने, देग और देगचियां भर-भर कर आते हैं और उसमें निश्चित है गाय का मांस होगा ही क्योंकि मेरे क्षेत्र से नौगांवा, आगे फिरोजपुर के रास्ते में दो गांव हैं दोहा और रावली, जहां गाय

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

काटी जाती है, वहां गाय का मांस बिकता है। अब हरियाणा सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को भी मैंने फैक्स किया, ई-मेल किया है, उनको भी जानकारी दी है और गाय के मांस की बिरयानी भगोनी और देगचियों में बराबर एस.पी. की नजर में, सम्बन्धित एस.एच.ओ., उनकी सब की नजर में मैं यह सब लाया हूं। बिरयानी भी बिकती है, सरेआम सड़कों पर बिकती है, यह एक आश्चर्य की बात है।

इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये कत्लखाने, ये बूचड़खाने हमारे स्कूल हैं उनके पास में हैं और स्कूलों के साथ में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंदिर हैं उनके पास हैं, चाहे जैन मंदिर है, चाहे वैष्णव मंदिर है। स्कूल और धर्मशाला, मंदिरों के पास में, मठों के पास, गुरुद्वारों के पास भी ये बूचड़खाने हैं और इन बूचड़खानों, कत्लखानों को कोई रोकने वाला नहीं है। लगातार यह सब धंधा चल रहा है। वैसे मस्जिदों के पास भी हैं, शायद मस्जिद वालों को तो आपत्ति न हो लेकिन अलवर की 90-95 परसेंट जनता को देख कर के इससे बड़ा दुख होता है, आश्चर्य होता है। किसी भी समय इनसे महामारी और बीमारी फैल सकती है क्योंकि बीमार पशुओं को काटना, उनका मांस बेचना और वो भी अवैध रूप से, इससे बड़ी महामारी भी फैल सकती है, बीमारी भी फैल सकती है।

इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इस नगर परिषद की सीमा और साथ में मेवात में इन बूचड़खानों को, इन अवैध कत्लखानों को, मान्यता प्राप्त है एक बूचड़खाना वो स्टेट टाइम का है लेकिन लगातार चल रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है और हर एक-दो किलोमीटर पर है, आप देख सकते हैं उसके फोटो। उसका बाकायदा हर एस.एच.ओ. को निवेदन किया है लगातार, पूरे छह विधान सभा क्षेत्र के, सात विधान सभा क्षेत्र के थानेदारों को। एस.पी. साहब को भी कहा है, एस.पी. खुद विश्नोई हैं, वो मेरे को व्यक्तिगत बातचीत में स्वयं बोले कि हम तो विश्नोई हैं, मांसाहार के खिलाफ हैं, हम तो इस मांस के और कटी खाने के खिलाफ हैं, मैं इस पर कार्यवाही करूंगा लेकिन कार्यवाही हुई नहीं हैं। जब से आये हैं तब से उनको मैं चार बार व्यक्तिगत रूप से जाकर कलेक्टर साहब को भी, एस.पी. साहब को भी निवेदन कर चुका हूं।

मेरा सरकार से निवेदन है, हमारी बहुत सुलझी हुई सरकार है, अभी माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ने कहा कि कथनी-करनी में फर्क नहीं है, कथनी-

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

करनी में फर्क नहीं है तो इन अवैध बूचड़खानों को, इन कत्लखानों को रोकने के लिए नियम-कानून बने हुए हैं, नया कोई बनाना नहीं है, इनको रोकने के लिए आप कार्यवाही करें और किसी तरह का अवैध मांस न बिके। मांस वैसे तो बिके ही नहीं, हम लोगों को सात्विक और बिलकुल वैष्णव होना चाहिए परन्तु बिकता भी है तो मान्यता प्राप्त बूचड़खाना है, उसके अलावा किसी को मान्यता नहीं है। बिना सैनिटरी इंस्पेक्टर की मोहर के, बिना वेटरनरी डाक्टर की मोहर के ये कत्लखाने कैसे चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं बूचड़खाने, कैसे कट रहे हैं मुर्गे, भेड़, बकरी, भैंस, पड्डे और ऊंट, इन सब को रोका जाना चाहिए। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) यह मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। माननीय मंत्री महोदय इसका जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शंकर लाल शर्मा।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पर्ची के माध्यम से दौसा शहर की समस्याओं को अवगत कराने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत आभार।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष: मैंने शंकर लाल जी नाम पुकार लिया, श्रीमान।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): इसका जवाब तो आये।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराज जाओ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आपसे विशेष प्रार्थना है, विशेष विनम्र निवेदन है कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे का मंत्री महोदय जवाब तो दें, स्वायत्त शासन मंत्री महोदय और सम्बन्धित मंत्री।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): परमिशन है?

श्री उपाध्यक्ष: I you want to react then I cann't. You want to react?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप परमिशन दें तो दे दें।

श्री उपाध्यक्ष: Yes, you go ahead.

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि अलवर शहर के म्युनिसिपल एरियाज के अन्दर और यू.आई.टी. के एरियाज के अन्दर अवैध मीट की

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

दुकानें हैं। नगर परिषद के कांजी हाउस के सामने ही दस-बारह दुकानें हैं जो अवैध हैं और इस प्रकार से पूरे अलवर के कई स्थानों के ऊपर अवैध दुकानें हैं, इसमें कोई संशय नहीं है और यह बात भी सही है कि वहां किसी बूचड़खाने की परमिशन किसी को नहीं है और यह बात भी सही है कि इन दुकानों के खिलाफ जिस प्रकार की कार्यवाही होनी चाहिए वो कार्यवाही नहीं हुई। केवल दुकानों के सामने कचरा हो जाता है, गंदगी फैल जाती है, कभी इस बात को लेकर नोटिस देकर इतिश्री कर ली गयी, यह बात सही है।

सी.एम.एच.ओ. के स्तर के ऊपर जिस प्रकार की परमिशन देनी चाहिए वो परमिशन तो अलवर में नहीं है, म्यूनिसिपैलिटीज को जो काम करना चाहिए मैं समझता हूं वो म्यूनिसिपैलिटी का काम भी नहीं हुआ है।

मैं उम्मीद करता हूं कि हैल्थ डिपार्टमेंट, नगर परिषद और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, तीनों मिलकर के एक ड्राइव को प्लान करेंगे, उस ड्राइव को प्लान करने के साथ ही अलवर के अन्दर किस प्रकार से अवैध बूचड़खानों पर रोक लगायी जा सकती है, इसकी चिंता करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शंकर लाल शर्मा।

दौसा की सीवरेज व्यवस्था व शहर का सौन्दर्यीकरण

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान दौसा नगर परिषद की जो समस्याएं हैं उनकी ओर दिलाना चाहता हूं। दौसा जिला 1991 में बन गया, 2011 में नगर परिषद बन गया। आज दौसा के अन्दर सभी सुविधाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा पूर्ण रूप से मिल रही हैं। जयपुर के 50 किलोमीटर पास है, चारों तरफ के लोग हैं, आज जयपुर में मकान बनाना बहुत मुश्किल है, जमीनें इतनी महंगी भी हैं, ऐसे में चारों तरफ के गांवों के अधिकतर लोग दौसा के अन्दर ही मकान बनाकर रहना चाह रहे हैं लेकिन उसके अन्दर सबसे बड़ी एक समस्या आ रही है तो नगर परिषद की। वहां के हालात भी यह हैं कि 2001 में 39 हजार जनसंख्या थी, 2011 में 65 हजार हो गयी और आज वो जनसंख्या 1 लाख 40 के आसपास है। 20 से 25 हजार विद्यार्थी तो केवल मात्र दौसा में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में अपनी शिक्षा के लिए वहां रह रहे हैं। इतना पास में भी है, मंत्री महोदय का ध्यान यह भी दिलाना चाहूंगा कि जयपुर का भार कम करने के लिए सबसे नजदीक अगर कोई शहर है तो वो दौसा है।

(श्री शंकर लाल शर्मा)

प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा स्वच्छ भारत मिशन है, दौसा शहर पहाड़ी बैल्ट में बसा हुआ है, शौचालय गांव, ढाणियां, शहर सब में बन रहे हैं। हमारे यहां भी शौचालय है लेकिन पहाड़ी बैल्ट होने के कारण सेफ्टी टैंक और सेफ्टी टैंक के बाद में सोकपिट, सोकपिट के अन्दर पानी रिजर्व करने की ताकत नहीं है क्योंकि पहाड़ी बैल्ट है और ऐसे में हालात यह हैं कि हमारे सभी शौचालयों का जो पानी है वो सारी नालियों के अन्दर जा रहा है और इसके अन्दर स्वच्छता के बजाय गंदगी और ज्यादा बद से बदतर हो रही है। जब नालियों में जा रहा है तो बदबू से लेकर, बीमारियों से लेकर सभी वहां की हालत खराब हो रही है।

इसके अलावा, वहां जमीनें उपलब्ध होने के कारण बाहर के लोग वहां मकान बना रहे हैं और उसके अन्दर हमारी बहुत सारी नई कालोनियां दौसा में बनी हैं। उसके कारण आज अयोध्या नगर, मधुवन विहार, प्रेम नगर, गुमानपुरा, जनता कालोनी, बजरंग नगर, शिव शक्ति नगर, प्रतीक विहार, निरंकारी कालोनी, अमन विहार, गंगा विहार अन्य बहुत सी कालोनियां दौसा के अन्दर बन रही हैं लेकिन वहां पर सड़क और नाली, दोनों ही नहीं होने के कारण मकान तो बना रहे हैं, वहां रह भी रहे हैं। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन का वहां पर कुछ भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि गंदगी, कीचड़ की उन कालोनियों में भरमार है।

उपाध्यक्ष महोदय, स्वयं मंत्री महोदय हमारे दौसा पधारे थे, एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल का फुटबाल का प्रोग्राम था। आप खुद भी दौसा की स्थिति से बहुत कुछ अवगत हैं। आपने हमें आश्वस्त भी किया था कि वाकई दौसा शहर में कुछ होना चाहिए। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय को यह भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आप यह कहते हो कि स्वयं के साधन उपलब्ध करो लेकिन स्वयं के साधनों में दौसा की जमीनों की जो हालत है, बहुतों के ऊपर तो स्टे है, कहीं कार्यवाही नहीं हो रही है। ऐसे में अभी जितनी मंदी चल रही है, उसके कारण जितनी डीएलसी रेट होनी चाहिए, उसके हिसाब से अगर कोई जमीन आक्शन भी करना चाह रहे हैं तो वह भी नहीं हो पा रही है। दौसा 1991 में जिला बन चुका और दौसा बढ़िया शहर है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे वहां नालियों का, सड़कों का और दौसा की सीवरेज

(श्री शंकर लाल शर्मा)

लाइनों का ध्यान देंगे तो यह दौसा शहर स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्य करेगा।

साथ ही एलईडी लाइटें, लाइटों की आज हालत यह हो गई है कि हमारा जो पुराना सिस्टम था, उसके अन्दर कोई नई लाइट नहीं लगा सकते हैं। नई परचेजिंग नहीं कर सकते हैं। ऐसी हालत में दौसा पूर्ण रूप से अंधकार में है। एलईडी लाइटों का हमने सुना है कि कांट्रेक्ट हो चुका है लेकिन वह एलईडी लाइटें कब तक लगेंगी? उसका प्रकाश दौसा को कब तक मिलेगा? वह सुविधा कहां से उपलब्ध होगी? इसके बारे में भी आप अवगत करा दें।

दौसा की हालत तो यह है कि आज पुरानी देनदारियां ही नगर परिषद की 4 करोड़ हैं। अभी आपने शायद 80-90 लाख रुपये दिये थे। उसमें 75 लाख रुपया तो पुरानी देनदारियों में चला गया। नये कार्य करने के लिए कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हम यह चाहेंगे कि जनसंख्या का आधार, जिस तरीके से 39 हजार से 65 हजार और आज 1 लाख 40 हजार किया है, उसी हिसाब से इसको देखकर के, कुछ विशेष प्रावधान करके हमारी इस हालत को सुधारा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, दौसा में चाहे जमीन हो, चाहे बावड़ियां हों, सभी नगर परिषद के अधीन आती हैं। हमारी मुख्यमंत्री जी ने जल स्वावलंबन योजना के तहत जब अधिकारियों की, जन-प्रतिनिधियों की भी मीटिंग थी, तब भी उन्होंने आदेश फरमाया था कि कम से कम बावड़ियों को इसके अन्दर जरूर लें। शहरी क्षेत्र की बावड़ियां जितनी भी हैं, उनका आज कोई भी धणी-धौरी नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने एक बहुत बढ़िया चीज बनाई थी।

जल स्वावलंबन के तहत इससे बढ़िया वाटर हार्वेस्टिंग का काम, पानी के सदुपयोग का काम और कोई नहीं हो सकता था लेकिन इनका कोई भी धणी-धौरी नहीं होने के कारण आज यह कचरागाह बन रही हैं। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि शहरी क्षेत्र में होने के कारण इन पर न तो पुरातत्व विभाग और न ही कोई अन्य विभाग ध्यान दे रहा है। आपके द्वारा इस जल स्वावलंबन योजना के तहत शहरी क्षेत्र होने के कारण और हमारी धरोहर को बचाने के लिए इन बावड़ियों की भी सुरक्षा करवाई जाये। इनकी थोड़ी मरम्मत और सफाई व्यवस्था कर देंगे तो जल ग्रहण के क्षेत्र में यह सबसे बड़ा फायदे का काम होगा और हमारे बुजुर्गों

(श्री शंकर लाल शर्मा)

के सम्मान के लिए बहुत बड़ा समर्पित भाव होगा। उन्होंने जो किया है, उसके प्रति भी हमारी श्रद्धा है। इसके लिए भी हम उनके प्रति नतमस्तक रहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुन: मंत्री महोदय का ध्यान यही दिलाना चाहता हूं कि आप केवल मात्र नियमों का हवाला नहीं देकर के करें, वहां की हालत आप स्वयं देख चुके। ऐसी स्थिति में दौसा शहर के लिए अगर कुछ प्रबंध करेंगे तो हमारे ऊपर बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद। जय भारत।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, दौसा एक जिला है लेकिन 2011 की जनसंख्या के आधार पर दौसा जिला 1 लाख जनसंख्या नहीं रखता था, इस कारण से दौसा का अमृत योजना में सलेक्शन नहीं हो पाया लेकिन दौसा की नगरपालिका को लगातार सरकारी ट्रांसफर्स बढ़ रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2014-15 में अपनी आय के समेत दौसा नगरपालिका की टोटल इनकम थी 11.11 करोड़ रुपये। 2014-15 से बढ़कर के एक साल में ही सरकार की तरफ से 4 करोड़ से ज्यादा के ट्रांसफर्स हुए हैं और वह इनकम हो गयी 16 करोड़ 59 लाख रुपये। वर्ष 2016-17 के लिए, यह जो फाइनेंशियल ईयर है, वहां विकास के पेटे जो बजट में प्रोविजन किया गया है, वहां की नगर परिषद के बजट में वह है 39 करोड़ रुपया। इसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि दौसा जैसे शहर के विकास के लिए जितने संसाधनों की उपलब्धता होनी चाहिए, उतने संसाधन की उपलब्धता मोटे तौर पर है।

अब प्रश्न यह है कि दौसा की जो संरचना है, वह नीचे की रॉकी है। रॉकी होने के कारण प्रोब्लम यह है कि, इन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत सॉकपिट का निर्माण नहीं हो सकता। इस कारण से गंदगी सारी नालियों में जाती है। उन नालियों की सफाई करने की जिम्मेदारी नगर परिषद की है। नगर परिषद के पास संसाधन भी हैं और साधन भी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि हम आम तौर पर बात करते हैं कि हमारे यहां इंटीग्रेटेड प्लानिंग नहीं है। हम सड़क बनाते हैं, बाद में नाली के लिए खुदाई कर देते हैं। सीवरेज के लिए खुदाई कर देते हैं। इसीलिए अगर हम आज की तारीख में कोई और व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे तो आरयूआईडीपी फेज 4 के तहत जो सीवरेज की व्यवस्था हमने दौसा के लिए की है, उसके आधार पर मैं सोचता हूं कि सीवरेज की पूरी समस्या का निदान हो जायेगा।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

उपाध्यक्ष महोदय, जिन एलईडी लाइटों की आपने बात की है, यह बात सही है कि 10.04.2015 को एलईडी के लिए आपका एमओयू हो गया है। हमने कार्यादेश दे दिया है और अगले 15 दिन के अन्दर-अन्दर दौसा में एलईडी लाइट लगना शुरू हो जायेगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आरयूआईडीपी फेज 4 में सीवरेज की लाइन लाने के बाद में सीवरेज की सारी व्यवस्था हो जायेगी। एलईडी का काम 15 दिन में शुरू हो जायेगा। इस साल में 39 करोड़ रुपये का डवलपमेंटल एक्सपैंडीचर जो हमने प्रपोज किया है नगर परिषद में, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि दौसा के विकास के लिए बेसिक तौर पर जितने पैसे की जरूरत होगी, वह पैसा उसके संसाधन के लिए उपलब्ध करा दिया जायेगा। धन्यवाद।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन से एक सूचना मैं देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: दीजिये आप, कौनसी इन्फार्मेशन है।

सूचना

श्रीनगर में अध्ययनरत राजस्थानी छात्रों व कश्मीरी छात्रों में तनाव

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल अलवर में कुछ अभिभावकों के द्वारा मुझसे सम्पर्क करके एक विशेष चिंता जाहिर की गई है, जिसकी ओर मैं सदन का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं।

राजस्थान के और अलवर जिले के बच्चे जो एनआईटी, श्रीनगर में अध्ययनरत हैं, पिछले दिनों एक क्रिकेट मैच में वेस्ट इंडीज के जीत जाने पर कश्मीरी युवकों ने, विद्यार्थियों ने पाकिस्तान का झंडा वहां लगा दिया। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप राजस्थान के छात्रों ने भारतीय राष्ट्र ध्वज वहां लगा दिया। दोनों में आपस में तनाव हो गया। तनाव के दौरान दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। स्थिति ऐसी है कि राजस्थान के बच्चों का जीवन खतरे में है। उन सब बच्चों को वहां घेर रखा है। अभी वर्तमान में भी जब मैं इस सूचना को यहां पढ़ रहा हूं, तब भी ऐसी स्थिति है कि वहां चारों तरफ से घेरा डाल रखा है। स्थानीय पुलिस स्थानीय कश्मीरी छात्रों का साथ दे रही है। अभिभावक चिंतित

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

हैं, बच्चे परेशान हैं। उन बच्चों ने अभी मुझे हाउस में घुसते समय भी यह चिंता जाहिर की है कि यदि त्वरित कोई उपाय नहीं किया गया तो हम लोगों का जीवन खतरे में रहेगा।

कल मैंने राजस्थान के चीफ सैक्रेटरी साहब से इस बाबत बातचीत की थी। चीफ सैक्रेटरी साहब ने मुझे थोड़ी देर बाद बताया कि मैंने जम्मू कश्मीर के चीफ सैक्रेटरी साहब से बात की है और उन्होंने इस बाबत एश्योर किया है राजस्थान के चीफ सैक्रेटरी को, उन बच्चों के साथ उन्होंने कल सुबह नाश्ता भी किया है लेकिन स्थिति जस की तस है। स्थानीय पुलिस भी मदद नहीं कर रही है।

मेरा आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इन बच्चों का जीवन बचाने के लिए जो भी आवश्यक उपाय हों, उनको तुरन्त प्रभाव से किया जाना चाहिए। यह राजस्थान के छात्रों, बच्चों के हित में है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): विषय की जानकारी आते ही हमारे यहां की डी.जी. ने बात की है। फिर भी अभी जैसा आप कह रहे हैं, दुबारा पूरी डिटेल सूचना लेकर के मैं आपको बताऊंगा।

(13.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

भीलवाड़ा नगर परिषद एवं जिन्दल शॉ लिमिटेड के मध्य रेल लाइन पर ओवरब्रिज निर्माण के अनुबन्ध की पालना

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगर परिषद, भीलवाड़ा एवं जिन्दल शॉ लिमिटेड, भीलवाड़ा के बीच गंदे पानी की सप्लाई को लेकर एक अनुबंध किया गया था जिसके तहत भीलवाड़ा शहर के बीच में स्थित रेलवे लाइन पर ओवर ब्रिज बनाना तय हुआ था। आज तक तीन वर्ष बीतने के बाद भी उस पर कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। जिन्दल करोड़ों रुपए के इस इकरार पर एकदम मौन है। यह रेलवे ओवर ब्रिज अति आवश्यक है, इसके अभाव में पूरे शहर की जनता परेशान हो रही है, अत: उपरोक्त लोक महत्व के विषय को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय नगरीय विकास मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा नगर परिषद का गंदा पानी जिन्दल शॉ लिमिटेड को दिए जाने हेतु एक अनुबंध दिनांक 5.10.2011 को किया गया। उक्त अनुबंध की शर्त संख्या 16 में भीलवाड़ा के रामधाम के सामने रोड ओवर ब्रिज का निर्माण जिन्दल शॉ लिमिटेड द्वारा किया जाना था। अनुबंध के मुताबिक रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। नगर परिषद द्वारा मैसर्स केटकोन कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड से फिजीबिलिटी रिपोर्ट तैयार करवाई जाकर दिनांक 28.2.2015 को उक्त फिजीबिलिटी रिपोर्ट और कंस्ट्रक्शन प्लान अनुमोदन हेतु मंडल अभियंता, रेलवे, अजमेर जोन को भिजवाई हुई है। मंडल महाप्रबंधक, रेलवे, अजमेर जोन के द्वारा फिजीबिलिटी रिपोर्ट व कंस्ट्रक्शन प्लान का परीक्षण किया जा रहा है। रेलवे से अनुमोदन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस जिन्दल शॉ कम्पनी के द्वारा लगभग चार-पांच साल पहले यह अनुबंध किया गया था और उस समय शर्त में यह था जब हमारी एक मीटिंग हुई थी, नगर परिषद के 15 सदस्यीय एक बोर्ड, एक कमेटी बनाई थी, उसमें मैं स्वयं भी मैम्बर था और जिन्दल की ओर से उस वक्त के प्रमुख श्री बी.बी. प्रधान, जिन्दल के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए थे और उन्होंने यह कहा था जब उनसे यह पूछा गया कि इसका टाइम लिमिट तय किया जाए कि जिन्दल ओवरब्रिज का निर्माण कब से शुरू कर देगा, तब उन्होंने यह कहा था कि उक्त कार्य जमीन आबंटन के तत्काल पश्चात् प्रारम्भ कर देंगे, यह 12.7.2011 की मीटिंग की मेरे पास प्रोसीडिंग्स है। उसमें स्पष्ट यह कहा था कि जमीन आबंटन के, एसटीपी और जो जिन्दल को देनी थी जमीन वह आबंटित हो चुकी थी। उसके तत्काल बाद ही यह काम करना था लेकिन आज पांच वर्ष बीतने के बाद भी एक इंच भी उसमें आगे काम नहीं हुआ है और उसके पास करीब 40 करोड़ की लागत का यह प्लांट है। उस समय उसने यह हां भरी थी कि जिंदल के ओवरब्रिज निर्माण में जो जमीन आएगी उसका मुआवजा भी जमीन अधिग्रहीत करने का मुआवजा भी जिन्दल स्वयं देगा। अभी जमीन अधिग्रहीत करने की कार्यवाही नहीं हुई है, रेलवे की कोई स्वीकृति उन्होंने प्राप्त नहीं की है और बार-बार, एक बार जयपुर शहर में या जयपुर में अधिकारियों की मीटिंग में उन्होंने यह कहा था कि हमारे ओवरब्रिज का तय नहीं हुआ है, फुट ओवर का निर्माण करने का हमने तय किया था। इस तरह

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

से वह अपने वायदे से मुकरना चाहते हैं और भीलवाड़ा की सारी जनता परेशान है। रेलवे फाटक लगभग पूरे शहर के मध्य में है और लगातार बंद रहता है, ट्रेनों की आवाजाही से, इस कारण से जनता को परेशानी से मुक्ति के लिए और यह लगभग 30-40 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और यह इतना रुपया, करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया वह कमा चुका है इन पांच सालों में, लेकिन वह शहर के विकास के बारे में, पानी के एवज में यह कार्य करना था, उसको आज तक उसने एक इंच भी पूरा नहीं किया है।

मेरा आपसे निवेदन है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार यह बताए कि यह कार्य कितने दिनों में पूर्ण कर दिया जाएगा अन्यथा इस जिन्दल का हमको कोई भरोसा नहीं है, उसने हर तरह से भीलवाड़ा शहर को धोखा दिया है और बार-बार उसने यह कहा था कि मैं शहर के निवासियों को वहां रोजगार में लगाऊंगा, उसमें से उसने एक वादा पूरा नहीं किया। एसटीपी, वहां छोटे-छोटे पत्थर जो माइनिंग करते थे उनकी जमीनों को अधिग्रहीत करके उसने कई लोगों के हजारों टन लौह अयस्क के नाम पर, हजारों टन पत्थरों की करोड़ों रुपए की रायल्टी कमा चुका है अभी तक। मेरा निवेदन है कि इस जिन्दल को किस तरह से पाबन्द किया जाए जिससे इसका यह इकरार पूरा हो सके। यह केवल एक बिन्दु का नहीं है, इक्कीस बिन्दु हैं इस पूरे अनुबंध के और उन इक्कीस बिन्दुओं में उसने कहा था कि शहर के पार्कों का रखरखाव मैं करूंगा, शहर के नाला-नाली का निर्माण मैं करूंगा, सफाई की व्यवस्था मैं करूंगा और वह अपने उस वायदे से भी मुकर गया और उसके बाद बड़ी मुश्किल से 46 लाख रुपए प्रति माह का उसने हर्जाना देना तय किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार यह बताए कि बार-बार जो अपने वायदे से जिन्दल मुकर रहा है तो यह ओवरब्रिज का निर्माण कब तक कर देगा और टाइम सीमा इसकी तय की जाए, पांच साल निकल चुके हैं आलरेडी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यही निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: रामहेतसिंह जी, आप भी हैं इसके अन्दर। आपका नाम है इसमे। आपने दिया है।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): वह तो मैंने साइन करवाए थे इस पर।

श्री उपाध्यक्षः कोई बात नहीं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, श्री धीरज गुर्जर।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): जिन्दल पर, ...(व्यवधान) भीलवाड़ा का मामला है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): I don't think that he is a part of that debate.

श्री उपाध्यक्षः आप विराज जाएं। मंत्री महोदय सही फरमा रहे हैं, वैसे ध्यानाकर्षण में जो सिर्फ रिटर्न नोटिस देते हैं उन्हीं को अलाउ करते हैं, अगर आपके पास कोई पाइन्टेड क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड, ओनली क्वेश्चन तो, Only a question, I will just allow him to speak.

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मंत्रीजी, जिला मेरा ही है। जिन्दल हमारा, भीलवाड़ा जिले की बात है इसीलिए मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूं कि जिस तरह से धूलखेड़ा में अवैध माइनिंग, यह इसी में है, अवैध माइनिंग भी कर रहे हैं प्लस इसके पास जिस आइरन ओर का ठेका है इसके अलावा उसने पत्थर जो हैं, पत्थरों का इसने खुद के स्तर पर टेंडर करके हरियाणा से लोग बुला रखे हैं और उनके माध्यम से लिटिगेशन से लोकल आदमियों से माइन्स सीज कर ली और उनसे यह करवा रहा है। तीसरा इसके अन्दर यह है कि माताजी का जो मंदिर है, धार्मिक स्थल के आसपास पचास मीटर या पांच सौ मीटर की दूरी में खनन नहीं किया जा सकता है, इसने माताजी के मंदिर को दूसरी जगह स्थापित कर दिया और वहां अवैध खनन कर रहा है, इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए जिन्दल की। भीलवाड़ा में न इसने लोकल एक आदमी को रोजगार दिया है, बाहर से सब आदमी ला रखे हैं और पूरे माइनिंग विभाग की सबसे बड़ी समस्या उठाई भीलवाड़ा के विधायक ने क्योंकि जवाब जो अधिकारी देते हैं वह सारे अधिकारियों का जो रसोई खर्चा है यह जिन्दल उठा रहा है, यही एकमात्र कारण है कि वह मनमाफिक, अपनी मनमर्जी से कार्यवाही कर रहा है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एमओयू 2011 में हुआ था और जिस मीटिंग की चर्चा माननीय भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे हैं वह मीटिंग 12.7.2011 को हुई थी। उसके बाद एमओयू हुआ है, एमओयू जल्दबाजी में हुआ, यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। यह कहा गया कि 1 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भीलवाड़ा में आएगा, भीलवाड़ा के इतनी बड़ी संख्या में

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

लोगों को एम्प्लायमेंट मिलेगा और भीलवाड़ा के विकास में कम्पनी योगदान देगी, यह बातें तो बड़ी फैलाई गई लेकिन आनन फानन में जो एमओयू किया उसमें जबर्दस्त एम्बीग्यूटी थी, किसी चीज की कोई क्लेरिटी नहीं थी। पार्क डवलप करेंगे, नालियां साफ करेंगे, एसटीपी उनको बनाना था, बना लिया, जमीन उनको अलोटमेंट करानी थी, करा ली, लेकिन उन्होंने इस अनुबंध के हिसाब से कोई भी बात माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2011 से लेकर अभी तक नहीं की। अपनी सरकार आने के बाद चूंकि वह अनुबंध के हिसाब से काम नहीं कर रहे थे, अनुबंध में एम्बीग्यूटी थी, अनुबंध क्लीयर नहीं था, अनुबंध में यह नहीं लिखा गया था कि आरओबी कब तक बना देंगे, अनुबंध में यह नहीं लिखा गया था कि आरओबी की डिजाइन क्या होगी, उसका स्पान क्या होगा, उसकी लैंथ क्या होगी, उसकी विड्थ क्या होगी और इसीलिए वह मुकरने लगा कि यह तो फुट ओवर ब्रिज है। इसलिए 30.7.2014 को हमने उसके एसटीपी को 10 एमएलडी पानी देना बंद कर दिया। वह कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा कि 30 लाख रुपए जमा कराओ पहले तो, उसको 30 लाख रुपए जमा कराने पड़े। बाद में हमने जिन्दल को बुलाया और कहा कि ऐसे काम चलेगा नहीं, आपने अनुबंध की कोई भी शर्त की ढंग से पूर्ति नहीं की तो पहले यह तय हुआ कि जो आरओबी जो पहले फुट ओवरिब्रज की बात करने लग गया था वह तो फुट ओवरब्रिज से आरओबी पर आ गया, जो 2010 से लगातार एग्रीमेंट करने के बाद से फुट ओवरब्रिज-फुट ओवरब्रिज-फुट ओवर ब्रिज कह रहा था, उसको 2014 में हमने लिखित में कहलवा लिया कि फुट ओवरब्रिज नहीं यह आरओबी होगा, नम्बर एक। हमने यह भी तय किया आपको जो पार्कों के रखरखाव की व्यवस्था करनी थी, जो आपके नालियों की सफाई की व्यवस्था आपको करनी थी वह आपने नहीं की, तो उसके आधार पर हमने यह तय किया कि 46 लाख रुपए पर-मंथ और उसमें भी तीन महीने का एडवांस भीलवाड़ा की नगर निगम को जमा कराएगा, उसके बाद से 46 लाख रुपए प्रतिमाह के हिसाब से हर तीन महीने के पहले एडवांस जिन्दल से आ रहा है, कम से कम इस सरकार आने के बाद चूंकि उस एमओयू को ठीक-ठाक करते हुए यह करने की कोशिश तो हमने की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर भी उसने आरओबी के निर्माण की दिशा में काम नहीं किया, 46 लाख रुपए देने लग गया वह महीने की महीने लेकिन आरओबी की दिशा में उसने काम नहीं किया, काम नहीं किया तो फिर हमने एक निर्णय लिया और

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

निर्णय के आधार पर हमने यह कहा कि आरओबी का निर्माण के लिए आप डिजाइन बनवा नहीं रहे, आप कोई कांसेप्ट प्लान तैयार कर नहीं रहे, आप कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट ला नहीं रहे तो हमने कहा कि यह फिजिबिलिटी रिपोर्ट, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट और डिजाइन बनाने का काम नगर परिषद खुद करेगी और कीमत देगा जिंदल। उसके बाद नगर परिषद ने काम करना शुरू किया, 15.6.2015 को हमने एक प्री-फिजिबिलटी तैयार करने के निर्देश दिये नगर परिषद को और केटकान कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट, कांसेप्ट प्लान जो पहले ही तय हो गया था 2010-11 में। उसने कहा कि यह हमको फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएं, हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाकर अजमेर के अन्दर रेलवे वालों को पेश की। रेलवे वालों ने कहा कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट के साथ आप हमें जनरल अरैंजमेंट्स आफ डिजाइन्स तैयार करा दें। अब जनरल अरैंजमेंट्स ऑफ डिजाइन्स, हम आने वाले एक महीने में जनरल अरैंजमेंट्स आफ डिजाइन्स बनाकर निश्चित रूप से अजमेर में डीआरएम आफिस को भेज देंगे। ज्यों ही डीआरएम, रेलवे का डिपार्टमेंट इस डिजाइन को पास करेगा हम डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना देंगे। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट का पैसा हम जिंदल से लेंगे और जिंदल ने पैसा देने में कोई आनाकानी की तो जो काम हमने 30.7.2014 को किया था, जिसमें पानी बंद करने के कारण वह 46 लाख महीना अब दे रहा है और जिसके कारण फुट ओवरब्रिज से वह दुबारा आरओबी पर आ गया, वही हथियार का हम दुबारा इस्तेमाल करेंगे।

जहां तक इल्लीगल माइनिंग का ताल्लुकात है, वह मेरे डिपार्टमेंट से ताल्लुकात नहीं रखता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं माननीय सदस्य, जिस प्रकार का एग्रीमेंट 2010 में किया और जिस प्रकार यह हवा फैलाकर कि एक हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, भीलवाड़ा का कायाकल्प हो जाएगा, भीलवाड़ा के बच्चे-बच्चे को रोजगार मिल जाएगा, भीलवाड़ा चमन हो जाएगा, इस आधार पर जिस तरह का एमओयू आपने उसके साथ में किया था इसका परिणाम भीलवाड़ा वाले लोग भुगत रहे हैं। उसको जितना हम ठीक कर सके उतना किया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं इस एमओयू के आधार पर निश्चित रूप से जिंदल की नाक में नकेल डालकर भीलवाड़ा में आरओबी बनवा दिया जाएगा, चिन्ता करने की जरूरत नहीं।

श्री उपाध्यक्षः श्रीमती अनीता।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): एक मिनट उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे ये सारे प्रोसिजर लैप्सेज हो रहे हैं। आपने इतना इलोबरेट कर दिया था अपना पहला ही। प्रश्न के रूप में नहीं, आपने पूरा एक्सप्लेनेशन के रूप में कर दिया था कि probably he has committed everything. जो आपके मन में शंकाएं थीं he stands committed today on the Flour of the House. What more an assurance do you want? He has assured you everything that is possibly there.

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह दो हजार रुपये के स्टाम्प पर अनुबंध हुआ था और इसमें 21 पाइंट हैं। एक जिंदल का जो आरओबी का पाइंट है वह तो अलग हैं, लेकिन इसमें 21 शर्तें हैं। उन सब शर्तों पर जिंदल के द्वारा कब तक काम शुरू किया जाएगा। जैसे अनावृष्टि की स्थिति में उपनगर क्षेत्र में ...

श्री उपाध्यक्ष: मैं आपको इसको और क्लीयर कर देता हूं। आसन बिलकुल क्लीयर कर देता है कि जो 21 पाइंट हैं इसमें, उन सारे 21 पाइंट पर डिफाल्टर हैं क्या? जिन-जिन पाइंट पर वो डिफाल्टर है उन पर सरकार किस प्रकार का रवैया अख्तियार करेगी? यही चाहते हो ना आप?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने आपको पहले निवेदन किया था कि 21 पाइंट का अनुबंध, जिसमें कोई भी पाइंट बिलकुल खुला हुआ नहीं है, उस पर जिंदल ने काम नहीं किया इसीलिए हमने उसका पानी बंद कर दिया। अब पानी बंद करने के बाद वह हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट से बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं मिली तो हमने उसको दबाया, वह बात करने के लिए आया। आज जो 46 लाख रुपये प्रतिमाह दे रहा है, उसका अनुबंध में हवाला नहीं है। वह काम नहीं कर पाया अनुबंध की शर्तों के हिसाब से आरओबी के अलावा, बाकी 20 पाइंट पर इसी के आधार पर हमने कहा कि उसको मोनिटराइजेशन कर दिया जाय। हाथ खड़े कर दिये, काम नहीं कर पाया। काम नहीं कर पाया तो कम से कम 46 लाख रुपये प्रतिमाह भीलवाड़ा नगर परिषद को पैसा दे रहा है और 2 परसेंट हर साल बढ़ाएगा। यह मोनिटराइजेशन किया, यही तो किया। बाकी शर्तों की पूर्ति वह नहीं कर रहा था, उसमें 46 लाख रुपये महीने देने की शर्त नहीं थी पहले कि 46 लाख रुपये आपको महीना देगा।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): ये 46 लाख रुपया कोई दान में नहीं दे रहा है। 167 पार्कों के रखरखाव की शर्त थी। पूरे शहर के नाले और

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

नालियों के निर्माण की शर्त थी, उनकी साफ-सफाई की शर्त थी। वे शर्तें पूरी नहीं करने की एवज में उसने 46 लाख रुपये प्रतिमाह देने का तय हुआ है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि नगर परिषद के बोर्ड ने यह प्रस्ताव लिया था सर्वसम्मति से कि अगर यह अनुबंध की शर्तें पूरी नहीं करेगा तो इसको पानी रोकने की कार्यवाही की जाएगी। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि पानी रोकने की पावर नगर परिषद भीलवाड़ा को थी वह पावर सरकार ने अपने हाथ में ले ली, इस कारण से वह ज्यादा हैवी हो रहा है। यह पावर जब नगर परिषद के पास था पानी रोकने का, अनुबंध की शर्तों को पूरा नहीं करने के लिए तो उस पावर को वापस नगर परिषद को देना चाहिए जिससे वहां तत्काल एक्शन हो सके।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दान में कोई किसी को नहीं देता और दान में सरकार को चाहिए भी नहीं। मैं तो इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि 2010 से लेकर 2014 तक अनुबंध की एक भी शर्त का पालन नहीं हुआ। इसी के आधार पर पानी बंद किया गया। इसी के खिलाफ वह जिंदल हाई कोर्ट में गया। इसके बाद में जिंदल के साथ बैठकर, नगर परिषद के चेयरमैन इसमें शामिल थे। नगर परिषद के चेयरमैन को साथ बिठाकर, जिंदल वाले को साथ लेकर यह रिवाइज एग्रीमेंट किया, क्योंकि जिंदल इन पाइंट्स पर काम नहीं कर पा रहा है 2010 से लेकर 2014 तक। 2010 से लेकर 2014 तक तो एक टका नहीं दिया, न उसने काम किया। यह फोर्टीफाई किया कि 46 लाख रुपया प्रतिमाह वह इस काम के पेटे देगा। यह दान की बात नहीं है। यह दान की बात तो नहीं है, लेकिन 2010 से 2014 तक जो एक टका नहीं दे रहा था, काम नहीं कर रहा था उसके पेटे 46 लाख रुपये दिलाने पर धन्यवाद नहीं देना चाहते आप।

अब दूसरी बात जो आप कहना चाहते हैं कि पानी रोकना। अनुबंध की शर्त एक तो पूरी कर दी उसने कि 46 लाख रुपया महीना दे रहा है आपको। अब दूसरी अनुबंध शर्त है आरओबी। आरओबी के लिए उसने काम नहीं किया तो हमने कहा कि डिजाइन हम बना देंगे, डीपीआर हम बनवाएंगे, वह तो करवा नहीं रहा। वह करवा नहीं रहा तो रोज आप आरोप लगाते हो डीपीआर नहीं बनी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं, कांसेप्ट प्लान नहीं बन रहा। उसके भरोसे नहीं, हमने कहा यह डीपीआर खुद बना लेगी। अब नगर परिषद

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

खुद बना लेगी और खुद बनाने के बाद उसका खर्चा जिंदल देगा। अगर नगर परिषद उसको अभी तक बनवा नहीं पायी तो वायलेशन का काम है। बाकी शर्तों के पेटे वह 46 लाख रुपये महीने दे रहा है। आरओबी की डिजाइन बनाने का काम हमने माथे ले लिया, आरओबी की डिजाइन बनाकर हमको पूरा करना है। मैं कह रहा हूं कि अगले एक महीने में, आरओबी की गैड की डिजाइन हम पहुंचा देंगे। फिलहाल तो जब तक वह गैड की डिजाइन बनाकर, डीपीआर हम नहीं बना दें, उसका पैसा जिंदल हमको नहीं दे तब पानी बंद होने की बात आएगी। फिलहाल तो हमारे पाले में गेंद है कि हमको डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है। वह हमने दिया है और देने के बाद रेलवे से हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है, जैसा मैंने निवेदन किया। लेटेस्ट लैटर हमारा रेलवे को गया है, वह गया है 5.2.2016 को, 17.3.2016 को। अब मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं इस एक महीने के अन्दर हम जी.ए.डी. की डिजाइन अजमेर के डीआरएम आफिस में भिजवा देंगे। इसके भिजवाने के बाद डीपीआर बना देंगे और डीपीआर बनाने का खर्चा अगर जिंदल नहीं देगा तो निश्चित रूप से पानी रोकने की, करने की क्या बात है, चिन्ता करने की जरूरत नहीं कोई।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अनीता।

नगर की ग्राम पंचायत पेंडका व मानौताकलां द्वारा कराये गये कार्यों में अनियमितताएं

श्रीमती अनीता (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र - नगर की ग्राम पंचायत पेंडका और मानौताकलां द्वारा कराये गये कार्यों में बरती गई कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करती हूँ।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य ने जो ध्यानाकर्षण किया है उसके सम्बन्ध में निवेदन कर दूं। ग्राम पंचायत पेंडका में माननीय सांसद, राज्यसभा, श्री नरेन्द्र बुडानिया जी द्वारा वर्ष 2015-16 में, आप कहो तो सभी कामों के नाम बताऊं क्या?

श्रीमती अनीता (नगर): जरूरी नहीं है, आप तो सिर्फ रकम बता देंगे उसी से काम चल जाएगा।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): निम्न 7 कार्यों की अभिशंसा माननीय बुड़ानिया जी ने 2015-16 में की थी, उनकी कुल लागत 92 लाख थी। उनमें से एक कार्य प्रगतिरत है, एक 15 लाख का कार्य पूरा हो गया है, 5 काम निरस्त कर दिये गये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्रम संख्या 1, 2 के कार्यों की पंचायत समिति नगर से प्राप्त सक्षम अधिकारी द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति एवं तखमीना के आधार पर वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गयी थीं तथा उक्त दोनों कार्यों में आज दिनांक तक कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई। क्रम संख्या 3 से 7 तक के कार्यों की राशि भिजवाने हेतु सम्बन्धित नोडल अधिकारी, जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चूरू को कार्यालय पत्रांक 2266/63 दिनांक 10.12.15 के माध्यम से लिखा गया था, परन्तु राशि प्राप्त न होने पर उक्त क्रम संख्या 3 से 7 तक कुल 5 कार्यों का कार्यालय आदेश क्रमांक 2683/83 दिनांक 4.1.16 से निरस्त किया जा चुका है। उक्त पांचों कार्यों के लिए माननीय विधायक श्रीमती अनीता सिंह जी द्वारा अपने पत्र दिनांक 29.12.15 से फर्जी तकनीकी स्वीकृति के सम्बन्ध में शिकायत की थी जिसके संदर्भ में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2458/61 दिनांक 30.12.15 के माध्यम से 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गयी।

जिसमें श्री उमर उल जमन चौधरी, प्रशिक्षु आईएएस अध्यक्ष, श्री प्रदीप गौड़, अधीक्षण अभियंता (अभियांत्रिकी) जिला परिषद भरतपुर, श्री योगेश शर्मा, सहायक लेखाधिकारी (द्वितीय) जिला परिषद, भरतपुर सदस्य बनाये गये। चूंकि उक्त कार्य राशि अभाव के कारण निरस्त किये गये थे इस कारण कमेटी द्वारा इन कार्यों को अपनी जांच रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किया गया था। उक्त पांचों कार्यों के सम्बन्ध में पुनः स्वीकृति जारी करने हेतु कोई भी अभिशंसा किसी भी माननीय सांसद से प्राप्त नहीं हुई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (ग्रामीण विकास अनुभाग-6) के पत्रांक प.52(10)ग्रामीण विकास/ग्रुप-6/एमपीलैड/भरतपुर/जयपुर दिनांक 25.02.2016 के द्वारा उक्त निरस्त किये गये पांच कार्यों के सम्बन्ध में निर्देशित किया कि बिन्दु संख्या 3.15 के अनुसार अनुशंसित कार्य संसद सदस्य की इच्छा से ही रद्द किया जा सकता है। अतः नोडल जिले चूरू के बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाते हुए कार्यों की स्वीकृति की कार्यवाही करावें। इस सम्बन्ध में चूंकि उक्त पांचों कार्यों के

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

लिए पूर्व में श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय और उमर उल जमन चौधरी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी परन्तु कार्यों के निरस्त होने के कारण कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट नहीं दी थी। अब पुन: उक्त कमेटी से इन कार्यों की जांच रिपोर्ट ली जा रही है। इस प्रकार इन कार्यों के पेटे किसी भी प्रकार की कोई भी वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है। नम्बर वन, यह माननीय बुडानिया साहब का है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब माननीय सांसद अश्क अली जी टांक द्वारा 14 अभिशंसाएं की थीं एक ही पंचायत पेंडका में करोड़ 1 करोड़ और 40 लाख की वर्ष 2015-16 में। जिसमें से 8 कार्य तो प्रगतिशील हैं और 2 कार्य अप्रारम्भ हुए हैं और 3 कार्य नोडल जिले में राशि आई नहीं है और ये काम निरस्त कर दिये गये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक श्रीमती अनिता जी द्वारा अपने पत्रांक दिनांक 29.12.2015 के द्वारा क्रम संख्या 11 से 14 तक के कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध शिकायत श्रीमान् जिला कलेक्टर, भरतपुर को की गई थी कि उक्त कार्यों के रास्ते पूर्व में सही और अच्छी स्थिति में बने हुए हैं इसलिए उक्त कार्यों की जारी प्रशासनिक स्वीकृति को निरस्त किया जावे। इस पर श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय ने अपने कार्यालय आदेश पत्रांक 2452-55 दिनांक 30.12.2015 से तीन सदस्यीय कमेटी श्री उमर उल जमीन चौधरी, प्रशिक्षु आईएएस अध्यक्ष, प्रदीप गौड़ अधिशासी अभियंता, जिला परिषद भरतपुर, श्री योगेश शर्मा, सहायक लेखाधिकारी जिला परिषद भरतपुर से उक्त प्रशासनिक स्वीकृति के कार्यों की जांच हेतु गठित की गई। जिस पर कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट जिला कलेक्टर महोदय को अपने पत्रांक 1 दिनांक 15.01.2016 को दी गई जिसमें क्रम संख्या 14 पर वर्णित कार्य की वस्तु स्थिति रिपोर्ट के अनुसार कार्य पूर्व में महात्मा गांधी नरेगा योजना में निर्मित है। उपरोक्त कार्य की महात्मा गांधी नरेगा योजना में मरम्मत कराये जाने के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके आधार पर उक्त कार्य को निरस्त किये जाने तथा 11 से 13 तक के प्रस्तावित निर्माण कार्यों की वस्तु स्थिति रिपोर्ट के अनुसार कार्य पूर्व में संपादन नहीं किये गये हैं। मुख्य हाइवे से गांव तक कच्चा रास्ता बना हुआ है तथा उक्त कार्यों का संपादन कराया जा सकता है, की कमेटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर क्रम संख्या 14 पर वर्णित कार्य की जारी प्रशासनिक स्वीकृति को कार्यालय के

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

आदेश क्रमांक 3190-93 दिनांक 11.2.2016 से निरस्त किया जा चुका है तथा शेष कार्य की राशि नोडल जिले से प्राप्त होने के बाद वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी। इस प्रकार इन कार्यों के पेटे किसी भी प्रकार की कोई भी वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है।

ग्राम पंचायत मानौता कलां में राज्य सभा सदस्य द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिए राशि को सुदेश गुर्जर, यह दूसरी पंचायत मानौता कलां का मामला है जिसमें सुदेश गुर्जर, करणी गुर्जर व उप प्रधान श्रीमती सुनिता गुर्जर, पंचायत समिति, नगर द्वारा सरपंच व सचिव के फर्जी हस्ताक्षर कर 41 लाख रुपये की राशि निकालने व गबन करने का प्रकरण पुलिस थाना नगर में सम्बन्धित सचिव द्वारा 29.12.2015 को एफआईआर दर्ज करवा दी गई है जिस पर पुलिस विभाग द्वारा अनुसंधान प्रगतिरत है।

श्रीमती अनीता (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, आज जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मैंने लगाया है वो बहुत गम्भीर व्यवस्था का है। वो इसलिए कि हम सब जो जन-प्रतिनिधि हैं, हम सब यह करते हैं कि हम जनता के लिए काम करें और जनता के विकास को सर्वोपरि रखें। इसीलिए शायद सब लोगों ने, एमपीज और एमएलएज को एक फण्ड दिया कि वो अपने इस फण्ड से जनता में कहीं जाएं तो कोई न कोई काम करें लेकिन मुझे इस बात का विशेष दु:ख होता है कि कांग्रेस के जो राज्य सभा सदस्य हैं वो विशेष लगाव की वजह से और मैं तो कहना चाहती हूं कि भ्रष्टाचार करके, रिश्वत के पैसे लेकर, अपना परसेंटेज का पैसा लेकर.....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): विशेषकर कांग्रेस के राज्य सभा सदस्य भ्रष्टाचार करके, इस बात का कैसे आरोप लगा सकते हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय? व्यवस्था का प्रश्न है। जो सदन का मैम्बर नहीं है उसको कैसे ये इंडिकेट कर सकते हैं? इसके लिए लोक सभा में इथिक्स कमेटी बनी हुई है.....

श्रीमती अनीता (नगर): बिल्कुल, मैं नियमों के तहत आई हूं। माननीय, आप एक मिनट सुनेंगे तभी तो बात सुनेंगे। आप सुनें तो सही, आप सुनो तो सही। (व्यवधान) आपको जानकारी नहीं है। (व्यवधान) आप मेरी बात तो सुनें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अगर किसी की शिकायत की बात की जा सकती है तो वो कमेटी बनी हुई है। यह गलत परम्परा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप सब विराज जाओ। सम्माननीय सदस्या, आप विराज जाएं। इसमें जिन माननीय सदस्य ने, जिन राज्य सभा के सदस्यों ने जो अपने स्थानीय एमपी लैड से रकम दी है किसी भी सार्वजनिक कार्य के लिए, हम वहां तक ही सीमित हैं। वो रकम दी गई है या जो कार्य कराने के लिए दी गई, उसमें अगर अनियमितता हुई है या कोई बात हुई है, वहां तक आप ध्यानाकर्षित करें। Please don't get derailed on this.

श्रीमती अनीता (नगर): ठीक है। उपाध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात का आदर करते हुए कहना चाहती हूं, लेकिन उसमें एक चीज जरूर कहना चाहती हूं कि एक जना जैसे आज आपने स्वीकृति निकाल दी और स्वीकृति निकालने के 70-75 दिन के अन्दर आपकी एफएस आ जानी चाहिए लेकिन उन राज्य सभा सदस्यों की एफएस दो-दो साल तक नहीं आती है और दो साल बाद जब कोई बात हो जाती है, कोई व्यवस्था पहुंच जाती है तब जाकर वो एफएस आती है। इस तरह का कार्य मेरे यहां हुआ है जिसकी मैंने शिकायत की थी कलेक्टर साहब के यहां और कलेक्टर साहब ने उन सब कार्यों को, क्योंकि वो काम कैसे थे कि वो काम वो थे जो मैंने एमएलए लैड से कर दिये, वो काम वो थे जो सरपंच ने नरेगा द्वारा कर दिये या किसी एमपी ने कर दिये और पीडब्ल्यूडी ने जहां पर अपनी ग्रेवल या सड़क बना दी उन कामों को शामिल कर लिया। जो 2013-14 में काम हो गये उनको 2014-15 में उसने अपनी स्वीकृतियां जारी कीं। जो काम हो चुके थे उन कामों की स्वीकृतियां जारी कीं तो मैंने कलेक्टर साहब को इस बात की शिकायत की कि ये सारे काम हो गये हैं लेकिन फिर से राज्य सभा सदस्य ने उनकी स्वीकृतियां जारी कीं। मैंने जिस दिन शिकायत की और जिस दिन कलेक्टर साहब ने कमेटी बनाकर इसकी जांच की और 2 बजे वो निरस्ती का कागज निकालते हैं और 3 बजे दोबारा से उस राज्य सभा सदस्य का फैक्स आ जाता है कि अगर ये काम आप निरस्त कर रहे हो तो इस काम को कर दो। लेकिन ग्राम पंचायत वही रहती है कि अनिता के घर से लेकर संजना के घर तक लेकिन संजना के घर से लेकर अनिता के घर तक कर दो। इस तरीके का काम जो एक ही काम को तीन-तीन बार सैंक्शन किया जाता है, एक काम जो पहले हो चुके हैं उन कामों को किया जाता है। मैं इस शिकायत को लगातार दो वर्षों से जब से हमारी सरकार आई है कर रही हूं और हालांकि पहले कांग्रेस की सरकार थी तब भी मैं अपने सब लोगों से इस बात की शिकायत करती रहती थी कि हमारे यहां इस तरीके की व्यवस्था हो रही है। मैं दो साल से लगातार लगी हुई

(श्रीमती अनीता)

हूं कि यह इस तरीके की शिकायत पर हमारे यहां कलेक्टर साहब ने जो जांच कमेटी बनाई उसमें क्योंकि वो काम पहले निरस्त हो गये तो उनकी जांच नहीं हो पाई। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर जो जांच हो रही है उस जांच से मैं संतुष्ट नहीं हूं। तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि क्या राज्य सरकार के स्तर पर आप कोई जांच कमेटी बनाकर, ये जो राज्य सभा सदस्य हैं, इनके कामों की जांच करवाने का श्रम करेंगे?

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्या ने जो क्वेश्चन रेज किया है, मैं इनसे इतना ही निवेदन करता हूं कि आपने 9 सैंक्शनों की शिकायत....

श्रीमती अनीता (नगर): मंत्री महोदय, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि ये जब से राज्य सभा सदस्य बने हैं तब से ही मेरे नगर विधान सभा सभा क्षेत्र में इन्होंने अपने हर साल में कितना पैसा कौनसी ग्राम पंचायत को दिया है उन सब कार्यों की आप जांच करेंगे तब जाकर निकलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, एक गांव के अन्दर, पंचायत में भी तीन-चार गांव होते हैं और तीन-चार गांव छोड़कर एक गांव के अन्दर एक सरपंच को हर साल एक एमपी डेढ़ करोड़ देता है, दूसरा एमपी एक करोड़ देता है। यह मैं 2015-16 की बात कह रही हूं और इससे पहले का भी आप देखेंगे तो उसमें भी डेढ़-डेढ़, दो-दो, तीन-तीन करोड़ रुपये इनके द्वारा दिये गये हैं। जिनको 5 करोड़ रुपये मिलता है उसमें से 3 करोड़ रुपये भी इन्होंने एक ही ग्राम पंचायत में एक ही सरपंच को दिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह तो खुशी की बात है। ये माननीय सांसद महोदय मेरे निर्वाचन क्षेत्र के दूधवा खारा गांव के हैं और मेरे पर मेहरबान नहीं हुए, माननीय सदस्या पर मेहरबान हुए हैं, यह तो अच्छी बात है।

श्री उपाध्यक्ष: चिंता का विषय भी यही है।

श्रीमती अनीता (नगर): पैसा तो आये लेकिन वो पैसा जिस तरीके से आ रहा है, पैसा तो मेरे क्षेत्र में आये, मैं इससे खुश हूं, मैं इस बात से नाराज नहीं हूं लेकिन मैं यह चाहती हूं कि पैसे का सही उपयोग हो, पैसा भ्रष्टाचार में और गलत रास्तों और गलत जगह नहीं लगे।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या से निवेदन कर रहा हूं कि यह बात

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

बिल्कुल सही है कि एक सांसद ने 2015-16 में एक ही पंचायत को 92 लाख रुपये दिये और दूसरे माननीय सांसद ने एक ही साल में 1.40 करोड़ रुपये उसी पंचायत को दिये, दोनों की एक ही पंचायत है। (व्यवधान)

श्रीमती अनीता (नगर): 2.50 करोड़ रुपये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हां, 2.50 करोड़ रुपये जो दिये हैं और आपने जो प्रश्न किया है कि इसी पंचायत में कोई काम आपके विधायक कोष से कर दिया गया है, कोई काम महात्मा गांधी नरेगा योजना से कर दिया गया है, कोई काम अन्य योजनाओं से कर दिया गया है। उसके ऊपर दुबारा सेंक्शन निकाल दी है। आपने कहा कि मैंने उसी दिन, 29 दिसम्बर को शिकायत की और उसी दिन वापस निरस्त हुए और उसी दिन अभिशंसाएं आ गईं और तकनीकी स्वीकृतियां जारी हो गईं और तकनीकी स्वीकृति का ही आपने प्रश्न रेज किया है। किसी में चार कामों में प्रशासनिक स्वीकृति का किया है। (व्यवधान) एक रुकिये ना। दो मिनट में मैं आपको निवेदन कर रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय सदस्या से निवेदन है कि इस पंचायत में जो भी काम हुए हैं, उन सारे कामों की, पिछले दो-तीन सालों में, तीन सालों में जितने भी काम हुए हैं, उन सारे कामों के बारे में मेरे राज्य स्तर से डिप्टी सैक्रेटरी रैंक के अधिकारी को और उनके साथ एक तकनीकी अधिकारी और एक लेखा सेवा का अधिकारी, तीनों की जोइंट कमेटी बनाकर 15 दिन में रिपोर्ट मंगाकर और जो भी होगा, विधिसम्मत कार्यवाही करने की कोशिश करूंगा। इसमें जो अधिकारी लिप्त होगा, उसके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे और जो कोई भी है, जिसने फर्जी पैसा उठा लिया, तीन आदमियों का नाम बताया है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गयी। एफआईआर दर्ज हो गई तो उसके लिए पुलिस अपना काम कर रही है परन्तु मेरे विभाग से भी इस सम्बन्ध में इस प्रकरण की पूरी जांच इसी डिप्टी सैक्रेटरी, जिसकी अध्यक्षता में कमेटी बना रहा हूं, उसी डिप्टी सैक्रेटरी की अध्यक्षता में उसकी भी जांच कराऊंगा और उसका भी दूध का दूध और पानी का पानी करके माननीय सदस्या को संतुष्ट करूंगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे विभाग से भी सम्बन्धित केस है। यह जो 41 लाख रुपया फर्जी चैक पर

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

दस्तखत करके उठाया है, उसका एक मुकदमा नगर में 449/15 दर्ज हुआ। उसकी जांच हमने सेवर थाने के इंचार्ज को दी। वह जांच कर ही रहा था लेकिन उन्होंने कोर्ट में जाकर एडीजे से यह निर्देश दिये कि अनुसंधान पूर्ण होने के बाद ही अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाये तथा गिरफ्तारी के पूर्व 15 दिन का नोटिस दिया जाये। यह एडीजे के आदेश आ गये हैं। इसके कारण से इसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है लेकिन हम इस कार्यवाई को, क्योंकि उन्होंने कार्यवाही पूरी करके ही गिरफ्तारी करें, ऐसे निर्देश दिये थे और हमको सूचित करके करें तो वह काम तुरन्त करेंगे निश्चित रूप से, आपको इतना आश्वस्त करते हैं। अगर आपको यह लगता है कि नहीं, सेवर के थानेदार से सम्भव नहीं है तो इससे ऊपर के अधिकारी से भी इस प्रकरण की जांच करके, निश्चित रूप से यह जो 41 लाख रुपया फर्जी उठाया है। इसमें उन्होंने एफएसएल जांच के लिए कहा। ये तीनों काम हम जितना जल्दी हो सकता है, करके इसका निस्तारण करेंगे।

श्रीमती अनीता (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहती हूं कि यह जो 41 लाख रुपये का है, यह भी हमारे ही क्षेत्र में जो व्यक्ति हैं, जो इनका दलाल बनकर इनके पैसे लेकर आता है। वह व्यक्ति 41 लाख रुपये का सरपंच के घर से पैसा चोरी करके लेकर आया और चोरी करके, उसमें फर्जी दस्तखत करे और पैसों को निकाल दिया और क्योंकि जो चैक था, वह एकाउंट-पेयी था तो एकाउंट-पेयी होने के कारण उसने अपने ही खाते में उसको डलवा दिया। उसकी जो बैंक स्टेटमेंट है, वह भी मैंने थाने में दी है। मैं आपको भी देना चाहती हूं गृह मंत्री महोदय। उसकी बैंक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट से तो साफ जाहिर होता है कि उसके पास पैसा गया। उसके बाद उसने प्रयास किया कि इस मामले को दबाया जाये क्योंकि हमारे यहां एसटी का सरपंच है। गरीब सरपंच है। उसको दबाने के लिए किया तो उसने पांच-सात लोगों को इकट्ठा करके, सरपंच के घर गया और सरपंच को जाकर कहा कि इस केस को रफा-दफा करें लेकिन हमारे सरपंच ने उसको सीडी के माध्यम से अपने फोन में टेप कर लिया और वह जो सीडी है, वह भी हमने एसपी को दी है और वह मैं आपको विधान सभा में दूंगी जो आप सुनेंगे। जिसमें उसने इस बात को माना है कि मैंने पैसे तो फर्जी निकाल लिये लेकिन भैया, अब बैठकर कुछ कर लें, इसमें और तो कुछ होगा नहीं और तुम्हारे 41 के 41 लाख रुपये मैं खा जाऊंगा, तुझको कुछ नहीं मिलेगा, तू वैसे ही घूमता रहेगा। इस

(श्रीमती अनीता)

तरह की बयानबाजी है। इसलिए मैं गृह मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि वह एडीजे कोर्ट में भागा भी इसीलिए था क्योंकि उसको पता है कि उसके पक्के सबूत हैं, उसको गिरफ्तार होना पड़ेगा लेकिन जितना डिले वह कर सकता है, उतना डिले करे लेकिन हमारी सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि इस प्रकार का अपराधी जो सरकारी पैसों का गबन करना चाहता है, जो सरकारी पैसों को लेकर भागना चाहता है, उसको हम जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें। उसका अनुसंधान पूरा हो गया था। जो नगर एसएचओ रामनरेश मीणा, उसने उसका अनुसंधान पूरा कर लिया था तो उसकी फाइल उठाकर दूसरे के पास चली गई और वह अनुसंधान पूरा करेगा तो फाइल तीसरे के पास चली जायेगी। मैं कोई किसी को बदलवाना नहीं चाहती क्योंकि मुझे पता है कि जो पक्के सबूत हमने दिये हैं, उसके बेस पर वह निश्चित रूप से दोषी बनेगा और उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप तो सिर्फ इतना विधान सभा में मुझे आश्वासन दे दीजिये कि आप 15 दिन में या महीने भर में यह अनुसंधान पूरा करवा देंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एफएसएल जांच का एक बिन्दु साथ में है। एडीजे कोर्ट ने आदेश दे रखा है। एफएसएल जांच होने में थोड़ा समय लगता है। फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि एक महीने के अन्दर-अन्दर एफएसएल जांच कराकर इसका निस्तारण करूंगा।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सीडी दे दो, साहब। आप सीडी तो दे दो।

श्री उपाध्यक्ष: उप मुख्य सचेतक महोदय, how can you request to do that?

श्रीमती अनीता (नगर): यह जो कागज है, वह मैं विधान सभा में टेबल कर देती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप अनुमति मांगो तो सही।

श्रीमती अनीता (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, अगर आदेश करेंगे तो, मैं सीडी लाई हूं, आप कहेंगे तो मैं टेबल कर दूंगी।

श्री उपाध्यक्ष: Put it. You will have to sign on that CD.

श्रीमती अनीता (नगर): ठीक, साहब।

(माननीय सदस्या द्वारा सीडी सदन पटल पर रखी गयी)

श्री उपाध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्री राजपाल सिंह शेखावत।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

आबकारी विभाग

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार आबकारी विभाग की पांच अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2016/पार्ट-1 दिनांक 1.4.2016, जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2016/पार्ट-1 दिनांक 1.4.2016, जिसके द्वारा राजस्थान एक्साइज (ग्रांट आफ होटल बार/क्लब बार लाइसेंस) नियम, 1973 में संशोधन किया गया है;

(3) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2016/पार्ट-1 दिनांक 1.4.2016, जिसके द्वारा राजस्थान एक्साइज (ग्रांट आफ रेस्टोरेंट बार लाइसेंसेस) नियम, 2004 में संशोधन किया गया है;

(4) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2016/पार्ट-1 दिनांक 1.4.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(62)वित्त/आब/96 दिनांक 31.3.2007 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है; एवं

(5) अधिसूचना संख्या: एफ.4(14)वित्त/आब/2016/पार्ट-1 दिनांक 1.4.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(14)वित्त/आब/2014 दिनांक 12.2.2016 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। श्री अजय सिंह।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित लेखा परीक्षा रिपोर्ट सदन की मेज पर रखता हूं:-

(श्री अजय सिंह)

द राजस्थान अरबन कोआपरेटिव बैंक्स फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर की लेखा परीक्षा रिपोर्ट वर्ष 2014-15

(1) राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 54(14) के अन्तर्गत द राजस्थान अरबन को-आपरेटिव बैंक्स फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर की लेखा परीक्षा रिपोर्ट वर्ष 2014-15, एवं

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड, जयपुर की लेखा परीक्षा रिपोर्ट वर्ष 2014-15

(2) राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 54(14) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड, जयपुर की लेखा परीक्षा रिपोर्ट वर्ष 2014-15.

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री हनुमान बेनीवाल। (अनुपस्थित)

विधायी कार्य, पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) विधेयक, 2016. श्री वासुदेव देवनानी।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) विधेयक, 2016

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: राजस्थान भूमि पूलिंग स्कीम विधेयक, 2016, श्री राजपाल सिंह शेखावत।

राजस्थान भूमि पूलिंग स्कीम विधेयक, 2016

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान भूमि पूलिंग स्कीम विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि पूलिंग स्कीम विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान भूमि पूलिंग स्कीम विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। राजस्थान विशेष विनिधान रीजन विधेयक, 2016. श्री गजेन्द्र सिंह।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विशेष विनिधान रीजन विधेयक, 2016

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विशेष विनिधान रीजन विधेयक, 2016 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान विशेष विनिधान रीजन विधेयक, 2016, राजस्थान स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बिल, 2016 के ऊपर चर्चा हो रही है। जब ये बिल पारित हो जायेगा, उसके बाद में जो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विशेष विनिधान रीजन विधेयक, 2016 से पहले इस प्रकार का बिल राजस्थान की विधान सभा में राजस्थान इण्डस्ट्रियल एरिया डवलपमेंट एक्ट, 1995 पारित हुआ था। इस बिल के बाद में भिवाड़ी इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट अथोरिटी का गठन भी हुआ, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई...

ये जो इस प्रकार का बिल लाकर के एक बोर्ड बनाएंगे, एक रीजनल डवलपमेंट अथोरिटी बनाएंगे, आरडीए बनेगा और उस आरडीए को इतने

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

असीमित अधिकार प्राप्त हो जाएंगे कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में एक भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मामला होने वाला है। आज जेडीए के लिए हम कितना चिल्लाते हैं कि जेडीए में भ्रष्टाचार है? किसान परेशान है, किसान की जमीनें ली जा रही हैं। अब दोबारा एक बिल लाकर के और क्या करना चाहती है यह सरकार मेरी समझ में नहीं आता है। इस प्रकार के एक्ट पहले गुजरात में, महाराष्ट्र और हरियाणा में भी आ चुके हैं लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस एक्ट के पारित होने के बाद में बोर्ड का गठन होगा, आरडीए का गठन होगा, अथोरिटी बन जाएगी, किसानों की जमीन लेगी उसको सीमित अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। मेरे समझ में आ रहा है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि ये सरकार भूमि अधिग्रहण कानून में हमारे प्रधान मंत्रीजी क्यों संशोधन लाना चाह रहे थे? हमारी मुख्य मंत्रीजी नया राजस्थान भूमि अधिग्रहण कानून क्यों लाना चाह रही थीं? इसके पीछे यह बिल ही है। इस बिल को लाने से पहले प्रधान मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी एक इस प्रकार का भूमि अधिग्रहण कानून लाना चाह रहे थे जिसमें किसान की जमीन को हड़पने का काम पूंजीपतियों को देने की व्यवस्था की जा रही थी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी को कि उन्होंने आवाज उठाई। कांग्रेस ने सड़क पर लड़ाई लड़ी और जो भूमि अधिग्रहण कानून आप परिवर्तन करके धन्ना सेठों को, बड़े-बड़े लोगों को, राजस्थान के किसान की, हिन्दुस्तान के किसान की जमीन देना चाहते थे उसमें रोक लगने का काम हुआ है। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस एक्ट के पारित होने के बाद में जो आरडीए बनेगा उसको असीमित अधिकार होंगे और तो और यह जो बिल है इसकी 81 नम्बर की जो धारा है उसमें सिविल कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं। केवल ये प्राधिकरण बनाएंगे, अपीलीय प्राधिकरण और उसमें जाएंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारा का सारा जो बिल है वह मैंने देखा है। धारा-7 के तहत बोर्ड बनेगा, धारा-4 में पृथक से मास्टर विकास योजना और विकास स्कीम तैयार करने की बात कही गई है। धारा-9 में आरडीए बनेगा, 10-ख में आरडीए को क्या शक्तियां दी गई हैं उस बात को बताया गया है। इसमें जो शक्तियां दी गई हैं उसमें किसी भी सरकारी एजेंसी को भी ये आरडीए निर्देश देने की शक्ति इन्होंने प्राप्त कर ली है इस एक्ट के द्वारा। जमीन एक्वायर करेगा, आबंटन करेंगे, प्राइवेट धन्ना सेठ लोगों से ये एमओयू करेंगे, ये सारी की सारी शक्तियां आप इस एक्ट के माध्यम से देने जा रहे हो।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मैं निवेदन करना चाहता हूं महिन्द्रा सेज माननीय मुख्य मंत्रीजी के पूर्व कार्यकाल में आया। महिन्द्रा सेज ने कितने लोगों को रोजगार दिया, कितनी जमीन किसानों की सरकार ने हड़पने का काम किया और धीरे-धीरे ज्यों-ज्यों समय आता गया वह महिन्द्रा सेज पैसा उठाकर के जितनी जमीन बेच सकता था, बेची दी। जो आपने एमओयू किया था उसकी कोई पालना नहीं की। फिर आप अभी थोड़े दिन पहले कैबिनेट में नोट लेकर के गए कि हम लैंड यूज करना चाहते हैं। यहां राजस्थान की विधान सभा में आपने जवाब दिया कि चूंकि महिन्द्रा सेज को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, मंदी का दौर इसलिए उसको और ज्यादा छूट केन्द्र के एक्ट से मिल गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप लेकर गए थे कैबिनेट में अगर उसको लैंड यूज चेंज करने की परमिशन नहीं चाहिए थी तो फिर आप कैबिनेट में क्यों गए? और यह जिस प्रकार से महिन्द्रा सेज के माध्यम से किसान की जमीन हड़प करके पूंजीपतियों को लुटाने का राजस्थान के किसान की गाढ़ी खून पसीने की कमाई और जिसके ऊपर वह निर्भर रहता है, जमीन लुटाने का काम कर रहे हो। यह दूसरा जो आज बिल ला रहे हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह दूसरा सेज बनने जा रहा है। इनको अधिकार दे दिए कि आप जमीन आबंटित कर देना। आप ही के अपील प्राधिकारी होंगे। सिविल कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है उसके ऊपर बैन कर दिया और चाहे जो वो फ्लैट्स बनाएंगे, कामर्शियल काम्लैक्स बनाएंगे, जमीन दूसरों को आबंटित करने का काम कर लेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं यह जो जहां रीजनल डवलपमेंट अथोरिटी बनेगी उसका क्या कार्य क्षेत्र होगा? क्या नियम नीतियां होगी? इसमें किसी तरह की नहीं है। वहां पहले से ग्राम पंचायतें काम कर रही हैं, वहां पर नगरपालिकाएं काम कर रही हैं उनका क्या अधिकार होगा? इस एक्ट के माध्यम से यह भी कर दिया कि वो उन एजेंसियों को भी कोई अधिकार नहीं होगा यह पूरा का पूरा उस जो एमओयू जिस कंपनी से आप करेंगे जिस व्यक्ति से करेंगे उसको पूरा का पूरा अधिकार दे रहे हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारा जेडीए है। जेडीए के नाम सारी जमीनें आसपास हो गई जो इनका क्षेत्र आता है और उसके बाद में उस ग्राम पंचायत का एरिया जिसका आ गया पूरी जमीन जेडीए की हो गई और जेडीए की सरकारी जमीन होने के बाद में अगर कोई ग्राम पंचायत वहां पर स्कूल बनाना चाहती है अगर कोई ग्राम पंचायत वहां सामुदायिक केन्द्र बनाना चाहती है हास्पिटल बनाना चाहती है, बिजली के 33

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

केवी के ग्रिड बनाना चाहती है तो जेडीए उसको जमीन नहीं देता है। जब जयपुर में जेडीए का हाल हमने देख लिया। सब के सब कहते हैं, हमारे स्वायत्त शासन मंत्रीजी यह कह रहे हैं कि जेडीए में बहुत बड़े घोटाले हैं। जेडीए ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, उनके अधिकारी मनमानी कर रहे हैं तो दूसरी अथोरिटी बनाकर के क्या मैसेज देना चाहते हैं इस एक्ट के माध्यम से? मुम्बई जो आपका कॉरिडोर है उसके ऊपर भी आपने किसानों की जमीन ली और किसानों की जमीन लेने के बाद आज तक भी बारह महीने, डेढ़ साल से ज्यादा हो गया माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन किसानों को उस जमीन का मुआवजा नहीं मिला है। जब महिन्द्रा सेज आपका फैल है, जब कॉरिडोर का मामला आपका फैल है तो आप दुबारा इस एक्ट के माध्यम से न तो इसका एरिया आपने तय किया, न आपने कोई बजट का प्रावधान किया। केवल मात्र मेरा यह आरोप है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के ऊपर कि मोदी जी के दबाव के कारण अडानी और अंबानी को फायदा देने के लिए राजस्थान की सरकार मुख्य मंत्रीजी इस एक्ट को लाकर के धन्ना सेठों को बहुत बड़ा फायदा देने वाली हैं। जिस प्रकार राजस्थान में पूर्व के कार्यकाल में महिन्द्रा एण्ड कंपनी को दिया गया था महिन्द्रा सेज के नाम से। ये किसान की गाढ़ी कमाई, किसान के पास में वहां की ज़मीनें इतनी महंगी हैं उनके बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे, उनके पास जो जमीन है वह उनसे छिन जाएंगी जो किसान की आत्मा होती है। जब आप जमीन छीनना चाह रहे हो, आपकी कोई योजना नहीं, पहले जो एक्ट आया था उसको आप रिपील कर रहे हो। आज वह एक्ट स्वत: समाप्त हो जाएगा इस एक्ट के पारित होने के बाद में। पहले की जो आपकी अथोरिटी बनी थी...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): रॉबर्ट वाड्रा को जमीन किसने दी थी? कैसे खरीदी थी? सारा भ्रष्टाचार हुआ है उसमें ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दाम देकर खरीदी थी। आपके पास पैसे हों तो आप भी खरीद लो।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): दाम देकर खरीदी थी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): कोई दाम देकर के नहीं खरीदी थी ग़रीबों को दबाकर ली थी जमीन।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैंने कहा था यहां पर कि आप जांच कराओ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपमें से कौन है साहूकार जिसने जमीन नहीं खरीदी। आपके नेताओं ने जिस प्रकार गोचर भूमि पर कब्जा किया है उस प्रकार का तो उन्होंने नहीं किया है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): किस तरह से फर्जी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं उसकी ...(व्यवधान)

श्री मान सिंह (गंगापुर): रॉबर्ट वाड्रा को लाभ देने के लिए अशोक गहलोत ने मुहैया कराई। अशोक गहलोत ने उस समय उसको लाभ देने के लिए ...(व्यवधान) और राजस्थान की बेशकीमती जमीनों को बेचा गया।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): जांच कराओ, जांच कराओ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): यह राहुल गांधी जी के दबाव में किया गया है ...(व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने आकाश को नहीं छोड़ा, पाताल को नहीं छोड़ा सब खा गए।

श्री मान सिंह (गंगापुर): उलटा चूहा खाय बिल्ली हज को चली, बात कर रहे हो।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): इन्होंने इतने घोटाले किए जिनकी गणना नहीं कर सकते हैं। आकाश को नहीं छोड़ा, पाताल को नहीं छोड़ा इन्होंने, सब खा गए और बातें कर रहे हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपका राज है आप जांच कराओ। आप जांच कराओ, राज आपका है ढाई साल गुजर गए। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): जांच हो रही है ना, कोर्ट में मैटर चल रहा है।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): आपने न आकाश को छोड़ा, न पाताल को छोड़ा, आप सब खा गए और फिर बातें कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: Continue. Continue. Why you have sat down? You don't require the permission of the Chair.

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): Sorry.

श्री उपाध्यक्ष: The Chair doesn't exist? You take the rules in your own hands. Run the House where you want. Next time, I will see anyone.

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): I am sorry, Sir. Because they were making false allegations then I have no option but to respond, Sir. I am sorry for that.

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माफी चाहते हैं परन्तु सच्चाई यह है कि इन्होंने सिर्फ पृथ्वी पर भ्रष्टाचार नहीं किया बल्कि ये आकाश और पाताल सबको खा गये। इसलिए थोड़ा माफी चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: तो अभी आकाश और पाताल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं या सब खा गये उसको? Where is it being digested now? तो जो हमें दिखता है वो आकाश है या नहीं? सम्माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो डीएमआईसी के तहत दिल्ली मुम्बई कोरीडोर के तहत जमीन अधिग्रहण की गयी थी किसानों की आज बारह महीनों से भी अधिक हो गये उसका किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। पूरे प्रदेश की जमीन में यह आथोरिटी बना करके किस प्रकार से केवलमात्र किसान की जमीन छीनने का अधिकार किन्हीं प्राइवेट लोगों को देने का यह एक्ट ठीक नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, के माध्यम से कि किसान के पास में जमीन के अलावा कुछ नहीं है और जमीन अगर आप छीन लोगे, इस प्रकार के ये एक्ट बना-बना कर आथोरिटीज बना-बना कर तो किसान बरबाद हो जाएगा। यह कतई ठीक नहीं है। आज जहां पर आप ये आथोरिटी बनाने जा रहे हैं, आरडीए बनाने जा रहे हैं उस आरडीए में नगरपालिकाएं भी आती हैं, पंचायत भी आती है, वहां के जनप्रतिनिधियों का इसमें क्या रोल होगा? वहां पर जो एग्जिस्टेंस में केवल आबादी को छोड़ करके माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये पूरा अधिकार ले रहे हैं। अगर ग्राम पंचायत के नाम जमीन होगी, नगरपालिका के नाम जमीन होगी, तो वो पूरा का पूरा इस आरडीए के तहत इनको शक्ति प्राप्त हो जाएगी, इनको अधिकार प्राप्त हो जाएंगे उस जमीन को ये खुद निर्देश देंगे, ये रोड मैप बनायेंगे, ये मास्टर प्लान बनायेंगे। पहले का उनका जो मास्टर प्लान है उसको ये देखें तो देखें, इग्नोर करें तो करें। इस प्रकार की व्यवस्था इस एक्ट के माध्यम से आप करने जा रहे हैं। इसलिए यह ठीक नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार पर बार-बार आरोप लगे हैं। भूमि अधिग्रहण को लेकर के किसानों ने आंदोलन किये हैं और यह एक्ट पढ़ने के बाद में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धन्नासेठों को जमीन देने के लिए सरकार कार्यवाही करेगी, आंदोलन होंगे, किसान सड़कों पर आएंगे। किसानों की क्रान्ति इस राजस्थान में होगी। इसके जिम्मेदार आप और आपकी सरकार

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

होगी। मैं चेताना चाहता हूं इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था मत कीजिये। अगर इतना ही इसमें शानदार कार्यक्रम था तो गुजरात में यह चल रहा है। महाराष्ट्र में चल रहा है। हरियाणा में चल रहा है। वहां तो सफल नहीं हुए इस एक्ट के तहत। आप सवा दो साल तक बैठे क्यों रहे? आप सवा दो साल पहले उसको ले आते। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये लाना चाह रहे थे लेकिन उस भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करने के बाद असीमित अधिकार प्राप्त करने के बाद किसान की जमीन हड़पने के लिए यह एक्ट लाना चाह रहे थे। इनकी चाल कामयाब नहीं हुई। जनता ने आंदोलन किये। स्वायत्तशासी संस्थाओं ने एनजीओ ने आंदोलन किये। कांग्रेस ने आंदोलन किये और उसका परिणाम यह हुआ कि ये जो भूमि अधिग्रहण कानून यूपीए गवर्नमेंट ने बनाया था उसमें ये चेंज नहीं ला पाये। यहां पर भी कानून बना भूमि अधिग्रहण का। प्रवर समिति को सौंपा गया। वो रिपोर्ट भी आ गयी, लेकिन जनता के दबाव के आगे, कांग्रेस के आंदोलन के आगे वो एक्ट भी आप आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो और अब थक हार कर के जब दिल्ली से निर्देश मिले कि नहीं हमने वादा किया है, दिल्ली की सरकार के नेताओं ने बड़े-बड़े नेताओं ने वादे किये हैं...।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं टोकना नहीं चाहता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति जो बनी थी इस नये भूमि अधिग्रहण के लिए उसमें माननीय सदस्य भी सदस्य थे और यह हमारी व्यवस्थाओं में है, हमारी परम्पराओं में है, हमारे नियमों में है कि जिस किसी भी समिति का कोई भी माननीय सदस्य हो वो उस समिति के बारे में यहां कोई बात नहीं कर सकता तो इसलिए यह तो एक्सपंज कराइये, साहब।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैंने नहीं की। मैंने इतना कहा है कि आप एक्ट लाये। प्रवर समिति के लिए हमने कहा। प्रवर समिति में चला गया। आप देख लीजिये न, पढ़ लीजिये न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपने कहा कि उसको इसलिए लागू नहीं कर पाए जनता का दबाव रहा, यह हुआ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैंने यह कब कहा कि प्रवर समिति में यह हुआ, यह नहीं हुआ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उसकी चर्चा ही नहीं कर सकते।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, चर्चा कैसे नहीं कर सकते। आपने जब शुरू में राज्यपाल महोदय का अभिभाषण आया तो उसमें लिखा है कि प्रवर समिति से यह भूमि अधिग्रहण बिल, उसमें वर्णन कराया हुआ है महामहिम राज्यपाल से कि हम इस सदन के सत्र को क्यों आहूत कराना चाहते हैं इसलिए मैं केवल इतना कह रहा हूं कि जो प्रवर समिति में भूमि अधिग्रहण बिल आप लेकर के गये थे वो बिल आज तक आप जनता के दबाव से पारित नहीं करवा सके। यह मैं कह सकता हूं। मेरा अधिकार है। कोई असंसदीय नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है जो परम्पराओं के खिलाफ हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): इस पर जाना नहीं चाहिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप थोड़े बताओगे कि मेरे को क्या बोलना है। आपके मुंह पर तो ताला लगा दिया उप मुख्य सचेतक बना कर इसलिए मेरे को ही बोलना पड़ेगा, वर्ना थोड़ा बहुत आप बोलते थे, उधर बैठते थे तब, लेकिन आपका ऐसा ज़ाब्ता किया मुख्यमंत्री जी ने कि न भूतो न भविष्यति। निश्चित रूप से यह एक्ट जनता के विरोध में है।

श्री उपाध्यक्ष: यह जो अभी आपने वक्तव्य दिया वो भी आपके इस अमेंडमेंट में शामिल है क्या?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वो उन्होंने कहा कि मेरे लिए बोलो मैं दुःखी हूं तो मैंने उनके पक्ष में बोल दिया कि यह हालत हो गयी। तो माननीय, इसमें कोई बजट का प्रावधान भी नहीं किया है। कोई बहुत ज्यादा बजट का प्रावधान नहीं है। न इसका जुरिस्डिक्शन तय है। न वहां की लोकल बाडी जो पंचायतें हैं उनका क्या हश्र होगा, उनके अधिकारों पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उनकी जमीनें ये आथोरिटी ले लेगी फिर ये धन्नासेठों को, बड़े-बड़े उद्योगपतियों को एमओयू करके वो जमीन दे देगी। कोर्ट में वो जा नहीं सकता। यह सारी की सारी व्यवस्था जो की जा रही है वो केवल उद्योगपतियों को पनपाने के लिए की जा रही है। मेरा स्पेसिफिक आरोप है कि केन्द्र सरकार के दबाव के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी धन्नासेठों को केन्द्र सरकार यह जमीनें देना चाहता है बड़े लोगों को वहां की महंगी जमीन दिल्ली के नजदीक

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

में भिवाड़ी में कितनी महंगी जमीन है। किसान के पास एक बीघा जमीन है वो आराम से अपना परिवार पाल रहा है। इसमें कहीं भी यह नहीं है कि कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। बेरोजगार घूम रहे हैं। कल-परसों हमने देखा था हीरो होण्डा जो कंपनी है वहां पर मजदूरों के साथ में अत्याचार किया गया, मुकदमें दर्ज कराये गये, लाठीचार्ज किया गया, तो ये इस प्रकार से लोग आ जाएंगे उसके बाद जमीन किसान की हड़प लेंगे इस एक्ट के माध्यम से कहीं भी यह नहीं है कि किसान को विस्थापित कैसे करेंगे, उसको क्या-क्या अधिकार प्राप्त होंगे। क्या उसके बच्चों को जो वहां उद्योग लगेगा, जो व्यक्ति उद्योग लगाने के लिए आयेगा क्या वह उसको नौकरी देगा कि नहीं देगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे भूमि अधिग्रहण कानून में है कि उसको किसान को विस्थापित किया जाएगा। जो सुविधाएं उसकी छिन रही हैं, वो सुविधाएं उसको वापस दी जाएंगी लेकिन इस आथोरिटी को इतना अनलिमिटेड अधिकार दे दिया गया है जो कतई राजस्थान के हित में नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अपील नहीं कर सकता।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अपील नहीं कर सकता। मैंने कहा कि इसमें कोर्ट में नहीं जा सकता। सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को बाध्यता किया गया है और यह केवल राज्य सरकार उनके इशारे पर अपील प्राधिकरण बना देगा। अपील प्राधिकरण किसान की सुनेगा नहीं और नहीं सुनेगा उसके बाद में उसकी जमीन हड़प लेंगे और जमीन हड़पने के बाद में उन पूंजीपतियों को जमीन देने का यह जो काला कानून मैं कहना चाहता हूं कि यह जो काला कानून राजस्थान विशेष विनिधान रीजन विधेयक, 2016 है यह राजस्थान के किसानों के खिलाफ में काला कानून है उसकी जमीनों को हड़पने का कानून है, वहां की ग्राम पंचायतें और नगरपालिकाएं और वहां के लोगों के अधिकार छीनने का कानून है इसलिए इसको माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनमत जानने के लिए परिचालित करना चाहिए। अगर यह विधेयक पारित करा दिया तो आपकी सरकार की भी उलटी गिनती चालू हो जाएगी क्योंकि किसान की जमीन आप छीन लोगे। अगर किसान रो दिया तो आपको कोई बख्शने वाला नहीं है इसलिए ऐसी गलती मत कीजिये। जिस प्रकार से आपने भूमि अधिग्रहण कानून को ठंडे बस्ते में डाल दिया इस एक्ट को भी

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

इस माध्यम से जनमत जानने को परिचालित करने के माध्यम से ठंडे बस्ते में डाल दीजिये वरना आपका आने वाला समय अच्छा नहीं होगा। किसान का समय अगर अच्छा नहीं होगा तो सरकार का भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं इसमें विरोध करता हूं कि इस एक्ट के माध्यम से आप इतनी बड़ी शक्तियां प्राप्त कर रहे हैं जो आरडीए आप बनाने जा रहे हैं उसमें बजट का कोई प्रावधान नहीं है इसी से लगता है केवल मात्र इस एक्ट का उद्देश्य यह है कि किसान की जमीन इस एक्ट के माध्यम से आप ले लेंगे उसके बाद में उद्योगपति आपसे एमओयू करेंगे और एमओयू करके केन्द्र से स्कीम के तहत केन्द्र पैसा देगा और वो उसमें पैसा लगायेंगे और बड़े ओने-पौने दामों में जमीन लेकर के किसान की, बड़े फायदे का सौदा करेंगे। उस फायदे में सरकार की भी हिस्सेदारी प्रत्यक्ष में तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष में भी होगी यह मेरा जो निवेदन है आपके माध्यम से इसलिए इस एक्ट को पारित नहीं करा करके आप संख्या बल के आधार पर किसान की खून-पसीने की, उसकी आत्मा जो जमीन होती है उसके ऊपर जो कुल्हाड़ी चलाने का काम आप कर रहे हैं इस पर रोक लगा दीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए राजस्थान विशेष विनिधान रीजन विधेयक, 2016 को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल।

(14.00 बजे)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): सर, पाइंट आफ इन्फोरमेशन।

श्री उपाध्यक्ष: गो अहैड।

सूचना

डीजल चलित आटो पर रोक

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में एक आदेश जारी किया गया है कि डीजल से परिचालित टैम्पो को 6 तारीख से बंद कर दिया जाए। इस आदेश के कारण सारे टैम्पो वालों के समक्ष बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है। वह कहां रोजगार करें, उन्होंने टैम्पो पर लोन ले रखा है। वह लोग विधान सभा पर प्रदर्शन भी कर

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

रहे हैं। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उनकी समस्याओं को ध्यान रखते हुए उनको टैम्पो को चलाने की इजाजत प्रदान करे।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विशेष विनिधान रीजन विधेयक, 2016

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विशेष विनिधान रीजन विधेयक, 2016 सदन में विचार के लिये लाया गया है।

(14.01 बजे)

(श्री श्रीचन्द कृपलानी, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य अभी जब इस पर बात कर रहे थे कुछ तर्क और कुछ अनर्गल बात उन्होंने रखी। मैं इस एक्ट की मंशा को और इसमें उल्लेखित विषयों के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, आज यह बिल जब इस सदन में पारित हो जायेगा तो इसी बिल के खण्ड 84 में आपने लिखा है कि राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण इसके द्वारा निरसित किया जाता है। माननीय सभापति महोदय, 1995 में हम राजस्थान क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम लेकर आये और जब लेकर आये तब भी यह मंशा थी कि राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होना चाहिये और इसके बाद कई प्रकार के एक्ट इस सदन में आये। केन्द्र ने विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 बनाया और उस अधिनियम को सशक्त करने के लिये जो हमारा 2003 का अधिनियम था उसके स्थान पर हम 2015 में गत वर्ष राजस्थान विशेष आर्थिक जोन विधेयक, 2015 लेकर आये। राजस्थान के उद्योग मंत्रीजी बैठे हैं। हम राजस्थान के औद्योगिक विकास प्राधिकरण अधिनियम को समाप्त कर रहे हैं। हमारे यहां सेज एक्ट भी है और फिर एक नया एक्ट लाकर हम इस प्रकार की भावना प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हम राजस्थान को एक औद्योगिक वातावरण देंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अच्छा होता इस एक्ट को लाने से पहले पढ़ लेते। इस प्रकार का एक्ट गुजरात एक्ट नंबर 2, 2009, यह गुजरात में पारित हुआ और गुजरात के औद्योगिक विकास के वातावरण को लेकर पिछले 10 सालों में देश में इस प्रकार का माहौल बना कि गुजरात एक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और हमने गुजरात एक्ट की नकल कर डाली। सभापति महोदय, अच्छा

(श्री प्रहलाद गुंजल)

होता कि ब्यूरोक्रेसी गुजरात के एक्ट की नकल करके इस सदन से पारित कराने के बजाय हमारे यहां औद्योगिक विकास प्राधिकरण, हमारे यहां सेज एक्ट के अनुसार काम करती और राजस्थान को एक सशक्त औद्योगिक वातावरण देती। हमने कई प्रकार के प्रयोग किये, सिंगल विंडो योजना लागू की। क्या हमने यह मान लिया यह एक्ट लाने से पहले कि हमारे पुराने एक्टों के तहत हम राजस्थान में एक वातावरण नहीं दे पाये। माननीय सभापति महोदय, मैं इसके उद्देश्यों और कारणों को पढ़ना चाहता हूं, समस्त आर्थिक सैक्टरों को प्रोत्साहित करने के आशय से, माननीय सभापति महोदय, सदन को आर्डर में लाइए।

श्री सभापति: कृपया आपस में बातचीत न करें।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): समस्त आर्थिक सैक्टरों को प्रोत्साहित करने के आशय से यह अपेक्षित है कि आवश्यक अवसंरचना के उपबंध के साथ-साथ विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों का संगठित विकास किया जाये। इस प्रकार, विनिधान को आकृष्ट करने के लिये ऐसे विशेष विनिधान रीजनों की धारणा विरचित की गयी है, जो वृहत आकार के रीजन होंगे जिनके अन्तर्गत राज्य सरकार, सरकारी एजेंसियों या सरकारी कंपनियों द्वारा अथवा लोक निजी-भागीदारी या निजी भागीदारों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली आवश्यक अवसंरचना और सुख-सुविधाओं के साथ औद्योगिक और अन्य आर्थिक क्रियाकलापों के लिए, राज्य में विस्तृत क्षेत्र समाविष्ट होंगे।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मंत्री महोदय इसमें आपने लिखा है अन्य आर्थिक क्रियाकलाप और अन्य आर्थिक क्रियाकलाप लिखने के बाद आप अध्याय 2 के सैक्शन 5 में लिख रहे हैं विशेष विनिधान रीजन का एक औद्योगिक नगर होना। आपने लिखा है कि विशेष विनिधान रीजन और उसकी परिधि में आने वाला क्षेत्र, किसी गांव और नगरपालिका क्षेत्र की आबादी के विकास के लिए पृथक रखी गयी भूमि सहित, आबादी क्षेत्र को छोड़कर उस तारीख से जिसको यह राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में इस रूप में अधिसूचित किया जाये, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (1) के उपबंधों के अर्थांतर्गत एक औद्योगिक नगर समझा जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, यह जो अनुच्छेद 243थ का उल्लेख किया है जो ग्राम पंचायत के गठन को उल्लेखित करता है, जो नगरपालिका के

(श्री प्रहलाद गुंजल)

गठन को उल्लेखित करता है, अच्छा होता आप अपने उद्देश्यों और कारणों में लिखते कि हम औद्योगिक गतियों के विकास के साथ-साथ ग्रुप हाउसिंग को बढ़ावा देंगे। हम ग्रुप हाउसिंग में निवेश लायेंगे और 2022 में स्लम मुक्त हिन्दुस्तान जो प्रधान मंत्री का सपना है, उसको पूरा करेंगे। यह उद्देश्यों और कारणों में स्पष्ट प्रदर्शित करते तो समझ में आता वरना तो समझ में क्या आ रहा है मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। आपने नगर विकास न्यास को भी इस एक्ट के अधीन कई जगह मर्ज कर दिया। इस एक्ट से तो ऐसा लगता है माननीय सभापति महोदय, अब जो हमारे यूडीएच मिनिस्टर राजपाल सिंह जी हैं, उनका भी काम उद्योग मंत्री करेंगे और जो गांव की राजस्व की जमीन है सिवायचक, उनका भी काम अब उद्योग मंत्रीजी करेंगे। तो मुझे लगता है कि अब राजस्व मंत्रीजी तो हक प्रमाणन मंत्री रह जाये या भूमि पुलिंग का आज कानून आ रहा है इसको पढ़ेंगे। जमीन पुलिंग और हक प्रमाणन, अब जो नगर निगमों के दायरे में आने वाली सिवायचक जमीन और पंचायतों की सीमा के अन्तर्गत आने वाली सिवायचक जमीन, उसका मालिक राजस्व महकमा नहीं होगा, उसका मालिक ग्राम पंचायत नहीं होगी, उसका मालिक यूआईटी, जेडीए, नगर निगम, पालिका, नगर परिषद नहीं होगी, अब उसका मालिक तो उद्योग मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय उसका मालिका बना रहा है प्राधिकरण को।

माननीय सभापति महोदय, मैं परिभाषा से ही बात करना चाहता हूं। परिभाषा का परन्तुक 'परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीख़ें नियत की जा सकेंगी। ऐसे किसी भी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ में किसी भी निर्देश का अर्थ उस उपबंध के प्रवर्त होने के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा'। आप गुजरात का अध्ययन करते। पांच साल पहले 2009 में आया था। क्या डवलपमेंट हुआ? क्या सोशल इम्पैक्ट आए? एक अधिकारियों की टीम भेजते। उनकी एक सर्च रिपोर्ट आती, सर्च रिपोर्ट को आप सदन में रखते। सदन में रखने के बाद माननीय सदस्यों के सामने विचार में लाकर एक सदन की राय बनती कि इतना बड़ा एक्ट आप लाने वाले हैं। पंचायतों की जमीन आप ले लेंगे, आप राजस्व की ले लेंगे, आप नगरपालिकाओं की ले लेंगे।

खण्ड – एक परिभाषा का परन्तुक, माननीय सभापति महोदय इसका मतलब यह हो गया कि आप एक क्षेत्र के लिए प्राधिकरण बनायेंगे, उसका नोटिफिकेशन एक एरिया के हिसाब से कर देंगे। यानी जमीनें ढूंढो – सर्च एण्ड

(श्री प्रहलाद गुंजल)

आपरेशन। यह काम चलता रहेगा। राजस्थान की एक-एक पंचायत के दायरे की सिवाय चक जमीन जब इस अधिनियम के हिसाब से आपके प्राधिकरण इस उद्योग महकमे के पास नहीं आ जाती। परिभाषा का पहला परन्तुक कह रहा है कि आपका सर्च एण्ड आपरेशन कंटीन्यू रहेगा। हम बार-बार एक अधिसूचना एक क्षेत्रीय प्राधिकरण की करेंगे, उसमें सौ पंचायतें आ जायेंगी। फिर दूसरे क्षेत्रीय प्राधिकरण की करेंगे, उसमें चार जिले आ जायेंगे। यानी आपने रेवन्यू मिनस्टर का काम इंडस्ट्री को सौंप दिया। इस एक्ट की मंशा यह कह रही है कि ग्रुप हाउसिंग में जो निवेश आ रहा है वह यू.डी.एच. मंत्रालय से लेकर आपने औद्योगिक मंत्रालय के अधीन कर दिया। आखिर एक एक्ट से तीन-तीन, चार-चार मंत्रालय के कामों को कवर करने का, यह जो ब्यूरोक्रेसी का ड्राफ्ट है। मंत्रीजी, आपने यह कानून पढ़ा है या नहीं पढ़ा या नकल करके लाकर दे दी कि गुजरात में यह एक्ट आया और गुजरात का औद्योगिक वातावरण सुधर गया। मंत्रीजी, एक्टों से औद्योगिक वातावरण सुधरता तो हमारे यहां पर कई एक्ट आ गए होते आप ब्यूरोक्रेसी की मंशा सुधारो, उनकी काम करने की आदत डालो और एक्ट लाने से पहले प्रदेश को एक विशेष प्रकार का औद्योगिक वातावरण दो, हालात नहीं सुधरने वाले।

माननीय सभापति महोदय, मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूं। परिभाषाओं में ही शंका आ गई। खण्ड-3, आपने लिखा है, सामान्य बात है। विशेष विनिधान रीजन की घोषणा, परन्तुक में लिखा है कि जब भी सरकार चाहेगी घोषणा करेगी और वह इसे प्रधान आर्थिक क्रियाकलापों के नाम से जाना जाएगा। उप-धारा (1) के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचनाएं कि हमने विशेष प्राधिकरण दस घोषित कर दिए, पांच घोषित कर दिए। आप सदन में रखेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि सदन में रखने मात्र से उसका अनुमोदन मान लिया जाएगा या इस एक्ट के हिसाब से आपको केवल सदन को सूचित करना है, वो नोटिफाइड हो जाएगी। आप यह भी तो तय कर दो कि वह आपके मंत्रालय के अधीन रहेगा या फिर राजपाल जी के मंत्रालय के अधीन रहेगा?

माननीय सभापति महोदय, मैं खण्ड-5 के अध्याय (दो) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 'विशेष विनिधान रीजन का एक औद्योगिक नगर होना – विशेष विनिधान रीजन और उसकी परिधि में आने वाला क्षेत्र, किसी गांव और नगरपालिका क्षेत्र की आबादी के विकास के लिए पृथक रखी गयी भूमि सहित, आबादी क्षेत्र को छोड़कर, उस तारीख से जिसको

(श्री प्रहलाद गुंजल)

यह राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में इस रूप में अधिसूचित किया जाये, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (1) के उपबंधों के अर्थांतर्गत एक औद्योगिक नगर होगा'।

मैं अध्याय-6 का 27 और अध्याय 14 का 83, दोनों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्याय-6 का 27 क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में भूमि का निहित होना और उसका व्ययन – (1) राजस्थान-भू राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस अधिनियम की धारा 103 में यथा-परिभाषित, किसी विशेष विनिधान रीजन में स्थित भूमि, उक्त धारा के खण्ड (क) के उप-खण्ड (ii) में निर्दिष्ट भूमि और उस अधिनियम की धारा 102 क के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण के व्ययनाधीन रखी गयी नजूल भूमि और आबादी क्षेत्र और किसी गांव की आबादी के विकास के लिए पृथक रखी गयी भूमि और नगरपालिका क्षेत्र, और इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व राज्य विधान-मण्डल के किसी अधिनियम के आधार पर किसी स्थानीय प्राधिकरण में निहित भूमि, को छोड़कर। आबादी भूमि या किसी परपज के लिए रिजर्व रखी गयी भूमियों को छोड़कर सारी की सारी भूमियां इसके अन्तर्गत आयेंगी। अब जयपुर के जे.डी.ए. के अन्दर कोई सिवाय चक भूमि है और वह मास्टर प्लान में है तो आप क्या करेंगे? आपने जो विशेष विनिधान रीजन का गठन किया है, इसमें आने वाली जमीन और मास्टर प्लान में सिवाय चक जमीन जे.डी.ए. के खाते तो हो गई। यह आबादी के प्लान में नहीं है, आर जोन में नहीं है। क्या आप इस एक्ट के तहत जे.डी.ए., यू.आई.टी., निगम, नगरपालिका और परिषद की वो सिवाय चक जमीन, जो मास्टर प्लान की पैराफेरी में उसके अधीन आ रही है लेकिन आर जोन में आबादी के लिए संरक्षित नहीं है, क्या इसमें सारी की सारी कवर कर लेंगे? निश्चित रूप से आप इसका जवाब देंगे और फिर आपने अध्याय 14 के 83 में तो स्पष्ट कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान अध्याय 14 के 83 की ओर चाहूंगा। 'नगर सुधार न्यास, जिसका सम्पूर्ण क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के रूप में घोषित कर दिया गया है, का विघटन'। आप किसी परिस्थिति में तो न्यास को ही मर्ज कर रहे हैं। आप मुझे यह बता दें कि आप जो न्यास को मर्ज कर रहे हैं- 'जहां किसी नगर सुधार न्यास का सम्पूर्ण क्षेत्र धारा 3 के अधीन विशेष विनिधान रीजन घोषित कर दिया गया है, वहां राजस्थान नगर

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35), जिसे इस धारा में आगे 'उक्त अधिनियम' कहा गया है और उदधीन बनाये गये नियमों, विनियमों और उप-विधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन ऐसे विशेष विनिधान रीजन के लिए क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन, जिसे इसमें आगे 'ऐसा गठन' कहा गया है, की तारीख से, – ऐसा नगर सुधार न्यास (जिसे इस धारा में 'न्यास- कहा गया है), जो ऐसे विशेष विनिधान रीजन के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में ऐसे गठन से ठीक पूर्व कार्य कर रहा है, विघटित समझा जाएगा।'

माननीय मंत्री महोदय, मैं ध्यान चाह रहा हूं कि आपने नगर सुधार न्यास एक्ट को खतम कर दिया। आप कल जे.डी.ए. को मर्ज कर दोगे, आप कल ए.डी.ए. को मर्ज कर दोगे, यानी आपकी जो मौजूदा अबरन व्यवस्था कायम है, जे.डी.ए. है, यू.आई.टी. है, विविध प्रकार की न्यास हैं, जो डवलपमेंट की एजेंसियां हैं। आज जे.डी.ए. के डवलपमेंट के काम को लेकर सारे हिन्दुस्तान में चर्चा है। डी.डी.ए. से लेकर, पुणे से लेकर लोग चर्चा करते हैं कि आखिर जे.डी.ए. इतना पैसा कहां से जुटा रहा है? मुझे तो लगा कि राजपाल सिंह जी के अधिकार अब हमारे उद्योग मंत्री गजेंद्र सिंह जी के पास जा रहे हैं। यू.आई.टी. मर्ज होगी, जे.डी.ए. भी मर्ज होगा। लिखा है कि 'यू.आई.टी. का विघटन कर दिया जायेगा' और यू.आई.टी. के कर्मचारी ठीक उसी प्रकार से जैसे न्यास में काम कर रहे थे, उस प्राधिकरण में काम करने लग जाएंगे। उसका भी पूरा पढ़ के नहीं बताता । उसका भी तरीका आपने बता दिया। अच्छा होता मंत्रीजी कि गुजरात की नकल ड्राफ्ट करके सदन में रखने से पहले आप पढ़ लेते ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अक्ल से काम लेते।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): अक्ल से काम की तो मैं नहीं कहता। अक्ल बहुत है मंत्रीजी में, पढ़ा नहीं। पढ़ लेते तो आप इस एक्ट से नगर सुधार न्यास एक्ट को खतम नहीं करते। आप इस एक्ट से जे.डी.ए. एक्ट को खतम नहीं करते। आप लैंड रेवन्यू एक्ट को इससे खतम नहीं करते। आप इससे राजस्थान नगरपालिका अधिनियम का कत्ल नहीं करते। यह इतना बड़ा पावरफुल एक्ट हो गया कि इसने चार-चार, छह-छह एक्टों पर एन्क्रोचमेंट कर लिया, अतिक्रमण कर लिया। राजस्थान के लोग जब इसको पढ़ेंगे, क्या चर्चा करेंगे? न्यास को ही खतम कर रहे हैं। न्यास का एक्ट खतम हो जाएगा, यह

(श्री प्रहलाद गुंजल)

एक्ट पारित होने के बाद कुछ आ गया तो, कोई विधिक प्रक्रिया नहीं। आपने एक सब क्लाज डाल दिया 83 का 'क' 'न्यास विघटित हो जाएगा'। उसके कर्मचारी किस प्रकार से काम करेंगे।

इसलिए इस एक्ट की मंशा, सरकार की मंशा ठीक हो सकती है, निवेश आ रहा है, भूमि उपलब्ध कराएंगे लेकिन इसका आशय यह नहीं है। माननीय सभापति महोदय, आप गांव से आते हो, मास्टर प्लान भी ग्राम पंचायत के क्षेत्र में चल जाता है तो गांव का बाशिंदा जो धारा 91 का जिंदगी भर नोटिस का जुर्माना दे-देकर पेट पालता है वह चिंतित हो जाता है। मेरी रोजी जा रही है, मेरी रोटी जा रही है, मेरा हक जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, यह प्रथा आज की नहीं है। लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का विरोध भी उस समय जिस मानगढ़ की, आदिवासियों की चर्चा करते हैं, अंग्रेजों के जमाने में भी लोगों ने इसका विरोध किया। जलियावाला कांड के बराबर का कांड हुआ। हमारी जमीन जो हमारे पेट पालने का आधार है वह दुनिया का कोई कानून हमसे नहीं छीन सकता। मानगढ घटना इसी के कारण पैदा हुई। आज हम इस एक्ट से चार एक्ट को खतम कर रहे है। लोगों के हक-अधिकारों पर एक सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसीलिए माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे विनम्र आग्रह करना चाहूंगा कि आपने न्यास भी खतम कर दिया।

बोर्ड की स्थापना अध्याय 3 के 7 में जाना चाहता हूं। उसके साथ, बोर्ड गठित करेंगे, फिर मैं जाना चाहता हूं 4 के 9 में, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण गठित करेंगे। फिर मैं आपका ध्यान अध्याय 14 के 75 में लाना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय, अध्याय 14 का 75 अध्याय 3 के साथ में बोर्ड की स्थापना की है। बोर्ड की संरचना होगी। एक अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, सदस्य, सचिव सहित 12 से अनधिक सदस्य होंगे, सरकारी, गैर सरकारी, सरकार इनको नोमिनेट करेगी। गणपूर्ति से लेकर जो भी इसकी शक्तियां वगैरह हैं इसमें ताकतवर बोर्ड को बनाया है, मैं उसमें चर्चा नहीं करना चाहता। जब सरकार कोई एक्ट लाती है तो उस एक्ट को प्रभावी बनाती है। फिर आप आ जाइये अध्याय 4 का 9 क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-

राज्य सरकार का दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरीडोर विभाग का प्रभारी मंत्री, क्या आप एक स्पेशल मंत्रालय बनाएंगे? क्या इसके लिए एक स्पेशल मंत्रालय बनाएंगे जो क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा। विशेष विनिधान रीजन में सदस्य सम्मिलित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले समस्त

(श्री प्रहलाद गुंजल)
लोकसभा, राजस्थान विधान सभा के सदस्य। राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित सदस्य, तेरह से अनधिक संख्या में होंगे, सरकारी, गैर सरकारी। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया सदस्य सचिव जाने वाला मुख्य कार्यपालक अधिकारी। अब आप 14 के 75 में आ जाइये।

माननीय सभापति महोदय, मेरे कहने का आशय यह है, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य और राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं अगर कहीं पढ़ने में त्रुटि कर रहा हूं तो मेरा मार्गदर्शन कर देंगे। अध्याय 14 का 75, राज्य का समर्थन, कोई क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, विशेष विनिधान रीजन में किसी आर्थिक क्रियाकलाप के लिए या किसी अवसंरचना के लिए राज्य सरकार की विद्यमान नीति के अनुसार राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों द्वारा उसका परीक्षण कराने के पश्चात बोर्ड के अनुमोदन के लिए कस्टमाइज्ड पैकेज प्रस्तावित कर सकती है बोर्ड से अनुमोदन कराने के लिए। मैं यहां जो कहना चाह रहा हूं कि बोर्ड का मतलब विशेष क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण से सुपरबाडी। जब बोर्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण से सुपरबाडी है तो क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का चेयरमैन तो होगा मंत्री और बोर्ड का चेयरमैन होगा गैर सरकारी नोमिनी सदस्य। फिर तो आप एक सर्कुलर ले आओ, हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन के अधीन यूडीएच मंत्री को काम करना पड़ेगा। यह जो विसंगतियां कानून ने खड़ी कर दीं, कल लोग कहेंगे कि बोर्ड सुपरबाडी है, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण बोर्ड के सुपरवीजन में काम करने वाली बाडी है। धारा 75 इस बात का उल्लेख कर रहा है कि क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण बोर्ड को कस्टमाइज्ड पैकेज के लिए जो भी उसकी संरचना होगी, उसकी रिकमण्डेशन करेगी। यानी मंत्रीजी, आप रिकमण्ड करेंगे। हम तो यही मान लेते हैं कि प्रभारी मंत्री आप होंगे और बोर्ड का चेयरमैन होगा वह गैर सरकारी सदस्य, आप अपनी योजनाओं को उसको रिकमण्ड करना। यह जो नकला, नकली में एक्ट लेकर आ गए, जरूरी होता कि इसको संशोधित करते, ठीक तरीके से या तो बोर्ड का अध्यक्ष विभाग का, इण्डस्ट्री का मिनिस्टर होता, उसके अधीन क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण काम करती। अब प्राधिकरण का अध्यक्ष बना दिया मंत्री को। एक मंत्रालय और लाओ या उद्योग मंत्री को ही उसका मंत्री मान लिया जाए, उसी के अधीन एक सब विभाग हो जाएगा, दिल्ली मुम्बई कोरिडोर जो भी है। इसलिए अच्छा होता कि आप इसमें बहुत गम्भीरता पूर्वक विचार करते और सुधार करते।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं इस पर बिलकुल बिंदुवार बात कर रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): रोक सकते हैं क्या?

श्री सभापति: मैं रोक कहां रहा हूं, मैं तो चेता रहा हूं इनको। विपक्ष वाले इनकी चिंता कर रहे हैं मुझे बहुत खुशी है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अच्छा लगेगा...

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): यह आपकी सीट नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): इन्होंने संबोधित किया, अगर आप कहते हैं तो मैं यहां आ जाता हूं। चूंकि मैंने कोई अमेंडमेंट नहीं दिया है इसलिए नहीं, लेकिन यह बहुत अच्छा बोल रहे हैं। सरकार को आगाह कर रहे हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे। इसलिए कृपया आप अपना समय लीजिए साहब। हम लोग तो आपसे कुछ सीख रहे हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): यह तो मेरे लिए मुझे शर्मिंदा करने वाली बात है। हम लोग तो जब आप बोलते हैं तो बिलकुल ऐसा सुनते हैं कि एक-एक शब्द हमारे लिए सीखने का होता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। प्लीज, आप गलत नहीं समझें।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): नहीं, डिस्टर्ब की नहीं कह रहा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप गलत नहीं समझें, डिस्टर्ब नहीं कर रहा।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): आप मेरे जैसे छोटे सदस्य की ज्यादा तारीफ नहीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं आपसे प्रभावित हूं, मैं सही कह रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य तो यह कह चुके कि कोई दिक्कत, कोई गलती हो जाए तो आप इनको बताएं। यह शुरू में ही बोले हैं आपका नाम लेकर। उन्होंने करेक्ट करने के लिए कहा।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): अध्याय 5 में मास्टर विकास योजना।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

इस पर मुझे कोई ज्यादा नहीं कहना। यह जो आपने कहा है 18 में, मास्टर विकास योजना का पुनरीक्षण। क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण , मास्टर विकास योजना के प्रचलन में आने की तारीख से दस वर्ष में कम से कम एक बार, यदि आवश्यक हो तो, नया सर्वेक्षण करने और अपनी अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र का विद्यमान भू उपयोग का नक्शा तैयार करने के पश्चात मास्टर विकास योजना को या तो पूर्णत: या भागत: पृथक रूप से पुनरीक्षित करेगा और किसी भी समय राज्य सरकार द्वारा ऐसा निर्देश दिया जाए तब पुनरीक्षित करेगा, और धारा 11 से 16 तक के उपबंध, जहां तक लागू किये जा सके, मास्टर विकास योजना के ऐसे पुनरीक्षण के सम्बन्ध में लागू होगी। इसमें संशोधन के बाबत भी प्रावधान रखे जाने चाहिए कि पुनरीक्षण के समय अगर कमियां-खामियां आईं, मास्टर विकास योजना में एक पैरा और जोड़ देते कि हम पुनरीक्षण के बाद आवश्यक संशोधन इस एक्ट के तहत उस योजना में कर सकते हैं, तो ज्यादा अच्छा होता। आप पुनरीक्षण करेंगे। पुनरीक्षण करने के बाद उसका परिणाम क्या होगा इसका कहीं उल्लेख नहीं है। उसका परिणाम लाने के लिए आप कोई संशोधन की नीति विहित करते तो मैं समझता हूं कि जरूर कोई न कोई सकारात्मक परिणाम आता।

माननीय सभापति महोदय, मैंने अध्याय 6 का 27 डिटेल से पढ़कर बताया है। सारी जमीनों पर एक तरह से इस अध्याय के माध्यम से इस बोर्ड का नियंत्रण हो गया। सारे एक्टों पर प्रभावी हो गया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान अब अध्याय 7 के खण्ड 30 की ओर करना चाहता हूं। अवसंरचना परियोजनाओं का जिम्मा लेने की रीति, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, किसी अवसंरचना परियोजना की पहचान कर सकेगा या उसकी संकल्पना कर सकेगा और आवश्यक अध्ययन और मूल्यांकन के पश्चात, ऐसी अवसंरचना परियोजना को सीधे अपने स्वयं के संसाधनों के माध्यम से कार्यान्वित कर सकेगा या लोक निजी भागीदारी के माध्यम से इसका जिम्मा ले सकेगा। यह प्राधिकरण, यह बोर्ड अपने स्तर पर निवेश के बाद कोई भी योजना को लागू करने की बात तय करेंगे।

परन्तु जहां परियोजना लागत 250 करोड़ रुपये से अधिक परिकल्पित हो, वहां अवसंरचना परियोजना का जिम्मा राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए लिया जायेगा।'

(श्री प्रहलाद गुंजल)

मैं समझता हूं अभी हमारा औद्योगिक वातावरण किस प्रकार का है। आप एक सर्वे करवाकर लाते, नया एक्ट लाने से पहले। मैं अगर कोटा की बात करूं तो 60 और 70 के दशक में जितने कारखाने लगे, आज उसमें से 60-70 प्रतिशत कारखाने बंद हैं। क्या बंद पड़े कारखानों को सुचारु रूप से चालू करने के बारे में कोई नीति लाते और उनको चालू करने के बजाय, नीति लाने के बजाय पिछले सदन में एक एक्ट लेकर आये। मैंने उस एक्ट की मंशा पर भी सवाल किये थे कि नगरीय सीमा के अन्दर आने वाला कोई भी औद्योगिक क्षेत्र, जिसमे कोई भी गतिविधि संचालित होती थी, बंद हो गई, उसे एक बार उस क्षेत्र का मालिक सरकार को सरेंडर करेगा और उसके बाद आगे वह 90-बी की कार्यवाही की प्रक्रिया में आ जायेगा। यानी जो इंडस्ट्रीज के बंद पड़े भूखण्ड राजस्थान के जिलों की, नगरपालिका, निगम, जे.डी.ए. और परिषदों की सीमा के अन्दर आ गये उन्हें तो बैक-डोर से, पिछली बार जो एक्ट आया उसमें आपने लैण्ड कन्वर्जन की छूट का प्रोविजन रख दिया। नया फिर क्या लाना चाहते हैं। हम विचार करते, तय करते कि राजस्थान में अब तक इण्डस्ट्रीज विकास के जो प्रयास हुए हैं, हमने कितने रीको इण्डस्ट्रीज एरिया का डवलपमेंट किया है, कितने उद्योग हमने राजस्थान में स्थापित कर दिये हैं और हमारी इंस्पैक्टर राज की नीतियों के कारण कितने उद्योग प्रभावित हुए, कितने बंद हो गये, कितने राजस्थान से पलायन कर गये और कितनों ने राजस्थान में आने का आवेदन करने के बाद हमारी प्रशासनिक नीतियों का शिकार होकर, यहां आने का मन ही बदल दिया। एक लम्बा-चौड़ा नोट तो लेकर आ जाते, 20-30 साल का। फिर जब 20-30 सालों का नोट आ जाता तो हमको पता चल जाता कि आखिर हम कौनसा कल्याण कर देंगे इसे लाकर। तूफान तो नहीं मचने वाला। तूफान जो मचने वाला है, सभापति महोदय, मैं कोटा से आता हूं। 35 गांव नगर-निगम में शामिल हो गये। नान्ता से लेकर, बड़गांव से लेकर, बोरखेड़ा-मानपुरा से, आप एम.पी. रहे हैं वहां, 4-4, 5-5 पीढ़ियां, नयाखेड़ा, नान्ता 2-2 बीघा जमीन पर सब्जियां पैदा करके परिवार को पालती थीं, आज वहां धारा 91 में यू.आई.टी. और निगम के खाते चले जाने के कारण आजीविका का संकट आ गया। अब इस कानून से तो राजस्थान की एक इंच जमीन नहीं बचेगी जो इस प्राधिकरण के अधीन नहीं आ जायेगी, एक इंच जमीन। कौनसा कानून ला रहे हैं। फिर हमको लगेगा यह अव्यावहारिक है, राजस्थान में इसका विरोध हो रहा है, पंचायतों की जमीन,

(श्री प्रहलाद गुंजल)

इसमें राजस्व की जमीन चली गई, पालिकाओं की जमीन चली गई, फिर इसमें कोई अमेंडमेंट लायेंगे, नया एक्ट लायेंगे इसलिये इसको पढ़कर लाते, विचार करके लाते, सदन की समिति बनाते, वरिष्ठ लोगों को शामिल करते, जिनका अपना एक तजुर्बा है, अनुभव है। उसके बाद लाते तो मैं समझता हूं निश्चित रूप से सारा सदन और सारा राजस्थान इस बिल की प्रशंसा करता और इस 250 करोड़ की जगह, जिन लोगों की नीतियों के कारण, छोटे-छोटे उद्योग पलायन कर रहे हैं, आप अच्छा होता, बना रहे हो तो तय करो कि 250 की जगह, 100 करोड़ तक के बाद जो भी उद्योग लगें, राज्य सरकार की अभिशंसा से लगें, राज्य सरकार उसका मूल्यांकन करें, वेरिफिकेशन करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, धारा 31, रियायत करार। रियायत करार में इन्होंने 4 खण्ड दिये हैं। खण्ड 3 में लिखा है, 'रियायत करार के अधीन प्रदत्त कोई रियायत, तीस वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए होगी जिसके पश्चात् रियायतग्राही के समस्त अधिकार और हित क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को अंतरित हो जायेंगे:

परन्तु यदि क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का रियायतग्राही के कार्य से समाधान हो जाता है तो रियायत करार, का विस्तार क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विनियमों में अधिकथित की जायें, पंद्रह वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।'

यानी, आप जो जमीन का करार किसी उद्योगपति से कर रहे हैं, चाहे आप ग्रुप हाउसिंग के लिये कर रहे हैं या इण्डस्ट्री लगाने के लिये कर रहे हैं, पहले तो आप 30 साल का एग्रीमेंट करेंगे। फिर 30 साल बाद, जब आप एक उसकी रिपोर्ट लेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे तो 15 साल के लिये बढ़ा देंगे। मैं आज यह जानना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, कि 45 साल का प्रोविजन आपने कर दिया। 45 साल बाद इस एक्ट में संशोधन लाएंगे क्या, या 45 साल बाद शक्ति के साथ वह जमीन का मालिक सरकार होगी, जो भी आपका पार्टनर होगा, निजी सहभागिता के आधार पर, वह उससे बेदखल कर दिया जायेगा। प्रावधान होने चाहिये, माननीय सभापति महोदय, एक एक्ट लेकर आये पिछली बार। मैं सदन का ध्यान चाहूंगा। किसानों की जमीन पर सोलर ऊर्जा निवेश का किरायेदारी कानून। 20 साल के लिये किसान किराये पर दे सकता है। माननीय सभापति महोदय, एक पांच सौ रुपये महीने का किराये का

(श्री प्रहलाद गुंजल)

कमरा लेकर रहने वाला व्यक्ति 20-20 सालों तक मकान खाली नहीं करता। जो किसान की 20 बीघा जमीन पर 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ का सोलर ऊर्जा प्लाण्ट लेकर आयेगा और 20 साल की करार अवधि के खतम होने के बाद वह उसको खाली कर देगा। क्या गारण्टी है, उस वक्त भी उस एक्ट में कोई प्रावधान नहीं रखे थे। हमने कहा था कि आप प्रावधान रखो इसके। क्यों नहीं रख रहे इसके प्रावधान आप? 20 साल बाद क्या उसका बाजार मूल्य तय होकर वह जो भी उसमें उद्योग स्थापित कर रहा है वह उस किसान को कीमत चुकाएगा या उसको बेदखल कर दिया जायेगा। कानून में कहीं क्लाज नहीं इसलिये माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, यह जो रियायत करार है, इसमें आप एक क्लाज और डालिये 45 साल बाद बाजारू दर से सम्पूर्ण मूल्य उस रियायत वाले व्यक्ति से वसूला जायेगा या उसको बेदखली की जायेगी या एक्ट में अमेंडमेंट लाया जायेगा। या कौनसा तरीका होगा, 45 साल की लिमिट तय करने का मतलब क्या है। हमारे तो यह आशय समझ में नहीं आया। 45 साल बाद इस सदन में चर्चा करने वाले लोग कितने होंगे जो उस समय इसको देख लेंगे, जांच लेंगे इसलिये रियायतें दीं आपने 12, अनुसूची में, 12 रियायतें। मैं 12 रियायतों को पढ़ूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। उन 12 रियायतों को देने के बाद, एग्रीमेंट के बाद क्या उसकी एनुअल आडिटिंग सी.ए.जी.-कैग से या किसी स्वतंत्र निकाय से कराने का कोई प्रावधान किया है। कितना निवेश हुआ, किस-किस रूप में हुआ। कितना लाभ मिल रहा है। उसकी आडिटिंग की इस एक्ट में कहीं व्यवस्था नहीं है। इस एक्ट में तो व्यवस्था है, राजपाल सिंहजी के सारे के सारे अधिकार गजेंन्द्र सिंहजी के पास, अमरा रामजी के सारे के सारे अधिकार गजेंन्द्र सिंहजी के पास, इस एक्ट ने आपके न्यास एक्ट का अतिक्रमण कर लिया। इस एक्ट ने आपके जे.डी.ए. एक्ट का, म्युनिस्पल एक्ट का, पंचायत एक्ट का, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का, 5-5 एक्ट्स का अतिक्रमण, अतिचार कर लिया और अब यह राजस्थान का कल्याण करेगा। अच्छा हो कि यह कल्याण ही करे। हम सब यह उम्मीद करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, इसके आगे आपने कुछ क्लाज दिये हैं। अपराध अभियोजन के दिये हैं, भूमि-भवन अतिक्रमण के दिये हैं।

एक आपने दिया है, अध्याय दस में। सैक्शन 46, माननीय मंत्री महोदय, मैं केवल जानना चाहता हूं, शंका के लिये, 'विशेष विनिधान रीजन में

(श्री प्रहलाद गुंजल)

अप्राधिकृत विकास या संनिर्माण को रोकने की शक्ति:- (1) जहां किसी विशेष विनिधान रीजन में किसी भूमि पर कोई अप्राधिकृत विकास या संनिर्माण किया जा रहा हो किन्तु जो पूर्ण न हुआ हो,'... काम तो हो रहा है, पूरा नहीं हुआ, वहां क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण किस-किस को रोकेगा, स्वामी और विकास, स्वामी और विकास, क्यों भाई, मैं मालिक हूं, मैं मकान बना रहा हूं, आपने वहां पर विशेष प्राधिकरण का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क्या मेरे अधिकारों को खतम कर देगा।

यह सारी चीज लाने के पहले हम सबकी जवाबदेही कानून बनाने की नहीं, कानून बनाकर राजस्थान की 7 करोड़ जनता के हक-अधिकार को सुरक्षित करके एक निवेश और रोजगार का वातावरण देने के लिये है, कोई कड़ाई के साथ लोगों के अधिकारों का कत्ल करने के लिये नहीं।

जो राजस्थान के पचासों सालों से मौजूदा एक्ट है, लैंड रेवेन्यू एक्ट, म्यूनिसिपल एक्ट, न्यास एक्ट, जे.डी.ए. एक्ट, पंचायती राज एक्ट, सेंट्रल का एक्ट है पंचायती राज, इन सारे एक्टों का अतिचार करने का एक्ट नहीं बनना चाहिए और इसीलिए यह स्वामी और विकास या संनिर्माण करने वाले व्यक्ति पर, एक नोटिस, नोटिस की तामील की तारीख से भूमि के विकास या संनिर्माण को रोकने की अपेक्षा करते हुए, तामील करेगा और प्रक्रिया तय कर दी। प्रवेश की शक्ति होगी या प्राधिकृत रूप से उसको रोकने की, तोड़ने की, माननीय सभापति महोदय, आप किसी के मालिकाना हक को नहीं तोड़ सकते। आप क्लाज डाल देते कि नोटिफाइड एरिये में किसी के स्वामित्व की भूमि है तो एक विधिक प्रक्रिया से हम उसका अर्जन करने के प्रयास करेंगे, तौर-तरीके हैं, लैंड रेवेन्यू एक्ट में भी इसके प्रोविजन है। म्यूनिसिपल एक्ट में भी उसके अपने तौर-तरीके हैं कि किसी की स्वामित्वाधीन जमीन को, आप तो रोक ही देंगे उसको। यह तो कानून नहीं है, एक ऐसा डंडा है जो उठाया और टक किसी के भी माथे पर मार दो, नहीं करेगा काम। आप विधिक उपचार उसको प्रदान करके, जिसको आपने स्वामी मान लिया, मालिक मान लिया, अच्छा होता कि उसकी ग्रिवेंसेज सुनकर, विधिक परफोर्मा में कोई काम करने का क्लाज इसमें डालते तो हम समझते कि एक अच्छा विधेयक पारित कर रहे हैं।

विधेयक अच्छा है, मैं आपत्ति नहीं कर रहा लेकिन, उसकी मंशा और उसके जो क्लाज हैं, वह कम से कम राजस्थान के समझ में आए, ऐसा लाते,

(श्री प्रहलाद गुंजल)

नकल नहीं करते गुजरात की और इसीलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं विधेयक के अध्याय-13, 11 और 12 में जो नियम है, वह सामान्यत: सरकार कोई एक्ट लाती है, लेखा परीक्षा व प्राधिकरण को उधार लेने की शर्तें वगैरह, बजट जो है। अपील अधिकरण, यह विधायिका, माननीय सभापति महोदय, यह एक्ट, जब तक यह सदन इसको वापस डिमालिश नहीं करेगा, तब तक हजार साल तक चलेगा। यह सही बनेगा तो लोग हमको साधुवाद देंगे और गलत बनेगा तो आने वाली पीढ़ियां हमको कोसेंगी। व्यापक चर्चा होनी चाहिए और इसीलिए मैं अपनी बात नियमों के दायरे में और बिलकुल सीमा में कर रहा हूं।

मैं अध्याय-13 में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: संक्षिप्त करें, माननीय सदस्य, कई माननीय सदस्यों को अभी बोलना है। आज तीन विधेयक हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): अपील प्राधिकरण। अपील प्राधिकरण का गठन अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य, आप इतनी असीमित शक्तियां इस प्राधिकरण को दे रहे हैं और अध्यक्ष किसको बनाएंगे यह डिफाइन ही नहीं है। आप क्लाज डालिए कि राजस्थान हायर जुडिशियल सर्विसेज का व्यक्ति अगर कहीं न कोई इर्रेगुलरिटी होती है तो इस प्राधिकरण का अध्यक्ष हायर जुडिशियल सर्विसेज का व्यक्ति होगा। भरोसा रहे लोगों को कि मुझे एक जगह जाकर तो न्याय मिल जाएगा। प्राधिकरण में भी असीमित शक्तियां एक्ट में देने के बाद आप किसी को अध्यक्ष बना दोगे जो आपके दायरे में काम करेगा। मैं समझता हूं जो व्यावहारिक दृष्टि से और इसका खण्ड-67 की उप धारा-2 के अनुसार मैं समझता हूं कि अपील प्राधिकरण आप ठीक तरीके से बनाते तो अच्छा होता, लोगों को न्याय की उम्मीद रहती।

14 में नियम बनाने की शक्तियां, मैं दो और बातों पर ध्यान आकर्षित करके, शक्तियों के बारे में चर्चा मैं ज्यादा नहीं करूंगा, सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन, कोई भी एक सिविल न्यायालय किसी भी मामले का संज्ञान नहीं लेगा। क्या है, माननीय सभापति महोदय? एक तो इस एक्ट में आप इतना पावरफुल बना रहे हैं, विकास प्राधिकरण को और व्यक्ति इसके खिलाफ अगर सिविल कोर्ट में जाएंगे तो अपीलीय प्रावधानों को, आप उसके हक-अधिकार को समाप्त कर रहे हो और इसलिए मैं समझता हूं कि अच्छा

(श्री प्रहलाद गुंजल)

होता कि अगर हम इसमें प्राधिकरण के अध्यक्ष को भी हायर जुडिशियल सर्विसेज से रखते और अपील का प्रोविजन निश्चित रूप से इसमें किया जाता, इन सारे प्रावधानों पर विचार करते तो अच्छा होता।

गुजरात की नकल नहीं मारते और लाने से पहले एक आत्मचिंतन होता, राजस्थान का तो मुझे पता नहीं कोटा तो देश का कानपुर कहलाता था, औद्योगिक राजधानी राजस्थान की। हमने वहां के कड़े अनुभव देखे। जे.के., प्रताप, प्रभात स्टील, गोपाल मिल, आपकी लोक सभा में भी रहे हैं, बड़े-बड़े कारखाने, ओरिएंटल पावर-केबल्स, राजस्थान मिल और गत्ता फैक्ट्री से लेकर न जाने कितनी बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां बंद होते और रोजगार को मरते हुए हमने आंखों से देखा है। उस बारे में आत्मचिंतन करते। नीतियों का पुनरीक्षण करते और पुनर्विचार करके फिर इस एक्ट में कोई न कोई ऐसी योजना समाहित करते जिससे एक औद्योगिक निवेश का वातावरण और रोजगार के अवसर राजस्थान में खड़े होते तो मैं समझता हूं कि एक अच्छा प्रयास होता।

फिर भी मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे उद्योग मंत्रीजी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। उद्योग के क्षेत्र में उनकी बड़ी समझ है। उन्होंने निश्चित रूप से इस विचार के साथ इस बिल को सदन में रखा होगा कि राजस्थान के कल्याण के लिए, औद्योगिक विकास के लिए और ग्रुप हाउसिंग में जे.डी.ए. और अन्य संस्थाएं जो असफल रह गयी हैं, यू.आई.टीज. वगैरह, आप शहरों का विकास कराने में कहीं न कहीं कमी-खामी रह गयी है इसलिए यह क्राइटेरिया भी वह इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास ले रहे हैं तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में अब तो विकास की गंगा बह जाएगी।

मैं इसी बात के साथ धन्यवाद देते हुए मैंने जो जनमत जानने का प्रस्ताव दिया है, मैं उसको वापस लेने की अनुमति चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: डा. फूलचन्द भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, स्पेशल इंवेस्टमेंट जोन एक्ट, 2016 के नाम से यह विधेयक लाया गया है। इंवेस्टमेंट टीचिंग के नाते मेरा 28 वर्ष तक वास्ता रहा है फिर भी मैं यह न पढ़ा पाया और न पढ़ पाया कि रियायतें देने से इंवेस्टमेंट ज्यादा आता है।

मैं एक उदाहरण आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि आप भी चित्तौड़

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

से आते हैं। चित्तौड़ से दिल्ली तक जो ढाबे बने हुए हैं, वह एक भी ढाबा वाले ने कभी रियायती दर पर जमीन नहीं ली और न रियायती दर पर लोन लिया और न और कोई टैक्स की सुविधा ली लेकिन सब करोड़पति हैं।

इंवेस्टमेंट प्रेरणा से आता है तब उसका रिजल्ट आता है और वह लम्बे समय तक बना रहता है। इसके माध्यम से हमने अच्छा प्रयास किया है। सारे विश्व को आकर्षित करने का हमने प्रयास किया था अभी कुछ दिनों पहले और उसी को अमली जामा पहनाने के लिए इस एक्ट को सरकार लायी है। अच्छा प्रयास है लेकिन इसके जो प्रावधान हैं, इसमें रियायतों को कानूनी जामा पहनाया गया है। इसमें इंवेस्टमेंट हर हालत में आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं की गयी है। इंवेस्टमेंट किस तरीके से आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं की गयी। वैसे तो अर्थशास्त्र की भाषा, इकोनोमिक्स और इंवेस्टमेंट में ज्यादा कोई अंतर नहीं, वह उसका अंग है। कुछ दिनों पहले हम इकोनोमिक जोन सेज लाए थे, यह इंवेस्टमेंट जोन है। इकोनोमिक्स बड़ा शब्द है और इंवेस्टमेंट उसका छोटा शब्द है। उसके परिणाम हमारे सामने है। दिल्ली से जयपुर के बीच में, वह भी नजदीक, उधर दिल्ली के नजदीक है, छह नए इंडस्ट्रियल एरिया हैं नीमराना के आस-पास। एक तो हंड्रेड परसेंट खाली है और एक 80 परसेंट खाली है, एक 60 परसेंट खाली है, एक 50 परसेंट खाली है। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): बहुत गहरा चिंतन हो रहा है।

श्री सभापति: थोड़ा धीरे बोलें। माननीय सदस्य बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, शांति से आप सुनें। आप गहरा चिंतन धीरे करें।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): जब दिल्ली से नजदीक है, दिल्ली की फैक्ट्री को शिफ्ट करने के लिए भी दबाव था, उसके बावजूद भी हमने छह-छह इंडस्ट्रियल एरिया काटे। विशेष प्रयास से काटे। किसानों की जमीन ली और जमीन के कारण से पूरा राजस्थान पीड़ित हो गया। गुड़गांव में दस साल पहले चार लाख का भाव था, एकदम चालीस लाख हुआ, चार करोड़ हुआ और अब राजस्थान में भी चार करोड़ की जमीनों के भाव हो गये और उसी में इंडस्ट्रियल एरिया हमने काटे हैं लेकिन उसमें हंड्रेड परसेंट खाली, गिगलाना का भी हंड्रेड परसेंट खाली है, नीमराना का पचास परसेंट खाली है तो फिर यह एक्ट हम, दिल्ली के नजदीक चाहते हैं लोग। सबसे बड़ा हवाई-अड्डा वहां पर नजदीक है। एक और हवाई-अड्डा हम बना रहे हैं, अलवर की सीमा में तो फिर

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

बाकी पूरे राजस्थान के बारे में और अभी हमने एक कोरिडोर की बात की दिल्ली से बाम्बे तक, उसमें भी मैंने पिछले सदन में यह कहा था कि उसमें जोधपुर में जाकर फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, बीच में नागौर, सीकर, जयपुर जिला बाकी है, वहां पर उसको टच ही नहीं किया गया, कोई प्लान ही नहीं बनाया गया। अभी भी मैं कह रहा हूं कि इसमें जो हमने सारी रियायतें दी हैं, उसमें उपजाऊ भूमि का उपयोग करेंगे या बारानी भूमि का उपयोग करेंगे या बंजर भूमि का उपयोग करेंगे, ऐसा कोई है ही नहीं इसमें।

कौनसी फैक्ट्री है जो बिना पानी के आयेगी और सब पानी वाली जमीन चाहते हैं। राजस्थान में पानी तो एक परसेंट ही है, फिर बचा हुआ पानी भी वह इन्वेस्टमेंट जोन के नाम से चला जाएगा। मैं उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि अब तक टैक्स रिबेट होती थी मैक्सिमम दस साल की। इसमें तो 30 साल और फिर 45 साल की रियायत दे रहे हैं। तब तक तो दो पीढ़ी बदल जाएंगी। क्या होगा तब? इस स्टेट की जो वैल्थ है, वैल्थ मानता हूं मैं जमीन को, वह वैल्थ कुछ लोगों के हाथ में चली जाएगी और फिर वापस लेने का भी है, आप वापस लेंगे। उसमें पैसा होगा क्या? रीको तो आज इस समय में दिवालिया है। रीको ने जगह-जगह जमीन खरीदी, लेकिन बिकी नहीं, इसी कारण से घाटा हुआ है। रीको कोई प्रोपर्टी में नहीं आया, कमाई नहीं कर रहा। जेडीए प्रोपर्टी में क्यों है और रीको घाटे में क्यों है? जमीन तो रीको के पास ज्यादा है लेकिन जमीन बिक नहीं रही है।

पहली बार 1977 में सत्ता परिवर्तन हुआ तब जीरो डिस्ट्रिक्ट का कान्सेप्ट आया और उसके बाद में अदर दैन डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर का कान्सेप्ट 1977 में आया, उसके कारण से इंडस्ट्रियल लगे भी, लेकिन आज उनका मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। वास्तव में अभी कोटा से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे, मूल्यांकन तो होना ही चाहिये और मूल्यांकन के बाद भी हमारी प्लानिंग दीर्घकालीन सोच के आधार पर होनी चाहिये। हमारे टाटा गये थे विदेश में, इंग्लैण्ड में, दुनिया में सबसे पहले जहां औद्योगीकरण हुआ, वहां गये थे। वहां भी स्टील की डिमांड कम हो गयी क्या? उनको भी लौटना पड़ रहा है और फिर जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, हमने घोषणा भी की है और उस ओर हम बढ़ भी रहे हैं, 15 लाख लोगों को रोजगार देंगे। यह इन्वेस्टमेंट के बिना नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट आवश्यक है। इन्वेस्टमेंट को इंसेन्टिव देना भी आवश्यक है, लेकिन आटोनोमस जो इन्वेस्टमेंट है, वह

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

महत्वपूर्ण है। इसमें आटोनोमस इन्वेस्टमेंट नहीं है। स्वत: जो इन्वेस्टमेंट हो तो वह तो आदमी मनमर्जी से करता है लेकिन उसका जो प्रतिफल है, अभी बिजली कम्पनियां बनायी थीं, रेट आफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट की बात मैं कर रहा हू, बिजली कम्पनियों को हमने 80 हजार करोड़ रुपये दे दिये कर्जा ले-लेकर और उसकी डेट आफ रिटर्न क्या है? 0.10 यानी 10 पैसे, 100 रुपये पर 10 पैसे और ब्याज लग रहा है 7 रुपये 70 पैसे, यह इन्वेस्टमेंट निहाल करने वाला नहीं होता है। आज हम अगली पीढ़ी के लिये ला रहे हैं, ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिये। यह आवश्यक है कि आगे रोजगार क्रिएट होगा।

विश्व के सारे अर्थशास्त्री कह चुके एग्रीकल्चर के बिना री-एम्प्लायमेंट नहीं हो सकता। एम्प्लायमेंट की जो बढ़ने की रेट है, वह एग्रीकल्चर के अलावा किसी में नहीं है। चाहे कोई सी फैक्ट्री ले आओ और अब तो आधुनिक युग में तो आटोमैटिक मशीनें आ रही हैं तो रोजगार का दृष्टिकोण, रोजगार का कान्सेप्ट तो बचा ही नहीं है। अब इस एक्ट में तो 12 प्रकार की रियायतों का विवरण है और उन रियायतों में तो पट्टे से लेकर, जमीन से लेकर निर्माण तक के सारे पट्टे हैं, 12 प्रकार के करार हैं। अब 12 प्रकार के करार में तो कोई करार बचा ही नहीं है। प्रबन्ध का करार भी है इसमें। जब इतने करार के बाद में हम सारी रियायतें उनको दे रहे हैं तो अगली पीढ़ी इससे क्या प्राप्त करेगी? जमीन खोने के अलावा कुछ नहीं है। इसमें यह प्रावधान डाल देते कि उसमें हमारे उद्देश्यों के अनुसार अगर जोन नहीं चला तो वह जमीन किसानों को वापस लौटाएंगे, इसका यह एक प्रावधान तो डालना चाहिये था। यह तो बहुत आवश्यक है। जिसने खोया, उसकी आंखों के सामने खोये जाओ और वह बैठा-बैठा टुकुर-टुकुर देखता रहेगा और वह वीरान पड़ी रहेगी, उसके बाद केवल बेचने की स्थिति रहेगी, क्योंकि जो पिछली सरकार ने किया था कि आपने जो इंडस्ट्रियल एरिया 1977 में काटे थे जनता पार्टी ने, उनको दुकान बना लो, चाहे जो कर लो। ऐसा एक्ट ले आये तो वह भी सोचेगा, लेकिन उसकी आत्मा रोती रहेगी। उस किसान की आत्मा रोती रहेगी कि मेरी आंखों के सामने मेरे हाथों से जमीन ले ली और यह वीरान पड़ी है। इसमें फसल पैदा नहीं हुई, मुझे रोजगार नहीं मिला, मेरी पीढ़ी को रोजगार नहीं मिला। मुझे इससे कोई लाभ नहीं मिला, नई चीज पैदा नहीं हुई, सस्ती चीज पैदा नहीं हुई। इनके लिये तो इन्वेस्टमेंट लाते हैं हम। जब इतनी चीज होगी तब वो क्या कहेगा? 45 साल बाद भी उस समय क्या स्थितियां बनेंगी? इस कारण से वास्तव में मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं इसमें कोई तीसों प्रकार के रूल्स बनेंगे।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

मानलीय सभापति महोदय, मैं उद्योग मंत्रीजी से कहना चाहता हूं रूल्स बनाते समय आप ध्यान रखें हमने सारी दुनिया को विकसित किया है, राजस्थान के उद्योगपतियों ने सारी दुनिया में इन्वेस्टमेंट किया है। यह साबित किया है। यह एफिशिएंसी साबित की है। इसलिये आप रूल्स बनाते समय ध्यान रखें कि यहां का आदमी कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, किस प्रकार से वह रहना चाहता है, किस प्रकार की मांग उसकी आएगी, इस प्रकार का ध्यान रखा जाए।

इसी प्रकार से इसमें सारे यू आई टी कर्मचारी एक साल तक तो अस्थायी रहेंगे, जो 20-30 साल से स्थायी है, वह टेम्परेरी रह जाएगा एक साल, उसके बाद में वह कर्मचारी कहलाएगा। एक्ट के अन्तर्गत जो जोन बन रहा है उसका जो प्राधिकरण होगा, उसका कर्मचारी कहलाएगा। इसके कारण से भी विवाद खड़े होंगे, न्यायालय में लोग जायेंगे। यह चार एक्ट जो मर्ज कर रहे हैं, एक लाइन के कारण से मर्ज कर रहे हैं, उसके कारण से भी कुछ केसेज होंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। क्योंकि जो स्वतः अधिकार मिले हुए हैं, जो राइट है वह किस प्रकार से मिलता है, उसको भी हमने इसमें कर दिया, एक लाइन में यह लिख दिया कि नोटिफिकेशन के दिन से, अब नोटिफिकेशन के दिन से ही उस पर तो इम्पोज हो गया। अब इन्वेस्टमेंट आएगा कि नहीं आएगा, वह सेठ आएगा कि नहीं, दुनिया आएगी कि नहीं, लेकिन नोटिफिकेशन के दिन से ही उस पर तो इम्प्लीमेंट हो गया, जिसकी जमीन है। अभी एक रोज कलक्टर की मीटिंग में यह विषय उठा कि यह जो नई पंचायतें बनी हैं जयपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत, उनको कहा गया है कि आप बिजली का ट्रांसफार्मर रखना चाहते हो तो जेडीए को पैसे दो। जमीन किसकी थी? जमीन पंचायतों की थी, उसका ट्रस्ट पंचायती गोचर भूमि की, सवाई चक भूमि की, उनसे पंचायत भवन के लिये भी पैसे मांगे जा रहे हैं। अब वह तो हमारे मंत्रीजी ने थोड़ा हस्तक्षेप करके उनको पैसे भी दिलाये और गौरव पथ के लिये भी पैसे दिलाये विकास के लिये, लेकिन हकीकत तो यह है कि जेडीए ने तो उनको समझा ही नहीं। कोई झोंपड़ी बना ले, कोई धर्मशाला बना ले, सब चीजें रूक गयीं जेडीए को देने के कारण से। अब इसमें जेडीए भी चला जाएगा, यूआईटी चली जाएगी तो कुछ परसेंट के रूप में प्रावधान तो ऐसे करने ही चाहिये।

मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप रूल्स बनायें तब इस प्रकार की चीजें रखें। यहां के कल्चर का भी ध्यान

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

रखें। मंदिर हैं हमारे, लाखों लोग जाते हैं। जैसे इकोनोमिक जोन आ गया, रींगस के पास लाइन है, उसके 50 किलोमीटर इधर और 50 किलोमीटर उधर और खाटूश्याम जी के पास में आपने जोन बना दिया। कितने लोग आते हैं? वह लोग तो जा ही नहीं सकेंगे। इसमें यह और प्रावधान है रोड को मोड़ने का, बोर्ड लगाने का, यह छोटी-छोटी बातें लिख दीं उनके लिये, कि रोड को मोड़ सकेंगे, रोड का घुमाव कर सकेंगे, नये रास्ते बना सकेंगे, नया नक्शा बना सकेंगे, नया मास्टर प्लान बना सकेंगे। यह चीजें इसमें हैं। इन्वेस्टमेंट आवश्यक है, इन्वेस्टमेंट राजस्थान के लिये आवश्यक है। हम दिल्ली के नजदीक हैं, बोम्बे के भी नजदीक हो गये। फ्रैट कोरिडोर बन रहा है। राजस्थान में जमीन भी है। पानी के अलावा सब चीजे हैं, रोजगार भी है और हम उद्यमी भी हैं, यहां के लोग मेहनती भी हैं। गल्फ कंट्रीज में यहां का व्यक्ति जाता है लेकिन इस कानून के माध्यम से ऐसा नहीं हो जाए कि हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और उसमें प्रेरणा समाप्त हो जाए। केवल जमीन देने तक और विकास के नाम पर जमीन को सम्हलाने तक ही वह सीमित न हो जाए, इसका मूल्यांकन होना चाहिये। इसके नियमों में यह भी लिखा जाना चाहिये जैसे कोई भी जेडीए पट्टा देता है या नगर निगम देता है या नगरपालिका देती है, उसमें लिखती है कि यदि दो साल में निर्माण नहीं करोगे तो वापस हो जाएगी। ऐसे कुछ प्रावधान तो डालने चाहिये।

अब 250 करोड़ का, अभी माननीय सदस्य ने कहा है कि 250 करोड़ की बात आई थी। आज 250 करोड़ की क्या वैल्यू है? जब बैंकों का डी-राष्ट्रीयकरण किये जाने की बात आई थी, उस समय एक शख्स ने यह लिखा था, एस गुरूमूर्ति नाम का चिन्तक है, उसने लिखा कि नरीमन प्वाइंट का जो एस बी आई का आफिस है, वह स्वयं 5 हजार करोड़ का है। उसके कारण से एक ही उदाहरण देने से सारा सिस्टम चेंज होगा, सबका दिमाग बदल गया कि हां, नहीं होना चाहिये। आज छोटी-सी जमीन के 250 करोड़ हो जाते हैं।

इसलिए मैं कह रहा हूं नियमों के बारे में कि इस एक्ट को लाया गया है कुछ अच्छे उद्देश्य के लिए, सरकार का अच्छा प्रयास है लेकिन इसके जो रूल्स वगैरह हैं वो कहीं उन लोगों के पक्ष में नहीं बन जाएं और हम जो असली मालिक हैं, राजस्थान के लोग असली जमीन के मालिक हैं, जो प्रभावित हैं, जो आबादी है ये कहीं गैर नहीं हो जाएं, इस प्रकार के प्रावधान भी इसमें ध्यान रखा जाए।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

(15.00 बजे)

मैंने जनमत जानने के लिए प्रस्ताव दिया था उसको मैं वापस लेता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे राजस्थान विशेष विनिधान रीजन विधेयक, 2016 पर अपनी बात कहने, अपना पक्ष रखने का अवसर दिया।

इस विधान के जरिए जो एक प्रोग्रेसिव बिल लाया गया है, जो एक्ट का रूप लेने जा रहा है। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य और कोटा से आने वाले माननीय सदस्यों ने अपने-अपने हिसाब से इस पर अपनी बात कही है और कुछ हद तक बातें इसमें देखने योग्य भी हैं।

माननीय सभापति महोदय, कोई भी कानून आता है तो उसमें ये बातें जरूर होती हैं कि इसका किस तरह से आउटलुक होगा, ऐम एण्ड आब्जेक्ट्स क्या होंगे, इसका फ्रेम वर्क क्या है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगा? राजस्थान का विकास तभी सम्भव है जब उद्योगों का विकास होगा। राजस्थान के विकास की जो आत्मा है वो औद्योगिक विकास की आत्मा के साथ है, उसके अलावा नहीं हो सकती। राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री जी और राजस्थान के उद्योग मंत्री इस ओर बहुत प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास का ही एक कदम है या परिणाम है या उस ओर बढ़ने वाले कदम हैं कि इस एक्ट के माध्यम से रिसर्जेंट राजस्थान का इतना बड़ा आयोजन किया गया, जो उसके परिणाम प्राप्त करने हैं, वो परिणाम तभी प्राप्त हो सकते हैं जब इसमें जैसे आब्जेक्ट बताये गये हैं, जैसा इसमें कार्यकलाप बताया गया है, जैसे इसमें धाराएं जोड़ी गयी हैं, जो रीजनल एरिया स्थापित किया जा रहा है, वो सभी हो पायेगा।

इसलिए इस लिहाज से मैं राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री, आदरणीय मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस एक्ट को लाकर के अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि हमको हर सूरत में राजस्थान का औद्योगिक विकास करना है, नियमित और विकसित विकास करना है और संयमित और एक साथ ऐसा विकास करना है जो भविष्य में सब के लिए हो।

इसीलिए इन्होंने कारणों और उद्देश्यों में जो तीन लाइनें लिखी हैं वो मैं आपके सामने निवेदन करूंगा, 'समस्त आर्थिक सेक्टरों को प्रोत्साहित करने के

(श्री जोगाराम पटेल)

आशय से', तो पहला, सरकार की मंशा क्या है, समस्त आर्थिक सैक्टरों, इन आल इकोनोमिक सैक्टर। 'समस्त आर्थिक सैक्टरों को प्रोत्साहित करने के आशय से यह अपेक्षित है कि आवश्यक अवसंरचना के उपबंध के साथ-साथ विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों का संगठित विकास किया जाए।'' यह आपका मैन आब्जेक्ट है और यह आब्जेक्ट तभी संभव हो सकता है जब इस एक्ट को लाया जाए। ''इस प्रकार विनिधान को आकृष्ट करने के लिए ऐसे विशेष विनिधान रीजनों की धारणा विरचित की गयी है'', यह रीजनल जो सैक्टर स्थापित कर रहे हैं, 'जो वृहत् आकार के रीजन होंगे', बड़े-बड़े आकार के, 'जिनके अन्तर्गत राज्य सरकार, सरकारी एजेंसियों या सरकारी कम्पनियों द्वारा अथवा लोक निजी भागीदारी या निजी भागीदारों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली आवश्यक अवसंरचना और सुख-सुविधाओं के साथ औद्योगिक और अन्य आर्थिक क्रियाकलापों के लिए राज्य के विस्तृत क्षेत्र में समाविष्ट होंगे।'

तो, माननीय मंत्री महोदय, इससे स्पष्ट लगता है कि आप दृढ़ इच्छा-शक्ति के साथ इस ओर बढ़ रहे हैं कि हमको राजस्थान का औद्योगिक विकास करना है। और इसीलिए आपने शब्द इसमें एक्ट की स्थापना में की है, 'राज्य में विशेष विनिधान रीजन की स्थापना', एक, योजना- दो, विकास- तीन, प्रचालन- चार, अनुरक्षण- पांच, प्रबन्ध- छह और विनियमन के लिए उनसे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध बनाने के लिए विधेयक।

ऐसा ही विधेयक 2009 में गुजरात में आया था। राजस्थान दूसरा प्रदेश है जिसमें ऐसा एक्ट लाये हैं। गुजरात के एक्ट में जो था, सेम एनालोजी थी, "to provide for establishment, operation, regulation and management of the large size investment Regions and Industrial Areas in the State of Gujarat; and to specially enable their development as global hubs of economic activity supported by world class infrastructure, premium civic amenities, centres of excellence and pro-active policy framework; and to set up an organizational structure with that purpose matters connected therewith or incidental thereto." और सेम, वैसा ही आब्जेक्ट आपने इसमें प्रवृत्त किया है। अनेक ऐसे उद्धरण जो हैं या अनेक ऐसी धाराएं हैं जिनको इसमें लेने का प्रयास किया गया है लेकिन उससे भी अधिक आपने इसमें समावेश किया है, इससे भी अधिक आब्जेक्ट समावेश आपने इसमें किया है।

माननीय सभापति महोदय, विशेष जानकारी माननीय मंत्री महोदय देंगे लेकिन रिसर्जेंट राजस्थान में कृषि क्षेत्र में दो हजार करोड़ से अधिक के दस

(श्री जोगाराम पटेल)

एम.ओ.यू., शिक्षा के क्षेत्र में एक हजार करोड़ से आठ एम.ओ.यू., ऊर्जा के क्षेत्र में 1090 करोड़ के नौ एम.ओ.यू. और शेष अनेक एम.ओ.यू. साइन हुए हैं और होंगे इसीलिए कि हमको एक औद्योगिक रीजन स्थापित करके राजस्थान का औद्योगिक विकास करना है। राजस्थान में, जैसा 2009 में गुजरात में लाये, ऐसा हम कह सकते हैं कि हम लेट हैं, हम 2016 में लेकर आ रहे हैं और इसीलिए गुजरात इंडस्ट्री का हब बना है और ऐसा एक्ट हमारे पास अगर पहले आ जाता तो हो सकता है हम गुजरात से भी आगे होते, स्पीड धीरे अवश्य है लेकिन अब स्पीड पकड़ रही है। इसीलिए हम प्रयास करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम गुजरात से भी आगे बढ़ें और हिन्दुस्तान के अन्य प्रदेशों की अपेक्षा हम एक नम्बर पर जावें, ऐसी मेरी अपेक्षा है।

मैं इस मौके पर पुन: मंत्रीजी और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी दूंगा कि जैसा उन्होंने अपने बजट भाषण में, पिछले बजट भाषण में और जैसा बार-बार कहा है कि हमको राजस्थान का औद्योगिक विकास करना है और जैसा वे रिसर्जेंट राजस्थान लाये हैं, उसी की अनुपालना में तुरन्त ही बिना कोई देरी किये, बिना कोई कारण ये एक्ट लेकर आये हैं पर दो-तीन बातें मैं इसमें आपसे निवेदन करूंगा, वो विशेष ध्यान रखने योग्य हैं।

इसका की-प्लान समझ लें। इस एक्ट में लम्बी-चौड़ी कोई धारा नहीं, इसका की-प्लान है। तीन तो इसमें आथोरिटी कायम हो रही है, एक आथोरिटी हो रही है बोर्ड, जिसका जिक्र अभी माननीय सदस्य ने आपके सामने किया, जिसमें बोर्ड में एक चेयरमैन है, वाइस-चेयरमैन है और बारह आफिशल एण्ड नान-आफिशल मैम्बर्स हैं। यह कांस्टीट्यूशन बाई गवर्नमेंट किया जायेगा, ये बोर्ड है। एक है रीजनल डवलपमेंट आथोरिटी और रीजनल डवलपमेंट आथोरिटी में भी जैसा अभी कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया है, एक चेयरमैन है, मैम्बर हैं एम.एल.ए. एण्ड एम.पी. जिस रीजन में वो आयेंगे, उनके मैम्बर हैं और आफिशियल और नोन-आफिशल मैम्बर अप टू 13 हैं और एक सी.ई.ओ. जो है, कन्सर्न सी.ई.ओ. जो होगा वो मैम्बर सैक्रेटरी होगा, और एक है अपीलेट आथोरिटी। ये तीन आथोरिटी का गठन इस एक्ट के द्वारा होगा। टोटल ही तीन आथोरिटी होगी, और कोई आथोरिटी इसमें नहीं है। और किसी का कांस्टीट्यूशन स्टेब्लिशमेंट नहीं होना है।

पर इसमें जो दो बात की कमी रह गयी वो यह है कि यह जो राजस्थान स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बोर्ड जो आपने बनाया, जिसको गुजरात ने

(श्री जोगाराम पटेल)

अपेक्स बाडी लिखा। राजस्थान स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बोर्ड और उन्होंने इसको अपैक्स बाडी नाम दिया है। उन्होंने अपने इस अपेक्स बाडी की क्वालिफिकेशन और टेन्योर तय किया है और अपने में जो चेयरपर्सन आयेगा, वाइस-चेयरपर्सन आयेगा या जो आफिशियल और नान-आफिशियल 12 मैम्बर आएंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, इनका सलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा, उनका टेन्योर क्या होगा, ये इसमें नहीं है। इसमें मेरा सब्मिशन है, माननीय मंत्री महोदय, कि कम से कम सलेक्शन का एक कोई न कोई आधार होना चाहिए ताकि इसमें आर्बिट्रेरीनैस नहीं दिखे, सलेक्शन के टाइम मनमानी नहीं चले, सलेक्शन के टाइम भाई-भतीजावाद नहीं चले, सलेक्शन के टाइम ज्योग्राफिकल एरिया के आधार पर भी पक्षपात नहीं हो। तो यह जो कमी तीनों में रही है, जहां बोर्ड में, रीजनल डवपलमेंट आथोरिटी में और अपीलेट आथोरिटी में। इनमें जो आनरेबल मिनिस्टर आ रहे हैं, आनरेबल एम.एल.ए. और एम.पी. आ रहे हैं, उसमें कोई विवाद नहीं है, जो रिमेनिंग सारे मैम्बर हैं उनकी क्वालिफिकेशन है ही नहीं और न उनका टेन्योर है। अब जो रीजनल बोर्ड है, रीजनल बोर्ड में तो लिखा है At the pleasure of the Govt. लेकिन बाकी के लिए क्वालिफिकेशन और टेन्योर नहीं है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि क्वालिफिकेशन और टेन्योर जो है, अगर वो हो जाता तो यह एक्ट में और बढ़िया बात हो जाती। रीजनल बोर्ड के लिए अब अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लायी और आफिसर आयेगा तो क्या उनकी वो ही सैलेरी और सर्विस के रूल्स लागू होंगे या अगर दूसरा कोई आयेगा तो उसको एलाउंसेज और सैलेरी क्या होगी, यह इसमें मिसिंग है। तो पहला जो मेरा आपसे निवेदन यह था कि इन तीन आथोरिटीज में यह तीन बातों की मिसिंग रह गयी है।

अगला जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं और वह विशेष निवेदन यह है कि आपने राजस्थान स्पेशल इनवेस्टमेंट रीजन एक्ट जो लाये हैं, वह मैंने जैसा पूर्व में निवेदन किया ठीक है। इसका एस्टेब्लिश ठीक किया, लेकिन बोर्ड का औचित्य बिलकुल ही नहीं रहेगा। ज्यों ही बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो सारे के सारे पावर बोर्ड के पास जो थे, वह किसी के पास नहीं, बोर्ड ओनली एक सैम्पल के रुप में रह जायेगा। बोर्ड के पास जो पावर हैं, वह सिर्फ सैक्शन 5 और 6 में हैं। सैक्शन 5 में तो है "Special Investment Region to be an industrial township" होगी, सॉरी, I am sorry, सैक्शन 8 में है, सैक्शन 8 में जो

(श्री जोगाराम पटेल)

फंक्शन हैं बोर्ड के, वे कोई फंक्शन इस इंडस्ट्रियल जोन एस्टिबेलिश करने, इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है। मियरली नाम दे दिया बोर्ड का, और सारे के सारे पावर दूसरी जगह चले गये हैं। मैं आपके सामने निवेदन करूंगा, इनके पास कोई पावर नहीं हैं, it is only an advisory body. Merely an advisory body.

सभापति महोदय, अब दो पाइंट मैं इसके साथ ही निवेदन करूंगा कि यह जो आपने रीजनल बोर्ड बनाया, इसमें मैन जो काम होने वाले हैं, मास्टर प्लान बनाना या मास्टर प्लान बना हुआ है तो उसको इम्प्लीमेंट करना, उसका एक पूरा चैप्टर दिया है। लैंड प्रोक्योरमेंट करना, उसका एक पूरा चैप्टर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना, उसका इम्प्लीमेंटशन करना, इकोनोमिक अवेलेबिलिटी करना, अलाटमेंट करना, लैंड एंड बिल्डिंग का अलाटमेंट करना और डवलपमेंट इन स्पेशल रीजन में करना। यह जो 5-6 जो भी हैं, इसमें बोर्ड का कोई भी रोल नहीं है। जीरो परसेंट भी बोर्ड का रोल नहीं है। जब इन तीनों में, चाहे master plan development का चैप्टर फिफ्थ हो, चाहे land procurement का चैप्टर 6 हो, चाहे infrastructure project का चैप्टर सैवन हो, चाहे economic availability for the allotment of the land and building उसका चैप्टर ऐट हो या development of special investment regions का चैप्टर 9 हो, इसमें बोर्ड या उसके मैम्बर का कोई रोल नहीं है। इसलिए मेरा सबमिशन है कि बोर्ड का कोई औचित्य नहीं रहा है।

सभापति महोदय, सैकिण्ड आपने बनाया है अपीलैट अथारिटी, अपीलैट अथॉरिटी पर बात करने से पहले मैं, जो आपने जो बनाया है रीजनल आथोरिटी का, उसका भी निवेदन करुंगा। उसको मैं शार्ट में हमेशा आरडीए कहूंगा, रीजनल डवलपमेंट अथारिटी। रीजनल डवलपमेंट अथारिटी का भी इसमें कोई रोल नहीं रहेगा और यह रोल इनडायरेक्ट रूप में बिलकुल ही खत्म हो जायेगा। खत्म इसलिए होगा कि बोर्ड को अपैक्स बाडी के रुप में किया गया है। लेकिन रीजनल डवलपमेंट अथारिटी में मिनिस्टर है, वह चेयर पर्सन है। सीईओ जो है, मेम्बर सैक्रेटरी है। एमएलए व एमपी मेम्बर हैं और अदर 12-13 जो आफिशियल एवं नॉन आफिशियल मेम्बर हैं। अब यह जो बोर्ड है, इस बोर्ड के अगेंस्ट में वह जो एक बोर्ड बनेगा आपका नोमिनेटेड मेम्बर्स का वह कैसे टिक पायेगा। यहां आपने चेयर पर्सन बनाया है कंसर्न मिनिस्टर को। जब कंसर्न मिनिस्टर बैठेगा और मिनिस्टर के साथ एमएलए और एमपी बैठेंगे और

(श्री जोगाराम पटेल)

उनके साथ आफिशियल एवं नान आफिशियल 12 मेम्बर्स बैठेंगे एवं सीईओ बैठेगा, वह आरएएस ऑफिसर ही होता है हमेशा। उससे कम का होता ही नहीं है। यह जब बैठेंगे तो उसके अगेंस्ट में बोर्ड के कोई पावर नहीं रहेंगे। आपको यह निवेदन करना था। आप थोड़ा ध्यान से सुनें।

सभापति महोदय, एक तरफ बोर्ड है, जिसको गुजरात एक्ट में तो एपेक्स बाडी बताया है, जो सबसे हाई पर है, उनको उसमें पावर भी दिये हैं। हमारे यहां एक यह गड़बड़ हो गई कि बोर्ड तो बना दिया लेकिन बोर्ड को बिना हाथ पैर का, बिना आत्मा का, बिना बोलने का बोर्ड बना दिया। वह वैसा आदमी है। न वह बोल सकता है, न उसके हाथ हैं, न उसके पैर हैं, न उसके पास आत्मा है, कुछ नहीं, वह बोर्ड है बस।

सभापति महोदय, तीसरा मेरा जो निवेदन है माननीय मंत्री महोदय कि बोर्ड को कोई भी स्वतंत्र अधिकार नहीं है। सारे के सारे अधिकार या तो रीजनल डवलपमेंट अथारिटी के पास हैं या गवर्नमेंट के पास हैं। रीजनल डवलपमेंट अथारिटी या गवर्नमेंट के पास सारे अधिकार हैं तो बोर्ड का यूज़ क्या है? क्यों हम इतना खर्चा कर रहे हैं? क्यों उसको बैठा रहे हैं? उनका उपयोग क्या करेंगे? यह विचार करने की बात है। मैं आपसे निवेदन भी करूंगा कि जब आप जवाब दें तो इस बारे में अवश्य बतायें कि इस बोर्ड का उद्देश्य क्या है? उसका उपयोग क्या करेंगे?

सभापति महोदय, अब रीजनल डवलपमेंट अथारिटी जो आपने बनायी है, वर्चुअली यह सर्वोपरि संस्था है। इसको बाडी कारपोरेट बनाया है। आप भली भांति जानते होंगे कि बॉडी कॉरपोरेट का मतलब यह है कि उसका खुद का पावर है। प्रोपर्टी होल्ड कर सकता है। प्रोपर्टी बेच सकता है। जैसे अपनी पंचायत राज है, वह बाडी कारपोरेट है। नगर पालिकाएं हैं, वह बाडी कारपोरेट हैं। जेडीए है, वह बाडी कारपोरेट है। बॉडी कॉरपोरेट बनाने का तात्पर्य यही होता है कि वह स्वतंत्र निकाय है। वह स्वयं प्रोपर्टी धारण कर सकता है। प्रोपर्टी बेच सकता है। उसका मालिक है। आपने इसमें सैक्शन 9 के सब-सैक्शन 1 में "which shall be a body corporate, having perpetual succession and a common seal, with power to acquire, hold and dispose of movable and immovable property and to contract, and by its name, to sue and be sued:" उसके नाम से दावा हो सकता है। वह दावा कर सकता है। प्रोपर्टी अपने नाम से खरीद सकता है। बेच सकता है। तात्पर्य यह है कि बाडी कारपोरेट का मतलब है कि

(श्री जोगाराम पटेल)

वह अपने आपमें स्वतंत्र निकाय है। लेकिन इस निकाय को इसी पैरा में आपने एकदम से खत्म कर दिया, आप सैक्शन 10 लेवें। मेरा निवेदन है कि आप सैक्शन 10 ध्यान से पढ़ें। बाडी कारपोरेट अपने आपमें स्वतंत्र निकाय होता है। आपने बना भी दिया है, लेकिन धारा 10 बनाते ही, "The Regional Development Authority shall, subject to the provisions of this Act and under the control, supervision and guidance of the State Government and the Board." जब वह स्वंय स्वतंत्र निकाय है। वह स्वयं प्रोपटी होल्ड कर सकता है। प्रोपर्टी बेच सकता है। स्वयं की सील होगी। सब कुछ उसका होगा तो फिर गवर्नमेंट के अंडर में कैसे रह जायेगा? अगर वह गवर्नमेंट के अंडर में है तो स्वतंत्र निकाय कैसे है? तीनों ही वर्ड यहां पर यूज करते ही यह कांट्राडिक्ट्री लॉ हो जायेगा it can't be. A law can't be framed, which is contradictory to their own language. The Regional Development Authority shall, subject to the provisions of this Act, It is perfectly right. 'Subject to the provisions of this Act' and under the control, supervision and guidance then, he is not an independent body and he is not a body corporate. He is only under the control of the Govt. and then we can't say, as legally, that it is a body corporate.

So, my submission is to the Hon' able Minister Sahib, Please think about it. Take some advice from the expert. Whether a body corporate can be given under any supervision. सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि कोई भी पंचायत एक्ट बनाते वक्त यह नहीं कहा जायेगा कि पंचायत राज्य सरकार के सुपरवीजन में, कंट्रोल में, मैनेजमेंट में यह सब कार्य करेंगी। कभी भी नगर पालिका बनायेंगे तो यह नहीं कह सकते कि उनके अंडर में कार्य करेंगी। कभी नगर निगम बनायेंगे या नगरपालिका बनायेंगे तो यह नहीं कहेंगे। इसलिए इस पर एक बार विचार करें कि लीगली कहां तक यह ठीक है।

सभापति महोदय, मेरा दूसरा निवेदन यह भी है कि इतना ही नहीं, आपने एक धारा बनाई है, 82 या 83, जिसका जिक्र माननीय कोटा से आने वाले सदस्य ने किया था। 82, "Control by State Government.- The Board and every Regional Development Authority shall exercise their powers and perform their duties under this Act in accordance with the policy framed and the guidelines laid down, from time to time, by the State Government for establishment, planning, development, operation, maintenance, management and regulation of the Special Investment Regions." जब टोटल ही कंट्रोल्ड बाई गवर्नमेंट है तो फिर हम कैसे कह रहे हैं कि यह जो बाडी है वह बाडी कारपोरेट है। "Regional Development Authority for a Special Investment Region, which shall be a body corporate, having perpetual succession and a

(श्री जोगाराम पटेल)

common seal, with power to acquire, hold and dispose..” कर रहे हैं और वहां टोटल ही उनके कंट्रोल में दे रहे हैं।

Two inconsistent provisions in this Act. legally we say that, there are two inconsistent provisions in this Act. सरकार की मंशा अच्छी है। सरकार कानून लाना चाहती है। आपकी मंशा अच्छी है। लेकिन लॉ फ्रेम करते वक्त जिन लोगों ने लॉ फ्रेम किया है, वह टोटली ही इनकंसिस्टेंट प्रोविजन है, आइदर तो कहिये कि गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, ठीक है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में करें। ज्यों ही आप बाडी कारपोरेट बना रहे हैं, इंडिपेंडेंट पावर दे रहे हो, पूरा स्वतंत्र कर रहे हो फिर उसके पावर नहीं दे रहे हो। यह तीसरा विषय था। मेरा सबमिशन है कि इस बारे में आपको विचार करके बताना ही पड़ेगा।

सभापति महोदय, साथ ही साथ, जैसा मैंने सैक्शन 10 के बारे में बताया, इसके अलावा आपने तीसरी जो संस्था बनाई है और जो अपने आपमें स्वतंत्र संस्था बनाई है, वह बनाई है अपीलेट अथारिटी। मैंने वैसे पहले कह दिया कि अपीलेट अथारिटी का भी आपने कोई क्वालिफिकेशन, टेन्योर नहीं दिया है। लेकिन इसमें भी आप देखिये।

यह तो लिख दिया कि इसमें अपीलेट अथोरिटी में जो आएगा वो, The appellate authority shall consist of a Chairperson and two other members, having qualification and experience in the field of law or administration. एडमिनिस्ट्रेटिव में और लॉ में जानकार व्यक्ति होगा, उसको आप बनाएंगे, क्वालिफिकेशन बताई है लेकिन इसको एकदम नेक्स्ट में खत्म कर दिया और खत्म कैसे किया, अपीलेट अथोरिटी के पास कुछ है भी नहीं, वह खत्म किया आपने सेक्शन 81, सब सेक्शन क्लाज 2 में, इसमें क्या कर दिया, An order passed or a direction given by the State Government to the Board. समझ में आई कोई बात, तो बोर्ड में रखी, Regional Development Authority सारा उसमें बता दिया, or the appellate authority under the provisions of this Act or an order passed or notice issued by the Board, Regional Development Authority. जब अपीलेट अथोरिटी को ही, जिसकी अपील हो रही है वही उसको डाइरेक्शन दे रहा है तो अपीलेट कैसे?

यह जो गवर्नमेंट है वह गवर्नमेंट और रीजनल अथोरिटी एक समान ही है और उसका प्रोविजन बनाया सेक्शन 10, सब क्लाज 1, - “The Regional Development Authority shall, subject to the provisions of this Act and under the control, supervision and guidance of the State Government and the Board,

(श्री जोगाराम पटेल)

discharge the following functions and exercise following powers." यह दिया है। गवर्नमेंट के पावर और रीजनल डवलपमेंट अथोरिटी के जो पावर है वह एक समान है, दोनों एक साथ काम करेंगे और दोनों का उद्देश्य एक है कि हमारा डवलपमेंट कैसे हो, हमारा इकोनोमिक डवलपमेंट कैसे हो, हमारा औद्योगिक डवलपमेंट कैसे हो? यह जो अपील होगी वह एक तरह से गवर्नमेंट के आर्डर के खिलाफ अपील होगी और खिलाफ अपील में वह जाएगा तो वह अपीलेट अथोरिटी जिसको मुकर्रर किया जा रहा है उसको डाइरेक्शन गवर्नमेंट देगी। जब गवर्नमेंट के डाइरेक्शन में काम करेगी तो वह कैसे निर्णय करेगा कि जो नीचे अथोरिटी का निर्णय है वह सही है या गलत है। किसी अपीलेट अथोरिटी को उस संस्था को या उस अथोरिटी की ओर से डाइरेक्शन कैसे दिया जा सकता है जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जा रही है। मैंने गुनाह किया है, मेरे खिलाफ अपील हो रही है और मैं ही जाकर अपील अथोरिटी को डाइरेक्शन दूंगा, ऐसा करो वैसा करो तो फिर वही होगा जो मैंने कहा यही करना है।

तीसरा मेरा निवेदन यह था कि यह इस तरह से अपीलेट अथोरिटी, बोर्ड और रीजनल डवलपमेंट अथोरिटी जो बनाई है, इनका वर्चुअली कोई फंक्शन नहीं है। इनको इन धाराओं के आधार पर कम्पलीटली एक तरफ तो बताया गया है, बताने के लिए बहुत अच्छी है, दूसरी तरफ इनको खत्म कर दिया है और सारे के सारे सुपरवीजन कंट्रोल वह और गवर्नमेंट कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा नेक्स्ट सब्मिशन है, गवर्नमेंट के जो पावर थे, आप कृपया नोट करें और देखें, मैं आपको गिना रहा हूं, इस एक्ट में गवर्नमेंट के जो पावर दिए हैं, जितने भी नोमीनेशन हुए हैं, either in Board, either in Regional Development Authority or either in Appellate Authority. सारा गवर्नमेंट नोमीनेट कर रही है, वह भी गवर्नमेंट ही करेगी और कौन करेगा, मान लेते हैं और इनका टेन्योर जो बताया है रीजनल डवलपमेंट अथोरिटी का वह गवर्नमेंट के प्लेजर पर बताया है, जितना गवर्नमेंट का प्लेजर है तब तक रहेगा, वर्ड लिखा है, At the pleasure of the Govt.

माननीय सभापति महोदय, तीसरा जो लिखा है, At the pleasure of the Govt. जैसा मैंने अभी आपके सामने पढ़कर सुनाया, 'under the control, supervision and guidance of the State Government', तो ये तीनों ही आपके जो फार्म बनाए हैं, तीनों ही स्टेट्यूटरी बाडी आपने जो बनाई है, वह तीनों ही स्टेट्यूटरी बाडी 'under the control, supervision and guidance of the State Government'

(श्री जोगाराम पटेल)

करेगा। मास्टर प्लान जो बनेगा सेक्शन 11 में वह गवर्नमेंट बनाएगी, गवर्नमेंट की गाइड लाइन में बनेगा। Preparation of Master Development Plan – "As soon as may be after the constitution of a Regional Development Authority for a Special Investment Region, the Regional Development Authority shall, subject to general or specific directions of the State Government", तो वह सारा का सारा गवर्नमेंट के डाइरेक्शन में चला गया। or the Board, carry out a civic survey and prepare an existing land use… फलां फलां और नेक्स्ट जो है मास्टर डवलपमेंट, सेक्शन 27 में, सेक्शन 27 में भी लैंड प्रीक्योरमेंट के जो प्रोविजन हैं, लैंड प्रीक्योरमेंट का जो सारा चेप्टर 6 है, इसमें सेक्शन 27 है वह भी कम्प्लीट गवर्नमेंट के अंडर में है। मास्टर प्लान, मैंने जो 5 काम गिनाए थे, इस एक्ट में होने वाले, टोटल 5 काम होने वाले हैं, पहले तो 3 बाडी का निर्माण करना, जो स्टेट्यूटरी बाडी कहते हैं, लीगल टर्म में, फिर मास्टर डवलपमेंट प्लान बनाना, रीजनल मास्टर प्लान बनाना, लैंड प्रीक्योरमेंट करना, ये कम्पलीट काम, सेक्शन 27 का काम भी टोटली गवर्नमेंट के अंडर में आ गया। जैसा मैंने सेक्शन 81 जो अभी आपके सामने पढ़कर बताया था टोटली डाइरेक्शन गवर्नमेंट के चला गया, मेरा सब्मिशन यह है कि भले ही बोर्ड बनाया हो, भले ही रीजनल डवलपमेंट अथोरिटी बनाई हो, भले ही आपने अपीलेट अथोरिटी बनाई हो लेकिन उनके पास सैकिण्ड टर्म में इसी एक्ट के तहत वह सारे के सारे पावर वापस लेकर के गवर्नमेंट के कम्पलीट कंट्रोल में ले लिया है। इसीलिए इस एक्ट को यह कहेंगे कि एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, Inconsistent provisions itself in the Act. और Inconsistent itself in the Act. होता है तो उसकी वेलिडिटी किसी भी वक्त चैलेंज की जा सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में भी माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि वह विचार करें।

माननीय सभापति महोदय, अंत में मेरा निवेदन है, जैसा कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया था कि एक एक्जिस्टिंग जो मास्टर प्लान है, एक्जिस्टिंग हमारी जो स्टेट्यूटरी बाडी है, चाहे यूआईटी है, चाहे जेडीए है, चाहे नगरपालिका है, या हमारी पंचायत है, इनके जो मास्टर प्लान बने हुए हैं या इनका जो सेक्शन 103 में और 102 में जो अनाउंसमेंट हो चुका है उनको खत्म कर देना किसी भी रूप में सही नहीं है और इसलिए मैं मास्टर प्लान के सम्बन्ध में आपसे निवेदन करूंगा कि यह जो मास्टर

(श्री जोगाराम पटेल)

प्लान के प्रोविजंस बनाएं हैं उन पर एक बार आप जरूर विचार करें। "As soon as may be after the constitution of a Regional Development Authority for a Special Investment Region, the Regional Development Authority shall, subject to general or specific directions of the State Government or the Board, carry out a civic survey and prepare an existing land use map and prepare a draft Master Development Plan for the area declared as the Special Investment Region and the periphery, if any, in accordance with the provisions of this Act." अब जो पेरीफेरी जो सेक्शन 6 में कर रहे हैं, उसको पेरीफेरी एरिया बोलते हैं, यह पेरीफेरी है सेक्शन 4 में, "The State Government may, by notification in the Official Gazette, declare such of the outer area on any side adjoining a Special Investment Region, to be the periphery of the Special Investment Region as it deems fit." जो आपका स्पेशल एरिया होगा, जो स्पेशल रीजन होगा, उसके बाहर की जो पेरीफेरी डिक्लेयर करेंगे इस एक्ट में। On declaration of an area under sub-section (1) as periphery of a Special Investment Region - the Regional Development Authority of the Special Investment Region shall be the Regional Development Authority for the periphery of the Special Investment Region, the powers and functions अब आप देखें, the powers and functions of the Regional Development Authority and the Board shall extend to the periphery of the Special Investment Region, In order to regulate the developments in the periphery area, the Regional Development Authority may prepare separate Master Development Plan and Development Scheme for the periphery area in accordance with the provisions of this Act. जो एक्जिस्टिंग मास्टर प्लान है It may be UIT, it may be JDA, It may be a JDA of Jodhpur, It may be JDA of Jaipur, It may be JDA of Ajmer. It may be any Municipality जो एक बार मास्टर प्लान बन गया है, उस मास्टर प्लान में how can you change? इस पेरीफेरी के सम्बन्ध में जो प्रोविजन बनाए हैं उनमें फ्रैश मास्टर प्लान बना देंगे तो या तो उस मास्टर प्लान को खत्म करना पड़ेगा, खत्म करने का राइट नहीं है, इसी बात की रिट याचिकाएं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में चल रही हैं कि You can't change the master paln. मेरा इसमें निवेदन है इस बारे में भी एक बार आप और विचार करें कि जो एक्जिस्टिंग मास्टर प्लान है उसको पीरियड में हम कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जब एक मास्टर प्लान स्टेट्यूटरी बाडी ने बनाया है। अपने एरिये के अन्दर बनाया है और अपने एरिये के अन्दर मास्टर प्लान बनाया है जो फाइनल हो चुका है, उसको दो साल भी पूरा हो सकता है, उसको पांच साल भी पूरा हो सकता है, उसको दस साल भी पूरा हो सकता है क्योंकि तीस साल के मास्टर प्लान बनता है और उस अकोर्डिंग मास्टर प्लान के अनेक व्यक्तियों ने, अनेक कार्य भी कर दिए हैं, अब अनेक कार्य कर दिए

(श्री जोगाराम पटेल)
और हम उसको चेंज कर देंगे तो उनके साथ कितना अन्याय होगा इस बात का भी आप विचार कर लें।

माननीय सभापति महोदय, अंत में मेरा निवेदन है, सैक्शन 27 में आप एक बार विचार करें, सैक्शन 27 के बारे में...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, इस बिल के पारित होने के बाद सरकार को नींद की गोली खानी ही पड़ेगी।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): गोली नहीं सर। गोली तो उधर वाले खिलाते हैं।

श्री सभापति: विराजिए आप।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, आपको ज्ञान है कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 में आबादी एरिया डिक्लेयर करते हैं। और वह 1956 में पारित हुआ एक्ट है। उस एक्ट में अब रीजनल डवलपमेंट अथोरिटी एण्ड डिस्पोजल को बताया है- Notwithstanding anything contained in Rajasthan Land Revenue उस एक्ट में जो लिखा हुआ है उसको मत देखो और यह बात है। जिसको कहते नकारात्मक क्लाज, land as defined under section 103 of the Rajasthan Land Revenue Act, situated in the area of such Special Investment Region. सारी की सारी लैण्ड है वह तो स्पेशल रीजन के अन्दर है। एक्सेप्ट कौनसी है, बाहर कौनसी है, अलग कौनसी है excluding land referred to in sub clause (ii) of clause (a) of the said section and nazul land placed at the disposal of a local authority under section 102A of that Act and the abadi area and the land set apart for development of abadi of a village and the municipal area and the land vested in any local authority by virtue of an Act of the State Legislature prior to the commencement of this Act) shall, immediately on constitution of the Regional Development Authority under section 9, be deemed to have vested in and placed at the disposal of the Regional Development Authority on behalf of the State Government ज्यों ही यह रीजनल डवलपमेंट अथोरिटी का कांस्टीट्यूशन हुआ, चाहे गांव के बाहर है, शहर के बाहर है, नगरपालिका के बाहर है, नगर निगम के बाहर है, वह आटोमेटिक इनमें वेस्ट हो गई। वहां उस मास्टर प्लान के आधार पर किसी ने अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, बिल्डिंग शुरू कर दी, उद्योग शुरू कर दिया, ग्रीन फार्म शुरू कर दिया, डेयरी फार्म शुरू कर दिया, छोटी इण्डस्ट्री, स्माल इण्डस्ट्री शुरू कर दी और इन दोनों में जो इनकंसीस्टेंट होगी उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा?

(श्री जोगाराम पटेल)

क्योंकि आप एग्जिस्टिंग मास्टर प्लान के बाहर बनाएं तो समझ में आता है कि हम तो एग्जिस्टिंग मास्टर प्लान के बाहर बना रहे हैं हमारा खुद का प्लान है। लेकिन यह तो एग्जिस्टिंग मास्टर प्लान के अन्दर, आबादी एरिया के बाहर आप पूरी की पूरी जमीन आटोमेटिक डीमिंग क्लाज है और डीमिंग क्लाज के तहत आपके अन्दर वेस्ट हो रही है और ज्यों ही यह लैण्ड आपके अन्दर वेस्ट हो गई तो वह सारी पब्लिक है वह कहां मिलेगी? किसी गांव में चले जाएं। आप अपने चित्तौड़ में देख लें। आपका चित्तौड़ का जो आबादी एरिया है उसके एक किलोमीटर चारों तरफ लोग आबादी में बसे हुए हैं। आप निम्बाहेड़ा की तरफ चलें, चाहे रींगस की तरफ चलें, मध्य प्रदेश की तरफ चलें, और कोई जगह है ही नहीं। नक्शे को देखकर ज्यों ही आपने इसको एरिया डिक्लेयर कर दिया तो जो पूरा पैरीफेरी आप डिक्लेयर कर रहे हैं उस पैरीफेरी और आपके बीच में हमेशा के लिए विवाद हो जाएगा, हमेशा के लिए लिटिगेशन हो जाएगा। वो कहेंगे कि हम 60 साल से बैठे हैं, वो कहेंगे कि 50 साल से हम बैठे हैं, हमारे पास बिजली है, पानी है, राशन कार्ड है, सब है। आप कहेंगे कि यह रीजन डवलपमेंट अथोरिटी ने डिक्लेयर कर दिया है, यह तो पैरीफेरी एरिया है इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते।

मेरा निवेदन है कि हम यह चाहते हैं यह एक्ट पारित हो, हम यह चाहते हैं कि राजस्थान का इकोनोमिक विकास हो। हम चाहते हैं कि इण्डस्ट्री हमारी अधिक से अधिक बढ़े, जल्दी बढ़े। जितनी स्पीड से बढ़ती है उससे भी अधिक बढ़े, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजन न बनाएं जिसकी वजह से जनता में असंतोष है या इनकंसिस्टेंट प्रोविजंस हों या जिससे जनता को असुविधा हो या जिससे जनता के अधिकारों पर कुठाराघात हो। इसी लिहाज से मैंने यह निवेदन किया है कि इसकी वजह से भी इसमें तकलीफ आने वाली है।

लास्ट में, जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि कोई भी आटोनोमस बाडी है वह गवर्नमेंट के प्लेजर पर नहीं हो सकती। आटोनोमस बाडी को उसका कोई न कोई कांस्टीट्यूशन का तरीका जो भी बताएं। आज जेडीए में क्या है, नोमिनेशन का तरीका है। नगरपालिकाओं में इलेक्शन का तरीका है। पंचायतों में इलेक्शन का तरीका है, लेकिन आटोनोमस बाडी में आप नोमिनेशन कर सकते हैं, नोमिनेशन का आपको राइट है, लेकिन नोमिनेशन के उपरान्त भी आपकी प्लेजर पर हो तो वह आटोनोमस बाडी नहीं हो सकती।

(श्री जोगाराम पटेल)

मेरा निवेदन है कि लैण्ड प्रिक्योरमेंट का जो आपने प्रोविजन बनाया है उसमें भी थोड़ा पब्लिक के साथ अन्याय होने वाला है और लैण्ड प्रिक्योरमेंट का जो आपका चैप्टर है, उसके कहने के बाद अपनी बात पूरी करूंगा।

उससे पहले सेक्शन 16 की ओर विशेषकर मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा- The Regional Development Authority shall submit the draft Master Development Plan to the State Government for sanction on the expiry of the period of one month, अगर गवर्नमेंट को ही सारे काम करना है तो इस एक्ट में बोर्ड, आरडीए व अपीलेट अथोरिटी बनाने की जरूरत क्या है? गवर्नमेंट हमारी है, अच्छा काम कर रही है, हमारे काम के अनुसार चले। The State Government may, by notification in the Official Gazette, sanction the draft Master Development Plan. वहां सबमिट करो, सैंक्शन वह करे तो इस रीजनल डवलपमेंट अथोरिटी का जो परपज है वह कोई परपज ही नहीं रहा।

Power of Regional Development Authority to declare its intention to make Development Scheme. आप थोड़ा ध्यान दें। Subject to the guidelines and parameters framed by the State Government इसमें भी रीजनल का कुछ भी नहीं है। पावर क्या है? "Power of Regional Development Authority to declare its intention to make Development Scheme", Subject to the guidelines and parameters framed by the State Government or Board, if any prevailing in this regard, a Regional Development Authority may by resolution declare its intention to make Development Scheme. सारा का सारा कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्यों रीजनल डवलपमेंट अथोरिटी आपने बनायी है? एक भी लाइन बिना गवर्नमेंट के खींचने का अधिकार नहीं है।

लैण्ड प्रोक्योरमेंट के प्रोविजंस हैं, जिनके बारे में निवेदन कर रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उसमें भी वह है। Economic Activity and Allotment of Land and Building उसमें भी कंपलीट गवर्नमेंट है। Development Investment Region उसमें भी गवर्नमेंट है।

अब पैनल्टी और प्रोसीक्यूशन है उसकी तरफ ध्यान दिलाकर मेरी बात पूरी करता हूं। सेक्शन 44 का सब क्लाज 2 – "Whoever invites or induces any person for sale." I can read in Hindi. सबको थोड़ा समझ आ जाय। सब क्लाज 2- ''जो कोई, क्षेत्रीय विकास प्राधिकारण से उप धारा 1 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त किये बिना, किसी स्कीम या परियोजना में किसी भाग के लिए विक्रय, पट्टा या बुकिंग करने के लिए किसी व्यक्ति को आमंत्रित या उत्प्रेरित

(श्री जोगाराम पटेल)

करता है, वहां वह, दोषसिद्धि पर।'' रीजनल डवलपमेंट अथोरिटी आपकी बाद में आयी, पैरीफेरी बाद में डिक्लेयर हुआ। मैंने पहले एक खेत खरीदकर स्कीम काट दी और सब लोगों को अख़बार में साया कर दिया कि मैं प्लाट बेचना चाहता हूं। ज्यों ही रीजनल डवलपमेंट अथोरिटी डिक्लेयर हुई, पैरीफेरी डिक्लेयर हुई तो वह दोषी हो गया। This to much pleasure consider this aspect.

वापस पढ़ने में डिफिकल्टी आ रही है "Whoever invites or induces any person for sale, lease or booking of any part in a scheme or project not having permission under sub-section (1) from the Regional Development Authority shall, on conviction, be punished with simple imprisonment which may extend to five years" सिर्फ मैंने यह कह दिया, मेरा प्लाट है, मैं बेचने के लिए तैयार हूं, मैं बेचना चाहता हूं, आप खरीदना चाहते हैं तो मुझे पांच साल की सज़ा हो जाएगी। बेचना, एग्जीक्यूट करना कोई जरूरी नहीं है। Whoever invites or induces any person for sale, lease or booking of any part in a scheme or project not having permission under sub-section (1) आप बाद में आये, मेरा तो पहले से काम चल रहा था। 100 प्लाट मैंने काटे, 50 बेच दिये थे, 50 मेरे बच गये थे। मैंने एक हाउसिंग स्कीम बना दी थी, मैंने 500 फ्लैट बनाये थे, मेरे 499 बिक गये, एक बाकी रह गया था। मैंने इन्वेस्ट किया तो मुझे पांच साल की सज़ा हो जाएगी। "Regional Development Authority shall, on conviction, be punished with simple imprisonment which may extend to five years"

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आभार व्यक्त करूंगा, दो मिनट। ओनली वन मिनट।

मेरा निवेदन यह है कि यह एक्ट, मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि प्रोग्रेसिव एक्ट है, इस एक्ट की और सरकार की मंशा है वह बहुत अच्छी है। मंत्रीजी, आपकी जो एक्टीविटी है और जो आप डवलपमेंट कर रहे हैं वह बहुत बढ़िया है। हम सब चाहते हैं कि राजस्थान का डवलपमेंट हो, इण्डस्ट्रीज डवलपमेंट हो, फास्ट डवलपमेंट हो, व्यवस्थित हो, जल्दी हो, सबको फायदा मिले और हमारी पहचान न केवल देश में बल्कि विदेश में हमारी पहचान हो। हम एक औद्योगिक हब के रूप में अपना एरिया डवलप करें, लेकिन ये जो थोड़ी-बहुत एक्ट बनाते वक्त कमियां रह गई हैं, आदरणीय लॉ मिनिस्टर साहब से निवेदन है कि यह आपके पार्ट में है। सरकार ने या उद्योग विभाग ने तो कह दिया कि हमको ऐसा लॉ चाहिए, हमको इस तरह से डवलप करना है लेकिन ये

(श्री जोगाराम पटेल)

जो कमियां-खामियां हमारी नजर में हैं, they may not be *kamiyan* or *khamiya*n, वो जो हमने आपसे निवेदन की है उस बारे में आप अवश्य विचार करेंगे।

मैं पुन: धन्यवाद दूंगा मंत्रीजी आपको और राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री वसुंधरा जी को जिन्होंने हर पल यह प्रयास किया है कि हमारे राजस्थान का विकास कैसे हो और उसी प्रयास का यह परिणाम आज आपके सामने है। लेकिन फिर भी अंत में कहते हुए कि आपने जो गुजरात के एक्ट में एमएलए और एमपी को रीजनल बोर्ड का मैम्बर बनाया, मैं तो यह कहूंगा कि बनने ही चाहिए, एमएलए, एमपी बने तो सब ठीक है क्योंकि उस एरिया के जानकार भी हैं लेकिन वो पोलिटिकल ग्राउण्ड भी बन सकता है। क्योंकि मिनिस्टर वहां कंसर्न्ड है, एमएलए और एमपी है, हमारी और आपकी विचारधारा नहीं मिले, हमारा-आपका आपसी तालमेल नहीं हो तो ये उसका उद्देश्य, गुजरात में यह नहीं है, रीजनल डवलपमेंट अथोरिटी जो गुजरात में बनाई है उसमें एमएलए, एमपी मैम्बर नहीं है और न ही आनरेबल मिनिस्टर उसके चेयरपर्सन हैं। तो इस बारे में भी आप विचार करें कि आनरेबल मिनिस्टर को चेयरपर्सन बनाने से, वो आपसे मेरा तात्पर्य नहीं है, ये तो युगों-युगों तक मिनिस्टर बनते रहेंगे तो उनके पीछे भी, क्योंकि हम यह चाहते हैं कि ऐसी रीजनल डवलपमेंट अथोरिटी इंडिपेंडेंट आटोनोमस बाडी हो। जिसको हम आटोनोमस बाडी कहते हैं उस आटोनोमस बॉडी के मैम्बर ऐसे होने चाहिए कि वो निष्पक्षता के कार्य कर सकें, आपसी तालमेल से कार्य कर सकें। इन सब बातों की ओर मैंने आपका ध्यान दिलाया है।

मैं पुन: आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार हमने कोशिश की है कि आपने गुजरात के एक्ट और अन्य एक्ट को ध्यान में रखते हुए उससे भी अधिक बढ़िया कानून बनाने का प्रयास किया है लेकिन कुछ बातों की जो कमी-खामी मैंने आपसे निवेदन की है, हमारा सबका प्रयास रहेगा कि जो एक्ट हम पूर्व में लाये थे और इण्डिया का जो एक्ट है द स्पेशल इकोनोमिक जोन एक्ट, 2005, उसके अण्डर में रहते हुए, उसको भी मैं बताता पर चूंकि समय नहीं है, उसके कुछ प्रोविजन का भी वायलेशन हो रहा है वो मैं अभी आपसे निवेदन नहीं करूंगा क्योंकि वो सेंटर का एक्ट है और सेंट्रल एक्ट के वायलेशन का हमको राइट नहीं है।

ऐसी स्थिति में सभी बातों का ध्यान में रखते हुए मैं पुन: आपसे निवेदन करूंगा कि एक्ट बढ़िया है, मंशा आपकी अच्छी है, राजस्थान के विकास

(श्री जोगाराम पटेल)

के लिए है उसके हम और आप सब आभारी हैं और मैं विशेष रूप से आपका आभारी हूं।

मैं इस स्टेज पर यह निवेदन करता हूं कि मैंने अपने जो संशोधन के प्रस्ताव दिये हैं उनको वापस लेने की मैं प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अलका सिंह

(अनुपस्थित)

सूचना

ज्वैलरी पर अधिरोपित उत्पाद शुल्क के विरोध में व्यापारियों द्वारा बंद का आयोजन

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री सभापति: क्या है पाइंट आफ इन्फार्मेशन?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, आज सम्पूर्ण राजस्थान का व्यापार, उद्योग बन्द है और इस कारण बन्द है कि केन्द्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी ज्वैलरी व्यवसाय पर लगाई गई है। यह सेंटर का मामला है इसीलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया से....

श्री सभापति: लेकिन मोहन लाल जी गुप्ता बोल रहे हैं, बोलने दीजिये उनको।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से और सदन से भी यह कहना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करें कि ज्वैलरी व्यवसाय पर जो यह कर लगाया गया है वो ठीक नहीं है और उसको जनता के हित में, कारीगरों के हित में और व्यापारियों के हित में विदड्रा करे।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन के माध्यम से जो सवाल खड़ा किया है, माननीय मुख्य मंत्रीजी पहले ही केन्द्रीय वित्त मंत्री महोदय को लिख चुकी हैं। राजस्थान में इस व्यवसाय की बढ़ोतरी को देखते हुए, व्यवसाय की अधिकता को देखते हुए इस पर पुन: विचार करने का आग्रह राज्य सरकार ने पहले ही कर दिया है स्वर्ण पर लगे हुए एक्साइज में एक परसेंट का।

श्री सभापति: क्या बोल रहे हो? बोल दिया न, वो ही बात है। जवाब दे दिया मंत्रीजी ने।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): जो ज्वैलर्स की शाप पर जो कारीगर रहते हैं उनको एक महीना हो गया तो उनकी रोजी-रोटी का सवाल है तो सरकार कुछ तो लिखकर भेजे।

श्री सभापति: मंत्रीजी लगे हुए हैं, मंत्रीजी ने जवाब दे दिया।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): जवाब तो दे दिया पर लिखित में भेजें। सारी नहीं तो आधी मांगें तो उनकी मानें साहब, लिखकर भेजें।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विशेष विनिधान रीजन विधेयक, 2016

श्री सभापति: श्री शुभकरण चौधरी (अनुपस्थित), श्री मानसिंह (अनुपस्थित), श्री रामहेत सिंह यादव (अनुपस्थित), सुश्री कीर्ति कुमारी (अनुपस्थित) माननीय सचेतक महोदय। श्री सुखराम विश्नोई। माननीय सदस्यों ने नाम लिखाया है तो ध्यान तो रखें कम से कम इस बात का।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, नाम नहीं लिखा है, जनमत जानने हेतु प्रस्ताव सदन के सम्मुख उन्होंने रखा है और नाम माननीय सचेतक महोदय ने नहीं दिये हैं।

श्री सभापति: नहीं, नहीं, माननीय सदस्यों ने रखा है तो कुछ बोलने के लिए ही रखा है लेकिन ठीक है, उनकी भावना यह है तो कोई दिक्कत नहीं है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विशेष विनिधान रीजन विधेयक, 2016 जो आज लाया गया है यह अपने आप में एक विधेयक होगा जिसमें केवल मात्र जो जमीन लेना चाहते हैं, जो उद्योग लगाना चाहते हैं उनकी पैरोकारी की गई है और जो किसान, जिसकी जमीन ली जा रही है उनको सिविल कोर्ट में जाने से रोका गया है। माननीय सभापति महोदय, इसमें जो प्रावधान दिये गये हैं वो अपने आप में विपरीत हैं, एक-दूसरे के विरोधाभासी हैं। इससे पहले जो राजस्थान का विधेयक बनाया हुआ था राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1995, उसके पहले विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 भारत सरकार का और फिर राजस्थान सरकार का विशेष आर्थिक जोन, यह भी बना हुआ था। इन सबको दरकिनार करते हुए यह नया जो विधेयक लाया गया है, इस विधेयक में जो मूल बात है, विस्तृत रूप से कोटा उत्तर से आने वाले माननीय साथी ने रखी है।

(श्री सुखराम विश्नोई)

मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें जो चैप्टर दो की धारा 6 है – 'विशेष विनिधान रीजन का स्थानीय प्राधिकरण की अधिकारिता के बाहर होना' यह बड़ी कष्टदायी होगी। जो ग्राम पंचायतें हैं, जो नगरपालिकाएं हैं, जो नगर निगम हैं, एक नगर निगम का आप भी नेतृत्व करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है 'आबादी क्षेत्र को छोड़कर' जितनी भी जमीन है चाहे वो सिवाय चक है, चाहे वो गोचर है, चाहे वो ओरण है, चाहे किसी भी तरह की जमीन है, वो तमाम की तमाम जमीन इस विनिधान, इन्वेस्टमेंट रीजन के तहत आ जाएगी। सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जो लोकल बाडी है वो इस एक्ट के आने के बाद में कमजोर होगी, उनके पास अपने प्रयोग के लिए, अपने यूज के लिए कोई जमीन नहीं बचेगी। यह जो प्रोविजन है इसको हटाया जाकर इसमें स्पष्ट किया जाए कि नगरपालिका, ग्राम पंचायतों के अन्दर जो जमीन है उस जमीन को छोड़कर नई जमीन इसमें ली जाए ताकि ग्राम पंचायतों और स्थानीय संस्थाएं उन पर अतिक्रमण नहीं हों, उनके अधिकार, उनके हक नहीं मारे जाएं क्योंकि बहुत सारी सम्भावनाएं उनको विकसित करने के लिए रहती हैं। जब यह एक्ट आ जाएगा और आबादी को जोड़कर जब पूरे पर ये कब्जा कर लेंगे तो वो पंगु से हो जाएंगे। इसलिए इस धारा 6 में रद्दोबदल किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, इसके बाद में इसमें बोर्ड की स्थापना की गई है। बोर्ड की स्थापना में किसी तरह की योग्यता नहीं दर्शायी गई है। केवल मात्र बोर्ड का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव और बारह से अनधिक, बारह का किस तरह से उनका निर्वाचन होगा, नोमिनेट होंगे या निर्वाचन होगा, किस तरह से बारह आदमियों को लिया जाएगा, इसका इसमें कोई प्रावधान नहीं है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव, ये किस योग्यता के होंगे, आरएएस होंगे, आईएएस होंगे यह भी नहीं है। बड़ी विचित्र बात कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने की थी और बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया था कि यह बोर्ड की स्थापना है।

उसके बाद में क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण है। क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में राज्य सरकार का दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कोरीडोर विभाग का प्रभारी मंत्री, वो स्वाभाविक रूप से उद्योग मंत्री होंगे और प्रभारी मंत्री होने के बाद में इस बोर्ड के अधीन काम करेंगे। इस बोर्ड के अध्यक्ष की कोई योग्यता नहीं है कि

(श्री सुखराम विश्नोई)

आरएएस होगा या प्राइवेट बाहर से कोई नोमिनेट होगा, उसकी किसी तरह की जब व्याख्या नहीं है तो मेरा माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत निवेदन है कि यह जो उसके बाद में धारा (न) जोड़ी गई है, या तो क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का नाम बदलकर बोर्ड को निरस्त कर दिया जाये, बोर्ड रखा नहीं जाये और यदि बोर्ड रखा जाये, जबकि उद्योग मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कोरीडोर के, तो इस क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण और ये दोनों आपस में विरोधी हैं।

क्या माननीय मंत्री महोदय, किसी आरएएस अधिकारी, जो बोर्ड का चेयरमैन होगा, उसके अण्डर में काम करेंगे या कोई आईएएस के अण्डर में काम करेंगे? जबकि इनकी जो योग्यता है, इनका जो पद है, इनका जो कद है, आरएएस और आईएएस हैं, उनसे ऊपर है। तो इसमें यह स्पष्ट नहीं है इसको स्पष्ट किया जाये या पूरे बोर्ड को ही खत्म किया जाये क्योंकि बोर्ड की आगे न तो कोई ड्यूटी बताई गई है।

जो बोर्ड की ड्यूटी बताई गई है। बोर्ड की शक्तियां और कृत्य: ''(क) विशेष विनिधान रीजन और परिधि को प्रोन्नत करना और उसकी स्थापना करना'' यह जो रीजनल, क्षेत्रीय प्राधिकरण का गठन है, इसमें वह कर सकता है। उसके बाद में ''(ख) विशेष विनिधान रीजन के विकास को मोनीटर करना और उसमें सम्मिलित एजेंसियों को आवश्यक अनुदेश जारी करना'' मानिटरिंग करना, मानिटरिंग किस तरह से करना? यह स्पष्ट नहीं है।

मेरा माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत निवेदन है कि यह बड़ा अहम मुद्दा है। या तो इस चैप्टर-3 के अन्दर यह जो पूरी बातें हैं, इनको पूरी को डिलीट कर दी जाएं, या यह जो बोर्ड है, इस बोर्ड का जो अध्यक्ष है, वह माननीय मंत्री महोदय को बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया जाए। यह जो विरोधीभासी बातें हैं, इन बातों को ध्यान में लिया जाकर इसमें सुधार आवश्यक है।

माननीय सभापति महोदय, इसके बाद में 15 सदस्य कुल इसके बनेंगे। 15 तो बोर्ड के हो गये, उसके बाद 16 हो गये इस प्राधिकरण के। कुल 31 सदस्य हो जायेंगे। बहुत बड़ा भारी लवाजमा हो जायेगा। उनकी तनख्वाहें, उनके रहने के कमरे की आवश्यकता होंगी। इसमें आगे लिखा है, जब इस

(श्री सुखराम विश्नोई)

क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की कोई जरूरत नहीं रहेगी तो वह अधिकारी-कर्मचारी कहां जायेंगे? ये एक्ट जो लाया गया है, जैसा कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि यह किसी की नकल की गई है। तो नकल में स्वाभाविक होता है कि अक्ल नहीं लगती है। एक तो खुद आदमी किसी एक्ट को तैयार करता है और एक किसी की नकल करता है। नकल करने में, वहां की परिस्थिति कुछ अलग है, यहां की परिस्थिति अलग है, यहां के लोग तो रिसर्जेन्ट राजस्थान बुला रहे हैं और गुजरात में खुद अपने आप आ रहे हैं। अपने आप इसलिए आ रहे हैं माननीय सभापति महोदय, कि वहां पोर्ट नजदीक है, समुद्र नजदीक है, चार-पांच पोर्ट हैं, बड़ी रिफाइनरी लगी है। अपन जब आजाद नहीं हुए थे, उस समय गुजरात में नहरें चल रही थीं, उस वक्त गुजरात में उद्योग लगे हुए थे। वह अपने आपमें विकसित स्टेट है तो माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके मार्फत निवेदन है कि परस्पर विरोधी होने से इनमें सुधार किया जाये।

इसके साथ ही माननीय सभापति महोदय, निवेदन है कि इसमें लिखा हुआ है कि बोर्ड के पास तो कुछ नहीं है। जबकि क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के पास में "...जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और जिसे जंगम और स्थावर सम्पत्ति का अर्जन, धारण तथा व्ययन करने की और संविदा करने की शक्ति होगी और वह अपने नाम से वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा..." माननीय सभापति महोदय, यह क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण अपने आपमें सक्षम है, सब कुछ करेगा और बोर्ड जब कुछ भी नहीं करेगा तो बोर्ड की कोई अहमियत नहीं रहती है।

उसमें आगे लिखा गया है, "परन्तु राज्य सरकार एक से अधिक विशेष विनिधान रीजन के लिए, एकल क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन कर सकेगी" इसमें स्पष्ट नहीं है कि जो क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण बनेगा, वह कितने जिलों में बनेगा, कहां बनेगा, उसमें कितने जिले सम्मिलित होंगे या मान लो, जहां एक ही इण्डस्ट्रियल एरिया बनाने जा रहे हो, उसी तक सीमित होगा? इसकी कोई परिभाषाएं या सीमाएं तय नहीं की गई हैं। तो इसके तहत क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की सीमाएं तय की जायें कि एक औद्योगिक इकाई तक ही सीमित होगा या एक जिले तक सीमित होगा या दो जिलों में एक

(श्री सुखराम विश्नोई)

होगा?'' या आगे जो कहा गया है, ''क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन में एकल क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण होगा'' मतलब एक ही पूरे स्टेट में होगा? किस तरह का होगा? वह इसमें स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है। यह जो क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण है और इसमें भी आगे कहा गया है, ''राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सदस्य सचिव होगा।'' मुख्य कार्यपालक अधिकारी किस पद का होगा? किस ग्रेड का होगा? वह भी स्पष्ट नहीं है।

इसमें 13 सदस्य लिये जाने हैं। आगे कहा गया है कि 13 सदस्य किस आधार पर लिये जायेंगे? यह भी स्पष्ट नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, जब ये अपने आपमें स्पष्ट नहीं है तो इसको स्पष्ट किया जाये।

उसके बाद में ''सैक्शन-10 में क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य: इस शक्तियां और कृत्य के अन्दर (क) के अन्दर लिखा है, विशेष विनिधान रीजन के भीतर क्रय, पट्टा, विनिमय, करार के द्वारा या अन्यथा भूमि अर्जित, उपाप्त और धारित करना;'' माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि कोई उद्योगपति यह कल्पना कर लेगा बैठा-बैठा कि मुझे इतनी जमीन चाहिए और वह इस क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को लिखकर दे देगा, मुझे इस क्षेत्र के अन्दर इतनी जमीन चाहिए। केवल मात्र संभावना के आधार पर ही वह जमीन मांगेगा और जमीन इस प्राधिकरण को देनी पड़ेगी, आबंटन करनी पड़ेगी। तो एक तरह से जो लैण्ड एक्वायर का एक्ट बना हुआ है, उसका भी इसमें उल्लंघन किया गया है।

मेरा माननीय सभापति महोदय, निवेदन है कि केवलमात्र किसी व्यक्ति के, किसी उद्योगपति के कहने मात्र से, मंशा मात्र से यह क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण जमीन आबंटन की व्यवस्था करेगा और व्यवस्था करने के बाद में वह जमीन को ग्रहण कर लेगा और फिर धीरे-धीरे उसका लैंड यूज चेंज करके, जिस तरह से महिन्द्रा सेज ने किया है, अलवर में किया है तो केवल मात्र जमीन एक्वायर करने के बाद में वह लैंड यूज करेगा या चेंज करेगा, इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं है। मान लो, कोई लैंड यूज चेंज कर लिया तो चेंज करने के बाद में जो शास्ति या दण्ड प्रावधान किये गये हैं, वह केवलमात्र

(श्री सुखराम विश्नोई)

किसान है, जो जमीन दे रहे हैं, उनके लिए है परन्तु जो कम्पनियां आ रही हैं, कम्पनियों के विरुद्ध माननीय मंत्रीजी दण्ड का कोई प्रावधान इस एक्ट में नहीं किया गया है। वह बड़ी कम्पनियां आ रही हैं और उसके लिए आगे डिटेल में कहूंगा। जो बड़ी कम्पनियां आ रही हैं, बड़ी कम्पनियां समय पर काम करती नहीं हैं। वह उसका उल्लंघन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। उनके बारे में शास्ति दण्ड के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। केवल-केवलमात्र किसानों के प्रति, किसानों के सम्बन्ध में है। जमीन जो दे रहे हैं, उनके प्रति दण्ड का प्रावधान किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, आगे उसी धारा (झ) में कहा गया है, ''विशेष विनिधान रीजन के लिए सुरक्षा, व्यवस्था, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय रक्षोपाय, आपदा प्रबंधन की अनुपालना और अभिवृद्धि के लिए इंतजाम करना'' ये किस तरह से इंतजाम करेंगे? उस नगरपालिका क्षेत्र के पास में है। उस नगरपालिका क्षेत्र लगा हुआ है या ग्राम पंचायत लगी हुई है। उनकी व्यवस्था अलग है। जब वहां उद्योग लगेंगे नगरपालिका के पास में या ग्राम पंचायत के पास में लगेंगे तो कई तरह के लोग, बाहर के लोग आयेंगे। उस गांव की, उस नगर की व्यवस्थाएं, शांति व्यवस्थाएं भंग होंगी। नये लोग आयेंगे तो एक नया परिवेश वहां तैयार होगा। उसको कंट्रोल करने में तकलीफ आयेगी।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि वहां का पर्यावरण दूषित करेंगे क्योंकि अवशिष्ट डालेंगे, वहां कूड़ा-कचरा डालेंगे। दूसरी जो बहुत सारी इण्डस्ट्रीज लगेंगी, वह वहां का जो कचरा होगा, कचरा डालकर वहां का पर्यावरण नष्ट करेंगे और नगरपालिका क्षेत्र में और ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वालों का स्वास्थ्य पर खतरा पैदा होगा।

उसके आगे लिखा हुआ है, ''इसके कृत्यों की अनुपालना में इसकी सहायता करने के लिए विशेष ज्ञान या कौशल रखने वाले व्यक्तियों या सलाहकारों को लगाया जाना'' मेरा माननीय सभापतिजी, आपके मार्फत निवेदन है कि किस तरह के लोगों को आप क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में शामिल करोगे? कौशल, कौनसा कौशल? किस ग्रेड तक का? कौनसी डिग्री किया हुआ? कैसे आदमी को रखोगे? उसने किस बात में डिग्री कर रखी है? कोई टैक्नीकल आदमी है जिसको आप उस क्षेत्रीय प्राधिकरण में रखने जा रहे

(श्री सुखराम विश्नोई)

हो? केवलमात्र लिख दिया, कौशल रखने वाले या विशेष ज्ञान, तो विशेष ज्ञान की परिभाषाएं और कौशल रखने वालों की परिभाषाएं इसमें आनी चाहिए। इस तरह का कौशल, इस तरह का स्किल्ड परसन होना चाहिए जिसको उसमें रखेंगे। यह भी इसमें स्पष्ट नहीं है।

उसके बाद में आगे जो (ड) है, ''इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यातायात, पर्यावरण, भवन, भूमि उपयोग और किन्हीं अन्य प्रयोजनों के उचित विनियमन के लिए समितियों का गठन करना:'' इसके बाद में यह जो क्षेत्रीय प्राधिकरण है, यह यातायात के लिए अलग समिति गठित करेगा, पर्यावरण के लिए अलग समिति गठित करेगा, भवन के लिए अलग करेगा। भूमि उपयोग के लिए, किस बात के लिए भूमि उपयोग में ली जाये, उसके लिए अलग समिति गठित करेगा। तो माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि कितनी समितियां होंगी? पांच समितियां होंगी या दस समितियां होंगी? वह समितियां इसमें स्पष्ट नहीं हैं। समिति के पावर क्या होंगे? समिति कौन बनाएगा?

(16.00 बजे)

समिति का कार्यालय कहां होगा, ये पूरी बातें इसमें स्पष्ट होनी चाहिए जबकि इसमें स्पष्ट नहीं है। उसके बाद में (फ) में लिखा है ''ऐसे अतिक्रमणों और सन्निर्माणों को हटाना जो सम्यक रूप से प्राधिकृत न किए गए हों या जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के उल्लंघन में किए जाएं'' अभी तो नियम नहीं बने हुए हैं। जब बने नहीं हैं तो पहले ही डाल दिया, किस तरह के बनेंगे? मेरा माननीय सभापति निवेदन है कि अतिक्रमण किसको मानेंगे आप? किसी नगरपालिका ने अपना कब्जा कर रखा है अगली योजना के लिए। जब आबादी में नहीं है मान लो कोई एरिया और नगरपालिका ने दीवार कर रखी है, जमीन वह सिवाय चक है और सिवाय होने की वजह से नगरपालिका की जमीन या ग्राम पंचायत जमीन उस प्राधिकरण के अंदर में आ गई है तो अतिक्रमण हटाना, सन्निर्माणों को हटाना कैसे सम्भव होगा? अपने आप में स्पष्ट है कि यह तो सीधा-सीधा जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, नगरपालिकाएं हैं, ग्राम पंचायतें हैं, नगर निगम हैं उनके अधिकारों पर कुठाराघात है। इसके बाद में माननीय सभापति महोदय (ब) में लिखा है ''बोर्ड को विशेष विनिधान रीजन और इसकी परियोजनाओं की योजना, विकास,

(श्री सुखराम विश्नोई)

प्रचालन, अनुरक्षण, प्रबंध और विनियमन की अद्यतन जानकारी देना और इससे सम्बन्धित मामलों पर राज्य सरकार और बोर्ड द्वारा जारी किए गए निदेशों, नीतियों, मार्गदर्शनों और मापदण्डों को क्रियान्वित करना'' माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जब बोर्ड और ये दोनों हैं इनकी पालना के लिए भेजेंगे। बोर्ड निर्देश देगा या क्षेत्रीय प्राधिकरण निर्देश देगा, कौन अधिकारी निर्देश देगा यह स्पष्ट नहीं है, यह स्पष्ट किया जाए। इसके बाद (य) में लिखा हुआ है ''विशेष विनिधान रीजन के भीतर लोक और नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना।'' वो जो किसी नगरपालिका क्षेत्र के अटैच कोई जोन आया हुआ है। उस जोन में रहने वालों को जैसी नगरपालिकाएं सुविधाएं दे रही हैं वैसी की वैसी सेवाएं उपलब्ध कराना यह एक दोहरी व्यवस्था हो जाएगी। क्यों नहीं जो नगरपालिका आलरेडी है, ग्राम पंचायत आलरेडी है उसी के अधीन रखी जाए ताकि एकरूपता से, एक व्यवस्था से कोई व्यवस्था चल सके और वहां के लोगों का भला हो सके।

उसके बाद में (यग) में लिखा है ''अध्याय-6 के अनुसार विशेष विनिधान रीजन के लिए भूमि उपाप्त करना'' भूमि के लिए मैंने पहले निवेदन किया है जो भूमि अलोट कराएंगे। वह जमीन कितनी क्या होगी उद्योग सीमा के लिए, मतलब क्षेत्रफल कितना होगा, कितनी जमीन की आवश्यकता है? मान लीजिए दस उद्योगपतियों ने आवेदन कर दिया कि हमारे को इतनी चाहिए परन्तु उसके बाद में आता एक उद्योगपति है तो इतनी जमीन जो आबंटन कराई गई है वह किस काम होगी, किस काम के लिए ली जाएगी? केवलमात्र इस अधिनियम की मंशा एक ही है कि किसानों से जमीन हड़पना, जमीन लेकर के उद्योगपतियों को देना और धीरे-धीरे उसका लैंड यूज बदल करके दूसरे काम में लेना। मतलब किसान तो रोते रहे और उद्योगपति मालामाल हो जाए।

सभापति महोदय, इसके बाद में अध्याय-5 के अन्दर विशेष मास्टर योजना की तैयारी। पहले तो जमीन लेंगे फिर योजना बनाएंगे। इसमें लिखा हुआ है 12. विद्यमान मास्टर विकास योजनाओं का लागू होना:- ''(1) यदि, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व, राज्य सरकार ने विशेष विनिधान रीजन के किसी क्षेत्र के लिए कोई मास्टर विकास योजना अधिसूचित कर दी हो तो ऐसी मास्टर विकास योजना उस विशेष विनिधान रीजन के उस क्षेत्र के लिए मास्टर विकास योजना होगी'' पहले कोई नगरपालिका ने मान लीजिए कोई मास्टर

(श्री सुखराम विश्नोई)

प्लान योजना बना दी है तो वो इस एक्ट के बनने के बाद सुओमोटो ही अपने आपमें उस प्राधिकरण में चली जाएगी। नगरपालिका और ग्राम पंचायतें बैठे बैठे देखते रहो। उसके बाद में माननीय सभापति महोदय, सैक्शन-13 (ख) में लिखा हुआ है ''प्रदूषक और गैर प्रदूषक औद्योगिक क्रियाकलापों, विनिर्माण क्रियाकलापों, आर्थिक क्रियाकलापों के अन्य प्रकार, अवसंरचना सुविधा, लोक और नागरिक सुविधा, अवसंरचना परियोजनाओं और किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि का सीमांकन और आरक्षण।'' माननीय सभापति महोदय यह जो सैक्शन (ख) है इस (ख) में आप उसका सीमांकन कैसे करेंगे? सीमांकन का आधार क्या होगा? मान लीजिए एक प्रदूषित फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं एक कपड़ा रंगाई छपाई की लग रही है तो उसमें कितनी जमीन चाहिए। उसके ट्रीटमेंट प्लांट के लिए कितनी जमीन चाहिए। गैर प्रदूषण फैक्ट्रियां हैं क्या एक तरफ लगेंगी या साथ-साथ में लगेंगी तो उसका सीमांकन किस तरह से होगा वह इसमें स्पष्ट नहीं है। एक तरफ तो जो प्रदूषित फैक्ट्रियां हैं वह एक साइड में लगेंगी या गैर प्रदूषित फैक्ट्रियां एक साइड में लगेंगी। इसका सीमांकन और आरक्षण करने का इसमें प्रावधान स्पष्ट नहीं है तो प्रावधान स्पष्ट किया जाए और गैर प्रदूषक फैक्ट्रियां लगें, माननीय मंत्रीजी, आपसे निवेदन है कि पाली में जो हालात है, बालोतरा में जो हालात है वो जो एक जीवन रेखा थी लूणी नदी, उस जीवन रेखा लूणी नदी के अन्दर वह प्रदूषित पानी डाल दिया गया। ट्रीटमेंट प्लांट लगे और ट्रीटमेंट प्लांट न तो कोई जांच करता है उस पानी की, केवलमात्र कहने के ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनकी कोई पालना नहीं हो रही है, गंदा पानी लूणी नदी के अन्दर छोड़ा जा रहा है और वह पूरे खेतों को खराब कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, 400 किलोमीटर वह लूणी नदी चलती है और आसपास के रेडियस के अन्दर जो भी कुए हैं वो कुए सब खारे हो गए हैं और उनमें जहरीला पानी आ गया है, वैसे ही हालत इस क्षेत्र में बनेंगे इसलिए माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है इनका सीमांकन तय किया जाए। उसके बाद में (ग) में लिखा है ''विशेष विनिधान रीजन के भावी विकास के लिए व्यापक भूमि आबंटन'' देखिए, पहले भी मैंने निवेदन किया था कि भावी विकास। मतलब भविष्य में हम ऐसा विकास करेंगे। केवल मात्र जो पीढ़ियों से किसान रह रहे थे उन पीढ़ियों से रह रहे किसानों का हक भावी विकास के नाम से छीना जा रहा है और किसानों के साथ में धोखा होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो भावी विकास की बात कही गई है

(श्री सुखराम विश्नोई)

यह अंग्रेज जो कानून ला रहे थे, इनसे भी काला कानून यह साबित होगा और माननीय सभापति महोदय ये जो सत्तापक्ष में लोग बैठे हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि दो साल के बाद में जब आप गांवों में जाएंगे तो लोग कहेंगे यह कैसा एक्ट बनाया है? इसमें लोग अपील भी नहीं कर सकते, मतलब सिविल राइट्स भी खतम हो गए। केवलमात्र प्राधिकरण, ट्रिब्यूनल और ट्रिब्यूनल के अन्दर जो आदमी बैठे हैं क्या फैसला करते हैं। आपने ट्रांसफर की, दस हजार दिया और हाथों हाथ स्टे ले लिया। ऐसे-ऐसे ट्रिब्यूनल चेयरमैन बैठे हैं और ऐसे ही इसमें बनेंगे। दस हजार में आज आपको स्टे मिल जाता है ऐसा ही आदमी इस ट्रिब्यूनल में आपका चेयरमैन होगा, वो क्या न्याय करेगा? सभापति महोदय, इसमें भावी योजना का मायाजाल दिखाकर के किसानों से जमीन हड़पने के अलावा कोई एक्ट का प्रोविजन नहीं है। उसके बाद में सैक्शन-14 में लिखा है ''मास्टर विकास योजना का प्रारूप तैयार होने पर राजपत्र में ऐसी अन्य रीति से जो नियमों द्वारा विहित की जायें, यह कथन करते हुए एक नोटिस जारी करेगा और प्रकाशित करेगा कि मास्टर विकास योजना का प्रारूप तैयार किया जा चुका है'' यह इस विधेयक के अन्दर कम से कम दस बारह बार आया है। राजपत्र में छाया करेंगे, गजट में छाया करेंगे यह दस बारह बार शब्द आया है। माननीय मंत्रीजी हर चीज गजट में छाया करेंगे और कोई चीज गजट में छाया होने के बाद में आप किसान को वापिस देना चाहते हो तो बड़ी समस्या पैदा होगी, इसमें भी ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद में माननीय सभापति महोदय सैक्शन-16 (3) में लिखा है ''राज्य सरकार, मास्टर विकास योजना प्रारूप को मंजूरी प्रदान करने से पूर्व, ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर विचार करेगी।'' कौनसी राज्य सरकार विचार करेगी? कौनसा पदाधिकारी विचार करेगा? उसका प्रोसीजर क्या होगा? सीआरपीसी या सीपीसी से सम्बन्धित होगा या एक्ट का प्रावधान होगा? यह इसमें स्पष्ट नहीं है यह स्पष्ट किया जाए। इसके बाद में सब सैक्शन (5) में लिखा है ''ऐसी मास्टर योजना, जो प्रचालन में आ चुकी हो, अंतिम मास्टर विकास योजना कही जायेगी और इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, क्षेत्रीय प्राधिकरण पर आबद्धकर होगी।'' कौनसी अंतिम मास्टर विकास योजना? इसको फाइनल कौन करेगा? इसको स्पष्ट किया जाए। इसके बाद में सैक्शन-17 (3) में लिखा है ''राज्य सरकार, प्रभावित व्यक्तियों को और क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी जांच, जैसी वह आवश्यक समझे, करने के

(श्री सुखराम विश्नोई)

पश्चात्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुमोदित उपान्तरण को परिवर्तनों सहित या उनके बिना, और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो वह उचित समझे, प्रकाशित करायेगी। उपान्तरण के राजपत्र में प्रकाशित होने पर, अंतिम मास्टर विकास योजना तदनुसार उपान्तरित की गयी समझी जायेगी।'' माननीय सभापति महोदय, यहां स्पष्ट लिखा हुआ है राज्य सरकार प्रभावित व्यक्तियों को सुने। राज्य सरकार किसको सुनेगी क्षेत्रीय प्राधिकरण और प्रभावित व्यक्ति। क्षेत्रीय प्राधिकरण कौन है, वो ही सरकार के नोमीनेट किया हुआ पदाधिकारी अध्यक्ष और वो जब उन किसानों की जमीन लेंगे तो राज्य सरकार में उन किसानों का पक्ष कमजोर पड़ जाएगा और राज्य सरकार प्राधिकरण की सुनेगी। माननीय सभापति महोदय, इसमें स्पष्ट प्रावधान किया जाए कि ये जो क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण और प्रभावित लोग हैं इनकी सुनवाई राज्य सरकार न करके सिविल कोर्ट सुनवाई करे। यह प्रावधान किया जाए, ताकि किसान अपनी जमीन को बचा सके, अपने आपको बचा सके।

माननीय सभापति महोदय, उसके बाद सैक्शन-18 – मास्टर विकास योजना का पुनरीक्षण। क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण मास्टर विकास योजना के प्रचालन में आने की तारीख से दस वर्ष में कम से कम एक बार यदि आवश्यक हो तो नया संशोधन करने और अपनी अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र का विद्यमान भू उपयोग का नक्शा तैयार करेगा। माननीय सभापति महोदय, महेन्द्रा सेज दी और सेज को जिस उद्देश्य के लिए दी उसकी जब पालना नहीं हुई, दो-तीन साल में पालना नहीं हुई। इसमें जो समय-सीमा तय की गयी दस वर्ष की गई। दस वर्ष तक उस विशेष औद्योगिक क्षेत्र का कोई पुनरीक्षण नहीं होगा चाहे उद्योग लगाओ चाहे नहीं लगाओ, जमीन काम में लो या नहीं लो। इसको दस वर्ष की जगह दो साल किया जाए, ताकि वो जो उद्योगपति है वो जमीन काम में ले रहा है या नहीं उसका सर्वे किया जाए, उसका पता लगाया जाए। यदि वह काम में नहीं ले रहा है तो किसान को जमीन वापस दी जा सके।

माननीय सभापति महोदय, उसके बाद में सैक्शन-19 में विकास स्कीमों की तैयारी उसकी अन्तर्वस्तु। कोई क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण मास्टर विकास योजना, जोन विकास योजना, ये दो योजनाएं जोन विकास योजना और मास्टर विकास योजना दोनों अलग-अलग हैं और उपबंधों के क्रियान्वयन

(श्री सुखराम विश्नोई)

के प्रयोजन के लिए एक या अधिक विकास स्कीमें तैयार कर सकेगा। माननीय सभापति महोदय, एक या अधिक विकास स्कीमें तैयार कर सकेगा। एक तो मास्टर विकास योजना हो गयी, एक जोन विकास योजना हो गयी और उसके बाद में और लिखा है इसके क्रियान्वयन के लिए। एक या अधिक मास्टर विकास योजना स्वीकृत करायेगा। कौनसी स्कीम मंजूर होगी, कौन चलायेगा। कम से कम एक चीज होनी चाहिए कि ये जो मास्टर विकास योजना है ये लागू रहेगी या जोन विकास योजना लागू रहेगी या तीसरा कोई आदमी बनायेगा वो स्कीम लागू रहेगी, स्पष्ट नहीं है। इसके बारे में स्पष्ट किया जाए। इसी सैक्शन ड. में लिखा है, ''अवसंरचना सुविधा और लोक तथा नागरिक सुविधा के लिए भूमि का आरक्षण आबंटन।'' माननीय सभापति महोदय, यह जो लिखा हुआ है प्लाटों का अभिन्यास करना और पुन: अभिन्यास करना उसके बाद इसी में लिखा हुआ है सैक्शन-छ में दीर्घावधि इंतजाम मलवहन, सतह पर या अन्य, इस तरह का लिखा हुआ है। उसके सैक्शन-ज में ऐतिहासिक महत्व या राष्ट्रीय...।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी में आधे पर ही आया हूं, साहब। मेरा सभापति महोदय, आपसे निवेदन है कि सैक्शन-19 में जो विकास स्कीम और जोन विकास योजना है इसको स्पष्ट किया जाए, ताकि लोग समझ सकें कि वाकई में सरकार की मंशा क्या है। उसके बाद सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि सैक्शन के इसी में उपधारा-2 में निर्दिष्ट घोषणा की प्रति क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यालय में समस्त युक्तियुक्त समय पर जनता के निरीक्षण के लिए रखी जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, आरटीआई जैसा मजबूत कानून बना है उस कानून की पालना नहीं कर रहे हैं तो कौन ऐसा अधिकारी है जो अपना निर्णय देकर के किसानों के लिए खुला छोड़ेगा कि यह प्रोजेक्ट पड़ा है, यह निर्णय पड़े हैं आप देख लो तो मेरा आपसे निवेदन है कि जब आरटीआई के अन्दर नकलें नहीं मिल रही हैं तो कौन सा अधिकारी ऐसा है जो जनता के निरीक्षण के लिए वो रिकार्ड उपलब्ध करायेगा। यह केवल मात्र लिखी जाने की बात है इसकी हकीकत में पालना नहीं होगी।

(श्री सुखराम विश्नोई)

माननीय सभापति महोदय, उसके बाद में निवेदन है कि सैक्शन-21 में क्लाज-2 है, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण राजपत्र में और ऐसी रीति से जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाए यह कथन करते हुए एक नोटिस प्रेषित करेगा कि ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में विकास स्कीम का प्रारूप बनाया गया है और नोटिस में उस स्थान का नाम कथन होगा जहां जनता द्वारा निरीक्षण के लिए एक प्रारूप में एक प्रति उपलब्ध होगी और यह कथन भी होगा कि उसकी प्रतियां, उसका लिया गया कोई भी उद्धरण जिसका सही होना प्रमाणित हो, जनता को विक्रय के लिए उचित मूल्य पर उपलब्ध होगा। किस मूल्य पर उपलब्ध होगा आरटीआई के तहत होगा या इसके नियम कोई अलग बनेंगे। यह स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट किया जाए, ताकि जो जनता के निर्णय हो रहे हैं जनता उनकी कापी ले सके। उसके आगे सभापाति महोदय, लिखा है विकास स्कीम की प्रारम्भ की तैयारी के बारे में उपधारा-2 के अधीन नोटिस के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के पश्चात यदि उसके द्वारा प्रभावित कोई व्यक्ति ऐसी विकास स्कीम के प्रारूप के सम्बन्ध में कोई आपत्ति लिखित में संसूचित करता है तो क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण ऐसे आक्षेपों पर विचार करेगा और विकास स्कीम के प्रारूप में ऐसे आवश्यक उपान्तरण कर सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, केवल मात्र इनके क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के कह देने से कुछ नहीं है उसके अधिकार स्पष्ट होने चाहिए, ताकि आने वाले जो पीड़ित पक्ष हैं उनको फायदा मिल सके। उसके बाद माननीय सभापति महोदय, निवेदन है, आपने घंटी बजा दी इसलिए मैं खास-खास बातें कह देता हूं कि क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की भूमि का निहित होना और उसका व्ययन। उसके बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट के भी इसमें प्रावधान किये हुए हैं सैक्शन-9 के बारे में आबादी को छोड़कर दूसरे बारे में वो भी इस एक्ट के लिए, किसानों के लिए, संस्थाओं के लिए यह काला कानून साबित होगा।

माननीय सभापति महोदय, निवेदन है कि इसी सैक्शन का 6. जहां सरकारी एजेंसियों को कोई भूमि या कोई अन्य सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को अंतरित और उसमें निहित की जाती है ऐसी सरकारी एजेंसियों को ऐसी भूमि और अन्य सम्पत्ति के लिए प्रतिकर यदि कोई हो संदत्त किया जाता है तो ये प्रतिकर ऐसा होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाए। माननीय सभापति महोदय, यह जो क्लाज लगाया

(श्री सुखराम विश्नोई)

है ये जो जमीन किसान देंगे उनके लिए घातक होगा। सरकार तय करेगी। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अन्य सम्पत्ति के लिए प्रतिकर यदि कोई हो, संदत्त किया जाता है तो यह प्रतिकर ऐसा होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाता है। जहां राज्य सरकार किसानों के हित तय करेगी या किसी नगर निगम या पंचायतों की जमीनें उनके हक तय करेगी तो ये अपने आप में गलत है यह एक कुठाराघात है संस्थाओं के प्रति और किसानों के प्रति।

माननीय सभापति महोदय, इसके बाद आगे लिखा हुआ है सैक्शन-28 में निजी पक्षकारों की भूमि का उपापन। जैसे लूनी से आने वाले माननीय सदस्य जोगाराम जी कह रहे थे कि निजी जो पक्षकार है वो उसकी जमीन के बारे में कोई क्षेत्रीय विकास प्राधिकारी ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जैसी वह विनिश्चित करे अपने कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित किसी भूमि को क्रय, पट्टे, विनिमय, करार द्वारा या अन्यथा, जिसमें भूमि का पूल बनाया जाना सम्मिलित है, उपाप्त कर सकेगा। ये पूलिंग का एक्ट भी कल ला रहे हैं। इसमें भी पूल का लिखा है कि मान लो कोई जमीन किसी ने जमीन एक्वायर कर रखी है औद्योगिक क्षेत्र के लिए, इन्वेस्टर रीजन के लिए उसके पास में कोई किसान की जमीन आती है उस जमीन के लिए जो व्यवस्था दी गई है, एक्ट पढ़ा नहीं है कि उसके लिए क्या प्रावधान हैं परन्तु इसमें लिखा हुआ है कि जिस भूमि का पूल बनाया जाना सम्मिलित है, उपाप्त कर सकेगा। वह जमीन वह ले सकेगा, वह किसान देना चाहता है कि नहीं चाहता यह भी स्पष्ट नहीं है। इसको स्पष्ट किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, इसके बाद में अध्याय-7 है 7 में ये जो...।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पांच मिनट में पूरा कर रहा हूं। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत बढ़िया बात रखी थी कि इसमें जो परन्तुक डाला हुआ है, परन्तु जहां परियोजना लागत दो सौ पचास करोड़ रुपये से अधिक परिकल्पित हो, वहां अवसंरचना परियोजना का जिम्मा राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए लिया जाएगा। दो सौ पचास करोड़ तक तो इनको पावर है उसके ऊपर स्कीम बनायेंगे नहीं इतने तक की ही बनायेंगे, ताकि यह मामला राज्य सरकार तक जाये नहीं तो इसमें प्रत्येक कार्य की राज्य सरकार की मानिटरिंग

(श्री सुखराम विश्नोई)

हो ऐसी व्यवस्था हो। इसके बाद में माननीय सभापति महोदय, ये रियायत करार है, कन्सेशन एग्रीमेंट है ये एग्रीमेंट इनके साथ पूरी, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत डिटेल से व्याख्या की है कि ये जो कंसेशन एग्रीमेंट वाले रियायत करार हैं, रियायत करार के अन्दर जो बातें कहीं गयी हैं वो बिलकुल अस्पष्ट हैं विरोधाभासी हैं, उनको छूट दी गई हैं, काम पूरा हो गया, समय पूरा हो गया। इसमें तीस साल का दिया हुआ है और तीस साल के बाद में मान लो जो उद्योगपति है, तीस साल पूरे हो गये ओर मान लो सरकार उसके खिलाफ है तो पन्द्रह साल की आगे उसको रियायत नहीं मिलेगी। मेरा माननीय सभापति महोदय, निवेदन है कि ये जो रियायत एग्रीमेंट, यह रियायत एग्रीमेंट न होकर परमानेंट एग्रीमेंट हो, ताकि उद्योगपति इस एग्रीमेंट में। मैं आज कह रहा हूं आपको माननीय सभापति महोदय, रियायत एग्रीमेंट के तहत कोई भी कंसेशन के लिए आपके पास नहीं आएगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मैं मेरी बात को पांच मिनट में पूरा कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: चालीस मिनट हो गये हैं आपको।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, बस दो मिनट।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें आप।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): हां। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है आपसे कि ये जो कानून बनाया गया है इसमें प्राधिकरण के बाद में कोई...।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, इन्होंने फिर वही कैसेट लगा दी, पूरा ही रिपीटिशन है, 100 परसेंट रिपीटिशन है।

श्री सभापति: वैसे तो अधिकतर बातें रिपीट हो रही हैं। माननीय सदस्य, जो बात हो चुकी ...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं, यह तीन-तीन, चार-चार एक्ट साथ में लाये तो हमको प्रावधान में इस पर बोलने की पूरी छूट है, आप

(श्री सुखराम विश्नोई)

रोक नहीं सकते कि आप क्यों बोल रहे हो। जब तक आसन संरक्षण नहीं करेगा ...(व्यवधान) मैं किस तरह मेरी बात रखूं यह मेरा तरीका है।

श्री सभापति: नहीं आप बोलो, आपने अपनी बात रख दी। माननीय सदस्य, मेरा यह निवेदन है कि रिपीट नहीं करें, बाकी आप नई बात रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सभी माननीय सदस्य रिपीट कर रहे हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, हम लोग बोल कर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: हनुमान जी आप विराजो। आपका नंबर आ रहा है, बैठो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट सुनो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आप काम तो कर नहीं रहे हो, कम से कम बोलने का अधिकार तो मत छीनो। बोलकर हमारी जो पीड़ा है उसको व्यक्त करते हैं।

श्री सभापति: हनुमान जी बैठो आप।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी बात पूरी कर रहा हूं।

श्री सभापति: अब आप दो मिनट में समाप्त करो।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): हां दो मिनट में। इस बिल का अध्याय का चैप्टर 13 है इसमें क्लाज 8 है इसमें स्पष्ट लिख दिया कि अपील प्राधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा। मैंने पहले भी निवेदन किया जो अपीलैट अथोरिटी है उसका रिजल्ट फाइनल होगा, उसका निर्णय फाइनल होगा। यह अपने आपमें भारत के संविधान की मंशा के विपरीत है। उसके बाद में इसी का सैक्शन 81 है, सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन, सिविल कोर्ट में जाने की वर्जना की है। भारत के संविधान की जो मंशा है यह दोनों धाराएं उसके विपरीत हैं तो सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (अनुपस्थित) श्री रमेश।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विशेष विनिधान रीजन विधेयक, 2016 के संदर्भ में चर्चा हो रही है, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं। इस बिल पर माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे और काफी गम्भीर चर्चा हो चुकी है। यह

(श्री रमेश)

बिल एक प्रकार से रीको का निजीकरण करने का बिल है और इसमें रीको का एक बड़ा आकार दिया गया है। इसकी अतुलनीय शक्तियां हैं और इस बिल में कहीं भी विकास का कोई खाका नहीं दिख रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले रिसर्जेंट राजस्थान में आपने 295 एमओयू 3.21 लाख करोड़ के और 2 लाख 36 हजार लोगों को रोजगार देने की बात कही। उसके नेक्स्ट-डे आपसे पत्रकारों ने पूछा कि निवेश आयेगा, तो आपने कहा कि 50 परसेंट तो आ ही जायेगा। आपके कहने के तात्पर्य से ऐसा लग रहा है कि निवेश कितना आयेगा, कितना नहीं आयेगा आपको विश्वास ही है। आपने जो एमओयू राजस्थान रिसर्जेंट के माध्यम से किये हैं, एक देहली मुम्बई कोरिडोर है उसके लिये आपको जमीन की जरूरत है लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान में एक नोडल एजेंसी है रीको, एक उपक्रम है, इसके माध्यम से राजस्थान में निवेश आये और इस रीको का एक ही काम रहता है कि ज्यादा से ज्यादा राजस्थान में निवेश आये और निवेश के लिये पूरे राजस्थान में जहां भी जरूरत होती है वहां भूमि की अवाप्ति की जाती है, एक्वायर की जाती है लेकिन आज तक रीको के पास एक ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम आनलाइन यह कह सकें कि हमारे पास इतनी भूमि है और इतने लोग इन प्लाटों पर फलां फलां प्रकार की इंडस्ट्रीज चला रहे हैं। स्थिति यह बन गई है कि प्लाट किसने अलाटमेंट कराया था, कौन उसको बेच गया, उसके बाद कितनी बार वह बिक गया और आज उस पर कौन काबिज है और कौनसे परपज की इंडस्ट्री डाल रहा है या रेजीडेंशियली या कामर्शियली उसका उपयोग कर रहा है, यह रीको के पास कोई खाका नहीं है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हमारे छोटे-छोटे औद्योगिक नगर जो आपने बसाये हैं वहां पर आपकी 50 परसेंट भूमि, आपके प्लाट खाली पड़े हुए हैं और आप फिर दूसरी तरफ चल पड़े कि भूमि रिजर्व करा लो, जहां भी जरूरत पड़ेगी निवेशकर्ता आयेगा उसको तुरन्त दे देंगे कि यह जमीन है, आप इस जमीन को ले लो। आप जिस प्रकार का वातावरण बना रहे हो, इन सवा दो सालों में आपने 35410 बीघा सरकारी और गैर सरकारी भूमि अवाप्ति की है, वह भी हमें दिख रहा है। सरकार का विकास का खाका तो दिखता नहीं है। लैंड बैंक बनाओ, भूमि अवाप्त करो और भूमि का आबंटन करो। हमें साफ दिखाई देने लग गया है कि जिस प्रकार आप भूमियों को अवाप्त कर रहे हो, पहले आप एक आईडीसी लाये,

(श्री रमेश)

इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कमेटी लाये, वह सरकारों का भ्रष्टाचार का पिछला दरवाजा होता था, वह पहले से ही आपके पास है। अब इसके साथ एक कानून ले आये, एक बिल ले आये जिसमें किसी की भी दादागीरी नहीं चलेगी, आपकी दादागीरी चलेगी, आपकी मनमर्जी चलेगी। आप जिसको चाहोगे उसको निजी हित के लिये निजी काम के लिये, निजी स्वार्थ के लिये जमीन दे सकेंगे, ऐसा इस बिल से महसूस होता है।

आप निवेश की बात कर रहे हैं, निवेश का वातावरण इस राजस्थान में कहां हैं। आपके पास बिजली नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, रा मैटेरियल संसाधन उपलब्ध नहीं है फिर भी आप दिन-प्रतिदिन कभी रिसर्जेंट राजस्थान, कभी सेज, कभी कोई नया निवेश लायेंगे, नित नये दिन आप यह प्रोग्राम कर रहे हैं। जनता की गाढ़ी कमाई को आप बरबाद कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आप जिस प्रकार का यह बिल लाये हैं यह राज्य के हित में नहीं है, आम जनता के हित में नहीं है और एक तरह से सरकार किसानों को कुछ दे तो नहीं रही, किसानों के स्टेटस को बढ़ाने का प्रयास सरकार नहीं कर रही है, बस एक ही मौका है किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी चीज में किसानों की भूमि को हम कैसे हड़प लें, किसानों की भूमि को हम कैसे खरीद लें, कैसे उस पर कब्जा कर लें, इसके लिये सरकार यह बिल लाई है। माननीय सभापति महोदय, इसमें मैं कहना चाहूंगा कि आपके जो पहले के प्लाट पड़े हुए हैं जिन पर कोई काम नहीं कर रहा है, खाली पड़े हैं केवल रियल एस्टेट का काम हो रहा है। उस पर उद्योग लगता नहीं है, आप रिजर्व एरिया घोषित कर देते हो और उसके बाद कोई आपके आईडीसी वाले कोई निवेशकर्ता को ढूंढ कर लाते हैं और उसकी मिलीभगत से किसी बाहर वाले निवेशकर्ता को वह कहते हैं बडी कंपनी आई है, बड़ा आदमी आया है, इसको जमीन औने पौने दामों में दे दो, पहले जो प्लाट अलाटमेंट कराता है उससे आप पैसे भी नहीं लेते हो, पैनल्टी भी नहीं लेते हो, प्रतिभूति राशि नहीं लेते हो, प्रोसेसिंग फीस नहीं लेते हो, उसकी पैनल्टी को माफ करते हुए आप किसी दूसरे के नाम अलाट कर देते हो। आप लैंड यूज़ चेंज कर देते हो, इस प्रकार यह कहां तक चलेगा। आपने इस बिल में जो प्रावधान किये हैं आप चाहे जिस क्षेत्र में केवल एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे और स्पेशल इंवेस्टमेंट रीजन कर देंगे, स्थानीय प्राधिकरण का कोई रोल नहीं रहेगा। एक तरह से एक अधिसूचना जारी की स्पेशल इंवेस्टमेंट के क्षेत्र में वह जमीन आ जायेगी। वहां के स्थानीय निकाय

(श्री रमेश)

हैं, जेडीए है या जो भी है, वह कुछ नहीं कर पायेगा, वह हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा। पहले भी आप प्राधिकरण लाये हैं और प्राधिकरणों की स्थिति क्या है, एक के बाद एक प्राधिकरण बनाने जा रहे हैं, गठन करने जा रहे हैं आप जेडीए जोधपुर देख रहे हो, जयपुर देख रहे हो, और भी प्राधिकरण आपने बनाये हैं जितने भी प्राधिकरण बनाये हैं सब में भ्रष्टाचार हुआ है, उस भ्रष्टाचार को रोक नहीं पाये। हमने पहले सदन में भी मांग की थी कि इसकी सीएजी से आडिट कराओ, लेकिन लोकल आडिट हो रही है, वह भ्रष्टाचार को नहीं रोक पा रहे हैं। एक नया प्राधिकरण का आप गठन कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि आप इसमें एक बोर्ड की स्थापना करेंगे और वह बोर्ड राजस्थान स्पेशल इंवेस्टमेंट रीजन बोर्ड कहलायेगा।

उसमें अध्यक्ष होगा, उसमें उपाध्यक्ष होगा, सदस्य होगा, सचिव होगा और उसके 12 सदस्य होंगे, आप उनकी गैर सरकारी नियुक्ति करेंगे। तो जो नियुक्ति करेंगे वे सदस्य कौन होंगे? उनकी क्या पात्रता होगी, क्या योग्यता होगी, कितने समय के लिए रहेंगे? लेकिन एक चीज जरूर समझ में आ रही है कि जो भी सदस्य रहेंगे, जिनकी नियुक्ति करेंगे, वो सरकार की मेहरबानी पर रहेंगे क्योंकि वो विकास की बात तो कर नहीं पायेंगे, वो सरकार के लाभ की जरूर बात करेंगे। यदि राज्य सरकार उनसे खुश नहीं रहेगी, बोर्ड खुश नहीं होगा तो आप उनको हटा भी सकते हो। इस तरह जब तक पद पर नियुक्ति रहेगी तब तक आप खुश रहेंगे। इसमें आपने निजी लोगों को भी जोड़ने की बात कही है। जो बोर्ड में राज्य सरकार की मर्जी से होगा और उसमें लगने वाले निजी लोग भी आपके चहेते होंगे। उनकी क्या योग्यता होगी, उसके बारे में भी आपने नहीं बताया है।

अध्याय – 4 में आपने प्राधिकरण गठन का प्रस्ताव रखा है। मूवेबल, इम्मूवेबल सम्पत्ति अर्जन, धारण, कांट्रेक्ट करने की शक्तियां रहेंगी व भूमि के आबंटन पर पट्टे की रकम या दूसरी-तीसरी बार बिक्री पर अतिरिक्त शुल्क वसूल कर सकेगा। इसमें माननीय मंत्रीजी हैं, वो शामिल होंगे। उनके क्षेत्र के एम.एल.ए., एम.पी., सदस्य होंगे और एक मुख्य कार्यपालिका अधिकारी जो होगा, वो प्राधिकरण का कर्ता-धर्ता होगा। जैसे रीको में है, सेम है। वही बात आ गयी, वही सिस्टम आ गया। आई.डी.सी. वाला सिस्टम कि सारा शहंशाह कौन होगा, रीको हो गयी, आई.डी.सी. हो गयी। उसके आधार पर क्या निर्णय होंगे, क्या नहीं होंगे, यह उसकी पावर में रहेगा। इस प्रकार स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन

(श्री रमेश)

में एक मास्टर प्लान बनेगा, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन की भूमि के उपयोग को रेगुलेट, विकास और उसके पूरे सिस्टम को बनायेगा और बनाकर भूमि के उपयोग को निश्चित करेगा, तय करेगा कि कैसे भूमि देनी है? किसको नहीं देनी है?

माननीय सभापति महोदय, मास्टर प्लान की एक प्रति आमजन को अवलोकन के लिए भी रखी जाएगी और प्राधिकरण की उस मूल प्रति को खरीदा भी जा सकेगा और साठ दिन की अवधि में उस पर आक्षेप, सुझाव देने होंगे, जिसके अनुसार उस मास्टर प्लान में संशोधन करना होगा लेकिन जिस प्रकार की भाषा इस कानून और बिल में है और उसकी जो कापी है, वो पैसों से मिलेगी तो सरकार इसमें इस तरह का उपाय करे, ऐसा सरलीकरण करे कि आमजन की समझ में आ जाए कि यह कानून आया है तो वो मेरी जमीन को प्रभावित करेगा, नहीं करेगा, कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, एक आम आदमी को इसकी कापी ईजी गोइंग सुलभ हो सके, क्योंकि प्राधिकरण की कापी होगी तो उसकी कोस्ट ज्यादा होगी। इतनी कोस्ट नहीं होनी चाहिए। सरकार इस पर विचार करे कि इसे नोमिनल रेट पर या फ्री दी जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का बिल ये ला रहे हैं तो मास्टर प्लान में जो भी व्यवस्था है, उसकी आम आदमी को जानकारी होनी चाहिए। संशोधन के प्रति सरकार भी संवेदनशील रहनी चाहिए कि कहीं लोगों के साथ कुठाराघात नहीं हो और आपने औद्योगिक क्षेत्र में उन स्थानों को भी सम्मिलित किया है जो जलराशियां हैं। आखिर राज्य सरकार राज्य की जनता के हक वाले जलीय क्षेत्रों को किस आधार पर स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में रख सकती है? इसके साथ ही ऐतिहासिक महत्व के स्थान, राष्ट्रीय हित के, प्राकृतिक सौंदर्य के स्थान, धार्मिक स्थान के भवन भी आपने स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में सम्मिलित कर लिए। इससे ऐसा लगता है कि विकास के जोम में आप इसको भी लेंगे। इस प्रकार आपने सभी सम्पत्तियां जो राज्य की, जनता की हैं, उनको स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में आप निजी सम्पत्ति मान लेंगे, निजी सम्पत्ति हो गई। आखिर यह कौनसा निर्णय है? यह कौनसा विकास है इस राजस्थान प्रदेश का कि आप आमजन के मौलिक अधिकारों को भी छीन लेंगे?

माननीय सभापति महोदय, इस बिल के माध्यम से किसी निकाय में निहित कोई भी भूमि क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को चाहिए तो वह किसी

(श्री रमेश)

कानून के होते हुए भी केवल अधिसूचना द्वारा उस भूमि को ले सकेंगे और राज्य सरकार जो मुआवजा निर्धारित करेगी वो उसको मिलेगा। इसी प्रकार आप निजी खातेदार हैं, आप उनसे किराये पर भूमि ले सकते, किराये पर भी दे सकते हैं और 250 करोड़ से ऊपर का जो भी मैटर होगा, वो राज्य सरकार को जायेगा। मैक्सिमम 90 परसेंट से ऊपर इस तरह के जो केसेज हैं, जो बिल में बात कही गई, वो राज्य सरकार के पास आयेंगे और राज्य सरकार यह बिल भी ले आयी। उसके पास आई.डी.सी.बी. है तो मनमर्जी से जिसको चाहेंगे उसका निवेश लायेंगे या नहीं लायेंगे। यह तो निश्चित रूप से तय हो गया है कि इससे इस प्रदेश में भ्रष्टाचार जरूर बढ़ेगा। आपने क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण आर्थिक क्रियाकलाप के लिए कस्टमाइज पैकेज प्रस्तावित किया है, जिसमें हिस्सेदारी 49 परसेंट से अधिक नहीं होगी, लेकिन यदि केन्द्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी एजेंसी या कम्पनी निकास संस्था से करार किया जावे तो वह सीमा लागू नहीं होगी, जबकि पूर्व में स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में आबादी क्षेत्र, गांव और उसके विकास से जुड़ी भूमि को शामिल नहीं करने की बात कही गई । ये दोनों ही बात आ रही हैं तो इससे ऐसा लगता है कि विरोधाभासी है। जब भी मंत्रीजी जवाब दें तो इसका स्पष्टीकरण करें। वैसे अभी सुखराम जी ने बताया था कि अपराध जो होगा, उसमें आपने पांच हजार से लेकर एक लाख रुपए तक का जुर्माना रखा है और बिना क्षेत्रीय विकास अधिकारी के अनुमति के भूमि का विक्रय नहीं होगा। दोषी पाये जाने पर पांच वर्ष तक की जेल या एक लाख तक जुर्माना देना होगा या दोनों। इसके अलावा आपने अप्राधिकृत निर्माण के लिए जुर्माना केवल पांच रुपए और बाद में प्रतिदिन सौ रुपए रखा है। इस प्रकार तो वो निरन्तर अप्राधिकृत निर्माण करेगा। आखिर तीन हजार रुपए महीने का जुर्माना कौनसा बड़ा है? जिस प्रकार अतिक्रमणों पर एक लाख रुपए रखा है तो इसको भी आप कंसीडरेशन करें।

मेरा निवेदन है माननीय सदस्य बता चुके हैं, इस बिल में जो कनक्लूजन है, पहले वक्ता कह चुके हैं। मेरा तो यही निवेदन है कि सरकार जिस प्रकार यह बिल लेकर आयी है स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का, तो यह राजस्थान की जनता के साथ धोखा है और किसानों की भूमि को हड़पने का मात्र एक षड्यंत्र है तो मैं इस बिल का विरोध करता हूं और इसे जनमत जानने के लिए तीन माह के लिए परिचालित किया जाए। धन्यवाद ।

श्री सभापति: श्री हनुमान बेनीवाल।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय राजस्थान विशेष विनिधान रीजन विधेयक, 2016, राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016 तथा राजस्थान नगरीय भूमि (हक प्रमाणन) विधेयक, 2016 पर विचार, पारण और आज का बिजनस पूरा होने तक समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: आज का बिजनेस पूरा होने तक समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बोलू मैं।

श्री सभापति: हनुमान जी समय बढ़ गया है लेकिन आपका समय निश्चित है। (व्यवधान)

विधेयक पर विचार

राजस्थान विशेष विनिधान रीजन विधेयक, 2016

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मेरा ही अब आगे आने वाला समय, चिंता मत करो आप। सभापति महोदय, राजस्थान विशेष विनिधान रीजन विधेयक, 2016 में 12 प्रकार के रियायती करार का प्रावधान धारा 31 में किया गया है, जिसमें लगभग सभी तरह के करार को शामिल किया गया। स्पष्ट नहीं है कि सरकार की मंशा क्या है? इतने तरीके के करारों का अनुचित इस्तेमाल और प्रभावशाली लोगों के द्वारा फायदा उठाने की इसके अन्दर प्रबल संभावना है। सभापति महोदय, ऐसी स्थिति में विधेयक पर विस्तृत चर्चा के लिए कम-से-कम तीन महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाना चाहिए कि यह विधेयक किसान के हित में है, सरकार के हित के अन्दर है। इस विधेयक की आड़ में कुछ शक्तियां हम दूसरे लोगों को तो नहीं दे रहे हैं? हमें तो लग रहा है कि यू.डी.एच. के अन्दर भी उद्योग मंत्रालय का पूरा दखल रहेगा और निश्चित रूप से यह काला कानून राजस्थान की सरकार लेकर आ रही है। संभावना है कि इन करारों का अनुचित प्रयोग महिन्द्रा सेज की तरह सुविधा क्षेत्र की भूमि को व्यावसायिक व रियल एस्टेट के प्रयोग में भ्रष्टाचार की तरह हो जाएगा। सभापति महोदय, पहले भी सरकार ने महिन्द्रा सेज को बहुत बड़ी जमीन दी, जो आपकी 2003-08 की सरकार थी।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

उसमें लगभग ढाई हजार बीघा महेन्द्रा सेज को जमीन दी थी, आप नया विधेयक भी लाए थे, वहां हजारों लोगों को रोजगार देने की बात सरकार ने की थी लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण, आपकी पीयूसी भी वहां गई और सबने रिपोर्ट दी कि महेन्द्रा सेज के अन्दर जो एमओयू राजस्थान की सरकार ने किया था, महेन्द्रा सेज उस एमओयू पर खरी नहीं उतरी। अरबों-खरबों रुपये की जमीन आपने महेन्द्रा सेज को दे दी। हमें तो लगता है इस विधेयक की आड़ में राजस्थान के अन्दर ऐसे कितने ही महेन्द्रा सेज के नाम पर उद्योगपति आएंगे और लैंड बैंक बना लेंगे। आज महेन्द्रा सेज की जो स्थिति है, हजारों लोगों को रोजगार देने की बात कही थी लेकिन सिर्फ जेसीबी इनफोसिस और एक बैंक वहां पर चल रहा है। सैंकड़ों लोगों को आप वहां रोजगार दे रहे हो, हजारों की जगह सैंकड़ों पर आ गए। अभी सुविधा क्षेत्र का जोन था उसके अन्दर भी ढाई सौ बीघा जमीन पार्क के लिए, स्कूल के लिए जो आरक्षित कर रखी थी उस जमीन को भी सरकार ने, इसके अन्दर बहुत बड़ा नाम यूडीएच सैक्रेटरी का, मुख्य सचिव का, सबका आया था कि इन्होंने औने-पौने और छोटे स्वार्थ के लिए महेन्द्रा सेज को बहुत बड़ा फायदा पहुंचा दिया।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि जब सरकार सुराज संकल्प यात्रा के दौरान गई थी तब एक बहुत बड़ी बात सरकार ने कही, घोषणा पत्र के अन्दर कही, सुराज संकल्प यात्रा के अन्दर कही कि जो फालतू के कानून राजस्थान के अन्दर बने हैं, उनको वापिस लेंगे, उनको समाप्त करेंगे। रोजगार के साधन राजस्थान के जवान को हम देंगे, 15 लाख जवानों को रोजगार देने की बात सरकार ने की थी। राजस्थान का जवान और राजस्थान का किसान आपके झांसे में आ गया लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ढ़ाई साल पूरे होने को है, सदन के अन्दर यह बात चली कि सात लाख को तो नौकरियां दे दीं। मुझे लग रहा है कि अगला बजट जब पारित होगा तब आप कह देंगे कि 15 लाख को हमने रोजगार दे दिया। आपको वापिस पूछने वाला कौन है, आपकी सरकार है। दो तिहाई से ज्यादा बहुमत है। चाहे जो बोलो, चाहे जो करो, व्यवस्था यहां है नहीं। आप नई-नई बातें कर रहे हो, यह कर देंगे, वह कर देंगे लेकिन करने से पहले राजस्थान के अन्दर कानून व्यवस्था की स्थिति तो ठीक करो। नहीं तो आप बताओ यहां उद्योगपति क्यों आएंगे। अपने बच्चों का अपहरण कराएंगे यहां पर आकर। कोई स्कूल है ढंग की, कोई व्यवस्था है यहां पर? पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। आजादी के 70 साल बाद

(श्री हनुमान बेनीवाल)

राजस्थान किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अभी तो आप नये-नये एमओयू करके रिकार्ड बनाना चाहते हो कि हम रिसर्जेंट राजस्थान, राजस्थान को फिर रिसर्जेंट करेंगे। गलती से मैंने भी आपकी पार्टी से 2008 में चुनाव लड़ा था।

श्री सभापतिः आप विधेयक पर बोलो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बोल रहा हूं ना, उसी पर आ रहा हूं।

श्री सभापतिः बच्चों के अपहरण पर और इस पर....

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, या तो आप यह तय कर दो कि यह चार बात बोलनी है। अब सारी दुनिया बोल रही है, आप मुझे रोक लोगे तो क्या हो जाएगा।

श्री सभापतिः सारी दुनिया विधेयक पर बोल रही है, आप विधेयक के अलावा बोल रहे हो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): विधेयक के अलावा बोला ना, लोगों ने तो आधा-आधा घंटा भाषण दे दिया। अब आप शुरुआत में ही हमारे को डिस्टर्ब कर दोगे.....

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): शुरुआत ही किया है?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): दो-पांच मिनट बोलने दो साहब, ऐसे क्या करते हो आप। आप क्या है कि हमारे को चूका देते हो। बिल पर ही तो बोल रहा हूं। सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार, अभी आपकी सरकार के ढ़ाई साल के कार्यकाल ....

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप कर रहे हो मुझे, यह नहीं कर रहे । आपने चार ब्लाक आबंटित कर दिए। मेरे नागौर के अन्दर मूंडवा के अन्दर अम्बुजा सीमेंट को बीस साल पहले, यह हमारे हबीब साहब का भी इलाका है, आपने हजारों बीघा जमीन 1988 के अन्दर दे दी, 1988 से आज तक 27 साल हो गए, हजारों लोगों को रोजगार देने की बात थी, 20 हजार रुपये बीघा के अन्दर जमीन ली, आज उस जमीन का भाव है 50 लाख रुपये बीघा। एमओयू यह हुआ था कि आपको जमीन देंगे। सरकार जमीन देगी, उपजाऊ जमीन भी आपने एक्वायर की। सरकारी लैंड कम से कम दो हजार बीघा से ज्यादा आपने ली। अच्छी जमीन थी, अच्छा लाइम स्टोन उस इलाके में था लेकिन उन्होंने उस जमीन को चार बार बेचा। गुजरात अम्बुजा, फिर

(श्री हनुमान बेनीवाल)

अम्बुजा, पहले किसी थर्ड आदमी ने जमीन अपने नाम ली। लैंड बैंक, नागौर का एक उदाहरण दे रहा हूं राजस्थान के अन्दर ऐसी कई कम्पनियां होंगी, ऐसे कई उद्योग होंगे जो जमीन तो आपसे ले लेते हैं एमओयू के नाम पर, एमओयू कर लेते हैं और यह नये-नये विधेयक और कानून आप लेकर आते हो, इनसे निश्चित रूप से सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी का होता है तो उद्योगपतियों का। अधिकारियों के साथ मिलकर लंबी-चौड़ी बात कह देंगे, एमओयू पर हस्ताक्षर कर देंगे और उसके बाद मिलना आपको कुछ भी नहीं है। आपने 2003 से 2008 के बीच में भी प्रयास किया था लेकिन कोई नया राजस्थान उस समय भी रिसर्जेंट नहीं हुआ था। अब आप रिसर्जेंट राजस्थान को लेकर आए। पूरे देश का, राजस्थान का ध्यान आपने बटा दिया। एक साल तक प्रचार प्रसार करते रहे कि हम नवम्बर-दिसम्बर में रिसर्जेंट राजस्थान करेंगे, यह कर देंगे, वह कर देंगे। राजस्थान के जवान के मन में आपने फिर एक नया सपना आपने पैदा किया कि रिसर्जेंट राजस्थान होते ही यह हो जाएगा। आपने खाली ध्यान बटाने के लिए, सरकार की असफलताओं को छिपाने के लिए आपने रिसर्जेंट राजस्थान की बात करी, 3.21 लाख करोड़ के एमओयू आपने किये, 295 लाखों लोगों को रोजगार देंगे। आपने तो सांगानेर के अन्दर, पूरे राजस्थान में तो डार्क जोन, किसान टयूबवैल खुदाए तो आपका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, नहीं तो आप उसको टयूबवैल नहीं खोदने दोगे, वह अपना पेट पालने के लिए धरती का सीना चीरकर अन्न उत्पादन करता है, आप रोजगार तो देते नहीं हो, उसका डार्क जोन का मुकदमा दर्ज करके उसको सीज कर दोगे। अकेले सांगानेर के अन्दर आपने सैंकड़ों टयूबवैल रातों रात खुदा दिए रिसर्जेंट राजस्थान के अन्दर पानी सप्लाई हो। जयपुर के दूसरे लोग घूम रहे हैं ना, पानी पिला तो नहीं रहे हो। प्राइवेट टयूबवैल से कोई पिलाना चाहता है तो आप रोक रहे हो। आप खाली दिखाना चाहते हो कि हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं ।

मैं थोड़ा सा एक मिनट हटकर, ओलावृष्टि के अन्दर, आपने कहा कि सारे विधायक जाओ अपने-अपने इलाके के अन्दर। हमने सोचा कि जाकर वापिस आते ही पैकेज दे दोगे आप। हम गए, भागदौड़ करी, दो दिन घूमे और वापिस आने के बाद क्या मिला? आपने कहा नियम नहीं बने हुए है, दिल्ली सरकार के, राजस्थान सरकार के। नियम बनाने वाले आप हों दिल्ली में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, आपको चाहिए कि राजस्थान के

(श्री हनुमान बेनीवाल)

जवान को रोजगार के साधन ज्यादा से ज्यादा कैसे मिले। उद्योग मंत्रीजी यहां बैठे हैं, पहले बेरोजगार लड़का बी.ए., एम.ए. कर लेता था या कोई डिग्री लेकर आता तो उसको 50 हजार रुपये का, 1 लाख रुपये का लोन उद्योग विभाग देता था लेकिन आपने सपना दिखाया। ढाई साल के अन्दर आपने कितना लोन दिया आप बता दो मुझे? आपके उद्योग विभाग के सारे पद तो खाली पड़े हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार नीचे के लेवल पर आपके जिला मुख्यालयों पर, उद्योग विभाग के अन्दर हो रहा है। सभापति महोदय, अगर कोई लोन पास भी कराता है तो बिना पैसे दिए कोई लोन वहां नीचे के लेवल पर पास नहीं होता। आपने बहुत बड़ी बातें करीं।

सभापति महोदय, आपने बहुत बड़ी ताकत इस विधेयक से दे दी। धारा 81 है, 81 के अन्दर आपने लिखा है, सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन, कोई भी सिविल न्यायालय से किसी भी मामले का संज्ञान नहीं करेगा, कोर्ट के पूरे पावर इसको दे दिए आपने, विधेयक की आड़ में। जो राज्य सरकार, बोर्ड, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विनिश्चित किया जाना अपेक्षित हो या किया जा सके। सभापति महोदय, 1995 के अन्दर आपका जो कानून बना था राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 1995, (1996 का अधिनियम संख्या 7) इसके द्वारा 20 साल के अन्दर आप यह बताएं कि आपने राजस्थान में 20 साल में, अगर आपके उद्योग भी लगे तो भी उस कानून के हिसाब से कितने उद्योग लगवाए। ऐसा अचानक से क्या हो गया कि आपको एक नया विधेयक लाने की आवश्यकता हो गई। भूमि अधिग्रहण बिल, कितना प्रचार प्रसार आपने किया। आप लोकसभा के अन्दर दंभ भरते थे। आपके प्रधानमंत्री कहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए भूमि अधिग्रहण बिल पारित कराकर रहूंगा, हो गया क्या पारित आप यह बताओ? देश के अन्दर बड़े आंदोलन हुए, भदद् पिटी लोकसभा के अन्दर, राज्यसभा के अन्दर और आपको भूमि अधिग्रहण बिल वापिस लेना पड़ा, आज नहीं लोगे, कल आपको लेना पड़ेगा, अगर आप विधान सभा में हमारी बात नहीं सुनोगे, हमारा छोटा-सा विपक्ष है, निश्चित रूप से आपकी संख्या विपक्ष से 5-7 गुणा ज्यादा है। जरूरी नहीं है कि हम बोलें और आप उस बात पर चिंतन-मंथन करोगे। सरकार को कौन चला रहा है हम भी जानते हैं। राजस्थान की सरकार को अधिकारी चला रहे हैं। अधिकारी क्यों चाहेंगे, उनके हाथ के अन्दर तो बहुत बड़ा आ रहा है।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

सभापति महोदय, धारा 36 के अन्तर्गत भूमि या भवन के आबंटन की बात कही गई जबकि आबंटन की पात्रता के सम्बन्ध में कोई स्पष्टता नहीं बताई। सम्भावना है कि इसके अन्दर भ्रष्टाचार व पद लाभ की अनियमितता हो सकती है। इसी प्रकार लोक नागरिक और अवसंरचना सुविधा के इस्तेमाल में भी गड़बड़ की संभावना है। सभापति महोदय, 12 सदस्यीय बोर्ड की स्थापना की बात कही। हमारे सांचौर से आने वाले माननीय विधायक ने इस बात पर गहनता से अपने विचार व्यक्त किए। यह 12 सदस्यीय बोर्ड आपने बनाया है इसको इतनी ताकत आपने दे दी कि इस कानून की आड़ के अन्दर पूरा भ्रष्टाचार का खेल होगा। क्या यह एक सफेद हाथी नहीं होगा। क्यों इस तरह अतिरिक्त वित्त भार डाला जा रहा है। बोर्ड को कई प्रकार की शक्तियां जिसमें राज्य समर्थन व कस्टमाइज्ड पैकेज देने पर विचार, अधिकार तथा प्रावधान, फिर सचिवालय में मंत्रिमण्डल का क्या महत्व रह जाएगा, बताओ। है ना आपका तो, चल रही है, मंत्री है, प्रिंसिपल सैक्रेटरी है, सैक्रेटरी है, रीको राजस्थान के अन्दर है। आपके पास बहुत है, आप चाहो जैसा वैसे ही कर सकते हो, तो फिर नये-नये कानून लाकर, नई-नई दुकानें राजस्थान में क्यों खोल रहे हो? नई-नई दुकानें मत खोलो। मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि इस पर एक बार पुन: विचार करें।

धारा 27 में, भूमि के उपापन से सम्बन्धित, एक और जहां भूमि अधिग्रहण कानून में इतनी लंबी, वह इतने सालों तक अनेकों विद्वानों के द्वारा बनाया गया।

फिर भी उसमें अनेकों पक्ष-विपक्ष की तरफ से कैसे इस विधेयक को बिना जनमत जाने, सुझाव आपत्तियां आमंत्रित किये बिना पारित किया जा सकता है। उक्त विधेयक में अनेकों ऐसे प्रावधान हैं, जिनमें व्यापक विचार व बहस आवश्यक है। सभापति महोदय, आपके सवा दो साल के अन्दर तीसरा बजट था और इस बजट के अन्दर हमेशा एक बात कही गई कि युवाओं को हम आगे लेकर बढ़ेंगे। नई-नई योजनाएं आप लाये, नये-नये नाम लाये। राजस्थान का युवा भ्रमित हुआ। आज भी राजस्थान का युवा कहीं न कहीं गलतफहमी पाले हुए है कि अगर हमारा ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से यह सरकार हमारी तरफ ध्यान देगी। यह गलतफहमी उनकी दूर होगी 2018 के अन्दर, जब चुनाव घोषित हो जाएंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री हनुमान बेनीवाल)

एक मिनट। आप चुनाव के अन्दर जाएंगे, तब आपको पता लगेगा।

युवा उद्यमिता योजना, स्टार्ट-अप योजना की वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं है। केवल कागजी तौर पर दूसरे राज्यों की नीतियों को कापी-पेस्ट किया गया। जैसे विभाग के अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों के पुत्र-पुत्रियों को ऋण सहायता के हिसाब से प्रावधान किये गये। गरीब किसान का बेटा कभी इन योजनाओं से उद्यमी नहीं बन सका। सभापति महोदय, आपने कहा, हमारे कोटा से आने वाले विधायक कह रहे थे कि गुजरात के बेस पर, हम तो हमेशा कहते हैं कि गुजरात जो कानून लाया, आप लाओ सारे कानून। शराब बंदी का कानून आप लाइये, हमारे साथी अभी इधर बैठे हैं, यहां वैल में नारे लगाते थे कि राजस्थान में शराब बंदी की घोषणा होनी चाहिये, अगर हमारी सरकार आई, नरेन्द्रजी मोदी आये तो हम राजस्थान के अन्दर शराब बंद कर देंगे। शराब से बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जवान गलत दिशा की ओर जा रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट।

श्री सभापति: शराब कहां से आ गई?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): गुजरात से आई है, साहब, उधर से।

सभापति महोदय, पहले आप गुजरात तर्ज के जो दूसरे कानून हैं उन पर आप करें। सशक्त लोकायुक्त राजस्थान के अन्दर लाइये, जिसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। मानसिंह जी, मेरी बात सुनिये। सशक्त लोकायुक्त आयेगा तो निश्चित रूप से इन अधिकारियों के, मंत्रियों के भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और हर किसी का कानून के अन्दर विश्वास जो उठ गया है, वह विश्वास कानून के अन्दर बैठेगा।

श्री सभापति: अब एक मिनट में ही बात समाप्त कर दें आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक-डेढ मिनट में कर रहा हूं।

सोलर एनर्जी के लिये आपने जमीनें अलाट कर दीं। आपसे तो चाहे जो उद्योगपति आता है, व्यापारी आता है, एम.ओ.यू. कर जाता है और भ्रष्टाचार की एक नई दुकान राजस्थान के अन्दर खुल जाती है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करुंगा कि जिन मुद्दों को लेकर, जिन व्यवस्थाओं के खिलाफ राजस्थान के जवानों ने आपको सत्ता पर बैठाया, आपको सबसे ज्यादा चिंता राजस्थान के जवान की करनी चाहिये। उनको रोजगार के साधन ज्यादा से ज्यादा कैसे

(श्री हनुमान बेनीवाल)

मिलें, आप नये कानून इतने ला रहे हो, और 2-3 दिन से तो पता नहीं आपको क्या हो गया, रोज 4-5 कानून ला रहे हो। अगली सरकार आयेगी, वह फिर आपके कानूनों को खतम करेगी। यही काम रह जायेगा सरकारों का, 20 साल आपके हो गये और 50 साल इनके हो गये, 70 साल में राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाये। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से फिर सरकार का ध्यान आकर्षित करुंगा कि इस काले कानून को लाकर आप अपने खुद की शक्तियां, इस बोर्ड के अन्दर जो आप प्राधिकरण बना रहे हो, इसको दे रहे हो। आपको वापस सोचना चाहिये। आपको पुनर्विचार करना चाहिये और मजबूत राजस्थान बनाने के लिये आपको राजस्थान के जवान को रोजगार के साधन ज्यादा से ज्यादा देने चाहिये। मैं आपसे अपील करूंगा कि इस विधेयक को तीन माह के लिये जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का सम्बोधन, संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, श्री घनश्याम तिवाड़ी।

(16.53 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदसीन)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनमत जानने के प्रस्ताव पर बहुत देर से सदन में चर्चा चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, सदन में हम दो प्रकार के कानून लाते हैं। एक मूल कानून लेकर आते हैं, एक संशोधन विधेयक लेकर आते हैं। यह मूल कानून है और विधान सभा की मूल शक्ति जो कानून बनाने की है उसका आज हम प्रयोग कर रहे हैं।

यह कानून जिस रूप में आया है, वह बहुत सोचनीय स्थिति में है। इसलिये मैंने इस पर काफी अध्ययन भी किया और मैं चाहता था कि यह प्रवर समिति को जाये। मैं उन प्रमुख बातों का, जिनके कारण से मैं आवश्यक समझता हूं कि प्रवर समिति को जाये और हम कानून बनाने के हमारे अधिकार का उस प्रकार से प्रयोग करें, जिस प्रकार का प्रयोग, जो कोर्ट में निरस्त नहीं हो, जो जनता में उत्तेजना व्याप्त नहीं करे और जो वास्तविक कानून हो और जो इन्वेस्टमेंट हम चाहते हैं या जो विकास चाहते हैं उसमें सहायक कानून हो लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना यह चाहूंगा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कि यह कानून नकल है। हम नकलची तो हैं, मंत्री महोदय, पर अकलची नहीं हैं और इसमें हमने माथापच्ची भी नहीं की। गुजरात का कानून भी मेरे पास है। वह हमसे आधा कानून है, 38 धाराएं हैं, इसमें आपने 82 रखी हैं इसलिये उनसे तो आप आगे बढ़ ही गये। इसके लिये तो आपको धन्यवाद। कोई भी माननीय विधायक इस विधेयक को, जिसने अभी पूरा नहीं पढ़ा, वितरण के पहले या उनसे किसी प्रकार की राय नहीं ली गई, और जहां तक मेरी जानकारी में है, माननीय मंत्रीजी आपने तो पूरा पढ़ा ही होगा, लेकिन मंत्रिमण्डल में भी इस पर डिस्कशन नहीं हुआ। अब यह आया कहां से, और बना कैसे और जायेगा, इसका इम्पेक्ट देखिये।

एस.आई.आर. का थोड़ा सा इतिहास देख लें। भारत में स्पेशल इंवेस्टमेंट रीजन का अधिनियम जनवरी, 2009 में गुजरात में लागू हुआ। इस नोटिफिकेशन में कुल मिलाकर, माननीय सदस्यों का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी कृपा से। लगभग 3700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, उपाध्यक्ष महोदय, 3700 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र शामिल किया गया, 3700 स्क्वायर किलोमीटर का अर्थ है लगभग 3 लाख 68 हजार हैक्टेयर जमीन। उसको अगर अपनी देशी भाषा में बोलें तो 15 लाख बीघा पक्की जमीन इसके अन्दर नोटिफाइड की गई है। तो यह कहना कि यह कोई छोटी-मोटी बात है और कोई 2-4 घण्टे में पास कर दो, ऐसी बात नहीं है। इसलिये इसको प्रवर समिति में देखने की जरूरत है कि जिसमें 15-15 लाख बीघा जमीन आती हो उसको हम सामान्य रूप से पारित नहीं कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, 15 लाख बीघा जमीन में गुजरात का इतिहास भी देख लीजिये। ताकि हम राजस्थान के इतिहास को भी देख सकें। गुजरात में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। 2013 में, मैं नाम लेकर बता रहा हूं, माण्डल बेचराजी स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का नोटिफिकेशन गुजरात सरकार ने किसानों के विरोध के कारण से वापस लिया, एक। दूसरा, 2014 में हजरा क्षेत्र में 24243 हैक्टेयर जमीन, यानी लगभग एक लाख बीघा जमीन का नोटिफिकेशन सरकार को वापस लेना पडा। विशेष बात यह थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो चुने हुए विधायक थे, वे इस नोटिफिकेशन के खिलाफ धरने पर बैठे, अनशन किया और उनकी भावनाओं और किसानों की भावनाओं को मानते हुए नरेन्द्र मोदीजी ने इसको वापस लिया। तीसरा, जो महत्वपूर्ण

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बात, बनाने वालों ने सोची ही नहीं, देखा ही नहीं, झांका ही नहीं, केवल कापी, कापी, कापी। 2015 में, अभी 4 महीने पहले 10 दिसम्बर, 2015 को गुजरात हाई-कोर्ट ने धोलेरा में स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन पर स्टे लगा दिया। अकेले धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में ही लगभग 92 हजार हैक्टेयर, यानी लगभग 3 लाख 70 हजार बीघा जमीन को स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में लेने के नोटिफिकेशन सरकार ने निकाले थे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि गुजरात में 8 नोटिफिकेशन हुए, उनमें से 5 नोटिफिकेशन स्थगित हो गये। माननीय मंत्रीजी, 5 नोटिफिकेशन विरोध के कारण से और 2 नोटिफिकेशन हाईकोर्ट के कारण से, अभी जो 2015 में हाईकोर्ट ने स्टे दिया है वह दिया है कि जब भारत सरकार का नया कानून बन गया, भूमि अधिग्रहण का, उस कानून के भी यह खिलाफ है इसलिये स्टे हो गया। तो उस कानून के खिलाफ जब स्टे हो गया तो आप यह कानून लाकर क्या करेंगे। इसलिये इसका इतिहास न आपके अधिकारियों ने देखा, न आपने देखा, न हम विधायकों को बैठकर समझाया कि इसका इतिहास क्या है। इसलिये माननीय मंत्रीजी, मेरा विनम्र आग्रह है कि यह कागज प्रमाण सहित मेरे पास हैं। अब इसका परिणाम क्या हुआ। यह 15 लाख बीघा जमीन वहां मुकदमेबाजी में फंस गई। अब न किसान उसको बेच सकता, न किसान उस पर कुछ कर सकता, न सरकार उस पर कुछ कर सकती और 15 लाख बीघा जमीन इसमें उलझ कर रह गई। तो सारे राजस्थान के किसानों को अगर इसमें ही उलझाना है तो यह कानून बिना प्रवर समिति के आप पारित कर दें, क्योंकि जैसे मंत्रिमंडल ने हाथ उठाया वैसे ही हमको हाथ उठाना है।

(17.00 बजे)

मैंने बहुत कानून देखे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने मारवाड़ी में कहावत है कि 'सांप-सुलेटा तो कई बार देख्या, पर अजगर बाबो अब के ही आयो।' यह अजगर इसलिए है कि अजगर सब चीज को खा जाए। यह पंचायत को खाएगा, यह नगरपालिका को खाएगा, यह यू.आई.टी. को खाएगा, यह रीको को खाएगा, रीको तो साफ ही हो जाएगी, यह सब चीजों को खा जाएगा, सबके ऊपर आ जाएगा और आखिर में हमारे जो सिविल राइट्स हैं उनको भी खाएगा इसलिए ऐसा कानून बनाने से पहले विधान सभा की समिति ठीक से उस पर विचार करे और विचार करके कानून बनाए तो उसके लिए ठीक रहता है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अब सेज और एस.आई.आर. में फर्क क्या है? हमने सेज बनाया और मैंने तो मंत्रिमंडल में रहते हुए, महिन्द्रा का जो सेज बना था, उसका भी विरोध किया था और मैंने कहा था कि यह गलत हो रहा है और आज वह प्रमाणित हो गया कि डेढ़ लाख को रोजगार दे रहे थे, दस हजार से ज्यादा नहीं है और जो जमीन बची वह वापस उसको दी कि बेच कर खा जा तो सेज उसकी जो गयी और सेज का सारे हिन्दुस्तान भर का इतिहास भी यही है कि जो कांग्रेस पार्टी के राज में बने, हमारे राज में भी बने और क्षेत्रीय पार्टियों के राज में बने, सारे सेज फेल हो गये। यह कानून तो वैसा ही कानून है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे याद है, मैं यहां जयपुर में उस विधान सभा में मैम्बर था और जे.डी.ए. का पहला-पहला कानून पेश हुआ था। यह सेज समुद्र के किनारे-किनारे करने का, वहां गुजरात में लिखा हुआ है तो राजस्थान की विधान सभा में कानून पेश हुआ और स्वर्गीय श्रीरामजी गोटेवाला, कांग्रेस के स्वायत शासन मंत्री थे, उन्होंने बिल पेश किया और जयपुर डवलपमेंट आथोरिटी के पहले एक बॉम्बे डवलपमेंट आथोरिटी हुआ करती थी, उसकी हूबहू नकल कर ली और नकल करके कहा कि जयपुर विकास प्राधिकरण क्या करेगा? तो उसमें लिखा कि यह करेगा, यह करेगा, एक लाइन इसमें लिखा कि जयपुर विकास प्राधिकरण समुद्र में कचरा डालकर भूमि री-क्लीन करेगा क्योंकि, वह बाम्बे डवलपमेंट आथोरिटी का है और यह जयपुर डवलपमेंट आथोरिटी है। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि बाम्बे के पास तो समुद्र है, जयपुर के पास समुद्र कहां से है?

तो यह जो सेज है, वहां पर पोर्ट है, बंदरगाह है, वह सारी बात है, उसके किनारे करने का है, आप कहां लाओगे पोर्ट और बंदरगाह? आपको कारिडोर दिख गया, कारिडोर इसलिए पहली बात तो यह है कि सेज में और इसमें बड़ा फर्क है।

अब इसके सैक्शन-3 को अगर देखेंगे तो इसकी सुपरियरिटी का आपको पता लगेगा कि हम क्या कानून बना रहे हैं। हमने इसको क्या-क्या काम दिये हैं? Industrial - औद्योगिक, विनिर्माण- Manufacturing, वाणिज्यिक- Commercial, वित्तीय- Financial, प्रसंस्करण- Processing, पैकेजिंग, संचालन सहायता- Logistics, परिवहन, पर्यटन, आतिथ्य, स्वास्थ्य, आवासन, मनोरंजन, अनुसंधान, विकास, शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल विकास, सूचना और संचार, प्रबंध, परामर्श तथा अन्य ऐसी सभी सेवाएं क्रियाकलाप, जो विहित की जायें या निर्धारित की जायें, या prescribed की जाएं।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

एक सरकार ही बना दी, हुजूर, और कोई चीज याद नहीं आई तो अंत में लिख दिया कि इसमें और जो विहित की जाएगी, वह सारी चीज इसमें शामिल हो जाएगी। आपने इंडस्ट्रियल एरिया को समाप्त किया, ट्रांसपोर्ट नगरों को समाप्त किया, शिक्षा की नगरी को समाप्त किया, मनोरंजन के संसाधनों को समाप्त किया और सारा इसके अन्तर्गत ला दिया इसलिए एस.आई.आर. जो है, आर्थिक रूप से सेज से इस प्रकार से अलग है।

दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके पृष्ठ संख्या-28 और 29, सैक्शन-26 में, एस.आई.आर., रीजनल डवलपमेंट आथोरिटी, मास्टर डवलपमेंट आथोरिटी प्लान के क्रियान्वयन के लिए जोन विकास योजना, जोनल डवलपमेंट प्लान्स तैयार करने में लिखा है तो सेज में तो कुछ ही जमीन पर होता था, इसमें लाखों बीघा जमीन में होगा और इसमें आपने यह और पैन उठाकर कर घुमा दिया कि जयपुर से लेकर सीकर तक चलकर, यह हमारा एरिया है। इस एरिया में फिर स्कूल आ गयी तो वह आपकी, पंचायत आ गयी तो वह आपकी, नगर-परिषद आ गयी तो वह आपकी, जे.डी.ए. आ गया तो वह आपका, सारे मंत्रियों के एक मंत्री गजेन्द्र सिंहजी खींवसर हो जाएंगे। इतनी बड़ी ताकत आ जाएगी, राजेन्द्रजी, आप भूल जाओगे कि आप भी कोई मंत्री हो। उस क्षेत्र में जो चिकित्सालय आएंगे, जो डाक्टर्स आएंगे वह इनके अन्तर्गत आएंगे, आपके पास नहीं आएंगे फिर ट्रांसफर करवाने के लिए। याद कर लेना इसको तो यह सारा काम इन्होंने किया।

सेज और एस.आई.आर. में फर्क, हम ऐसे समझते हैं कि इस एक्ट के पृष्ठ संख्या-60 पर धारा-76 में लिखा है कि- एस.आई.आर. होंगे इनके अन्दर जो विशेष आर्थिक जोन सेज की इकाइयां आएंगी उन इकाइयों की सुख सुविधाएं वह ही होंगी जो आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 और राजस्थान विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2015 के द्वारा निरन्तर शासित होती रहेंगी। सेज उसमें रहेगा, अपने हिसाब से काम करेगा। इसका अर्थ है कि एस.आई.आर. (स्पेशल इंवेस्टमेंट रीजन्स) इतने बड़े होंगे कि उनमें कई सेज समाहित हो जाएंगे तो इस अर्थ में सेज से बहुत बड़ा है। सेज में कुछ जमीनें आती हैं और एस.आई.आर. में बहुत अधिक जमीनें आएंगी।

मंत्री महोदय, समझदार के लिए इशारा काफी है। लोग आजकल समझते हैं कि इतना-इतना बड़ा यह अधिनियम क्यों लाया जा रहा है? गुजरात में यह माडल फेल हो गया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो गुजरात के फेल

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

माडल को, गुजरात समुद्र के तट पर सटा हुआ प्रांत है। आजादी के बाद वहां पर औद्योगीकरण रहा है। अब इस अधिनियम का जब वहां के व्यापारियों ने, किसानों ने, छोटे प्लाट-धारियों ने, कर्मचारियों ने विरोध किया और वहां पर यह फेल हो गया। आज अगर मुझे यह समझा दें कि वहां यह पास हो गया, सफल हो गया यह माडल तो लागू करें। जब गुजरात में ही फेल हो गया और गुजरात का उदाहरण लेकर आप आए हो तो इस माडल को आप क्यों अपनाना चाहते हो इसलिए अगर यह सलेक्ट कमेटी में जाएगा तो हम सब लोग मिलकर इसमें कार्यवाही कर सकेंगे।

दूसरा, जो इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो कानूनी मुद्दा अभी मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल में अधिग्रहण, अवाप्ति चिह्नित करना बिलकुल अस्पष्ट है। बिलकुल अस्पष्ट है। इसमें स्पष्ट नहीं है कि किसान की अथवा अन्य जमीन किस प्रकार ली जाएगी। यह तो साफ लिखा है कि क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन होने पर चिह्नित भूमि तुरन्त क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में निहित हो जाएगी और उसके अधिकार और नियंत्रण में आ जाएगी। आपने ज्यों ही चिह्नित किया, लाइन खेंच कर यूं कि यह विशेष रीजन है तो सारी सम्पत्तियां उसमें अधिग्रहित हो गयीं, वह उसका मालिक हो गया। उसकी अनुमति के बिना कुछ नहीं होगा लेकिन यह जमीन आपने किस आधार पर ली? अधिग्रहण करके ली। मुआवजा देंगे, पी.पी.पी. करेंगे, जे.वी. करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, भारत सरकार के कानून का क्या होगा, जो लैंड एक्विजीशन के कानून हमारे बने हुए हैं, उनका क्या होगा, आपने बिलकुल स्पष्ट नहीं किया है।

पृष्ठ संख्या-29, अध्याय-6, धारा-27, विशेष विनिधान रीजन में स्थित भूमि धारा-9 के अधीन क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन होने पर तुरन्त राज्य सरकार के निमित्त क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में निहित और उसके व्ययनाधीन, उसके डिस्पोजल क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का अधिकार, नियंत्रण में रखी समझी जाएगी। ज्यों ही आपने नोटिफिकेशन किया, हजारों लोग आपकी गुलामी के अन्तर्गत आ गये। यह चाहे निजी खातेदारों की भूमि ही नहीं, स्थानीय प्राधिकरण की भूमि यानी, पंचायती राज संस्थान, नगरपालिका, आवासन मंडल, नगर सुधार न्यास या अन्य विकास प्राधिकरण की जमीन भी इस एस.आई.आर. के, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के नियंत्रण अथवा अधिकार में आ जाएगी।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

यह राइट लेने का आपको क्या अधिकार है? स्थानीय निकाय जो बने हैं वह संविधान संशोधन के बाद में पंचायतों और नगरपालिकाओं का गठन हुआ है। आप 73वें, 74वें संविधान संशोधन का इसमें विरोध कर रहे हो। आप उनको, सारी जमीनों को अपने अधिकार में ले रहे हो। वह सारे कानून आपके लागू होंगे। उनमें पंचायत के कानून लागू नहीं होंगे, नगरपालिका के कानून लागू नहीं होंगे। डी.एल.बी. के पास नहीं आएंगे। यह अधिकार आपने लिया। पृष्ठ संख्या-30 पर धारा-27 की उप धारा-2 में इस बाबत लिखा है कि अगर राज्य सरकार को लगेगा कि कोई भूमि जो कि स्थानीय प्राधिकरण में निहित है, वह क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित है तो वह किसी राजस्थान विधि में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, अधिसूचना द्वारा क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों के व्ययनाधीन रख सकेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ी, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप देखें कि इस प्राधिकरण को, उन्होंने कहा कि यह भूमि, चाहे पंचायत की हो, चाहे हास्पिटल के लिए दी गयी हो, चाहे गौ-शाला के लिए दी गयी हो, चाहे स्कूल के लिए दी गयी हो, चाहे नगरपालिका की मिल्कियत में है, उनको यह लग जाए कि हमको लेनी चाहिए और वह तुरन्त आपके पास आ जाएगी। बहुत मन चलाया आपने तो?

ऐसा मन तो प्रजातंत्र में कोई चलाता नहीं है। यह जागीरदारी सिस्टम नहीं है। आप लोकतंत्र में इस प्रकार संस्थाओं का गला नहीं घोंट सकते। इसलिये मैं चाहता हूं कि इन धाराओं पर एक बार प्रवर समिति में बैठकर हम विचार कर लें और इसको लागू कर दें, क्योंकि आपने अभी रिसेंट रिसर्जेण्ट राजस्थान किया। अभी तक तो कोई इन्वेस्टमेंट आया नहीं और इसमें दो-तीन महीने और लग जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट भागकर कहां जाएगा? हम इस पर ठीक से काम कर लेंगे। एस.आई.आर. स्थानीय प्राधिकरण की अधिकारिता से भी बाहर होंगे, फिर संख्या 10 धारा (6) में वर्णित है – 'विशेष विनिधान रीजन, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन स्थानीय प्राधिकरण की अधिकारिता के बाहर होंगे।' अब जो पंचायत है, नगरपालिका है, जेडीए है, उससे बाहर होंगे सब। वह रहेगी, लेकिन उनके अधिकार से बाहर रहेंगे, यह कैसा कानून है? How can you act? पंचायत की सारी जमीन पंचायत है, पंचायत करेगी, लेकिन पंचायत में जो जमीन है, वह आपकी रहेगी। पंचायत है, इलेक्टेड है, लेकिन सफाई आप करायेंगे। पंचायत है, पर बिजली का खम्भा पंचायत नहीं लगा सकेगी, आपका

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अधिकार आ गया। इसलिये मैंने इसको अजगर कहा कि जो सब चीज को खाएगा, वह यह है।

किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों की जो भूमि और भवन है और स्थानीय निकायों की भी जो जमीनें हैं, वह सिर्फ एक नोटिफिकेशन के द्वारा एस.आई.आर के नियन्त्रण में ली जा सकेंगी। आप कल मुझे कह देंगे, आप श्याम नगर का मकान छोड़ो। आप किसी कोर्ट में भी नहीं जा सकते। इसलिए इस कानून की समीक्षा जरूरी है।

पृष्ठ संख्या 31 की उपधारा (4) में लिखा है 'राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अर्जन के समय जो भूमि अधिग्रहण का कानून होगा, उसके आधार पर भूमि अधिगृहित करेगी।' लिखा है आपने। आगे 28 में लिखा है कि क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण निजी पक्षकारों से, यानी प्राइवेट पार्टी से जमीन खरीद कर ले, पट्टे पर लीज पर लेले, विनियम यानी अदला-बदली कर ले, एक्सचेंज के आधार पर लेले, समझौता यानी एग्रीमेंट करके ले ले अन्यथा यानी बिना एग्रीमेंट के, बिना समझौते के भी ले सकता है और जमीन का पूल बनाकर भी ले सकता है। आप यह सारी जमीन लेने के जितने हथकण्डे हैं, वह आप एक साथ अपना रहे हैं इस कानून में। आप एग्रीमेंट से भी ले लो, क्योंकि आप जब एक बार चिह्नित कर देंगे कि यह इंडस्ट्रियल जोन है, तो किसान को मजबूर होकर उस इंडस्ट्री के लिये इस जमीन को बेचना पड़ेगा। वह आपके कब्जे में आ गया। आपने जोन कर दिया, यह मनोरंजन का जोन है तो मनोरंजन के जोन के लिये उसको झक मारकर देनी पड़ेगी। वह आपके अन्तर्गत आ गया। आपकी शर्तों पर आ गया, तो यह कानून इस प्रकार का जो है, उस कानून के बारे में हमें सोचना पड़ेगा।

अब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जमीन का पूल बनाने का अर्थ है कि कोई जमीन है, उसका कोई मालिक या खातेदार है या अधिभारी या किरोयदार है, वह अपनी जमीन का मालिकाना हक एस.आई.आर. के लिये, जो रीजनल डवलपमेंट आथोरिटी, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण बनेगा, उसको समर्पित कर आपसी सहमति से बदले में रीजनल डवलपमेंट आथोरिटी से जब एस आई आर में विकास किया जाएगा, तब विकसित जमीन का हिस्सा ले ले अथवा नकद मुआवजा ले ले। इसका अर्थ हुआ कि कई प्रकार से यह लाखों बीघा जमीन यह क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण उनके मालिकों से ले सकते हैं, यह सारी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

स्वतन्त्रता और कानूनी अधिकार यह विधेयक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को दे दें। इतना बड़ा पावर, अधिकार आप कैसे ले सकते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

अधिग्रहण के बारे में मैंने स्पष्ट किया। ब्रिटिश राज के इसमें 1984 के भूमि अधिग्रहण के कानून पर होगा या यूपीए की सरकार के The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Re-settlement Act, 2013. जो एक जनवरी, 2014 से राजस्थान में होगा, उसके अन्तर्गत होगा या वर्तमान में एन डी ए सरकार ने लैण्ड एक्विजिशन अमेंडमेंट बिल, जिसको लैण्ड बिल, 2015 भी कहा जाता है, उसके आधार पर होगा। या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का कोई अलग से भूमि कानून होगा, यह भी स्पष्ट नहीं है कि किसान से, इस भूमि के मालिक से जो जमीन अधिगृहित की जाएगी तो उसको कितना मुआवजा मिलेगा। अधिग्रहण का यह एक इतना बड़ा प्रश्न है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि किसी भी न्यायालय में अगर जाएंगे तो यह बिल वहां स्ट्रक डाउन होगा, इस बिल को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए इस प्रकार का कानून बनाने का अधिकार हम क्यों करें।

तीसरा, बड़ा जुड़ा हुआ प्रश्न है कि मुआवजा मिलेगा, वह कितने दिनों में मिलेगा? इसमें कहा कि जब स्कीम बना लेंगे और जब यह आथोरिटी डवलपमेंट करेगी, तो डवलपमेंट के बाद में आप विकसित जमीन का हिस्सा ले सकेंगे। आप 10 साल बाद में डवलपमेंट करेंगे। आपने जमीन ले ली एक खातेदार हाई कोर्ट में गया और उस सारी योजना पर स्टे हो गया। स्टे होने के बाद में वह पूरा सारा क्षेत्र, सारे किसान क्या 20 वर्ष में निर्णय होगा तब तक उस अधिकार का इन्तजार करेगा। बिना सोचे-समझे कानून बनाया। मैं समझता हूं, मैं तो मांग करता हूं कि कानून बनाने वाले लोगों को, जिन्होंने कानून बनाया है, कानून लिखा है, उनसे इंक्वायरी की जानी चाहिये सदन की तरफ से, कि आपने किस आधार पर इस प्रकार का कानून बनाकर इस सदन में पेश किया है। इसी आधार पर मैं चाहूंगा कि हमारा यह विरोध नहीं है, यह समर्थन है। यह बिल आने के बाद में विरोध होगा। आज का किसान 2000 वाला किसान नहीं है, वाट्स एप का किसान है। सारे कानून-कायदे जानते हैं। वह सब कुछ समझते हैं। और यह केवल किसान पर ही लागू नहीं है, यह व्यापारी पर भी लागू है, छोटे दुकानदार पर भी लागू है। यह मकान मालिक पर भी है, यह पंचायत पर भी है, नगरपालिका पर भी है, कोई भी चला जाएगा।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इसलिए लैण्ड पूल बनाएंगे, यह लैण्ड पूल कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, कहां से लाएगा?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ी बात है, किसान का तो इन्होंने गला घोंट दिया है। एक तरह से इस बिल के माध्यम से इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो जाएगी कि किसान, सरकार और कार्पोरेट के बीच में फुटबाल की तरह से घूमेगा। कभी वह लगाएगा, कभी वह लगाएगा, क्योंकि सरकार देगी नहीं। इंडस्ट्रियल एरिया घोषित करेगी, कार्पोरेट जगत से बात कर लो, वह सारा काम हो जाएगा। वस्तुतः किसान को मजबूर किया जाएगा कि वह जमीन खून के घूँट पीकर उस उद्योगपति को बेचे। यह कानून इस प्रकार का कानून है, यह मैं आपको कहना चाहता हूं।

एस.आई.आर. ने पृष्ठ संख्या 8 पर धारा 3 में लिखा है – 'राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा भूमि के किसी भी क्षेत्र को स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के रूप में औद्योगिक क्षेत्र घोषित करेगी। किसी को भी कर देगी जैसे भिवाड़ी, नीमराणा, राजस्थान का कोई शहर, गोचर, चरागाह, रास्ता, जिन पर यह कहा कि रास्ते की भूमि अलाट नहीं होगी, गोचर की भूमि अलाट नहीं होगी। आप किसी भी भूमि को अधिगृहित कर सकेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के दिये गये सारे फैसलों को भी हटाकर, तो इस प्रकार का कानून बनाने वाले लोग यदि आपके प्रशासन में हैं और उस कानून बनाने को मंत्रिमण्डल अगर नहीं देख पाता है और फिर विधायक नहीं देख पाते हैं और फिर हां-ना में पारित कर देते हैं तो यह हमारी विधायिका पर एक प्रश्न चिह्न लगता है।

सरकार एक नोटिफिकेशन निकाल देगी कि यह जो अलवर के पास में 50 हजार बीघा जमीन है, वह स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन होगा। यह जो 70 हजार बीघा उदयपुर के पास में है, वह बन जाएगा। यह एक लाख बीघा जमीन जयपुर-दिल्ली हाइवे के दोनों तरफ है, शाहपुरा सहित आ जाता है, उपाध्यक्ष महोदय, तो उसमें शामिल हो जाएगा। आपके पूर्वजों को जो इतना बड़ा स्थान है, उसको भी यह उसमें कर देंगे। हमारे रहते कर देंगे। यह सबसे बड़ी बात है।

यह स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के लिये प्राधिकरण का गठन होगा, उसके मामले में माननीय सदस्य बहुत बात कह चुके हैं, इसलिये मैं इस पर सदन का समय नहीं लेना चाहूंगा। पर मैं दो-तीन बात कहूंगा। पहली बात यह है कि किसी एक विधान सभा क्षेत्र या लोक सभा क्षेत्र में नहीं रहेगा, यह जहां

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पूरा खीचेंगे तो इसमें कई विधान सभा क्षेत्र और लोक सभा क्षेत्र साथ-साथ आ जाएंगे। इसलिए विधेयक में लिखा है विशेष विनिधान रीजन में सम्मिलित समस्त लोक सभा और राजस्थान विधान सभा के सदस्य, इससे यह अन्दाजा लगा सकते हैं कि हजारों बीघा क्षेत्र में होगी। अगर यह छोटा होता तो विधान सभा क्षेत्र लिख देते। समस्त लोक सभा और समस्त राजस्थान में यह लागू हो गया है, एक बात यह समझने की है। दूसरी बात यह समझने की है कि विधायकों और सांसदों के अनेक प्रकार के प्राधिकरणों में सदस्य बनाया जाता है, लेकिन वह नाम के सदस्य होते हैं। अब जयपुर डवलपमेंट आथोरिटी, कालीचरण जी जैसे दिग्गज उसके मैम्बर रहे हैं, परन्तु क्या कर सकते हैं। इसलिये इसके मैम्बर बनाने की जो बात है, उसका कोई अर्थ नहीं है।

पृष्ठ संख्या-15 पढ़िये। इसकी धारा – 10 को पढ़ने के बाद तो मुझे लगा कि हमको क्या करना चाहिये। धारा 49 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए सर्वेक्षण करने, जांच, निरीक्षण, परीक्षण करने या माप लेने के लिये किसी भूमि पर या भवन में प्रवेश करना। यह किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार देते हैं, कोई प्राइवेट व्यक्ति का घर हो, प्राइवेट दुकान हो, यह प्राधिकरण का एक सदस्य कह देगा कि हमको लेने के लिये, हमको जांचने के लिये वहां जाना है तो उसको कोई नहीं रोक पायेगा।

वो सूर्यास्त और सूर्य अस्त के बीच में तो किसी भी समय जा सकता है और रात्रि के समय भी किसी भी समय प्रवेश कर सकता है एक बारह घंटे के नोटिस पहले। कौन सा राइट है आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त करने का, किस कानून के आधार पर आप लेना चाहते हो? उसके घर में भी घुस जाऊंगा, मैं उसके घर में भी घुस जाऊंगा, खुदा हो गया ये? इसलिए आप यह कानून पारित नहीं कर सकते। प्रवेश किसे देते हैं, उपधारा में लिखा, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण किसी भी व्यक्ति को आथोराइज कर सकता है, अंग्रेजी में लिखा है पृष्ठ 114 पर "The Regional Development Authority may authorize any person" Not police Constable. Not Inspector. You can authorize any person to enter anywhere without informing. What is this? यह कानून है कि अपराध है? How you do? अंग्रेजी में बोलने लगे गुस्सा आ जाता है कभी-कभी, बोलना नहीं चाहता मैं, आप हिन्दी समझ लो तो ठीक है।

साहब, ये घरानों का कुछ ऐसा ही नियम है, आप लोगों को भी अंग्रेजी में आता है गुस्सा या फिर मारवाड़ी में आता है, हिन्दी में आपको भी गुस्सा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

नहीं आता। मैंने देखा है, मैं भवानी सिंह जी से भी मिला था, स्वर्गीय भवानी सिंह जी से, वो भी या तो मारवाड़ी में बोलते थे और गुस्सा आ जाए तो अंग्रेजी में बोलते थे और राव साहब को भी गुस्सा आता है तो अंग्रेजी में बोलते हैं। इसलिए मुझे भी आ गया तो मैंने भी बोल दिया। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): थे भी राव साहब का ही पद चिन्हां पर चाल रिया हो के?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): राव साहब हमारे, भाई, शेखावाटी के मालिक हैं।

तो, 'क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण किसी भी व्यक्ति को, उसके सहायकों या कर्मकारों सहित या उनके बिना', यानी किसी भी व्यक्ति को, उसके साथ कारीगरों, मजदूरों, कामगारों सहित या उनके बिना, यानी अकेले भी, 'किसी भी भूमि या भवन में या उसके ऊपर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।' प्रयोजन क्या-क्या हैं? इसका अर्थ है कि जिसकी भी प्रोपर्टी, चाहे वो खेत हो, छोटी-बड़ी दुकान हो, मकान हो, फ्लैट हो, होटल हो, ढाबा हो, मंदिर हो, स्कूल हो, जो भी जमीन एस.आई.आर. में चिह्नित हो गयी और उसका नोटिफिकेशन निकल गया, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को ये बिल ये शक्ति प्रदान करेगा कि वे किसी भी व्यक्ति को, उसके खेत को, दुकान को इस उपधारा के अन्तर्गत सैक्शन (च) में लिखा है, 'कोई जांच निरीक्षण या तलाशी के लिए', और सैक्शन (छ) में लिखा है, कोई भी अन्य कार्य करने के लिए जो इस अधिनियम के दक्षतापूर्ण प्रशासन, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक हो। और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन कहीं परिभाषित नहीं है। आपके अधिकारी को जांच गयी कि यह दक्षतापूर्ण कार्य के लिए इस आदमी को उसके घर में भेजना जरूरी है तो आप भेज दोगे, चाहे वो दारू पिया हुआ हो, चाहे वो हाथ में लट्ठ लिया हुआ हो, वो उस घर में चला जायेगा, उस घर में नोक करेगा।

फिर आगे आपने और भी लिखा है कि अगर दरवाजा तोड़ेगा तो दरवाजा तोड़ देगा। और दरवाजा तोड़ देगा, लिखा है, दरवाजा तोड़ देगा तो उसका पांच सौ रुपये होगा। मूल्य भी तय कर दिया, पांच सौ रुपये होगा और पांच सौ रुपये से ज्यादा का बताता है तो वो हमारे अपीलीय अधिकारी के पास जायेगा। जो अपीलीय अधिकारी आपने नियुक्त कर रखा है। पांच हजार का

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दरवाजा तोड़ दिया तो आप पांच सौ रुपये देंगे और अगर पांच सौ रुपये उसको कम लगते हैं तो हमारे अपीलीय अधिकारी के पास चला जायेगा। ऐसा कानून इस विधान सभा में पास करें, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए कानून के बारे में हमको बैठकर पढ़ना पड़ेगा। इसका अर्थ है किसी भी वारंट के पुलिस, राज्य की लाखों जनता के घरों में, दुकानों में आप जमीन हथियाने वाले गुंडों और माफियाओं के जाने का रास्ता बना रहे हो। यह कोई जिसको जमीन देंगे, वो कहेगा जमीन खाली कराने के लिए मुझे ये लोग चाहिए, आप उसको अधिकृत करोगे, वो जायेगा उस घर में, यह माफिया राज कायम करना चाहते हो।

माननीय सदस्यगण, मैं आपसे कहना चाहता हूं यह कोई जयपुर में नहीं होने वाला है, यह कोई सांगानेर में नहीं होने वाला है यह सारे राजस्थान में होने वाला है और आज नहीं तो कल जब किसान या व्यापारी, राज्य की जनता, अब ये जोन घोषित करेंगे, तो माननीय सदस्य से पूछेंगे कि ये बिल आप सब लोगों ने मिलकर पास किया है इसलिए केवल सरकार नहीं, या मंत्री नहीं, आप सब इसके जिम्मेदार हो। आप तय कर लीजिए कि ये जिम्मेदारी आपको वहन करनी है कि नहीं करनी है।

इस बिल के पृष्ठ 42 पर लिखा है, मैं कोई भी बात ऐसी नहीं बोल रहा हूं जो इस बिल में नहीं लिखी है, 'परन्तु- (i) सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के समय के सिवाय और अधिभोगी,' यानी वहां रहने वाला किरायेदार, निवासी इत्यादि को और अगर निवासी नहीं हो तो, 'यदि कोई अधिभोगी नहीं हो तो भूमि अथवा भवन के स्वामी को कम से कम चौबीस घंटे का युक्तियुक्त नोटिस दिये बिना ऐसा प्रवेश नहीं किया जायेगा।' किसी में आप नोटिस दे दोगे? इसका अर्थ हुआ कि अगर सुबह 5.30 बजे सूर्योदय होता है और पांच बजे लोग घरों में जा सकते हैं और शाम साढ़े सात, आठ बजे सूर्यास्त होता है तब तक जा सकते हैं या उस भूमि अथवा भवन में ही रह सकते हैं। उसके तो आपके बिना नहीं रह सकते।

आगे लिखा है, प्रत्येक बार सूचना दी जायेगी ताकि किसी अपार्टमेंट की, यह बहुत दुखदायी है, किसी अपार्टमेंट की अन्त:वासी महिलाओं के लिए रखे गये किसी भाग से महिलाओं को ऐसे भाग में भेजा जाए जहां वैयक्तिक एकान्तता में विघ्न न हो। कानून में इस प्रकार के परन्तुक और स्पष्टीकरण

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लिखना, मैं समझता हूं कि लिखने वालों की बुद्धि का ही परिचायक है। आप अपार्टमेंट में बार-बार जायेंगे जहां आपकी महिलाएं रहती हैं और आप उनको कहेंगे, नहीं, तुम यहां से बाहर जाओ। यह कैसी बात है जो आपने कानून में लिखी? आप ऐसे ही लिख देते कानून में। प्रत्येक बार, मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता, मेरा मन इससे तकलीफ होता है। और इस प्रकार जोर-जबरदस्ती या धक्का-मुक्की में भूमि या भवन के निवासी को कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई यह प्राधिकृत व्यक्ति उसी समय करेगा। अगर निवासी को, मालिक को लगता है कि यह रकम कम है तो वह अपील प्राधिकरण को करेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा और सिविल न्यायालय में नहीं जा पायेगा। आप किसी मालिक के घर पर जायेंगे, उसका दरवाजा तोड़ देंगे, उसके अन्दर घुस जायेंगे, उसका नुकसान आप पांच सौ रुपया तय कर देंगे और वो नहीं मानेंगे तो आपका अपील का अधिकारी तय कर देगा और वो तय करने के बाद में वो ही फाइनल होगा और वो अपील अधिकारी को आप ही नियुक्त करेंगे, रीजनल आथोरिटी ही नियुक्त करेगी और फिर आप उसको, अगर नहीं मानता है तो वो वहां पर जायेगा। मैं समझता हूं यह उचित नहीं है।

फिर इससे एक बड़ी बात और है। आपने उसमें कारावास का प्रावधान किया है। उपाध्यक्ष महोदय, कारावास। शाहपुरा हाउस में ये घुस जाएं और आप रोको तो रोकने पर छह महीने की सज़ा होगी। गजेन्द्र सिंह जी को, क्योंकि चेयरमैन ये ही होंगे, इनको इतना बड़ा राइट। पृष्ठ संख्या 43, धारा 50 में लिखा है कि किसी मकान मालिक या किसी के प्रवेश में जो बाधा पहुंचायेगा तो छह महीने का कारावास अथवा एक हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों दंडों के दंड से दंडित किया जा सकेगा। जिसकी जमीन ले रहे हो, जिसका मकान ले रहे हो, जिसको बे-घरबार कर रहे हो उसको जेल में भी डालोगे, प्रजातंत्र है, राजशाही नहीं है, तानाशाही नहीं है। आप इस कानून को बना कर लाओगे।

आगे लिखा है, अंग्रेजी में सैक्शन 54 है "No court shall take cognizance of any offence, punishable under this Act, except the offence under Section 45, or any rule or regulation made thereunder, or except upon a complaint in writing of the facts constituting such offence made by a Regional Development Authority, or by a person expressly authorized in this behalf by the Regional Development Authority." इसका अर्थ है कि आप जो करेंगे, होगा, उसके बाद न कोई हाई कोर्ट न सुप्रीम कोर्ट, आप सर्वोच्च कोर्ट हो गये। बड़ा अधिकार लिया आपने।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इसी पर, पृष्ठ संख्या 60 पर 77 में लिखा है, इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यानी इस अधिनियम में जो प्रावधान किये गये हैं, उन्हें छोड़ कर इस अधिनियम के प्रावधान राजस्थान के किसी अन्य कानून में अगर कोई बात इस अधिनियम से असंगत है तो भी इस अधिनियम के प्रावधान ही प्रभावी होंगे। ये सबसे बड़ी बात। यह अधिनियम राजस्थान के अन्य सभी कानूनों के ऊपर होगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): काला कानून है, साहब, यह।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): प्लीज, सुन लीजिए। मैं राज्य की जनता के हित में बात कर रहा हूं और विधान सभा के हित में बात करूं, मैं राजनीतिक बात नहीं कहता हूं।

यह अधिनियम पंचायत राज अधिनियम के ऊपर, नगरपालिका अधिनियम के ऊपर, आपने इसमें साफ लिख दिया कि यह अधिनियम सबके ऊपर अधिनियम होगा। ऐसा कौनसा विनिधान करना है जी, ऐसा कौनसा इन्वेस्टमेंट लाओगे जी, नहीं लाओ तो क्या हो जायेगा जी? हमारे अधिकार तो मत छीनो, जीने का, खाने का, पीने का, रहने का, सोने का, पढ़ने का, पढ़ाने का। ये अधिकार आप इस कानून से कैसे सोच सकते हो?

इसलिए मैं कहता हूं कि यह बिल उचित नहीं है, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का इसमें हनन है, यह नैतिक रूप से भी ठीक नहीं है, कानूनी रूप से भी ठीक नहीं है और वैधानिक रूप से भी ठीक नहीं है, इसको प्रवर समिति के द्वारा जांचा जाए।

इस बिल के माध्यम से एक नयी जागीरदारी प्रथा का उदय हो रहा है, यह राजस्थान की विधान सभा इस बात के लिए हमेशा याद रखी जायेगी कि राजस्थान में जागीरदारी उन्मूलन किया हमने, हिन्दुस्तान में सबसे पहले हमने किया।

इसके लिए भी अगर आप याद कराना चाहो कि नये कारपोरेट जागीरदार पैदा करने के लिए हमने कानून पास किया तो मैं इस कानून के पक्ष में नहीं हूं। यह नये कारपोरेट जागीरदार पैदा होंगे। मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक यह तो राजे-रजवाड़े हो गये और बाकी जनता पर हम किसी भी जागीरदार को ले जाकर के बैठा देंगे। मैं समझता हूं कि जनसंघ के समय से हमने जागीरदारी प्रथा का विरोध किया था और भैरोंसिंह जी शेखावत ने इसके

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लिए बहुत प्रताड़ना सहन की थी। उस विधान सभा में इस प्रकार का कानून सोच-समझकर के हमको लाना चाहिए। इसको हमें प्रवर समिति को भेजना चाहिए।

यह मैं सेज के बारे में, राजस्थान के बारे में बोल चुका कि सेज पूरी फेल हो गई। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे पास रीको है। उपाध्यक्ष महोदय, अब एक रीको की बात कहूंगा, मंत्रीजी बैठे हैं। रीको ने एक बहुत बड़ा स्कैंडल किया है। कांग्रेस पार्टी के राज में शुरू हुआ और कांग्रेस पार्टी के राज में होकर के बीजेपी ने मई, 2014 में उसको आगे बढ़ा दिया। उसके अन्तर्गत 300 ऐसे व्यक्ति हैं, 2-3 साल पहले। रीको ने उद्योग लगाने के नाम पर सस्ती दरों पर जमीन आबंटित की। खास उद्योगपतियों के इशारे पर जमीन बेचने के प्रावधानों में फेरबदल किया गया। जमीन आबंटन करने वालों को जमीन बेचने की छूट दी गई। रीको स्वयं जमीन बेचता तो फायदा होता।

रीको ने आर्डर किया कि 15 प्रतिशत आरक्षित दर पर वसूल करेगी। 300 उद्यमियों ने 2.5 लाख औद्योगिक भूमि बेची। 15-20 वर्षों पहले भूमि 15-20 मीटर के हिसाब से भूमि ली थी उन्होंने इंडस्ट्री लगाने के लिए। आज रीको के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में कहीं भी 10 हजार से कम की रेट नहीं है। आपकी नीलामी के निकाले हुए नोटिस मेरे पास हैं। अब 300 उद्यमियों को रीको द्वारा करीब 3 हजार करोड़ रुपये का फायदा पहुंचाया गया। सरकार में इनको पहुंचाने वालों को भी लाभ मिला है।

जैसे उदाहरण देता हूं, मुख्य रोड विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में 1 हजार वर्ग मीटर प्लाट जिसकी डीएलसी दर 17 हजार वर्ग मीटर है अर्थात 7 करोड़ रुपये, बाजार दर पर 1.5 लाख रुपये कीमत यानी 75 करोड़ रुपये, हमने डीएलसी की दर पर उससे वसूले सिर्फ 35 लाख रुपये। 7 करोड़ की जमीन का हमने 35 लाख रुपया लिया। कांग्रेस पार्टी ने कर दिया कि बड़े-बड़े भूखंड काटकर के बेच दो। इन्होंने चालू किया पाप और हमने उसको लाकर के 250 तक छोड़ दिया कि 250 में दुकान बनाने के लिए बेच दो, मकान बनाने के लिए बेच दो, माल बनाने के लिए बेच दो। केवल 300 उद्योगपतियों ने 3 हजार करोड़ रुपये का चूना राज्य सरकार के कोष पर लगाया। इसके लिए जो भी अधिकारी जिम्मेदार हैं, उन पर तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए।

मंत्री महोदय, गरीब किसान की तो आपने 10 रुपया, 15 रुपया, 20

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

रुपया बीघा में जमीन उस समय ले ली थी। आप या तो उस किसान को वापिस लौटाते, या रीको के अन्तर्गत आती अथवा रीको उसको नीलाम करती। क्या अधिकार था इन 300 लोगों को प्लाट काटकर बेचने की अनुमति देने का आपको? 14 मई का अध्यादेश है आपका। उसको सदन में बता दीजिये। यदि गलत होगा तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं वरना जिन लोगों ने निकाला, अधिसूचना जारी की, वह उसके अपराधी हैं। इतना बड़ा काम तो इतने छोटे से काम में हो रहा है। फिर इतना बड़ा काम करके आप क्या करना चाहते हो? एक बात तो मैं यह कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके पास अभी रीको में 3337 एकड़ रिक्त भूमि पड़ी हुई है 109 क्षेत्रों में। उस पर ही कर लो जो काम करना है। यह रीको की स्थापना 1980 में आपने की, 330 इंडस्ट्रियल एरिया बनाये। 81 हजार एकड़ भूमि आपने विकसित की। 1 लाख लोगों को रोजगार मिला। 37 हजार यूनिट लगी हुई हैं। 3337 एकड़ भूमि 109 इंडस्ट्रियल एरिया में खाली पड़ी हुई है। आपके इतने लोग आये हैं तो इसमें ही कर लो और नहीं तो रीको के एरिये और कर लो।

अगर इसको भी आपको करना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उद्योग मंत्रीजी, आपका प्रयत्न ठीक है। अगर आपको इसमें भी करना है तो मुझे कोई समस्या नहीं है। आप कम से कम इस बिल को प्रवर समिति को भेज दो। प्रवर समिति में जो सारे सैक्शन मैंने बताये हैं, उन सारे सैक्शनों पर हम चर्चा कर लेंगे। चर्चा करके यह बिल पास हो जायेगा। आज यह बिल पास होगा तो आज ही बिल पास हो जायेगा। अपनी मेजोरिटी है, हां, नां होगी, बिल पास हो जायेगा। लेकिन यह बिल जाने के बाद में एक तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। यह बिल जाने के बाद में सरकार की इमेज को नुकसान पहुंचेगा। निवेश आयेगा कि नहीं आयेगा, यह बाद की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम इसको प्रवर समिति को भेजें। मैं चाहता हूं कि राज्य में विकास हो। राज्य में बिल आयें। राज्य का सारा काम हो। लेकिन मैं यह नहीं चाहता हूं कि यह पार्टी की कास्ट पर हो। यह किसान की कास्ट पर हो। मैं इसलिए आपसे आग्रह करना चाहता हूं, उद्योग मंत्रीजी, मुझे पता है कि आप यह निर्णय नहीं ले सकते, इसलिए मेरी आपसे कोई शिकायत नहीं है। यह निर्णय केवल दो ही आदमी ले सकते हैं, या

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

तो गुलाब जी भाई साहब को गुस्सा आ जाये जो कि कभी-कभी यहां पर आता है, या राजेन्द्र जी काना-बाती करें। दो काम अगर होते हैं और उपाध्यक्ष महोदय थोड़ा सा कठोर रुख अपना लेते हैं तो यह कानून प्रवर समिति को जा सकता है। वरना तो यह पास होगा। यह मुझे पता है। पास होगा तो मैं आपके साथ हूं। एक ही नाव में बैठे हैं। जो आपको भोगना है वह मुझे भी भोगना है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): डूब जायेगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): डूबेगी नहीं तिरेगी। डूबेगी तो कांग्रेस की पूरी तरह से डूब ही चुकी है। सुधरने की गुंजाइश नहीं है उसकी। आप मत समझना, यह काम तो हमारे सुधार के लिए कर रहे हैं। जब मौका आयेगा न तो 'वयं पंचाधिकम शतम्' सुना है न। पांडव 5 थे, कौरव 100 थे। पांडव जब वनवास में चले गये तो कौरवों पर किसी ने हमला कर दिया। लोग भागकर आये युधिष्ठर के पास कि कौरवों पर गंधर्वों ने हमला कर दिया, आप मदद करो। भीम खड़ा हो गया और कहा कि नहीं, हमको तो जंगल में भेज दिया और अब आप उनकी मदद करो, तो उन्होंने कहा, देख, हम आपस में लड़ते हैं तो हम 100 और 5 हैं, लेकिन दूसरा कोई हमला करता है तो 'वयं पंचाधिकम शतम्'। इसलिए कांग्रेस पार्टी कुछ भी कोशिश करेगी तो हम 105 से मिलकर जवाब देंगे। लेकिन हम आपस में तो समझाने की कोशिश करेंगे ही कि यह काम सही है या गलत है। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। हां, इनको समझा दिया। इतनी बात समझदार होंगे तो समझ में आ जायेगी। गुलाब जी भाई साहब आ गये न, आज तो हंसते हुए हैं। मैंने कहा था कि गुलाब जी को गुस्सा आये तो रुक सकता है या राजेन्द्र जी फूंक दे दें तो हो सकता है। बाकी तीसरा कोई इसको रोक नहीं सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने सारी बातों को रखने का मौका दिया। मैं सरकार से भी आग्रह करता हूं कि इन सारी बातों पर सोचें। अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक कर दें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं,

'जमीन जल चुकी है, आसमां बाकी है।
अब आसमां तुम्हारा इम्तिहान बाकी है।'

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मानिक चन्द सुराना।

सूचना

सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा सत्र के दौरान बोर्ड आफ मैनेजमेंट की बैठक का आयोजन

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री उपाध्यक्ष: फर्माएं।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि विधान सभा का सत्र चल रहा है और राजस्थान सरकार का सर्कुलर है कि ऐसे किसी भी बोर्ड की जहां विधायक मैम्बर है, सदन के चलते हुए मीटिंग नहीं रखी जा सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के उप कुलपति ने एक मीटिंग 5 अप्रैल की रखी हुई है। मैंने टेलीफोन पर उनसे वार्ता की तो उन्होंने कहा कि आप लिखकर के भेज दीजिए। लिखकर के भेजने के पश्चात् भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं किसी सर्कुलर को नहीं मानूंगा, मीटिंग रखी जायेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध है कि इस तरह की तानाशाही राजस्थान सरकार के सर्कुलर को नहीं मानने की, इस तरह से बात करने वाले के खिलाफ कार्यवाही करें और इस मीटिंग को स्थगित करवायें। मैं स्वयं और माननीय नगर से आने वाली विधायक उस बोर्ड आफ मैनेजमेंट के सदस्य हैं।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, It seems to be very serious issue. You want to react to that?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, 10 फरवरी को ही हमने एक परिपत्र के द्वारा सभी प्रमुख शासन सचिवों को यह लिखकर आग्रह किया था कि इस प्रकार की कोई बैठक जिसमें माननीय सदस्य सदस्य हों, इस तरह की कमेटी की बैठक नहीं रखी जाये। आपने कहा कि विश्वविद्यालय की बैठक रखी गयी है, और हमने प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा को लिखकर यह कहा था कि विश्वविद्यालय की भी किसी भी समिति की बैठक जिसमें माननीय सदस्य, सदस्य हों उसको नहीं रखें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपने अभी-अभी मुझे कहा है, मैं इसको गम्भीरता से लूंगा और किस स्तर पर हमारे परिपत्र की पालना क्यों नहीं हुई, उसको सुनिश्चित करेंगे और इसमें किसी का दोष होगा तो इस पर कार्यवाही भी करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, या तो आप अपने स्तर पर इसको देख लें that V.C. is not above the Board and the Chair feels that you have failed to comply according to the Rules then the Chair will be forced to tack action accordingly.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सर्कुलर है वह मैं आपको टेबल कर देता हूं। सर्कुलर भेज दिया था। पहले ही भेज दिया था।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विशेष विनिधान रीजन विधेयक, 2016

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मुझे कहा है आप इस पर मतदान, मैं इस पर मतदान नहीं कराऊंगा। मैंने तो अपनी बात रखी है माननीय मंत्री जी को। अगर सरकार की मंशा यही है कि इसको लागू करेंगे और यह कानून सही है तो मैं इसको वापस लेने की आज्ञा के लिए आपको निवेदन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जिस बिल पर, राजस्थान विशेष विनिधान रीजन विधेयक, 2016 पर विस्तृत और विद्वतापूर्ण चर्चा हुई है। इस बिल के प्रत्येक पहलू पर विभिन्न माननीय सदस्यों ने पूरा प्रकाश डाला है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग मंत्रीजी ने जो ज्ञापन प्रस्तुत किया है बिल के साथ मैं उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि लाखों करोड़ रुपए आने को आतुर हैं राजस्थान में और हमारी भाषा और हमारा एक्ट कहता है कि हम बहुत आतुर हैं विशेष रीजन बने और बड़े-बड़े रीजन बने, जो वित्तीय ज्ञापन है इस बिल के माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विशेष विनिधान रीजन विधेयक, 2016 के खंड 60 और 67, यदि अधिनियमित किए जाते हैं तो यह राज्य की समेकित निधि से व्यय अंतर्वलित करेंगे जो 5 करोड़ 12 लाख रुपए के अनावृति और 50 लाख रुपए के आवृत्ति व्यय के रूप में अनुमानित है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा भारी काम होने वाला है, 5 करोड़ 12

(श्री मानिक चन्द सुराना)

लाख तो नोन रेकरिंग और 50 लाख रेकरिंग, आप 6 करोड़ रुपए खर्च करके कितना बड़ा विशेष रीजन विनिधान और विशेष प्राधिकरण बनाना चाहते हैं, यह मेरे समझ से बाहर है। यदि राज्य सरकार को इस बिल को लाने के साथ यह भ्रम हो गया हो कि देश में भूमि अवाप्ति कानून जो भारत सरकार ने लागू किया, 2013 में जो 1.1.14 से लागू हुआ, क्या वह समाप्त हो गया है? और अब तो हमें खाली लकीरें खींचने की आवश्यकता है कि यह विशेष रीजन हो गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, धारा 10 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, धारा 10 में आप जो भी भूमि लेंगे, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य और उन कृत्यों में सबसे पहले है, विशेष विनिधान रीजन के भीतर क्रय, पट्टा, विनिमय करार के द्वारा या अन्यथा भूमि अर्जित, उपाप्त और धारित करना और इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन यह है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, "to acquire, procure and hold land within the Special Investment Region by purchase, lease, exchange, agreement or otherwise." मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि आप भूमि परचेज करें, लीज पर लें, एक्सचेंज करें, एग्रीमेंट करें और अदरवाइज क्या है लैंड एक्वीजिशन के अलावा भी कोई अदरवाइज है क्या? और अदरवाइज है क्या, माननीय मंत्रीजी, बताइए? अदरवाइज यह थोड़े ही है कि आपने लकीरें खींच दीं और आपकी हो गई भूमि। मैं निवेदन करना चाहता हूं, राज्य सरकार, मुझे लगता है कि जो 60 हजार करोड़ का वज़न बिजली कम्पनियों का सरकार पर आया है, उस वज़न से सरकार पीड़ित है और सरकार को ऐसा लगता है कि अब तो यूआईटी के पास, जेडीए के पास जो जमीनें हैं, अपन कोई ऐसा कानून बना दें कि जेडीए की भी नहीं रहेगी, यूआईटी की भी नहीं रहेगी, हम में वेस्ट हो जाएगी। निश्चित रूप से यूआईटी के पास और जेडीए के पास में पांच-सात-दस हजार करोड़ रुपए की जमीनें हैं इसमें कोई शक नहीं है पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बिल के द्वारा, सबसे पहले धारा 27 पर आइए, धारा 27 में आपने जो प्रावधान किया है, 'राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस अधिनियम की धारा 103 में यथा-परिभाषित, किसी विशेष विनिधान रीजन में स्थित भूमि,' कोई भूमि 103 धारा का मतलब है कि कोई भी भूमि आबादी की भूमि है, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 103, आबादी और आबादी एरिया को परिभाषित करती है तो आबादी की भूमि, आबादी एरिया में जो भूमि है वह सरकार की नहीं होती,

(श्री मानिक चन्द सुराना)

उसका कोई मालिक होगा, उस पर कोई खातेदार होगा या कोई व्यक्ति होगा जिसके कब्जे में वह वर्षों से है और आबादी में यदि उसका कब्जा 30 साल से भी है तो कौनसा कानून है देश का कि जो बाई प्रेस्क्रिप्शन उसके टाइटल को ना माने? लिमिटेशन एक्ट में लिखा हुआ है कि 30 साल के बाद में राज्य सरकार को बेदखल करने का भी अधिकार नहीं है, बाई प्रेस्क्रिप्शन, बाई टाइटल उसको एक्रूड हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने यह 103, आबादी एरिया को किस तरीके से आप अपने रीजन में ले लेंगे? आबादी एरिया में पचासों, सैंकड़ों, हजारों लोग मालिक हैं और आबादी एरिया कोई सूना एरिया है क्या कि आपने समझ लिया कि हां, साहब आबादी एरिया को हमने ले लिया। आप चाहे कानून में कुछ भी लिखें, एक ऊपर हाई कोर्ट है और उसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट है और देश जो है वह रूल आफ लॉ से चलेगा। देश में जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है, आप उसको भूलें नहीं। आपको जो रीजन बनाने हैं, जिस तरह आपने रीको के इण्डस्ट्रियल एरिया बनाया, भूमियां एक्वायर की, बाकायदा प्लाटिंग की उस प्रक्रिया से आप चलेंगे तो विशेष रीजन बन सकेंगे और आप यदि लैंड एक्विजिशन एक्ट को इग्नोर करके और कोई दादागीरी से और कोई कानून की दादगीरी से और एक एक्ट की दादागीरी से एरिया बनाना चाहेंगे तो मैं निवेदन करूंगा कि 3 लाख 21 हजार वाले जो एमओयू करके गए हैं और उसके बाद 51 एमओयू आपसे किए हैं, 1 लाख कुछ हजार के, तो चार लाख, सवा चार लाख, साढ़े चार लाख वाले अरबपति आपके इस पांच करोड़ रुपल्ली से जो कानून आप बनाना चाहते हैं, यदि आपके पास यही धन है तो निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि साल डेढ़ साल में वे भी चले जाएंगे। आपका रिजल्ट इस साल देना है, आपको रिजल्ट अगले साल देना है, 2016-17 और 2017-18 में आप रिजल्ट देंगे, यह वर्ष 2016-17 का है फाइनेंशियल ईयर, अगला वर्ष 2017-18 का है, 31 मार्च तक जो रिजल्ट होगा, आपके खाते में वही जमा होना है और 31 मार्च को रिजल्ट नहीं हुआ तो कुछ नहीं होना है। इसलिए हम चाहते हैं कि राजस्थान में साढ़े चार लाख करोड़ रुपया जो रिसर्जेंट राजस्थान में आपको कमिट हुआ है, आपको आश्वासन दिया गया है, एमओयू किए गए हैं, वह आएं, आप उनके लिए एक विशेष रीजन बनाएं पर आप जिस प्रक्रिया में चल पड़े हैं, आपने धारा 83 और 84 में, 'नगर सुधार न्यास, जिसका सम्पूर्ण क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के रूप में घोषित कर दिया गया है' आप साफ कहो न, यूआईटी को डाइरेक्शन दे

(श्री मानिक चन्द सुराना)

सरकार कि जितनी जमीन आपके पास है आप सेटअपार्ट कीजिए, आक्शन कीजिए और इसका रुपया विशेष विनिधान रीजन बनाने के लिए, यह जो बोर्ड हमने बनाया है उसके सुपुर्द कीजिए। आप टेढ़ी अंगुली से जो घी निकालना चाहते हैं वह आपको बहुत नुकसान करने वाला है। क्यों तो यूआईटी की जमीनें खत्म हों, क्यों जेडीए की जमीनें खत्म हों और क्यों लैंड रेवेन्यू एक्ट की 'notwithstanding anything contained in the Land Revenue Act.' आपको यह कहना पड़े कि आबादी जमीन जो है वह विशेष रीजन में आ जाएगी और हम में वेस्ट कर जाएगी, आबादी की कोई जमीन का एक इंच आप में वेस्ट करने वाला नहीं है, आप अपनी गलतफहमी से कुछ ऊपर उठ जाइए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार को यदि कोई रिजल्ट देना है तो यह 5 करोड़, 6 करोड़ रुपये का प्रावधान आपने वित्तीय मैमोरेंडम में ले रखा है यह बिलकुल नाकाफी है। इससे तो कुछ भी नहीं हो सकता, 50 बीघा जमीन भी इससे एक्वायर नहीं हो सकती और 50 बीघा जमीन का डवलपमेंट भी 5 करोड़ में नहीं हो सकता और आप सोच रहे हैं लाखों-लाखों हैक्टेयर जमीन की आवश्यकता मान रहा है, साढ़े चार लाख करोड़ रुपये जो आपको आश्वस्त हुए हैं उसमें। सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत सही कहा कि यह अजगर है जो पंचायत को भी खाएगा, नगरपालिका को भी खाएगा और जेडीए व यूआईटी को भी खाएगा। मैं बहुत स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि इस एक्ट के विभिन्न प्रावधान, जो 84 सैक्शन है इस पर कोई दो -तीन घंटे में इस सदन में चर्चा होकर यह बिल पारित होने लायक नहीं है। सदन को कभी-कभी गम्भीरता से, मुझे मालूम है कि व्हिप है और व्हिप से 160 लोग बंधे हुए हैं और 24 लोग एक अलग व्हिप से बंधे हुए हैं, पर इस सदन में यदि राजस्थान में हमें हजारों एकड़ में विशेष विनिधान बनाने हैं और आपने एक्ट में प्रावधान किया है कि चाहे कितने ही विशेष विनिधान बने और चाहे उनको हम किसी भी भौगोलिक नाम से संबोधित करें या जिस काम के लिए वे बनाये गये हैं, जिस विशेष उद्योग के लिए बनाये गये हैं उसके नाम से संबोधित करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल के सारे क्लाजेज पर गम्भीरता से विचार करने के लिए, सरकार जिद न करे कि आज का आज पास हो। यदि महीने-दो महीने की इसमें देरी भी होती है प्रवर समिति में जाने में और दो महीने में उसकी रिपोर्ट आती है, सरकार उस पर एक्शन करे, भले ही आर्डिनेंस जारी करे बाद में, प्रवर समिति की रिपोर्ट आने के बाद, पर मेरा

(श्री मानिक चन्द सुराना)

निवेदन है कि विभिन्न बातें जो कह दी गयी हैं और जो मैंने आपसे कहा कि 6 करोड़ में कुछ होने वाला नहीं है। आप बिल पास करा लीजिए, इस साल 6 करोड़ खर्च कीजिए और 2016-17 का 31 मार्च आ जाएगा और 6 करोड़ में कुछ होने-जाने वाला है। आपको जो करना है 500-600 करोड़ की व्यवस्था कीजिए, जब फिस्कल डेफेसिट 9.9 पर है तो जाने दीजिए 10.5 पर, क्या फर्क पड़ रहा है? 3.6 से बढ़कर हम 9.9 पर आ गये तो डोटासरा जी, कोई आपत्ति है क्या 10.5 भी जाए? कोई हजार-दो हजार करोड़ रुपये से कोई चीज का निर्माण तो हो। जो साढ़े चार लाख करोड़ रुपये आने हैं, जिसके द्वारा हजारों लोगों को रोजगार मिलना है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन होना है। मेरा निवेदन है कि आप इस बिल को हड़बड़ी में पास न करें और इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का मन बनाएं और विधान सभा, राज्य सरकार के प्रभारी मंत्री, उद्योग मंत्री इस बिल को अपने वरिष्ठ साथियों से सलाह करके इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करें जो दो महीने, तीन महीने में अपनी रिपोर्ट सदन को पेश करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी निवेदन के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्रीजी।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विशेष विनिधान रीजन विधेयक, 2016, The Rajasthan Special Investment Regions Bill, 2016 के ऊपर कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके मार्फत् मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि इसका जो मेन परपज है, मैं दो छोटे पैराग्राफ पढ़कर आपको बोलूंगा। ''इस विधेयक को लाने का उद्देश्य एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क तैयार करना है जिससे राज्य में बड़े आकार से एक इंटीग्रेटेड इण्डस्ट्रियल टाउनशिप विकसित किया जा सके।'' यह जो रीको इण्डस्ट्रियल एरियाज इतनी भूमि ले लेंगे, इतनी हड़प लेंगे और किसानों को बेघर कर देंगे That is why I am repeating again that. ''बड़े आकार से ऐसे इंटीग्रेटेड इण्डस्ट्रियल टाउनशिप विकसित किया जा सके जिनका संचालन एवं प्रबंधन एक सिंगल अथोरिटी के नियंत्रण में रहे। जिससे....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को उद्देश्य का ही पता नहीं। पढ़कर बोल रहे हैं तो इस बिल का हश्र

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

क्या होगा? यह तो काला कानून है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मंत्रीजी को इस बिल के लाने का उद्देश्य भी पढ़कर बताना पड़ रहा है। दो लाइन भी ये बोल नहीं सकते मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपके लिए होगा पीला कानून यह। असली बात सुनिए आप। आपके लिए होगा पीला कानून यह।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी की इंटेलिजेंसी पर शंका क्यों है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वे पढ़ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: वे पढ़ इसलिए रहे हैं कि वे जो पढ़ रहे हैं वही आपको सुनाई दे और जो पढ़ना है वह चीज वे ढंग से पढ़ दें।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या डिग्रीज् हैं, मैं इनको प्रस्तुत कर दूंगा, फोटो कापी इनको भेज दूंगा ताकि इनको भी ज्ञान रहे कि थोड़ा-बहुत हम भी पढ़े-लिखे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: You do not have to go into that. Somehow the Honourable Member suffers from certain handicap but you will have to be a little liberal.

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): मैं दुबारा रिपीट करूंगा, बीच में आपने कह दिया। "इस विधेयक को लाने का उद्देश्य एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क तैयार करना है जिससे राज्य में बड़े आकार के ऐसे इंटीग्रेटेड इण्डस्ट्रियल टाउनशिप विकसित किया जा सके जिनका संचालन एवं प्रबंधन एक सिंगल अथोरिटी के नियंत्रण में रहे। जिससे उस क्षेत्र का सिस्टेमेटिक एवं प्लान्ड डवलपमेंट सुनिश्चित हो सके।" इसके अलावा ऐसे इंटीग्रेटेड इण्डस्ट्रियल टाउनशिप में वर्ल्डक्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसेलिटीज उपलब्ध करायी जाएंगी ताकि इन क्षेत्रों की ग्लोबल इकोनोमी हब के रूप में पहचान बन सके जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ हो सके। इस विधेयक के अन्तर्गत स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में आवश्यक आधारभूत सुविधाएं सरकार द्वारा अथवा निजी तथा सार्वजनिक भागीदारी पीपीपी द्वारा प्रदान की जा सके।

इसके अन्दर बेसिकली पूरी जो इनस्पिरिट है कि यह एक एजेंसी, यह इण्डस्ट्रियल का काम, टाउनशिप का काम, इसके अन्दर स्मार्ट सिटीज् को बनाना, आईटी इसके अन्दर लाना, वन एजेंसी इसको करे। इसमें यूआईटी, नगर निगम, रीको, हाउसिंग बोर्ड ये सब रोल्ड इन वन हैं। एक अथोरिटी करे, इसके

(श्री गजेन्द्र सिंह)

अन्दर कंफ्यूजन न हो। इसके अन्दर एनवायरमेंट को भी कंसीडरेशन दिया जा सके। इसके अन्दर ग्रीन बिल्डिंग को भी स्थापित किया जाय। एक माडर्न स्मार्ट सिटी इस एसआईआर का प्रमुख उद्देश्य है।

कई माननीय सदस्यों को मैं बोलना चाहूंगा कि आप जो समझ रहे हैं, आप जिस चीज से भ्रमित हैं, आपके मन में जो बात है वह मैं आज क्लेरिफाई करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो एसआईआर है यह ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। यह किसी टाउनशिप में, शहर में, किसी ऐसे एरिया के अन्दर एंट्री करके उसको सुधार नहीं कर रही है, यह नया एरिया स्थापित करने के लिए जा रही है।

इसके अन्दर एक मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दूंगा। नोएडा का जो डवलपमेंट हुआ है वह ऐसे ही, इसी आधार पर हुआ है। आज वहां बहुत इण्डस्ट्रीज आ गयी हैं, वहां पर आईटीज् आ गयी हैं, आपके शापिंग माल्स आ गये हैं, क्लब्स आ गये हैं, आपके वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत डवलप हो गया है। यही उद्देश्य एक स्मालर स्केल में एसआईआर का है।

अभी जो डीएमआईसी एरिया है, डेडिकेटेड फ्रेट कारीडोर, डीएमआईसी का मामला है यह कई वर्षों से चला आ रहा है। एक-दो साल से इसकी शुरूआत नहीं हुई है, यह काफी समय से चला आ रहा है। 39 परसेंट डीएमआईसी का एरिया है वह हमारे राजस्थान के अन्दर से आता है। इसके अन्दर डीएमआईसी को सक्सेसफुल करने के लिए 39 प्रतिशत एरिया राजस्थान के अन्दर पड़ता है तो राजस्थान को भी हमें फास्ट मूव करना पड़ेगा नहीं तो पूरे डीएमआईसी का अरबों रुपये की जो स्कीम है वह चौपट हो जाएगी। इसके अन्दर 5 इन्वेस्टमेंट रीजन्स इण्डस्ट्रियल एरियाज् चुने गये हैं। इसके अन्दर फेज वन और फेज टू हैं।

(18.00 बजे)

फेज वन के अन्दर आपका खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना का है। यह इन्वेस्टमेंट रीजन है और इसके अन्दर 10 गांवों की जो जमीन है उसका अवार्ड हुआ है, कम्पनसेशन उनको देना है। इसके अलावा आपका जो जोधपुर, पाली, मारवाड़ का इण्डस्ट्रियल एरिया है, इसके अन्दर भी लगभग 7-8 गांव आते हैं और ये जो दो स्कीम्स हैं इनके लिए हमें केन्द्र 3 हजार और 3 हजार, 6 हजार करोड़ रुपये देने के लिए तैयार है।

(श्री गजेन्द्र सिंह)

इसके पश्चात् जो फेज टू आएगा अजमेर-किशनगढ़, यह भी आपका इन्वेस्टमेंट रीजन है। जयपुर-दौसा, यह आपका इण्डस्ट्रियल एरिया है और राजसमन्द-भीलवाड़ा, यह भी आपका इण्डस्ट्रियल एरिया है और इनको भी 3-3 हजार करोड़ रुपये इनको स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार देगी और उसके अन्दर हम भी मैचिंग फण्ड डालेंगे। तो क्या ये जो फण्ड्स आ रहे हैं वो हमें नहीं लेना चाहिए? इनको अवेल नहीं करना चाहिए?

श्री उपाध्यक्ष: Let the Minister finish. You will get 3rd reading again.

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। किसान की जमीन की कीमत पर।

श्री उपाध्यक्ष: You will get 3rd reading. I will give you. All the time you have come out whatever you have left with.

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मैं जिस बात पर कह रहा था कि लोगों के मन में भ्रम है और ये जो सोच रहे हैं, तिवाड़ी साहब ने भी कहा कि हजारों एकड़ भूमि ले लेंगे, किसानों को बेघर कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इस स्कीम के प्रति अभी यह जरूरी नहीं है कि किसानों की जमीन लेंगे। अभी जो अलवर एरिया है, अलवर जिला जो है, अपने जयपुर और दिल्ली के बीच में, यह एक बहुत इण्डस्ट्रियली हाट सेलिंग एरिया है और सब उद्योगपति अपने नेशनल कैपिटल रीजन में और इस एरिया के अन्दर आने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक हैं। इसलिए जो 10 गांवों की हमने जमीन ली है वो एक खाली किक-स्टार्ट करने के लिए हमने उस जमीन को लेकर हम वहां पर बेसिक उसका न्यूक्लियस बनाएंगे। न्यूक्लियस बनाने के बाद में जब हम एक मास्टर प्लान निकालेंगे तो उसके तहत जो किसान हैं वो कोई भी अपनी जो भी कुछ एकड़ भूमि है, मास्टर प्लान के अन्दर एक वैल-प्लांड एफर्ट होगा, उसके अन्दर आपके अलग-अलग एरियाज स्थापित किये जाएंगे। तो हम कह रहे हैं कि जो वहां के लोकल लोग हैं, हम उनको प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मालिक, डवलपर और इन्वेस्टर, आप तीनों साथ मिलकर आगे काम कीजिये, सरकार का खाली यही उद्देश्य है, लेकिन आज आप देखिये, आज दिल्ली के अन्दर नई दिल्ली को देखिये तो उस टाइम एक नई दिल्ली की प्लानिंग हुई थी, आज आप चण्डीगढ़ के अन्दर भी जाते हैं तो जो प्लानिंग चण्डीगढ़ के अन्दर की है, एक मास्टर प्लान बनाया गया है, एक टाउनशिप डवलप की है। अब नई दिल्ली के अन्दर क्यों नहीं हैं इण्डस्ट्रीज, आपकी

(श्री गजेन्द्र सिंह)

गोल्फलिंक्स में क्यों नहीं आ गई तो एक प्लान बनाया गया था तो हम खाली एक प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें केन्द्र सरकार की मदद से कोटकासिम के पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट की क्लियरेंसेज मिल गई है। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएगा, क्या यह हमारे स्टेट के लिए अच्छा नहीं है? हमारी जो स्पेशल लिंक रोड्स बनेंगी, नीमराना टू भिवाड़ी, आपकी जो छोटी-छोटी टाउनशिप्स बनेंगी, हमें तो केन्द्र से पैसा मिल रहा है उपाध्यक्ष महोदय। अलवर के अन्दर जो पानी की दिक्कतें हैं, आपके चम्बल से पानी आएगा अलवर के अन्दर, ये फण्ड्स यूटिलाइज होंगे वहां पर।

मैं एक चीज और आपके मार्फत् माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि इसके अन्दर हम कोई भी एग्जिस्टिंग पंचायत को, उसकी आबादी क्षेत्र को नहीं छेड़ रहे हैं। उसके अलावा जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी आज भौगोलिक एरिया है उस आबादी का, उसके अतिरिक्त हम जमीन अगले 5-7-10 साल के लिए एक प्लान बनाकर कि जब गांव बढ़ेगा तो यह आगे बढ़ेगा या म्युनिसिपैलिटी जब बढ़ेगी तो इसका आकार बढ़ेगा तो हम उसके लिए भी प्रोविजन करके छोड़ रहे हैं। यह जरूरी नहीं है कि हम गांवों की, किसानों की जमीन लें। हम आगे जो एरिया प्लान करेंगे उसके अन्दर शायद जो न्यूक्लियस है, एक स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी क्या होता है, एक सीवरेज होना चाहिए। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि भिवाड़ी एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, भिवाड़ी के अन्दर इण्डस्ट्रीज के अलावा कुछ नहीं है। वहां कोई रह रहा है और किसी को शापिंग जाना है तो वह गुड़गांव जाता है, दूर-दराज दूसरे शहरों में जाता है। तो इंटीग्रेटेड टाउनशिप का मतलब ही यह है कि सब चीज एक जगह के अन्दर हो, स्कूल्स, हास्पिटल्स, रोड नैटवर्क, एक प्लांड मास्टर प्लान। इसका उद्देश्य बेसिकली यह है कि यह जो आप लोगों के मन में जो भ्रम है कि इस एसआईआर के तहत हम यहां भी जमीन ले लेंगे, जोधपुर में भी ले लेंगे, अलवर में भी ले लेंगे और भीलवाड़ा में भी ले लेंगे, हम जैसे नोंचते फिरेंगे जमीन के लिए जबकि रीको के पास आज लगभग 7 हजार हैक्टर लैण्ड बैंक है। जमीन जो ली जाएगी वो लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट, 2013 के अतिरिक्त ली जाएगी। अगर उसमें कोई स्टे आता है तो वो स्टे हमारे ऊपर भी लागू होता है। We are not crossing boundaries. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हम जो मुआवजा जो दे रहे हैं, अलवर के अन्दर तो हम हुडको से लोन ले रहे हैं मुआवजा देने के लिए और उसके बाद यह टाउनशिप बनेगी उससे

(श्री गजेन्द्रसिंह)

हमें फण्ड मिलेगा and we will repay the loan back. वहां के किसान दौड़-दौड़ कर आ रहे हैं कि हमारा मुआवजा तो जल्दी दो, वो मुआवजे के लिए इच्छुक हैं और इसके अन्दर हम खाली मुआवजा नहीं, हम लैण्ड फोर लैण्ड भी दे रहे हैं। That option is also there to give land for land जैसे तिवाड़ी साहब ऐसे कह रहे हैं जैसे हम तलवार लेकर बिल्कुल अपराधी बनकर, कसाई बनकर लोगों की गर्दन काटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, यह कसाई शब्द एक्सपंज किया जाए। माननीय मंत्री महोदय ने यह असंसदीय बात कही है। किसी के लिए आप एलिगेट करके यह कहो कि कसाई, कसाई क्या काटता ही है क्या?

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): ये जो सरकार के इंटेंशन हैं....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कसाई एक सम्मानित कम्युनिटी है और उपाध्यक्ष महोदय, आप तो महान हैं, इसको तो हटाओ। यह तो जानबूझकर मंत्रीजी ने बोला है। यह एक कम्युनिटी का अपमान करने की बात कही है।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अगर इससे किसी को ठेस पहुंचती है तो मैं माफी मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट। मंत्री महोदय, अगर आपकी इजाजत हो तो कसाई शब्द की जगह स्लाटर शब्द का इस्तेमाल कर लिया जाए?

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): वो ही मैं कह रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि मेरी जिंदगी में कभी भी मैंने किसी को हार्म करने की कोशिश नहीं की मेरे मुंह से कभी भी ऐसा निकल जाए तो मैं क्षमा चाहने में भी, माफी मांगने में भी आगे हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे लोगों का अंग्रेजी में हाथ तंग है, इसका फायदा उठा रहे हो, उपाध्यक्ष महोदय, आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): किसी को क्या एतराज है साहब, ये अपने खुद के लिए कह रहे हैं।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल है यह अचानक इंट्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है। इसके बारे में कई बार चर्चाएं

(श्री गजेन्द्रसिंह)

हुई हैं, इसके अन्दर कई हमारे डिपार्टमेंट्स इन्वाल्व हुए हैं और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी कई बार कहा कि गुजरात का माडल फॉलो कर रहे हैं पर Our models should be better than Gujrat. गुजरात के अन्दर जो धोलेरा के अन्दर 900 हैक्टेयर जमीन जो ली गई है तो अब जहां इतनी तादाद में आप जमीन लोगे तो वहां पर किसान का आंदोलन तो कहीं न कहीं होता ही है। हमने उस सब को स्ट्रीम लाइन करके, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि जो आरडीए बना हुआ है, आरडीए के अन्दर आप देखिये, एमपी, लोक सभा है, जितने भी एमएलए, चाहे वो विपक्ष के एमएलए हों, चाहे सत्ता पक्ष के एमएलए हों, सब एलएलएज इसमें शामिल हैं, नॉमिनेटेड मैम्बर्स होंगे तो इसके अन्दर हम चाहते हैं, सरकार चाहती है कि किसानों को या किसी को हम ऐसा कोई भी कदम नहीं लेना चाहते हैं जिससे हमारी जनता नाखुश रहे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नॉमिनेट एमएलए का तो हाल देखा था न, अभी देखा था न बंसल साहब का हाल। नामिनेट एमएलए की क्या वैल्यू है आपकी सरकार में?

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, आप इनको रोकिये। ये बीच-बीच में डिस्टर्ब करते रहते हैं, यह तो ठीक बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: क्या करें इनका?

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): इनको आप पाबंद करो, साहब। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके जेनेटिक प्राब्लम है बेसिकली। इसके अन्दर आप बताइये कि जो जन-प्रतिनिधि इलैक्ट होकर आते हैं, चाहे विपक्ष के हों, चाहे सत्ता पक्ष के हों, यह हमने पर्टिकूलरली रखा है कि किसी भी तरीके से हम किसानों को आक्रोशित नहीं करें और किसी तरह का कोई अन्याय ग्राउण्ड पर नहीं हो। इसके अलावा जो बोर्ड बना है, अपेक्स बाडी है, मैन कार्य आरडीए करेगा पर अपेक्स बाडी आरडीए की एक्टिविटीज मानीटर करेगी और वो रिकमंडेशन देगी कस्टमाइज पैकेज का, जो मैं सोचता हूं कि एक अपेक्स बाडी होना बहुत आवश्यक है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो हमने केबीएम का किक-स्टार्ट किया है, यह हमारा माडल होगा। यह और रोहट (पाली) वाले जो दोनों

(श्री गजेन्द्रसिंह)

प्रोजेक्ट्स हैं और हमें आशा है कि इसके अलावा हम कहीं भी नहीं हाथ डाल रहे हैं। हम पहले देख रहे हैं कि इनको हम सक्सैसफुल करें। कोई समस्या आएगी, कोई टीथिंग प्रोब्लम्स होंगे तो हम उनको अवश्य वहीं पर अरेस्ट कर लेंगे। कोई पंचायतों की जमीनें नहीं छीनी जा रही हैं। पंचायतों का, म्युनिसिपैलिटी का और नगर निगम का कोई अधिकार नहीं लिया जा रहा है और क्योंकि...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसमें लिखा है ना।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): ...यह डीएमआईसी का एरिया है। मुझे अच्छा समझो, बुरा समझो, जो भी है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अगर मुझे डीएमआईसी का मंत्री बनाया है तो आप कह रहे हो कि उद्योग मंत्री के सब अधिकार हो जायेंगे, सब ये हो जायेंगे। मुझे ऐसे अधिकार का न तो कोई शौक है। आप लोग सीएम साहब को कह दो कि किसी और को बना दें डीएमआईसी का, मेरे को कोई प्रोब्लम नहीं है। मैं कोई इतना...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): क्यों बना दें? क्यों बना दें? आप सक्षम हो। क्यों बना दें दूसरे को?

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, क्या बना दें? क्यों, क्या बना दें, और क्या, नहीं बना दें? मतलब यह भी तो आप डिस्क्लोज करो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या बना दें? और कुछ न बन सकें तो खिलौना बना दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कोई खिलौना नहीं हैं।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धारा 27(3) में यह प्रावधान है कि आरडीए लैण्ड राज्य सरकार के आदेश द्वारा लोकल बाडी को भी दे सकेगी। हम ले भी सकते हैं और हमारे से सरकार वापस भी ले सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई हार्ड एण्ड फास्ट रूल इसके अन्दर नहीं है।

इसके अन्दर कई माननीय सदस्यों ने कई इश्युज रेज किये थे। क्वालिफिकेशन क्या होगी? हम सब क्वालिफाइड लोगों को लायेंगे। अभी एक्ट पास होने के बाद जब रूल्स बनेंगे और उसके तहत क्राइटेरिया जो बनाया जायेगा। जैसे और सरकारी डिपार्टमेंट्स में बनता है This is a project run by the Government of Rajasthan तो उस आधार पर...

(श्री गजेन्द्रसिंह)

माननीय जोगाराम जी पटेल ने बहुत इम्पोर्टेन्ट इश्यू रेज किया था पर हम बिल्कुल विदिन द रूल एण्ड रेगुलेशन्स, जैसे दूसरे विभागों में होता है, हम अकोर्डिंगली डिपार्टमेंट के अन्दर जो भी रूल्स आयेंगे, एज पर लीगल फ्रेमवर्क आयेंगे।

इसके अन्दर अपीलेट अथोरिटी की भी बात हुई थी। अपीलेट अथोरिटी के अन्दर हाई कोर्ट तक जाने की आपके पास You can go to High Court. कई लोग लैण्ड एक्वीजिशन में हाई कोर्ट गये भी हैं तो इसके अन्दर यह आपके पास विंडो है। यह नहीं कि कोई तानाशाह बनकर जैसे कहा कि जागीरदारी तो नहीं है। माननीय तिवाड़ीजी ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। We are in India, which is a democratic India यहां लोकतंत्र सबसे ज्यादा माना जाता है, सब उसको रैस्पैक्ट करते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी के पास पावर नहीं है अपील करने के लिए।

इसके अन्दर सैक्शन-82, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, "Relating to control by State Government is a standard provision made in so many Acts to give powers to Government in matters of policy." इसमें घबराने की कोई बात नहीं है।

माननीय सुरानाजी ने कुछ इश्युज रेज किये थे। मैं इनका जवाब तो आपको दे ही चुका हूं। आपने कहा कि दादागीरी से नहीं करें। मैंने आपको बताया। लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट के तहत हो रहा है। रीको के अन्दर यदि, कई सदस्यों ने कहा कि उसके अन्दर वेकेट प्लाट्स हैं। उद्योगपति कोई चाहेंगे, जैसे रीको का एरिया बना है अपने खिरोली (अलवर) के अन्दर। उसके अन्दर प्राइवेट पार्टीज आएंगी और जैसे ही डिमांड होगी, हम कोई जमीन लोगों की एक्वायर नहीं करना चाहते। अगर उस एरिया के अन्दर रीको की जमीन है तो हम खुशी से रीको की जमीन में उनको एकोमोडेट करेंगे।

इसके अन्दर माननीय तिवाड़ी साहब ने बोला कि नकल करना अच्छा नहीं है। गुजरात की पालिसी के जो अच्छे पाइंट्स हैं, हमने उनको लिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी के अन्दर कई महीने लगे हैं। यह कोई ओवर-नाइट नहीं बना है। यह कई महीने लगे हैं इसके अन्दर और इसको वैल थॉट आफ है। हमने गुजरात के अच्छे पाइंट्स लिये हैं। इसके अन्दर राजस्थान को देखते हुए, जैसा मैंने बोला कि हमारे जन-प्रतिनिधियों को हमने कमेटी में लगाया है। यह हम सब चेंजेज करके लाये हैं और जिस तर्ज पर और जिस

(श्री गजेन्द्रसिंह)

क्वांटिटी पर लैण्ड एक्वीजिशन हुआ है गुजरात के अन्दर, वह मैंने आपको पहले भी बोला और अभी भी बोल रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे, जिसके अन्दर किसान को ठेस पहुंचे। हमारा जो न्यूक्लियस है, कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट लैण्ड पर उसका न्यूक्लियस बनाकर, और जितने भी किसान हैं, मास्टर प्लान बनाकर उनको कहेंगे कि यह इन्वेस्टर रहा है, यह डवलपर रहा है। आप मिलकर, आपको मल्टीप्लैक्स बनाना है, आपको क्लब बनाना है, आपको बस स्टैण्ड बनाना है, आपको आईटी सेंटर बनाना है। यह It will be actually, किसान खुद ही निर्णय करेगा कि मुझे इसके अन्दर क्या करना है। यह चीज मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूंगा।

इसके अलावा महिन्द्रा सेज के बारे में भी डोटासराजी ने और माननीय तिवाड़ीजी ने बोला। डोटासरा साहब, उस दिन आपका प्रश्न भी लगा था। आपके अगर कोई समझ में नहीं आता है न, आप कोई थर्ड पर्सन, इंटेलीजेंट पर्सन को ले आओ। महिन्द्रा सेज के अन्दर कोई अनियमितता नहीं हुई। पर आप समझ ही नहीं पाते हो, क्या करें। आप गणित ही नहीं समझते हो। उस दिन मैंने जो आपको जवाब दिया, उसके अन्दर कोई अनियमितता नहीं की है। महिन्द्रा सेज है, उसने इण्डस्ट्री में जमीन दी है जबकि वह होटल बना सकता था, हास्पिटल बना सकता था...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसमें थर्ड पर्सन की बात नहीं है। कैबिनेट नोट बनाकर ले गये थे लैंड यूज चेंज के लिए और उसके लिए आपने यहां मना किया कि लैंड यूज चेंज नहीं किया। आपने नोन-प्रोसेसिंग के लिए एरिया दे दिया। 5,000 करोड़ का घाटा कर दिया पूरे प्रदेश का और आप कह रहे हो, समझते नहीं हो। मैं नहीं समझता हूं?

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): ऐसा है, आपसे इतना ही निवेदन है, एक तो मैं आपसे ज्यादा रहा हुआ हूं। आपसे इतना ही निवेदन है कि कोई सही चीज को सही बोलो। कुछ चीज समझ में नहीं आये, पूछ लो। यह चिल्ला-चिल्लाकर सदन के सितारे बनने का जो आपको शौक है न, यह सही नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गरजता हूं सदन में। हां, चिल्लाता थोड़े ही हूं।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय तिवाड़ी साहब ने जो इश्यु रेज किया था पावर आफ एंट्री Provision of power of entry made in section 49 of the Bill are broadly on the lines of JDA Act or UIT act and are necessary for any development Authority to discharge its duty under the Act. See Section 85 of JDA Act. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डोटासराजी के लिए मैंने आपको बता ही दिया। सेज के ऊपर मैंने आपको बता दिया। आपने बोला था कि यह भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और इसके अन्दर मनमानी करेंगे तो मैंने आपको बोल दिया कि जन-प्रतिनिधि वहां बैठेंगे। कोई आप लोगों से बात तो छिपी नहीं रहेगी ना। सीक्रेटली तो कोई डिसीजन नहीं लिया जायेगा। रीजनल डवलपमेंट अथोरिटी जो लेगी, ब्लैक एण्ड व्हाइट में लेगी, आपकी मीटिंग में लेगी जो भी निर्णय लेगी तो इसमें भ्रष्टाचार का कोई बढ़ावा नहीं हो रहा है, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

माननीय जोगाराम जी पटेल ने जो इश्यु रेज किये थे। बेनीवालजी ने इश्युज रेज किये थे। वह तो बिल्कुल ही अलग चीजों में घुस गये। उन्होंने इस बारे में कोई बात ही नहीं की। माननीय गुंजल साहब ने इश्यु रेज किये थे। मैं यही बताना चाहूंगा गुंजल साहब को...

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय मंत्री महोदय, सैक्शन-83 अपन क्यों इनैक्ट कर रहे हैं, इसका स्पष्टीकरण कर दें।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय गुंजल साहब ने बोला था। गुंजल साहब, सेज में और इसमें रात-दिन का फर्क है। मैंने पहले भी आपको बोला है। It is not a SEZ, it is not purely Industrial Area. यह इंटीग्रेटेड है। इसके अन्दर कुछ इण्डस्ट्रीज लगेंगी और उन इंडस्ट्रीज में जो लोग काम कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, उनको हाउसिंग भी चाहिए। उनको शोपिंग भी करना है बच्चों को। बच्चों को स्कूल भी भेजना है। यह एक स्मार्ट सिटी इंटीग्रेटेड टाउनशिप है। केन्द्र सरकार के जो 3-3 हजार करोड़ रुपये मिल रहे हैं, क्या हम उनको लात मार दें? एक डीएमआईसी बन रहा है, हमारा सौभाग्य है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी सरकार यहां पर आ जाये, चाहे कांग्रेस की आये, चाहे बीजेपी की आये, यह जो इण्डस्ट्रियल कोरीडोर बन रहा है, जो आपके नीमराना से होता हुआ, आपके रींगस होता हुआ, फुलेरा होता हुआ, किशनगढ़ होता हुआ, मारवाड़ जंक्शन होता हुआ, सिरोही होता हुआ जाएगा। यह जो पूरा एरिया है, उसके अन्दर लैण्ड एक्वायर भी हो चुका है। 2018 तक

(श्री गजेन्द्रसिंह)

आपकी हाई स्पीड ट्रेन चलने लग जायेंगी, जो 14 घंटे में कारगो दिल्ली से मुम्बई पहुंचा देगी। राजस्थान से तो और भी जल्दी पहुंचाएगी। यह हमारे राजस्थान के लिए, हमारी इण्डस्ट्रीज के लिए एक बहुत भारी असैट है। सरकार कोई भी आये इसके अन्दर। आपको यह भी बताना चाहूंगा, रिसर्जेन्ट राजस्थान के अन्दर हम लोगों को दु:ख यह लगा कि हम इतनी मेहनत करके जो पैसा लाये हैं। उसके अन्दर भी आपने कहा कि क्या लाये? कुछ नहीं लाये। तिवाड़ीजी ने बोला कि 50 प्रतिशत भी नहीं आयेंगे। गुजरात के अन्दर 40 प्रतिशत मैटेरियलाइजेशन हुई है, which is highest in India.

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): और आपके 292 एमओयू हुए थे, उसमें से कितनी हुई? पिछली बार आपने 292 एमओयू किये थे, कितनी हुई? अशोकजी गहलोत ने किये थे, उनमें कितनी हुई?

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार में जो पहला रिसर्जेन्ट राजस्थान हुआ था, उसके अन्दर जैसे लोग आये, एमओयूज हम साइन करते गये वो गलती हमने इस बार नहीं की। हम जो भी लोग आए, हमने उनकी फाइनेंशल स्टेटस, उनका इण्डस्ट्रियल बैकग्राउण्ड, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी सीरियसनैज देखकर जितने भी आपके एमओयूज हुए हैं उसमें से 60 परसेंट...

श्री रमेश (सपोटरा): दस परसेंट लाएंगे या सौ परसेंट लाएंगे... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, मंत्री महोदय, आप विराज जाएं। मैं सम्माननीय सदस्यों को कई बार कह चुका हूं। यह बिल के स्टेजेज हैं। आपको वापस एक अपोर्च्युनिटी और मिलेगी। जो चीज रह गई हो या मंत्रीजी के श्रीमुख से ऐसी कोई जानकारी आपको मिली हो जिसका स्पष्टीकरण चाहते हैं, I'll ask him to again come back on the 3rd reading and before that you will get an opportunity. तो, एट लिस्ट मुझे बाकी कुछ नहीं मालूम बट इसी सदन में दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ था इंटलैक्चुअल इंटरवेंशन। किसी सम्माननीय सदस्य ने इन शब्दों को इस प्रकार जन्म दिया था तो जब आपका इंटलैक्चुअल इंटरवेंशन का स्टेज आए तो आप इंटलैक्चुअल इंटरवेंशन कर देना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह गलती हुजूर मेरी थी।

श्री उपाध्यक्ष: मैं जानबूझकर आपका नाम नहीं ले रहा था, आदरणीय।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जो रिसर्जेंट राजस्थान में एमओयूज हुए हैं, उसमें से 60 प्रतिशत जो लोग हैं जिन्होंने एमओयूज साइन किए हैं उन्होंने ज़मीनें ढूंढनी शुरू कर दी हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अरे वाह।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): अरे वाह नहीं साहब, इट इज एक्चुअल फैक्ट। 60 परसेंट लोगों ने और जो सीरियस इन्वैस्टर होता है वो, उपाध्यक्ष महोदय, वह जमीन खोजना शुरू कर देता है। तो अच्छा काम किया उसके लिए अच्छी बात बोलो। काश, अगर जो पहला रिसर्जेंट राजस्थान हुआ उसके पश्चात् जब आपकी सरकार पांच साल थी। अगर आप दो रिसर्जेंट राजस्थान कर देते तो इसका मोमेंटम बहुत अच्छा होता आज। यह हमें महसूस हुआ कि इस चेन के अन्दर ब्रेक हो गया, इन्वैस्टमेंट का फ्लो ब्रेक हो गया और माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा, इतना आसान नहीं है। आज जो काम्पीटीशन चल रहा है आपस के स्टेट्स के अन्दर सब लोग इन्वेस्टमेंट उठाने में लगे हुए हैं। क्योंकि अपने इंडिया की सबसे यंगेस्ट लेबर फोर्स है हम अपने लोगों को कितनी सरकारी नौकरियां दे पाएंगे Very limited अब यह कैसे हम क्रिएट करें जॉब्स? चाहे उद्योग हो, चाहे मेडिकल हैल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, प्राइवेट सैक्टर को लाकर और हम ये अधिकांश जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं वो इसके तहत कर सकते हैं। तो रिसर्जेंट राजस्थान मैं सोचता हूं एक बहुत इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। जिसको चाहे कोई भी सरकार आये उसको आगे कंटीनुअस करना चाहिए। माननीय गुंजल साहब को यही मैं बोल रहा था। कई लोगों को ने यह बोला कि उद्योग मंत्री तो सब कुछ हो जाएगा, वो हो जाएगा, यह हो जाएगा। अब छोटा सा डिपार्टमेंट है डीएमआईसी। दो टाउनशिप हैं एक तो मारवाड़ पाली में एक छोटा-सा है रोहट और एक खुशखेड़ा और उसके दस पंचायतों में जमीन। अब इससे ज्यादा हमारा क्या, अभी हम इनको डवलप करेंगे। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोई हाथी पर बैठ गया हूं मैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं तो इसलिए कह रहा था कि आप उद्योग मंत्री रहना नहीं चाहते हैं। आप उद्योग मंत्री रहना नहीं चाहते इसलिए कहा था मैंने तो, आपके लिए नई अपोर्च्युनिटी खोज रहा था।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): आखिर में मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय इतना ही कहना चाहूंगा कि राजस्थान की तरफ से डीएमआईसी में जो डिले

(श्री गजेन्द्रसिंह)

हुआ है हम चाह रहे हैं कि इसको स्पीडली 15 हजार करोड़ रुपए जो हम ले सकते हैं केन्द्र सरकार से, हम उसको जल्दी लें और हमारा वहां पर डवलपमेंट हो। उस एरिया के अन्दर पानी आये, उस एरिया के अन्दर स्कूल्स आयें और मैं यह सोचता हूं कि यह भारत सरकार का डीएमआईसी प्रोजैक्ट है। इसके स्टैण्डर्ड प्रोसीजर्स हैं, यह एक्ट एक एनेबलिंग फ्रेमवर्क है, मौके पर वास्तविक काम आरडीए करेगी। आरडीए का जो स्ट्रैक्चर बनाया है उसमें जन प्रतिनिधियों को इसलिए शामिल किया गया है कि योजना की क्रियान्विति जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप हो सकेगी। इसलिए इसको जनमत के लिए परिचालित करना आवश्यक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: जो सरकारी उप सचेतक ने टिप्पणी की और जो प्रतिपक्ष के सचेतक ने टिप्पणी की है, वह अंकित नहीं हो।

प्रश्न यह है कि विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किए जाने के जो संशोधन श्री प्रहलाद गुंजल, डा. फूलचन्द भिण्डा, श्री जोगाराम पटेल सदस्य ने प्रस्तुत किए हैं, उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किए जाने के संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विशेष, मैं सैकिण्ड पर आ जाऊं या दोनों को साथ कर दूं?

प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रवर समिति को निर्देशित किए जाने के जो संशोधन श्री घनश्याम तिवाड़ी ने प्रस्तुत किए हैं, उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्देशित किए जाने.....

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी मैंने जो प्रस्ताव किया है, उसको वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: इसको मैं रिपीट कर देता हूं।

प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रवर समिति को निर्देशित किए जाने के जो संशोधन श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री मानिक चन्द सुराणा ने प्रस्तुत किए हैं, उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्देशित किए जाने के संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विशेष विनिधान रीजन विधेयक, 2016 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्ररूताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विशेष विनिधान रीजन विधेयक, 2016 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड-2 श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): उपाध्यक्ष महोदय मेरे द्वारा खण्डश: संशोधन के जो प्रस्ताव दिए गए हैं, उनको वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-2 में जो संशोधन श्री जोगाराम पटेल ने प्रस्तुत किए उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-3 से 80, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 से 80 स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-3 से 80 स्वीकार किए गए।

खण्ड-81 श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड-81 में जो संशोधन प्रस्ताव दिया है, उसे मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-81 में जो संशोधन श्री जोगाराम पटेल ने प्रस्तुत किया है, उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रश्न यह है कि खण्ड-81 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-81 स्वीकार किया गया।

खण्ड-82 से 84, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-82 से 84 स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-82 से 84 स्वीकार किए गए।

अनुसूची-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गई।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्रीजी।

विधेयक का पारण

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विशेष विनिधान रीजन विधेयक, 2016 को पारित किया जाए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कानून है जिस प्रकार से मंत्रीजी ने विधेयक के ऊपर नहीं बोल करके इधर-उधर अगल-बगल की बातें करके अपना समय व्यतीत किया है मैं समझता हूं कि इससे बड़ा राजस्थान के किसान के लिए काला कानून कोई हो

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

नहीं सकता। किसान को मंत्रीजी ने कहा अपने उद्‍बोधन में कि उसको उस व्यापारी के हवाले कर दिया जाएगा और एक शब्द भी यूज में लिया कि वो हलाल करेगा किस तरीके से। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह छोटी-मोटी बात नहीं है। किसान को उद्योगपति ऐंठ करके उसकी जमीन औने-पौने दामों में ले लेगा। राजस्थान का किसान बरबाद हो जाएगा। जब सारे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य भी इसका विरोध कर रहे हैं। पूरा प्रतिपक्ष इसका विरोध कर रहा है तो माननीय मंत्रीजी को इतनी जल्दी क्या हो गयी, सरकार को ऐसी क्या जल्दी आ गयी कि इस विधेयक को आज ही पारित करना है? जब मैं निवेदन करना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि विधायक रहेंगे वहाँ कर लेंगे। विधायकों की स्थिति तो हमें अभी-अभी एक माननीय सदस्य ने यूनिवर्सिटी के बारे में बताया कि वे मनोनीत सदस्य हैं, वहां का वाइस चांसलर उनको मना कर रहा है कि मैं मेरी मर्जी आये जैसे करूंगा, जो आपको मर्जी आये वो कर लो। तो मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह काला कानून लाकर इस राजस्थान के किसान को बरबाद मत कीजिये। आपने सुराज संकल्प यात्रा में बड़े-बड़े वादे किये थे। हम आपको रोजगार देंगे और रोजगार देने वाली बात नहीं है किसान का जो रोजगार है उसकी खेती उसकी मां है जमीन, उसको छीनने का आप काला कानून ला रहे हो। यह ठीक नहीं है माननीय मंत्री महोदय, इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह काला कानून पारित नहीं किया जाए। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। मंत्रीजी ने न तो इस विधेयक को पढ़ा है और न मंत्रीजी इसको समझ रहे हैं। उद्देश्य ही दो लाइन के हैं वो भी मंत्रीजी अगर अधिकारियों के लिखे हुए पढ़ रहे हैं इस सदन में तो इससे बड़ा हमारा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि जो मंत्री कानून को नहीं पढ़े-समझे नहीं और वो अगल-बगल की बातें करके और इतना बड़ा काला कानून किसान के विरोध का पारित कराना चाहे, इससे बड़ी शर्म की बात कोई सरकार के लिए हो नहीं सकती। इसलिए हम किसी सूरत में, हम समर्थन भी नहीं करते हैं और हम पारित भी नहीं होने देंगे। हम विरोध भी इस बात का करेंगे कि यह काला कानून किसान की कीमत पर नहीं हो। केन्द्र से पैसा लाना है इसके लिए किसान को बरबाद कर दो, उसकी जमीन को छीन लो, यह ऐसा कानून न पारित होने देंगे और पूरा विरोध करेंगे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्षः श्री धीरज गुर्जर।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक साजिश है राजस्थान के किसान की जमीन को उद्योगपतियों के हाथों में सौंपने की। जिस तरह से गुजरात में शुरुआत की गयी थी कि एक रुपये बीघा में आपने अम्बानी और अडानी को वहां पर किसानों की जमीनें दीं। वो ही राजस्थान में आप करना चाहते हो क्योंकि कभी आपकी पार्टी का जो चेहरा था अटल-अडवाणी पार्टी का चेहरा, वो अटल-अडवाणी की पार्टी अम्बानी और अडानी की पार्टी बन चुकी है और राजस्थान में भी आप उद्योगपतियों के हाथों में राजस्थान के किसान की जमीन को सौंपना चाहते हो क्योंकि राजस्थान का जो किसान है उसके पास जो उपजाऊ थोड़ी बहुत जमीन है, उसको आप ले लोगे और ये उद्योगपति जिस नाम से उस जमीन को लेंगे वो अपने पास रिजर्व करके रख लेंगे और उसका उपयोग नहीं करेंगे और वो किसान अपनी जमीन से वंचित हो जाएगा और वंचित होने के बाद में वो किसान बेघर हो जाएगा, लाचार हो जाएगा उसके भुखमरी आ जाएगी और ये उद्योगपति राजस्थान के किसानों की जमीनों पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि आपका नाता रहा है भय, भूख, भ्रष्टाचार और भाजपा और हम हैं किसान, कारीगर, कामगर और कांग्रेस इसलिए हम इस बिल का विरोध करते हैं। किसान की जमीन अगर उद्योगपतियों के हाथों में दोगे तो राजस्थान का किसान कभी जिन्दगी में आपको इस सदन में वापस आने नहीं देगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री घनश्याम।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान का किसान पूरी तरह अकाल की चपेट में है और ऐसी परिस्थिति में आज दिनोंदिन किसान की खेती का स्तर गिरता जा रहा है, पानी का स्तर गिरता जा रहा है और उन हालात में आप ऐसा कानून लाना चाहते हो तो इसका मतलब यह स्पष्ट है कि यह किसान विरोधी सरकार है और किसानों की पीठ पर छुरा घोंपने का काम यह कानून कर रहा है। इस कानून की हम घोर निन्दा करते हैं और आपके माध्यम से हम पूरी सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि ऐसे कानून के विरोध में हम सदन में ही नहीं सड़क पर भी लड़ेंगे। अगर इस कानून को पास किया तो यह किसान हित में नहीं है इसलिए मैं आपके माध्यम से पूरी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून को वापस लिया जाए और किसानों को राहत दी जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कोई नयी बात हो तो बताओ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिल पर तो बोल नहीं रहे हैं, भाषण ठोक रहे हैं ये तो। इस बिल पर तो बोल नहीं रहे हैं। थर्ड रीडिंग है। थर्ड रीडिंग में कोई बात कहें तो समझ में आये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ऐसा नहीं है। बिल के ऊपर ...(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको कैसे पता चला कि ये पुरानी बात करेंगी। ये बिलकुल नयी बात करेंगी, माननीय सदस्या।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ये कोई छोटी चौपड़ थोडे है। आप बिल पर बोलो न। (व्यवधान) भाषण दे रहे हैं ये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बिलकुल नयी बात करेंगी।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ...(व्यवधान) मंत्रीजी ने दस पंचायत का जो जिक्र किया है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिल से सम्बन्धित है सौ परसेंट।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ...(व्यवधान) बिल पर ही बोल रहे हैं और किसानों के बिल की ही बात हो रही है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): जो मंत्री महोदय ने दस पंचायत का जिक्र किया है गांवों का, मैं तो इतना पूछना चाहती हूं कि एक को तो दिया जा रहा है दस-ग्यारह लाख रुपये और दूसरे को दिया जा रहा है एक करोड़ रुपये, तो जो ये उनकी सिंचित भूमि है, आप कारण कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि मेरा अनुरोध है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो ये 5-6 पंचायतों को कम राशि दी जा रही है, सिंचित भूमि है और वो किसान देने के इच्छुक भी नहीं हैं क्या मंत्रीजी, किसानों की मर्जी से देंगे कि वो चाहें तो लेंगे या जबरदस्ती ले लेंगे? और मेरा मानना यही है कि जो ये पंचायतें हैं उनको बराबर का मुआवजा मिले जो उनकी सिंचित भूमि की वास्तविक रेट है तो आप यह कहना चाह रहे थे कि भूमि से सम्बन्धित नहीं है तो ये कौन से विषय से सम्बन्धित है मुझे समझ में नहीं आ रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सदस्या, इनके चक्कर में कहां आ रही हो, आपका निर्वाचन क्षेत्र है, किसान तो आगे बढ़ कर दे रहा है। वो किसान इंतजार कर रहा आपका। आप विरोध कर रही हैं उस बिल का।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): यह देखिये यह किसान की लिखी हुई चिट्ठी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप बिल का विरोध कर रही हो न? हिम्मत हो तो कहो मैं बिल का विरोध कर रही हूं। (व्यवधान) यह आपके निर्वाचन क्षेत्र का मामला है ...(व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): यह किसान का लिखा हुआ है प्रस्ताव, मेरा बनाया हुआ नहीं है, मंत्री महोदय। किसान का बनाया हुआ पत्र है, किसान की पहुंचायी हुई चिट्ठी है। किसान मिलने आये थे यहां पर और उनकी दी हुई है। उन्होंने एसडीएम को दी है, उन्होंने कलेक्टर को दी है, उन्होंने सरकार को दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री महोदया को भी भेजी है यह वो चिट्ठी है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मनोज कुमार।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): यह रिसर्जेंट राजस्थान का नाम लेकर के किसानों को ठगना चाह रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके चक्कर में क्यों आ रही हैं, यह असंसदीय है। माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ने हमारे को इंगित करके कहा माननीय सदस्या को, महिला सदस्या को कि आप इनके चक्कर में क्यों आ रही हैं। यह असंसदीय है इसको एक्सपंज करायें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): यह उनकी चिट्ठी है, मेरी बनाई हुई चिट्ठी नहीं है, मंत्री महोदय। यह किसान की पुकार है। किसान के दिल की आवाज है। यह मेरी नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये। एक मिनट माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो बात कही कि ××× यह इनका अपमान हुआ क्या? इससे इनका अपमान हुआ क्या? या इनका सम्मान हुआ, यह मुझे समझ में नहीं आया।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ...(व्यवधान) खड़े हो जाते हो क्या है, यह ...(व्यवधान) मदन जी, क्या बात करते हो आप ...(व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): ...(व्यवधान) अपनी हैसियत देखो ...(व्यवधान) राहुल गांधी की बात कर रहे हो ...(व्यवधान) शर्म आनी चाहिए आपको। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी है आप आसन के ऊपर सवाल उठा रहे हो। आपको सरकारी उप मुख्य सचेतक रहने का अधिकार ही नहीं है। आपको कानून का ही ज्ञान नहीं हैं। आप आसन के ऊपर अंगुली उठा रहे हो कि आसन ने यह एक्सपंज करने की व्यवस्था कैसे दे दी। यह ठीक नहीं है। आप थोड़ा कानून को पढ़िये। हरी किताब को पढ़िये। परम्पराओं को जानिये। उसके बाद में बात कीजिये।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आप...(व्यवधान) उनको तो विदेश से देश में ले आओ। राहुल गांधी की बात बाद में करना। सरकारी खर्चे पर विदेश की यात्रा करा रहे हो।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ...(व्यवधान) और फिर आप राहुल गांधी की बात करते हैं। (व्यवधान) बार-बार राहुल गांधी ...(व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विशेष विनिधान रीजन विधेयक, 2016 तक चर्चा चल रही है, मैं कहना चाह रहा हूं कि क्या जिस तरीके से औद्योगिक विकास के लिए जो चर्चा हो रही है, जिस तरीके से रोजगार देने की बात हो रही है, जिस तरीके से इस राजस्थान को विकसित करने की बात हो रही है, मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से जानना चाह रहा हूं कि क्या आपने अब तक इस राजस्थान में जिस तरीके से रीको के माध्यम से जिन-जिन किसानों की भूमि उद्योग के माध्यम से ली, क्या पिछले 15-20 वर्षों से आपके पास एक लैंड बैंक बता रहे हो भूमि का कि हमारे पास पड़ा है उसके बाद हमें दूसरे कानून लाकर क्या इस तरह बार-बार कानूनों से पालना करा कर, क्या कानून लाकर आप उद्योगपतियों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं? क्योंकि ये ऐसा कानून है जिसके माध्यम से सिर्फ ब्यूरोक्रेसी और सिर्फ उद्योगपति जानेंगे, आम व्यक्ति इसके बारे में नहीं जान पायेगा और नहीं जानने का रीजन यह रहेगा कि इसका आम व्यक्ति को सिर्फ भूमि अवाप्त करने के समय किसान को जानकारी मिलेगी इसके अलावा भूमि अवाप्त करने के बाद जिस उद्देश्य के

(श्री मनोज कुमार)

लिए भूमि अवाप्त की जाती है उसके बाद उसका क्या उपयोग हो रहा है, उस उद्देश्य की पूर्ति हुई कि नहीं हुई, इस बात की निगरानी हमारी सरकार को हमारे माननीय मंत्री महोदय, हमें करनी पड़ेगी। मैं आपको उदाहरण के रूप में बता रहा हूं कि माननीय प्रहलाद जी गुंजल साहब कल-परसों चर्चा कर रहे थे, एक प्रश्न का जवाब आपसे मांग रहे थे कि ओम कोठारी ने उद्योग के रूप में भूमि ली हुई को आवासीय फ्लैट के रूप में उपयोग करके फ्लैट्स बेच दिये। क्या आपकी सरकार माननीय मंत्री महोदय, आपके अधिकारियों को ऐसी चीज की जांच करने की आवश्यकता नहीं है? आप क्यों नहीं कराना चाहते ऐसी जांच? क्यों नहीं करना चाहते ऐसी मानिटरिंग कि हमने जिस उद्देश्य के लिए भूमि प्राप्त की उसका उद्देश्य चेंज हो गया तो पूरी की पूरी भूमि सरकार अपने अधिग्रहण करे और सरकार उस भूमि का उपयोग अपने यूज में करे।

इसी तरीके से गिलोट इंडस्ट्रीज अलवर में लगी हुई है, उसमें मुझे शिकायत किये हुए एक वर्ष हो गया, आप कहते हो हमने जनप्रतिनिधियों को शामिल कर लिया, एक वर्ष में मैंने तीन बार शिकायत की है। माननीय मंत्री महोदय को व्यक्तिगत मिलकर शिकायत की है लेकिन आज तक हमारे पास चिट्ठी तक नहीं आई कि उसमें क्या हो रहा है। उसकी पूरी की पूरी सड़क, 600 करोड़ रुपये का बजट, पूरी की पूरी सड़क आज के दिन क्षतिग्रस्त है। विकसित हो रही है, वर्तमान की स्थिति है, उसकी चारदीवारी निर्माण होते-होते गिर गई है। लाइट की व्यवस्था वहां जर्जर स्थिति में है। मिट्टी का जो मेजरमेंट जारी किया जाता है, उस मिट्टी को बहुत सारी बढ़ाकर आपकी ब्यूरोक्रेसी पैसे ऐंठने का काम कर रही है। मैं कह रहा हूं कि आप बिल लाइए, आपका उद्देश्य इस राजस्थान की जनता को विकसित करने का, लाभ देने का है तो आप इसकी मानिटरिंग कीजिए कि वास्तव में भूमि लेने के बाद क्या उसका उपयोग इस राजस्थान के हित में हो रहा है या उद्योगपतियों के हित में हो रहा है। अगर ऐसे उद्योगपति जो इस भूमि को लेने के बाद उसका कुछ भी उपयोग करें तो हमारी सरकार उस पर अगर नियंत्रण नहीं रखेगी तो इस राजस्थान के किसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। साथ ही यह कहना चाहता हूं कि आप उद्योगपतियों के बारे में इतना चिंतित हो, सबसे ज्यादा अगर रोजगार इस राजस्थान में या भारत में दे रहा है तो वह किसान दे रहा है। इस किसान के लिये आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं। किसान मंडी में अगर अपना अनाज ले जाये तो उसके अनाज की सुरक्षा के लिये जब तक

(श्री मनोज कुमार)

बोली न लग जाये, जब तक किसान का अनाज न बिक जाये, उसकी सुरक्षा के लिये किसी भी मंडी में कोई व्यवस्था नहीं है। चाहे बरसात हो जाये, अनाज पूरा सड़ जाये लेकिन आज किसान को रुकने के लिये जगह नहीं, किसान के अनाज को सुरक्षित करने की व्यवस्था नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आप किसान के लिये भी एक ऐसा बिल लेकर आइए कि वह पूरा अनाज सरकार के पास भंडारण करे और उस भंडारण की सरकार पूरी व्यवस्था करे, किसान को फ्री किया जाये और उसके लिये सरकार उस अनाज पर उसको लोन देने की कोई व्यवस्था करे। जब चाहे किसान अपनी मर्जी से उस अनाज को बेच सके और उसके लिये उसको समय दिया जाये। सरकार उसके लिये अनुदान देने का प्रयास करे जिस तरह उद्योगपतियों को देना चाह रहे हो उसी तरीके से उस किसान को साल दो साल का समय दीजिए कि वह अपना अनाज जब चाहे बोली में बेचे और उसकी सुरक्षा सरकार करे। किसान के लिये आप चिंतित होइए और सरकार किसान को लाभ देने का काम करे। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इस बिल का समर्थन कर रहा हूं मेरी केवल एक पीड़ा थी कि मैं उस शहर से आता हूं जिसको राजस्थान की औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है। दुर्भाग्य से उस पर ग्रहण लग गया और ग्रहण लगा तो मैंने केवल इतना सवाल खड़ा किया था कि हम इस बिल को लाने से पहले इस आत्म चिंतन के साथ आते कि हमारी नीतियों में कहां कमी रही, कहां खामी रही कि आज राजस्थान के सैंकडों, हजारों छोटे बड़े उद्योग बंद हैं और इस बिल से कौनसी स्फूर्ति और ऊर्जा मिल जायेगी कि एक नया आयाम खड़ा कर देंगे और मेरे मन की जो पीड़ा थी कि हमारे अधिकारी औद्योगिक वातावरण तो बना नहीं पा रहे और आपने सैक्शन 5 में विशेष विनिधान रीजन का एक औद्योगिक नगर होना, यानी यूडीएच जो काम करता है वह काम भी इंडस्ट्री को दे दिया, इंडस्ट्रियां चला नहीं पा रहे, इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, औद्योगिक वातावरण खराब हो रहा है, यह बात सही है कि निवेश अभी बढ़ा है, एमओयू हुए हैं, पर आप उन लोगों को औद्योगिक वातावरण जो 50 वर्षों में ठीक नहीं कर पाये, आप औद्योगिक नगर बनाने में क्यों लगा रहे हो, कंस्ट्रक्शन के काम में।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

स्मार्ट सिटी, वह तो राजपाल सिंह जी का मंत्रालय बना लेगा, मेरे मन की पीड़ा इतनी थी पुराने अनुभवों को साथ जोड़ों और साथ जोड़ कर उससे आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, इस दिशा में कोई क्रांतिकारी कदम उठाओ तो निश्चित रूप से ठीक होगा।

श्री उपाध्यक्षः श्री गिर्राज सिंह जी।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि अभी हमारे यहां बाड़ी से बाईपास निकल रहा है, जमीन 2012 में एक्वायर कर ली, जमीन जो आज ले लेते हैं उस जमीन में इतना टैक्स बढा देते हैं, रायल्टी बढ़ा देते हैं, जब आप आज किसान की जमीन ले रहे हैं, आप 2012 में एक्वायर कर रहे हैं तो उन्हें आज की कीमत से पैसा क्यों नहीं देते हैं। दो साल, तीन साल पुरानी रेट से आप पैसा देते हैं। आप आज किसान की जमीन ले रहे हैं तो आज की जो वाजिब रेट है उसके हिसाब से किसान को पैसा चाहिये। आज रजिस्ट्री में इतना पैसा ले लेते हैं कि अगर कोई अपनी खेती की रजिस्ट्री कराता है तो आप 10 परसेंट बढ़ा देते हैं, 10 परसेंट यहां विधान सभा में पास करके बढ़ा देते हैं, उधर आपके कलेक्टर और एसडीएम बढ़ा देते हैं और जब किसान को देने का टाइम आता है तो उस रेट से किसान को पैसा नहीं देते हैं। यहां बैठकर अपन बात करते हैं कि किसान के लिये यह कर देंगे, किसान के लिये यह कर देंगे, आप किसानों के लिये कुछ भी नहीं कर रहे हैं सिर्फ किसानों को लूटने का काम जरूर कर रहे हैं जो मुझे अच्छी तरह से मालूम है। किसान के हित में एक परसेंट भी बात नहीं करते और बस उद्योगपतियों पर आ जाते हैं, सबको उद्योगपतियों की चिंता है, किसान की चिंता किसी को नहीं है। मंत्री महोदय, जब आप किसान की जमीन लेते हैं तो वहां की मार्केट की वैल्यू देखो। अगर एक करोड़ रुपये की वैल्यू है तो एक करोड़ इनको दो। अगर 10 लाख की वैल्यू है तो 10 लाख दो, जो मार्केट की वैल्यू है उससे आप किसान को पैसे दो। आप तो किसान को दे देते हो कि यह 10 लाख रुपये बीघा की, यह 15 लाख रुपये बीघा की है, इससे किसान का भला नहीं होगा। अगर आप वास्तव में किसान का भला करना चाहते हैं तो उसकी जमीन की मार्केट की वैल्यू निकलवाओ कि इसकी क्या रेट है, उद्योगपति खरीद रहे हैं या वहां के लोकल लोग खरीद रहे हैं। जो प्रोपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं वह क्या रेट में खरीद रहे हैं, उस रेट का किसान को पैसा दें, तब अपन किसान का भला करेंगे।

(श्री गिर्राज सिंह)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप कहीं भी पूरे प्रदेश में किसान की जमीन एक्वायर करते हैं तो वहां की जो लोकल मार्केट वैल्यू है, जो लोग जमीन का धंधा करते हैं, प्लाटिंग का काम करते हैं, उस हिसाब से आप किसान को पैसा दो और उद्योगपतियों को खूब तबीयत से दो। जहां पर 10 बीघा की जरूरत है, वहां पर आप 50 बीघा दो, पर उनको वाजिब रेट चाहिये और वाजिब रेट आप तब ही दे पायेंगे जब आप वहां के बाजार भाव से किसान को देंगे, तभी आप किसान का भला करेंगे वरना आप सब किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रमेश।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो इतना सा ही निवेदन है कि मंत्रीजी ने जिस प्रकार अपना रिप्रजंटेशन दिया, बिल के संदर्भ में जो बात कही थी तो मंत्री जी को बिल के संदर्भ में बात करनी चाहिये थी। जो संशोधन पर विचार विमर्श किया, लोगों ने सुझाव दिये या लोगों ने नेगेटिव बात कही, उस संदर्भ में मंत्रीजी को स्पेसिफिक उत्तर देना चाहिये, मंत्रीजी आउट आफ वे जाकर इस बिल को पास करा रहे हैं। जिस प्रकार इन्होंने कहा कि 7000 हैक्टेयर जमीन रीको के पास है तो रीको ने तो दो वित्तीय वर्षों में 35410 बीघा जिसमें 4 का भाग दे लो, लगभग साढ़े आठ सौ के करीब आ जायेगा, आप बता रहे हो कि जमीन तो बहुत है लेकिन अभी दो साल में ही आपने 35410 बीघा रीको से एक्वायर की है, पहले की अलग है। जो आपका आईडीसी सिस्टम है जिसमें करप्शन हो रहा है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो। आपके इंडस्ट्रीयल एरिया में खाली प्लाट पड़े हैं, आपकी कोई इंडस्ट्री चल नहीं रही है, लोग रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। उस तरफ तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं लेकिन कह रहे हैं कि भारत सरकार से हमें पैसा मिल जायेगा इसलिए इस नियम को लाये हैं। इतना काला कानून, सारे कानून होते हुए चाहे आपके यूआईटी हो, चाहे नगरपालिका हो, चाहे पंचायती राज की हो, उन सबको अलग करके ऐसा कानून आयेगा कि एक अधिसूचना जारी करके स्पेशल इंवैस्टमेंट रीजन में सारी भूमि उसके अधिगृहित हो जायेगी, उसके अंडर में आ जायेगी। इससे बड़ा काला कानून क्या हो सकता है। जिस प्रकार आप इस कानून को लाना चाहते हो और इस प्रदेश को आप गर्त में डालना चाहते हो, किसान की भूमि पर माफियाओं को बिठाना चाहते हो, यह

(श्री रमेश)

राज्य हित में नहीं है। सरकार इस प्रकार का कानून लाकर क्या दिखाना चाहती है यहां सदन में आपका बहुमत है, बिलकुल आपका कानून आ जायेगा लेकिन जनता को जवाब भी आपको देना है। इस बारे में भी आप सोचो और इस कानून का हम पुरजोर विरोध करते हैं और इस कानून को आप तीन महीने, चार महीने जनमत जानने के लिये परिचालित करें, यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस बिल पर विपक्ष इस तरह की बातें कर रहा है कि यह काला कानून लाया है। मैं कहता हूं कि इन्होंने जब दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल फ्रेट कोरिडोर चालू किया तो उस समय इनको ज्ञान नहीं था। यह तो आपके राज में हुआ था न। तो फिर इंडस्ट्रियल फ्रेट कोरिडोर चालू हुआ और आज इसमें वाइड स्कोप में काम हो रहा है और जो हो रहा है...(व्यवधान) आप आकर देखें। कभी देखा ही नहीं। मारवाड़ जंक्शन आकर देखा, कितना बड़ा दो किलोमीटर का दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल फ्रेट कोरिडोर का स्टेशन का बन रहा है और उसमें इतना बड़ा स्कोप है कि उस स्कोप के लिए, अगर मात्र 14-15 घंटे में दिल्ली से बना माल मुंबई पहुंच जाएगा और उस तरह से मारवाड़ जंक्शन जैसे सेंटर पाइंट पर..। रोहट के पास जो इंडस्ट्रियल एरिया हो रहा है, उसकी जमीन की उपयोगिता क्या है? किसान की बात करते हो। वहां पर सरकारी जमीन पड़ी है। हजारों बीघा सरकारी जमीन पड़ी है। उसका उपयोग करने की सरकार ने मंशा बनाई है। उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। इसके साथ ही जो कार्य जिस तरह से होना चाहिए, अब डेढ़ सौ किलोमीटर रेलवे लाइन के इस तरफ और डेढ़ सौ किलोमीटर इस तरफ दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर बन रहा है, उसमें पूरे राजस्थान का विकास होगा। भाग्य खुल जाएगा। आपको अगर देखना है तो किस स्तर पर काम हो रहा है। मतलब, बहुत जल्दी। 2018 में तो यह बनकर तैयार हो जायेगा। अगर हम उसके पहले इंडस्ट्री नहीं लगायेंगे तो हमारे यहां से कौनसा माल बाहर जायेगा। दुनिया में सब जगह जमीनें बहुत कीमती हैं इसलिए उद्योगपति भी राजस्थान में आकर अपना उद्योग लगाने की चेष्टा कर रहे हैं। इसलिए यह जो कानून लाये हैं, इस कानून में कहीं खामियां हैं उनको ठीक कर दी जायेंगी। इसका मतलब यह तो नहीं कि कानून में खामी है तो ठीक नहीं करेंगे। मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि हमारे राजस्थान का इंडस्ट्रियल विकास नहीं होना चाहिए।

(श्री केसाराम चौधरी)

मैं निवेदन करता हूं कि हम सब मिलकर एक अच्छा कानून जो भी हो, उसमें सुधार करेंगे। जब-जब भी बाधा आयेगी, उसमें कोई-न-कोई सुधार करके उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं और जो बिल लाये हैं उसकी बहुत तारीफ करते हुए निवेदन करता हूं कि आप मारवाड़ जंक्शन पर सिर्फ एक ओवरब्रिज। आप दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल फ्रेट कोरिडोर के मंत्री हैं तो उसमें ...(व्यवधान) बाद में बाधा आयेगी। आपको यह महसूस हो रहा है। आप देखना, आप वहां पर आकर देखो तो सही कैसे काम चल रहा है? ये मंत्रीजी हैं। मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि कि ओवरब्रिज भी वहां पर स्वीकृत करें ताकि आप जो इंडस्ट्रियल का प्लान लेकर चलेंगे...(व्यवधान) दो किलोमीटर पर आठ ट्रेक लाइन बिछ चुकी है। बिछा दी है और एक साल में ही वहां पर यार्ड बनकर गाड़ियां खड़ी होने लग जाएंगी। (व्यवधान) आपके यहां जो भी माल हो मेरे मारवाड़ जंक्शन भेजना सीधा मुंबई भेज दूंगा, दिल्ली भेज दूंगा। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि आप जो बिल लाये हैं उसकी मैं तारीफ करता हूं और निश्चित रूप से राजस्थान का विकास होगा। यही मैं अनुरोध करते हुए इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं कि इसको पास किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गुंजल साहब ने कोटा के बारे में चर्चा की। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह पहले फेज के अन्दर दो इंट्रीग्रेटेड टाउनशिप का काम शुरू हो रहा है। हम उसके आगे नहीं जा रहे हैं और ये ग्रीन फिल्ड्स प्रोजेक्ट्स हैं ये इंडस्ट्रियल कोरिडोर से ही रिलेटेड हैं। कोटा के अन्दर ये It is only within the corridor. और दो ही इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स हैं।

दूसरा, माननीय शकुन्तला जी ने अभी जो बात की थी। उनको मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो दस गांवों की लैण्ड एक्वायर हुई है, वो बेसिकली डी.एल.सी. रेट जो प्रिवेल करती है या रजिस्ट्री की रेट, उनमें जो भी हायर हो। एक मापदण्ड तो वही है। मार्केट्स रेट के आधार पर तो सरकार नहीं चलती है। या तो डी.एल.सी. रेट है या रजिस्ट्री रेट है, लेकिन आपके उस क्षेत्र के अन्दर हमने लैण्ड एक्विजीशन के एक्ट के तहत Three times of amount of D.L.C. rates हमने दी हैं। वहां पर तीन गुना ज्यादा दी है।

(श्री गजेन्द्रसिंह)

(व्यवधान) एक मिनट। एक मिनट। अब जो नेशनल के ऊपर जो जमीन होगी, उसके तो भाव ज्यादा होंगे और अन्दर खेते होंगे उसके कम होंगे, यह तो सब जगह होता है और लैण्ड फोर लैण्ड का भी हमने एक आप्शन दिया था। किसान चाहते हैं तो हम लैण्ड फोर लैण्ड पर करने को तैयार हैं। यह सब चीजें हैं। लैण्ड फार लैण्ड कर लीजिए, उसके अन्दर कोई प्रोब्लम नहीं है। जो भी लैण्ड फार लैण्ड करना चाहते हैं, लैण्ड फार लैण्ड करें।

एक और चीज माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि यह जो एक्ट आ रहा है, यह कोई लैण्ड एक्वीजिशन का एक्ट नहीं है कि हम जमीनें खरीदते फिरेंगे। यह दो इंडस्ट्रियल एरियाज को डवलप करने, इंडस्ट्रियल टाउनशिप को डवलप करने के लिए ही बनाया गया है। उसके अलावा और एरिया अगर लोग चाहेंगे और हमारी जनता चाहेगी कि वहां पर किया जाए। जैसे मारवाड़ जंक्शन पर हो रहा है। कोई दूसरे एरिया में लोग कहें, सरकारी जमीन वहां अवेलेबल हो तो वहां उसके अन्दर हम न्यूक्लियस बना सकते हैं। जनता की मांग होगी तो हम करेंगे और आखिर में उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने इश्यू रेज किया, किसान विरोधी वगैरह। आपके समय में आप देखिए जब हम कालेज में थे 72 प्रतिशत हमारी वर्कफोर्स थी, भारत का जो एवरेज था वो एग्रीकल्चर के अन्दर था। आज वह 52 प्रतिशत पर चला गया है। जिसके सौ बीघा खेत थे। उसके चार बेटे थे, 25-25 बीघा हो गये। उसके पांच बेटे थे पांच-पांच बीघा हो गये। जमीन का फ्रेगमेंटेशन हो गया है और लोग फैक्ट्रियों में, स्कूलों में, हास्पिटलों में काम करने के लिए शहर की तरफ जा रहे हैं और शहर इसीलिए बहुत फास्ट स्पीड से बढ़ रहे हैं। हम यह चाहते हैं, आप भी यह समझिए कि हमारे किसानों को हम कोई अच्छा आल्टरनेट इनको एम्प्लायमेंट दें, जिससे कि वो एग्रीकल्चर से ज्यादा कमायें। उसी में इस राजस्थान का भला है। धन्यवाद।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से एक अनुरोध है कि 70 परसेंट युवाओं को उसमें नौकरी दी जाए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इस बिल का बहुत पुरज़ोर शब्दों में विरोध करता हूं। जिस तरीके से माननीय मंत्री जी ने अपना जवाब दिया। यह पूरे राजस्थान के किसानों के हित में नहीं है। यह किसानों की कमर तोड़ने वाला कानून है। इस नये कानून में जो काला अध्याय जोड़ने का काम रहे हो। हमारे सभी सदस्य, इनके जो सभी सत्ता पक्ष

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

के सदस्य हैं उनकी छाती पर अगर हाथ रखकर इनकी आत्मा से पूछो तो उनको भी पता है कि यह बिल राजस्थान के किसान और राजस्थान के आम जन के हित में नहीं है। अभी जो मंत्रीजी बता रहे थे। मंत्रीजी ने अभी जिस तरीके से कहा कि किसानों को खेती से निकालकर, उनको और ज्यादा पैसा कमाने वाला धंधा देने चाह रहे हैं। क्या राजस्थान के अन्दर खेती खत्म करना चाह रहे हो? उस किसान से जमीन छीनकर जो कॉरपोरेट घराने हैं, उनको जमीन देने का काम कर रहे हैं। दिल्ली में जो केन्द्र सरकार, इनकी जो सरकार है। मोदी जी के द्वारा इनको हुक्म दिया गया। आप किसानों की जमीन खोंसकर-छीनकर उन कारपोरेट घरानों को देने वाला इस कानून में काला अध्याय जोड़ने का आप काम कर रहे हो मंत्रीजी। हम निवेदन करना चाह रहे हैं कि आपके सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी कहा कि यदि आप कानून लाना चाह रहे तो उसमें जनमत जानने के लिए कहां दिक्कत आ रही है? दो महीने, तीन महीने के अन्दर। तीन महीने के लिए आप जनमत जानने के लिए जनता के बीच में भेज दो तो उसमें आपको कहां दिक्कत आ रही है? कहां तीन महीनों में अड़ रहा है? आपके रीको के पास में दस हजार बीघा जमीन पड़ी है। लैण्ड बैंक हमारे पास है। आठ हजार बीघा लैण्ड बैंक पड़ा है तो उसमें से आप देओ ना, कहां दिक्कत है? कोरिडोर बन रहा है। अभी सता पक्ष के माननीय सदस्य ने कहा कि हम कोरिडोर की बात नहीं कर रहे। कोरिडोर बनना चाहिए। कॉरिडोर राजस्थान प्रदेश के विकास की धुरी है। हम यह निवेदन करना चाह रहे हैं और इस बिल का विरोध करना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से आप किसान विरोधी और किसान की कमर तोड़ने वाला कानून लाने का काम कर रहे हो। राजस्थान का किसान, राजस्थान का आम जन आपको कभी नहीं बख्शेगा। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): +++ (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: +++ (व्यवधान)

बहिर्गमन

(प्रतिपक्ष के मा. सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): खिसियानी बिल्ली खंभा नोंचे। उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने जिस प्रकार का भाषण दिया। ना तो उन्होंने इस बिल को पढ़ा। मैं जिम्मेवारी से कह सकता हूं। उन्होंने इस बिल का अपने पूरे भाषण में एक बार भी नाम नहीं लिया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यह किसान विरोधी, किसान विरोधी। जिस जगह पर यह रीजन आ रहा है, किसान वहां पलक पावड़े बिछाकर स्वागत कर रहे हैं। आज राजस्थान के डवलपमेंट को रोकने के लिए जिस प्रकार का बर्हिगमन किया है, उपाध्यक्ष महोदय, यह निंदनीय है।

(19.00 बजे)

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतनी बार, पूरे आधा-पौन घंटा बोला हूं, उनको समझा चुका हूं कि इन्वेस्टमेंट रीजन बन रहा है यह कोई जमीन छिनने का नहीं हैं । किसानों के ऊपर जाकर हम कोई एक्विजीशन करने वाले नहीं है। हम खाली इन्टीग्रेटेड टाउनशिप्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके समझ से बाहर है तो उसका हम क्या करें। किसान विरोधी हम बिलकुल नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विशेष विनिधान रीजन विधेयक, 2016 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विशेष विनिधान रीजन विधेयक, 2016 पारित किया गया।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। श्री मुख्य सचेतक महोदय।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार (क्रम सं. 26)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 26वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 04 अप्रैल, 2016 को मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि मंगलवार दिनांक 05 अप्रैल, 2016 को सदन में अग्रेतर लिये जाने वाले कार्य का नियतन निम्न प्रकार किया जाए:-

मंगलवार, दिनांक 05 अप्रैल, 2016 1. राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) विधेयक, 2016 एवं

2. राजस्थान भूमि पूलिंग स्कीम विधेयक 2016 पर विचार एवं पारण।

(श्री कालू लाल गुर्जर)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 26वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्षः प्रश्न यह है कि सदन कार्य सलाहकार समिति के 26वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016।

श्री अजय सिंह जी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्षः सुश्री कीर्ति कुमारी।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016 जनमत जानने के लिए मैंने परिचालित किया था, आपसे इस प्रस्ताव को वापस लेने की आज्ञा चाहती हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एग्जिस्टिंग एक्ट है, उसमें कुछ संशोधन का प्रस्ताव किया है, इसके लिए मैं मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं। दो निवेदन कर रहा हूं।

पहला निवेदन तो यह है कि किसी भी एक्ट में अगर कोई संशोधन लाया जाता है या न्यू एक्ट पेश किया जाता है तो उसका एम्स एंड ओब्जैक्ट प्रस्तुत करना जरूरी है। उससे पता लगता है कि ऐसा संशोधन क्यों किया जा रहा है, या नया एक्ट क्यों लाया जा रहा है। इसमें एम एंड ओब्जैक्ट लिखा है, मैं निवेदन भी करूंगा श्रीमान से कि आप अगर देखेंगे तो पाएंगे कि एम्स एंड ओब्जैक्ट में पहला पैरा है वह तो सिर्फ पास्ट हिस्ट्री है, उसमें कोई एम्स एंड ओब्जैक्ट नहीं है। In English version. Sir, सैकण्ड मिडिल का पैरा है, "Now again, looking at the expansion of business and the rising number of societies

(श्री जोगाराम पटेल)

in the State, as also with an eye to impart some new dimensions and to infuse new vigour in the cooperative sector and at the same time, to alleviate some of the practical difficulties being encountered in governance of the cooperative societies". So there is no Aim or Object. आपकी सोसाइटियां बंट गई, आपके बिजनस का विस्तार हो गया है यह किसी एक्ट में संशोधन का आधार नहीं हो सकता। एक्ट में संशोधन का आधार तो जैसा कि नियमों में लिखा है, कौल एंड शकधर में दो अथोरिटी भी लाई हैं। तो आपको मेन आधार बताने पड़ेंगे जिसके आधार पर यह करना जरूरी है। इसमें सिर्फ दो ही कारण लिखे हैं। एक तो सोसाइटियों का बिजनस बहुत बढ़ गया है, सोसाइटियां बंट गई हैं और न्यू डायमेंशन के लिए हमको लाना जरूरी है। मेरा पहला निवेदन तो इतना ही था।

माई सैकण्ड, इसमें क्वालिफिकेशन का अमेंडमेंट किया जा रहा है In section 28, that is proposed in English version on page no 48. सैक्शन 28 में "Disqualification of membership etc. of committees", यह ओरीजनल सैक्शन 28 है, जिसमें यह अमेंडमेंट हुआ है। अनेक क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन इस एक्ट में है। मनी लैंड और उसका जो व्यवसाय करता है वह नहीं होगा। नम्बर आफ कोआपरेटिव सोसाइटी का मैम्बर एक साथ नहीं हो सकता। 57 का जिसको नोटिस मिल सकता है वह नहीं हो सकता। Two Chairperson's नहीं हो सकता। 7-8 क्वालिफिकेशन इसमें बताई हैं।

अब जो क्वालिफिकेशन जोड़ी जा रही है वह जोड़ी जा रही है एजुकेशन की। एजुकेशन के लिए जो प्रपोज की है वह प्रपोज की है सब सैक्शन 12 के रूप में । सब-सैक्शन 12 यह कहता है, जो प्रपोज सब सैक्शन 12 है, English version page no 48, amended Bill पर, "No person shall be eligible for being elected as a member of the committee of a society unless he possesses such minimum educational qualification as may be prescribed in the rules", सर, मेरा इतना निवेदन है जुरिस्प्रूडेंस यह कहती है कोई भी क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन अगर मेंशन करो तो एक्ट में होगी। रूल्स जो होते हैं उसको फेसिलिटेट करने के लिए होते हैं, उसकी कम्प्लायंस के लिए होते हैं। आप जैसी, इसमें क्वालिफिकेशन आलरेडी इसमें फिक्स है, या डिस क्वालिफिकेशन आलरेडी फिक्स है एक्ट में, आप क्वालिफिकेशन एक्ट में लाइये और उसकी कम्प्लायंस के लिए, फेसिलेट के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। मेरा निवेदन यह है कि यह कम्प्लीटली जुरिस्प्रूडेंस के खिलाफ, कि आप क्वालिफिकेशन रूल्स में लिखेंगे और यहां डिसक्लोज नहीं करेंगे। एजुकेशन

(श्री जोगाराम पटेल)

क्वालिफिकेशन आप जो भी लाना चाहते हैं वह एक्ट में मेंशन करनी पड़ेगी। एक्ट में अगर आपने मेंशन नहीं की है तो आप रूल्स में मेंशन नहीं कर सकते। रूल्स में बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है। आपने मेंशन कर भी दी है या लिख भी दी है तो वह बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखती है। एक्ट पार्लियामेंट या असेम्बली पास करती है। रूल ना पार्लियामेंट पास करती है, ना असेम्बली पास करती है। मेरा निवेदन है कि यह कानून के विपरीत हो रहा है कि आप जो क्वालिफिकेशन जोड़ना चाहते हैं, एजुकेशन की क्वालिफिकेशन to contest the Election, जोड़ना चाहते हैं वह एक्ट में नहीं लेकर रूल्स में लिखें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा थर्ड निवेदन है कि सैक्शन 28 में अमेंडमेंट कर रहे हैं वह स्पेसिफिक प्रोविजन है वह डिस-क्वालिफिकेशन का है जिसमें क्वालिफिकेशन बताई गई है। जिसमें दो से ज्यादा बच्चे है तो वह नहीं होगा। मनी लैंड है तो नहीं होगा, 55 का नोटिस मिल गया तो वह नहीं होगा। यह-यह क्वालिफिकेशन बताई है, यह–यह डिस-क्वालिफिकेशन बताई है। इसमें से One of the disqualification आप एड करना चाहते हैं आइदर एट्थ पास, टवेल्थ पास, बीए, एमए, एम टेक, कोई भी आप करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। यह एक्ट तो पास हो जाएगा और हमको भी पता नहीं लगेगा, असेम्बली को पता नहीं लगेगा कि यह क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन कौनसी हुई है।

मेरा निवेदन यह है, सैक्शन 13 को आपने रिड्राफ्ट किया है इस रिड्राफ्ट में भी ग्रामेटिकली भी गलत है। हालांकि पहले से ही आपका ऐसा लिखा हुआ है "Any question as to whether a member of the committee has become subject to any of the disqualifications mentioned under this section or the rules or the bye-laws registered under this Act." Made under this Act होता है, कभी laws registered under this Act नहीं होता। परश्यू की तो, मैं यह कह सकता हूं कि पहले से रजिस्टर्ड ही लिखा हुआ है, Made under this Act shall be decided by the Registrar. "Provided that the question of such disqualification of a candidate contesting elections to the committee of a society shall be decided by the Election Officer during scrutiny of his nomination papers" तो मेरा सम्मिशन दूसरा, इतना ही था कि यह क्वालीफिकेशन जो है, वह आप एक्ट में मेंशन करें तो सही कानून बनेगा। नहीं तो यह ठीक नहीं बनेगा।

दो बातें कह करके मैं निवेदन करूंगा कि मैंने जो जनमत जानने का अपना प्रस्ताव दिया, उसे वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016 विचार के लिये लाया गया है। अभी उद्देश्य और कारणों के बारे में लूणी से आने वाले माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे। मैं समझता हूं कि इस संशोधन को लाने के पीछे उद्देश्य और कारणों का और ज्यादा खुलासा होता तो जो माननीय सदस्य इस सदन में इस संशोधन को पारित करेंगे, बेहतर होता कि उसको ठीक से समझ पाते, पढ़ते कि आखिर किन परिस्थितियों में किन कारणों से यह अमेंडमेंट लाया जा रहा है।

एक अमेंडमेंट 2015 में भी लेकर आये हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015 । इस 2015 में क्या-क्या अमेंडमेंट लेकर आये, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एक्ट ड्राफ्ट करते हैं और एक्ट ड्राफ्ट करते समय उस व्यापक नजरिये की अनदेखी कर देते हैं कि आगे चलकर इस एक्ट के दूरगामी परिणाम क्या होंगे और व्यवहारिक नजरिये से क्या-क्या इसमें संशोधनों की आवश्यकता पड़ सकती है। मुझे लगता है, गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं होता।

आज यह जो एक्ट लाया गया है, अमेंडमेंट एक्ट, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कुछ तो 'परन्तुक' जोड़े हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। शायद वह 'परन्तुक' जोड़े हैं, वे इसको विस्तारवादी बनाने के लिये, इसकी स्ट्रेंथनिंग के लिये, मजबूती के लिये जोड़े होंगे, लेकिन मैं, जिस सैक्शन 28 का जिक्र लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने किया, जिसमें अयोग्यताओं का वर्णन किया, क्वालीफिकेशन का क्लाज जोड़ दिया। उन्होंने जिस बात को कहा, मैं नहीं कहना चाहता, रिपीट नहीं करना चाहता। एक्ट में उसका उल्लेख किया जाना चाहिये था। लेकिन मैं इसका दूसरा पक्ष आपके सामने रख रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में, आपने इसमें 2002 के राजस्थान अधिनियम संख्या-16 की धारा 28 का संशोधन, माननीय मंत्रीजी का आपके माध्यम से ध्यान चाहूंगा, सदन का, खण्ड-2, मूल अधिनियम की विद्यमान उप धारा (7) के पश्चात और विद्यमान उप धारा (8) के पूर्व निम्नलिखित उप धारा (7-क) अन्त:स्थापित की जायेगी, 'कोई भी व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिये पात्र नहीं

(श्री प्रहलाद गुंजल)

होगा, यदि वह उस सोसायटी की समिति के सदस्य के रूप में लगातार दो बार के लिये निर्वाचित या सहयोजित किया जा चुका हो, जब तक कि ऐसी समिति के सदस्य के रूप में उसका दूसरा कार्यकाल समाप्त होने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि व्यतीत नहीं हो चुकी हो'।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अमेंडमेंट आज लेकर आ रहे हैं, 1993 के पहले यही नियम था कि जो मैम्बर लगातार दो बार सदस्य रह गया वह तीसरी बार निर्वाचित नहीं होगा। बाद में इसी सदन ने उसको अमेंड किया कि लगातार 2 बार निर्वाचित सदस्य रहने की बाध्यता इसी सदन ने खतम की। आज फिर कौनसी परिस्थितियां पैदा हो गईं कि दो बार जी.एस.एस. का अध्यक्ष रह गया, तीसरी बार चुना ही नहीं जायेगा। इस राइडर को हटाने के लिये, मुझे एक्जेक्टली याद नहीं है, नहीं तो मैं उस अमेंडमेंट को लेकर आता। इसी सदन ने इस राइडर को हटाया। मैं समझता हूं जब राजस्थान में सम्माननीय भैरोंसिंह शेखावत की सरकार थी। आज फिर हम वापस ला रहे हैं। मुझे इसका कारण समझ में नहीं आया। एम.एल.ए. दो बार से ज्यादा लड़े, एम.पी. दो बार से ज्यादा लड़े, सरपंच दो बार से ज्यादा लड़े, प्रधान दो बार से ज्यादा लड़े, कोई भी प्रतिनिधि दो बार से ज्यादा चुनाव लड़ने की योग्यता रखे। आखिर कौनसी परिस्थितियां हैं कि सहकारी समितियों के अन्दर दो बार से ज्यादा चुनाव लड़ने की उसकी योग्यता खतम कर दी जाये।

इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इस पर जरूर अपनी बात रखेंगे।

इन्होंने खण्ड-3 में, कोई भी व्यक्ति एक साथ समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ...।

(19.16 बजे)

(श्री श्रीचन्द कृपलानी, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, पहले सदन को आर्डर में लाइये, माननीय सदस्य बात कर रहे हैं जोर-जोर से।

श्री सभापति: आप बोलिये। माननीय सदस्य। हनुमानजी।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): पहले एक व्यवस्था थी, जो एम.एल.ए. होगा, एम.पी. होगा, जिला प्रमुख, प्रधान होगा वह समिति का अध्यक्ष नहीं बन पायेगा। आपने उस दायरे को बढ़ा दिया। प्रधान, उप प्रधान,

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सरपंच, उप सरपंच, पालिका का अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, मैं यहां केवल यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि आपने कह दिया कि उप सरपंच भी नहीं लड़ पायेगा। उप सरपंच की प्राथमिक क्वालीफिकेशन पंच बनना होता है। नगरपालिका के वाइस -चेयरमैन की प्राथमिक क्वालीफिकेशन पार्षद बनना होता है। मैं समझता हूं, मंत्री महोदय स्पष्ट करेंगे कि कहीं यह धीरे-धीरे पंच और पार्षद तक पर एप्लाई नहीं हो जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, धारा 28 के विद्यमान उप धारा (11) और (12) के स्थान पर नई धारा (11), (12) स्थापित की है। जिसमें शिक्षा को भी जोड़ा है और कुछ रजिस्ट्रार के पावर को बढ़ाया है। मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। शिक्षा के बारे में केवल इतना कहना है, जब तमाम प्रकार की म्युनिसिपैलिटीज में, ग्राम पंचायत में, सब में यह लागू हो गई तो सहकारिता के क्षेत्र में लागू होना अच्छी पहल है।

मैं इसके खण्ड 9 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि यह भी एक अच्छी पहल है। 2002 के राजस्थान अधिनियम 16 में नई धारा 29-क और 29-ख, दो प्रकार का काम किया है पहली बार राजस्थान में। यह लड़ाई आज भी पूरे राजस्थान में लड़ी जा रही है कि राजस्थान की जो प्राथमिक सहकारी समितियां हैं उनके सचिव को कोई सैण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक अपना कर्मचारी मानने के लिये तैयार नहीं और सैण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक उनको अपने अधीनस्थ भी रखना चाहती है। इस दोहरी मार के चलते हुए इस राजस्थान में आज भी सैकड़ों ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सचिव ऐसे होंगे जो दो-दो हजार रुपये में नौकरी कर रहे हैं। हड़ताल चल रही थी अभी पिछले दिनों, इन्हीं मांगों को लेकर। सदन में सभी सदस्यों ने इस बात पर सरकार का ध्यान खींचने का प्रयास किया कि इनके साथ न्याय कीजिए। इस अमेंडमेंट के माध्यम से मैं साधुवाद व्यक्त करता हूं मंत्री महोदय का और सरकार का कि इन सेवाओं का एक कैडर यह बना रहे हैं। प्राथमिक सोसाइटीज में जो सेवाएं हैं उनका कैडर बनाकर अब जो इस स्तर की भर्तियां होंगी उनका सहकारिता का अपना एक कैडर होगा और उस कैडर में भर्तियां किस प्रकार से की जाएंगी, 29 (ख) में सहकारी सोसाइटी के लिए भर्ती बोर्ड का गठन कर दिया। मैं समझता हूं कि क्रांतिकारी कदम है और आज जब यह बिल पास होगा तो जो लोग लगे हुए हैं वह तो उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन अब जो सहकारी समितियां, जो कॉ-

(श्री प्रहलाद गुंजल)

आपरेटिव मूवमेंट की जड़ हैं, को-आपरेटिव मूवमेंट की आत्मा है, सीधा का सीधा जिनका राजस्थान के करोड़ों किसानों के साथ सीधा सम्पर्क और जुड़ाव है, उसमें कैडर के बाद सेवा देने वाले कर्मचारी के मन में एक जिम्मेदारी, आत्म सुरक्षा का भाव पैदा होगा कि मैं गवर्नमेंट के रूल-रेगुलेशन के हिसाब से एक कैडर-बेस्ड पोस्ट पर काम कर रहा हूं। आज तो 20-20 साल पुराने लोग दो हजार में, तीन हजार में, सी.सी.बी. कहती है कि यह हमारा कर्मचारी नहीं है। ग्राम सेवा सहकारी समितियां जो लिक्विडेशन में जा रही हैं, घाटे में जा रही हैं, तनख्वाह नहीं दे पातीं तो चोरियां करेंगे फिर? दो हजार में परिवार नहीं चलेगा। इस प्रोग्रेसिव बिल के बाद, इस कदम के बाद सहकारिता के उस निचले स्तर पर, जो सहकारिता की नींव है, आत्मा है, उसमें काम करने वाले व्यक्ति में एक कान्फिडेंस पैदा होगा। सारे सदन की यह मांग थी। मैं समझता हूं कि इसके लिए सरकार को धन्यवाद दिया जाना चाहिए और सेवा कैडर और जब बोर्ड बनाया तो समस्त वित्तीय और आंतरिक प्रशासनिक मामलों में स्वायता इसमें रजिस्ट्रार के हस्तक्षेप को भी बढ़ाया है। मैं समझता हूं कि यह भी एक क्रांतिकारी पहल है।

एक आडिट का क्लाज रखा है कि सोसाइटीज अगर दो साल तक खुद आडिट नहीं करवाती हैं तो विभाग उनको आडिट करवाने के बारे में निर्देश देगा और इसके बाद भी सोसाइटीज आडिट नहीं करवाती हैं तो विभाग अपने स्तर पर आडिट करवाने में पहल करेगा।

तीसरा बड़ा जो इसमें अमेंडमेंट है, अवसायन के समय का, माननीय सभापति महोदय, पहले क्लाज में यह था कि कोई सोसाइटी अवसायन में होगी, उसका विघटन होगा तो उसकी प्रोपर्टी उसके सदस्यों में समाहित हो जाएगी। यह जो प्रोग्रेसिव बिल है, यह प्रोग्रेसिव बिल सोसाइटी के विघटन के समय जो उसकी सार्वजनिक उपयोग की प्रोपर्टी है, उस उपयोग की प्रोपर्टी को या तो गवर्नमेंट में मर्ज करेगा या फिर एक सहकारी समिति बनाकर जन उपयोग के लिए उस प्रोपर्टी का उपयोग करने के लिए अधिकृत करेगा। मैं समझता हूं कि इस दिशा में यह जो पहल है, यह अपने आप में एक क्रांतिकारी पहल है।

मैं कुछ संशोधनों में जो मेजर संशोधन नहीं है, 16 की धारा-109 में कुछ जुर्माने बढ़ाये, जुर्मानों के बारे में मैं समझता हूं कि पांच हजार से पच्चीस

(श्री प्रहलाद गुंजल)

हजार, दस हजार से पचास हजार, इन जुर्मानों को बढ़ाने से पहले एक बार विचार करते। एकदम से इतना बड़ा जुर्माना बढ़ाना हित में रहेगा कि नहीं रहेगा?

आखिरी में एक बात और कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, अधिनियम की धारा- '125- कतिपय संकल्पों को विखंडित करने की रजिस्ट्रार की शक्ति', मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय, यह मौजूदा धारा में- 'यदि, रजिस्ट्रार की राय में, किसी सहकारी सोसाइटी या उसकी समिति की बैठक में पारित कोई संकल्प सोसाइटी के उद्देश्यों के विरुद्ध है या उस सोसाइटी या उसके अधिकांश सदस्यों के हितों के प्रतिकूल है या इस अधिनियम, नियमों के या सोसाइटी की उपविधियों के उपबंधों के विरुद्ध है या अन्यथा सोसाइटी की शक्तियों के आधिक्य में है तो, रजिस्ट्रार, सोसाइटी को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात्, संकल्प को विखंडित कर सकेगा।' शायद, माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी ने इसको पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पहले इसके नीचे एक परन्तुक लगा हुआ था कि रजिस्ट्रार के इसके बाद सहकारिता अधिकरण को भेजा जा सकता है, अपील किया जा सकता है। आपने इस 125 में अमेंडमेंट लाकर आल-रेडी नियम-76 में असीमित शक्तियां रजिस्ट्रार को हैं, राजस्थान के को-आपरेटिव मूवमेंट का अगर गला-घूँटा है तो सरकारी कानूनों की जंजीरों और बंदिशों के कारण, रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार के बिहाफ पर डी.आर. (जोइंट) तक जो शक्तियों का इस्तेमाल होता रहा, उसने सहकारिता के आंदोलन को कुचला है। स्वछंदता नहीं है कानूनी, राजस्थान के सहकारिता मूवमेंट को और आपने एक अमेंडमेंट देकर उस सहकारी समिति और उसके निर्वाचित बोर्ड के संकल्प को अगर रजिस्ट्रार या कहीं राजनीति में विरोधाभासी मत की सरकार नहीं चाहती कि समिति ऐसा निर्णय ले तो उसका एक अपील का प्रोविजन समाप्त कर दिया। आवश्यकता नहीं थी, इसको लाने की, रजिस्ट्रार को इतनी असीमित शक्तियां देने की और इसीलिए मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि एक्ट लाओ, लिबरल लाओ। एक्ट से ऐसा लगे कि हम सहकारिता मूवमेंट में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते हैं। सहकारिता के आंदोलन को ग्रामीण जीवन का आधार, रीढ़ बनाना चाहते हैं तो एक्ट में अधिकारियों को इतना पावर-फुल मत बनाओ। अच्छा होता कि 125 में संशोधन लाने के बजाए आप नियम-76 को बदलते कि निर्वाचित बोडी के खिलाफ जांच और उसके खिलाफ एक्शन लेने

(श्री प्रहलाद गुंजल)

की पावर सदन को या कोई किसी प्रकार की हायर आथोरिटी को होती तो मैं समझता कि हम एक कल्याणकारी कदम उठा रहे हैं।

आपने जो कुछ अमेंडमेंट किये हैं, मैं समझता हूं कि बहुत बेहतर है। कैडर बनाना, बोर्ड बनाना, शिक्षा का लाना, शिक्षा का दायरा तय करना, इनके लिए तो मैं आपको साधुवाद दूंगा लेकिन इतना, आडिट का भी आपने, चयन बोर्ड का, एक व्यक्ति एक पद का भी फार्मूला में आपने व्यापक किया है, पंच और पार्षद के बारे में स्थिति स्पष्ट करेंगे और मैं समझता हूं कि रिकार्ड उपलब्ध न करवाने पर कार्यवाही, आपने यह एक क्लाज जोड़ा है कि सोसाइटी से मांगने पर रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाया तो उस पर कार्यवाही करने का अधिकार, उसकी शक्तियां बढ़ाई हैं। मैं समझता हूं कि सहकारी समिति काम कर रही है, रजिस्ट्रार या जांच अधिकारी को रिकार्ड मांगने का अधिकार है। निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए, इसमें कहीं किसी प्रकार का मतांतर नहीं होना चाहिए। पर एक बार मैं इस पर पुनर्विचार का आग्रह करूंगा, लगातार दो बार निर्वाचित, यह मामला कोर्ट में जाएगा, 1993 से पहले दो बार का था, इस सदन में अमेंडमेंट करके उस राइडर का खतम कर दिया और फिर आज हम ऐसी कौनसी परिस्थिति और मजबूरी के कारण वह राइडर वापस ला रहे हैं। यह मामला निश्चित रूप से न्यायालय में जाएगा और कहीं ऐसा न हो कि हमारे द्वारा पारित इस संशोधन का हश्र बुरा हो। इसलिए इस पर एक बार विचार करने की आवश्यकता थी और इस 125 में रजिस्ट्रार को पावर-फुल करने के बजाए नियम-76 को और पारदर्शी बनाकर किसी निर्वाचित बोर्ड को यह शक्तियां देते या किसी, कोई जुडिशियल आथोरिटी को इस प्रकार की शक्तियां देते तो बेहतर होता।

बिल प्रोग्रेसिव है, को-आपरेटिव मूवमेंट को ताकत मिलेगी। को-आपरेटिव मूवमेंट की जो निचले स्तर की रीढ़ है, उसको आपने कैडर में डालने का प्रयास किया है, निश्चित रूप से उसके कल्याण की जो भावना सरकार ने इस बिल में प्रदर्शित की है, राजस्थान इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करेगा और को-आपरेटिव मूवमेंट एकदम ताकत के साथ आगे बढ़ेगा। माननीय सभापति महोदय, आपने अवसर दिया धन्यवाद।

मैंने इस बिल को जो जनमत जानने का प्रस्ताव दिया है, मैं उसको वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति: श्री सुखराम विश्नाई।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): सम्माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) अधिनियम, 2016, जैसा कि कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, यह विधेयक रजिस्ट्रार को तो पावरफुल बनाता है, गांव की जो पहली कड़ी है जी.एस.एस. का सेल्समैन सोसायटी का, सोसायटी का व्यवस्थापक, उसे पेमेंट सोसायटी करती है, भुगतान सोसायटी करती है। पूरी व्यवस्था सोसायटी करती है परन्तु उसे बैंक के नीचे डालकर, रजिस्ट्रार के नीचे डालकर एक सोसायटी के मूवमेंट को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, इस सैक्शन की जो धारा 21 है, उस 21 में जहां तक शेयर होल्डर है, तो वह ग्रामीण सोसायटी में 5 परसेंट से अधिक नहीं रखे गये, जबकि वह शेयर जो अरबन को-आपरेटिव सोसायटी है, वहां 20वें भाग तक रख सकेंगे। दोनों चीजों में अन्तर बताया गया है, जबकि माननीय सहकारिता मंत्री ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, गांव के लोगों को मजबूत करने के लिये सोसायटी में शेयर की बढ़ोतरी करनी चाहिये थी, परन्तु पहले ही 5 से कम थी, आज भी पांच से कम रखी गयी है।

उसके बाद में, माननीय सभापति महोदय, सैक्शन 27 में पहले 21 सदस्य थे, फिर अब 16 किये गये और शुरुआत में जब एक्ट बना तब भी 11 गये थे। यह 11 से 16 किये गये, 21 किये गये, अब पुन: 16 किये गये। इनके 16 करने से या 21 से कम रखने से कोई तात्पर्य समझ में नहीं आता है। क्यों कम किये, इसका कोई कारण पता नहीं चल रहा है।

इसके बाद में माननीय सभापति महोदय, इसी सैक्शन-6 के अन्दर धारा 29 में विरोधाभासी बात कही हुई है – 'धारा 29 के अधीन समिति का नामनिर्देशित सदस्य है, का भी प्रभार धारित किये हुए है, वहां वह अपनी और ऐसे अन्य सदस्य की हैसियत से मतदान करने का हकदार होगा।' दो जगह मैम्बर है, तो मतलब किसी दूसरे आदमी को मतदान के लिये बाउण्डेड कर सकता है। दूसरी तरफ इसी सैक्शन में धारा 28 में कहा गया है कि दो बार सदस्य चुना गया, तीसरी बार नहीं चुना जा सकता। इसी में आगे क्लॉज-9 में कहा गया है कि कोई पंचायत समिति का संशोधन एम एल ए या नगरपालिका में है तो इसमें नहीं रह सकता। एक तरफ तो रोक लगायी जा रही है और दूसरी तरफ दूसरे के हैसियत से मतदान देने का अधिकार दिया जा रहा है, इसको स्पष्ट किया जाए।

(श्री सुखराम विश्नोई)

इसके बाद माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन है कि सैक्शन 29 की पहले चर्चा हुई है। सैक्शन 29 के अन्दर सोसायटी का जो मूल आधार है, सोसायटी के अधिकारियों और कर्मचारियों का– 'इस अधिनियम में कहीं भी अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी रजिस्ट्रार सोसायटी के सुचारू कार्यकरण और उनके कर्मचारियों के सामान्य कल्याण के हित में किसी सोसायटी या सोसाइटियों के किसी वर्ग के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य निर्देश जारी कर सकेगा।' पूरी-पूरी व्यवस्था जब गांव के हाथ में है तो मतलब रजिस्ट्रार के अंडर में डालने से, रजिस्ट्रार के अधीन करने से इसका कोई तात्पर्य नहीं है। यह बात इसमें होनी चाहिये।

इसके साथ-साथ ही सैक्शन 30 (ख) के तहत यह अमेंडमेंट किया गया है –'पूरा पावर रजिस्ट्रार को दिया गया है। पहले इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, हटाकर सहकारी साख सोसायटी को रजिस्ट्रार द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकथित सामान्य शर्तों और निबन्धनों के अध्यधीन रहते हुए' यहां मतलब पहले वाली बात को हटाकर रजिस्ट्रार को पावरफुल बनाया गया। यह भी नहीं किया जाकर पहले वाली स्थिति इससे ठीक थी। पहले वाली स्थिति में रखा जाए।

इसके बाद माननीय सभापति महोदय, अन्त में यह जो लास्ट सैक्शन जोड़ा गया है इसमें, केवल मात्र जैसे कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही है– 'कतिपय संकल्पों को विखण्डित करने का रजिस्ट्रार को पॉवर है।' वह जो रजिस्ट्रार को शक्ति दी गयी है, यह रजिस्ट्रार को इस सोसायटी का पूरा एकदम तानाशाह बनाने की स्थिति बना दी गयी है, जबकि पहले रजिस्ट्रार ऐसे मामले में जहां उपधारा (1) के अधीन किसी संकल्प के निष्पादन पर उसने अंतरिम रूप से रोक लगा दी हो, 45 दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर विखण्डन का प्रस्ताव अधिकरण को विचारार्थ भेजने का प्रस्ताव था।' जब वह प्रस्ताव वहां भेजा जाएगा सोसायटी को और दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय करेगा। उस चीज को हटाकर सोसायटी, जो गांव का मूवमेंट है, उस पर कुठाराघात किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा काफी बातें कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने कह दी हैं। इसके साथ में एक बात जोड़ी जानी चाहिये कि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर एक-एक जी.एस.एस. बने। मान लो पांच लाख का प्रोविजन पहले डाल दिया, पांच लाख रुपये जमा

(श्री सुखराम विश्नोई)

कराओ, उसके बाद सोसायटी को स्थगित कर दो। इसी एक्ट में जब नई पंचायतें बन गयी हैं, पांच-पांच पंचायतें एक ही सोसायटी के अधीन है, एक मैनेजर, एक सेल्समैन है, पांच पंचायत हैं तो 20-25 गांव हो गये। वहां की व्यवस्था नहीं बन पाती है। इसलिए प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर एक-एक जी.एस.एस. स्थापित किया जाए, यह भी व्यवस्था इस कानून के तहत करनी चाहिये। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापतिः श्री रामहेत यादव।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): सभापति महोदय, राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2016 में जिस तरह से शिक्षा की अनिवार्यता की है और अपना कैडर, जिस तरह के सोसायटी में आजकल जो सैक्रेट्री हैं, जिस तरह से आन्दोलन किया, वह बैंक एम्प्लायज बनने चाहिये। बैंक उनको अपना कर्मचारी नहीं मानता है और सोसायटी की इनकम पर निर्भर करता था कि उसको तनख्वाह कब मिलेगी, क्या होगा। 20-20 साल नौकरी करने के बाद में उनकी जो सेवाएं थीं, वह हर समय अधर में रहती थीं। इस एक्ट के माध्यम से को-आपरेटिव का एक नया कैडर खड़ा होगा और उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी।

लेकिन कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही कि इसमें दो बार के बाद की जो निर्वाचन की अनिवार्यता है, यह थोड़ा सा मेरा इसमें आग्रह है कि इस पर पुनर्विचार करें कि अन्य सदस्य चाहे नगरपालिका हो, चाहे विधान सभा या लोक सभा हो, और इनमें यह व्यवस्था नहीं है तो वह एक जो गांव की सोसायटी है, उस पर यह राइडर लगाना ठीक नहीं है। इस पर माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से आग्रह है।

मैंने जो जनमत जानने के लिये परिचालित करने का जो प्रस्ताव है, मैं आपके माध्यम से सदन से वापस लेने की अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापतिः डा. फूलचन्द भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापति जी, राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2016 आज सदन में रखा गया है। 1806 से चला हुआ यह आन्दोलन राजस्थान में भी ....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पृष्ठभूमि में 1806 से चालू है।

श्री सभापति: रामहेत जी से प्रेरणा ले रहे हैं, आप चिन्ता मत करो।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): 1806 की बात कर रहा हूं।

श्री सभापति: नहीं भिण्डा साहब, आप रामहेत जी से प्रेरणा लेना।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अच्छा ठीक है। इसमें संशोधन वास्तव में आवश्यक थे।

श्री सभापति: ढाई मिनट ही बोले हैं यह।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): जब यह हमारी रीढ़ बन गया और अभी पिछले 10 सालों में किसान ऋण का रीढ़ बन गया, उसमें निरन्तर लगातार वृद्धि भी हो रही है और दोनों सरकारों ने ही शून्य ब्याज पर सोसायटी का ऋण किसानों को देना शुरू किया है, इस कारण से और अधिक आवश्यकता हो गयी। लेकिन कुछ चीजें आवश्यक थीं जो इस एक्ट में की गयी हैं। जैसे शिक्षा का प्रावधान ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सचेतक महोदय, आप चिन्ता मत करिये बार-बार, अब आकर यह 1806 पर पहुंचे हैं।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): नहीं-नहीं, थोड़ा यह मालूम पड़े न यह कब का है। इसी रूप में शिक्षा का जो प्रावधान किया गया। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय भिण्डा जी बहुत तैयारी करके आये हैं, इनको पूरा समय बोलने का दें। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैं तो आपकी प्रेरणा दिला रहा हूं इनको।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): नहीं, मैंने तो अपना विद्-ड्रा कर लिया। इनको समय ज्यादा मिले, इसीलिए मैंने विद्-ड्रा किया है। ऐसा नहीं है कि मैं बोलना नहीं चाहता था। लेकिन इनका विशेष आग्रह था।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): सीमा से बाहर जाने वाला नहीं हूं।

श्री सभापति: भिण्डा जी, अनुशासन में रहने वाले व्यक्ति हैं, मुझे पता है।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): इनको कम से कम एक घंटा दें, यह को-आपरेटिव का महत्वपूर्ण विषय है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): वह पैंतालीस मिनट का कालांश का अभ्यास छूट गया, आप चिन्ता मत करो।

श्री सभापति: और भिण्डा जी बोलना शुरू हुए तो रामहेत जी बाहर चले गये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): इसी प्रकार से कुछ लोगों ने उनको पारिवारिक प्रोपर्टी समझ ली थी, उसमें भी संशोधन किया गया है कि लगातार दो बार से ज्यादा चेयरमैन नहीं बन सकता। गैप देकर फिर बन सकता है, लेकिन लगातार दो बार से ज्यादा नहीं बन सकता, यह भी प्रोग्रेसिव चीज है।

इसी प्रकार से जो प्रबन्ध मण्डल बनाया गया है, उसमें महिलाओं का प्रावधान नहीं था। सब जगह 30 परसेंट महिलाओं का प्रावधान है। इसमें कहीं प्रावधान नहीं था, इसलिए दो महिलाओं की, एक एस.टी, एक एस.सी. और महिलाएं कम से कम होंगी। इस प्रकार का प्रावधान भी यह आवश्यक लगता है इस समय में, क्योंकि महिलाओं के लिये हम सशक्तिकरण का आन्दोलन चल रहा है तो को-आपरेटिव से और जुड़ेंगी और देश में एक ऐसा प्रान्त भी है जहां महिला सोसायटियों ने प्रोग्रेस किया है। गुजरात स्टेट में ग्रामीण को जो समृद्ध बनाया है, वह चाहे दूध की सोसायटी हो वह इन सोसायटियों ने बनाया है और महिला सोसायटियों ने उनको समृद्ध किया है। इसलिए आवश्यक था कि महिलाएं धीरे-धीरे करके उस क्षेत्र में आयीं।

इसी प्रकार से कई ऐसे थे जिसमें सामने वालों ने ज्यादा लाभ उठाया है, वर्षों तक उठाया है। प्रधान बन गया तो भी कोआपरेटिव का, एम.एल.ए. बन गया तो भी कोआपरेटिव का डाइरेक्टर बना हुआ है, इस कारण से पहली बार यह प्रावधान किया है कि दोनों तरफ से, अगर सोसाइटी का अध्यक्ष बनता है तो दूसरी साइड में जो दूसरा जनप्रतिनिधि है उसको 14 दिन में छोड़ना पड़ेगा, जैसे एम.एल.ए., एम.पी. के लिए है उसी प्रकार का प्रावधान इसमें किया गया है।

और अधिक महत्वपूर्ण है कि कोई भी रजिस्ट्रेशन की सोसाइटी हो, अंकेक्षण की बहुत आवश्यकता थी। एक तरह से दादागीरी थी, करायें तो करायें, नहीं करायें तो करायें। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि आप पुराना हिसाब लगाओ, कितनी ही अंश पूंजी आयी, वो है क्या आज? जिसको पेड-अप कैपिटल कहते हैं, जिसको पेमेंट वापस करना है, अब जैसे 110 रुपये हैं, 10 रुपये सदस्यता है 100 रुपये तो उसकी अंश पूंजी है, उसको कभी भी मांग सकता है लेकिन आज कोई भी सोसाइटी देने की स्थिति में नहीं है। वो है ही नहीं, रिजर्व कैपिटल ही नहीं है सोसाइटियों के पास में, जो पेड-अप कैपिटल है। इस कारण से यह एक लेकुना था इस कारण से आडिट होगी तो यह सामने आयेगा कि आखिर आपने उसका उपयोग क्या किया। जो फिक्स

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

कैपिटल थी उसका उपयोग कहां किया, रिजर्व कैपिटल थी उसका उपयोग कहां किया? इसी प्रकार से अगर वो है तो फिर आपने बोनस क्यों नहीं दिया? बोनस देने की कोई अनिवार्यता नहीं है क्योंकि सोसाइटी मनमाना करती हैं। तो इस कारण से एक फ्रेम वर्क में, एक व्यवस्थित फ्रेम वर्क में लाने का जो प्रयास किया है वो वास्तव में सराहनीय कदम है।

सोसाइटियों को मैं दो-तीन सुझाव भी इस रूप में देना चाहता हूं। पी.डी.एस. के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पी.डी.एस. जब मौजूद है, पी.डी.एस. के लिए जब सोसाइटी मौजूद है तो उसके लिए डीलरशिप किस बात की? सोसाइटियों को और अधिक व्यावसायिक बनाने के लिए पी.डी.एस. को उसमें जोड़ना चाहिए।

जब समय पर आडिट होगी तो उसके मूल्यांकन के और अधिकार भी लिये गये हैं कि वो सोसाइटी चाहे जो करे, कोई कंट्रोल ही नहीं था, अब जवाबदेही भी तय की गयी है इस एक्ट में। जवाबदेही बहुत जरूरी है क्योंकि गरीब लोगों का पैसा लगा हुआ है, किसान का पैसा लगा हुआ है, गांव के आदमी का पैसा लगा हुआ है।

आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी को एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी हिस्सा पूंजी बढ़ायी गयी है, 6 परसेंट से 9 परसेंट, जिसको बाद में 8 परसेंट कर दिया, वो 6 परसेंट के बारे में कोई व्यवस्थित सिस्टम अपनाना चाहिए, काश्तकार को उसका रिटर्न मिले। किसी फील्ड में नहीं है। करोड़ों-करोड़ों का लोन इंडस्ट्री में मिलता है, उनको 15 परसेंट सब्सिडी मिलती है। यहां तो हिस्सा पूंजी के माध्यम से बिना ब्याज की पूंजी किसान से ली जाती है, पहले ली जाती है उसके बाद लोन दिया जाता है। इसको भी इसमें इनकारपोरेट किया जाना चाहिए। एक तरह से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो राइट आफ रिटर्न है, जितनी किसान के लोन से मिलती है किसी से नहीं मिलती क्योंकि किसान ज्यादा उत्पादन करता है। एक कहावत है कि जब किसान ज्यादा पैदा करेगा तो देश धनवान होगा किसान गरीब होगा क्योंकि सस्ता होता है और जब देश में कम उत्पादन होता है तो देश तो गरीब होता है किसान धनवान होता है। ऐसी एक कहावत है और यह वास्तव में है भी। तो इस कारण से किसान का जो लोन है वो केवल सब्सिडी खाने के लिए नहीं है।

अब आज पहले एक्ट पर चर्चा आयी थी कि कितनी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, वो फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं जिनको केवल पांच साल तक टैक्स रियायत ही

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

लेनी थी या उनको सब्सिडी लेनी थी। यहां तो सब्सिडी का विषय ही नहीं है। और यह बढ़िया तरीके से दी गयी है, सब्सिडी यहां पर दी गयी है ब्याज पर लेकिन हिस्सा पूंजी 6 परसेंट, 8 परसेंट ले लेंगे तो 8 परसेंट का थोड़ा बहुत तो है ही मामला। लेकिन उसका उपयोग सही हो, अगर 8 परसेंट हिस्सा पूंजी ली जाना भी अनिवार्य हो तो फिर बोनस के रूप में कुछ न कुछ किसान को प्रतिफल दिया जाना चाहिए। छोटा है इस कारण से छोटी कोई भी है, 'स्माल इज ब्यूटीफुल' एक कहावत है, तो छोटा लोन है हर साल उसे लिया जाता है, वो चुका भी देता है। 90 परसेंट रिकवरी इंडस्ट्री की नहीं है, बड़े-बड़े हैं उनकी नहीं है लेकिन इसकी रिकवरी है।

इस कारण से इस एक्ट में जो चेंज किये गये हैं उनकी मैं प्रशंसा करता हूं, एक अच्छा कदम है, उसके कारण सोसाइटियां और मजबूत होंगी, उनमें गुणवत्ता आयेगी और लीडरशिप डवलप होगी। एक शिक्षित लीडरशिप पैदा हागी, उस कारण से और अधिक जोखिम के काम भी कर सकेंगे, जो सरकार चाहती है कि सोसाइटी में ये-ये चीजें और प्राप्त हों।

इस कारण से इसका मैं समर्थन करता हूं और मैंने जनमत जानने के लिए जो मेरा प्रस्ताव दिया था वो वापस लेता हूं।

श्री सभापति: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016 पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य भिण्डा साहब को सुन रहा था, मेरे तो कुछ भी नहीं समझ में आया इन्होंने क्या बोला और क्या नहीं बोला। ये किसान के पक्ष में बोले, खिलाफ बोले, ये खुद ही बोलते हैं और खुद ही समझते हैं। बाहर जाकर कोई अनुनय-विनय ...

श्री सभापति: ये आपको समझाने के लिए नहीं बोल रहे थे, मंत्रीजी को बता रहे थे, मंत्रीजी समझ गये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, मंत्रीजी के भी समझ में नहीं आया, यही तो मैं कह रहा था।

श्री सभापति: समझ गये मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): उन्होंने मंत्रीजी को समझा दिया, आप तो आपकी बात कहो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): भिण्डा जी जब भी बोलते हैं इतनी इंटेलिजेंसी से बोलते हैं कि खुद के सिवाय किसी के समझ में नहीं आता है, ये दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, यह जो एक्ट लाया गया है इसके पीछे एक ही उद्देश्य मुझे जो लगा कि इनके प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाओ...(व्यवधान) अब बीच में मत बोलो। (व्यवधान) हां, हां, आपको सुना है न मैंने अच्छी तरह से।

तो यह कांग्रेस को तो हटा नहीं सके, कांग्रेस मुक्त तो भारत बना नहीं सके और जो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी किसान था, जिसको किसान को मजबूत करने का काम कांग्रेस ने किया उस किसान को कमजोर करने का काम इस एक्ट के माध्यम से ये करना चाह रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, वो इस प्रकार करना चाह रहे हैं कि इन्होंने इस एक्ट में प्रोविजन डाला कि अगर दो बार लगातार चुनाव जीत गया उसके बाद में तीसरी बार नहीं बन सकता। इनकी एक धारणा है, पंचायती राज में भी ये शिक्षा का कानून लाये, इसके पीछे यह था कि पुराने लोग, कांग्रेस के लोग सरपंच बन रहे हैं, प्रधान बन रहे हैं, ये बन रहे हैं और अब जो कानून लेकर के आये हैं इसके पीछे भी यह मंशा है कि कांग्रेस के लोग, कांग्रेस विचारधारा के लोग जो किसान को पोषित करने वाले हैं वो लोग, वो लोग इस कोआपरेटिव मूवमेंट से जुड़े हुए हैं।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस में सारे अनपढ़ लोग हैं क्या? यह तो बता दो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कांग्रेस के लोगों को कमजोर करने के लिए, किसान को कमजोर करने के लिए आप यह एक्ट लेकर के आये हो। माननीय सभापति महोदय, इस एक्ट के माध्यम से सारे वो अधिकार जो हमने किसान को दिये थे राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2013 में, हमारी सरकार ने एक्ट में संशोधन लाकर स्वायत्तता प्रदान की थी क्योंकि केन्द्र ने कहा था कि आप सोसाइटियों को स्वायत्तता प्रदान कीजिए, हम आपको पैसे देंगे और वो बजट हम लेकर के आये थे और इन सोसाइटियों को चाहे इन्फ्रास्ट्रक्चर का काम हो, चाहे कम्प्यूटराइजेशन का काम हो, उसमें हमने मदद करने का काम किया था। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से इन सोसाइटियों को जो किसान का एक मिनी बैंक होता है, किसान जब चाहे पशु के लिए, फसल के लिए वो ऋण ले आये, जब चाहे अध्यक्ष और व्यवस्थापक से

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मिलकर के उसको जमा करा दे, अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति किसान करता था, उसको एक तरह से पाबंद करने का काम किया है, उसके अधिकारों पर हनन करने का काम किया है।

आडिट कराओ और नहीं कराओ तो हम करा देंगे। कोई बात नहीं, आडिट करा दो लेकिन जबरन जांच करायेंगे हम। राजनीतिक हथियार के रूप में यह एक्ट इस्तेमाल होगा और जो इनकी विचारधारा को फालो नहीं करेगा उन लोगों को ये जांच के नाम से हटाने का काम करेंगे। यह इस एक्ट के माध्यम से सरकार को अधिकार देना चाहते हैं।

सोसाइटी ने कोई संकल्प पारित कर दिया, वो क्या है क्या नहीं है, नियम विरुद्ध है कि नहीं है लेकिन रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार माने सरकार, रजिस्ट्रार क्या होता है, रजिस्ट्रार तो सरकार का प्रतिनिधि है तो सरकार अगर यह कहेगी, मंत्री यह कहेगा, मुख्यमंत्री अगर यह कहेंगे कि इस सोसाइटी को कमजोर करना है, इसका संकल्प जो इसने पारित किया है, यह हमारी विचारधारा को फालो नहीं करता है इसलिए इसको निरस्त करना है, और वो रजिस्ट्रार एक लाइन का आदेश निकालेगा, सुनने की फार्मेलिटी पूरी करेगा और उस किसान के अधिकार को, जो सोसाइटी ने निर्णय लिया था, उस संकल्प को निरस्त करने का काम करेगा।

तीसरा, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं यह कह रहे हैं हम शिक्षा का कानून लायेंगे, जी.एस.एस. अलग हैं, क्रय-विक्रय अलग हैं, दूसरी सोसाइटीज अलग हैं, उनमें क्या शिक्षा का मापदण्ड होगा, कौनसी पास होना चाहिए, किस तरीके से ये करेंगे, यह बात एक्ट में लेकर के आनी चाहिए थी। यह छुपा हुआ एजेण्डा जिस प्रकार से इन्होंने पंचायती राज में आनन-फानन में और जब चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथि तय की उसके एक दिन पहले लेकर के आये कि न तो कहीं कोर्ट में चैलेंज हो। इसी प्रकार से छुपा हुआ इनका एजेंडा है, यह एक्ट में नहीं लाये और नियमों के माध्यम से शैक्षणिक योग्यता के मापदंड तय करना चाहते हैं। जो कानून के विरुद्ध है। यह कोर्ट में चैलेंज होंगे और इस एक्ट की धज्जियां उड़ेंगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, भर्ती के लिए बोर्ड बना रहे हैं। आप सरकार का पूरा का पूरा हस्तक्षेप बढ़ाना चाहते हो। पहले मुख्यमंत्री जी ने यहां से घोषणा की

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

थी। मंत्री महोदय आपने भी की थी कि हम सब ग्राम पंचायत मुख्यालयों के ऊपर अलग-अलग कोआपरेटिव ग्राम सहकारी समितियां बनाना चाहते हैं। आपने तो दूसरी तरफ से आज यह एक्ट लाकर के यह साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी सरकार है। सरकार पूरी की पूरी उसके ऊपर नियंत्रण करना चाहती है। किसान को स्वायत्तता नहीं देना चाहती है।

जो जन प्रतिनिधि कोआपरेटिव के माध्यम से किसानों की सेवा करते हैं। जो अपना भविष्य आजमाते हैं कोआपरेटिव के माध्यम से, उन सबको आपने तो ठंडे बस्ते में डालने का काम किया है। उनको पूरा का पूरा खत्म करने का काम कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि न तो किसान कमजोर होगा आपके इस प्रकार के एक्ट लाने से, न कांग्रेस मुक्त भारत का सपना आपका पूरा होगा। किसान को जिस प्रकार से आप करना चाह रहे हो न, प्रताड़ित करना चाह रहे हो सरकारी हथियार को इस्तेमाल कर-करके, वह आपको आने वाले समय में पता लग जायेगा। किसान आपको ब्याज सहित वापिस चुका देगा। इस तरीके से करने की आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय, मंत्री महोदय किसान के बेटे हैं। हमें खुशी है। एक-दो अच्छे निर्णय भी इन्होंने लिये हैं। कल-परसों डेट बढ़ाई किसान की, हमने मांग की थी, हम स्वागत करते हैं। अच्छी बात है। लेकिन मंत्री महोदय, आपके बिना जानकारी के आ रहा है या आपको किस प्रकार के दबाव का सामना करना पड़ रहा है, मैं समझ नहीं पाया। लेकिन जिस प्रकार से कोआपरेटिव को समाप्त करने की ओर यह विधेयक लाया जा रहा है, यह किसान को बिलकुल खत्म करने वाला और उसको कमजोर करने वाला है। किसान के कोआपरेटिव मूवमेंट को एक तरीके से सरकार के नियंत्रण में लेने वाला कानून है। इस प्रकार यह किसान के हित का नहीं हो सकता है।

किसान अपना फैसला स्वयं कर नहीं सकता। हिस्सा राशि आपने बढ़ाई। यह किसान के हितों पर कुठाराघात किया। जिस प्रकार किसान, व्यवस्थापक, कोआपरेटिव मूवमेंट से जुड़े हुए लोग आंदोलनरत हैं। कल-परसों 30 हजार के लगभग किसान यहां पर रामलीला मैदान में आये थे। क्या किया, एक परसेंट हिस्सा राशि कम कर दी। क्या होता है एक परसेंट से? आपने 3 बढ़ा दी और एक वापिस कम कर दी। इससे कोई हासिल होने वाला

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

नहीं है। आपने डेढ़ लाख रुपये ऋण देने की बात कही। हमने की थी, एक साल तो आप वैसे ही निकाल गये। दुबारा जब बिना ब्याज के ऋण डेढ़ लाख की बात की, आज मैं कहना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि गिने-चुने लोगों को, जो आपकी विचारधारा को फालो करते हैं, उनको डेढ़ लाख का ऋण दिया जा रहा है, बाकी किसानों को, जो आम किसान हैं, उनको किसी को डेढ़ लाख नहीं मिल रहा है। किसी को 10 हजार मिल रहा है। किसी को 20 हजार मिल रहा है। (व्यवधान) आप बैठ जाओ।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, किसान विरोधी एक भी चीज बता दें यह। किसान विरोधी एक भी चीज नहीं है। किसानों के हित की बात है। पढ़े-लिखे आदमी जन प्रतिनिधि बनें, उसके लिए है। इन्होंने पूरा पढ़ा ही नहीं है। यह बता रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप कान की गिट्टी निकाल लो।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): आप बिना पढ़े ही बता रहे हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप कान की गिट्टी निकाल लो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): आप बिना पढ़े बता रहे हो। एक बार पढ़ लो आप इसको। किसान विरोधी कोई तथ्य नहीं है इसमें। किसानों के हित की बात है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, माननीय सदस्यों को अपने कान की गिट्टी निकाल लेनी चाहिए। जो किसान के विरोध में है, वही तो मैं कह रहा हूं।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): डोटासरा जी, आपने पढ़ा नहीं बिल। तैयारी नहीं की...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): इसमें आप एक भी चीज बताएं, काउंट कराएं कि यह विरोध में बात है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): केवल किसान विरोध, किसान विरोध कर रहे हो। आप यह तो बताओ कि यह बात किसान के विरोध में है।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आज फंसे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या है यह? आप स्वयं ही किसान विरोधी हैं। मैं क्या बताऊं, बताओ।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): मैं तो खुद किसान हूं। किसान विरोधी नहीं हूं और इस कानून में भी कोई किसान का विरोध है ही नहीं। आपने जबरदस्ती में एक माहौल बना रखा है। भूमिका बना रहे हो कि किसान विरोधी है। कैसे है किसान विरोधी? खुद किसान विरोधी हो।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): कोआपरेटिव का कितना बड़ा काम कर दिया ...(व्यवधान) कैडर बना दिया, उसकी तारीफ तो कर दो।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, कौन किसान विरोधी था और कौन नहीं, जनता ने बता दिया इनको।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, यह ठीक है क्या व्यवस्था?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह ठीक है क्या? आप चेयर पर विराजमान हैं। सांसद भी रहे हुए हैं और इस प्रकार से उदंडता करें माननीय सदस्य तो यह ठीक बात है क्या?

श्री सभापति: आप बोलिये माननीय सदस्य। माननीय सदस्य बोलिये, बैठ गये सब। माननीय सदस्य, विराजो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, माननीय गुंजल साहब बता रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर यह किसान विरोधी बिल नहीं था तो जनमत जानने के लिए आपने परिचालित करने के लिए प्रस्ताव किया? यह किसान विरोधी है।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, डोटासरा जी को यह आने वाले समय का डर लग रहा है कि यह सारे किसानों को अपने फेवर में कर लेंगे और हमारी जो वर्षों की राजनीति चल रही थी वह खत्म हो जाएगी। इसलिए इनको डर लग रहा है।

श्री सभापति: माननीय फूलसिंह जी विराजें। माननीय सदस्य, विराजें। बोलने दें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक डोटासरा से इतने घबरा गये? 10-10 साथ उठ रहे हो। थोड़ा-बहुत तो संयम रखो। हमने सुना है न आपको।

श्री सभापति: बोलो डोटासरा जी। आप बोलिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं कहां से बोलूं, जब हाउस आर्डर में नहीं है तो कहां से बोलूं।

श्री सभापति: नहीं, अब आर्डर में है। बोलिये। प्रहलाद जी गुंजल की तारीफ भी आप ही, छेड़ रहे थे थोड़ी देर पहले।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): प्रहलाद जी गुंजल साहब तो सरकार के खिलाफ इतना बोलते हैं। बोलकर के फिर वापस ले लेते हैं अपना प्रस्ताव। अब इससे बड़ा तो मैं क्या कहूं।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): डोटासरा जी, मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोलता। पारदर्शी बात बोलता हूं। यहां पर लिखी है 'सभा में या तो प्रवेश नहीं किया जाए, यदि प्रवेश किया जाए तो वहां स्पष्ट और सच बात कही जाए, क्योंकि वहां न बोलने से या गलत बोलने से, दोनों ही स्थितियों में मनुष्य पाप का भागीदार बनता है'। मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता इसलिए साफ बोलता हूं।

श्री सभापति: विराजिए माननीय सदस्य। विराजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, सदन की नेता ने भी यह वाक्य बोला था और यहां पूरा का पूरा असत्यों का पुलिंदा बोलकर गई थी। किसकी बात कर रहे हैं? जिनकी नेता असत्य बोलती हैं, वह माननीय सदस्य नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपनी बात रखें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ट्रेनिंग आपने मुख्यमंत्री जी से ली है।

श्री सभापति: आप विधेयक पर बोलिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अपनी मुख्यमंत्री जी से ट्रेनिंग ली है क्या?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विधेयक पर बोलिए आप।

श्री बंशीधर (खण्डेला): बिलकुल नहीं बोला ...(व्यवधान)

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): सभापति महोदय, सदन की नेता कौनसी असत्य बात बोली ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): हमारी नेता कभी गलत नहीं बोलतीं। जो बोलती हैं वह करती हैं ...(व्यवधान) जो कहते हैं वह करते हैं ...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आप राजा हरिश्चंद्र हैं क्या? कौनसी बात गलत बोली मुख्यमंत्री जी ने? मुख्यमंत्री जी ने कभी कोई गलत बात नहीं कही।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): सदन की नेता जो कहती हैं वह करती हैं ...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आप हैं असत्य के पुलिंदे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): डोटासरा जी फंस गये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। विधेयक पर ही बोलें आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, विधेयक पर ही बोल रहा हूं। मैं आप पर थोड़े ही भाषण दे रहा हूं ...(व्यवधान) बीच में टोकते हैं तो मैं उस पर बोल लेता हूं।

श्री सभापति: किसी का नाम लेकर मत बोलिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किसका बोलूं। इन्होंने नहीं लिया क्या?

श्री सभापति: इन्होंने कहां लिया?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेरे मुंह में शब्द मत डालो, सभापति महोदय।

श्री सभापति: बोलिये, बोलिये। माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप हमारे से वरिष्ठ हैं। आसन पर विराजमान हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बोलिये आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप सदन को अगर आर्डर में नहीं ला सकते तो यह मेरी कमजोरी नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बोलिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): एक मिनट, डोटासरा जी।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति जी को चैलेंज कर रहे हैं आप। अच्छा थोड़े ही लगता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो आप।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): अच्छा थोड़े ही लगता है कि इस तरह से सभापति जी को चैलेंज कर रहे हो ...(व्यवधान) अच्छा नहीं लग रहा है हमें। सभापति को चैलेंज कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): मुख्यमंत्री असत्य बोल रही हैं और सीकर में मेडिकल कालेज खोल दिया तब क्या हुआ?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): वह भी असत्य है।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): वह भी असत्य है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ऐसा है, स्वास्थ्य मंत्रीजी डांग के जोर पर ले गये थे और हम सीकर में जेली के जोर पर मेडिकल कॉलेज लाये हैं। आपकी मेहरबानी नहीं है। सीकर की जनता का संघर्ष काम आया है ...(व्यवधान)

श्री गोरधन (धोद): भारतीय जनता पार्टी की देन है ...(व्यवधान) आपकी देन नहीं है इसमें ...(व्यवधान)

श्री बंशीधर (खण्डेला): आप तो चाहते थे नहीं खुले ...(व्यवधान) वसुंधरा जी ने और मोदी जी ने खोल दी कालेज।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो।

श्री गोरधन (धोद): यह आपकी देन नहीं है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें, प्लीज।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपकी भी नहीं है। 2 साल में एक दिन नहीं बोले मेडिकल कालेज के ऊपर और आज बोल रहे हो ...(व्यवधान) जनता के संघर्ष की देन है। हमारे संघर्ष की देन है ...(व्यवधान)

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): धन्यवाद क्यों दिया मेहरबानी नहीं है तो ...(व्यवधान)

श्री बंशीधर (खण्डेला): आदरणीय मुख्यमंत्री जी की मेहरबानी है, बाकी कोई मेहरबानी नहीं है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आसन पैरो पर है। विराजो आप। शांति से बोलने दो। बोलिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, धन्यवाद आपका।

श्री सभापति: मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे चुके सार्वजनिक। मुख्यमंत्री जी को कल-परसों भाषण में यह धन्यवाद दे चुके।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बिलकुल दिया है।

श्री सभापति: हां, दिया है न आपने।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): धन्यवाद का काम करेंगे तो दुबारा देंगे और ओलमें का काम करेंगे तो उलाहना भी देंगे। किसान विरोधी काम करेंगे तो घेराव भी करेंगे।

श्री सभापति: आप बोलिये। विधेयक पर बोलिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, 3 साल बाद में नयी साख सीमा बनती है। लेकिन अब की बार मंत्रीजी, नई साख सीमा बनने में पहले से तैयारी होनी चाहिए थी। वह तैयारी की नहीं। सीकर में किसानों को ऋण से वंचित किया जा रहा है कि आपकी नई साख सीमा बनेगी 3-4 महीने में और उसके बाद किसान को लोन दिया जायेगा। यह अगर किसान को कमजोर करने वाली बात नहीं है तो और क्या है?

(20.00 बजे)

इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने डेढ़ लाख रुपए के ऋण देने की बात कही है वह डेढ़ लाख रुपए ऋण किसानों को देना चाहिए। नई साख सीमा बने लेकिन उस दौरान तक हर बार, हमारी सरकार भी रही, चाहे आपकी पहले सरकार रही, उनको छूट दी जाती थी कि नई साख सीमा बने उससे पहले भी ऋण किसान को मिलता रहे, कंटीन्यू जो पुराने लोनी थे उनको दिया जाता था, अब की बार सीकर में बंद कर दिया और वह बंद किसने किया? सीकर के जिला कलेक्टर ने। तो सरकार का हस्तक्षेप नहीं बढ़ा

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

तो क्या बढ़ा? जब कोआपरेटिव मंत्री किसान के परिवार से आता है, आप किसान के हितैषी बता रहे हैं, आपकी सरकार किसान के हितैषी की बात कर रही है और सीकर के किसानों को ऋण बंद कर दिया कि नहीं मिलेगा जो आपको पहले से लोनी है उनको नहीं मिलेगा, नई साख सीमा बनेगी, नई साख सीमा या तो आपको पहले बनानी चाहिए थी, समय पर किसान को लोन मिले और अगर नहीं बनाया तो जब तक नई साख सीमा तीन महीने, चार महीने नहीं बने तब तक उसको कंटीन्यू किया जाना चाहिए, किसानों को ऋण मिलना चाहिए इसलिए इस प्रकार का जो एक्ट लाया गया है वह केवल मात्र कांग्रेस समर्थित जो किसान कोआपरेटिव मूवमेंट से शुरू से लेकर जुड़े हुए थे, जिन्होंने कोआपरेटिव को जिंदा रखा, उन लोगों को डीबार करने के लिए आपने इस तरह का यह कानून चाहे लगातार दो बार निर्वाचित करने वाली बात हो, यह हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है और फंडामेंटल राइट को कैसे आप छीन सकते हैं, कैसे आप समाप्त कर सकते हैं, यह नहीं कर सकते हैं इसलिए यह कानून निश्चित रूप से आपके सदस्यों ने भी कहा है।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): जो आडिट का प्रोविजन है उसके लिए तो धन्यवाद दें मंत्रीजी को कि आपके जो घोटाले हैं, आडिट नहीं होती थी, सोसायटी को खा जाते थे आप क्योंकि आप वर्षों से जमे हुए थे, अब आपको यह लगता है कि आपकी जगह खिसक रही है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, सही बात आ गई, हम वर्षों से जमे हुए थे, हम आगे भी जमे रहेंगे, आपके इस चार पन्ने के कानून से हमारे किसान नहीं विचलित होने वाले हैं। आडिट की आड़ में आपने इस एक्ट के द्वारा उनकी जांच कराने के लिए भी अधिकार सरकार ने लिए हैं, रजिस्ट्रार को अधिकार दिया है और आपके कहने से वह उस किसान को बेवजह परेशान करने का काम करेगा।

श्री सभापति: आप आसन को सम्बोधित करके कहें। (व्यवधान) माननीय सचेतक महोदय।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): रोळया रोप्या के घोटाले हुए हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप तो जांच करा लो। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपने पहले कहा कि इससे किसान का हित बहुत क्रश होगा और अब कह रहे हो कि इस एक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग तो वैसे ही जमे रहेंगे, आप अपने जमे रहने की बात कह रहे हो या इस कानून की बात कह रहे हो? दोनों ही बातें कह रहे हो? (व्यवधान)

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, आज प्रधान मंत्रीजी ने बीमा योजना चालू की है तो भारतीय जनता पार्टी किसान की कितनी चिंता करती है, वह कितना अच्छा काम कर रही है, यह इनको ध्यान ही नहीं है।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको तो ध्यान में है न? तीसरे नम्बर पर या चौथे नम्बर पर जाओगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: बोलिए डोटासराजी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, एक प्रस्ताव ले लो एक्ट में तो चलता रहेगा, बोलते रहेंगे जैसा है। माननीय मुख्य सचेतक महोदय जो हैं वह जो भी बोले लिखकर बोलें क्योंकि इनकी बात किसी के समझ में आती नहीं है, आधा बोल जाते हैं और आधा खा जाते हैं इसलिए ...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): मैं तो पूरा बोल रहा हूं और सदन सुन रहा है, अगर आपके दिमाग में नहीं बैठे तो इसका तो मैं क्या करूं? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेरे को कई सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने भी कहा है।

श्री सभापति: आप छोड़िए न सत्ता पक्ष को, आप तो बोलिए। (व्यवधान) आप अपनी बात कीजिए।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। (व्यवधान) मैं टोक नहीं रहा हूं जब बुलेट ट्रेन चलेगी तो कांग्रेस के माननीय सदस्यों को सचेत रहना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): मुझे लगता है कि आपकी कोई तैयारी नहीं है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पानी वाली बाई ने दे दिया क्या कुछ? पानी वाली बाई ने कुछ दिया क्या आपको? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य आप अपना जारी रखें माननीय सदस्य, सुरेशजी, इनको बोलने दो न, बैठ जाओ आप।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): मैं इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। (व्यवधान) एक सैकिण्ड। डोटासराजी, एक मिनट। (व्यवधान) किसान की बात बहुत हो रही है, इधर से भी कह रहे हैं किसान, उधर से भी आ रहा है किसान, जब नियम बन गया दसवीं पास पढ़े लिखे लोग होंगे, पढ़ा लिखा होगा जो भी अध्यक्ष बनेगा वह भी एक किसान का बेटा बनेगा लेकिन कांग्रेस यह चाहती है कि वह अनपढ़ रहे और जब इनके वोट के टाइम पर आए तो हम उसका सैटलमेंट करके उसका वोट ले लें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने यह कानून पास किया कि पंचायती राज में भी पढ़े लिखे लोग आएं इसलिए भ्रष्टाचार कम हो और सहकारी समितियों के अन्दर भी पढ़े लिखे लोग आएं इसलिए हम यह बिल लेकर आएं हैं।

श्री सभापति: आप विराजिए। आपका नम्बर आए तब बोल लेना। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): फिर लोक सभा और विधान सभा क्षेत्र में क्यों नहीं कर लेते पारित मोदीजी और वसुन्धराजी, कराओ न? जोर आएगा, आप जैसे कई नहीं आएंगे, नए-नए चेहरे दिखाई देंगे। (व्यवधान)

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय सभापति महोदय, कितने पढ़े-लिखे हैं, मेरी भी डिग्री मंगवा लें और इनकी भी डिग्री मंगवा लें और कितने परसैंटेज है? अगर इनसे परसैंटेज कम होंगे तो यहां से इस्तीफा दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: डिग्री बाद में चैक कर लेंगे, अभी तो आप विराजो।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): क्या पढ़े लिखे की बात करते हो? सारे पढ़े लिखे हैं, कौन कितना पढ़ा लिखा है, एक बार दोनों की डिग्री मंगवाकर देख लें पता तो चले कि ये कितना पढ़े लिखे हैं।

श्री सभापति: आप माननीय सदस्य, क्या बोल रहे हैं?

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, सुरेशजी माननीय सदस्य ने जो बताया है और जो बिल में भी प्रोविजन किया जा रहा

(श्री पूरणमल सैनी)

है, मैं बोलूंगा तब तो बताऊंगा लेकिन एक बार इनकी बात का जवाब, इन्होंने कहा ...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): वह भी बीच में बोल रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने कहा है कि पढ़े लिखे दसवीं पास किसान को लोन देंगे, सहकारिता में फायदा देंगे।

श्री सभापति: आप विराजो, आप समझ नहीं रहे हैं। (व्यवधान) आपका नम्बर आए तब बोल लेना।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपका जब नम्बर आए तब बोल लेना। (व्यवधान)

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): ये भी बीच में बोल रहे हैं, इनको क्यों नहीं रोक रहे हैं?

श्री सभापति: आपका नम्बर आए तब बोलना, विराजिए। (व्यवधान) बोलो, डोटासराजी, बोलो। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपका नम्बर आए तब बोलना। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अब तो तय हो गया क्या कि मैं ही बोलूं?

श्री सभापति: हां, बोलो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पता नहीं, पूछ लो और किसी को बोलना हो तो? (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप मेरी तरफ संबोधित करो। आप उधर मत देखो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, कालूलालजी गुर्जर साहब, नहीं बोलेंगे?

श्री सभापति: आप उधर मत देखो, मेरी तरफ देखो। आसन की तरफ देखो आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): लेकिन इनको मेरे से इतनी मोहब्बत है कि ये सारे मेरी तरफ देख रहे हैं। (व्यवधान)

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आज इस बिल पर बोलना सफल हो गया क्योंकि इतना प्यार, मोहब्बत इन्होंने मेरे ऊपर उमड़ाया है जिसका मैं किन शब्दों में धन्यवाद करूं। (व्यवधान) अब सही हुआ है काम। आप इतनी देर खड़े ही नहीं हुए, पता ही नहीं कौनसी सीट के नीचे घुस गए थे? (व्यवधान)

श्री सभापति: बोलने दो इनको। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक लाया जा रहा है, इसमें सरकार को जो असीमित अधिकार दिए जा रहे हैं, सरकार का जो हस्तक्षेप बढ़ने का काम हो रहा है, यह किसान के लिए घातक है, कोआपरेटिव मूवमेंट के लिए घातक है और जिस प्रकार दो बार के बाद में, दो दफा के बाद में कंटीन्यू नहीं चुनाव लड़ सके, यह प्रत्येक व्यक्ति के, किसान के मूलभूत अधिकारों का हनन है और शिक्षा की अनिवार्यता की जो बात इन्होंने की है, वह एक्ट में कोई खुलासा नहीं किया, नियमों से शिक्षा का जो कानून है उसकी नहीं योग्यता तय की जा सकती है इसलिए एक्ट में इनको करना पड़ेगा। अगर एक्ट में नहीं होती है तो फिर पंचायती राज एक्ट में इन्होंने क्यों की, नगरपालिका वाले एक्ट में क्यों की? इसलिए एक्ट में शिक्षा की जो अनिवार्यता है, किस कैडर के लिए क्या शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए थी क्योंकि इनकी तो आनन-फानन में, सरकार की तो आदत पड़ी हुई है कि जब चुनाव होते हैं तो एक दिन पहले लाते हैं जिससे कोई आदमी कोर्ट में नहीं जा सके और यह इनकी मनमर्जी या इनकी जो किसान को कमजोर करने की नीति है वह सफल हो सके, यह इनकी इच्छा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस एक्ट में किसान के हितों को प्रभावित किया है, किसान को कमजोर करने का काम कर रहे हैं इसलिए इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करना अनिवार्य है, इसको दो महीने, तीन महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए, किसान की भी राय ली जाए, आम जनता की राय ली जाए और उसके बाद में जनप्रतिनिधियों और सबसे बैठकर जब चर्चा हो और उसके बाद में जो बिल आएगा वह बिल पारित किया जाए तब जाकर के जो स्वायत्तता देने की बात कर रहे हैं वह स्वायत्तता का गला घोंटने का काम कर रहे हैं, किसान के अधिकारों को समाप्त करने का काम कर रहे हैं और किसान का एकमात्र जरिया जो कोआपरेटिव है, उस कोआपरेटिव के माध्यम से अपना छोटा-मोटा लालन-पालन अपने घर परिवार

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

का काम चलाता है उसका भी यह अधिकार सरकार को देकर सरकार का हस्तक्षेप बढ़ाने का काम कर रहे हैं, यह वास्तव में निन्दनीय है और किसान विरोधी है इसलिए इस एक्ट को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाना जरूरी है।

श्री सभापति: श्री घनश्याम तिवाड़ी। (अनुपस्थित)।

श्री नन्दकिशोर महरिया।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2016 पर बोलने का मौका दिया। हम यहां विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, इसके संशोधनों पर चर्चा कर रहे हैं, सदन का सत्र चल रहा है और सहकारिता का आजकल जो मुख्य कार्य है, अल्पकालीन फसली सहकारी ऋण दिया जा रहा है उसके बारे में सदन के चलते हुए भी बिना कोई चर्चा हुए एक अल्पकालीन फसली सहकारी साख नीति की घोषणा रजिस्ट्रार ने इसी 31 मार्च को की है। इसके बारे में न ही जो सहकारिता के मालिक हैं, मालिक से मेरा मतलब जो शेयर होल्डर हैं, एक्जाम्पल के तौर पर हमारा सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक जो है, उसमें 35 करोड़ की शेयर होल्डिंग वहां की सहकारी सोसायटीज की, वहां के किसानों की है, मात्र 2 करोड़ की शेयर होल्डिंग सरकार की है। उसके बावजूद उन लोगों से बिना चर्चा किए, उनकी एजीएम में इस तरह की नीति के बारे में बिना चर्चा किए, एक नीति की घोषणा की गई है। मैं मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि इस तरह की नीति सत्र के चलते हुए अगर चर्चा होकर होती तो ज्यादा अच्छी बनती या जो अपने नीचे की संस्थाएं हैं या जो व्यवस्था है उसके तहत यह ड्राफ्ट वहां भिजवा देते और वहां से सुझाव आते उसके बाद नीति की घोषणा होती तो शायद किसानों के लिए ज्यादा अच्छा होता। इस नीति में कहा गया है कि जहां 10 परसेंट से कम शेयर सोसाइटीज का होगा उस सोसाइटीज के किसानों को उन गांवों के लोगों को लोन नहीं मिल पाएगा। इसके आगे जो सोसाइटीज के ऋण चुकाने में 2-3 महीने की भी अगर किसी वजह से चूक हो गयी तो 3 परसेंट ब्याज तो एक्स्ट्रा लगेगा ही उसके साथ एक परसेंट रिकवरी चार्ज भी उनसे लिया जाएगा जो शायद पहली बार शुरू किया जा रहा है। इस पर थोड़ा मंत्रीजी विचार करें तो अच्छा रहेगा। सिर्फ तीन महीने के लिए कोई सोसाइटी डिफाल्ट हो गयी तो उस सोसाइटी की सारी

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

साख सीमाएं बंद हो जाएंगी, उसके जितने भी किसान होंगे उनकी साख सीमाओं पर बैन लग जाएगा और उनका डिफाल्ट जब तक क्लीयर नहीं होगा उनको लोन नहीं दिया जाएगा। अगर 10-20-50 की गलती से कोई काम होता है तो उसका नुकसान सभी को भुगतना पड़ेगा। इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है।

इसमें लिखा गया है कि फसली ऋण केवल उन्हीं कृषकों के स्वीकृत किये जाएंगे जिनके नाम से कृषि भूमि हो। आज दिन तक बंटाईदारों को जो नोशनल शेयर होल्डर परिवार के लोग होते थे उनको लोन दिया जा रहा था। उसके बावजूद स्थिति यह थी कि 90 प्रतिशत से अपनी रिकवरी हो रही थी, कोई ऋण अपना डूबा नहीं और बहुत छोटा सा लोन हम देते हैं 10, 20, 30, 50 हजार का। डेढ़ लाख तो सिर्फ 2-3 प्रतिशत लोगों को मिलता है, 90 परसेंट से ऊपर लोगों को सिर्फ 50 हजार से नीचे का लोन मिलता है। उसमें अगर कागजात चार-पांच जनों के नाम नहीं हैं और परिवार में चार-पांच जने हैं या बंटाईदार हैं, जो व्यवस्था अब तक थी, मेरे खुद के ग्राम की सोसाइटी की हंड्रेड परसेंट रिकवरी है। काफी लोगों को नोशनल मानकर या बंटाईदार मानकर वर्षों से लोन मिला हुआ है। पिछले 15-20 साल से लगातार 100 प्रतिशत उसमें रिकवरी हो रही है। इस तरह का यह किया जा रहा है, उसमें भी लास्ट में लिखा है कि अगर बंटाईदार को दिया जा रहा है तो उसका एक एग्रीमेंट होगा, विधिक एग्रीमेंट और वह विधिक एग्रीमेंट पंजीकृत होगा, 20 हजार का हम लोन दे रहे हैं, 30 हजार का लोन दे रहे हैं, उसको विधिक एग्रीमेंट करेंगे, उसको पंजीकृत करेंगे और उसके लिए फिर कोलैटरल सिक्योरिटी और मांग रहे हैं। कोलैटरल सिक्योरिटी जिसके पास नहीं हो उसको कह रहे हैं कि किसी की 5 साल की सरकारी सेवा बाकी हो, ऐसा रजिस्ट्रार ने एक चिट्ठी निकाली है, एक पालिसी निकाली है, 5 साल की सरकारी सेवा किसी की बाकी हो उसकी गारंटी दिलानी पड़ेगी। अब किसान के लिए कौन सरकारी अधिकारी गारंटी देगा?

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): बिल के अदरवाइज बोल रहे हैं। बिल पर आ जाएं। बिल पर बोलें।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): यह किसानों के लिए ही है, सहकारिता के लिए ही है और आपको सुझाव देने की आवश्यकता नहीं है, सभापति जी बैठे हैं। आपसे सीनियर हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मेरी तरफ देखकर बोलें आप।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): इनसे सुझाव मांगा आपने?

श्री सभापति: आप बोलिए।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है आइंदा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विधेयक पर ही बोलो। माननीय सदस्य बोलो।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): यहां कई सचेतक हैं, कई कुचेतक भी हैं। कोई जरूरी है क्या सभी सचेतक हों।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी बात जारी रखिए।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): यहां कई कुचेतक भी हैं। ऋणी सदस्य, मैं सुझाव दे रहा हूं, मंत्रीजी सुन रहे हैं, अगर अच्छे लगेंगे तो मान लेंगे, नहीं अच्छे लगेंगे तो ठीक है।

श्री सभापति: आप अपनी बात जारी रखिए माननीय सदस्य।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): ऋणी सदस्य से ऋण हेतु आवेदन-पत्र के साथ उसकी अन्य बैंकों से ऋण बकाया न होने का स्व घोषणा-पत्र लिया जाएगा। अब एक किसान है उसके पास दूसरे भी काम हो सकते हैं। हो सकता है उसने स्कूटर के लिए, मोटरसाइकिल के लिए, किसी और चीज के लिए किसी बैंक से लोन लिया हो तो उसको एनओसी दूसरा बैंक तो देगा नहीं। इसमें ऐसा स्पष्ट नहीं किया गया है...(व्यवधान) आप बाद में बता देना।

श्री सभापति: मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। एक मिनट विराजो।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय सभापति जी, मेरा माननीय सदस्य से यह कहना है कि आप जो भी बोलें बिल पर बोलें। अगर और कोई भी है तो अलग तरीके से आप विधान सभा में आकर उसके बारे में अपनी आवाज को उठा सकते हैं किसी भी माध्यम से। बिल पर बोलें, जो भी संशोधन हैं ताकि मैं उसी पर अपना रिप्लाई दे सकूं।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): अपना जो मुख्य काम है वह किसान का काम है और बिल के दौरान 31 मार्च को यह पालिसी निकाली है इसलिए मैं इस पर बोल रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मेरा निवेदन है जो मंत्रीजी कह रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय सदस्य, आप बिल के अलावा बोल रहे हैं वह आप मुझे बता दें।

श्री सभापति: आप अलग से बता दीजिएगा। अभी आपको जो विधेयक पर बोलना है वह बोल दीजिए।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): इसमें ऐसी-ऐसी बातें लिखी हैं कि आपके ध्यान में लाना जरूरी है। इसमें यहां तक लिखा है कि अगर कोई 20-30 हजार का सहकारी लोन लेगा तो उससे फौजदारी केस तक उससे लिखवाकर ले रहे हैं कि मेरे ऊपर अगर फौजदारी केस भी लगाया जाता है, रिकवरी पूरी नहीं हो, इसमें लिखा हुआ है। इस तरह के आदेश रजिस्ट्रार को सदन चलते हुए या कोआपरेटिव बैंक हैं पूरे राजस्थान के उनसे राय किये बगैर नहीं निकालने चाहिए थे। इस पर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा।

सरलीकरण की बात अपने यहां चल रही थी कि लोन का सरलीकरण होगा, 8 फार्मेट अभी इसमें बनाकर दिये गये हैं जिनमें से 5 किसान को भरने हैं वो उसके बस की बात नहीं रहेगी। नाबार्ड की भी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। इसके अलावा दो बार से ज्यादा लगातार अध्यक्ष नहीं बन सकता, उस बात पर अपने को विचार करना चाहिए। एक-दो बार तो कोई चांस से जीत जाता है, दो-तीन बार योग्य हो तो जीत जाता है, लेकिन जो श्रेष्ठ लोग होते हैं कालीचरण जी जैसे, 6-7 बार जीत गये, राजेन्द्र जी हैं, गुलाब जी हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि ये लोग 6-7 बार जीत गये तो इनमें कोई कमी है। ये श्रेष्ठ लोग हैं, जनता इनको चाहती है। वैसे यह चुनाव भी किसान लोग करेंगे। अगर कोई तीन बार, चार बार लगातार किसानों की मर्जी से बनता है तो अपने को आब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। बाकी विधेयक में बहुत सी अच्छी बातें रखी गयी हैं। आडिट की जो बात की गयी है बड़ी अच्छी है। उससे सोसाइटीज में घपलेबाजी कम होगी, भ्रष्टाचार कम होगा। मैंने इसको जनमत जानने का प्रस्ताव दिया था उसको मैं वापस लेता हूं। थैंक्यू।

श्री सभापति: श्री शुभकरण चौधरी। श्री रमेश।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। इस बिल में पहले समिति में मूल पदावधि से आधे से अधिक होने पर आकस्मिक रिक्ति पर नोमिनेशन व सहयोजन का भी आप्शन था, लेकिन राज्य सरकार ने केवल निर्वाचन का प्रावधान ही रखा है। पहले

(श्री रमेश)

नोमिनेटेड मैम्बर को मतदान का अधिकार नहीं था, लेकिन राज्य सरकार ने उसे भी मतदान का अधिकार दे दिया है। पहले नोमिनेटड मैम्बर के संकल्प से विसम्मत होने पर 7 दिन में विसम्मति की सूचना देनी थी, अब इस अवधि को बढ़ाकर 15 दिन कर दिया है। 2002 के एक्ट 16 की धारा 28 में लगातार दो बार निर्वाचित होने या सहयोजित होने पर वह निर्वाचन का पात्र नहीं होगा जब तक कि उसके अंतिम कार्यकाल को 5 साल नहीं हो गये हों। इसमें यह विशेष बात है कि यदि निर्वाचित हो गया, लेकिन उसने कार्यकाल पूरा नहीं किया तो उसका भी कार्यकाल पूरा हुआ माना जाएगा। 2002 के एक्ट 16 की धारा 28 की उपधारा 9 में पहले एमएलए, एमपी, नगरपालिका निकाय का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के समिति के सदस्य नहीं होने का प्रावधान नहीं था, अब एक साथ दो पदों पर नहीं रह पाएंगे। 2002 के एक्ट 16 की धारा 28 की उपधारा के अनुसार समिति का कोई सदस्य सूचना या सहायता उपलब्ध करवाने में असफल रहने, लेखा परीक्षकों को नियुक्त करने व लेखा परीक्षा में असफल रहने पर 6 साल तक के लिए अयोग्य हो जाएगा। एक्ट 16 की धारा 28 की उपधारा 12 के अनुसार सहकारी समिति का सदस्य होने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। 2002 के एक्ट 16 की धारा 29 में उपधारा 29 (क) एवं 29 (ख) जोड़कर सहकारी सोसाइटियों के कार्मिकों के कल्याण व सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य निर्देश जारी करने की शक्ति रजिस्ट्रार को दे दी है। रजिस्ट्रार इन कर्मचारियों का संवर्ग बनाकर उनकी भर्ती, मानदेय, स्थानान्तरण, प्रतिनियुक्ति, अनुशासनात्मक कार्यवाही, सेवा शर्तों से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में मार्गदर्शक एवं सैद्धांतिक तरीके तैयार कर सकेगा। साथ ही सहकारी सोसाइटियों के कार्मिक के चयन के लिए एक बोर्ड बनाया जाएगा जो लिखित परीक्षा द्वारा भर्ती कराएगा। इस प्रकार आपने रजिस्ट्रार को बहुत अधिक शक्तिशाली बना दिया है जो सहकारिता के सिद्धांतों के विपरीत है। पहले लघु अवधि सहकारी साख सोसाइटी को वितीय और आंतरिक प्रशासनिक मामलों में पूर्ण स्वायत्तता थी, लेकिन अब उसे रजिस्ट्रार की शर्तों व बाध्यताओं के अधीन स्वायत्तता प्रदान की जा रही है।

2002 के एक्ट 16 की धारा 36 – किसी सहकारी सोसाइटी की समिति का निर्वाचन करवाने के लिए समस्त व्यय सम्बन्धित सोसाइटी द्वारा वहन किया जाएगा। 2002 के एक्ट 16 की धारा 54- यदि सोसाइटी लेखा परीक्षा नहीं कराती है तो रजिस्ट्रार लेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा। एक ही

(श्री रमेश)

फर्म से दो से अधिक सालों तक आडिट नहीं करायी जायेगी। यदि रजिस्ट्रार को यह लगे की सोसाइटी में अनियमितता हुई है तो उस अवधि के लिए विशेष लेखा परीक्षा करा सकेगा। 2002 के एक्ट 16 की धारा 55 की उप धारा (2) के अनुसार- रजिस्ट्रार द्वारा अधिकृत व्यक्ति सोसाइटी के कागजों की जांच, रखरखाव करेगा एवं समस्त कागज उसकी पहुंच में होंगे। इससे तो रजिस्ट्रार और भी पावरफुल रहेगा।

2002 के एक्ट 16 की धारा 125 के अनुसार- यदि, रजिस्ट्रार की राय में, किसी सहकारी सोसाइटी या उसकी समिति की बैठक में पारित कोई संकल्प सोसाइटी के उद्देश्यों के खिलाफ हो तो वह सुनवाई का अवसर देकर संकल्प को विखंडित कर सकेगा।

श्री सभापति: बोलने दो।

श्री रमेश (सपोटरा): आपकी मर्जी है तो आप बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है।

श्री सभापति: कृपया अब समाप्त करें।

श्री रमेश (सपोटरा): सभापति महोदय, इस तरह सहकारी समितियों की स्वायतता समाप्त करने के कार्यक्रम के तहत सरकार इस बिल को लायी है और इस एक्ट के दण्ड के प्रावधानों के तहत सिविल कोर्ट को पावर है, विभाग को नहीं है। विभाग कोर्ट में जाता है परन्तु आज तक शायद ही किसी मामले में सज़ा हुई हो। या तो स्पेशल कोर्ट बनवाई जाए, फिर विभाग को शक्तियां दी जाएं यदि वास्तव में इन्हें इफेक्टिव बनाना है, नहीं तो हाउसिंग सोसाइटी के केस 20-20 साल बाद भी पैण्डिंग चल रहे हैं और सज़ा शायद एक केस में भी नहीं हुई है। पुराने एक्ट में इंस्पैक्शन नहीं था जिसे धारा 55 (क) के रूप में लाया जा रहा है। यह 1965 के एक्ट में था जिसे 2001 के एक्ट में समाप्त कर दिया था। इससे तो एक तरह से इंस्पैक्टर राज पनपेगा।

आज प्रदेश में करीब 35 हजार सहकारी समितियां हैं जिनमें करीब 62 हजार ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं। वर्तमान में सरकार ने गत दो वर्षो में माननीय न्यायालय के निर्णयों की पालना, डेयरी समितियों के अलावा किसी भी सहकारी संस्था में विधिवत चुनाव नहीं करवाये हैं। आज भी प्रदेश की अधिकांश ग्राम सेवा सहकारी समितियां केन्द्रीय सहकारी बैंकों, अपेक्स बैंक के चुनाव नहीं हुए हैं। यही हाल उपभोक्ता भण्डारों, राजस्थान राज्य सहकारी

(श्री रमेश)

उपभोक्ता संघ, कानफेड, भूमि विकास बैंक, राज्य भूमि विकास बैंकों के क्रय-विक्रय सहकारी समितियों, राजफेड का भी है। तो सरकार का कहना है कि इनके एक साथ चुनाव करवायेंगे, पर गृह निर्माण सहकारी समितियों, महिला समितियों से कोई प्रतिनिधित्व ऊपर की संस्थाओं के बोर्ड में कोई प्रतिनिधि नहीं जाता है। हजारों चुनाव अभ्यर्थना राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के पास पैण्डिंग पड़ी हैं, पर निर्वाचन प्राधिकरण इनके चुनाव ही नहीं करवाता। सरकार इन संस्थाओं के जन-प्रतिनिधियों को प्रबन्धन को क्यों नहीं सौंपती? प्रशासक के भरोसे तो संस्थाएं डूब जाएंगी। इससे तो स्पष्ट है कि सरकार की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी उसमें सहकारी समितियों के प्रजातंत्र, लोकतंत्र का अधिकार था उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। एक तरह से राजनैतिक विद्वेषपूर्ण भावना को लेकर जिस प्रकार की कार्यवाही और जिस प्रकार का यह विधेयक लाये हैं उससे तो स्पष्ट हो रहा है कि सरकार जैसा चाहेगी कि संचालक मण्डलों में किसको हटाना है, किसको रखना है, किसको वोट दिलवाना है, किसको पावरफुल बनाना है तो इसमें इस प्रकार का हस्तक्षेप पूरी तरह से रहेगा और उसमें राजनैतिक विद्वेषता के कारण पार्टी पालिटिक्स होगी, राजनीति उसके अन्दर जाएगी। तो जिस प्रकार से रजिस्ट्रार को आपने पावर दिये हैं, सरकार और मंत्री के पास जो अधिकार हैं उससे तो सहकारिता का जो आंदोलन था, सहकारिता की जो नींव थी उसके यह बिल्कुल विपरीत जा रहा है। हम कहते हैं कि सहकारिता को आगे बढ़ायेंगे तो ऐसे कैसे सहकारिता आगे बढ़ेगी, उससे किसानों को कैसे फायदा मिलेगा क्योंकि संचालक मण्डलों के विरुद्ध कार्यवाही का सत्ता का एक केन्द्रीयकरण हो जाएगा जिससे समितियों के अपने स्तर से जो आज कहीं स्टेशनरी या सामान खरीदना है, बाजार से खरीदते थे वो अब ऊंची दरों पर उपलब्ध कराकर एक नुकसान पहुंचाने की कार्यवाही की जा रही है, यह तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। निर्वाचक संचालक मण्डलों को भय दिखाकर अपनी राजनीतिक ताकत को दिखाकर, या मंत्री का भय दिखाकर इसकी कार्यवाही करेंगे तो यह जिला स्तर पर संचालक मण्डलों में आप किसी को ही वोट दिलवा देंगे, किसी का भी चयन करवा देंगे। इस प्रकार का जो आप विधेयक लाये हैं विरोध करता हूं और तीन माह जनमत जानने के लिए परिचालित करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 5-7 मिनट का तो है न टाइम?

श्री सभापति: आप टाइम निश्चित कर लो, सात मिनट हैं आपके। आप सात कह रहे हो तो सात ठीक है?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सात मत करो, ऐसा मत करो नहीं तो फिर बैठ जाता हूं पहले। दो-तीन मिनट तो स्पीड में ही लग जाएंगे।

श्री सभापति: आपने तो कहा 5-7 मिनट, तो सात मिनट हाइएस्ट।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): समय कट रहा है। सभापति महोदय, सबसे पहले तो सरकार राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016 का जो संशोधन लेकर आई है, मैं इसका विरोध करता हूं और मैं इसे जनमत जानने के लिए परिचालित करने के लिए आपके माध्यम से सरकार और मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, हमारे लोकतंत्र की जब स्थापना हुई तो निश्चित रूप से विधान सभा और लोक सभा के बाद गांवों का लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, आम आदमी, सीधा गांव-ढाणी का आदमी सत्ता से कैसे जुड़े इसके लिए पंचायती राज, सहकारिता के चुनाव मुख्य होते थे। पंचायती राज को बहुत मजबूत करने की बात हमेशा चली और सहकारिता को भी चुनाव के माध्यम से बहुत मजबूत करने की यहां बात हमेशा चलती थी। सरकारें आती हैं, जाती हैं लेकिन यह जो आप कानून लेकर आ रहे हैं न, इससे सहकारिता के क्षेत्र में लोकतंत्र की पूरी तरीके से हत्या हो जाएगी। सभापति महोदय, दो बार जो अध्यक्ष रह लिया वो तीसरी बार नहीं रहेगा। आपने कह दिया कि एमएलए, एमपी, मंत्री परिषद के सदस्य, जिला प्रमुख, प्रधान हैं वो इसके अध्यक्ष नहीं रह सकते, वो बैंक का चुनाव नहीं लड़ सकते। आपकी सरकार के समय यह संशोधन किया था, यह राइडर पहले भैरोंसिंह जी के टाइम पर हटाया था तो फिर आपको इस बिल को लाने की आवश्यकता क्या पड़ गई? आप राजस्थान के अन्दर ऐसा काम करते हो कि आप बैंकों के चुनाव करवाओगे तो उसमें आपके लोग अपने आप आ जाते लेकिन आपको करना नहीं था।

शैक्षणिक योग्यता की बात आपको बहुत सूझ गई है एकदम से जैसे कोई राजस्थान पूरा शिक्षित हो गया। पहले जो सरपंचों के चुनाव हुए थे, आप एक्ट लेकर आये थे और उस एक्ट की धज्जियां उड़ गईं और राजस्थान में सबसे ज्यादा फर्जी टी.सी. के प्रकरण हुए। आप इसके अन्दर लेकर आ जाओगे तो फिर फर्जी टी.सी. की दुकानें राजस्थान के अन्दर खुल जाएंगी और प्राइवेट

(श्री हनुमान बेनीवाल)

स्कूलों की वाहवाही हो जाएगी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप रजिस्ट्रार को इतना मजबूत मत कीजिये कि कल को आपके काबू में नहीं रहे और रजिस्ट्रार आपके सामने हो जाए तो रजिस्ट्रार को मंत्री थोड़े ही बनाओगे, मंत्री तो आप हो। तो रजिस्ट्रार को शक्तियां देने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो जन-जागरण के माध्यम से सहकारिता को मजबूत कीजिये कि लोग अपने आगे आएं जब आप काम ठीक करोगे तो। जैसे कांग्रेस ने काम ठीक नहीं किया तो इधर से इधर बिठा दिया। आप यह चाहते हो कि आप नये-नये कानून लाकर, कभी तो जमीन का कानून ला रहे हो और तीन दिन के अन्दर 15 कानून तो आप ले आये और 2-4 बच गये उनके लिए कल विधान सभा की बैठक और बढ़ा दी, बीएसी में कि कल भी और लायेंगे। मतलब कानून लाने का रिकार्ड आप बनाओगे, नये एक्ट लाने का रिकार्ड बनाओगे। जब सत्ता के अन्दर आये थे तो लोगों को बड़ी उम्मीद जगी....

श्री सभापति: आप विधेयक पर बोलो न। फिर कहोगे कि टाइम पूरा हो गया मेरा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, आज मुझे नहीं बोलने दोगे तो मैं वहां बैठूंगा आकर, यह बता दूं आपको। मैं बोलूंगा, पांच मिनट तो दो।

श्री सभापति: आपने कहा उतना टाइम दे दिया पर आप विधेयक पर बोलो न।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इसी पर तो बोल रहा हूं, विधेयक पर ही तो बोल रहा हूं। विधेयक पर बोल रहा हूं बड़ी गम्भीरता के साथ और ऐसे नहीं कि विधेयक पर यों ही बोल रहा हूं। कालूलाल जी, आप अपनी आदत छोड़ दो, इसीलिए तो यहां सचेतक बनकर बैठे हो।

सभापति महोदय, मंत्रीजी और सरकार का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो पहले को-आपरेटिव सोसाइटी व्यवस्थापक की नियुक्ति कर सकती थी, व्यवस्थापक की अगर डैथ हो जाती तो उसकी जगह दूसरा लगा सकते थे पर आपने तो भर्ती के अन्दर कह दिया कि कर्मचारियों के चयन के लिए भर्ती बोर्ड बनेगा। फिर वो भर्ती बोर्ड आपके कहने से नहीं, रजिस्ट्रार और अधिकारियों के कहने से, आपके जोइंट सैक्रेटरी और डिप्टी रजिस्ट्रार और सारे

(श्री हनुमान बेनीवाल)

हैं, उनके कहने से ही सारा भर्ती बोर्ड काम करेगा और भ्रष्टाचार निश्चित रूप से बढ़ेगा। सभापति महोदय, आपने हम सबको तो चुनाव से अलग कर ही दिया और जो जो ऋणी सदस्य हैं जो आपको ब्याज देता है, अब ऋणी सदस्य 500 रुपये दो, हजार रुपये दो और अऋणी को भी उसके अन्दर बराबरी का भागीदार बना दिया तो मैं इसका भी विरोध करता हूं।

सभापति महोदय, सोसाइटी के अध्यक्ष की या छोटी सी शिकायत किसी ने जन प्रतिनिधि की कर दी और आप एक छोटी सी जांच कराओगे और उसको हटा दोगे। सारी शक्तियां इस कानून के माध्यम से आपने रजिस्ट्रार के हवाले कर दीं।

सभापति महोदय, अच्छा तो यह होता कि आप सहकारिता के अन्दर जो रिक्त पद पड़े हैं, इनमें नई भर्ती करते, इसको मजबूत बनाते और कुछ ऐसा करते जिससे राजस्थान की जनता को फायदा होता। सुराज संकल्प यात्रा के अन्दर आप गये थे। आज 20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा फसल बीमा का प्रीमियम है। वह कम्पनियां आती हैं और 20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा लेकर चली गईं। उसके बदले में किसानों को वापस बीमा की राशि का क्लेम उन्होंने नहीं दिया। आप इन पर एक लगाम लगाते।

और दूसरा, आप यह करते, समय-समय पर कई आयोगों ने, कमेटियों ने सहकारी आन्दोलन के सम्बन्ध में सिफारिश की और वैद्यनाथन कमेटी ने सहकारिता के सम्बन्ध में अपनी सिफारिश लागू करने के लिए रिपोर्ट पेश की। इसका प्रमुख उद्देश्य सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने और घाटे से जूझ रही जीएसएस को फिर से जीवित करने का था। लेकिन इतनी बहुत बड़ी राशि के समायोजन के बाद भी अधिकतर जीएसएस घाटे से जूझ रही हैं और बंद होने के कगार पर हैं।

सभापति महोदय, वैद्यनाथन कमेटी की रिपोर्ट में बैंकिंग सैक्टर के साथ कार्य तकनीकी रूप से अनुभवी व्यक्तियों से करवाने का था लेकिन आज भी सहकारी बैंकों में इस कमेटी की रिपोर्टों को लागू नहीं किया गया। आज 75 प्रतिशत प्राथमिक भूमि विकास बैंकों और 70 प्रतिशत केन्द्रीय सहकारी बैंकों में अन्य सहकारी ऋणदात्री समितियां बहुत बड़े घाटे से जूझ रही हैं और अधिकतर तो बंद होने के कगार पर हैं।

सभापति महोदय, सहकार आंदोलन से प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने की

(श्री हनुमान बेनीवाल)

बात थी मगर दूसरी तरफ इस वर्ष सरकार ने अल्पकालीन फसली ऋण में 20 प्रतिशत कटौती कर दी, जिससे मेरे गृह जिले नागौर के अन्दर, जहां से मंत्रीजी आते हैं, 25,000 से अधिक किसान प्रभावित हुए। सरकार दोहरे मापदण्ड को अपनाकर सहकारी आंदोलन का गला घोंटने पर उतारू है। अगर हम एक अच्छे ऋण की ब्याज दरों की बात करें तो सहकारी बैंकों में ब्याज की दरें निजी बैंकों से बहुत ज्यादा हैं और मापदण्ड इतने तय कर रखे हैं कि धीरे-धीरे लोगों का सहकारी संस्थाओं से लोन लेने का मोह भंग हो गया।

सभापति महोदय, सरकार ने थोड़े दिन पहले ही समस्त केन्द्रीय सहकारी बैंकों को आदेश जारी किया कि नये सदस्यों को लोन नहीं दिया जाये। जबकि सरकारी विज्ञापनों में पिछले कई सालों से लोन की सीमा डेढ़ लाख तक देने का जिक्र किया जा रहा था। आपने सुराज संकल्प यात्रा के अन्दर सहकारिता को और इस विभाग को मजबूत करने की बात भी कही और बहुत बड़ी उम्मीद राजस्थान के किसान और सहकारिता से जुड़े हुए लोगों के अन्दर जगाई लेकिन आज तक उस वादे को आपने पूरा नहीं किया। मंत्रीजी को याद दिलाना चाहता हूं, सहकारी आंदोलन की मुख्य धुरी जीएसएस के व्यवस्थापक लम्बे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जयपुर में बहुत बड़ी रैली उन लोगों ने की और वास्तव में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने की होती तो व्यवस्थापकों को आर्थिक लाभ के साथ-साथ, आज वह बहुत कम मानदेय पर नौकरी कर रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं और इस सहकारिता के आंदोलन की अगर कोई धुरी है तो व्यवस्थापक और जीएसएस के अध्यक्ष हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को याद दिलाऊंगा कि व्यवस्थापकों के सहयोग के बिना अच्छी सहकारिता की कल्पना नहीं की जा सकती। सहकारी संस्थाओं में सरकार ने सहकार निर्वाचन अधिकरण का गठन भी कर दिया। मूल उद्देश्य से सरकार भटक गई। सरकार ने वादा किया था कि समस्त सहकारी संस्थाओं के चुनाव समय पर करवाये जायेंगे। लेकिन इस वादे से मुकर कर सभी संस्थाओं में प्रशासकों की नियुक्ति कर दी, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मूल भावना को ठेस पहुंचाना है क्योंकि वैद्यनाथन कमेटी की रिपोर्ट में भी सहकारी बैंकों का संचालन लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए संचालन मण्डलों द्वारा किया जाना बताया गया है। अधिकतर जीएसएस का संचालन सहायक व्यवस्थापक कर रहे हैं। जिनका वेतनमान बहुत अल्प है। इसकी वजह से वह अपनी जिम्मेदारी के प्रति गम्भीर नहीं हैं इसलिए सरकार को

(श्री हनुमान बेनीवाल)

स्क्रीनिंग के माध्यम से सहायक व्यवस्थापकों को नियमित करते हुए वेतनमान बढ़ाने चाहिए।

लम्बे समय से सहकारी सुपर मार्केट खोलने की बात चल रही है। सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि सरकार विशेष कार्य योजना बनाकर प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सहकारी सुपर मार्केट शुरू करने की दिशा में कार्य करे जिससे आम जनता को कम कीमत पर सस्ती व गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का लाभ मिल सके।

सहकारी बैंको द्वारा दिये जा रहे गैर कृषि लोन में लोन की इकाइयों के भौतिक सत्यापन को लेकर सरकार गम्भीर नहीं है और इसका खामियाजा वसूली के वक्त भुगतना पड़ता है क्योंकि अधिकतर लोन इकाइयां मौके पर स्थापित ही नहीं करते और लोन के पैसे दूसरे उपयोग में ले लेते हैं जिसकी वजह से सहकारी बैंकों के एनपीए में बढ़ोतरी बहुत बड़ी चिंता का विषय है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से फिर मंत्रीजी का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बहुत ऐसे सहकारी ऋण हैं जो लाखों की तादाद के अन्दर, किसी के पांच लाख का ब्याज बढता-बढ़ता, एक लाख का ब्याज हो गया 20 लाख, 25 लाख और 30 लाख रुपये, इस तरह हो गया। आप राजस्थान के अन्दर एक एमनेस्टी योजना चलायें और मूलधन पर आप राजस्थान के अन्दर ब्याज के ऊपर पूर्णत: छूट दें। पैनल्टी ब्याज के ऊपर पूर्णत: छूट दें और मूलधन पर किसानों का सैटलमेंट करें तथा जहां लगातार अकाल पड़ रहा है, अतिवृष्टि-ओलावृष्टि हो रही है, बहुत बड़ी उम्मीद है आपसे राजस्थान के किसान को। दिल्ली में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है तो आप मंत्रीजी, ये पहल करें और आप किसान के बेटे हैं। आप सब जानते हैं। राजनैतिक परिवार से हो तो आपको मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। आप समझदार हैं। आप कुछ ऐसा किसान के लिए करके जायें जिससे राजस्थान का किसान आने वाले समय में यह छाती चौड़ी करके कह सके कि हमारे किसान का बेटा सहकारिता मंत्री बना था और बहुत कुछ हमारी इस सरकार के अन्दर भी करके गया है। वैसे इस सरकार से किसानों को कोई उम्मीद नहीं है। आप जैसे दो-चार मंत्री हैं जिनको देखकर लगता है कि हमारे किसान के प्रतिनिधि यहां बैठे हैं और आप लोग ही अगर किसानों के विरोध में इस तरह बिल लेकर आओगे तो राजस्थान के किसान का इस सरकार से आखिरी भरोसा टूटेगा...

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ...इसलिए मैं आपको फिर निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून को लाने से पहले इसको तीन महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये। नहीं तो राजस्थान का किसान 2018 के चुनाव में आपसे पूरा हिसाब लेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री घनश्याम।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, सहकारी विधेयक सहकारिता आंदोलन की मूल आत्मा एवं दर्शन है। सहकारी संस्थाओं को अपने सदस्यों के आर्थिक उत्थान के लिए स्वायत्ता प्रदान करते हुए प्रजातांत्रिक जन आंदोलन बनाने का हनन करते हुए सहकारी सदस्यों के आंदोलन को सरकारीकरण करते हुए इसमें रजिस्ट्रार के रूप में अफसरशाही को अधिक से अधिक अधिकार देकर, रजिस्ट्रार को सहकारी सदस्य और संस्थाओं व कर्मियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। सहकारी संस्थाओं में इनका निर्वाचन संचालक मण्डल ही सर्वोच्च नीति निर्धारक व अधिकार प्राप्त होता है जिसकी शक्तियां इस विधेयक के द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदान की जा रही हैं, जो प्रजातांत्रिक सहकारी सिद्धान्तों व व्यवस्था के खिलाफ है।

माननीय सभापति महोदय, जब पहले से ही सहकारी अधिनियम मौजूद है तथा सहकारी क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं की स्वायतता, कुशलता और प्रशासनिक सुधार के लिए माननीय पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी की सरकार में प्रोफेसर वैद्यनाथन पैकेज जारी किया गया था जिसमें राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी के नेतृत्व में देश में सबसे पहले राज्य में सहकार नाबार्ड, अपैक्स बैंक स्तर पर लिखित एमओयू किया गया था तथा सहकारी अधिनियम के सुधार लागू किये जाने, सरकारी व सहकारी विभाग द्वारा अब खत्म करने की साजिश के तहत विधेयक लाया गया है। जो एमओयू का उल्लंघन है। जो नाबार्ड की सहमति व राय के बिना ही लिया जा रहा है। प्रदेश में सरकार द्वारा पहले ही वैद्यनाथन कमेटी की अवहेलना, सहकारी संस्थाओं के चुनाव नहीं करवाकर सब जगह प्रशासक लगा दिये गये हैं। कुछ जगह न्यायालय के आदेश से चुनाव कराये गये हैं।

(श्री घनश्याम)

माननीय सभापति महोदय, बिन्दु संख्या-8 की उपधारा-2 में सदस्यों के चुनाव लड़ने के प्रजातांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इसमें सदस्य को लगातार दो बार निर्वाचित होने तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। जबकि कोई भी व्यक्ति एमएलए और एमपी हो सकता है, चुनाव नहीं लड़ सकता।

बिन्दु संख्या-8 की उपधारा-3 में किसी भी सहकारी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सांसद, विधायक, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, नगर पंचायत के पद लेने की रोक लगाई गई है।

मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको भी चित्तौड़गढ़ यूआईटी का चेयरमैन तो बनाया जा सकता है पर कोई एमएलए-एमपी सोसाइटी का चुनाव नहीं लड़ सकता। या तो सरकार आपके साथ अच्छा नहीं कर रही है या और जनता के साथ अच्छा नहीं कर रही है...

श्री सभापति: आप अपनी बात समाप्त करो। आप चिंता मत करो सरकार की।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, जो विधेयक में बिन्दु संख्या-8 की उपधारा-4 का प्रावधान अधिकारियों द्वारा राजनैतिक आधार का दुरुपयोग किया जायेगा। उससे किसी भी सदस्य को सूचना नहीं देने का, उपलब्ध नहीं कराने की व्यवस्था या लेखा परीक्षण का बहाना बनाकर छह वर्ष के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। इस पर विचार की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, बिन्दु संख्या-9 की धारा-29(क) व 29(ख) व 30(ख) के द्वारा सहकारी संस्थाओं को वैद्यनाथन कमेटी की रिपोर्ट के तहत प्राप्त स्वायत्तता को समाप्त कर सारे अधिकार रजिस्ट्रार को दिये जा रहे हैं जिसमें संचालक मण्डल का कोई अधिकार नहीं रहेगा। माननीय सभापति महोदय, सहकारी सोसाइटियों में सहकारी बैंकिंग व्यवस्था पर रिजर्व बैंक का बैंकिंग लाइसेंस व वित्तीय अनुशासन लागू है। कम्प्यूटरीकरण, मशीनीकरण, कौर बैंकिंग, प्रबंधन एवं कर्मचारियों के योग्य व उच्च गुणवत्तापूर्ण भर्ती की भी जरूरत है।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): माननीय सभापति जी, पूरी किताब ले रखी है, टेबल करा दें वरना ये 295 की तरह पढ़ रहे हैं।

श्री सभापति: घनश्याम जी, समाप्त करें आप।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): हीरालाल जी तो बंद हो गये, आप काहे को बीच में ही बोल रहे हैं।

श्री सभापति: आप लिखकर के लाये हो तो टेबल कर दो।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, कर्मचारियों की सेवा व शर्तो के सरलीकरण के लिए सहकारी बैंकों का उपयोग नहीं हो रहा है। सहकारी भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष व सदस्य कौन होगा, इसकी क्या योग्यता का अनुभव होगा? सदस्यों में विभिन्न क्षेत्रों के वित्त व कृषि बैंकिंग सहकारी कृषि क्षेत्र के पांच सदस्य होने चाहिए। जिसमें रिजर्व बैंक, नाबार्ड, अपैक्स बैंक का सदस्य होना भी जरूरी है। माननीय सभापति महोदय धारा-30 (ख) की स्वायतता को रजिस्ट्रार की शर्तों, निबंधनों के अधीन गिरवी रखते हुए दिया जा रहा है जो खानापूर्ति है इसमें रजिस्ट्रार की शर्त का प्रतिबंध हटाया जाए। बिन्दु संख्या-14 के 36 में चुनाव खर्च के नाम पर सहकारी अधिकारी अनापशनाप खर्च सोसाइटियों के नाम मांड कर किसानों की सोसाइटियों को आर्थिक दृष्टि से कमजोर करते हैं जो सोसाइटी घाटे में हैं उन सोसाइटियों को भी कमजोर करने का काम ये निर्वाचन के अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। चुनाव खर्च की कोई सीमा तो तय होनी चाहिए। जब चुनाव सर्व सम्मति से हो रहा है तो उसमें किस बात का सोसाइटियों पर खर्च लादा जा रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, कहीं-कहीं चुनावों में निर्विरोध चुनाव हो जाते हैं तो वहां सहकारी समितियों के कर्मचारी उन पर खर्चा लाद देते हैं तो इसमें थोड़ा बदलाव होना चहिए। दो पेज और हैं साहब।

श्री सभापति: आप खुद स्वीकार कर रहे हो कि यहां देखकर के बोल रहे हो। टेबल करा देता हूं मैं, आ जाएगा रिकार्ड पर। अब आप फटाफट बोलो, दो मिनट में बात समाप्त करें।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, विधेयक सोसाइटी की तरफ से सरकार देय हिस्सेदारी के सम्बन्ध में ...(व्यवधान) जैसे किसानों की हिस्सेदारी होती है सोसाइटियों में तो उसमें सरकार की भी हिस्सेदारी होती है। सरकार तो अपनी हिस्सेदारी देती नहीं है किसानों से हिस्सा राशि में पैसा ले लिया जाता है और जब सरकार का पैसा आप हिस्सेदारी दे नहीं रहे तो आपकी थानेदारी किसी बात की? जब रजिस्ट्रार को पूरे पावर दिए जा रहे हैं जबकि ये पावर किसानों के पास रहने चाहिए। बहुत

(श्री घनश्याम)

सारी संस्थाएं ऐसी हैं जिनमें सरकार का कोई भी हिस्सेदारी एक रुपए की नहीं है और बिना हिस्सेदारी के ही सारा पावर रजिस्ट्रार को सौंपा जा रहा है, जनहित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है। दूसरी, बात मैं सभापति महोदय कहना चाहता हूं कि जब सहकारी बैंकों में आए दिन घोटाले होते हैं और उन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। अभी मेरा मंत्री महोदय से भी निवेदन है कि आपने कई सोसाइटियों का गठन किया है तो जो मर्जी आए जिस सोसाइटी के संचालक मण्डल को आपने खतम कर दिया, प्रशासक नियुक्त कर दिए और जहां सरकार नहीं चाहती है वहां वहीं लोग बैठे हुए हैं तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। न्यायालय द्वारा चुनाव कराए जाते हैं जबकि एक नियम होना चाहिए कि इतने दिन में चुनाव होना चाहिए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक सोसाइटी का अभी गठन हुआ और उस सोसाइटी के संचालक मण्डल को भंग करके प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। जबकि दो सोसाइटियां और हैं या तो तीनों को एक साथ भंग करना चाहिए संचालक मण्डल को और एक को ही कैसे किया गया? तो यह एक द्वेषतापूर्ण कार्यवाही है इसमें इस तरह मंत्री महोदय नहीं करना चाहिए। सहकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार की एक बानगी आपके समक्ष रखना चाहता हूं सीसीबी द्वारा अपने स्तर पर इंश्योरेंस....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त करें आप। एक मिनट में ही समाप्त करें।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): हां, हां, एक मिनट में। इंश्योरेंस में प्राइवेट कंपनियों के द्वारा इंश्योरेंस कराया जा रहा है और वह उनकी मोनोपोली हो गई है। एक दो कंपनियों को जिनको ठेका दे रखा है वहीं कंपनियां कर रही हैं। ठेका दिया जाता है और एक ही बीमा कंपनी विडियोकॉन लिबर्टी को दिया है। पाली में 600 रुपए प्लस टैक्स और इसी कंपनी को गंगानगर में 420 रुपया प्लस टैक्स के इंश्योरेंस का ठेका दे दिया गया है।

श्री बंशीधर (खण्डेला): माननीय सभापति महोदय, इंश्योरेंस की इस बिल में बात है नहीं। बिल में इंश्योरेंस की कोई बात है नहीं, बिल पर बुलाओ ना आप।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें आप। समाप्त करो अब आप।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): जांच की मांग पर भी मंत्रीजी मूकदर्शक बने

(श्री घनश्याम)

बैठे हुए हैं, कार्यवाही नहीं करा रहे हैं, अधिकारियों और कंपनियों के द्वारा किसानों की लूट हो रही है, मैं इसलिए आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि इस विधेयक को रोका जाए। यह काला कानून है, यह किसान विरोधी है, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: धन्यवाद, विराजो अब आप। श्री विद्याशंकर नंदवाना।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2016 पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं कहना चाहूंगा कि धारा-3 में सहकारी आंदोलन की अभिवृद्धि, सरकार की नीति होगी कि राज्य में सहकारी आंदोलन को प्रोत्साहित किया जाए और इस दिशा में ऐसे कदम उठाये जाएं जो आवश्यक और वांछनीय हैं। मैं माननीय सभापति महोदय से मांग करता हूं कि इस अधिनियम में उक्त प्रावधान होने के बाद भी सहकारी विभाग, निगम यदि किसी कार्य की निविदा जारी करते हैं और यदि श्रमिक ठेका सहकारी समितियां या महिला सहकारी समितियां कार्य ठेका लेने के लिए आवेदन करती हैं तो सरकारी विभाग सहभागी समितियों को प्राथमिकता नहीं देते। प्राइवेट ठेकेदारों को काम्पीटिशन करवा लेते हैं जबकि रजिस्ट्रार सहकारी विभाग के पास इसका नियंत्रण होता है। यह बोर्ड भंग कर प्रशासक लगा सकता है, सालाना आडिट करा सकता है। मेरी इस विषय में यह भी मांग है, ऐसा नहीं है कि सहकारी समितियां अच्छा काम नहीं कर रही हैं। सहकारी समिति के निमित्त आज कोटा मार्केटिंग सोसाइटी एक गैस एजेंसी का संचालन कर रही है। अंता मार्केटिंग सोसाइटी एक पैट्रोल पम्प का संचालन कर रही है तो इस प्रकार सहकारी संस्थाओं को और मजबूत बनाने की दिशा में यदि धारा-3 में प्रावधान किया जाता और सहकारी समितियों को और सशक्त बनाने का प्रयास किया जाता तो और भी अच्छा होता। नए अधिनियम में संशोधन में जो पेश किया गया है धारा 28 में निर्वाचित पदाधिकारियों को चुनाव प्राधिकरण को चुनाव कराने की सूचना देने, जांच अधिकारी को फाइलें नहीं देने तथा ऑडिट नहीं करवाने का आरोप लगाकर छह साल के लिए अयोग्य करार देकर निर्वाचित पदाधिकारियों को चुनाव लड़ने से रोकना, रजिस्ट्रार इस सम्बन्ध में नोटिस देकर दबाव में आकर पद का दुरुपयोग करेंगे और वैसे भी ये समितियों का काम सारा मैनेजर करते हैं और रिकार्ड वही रखता है और उसे इसके लिए वेतन मिलता है। समिति के पदाधिकारियों को न तो कोई

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

वेतन मिलता है, न कोई भत्ता मिलता है। धारा 55 में धारा 55 (क) को जोड़कर रजिस्ट्रार को उसके प्रतिनिधियों को जो इंस्पैक्टर होते हैं, निरसन करने की शक्ति देने से इंस्पैक्टर राज को वापस लाना है। क्योंकि जिस समिति में राजनीतिक दबाव में आकर खतम करना है उसको निरीक्षण के नाम पर केस दर्ज करवाकर परेशान किया जा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, धारा 125 में समिति यदि कोई प्रस्ताव पारित करती है तो उसे अपखंडित करने का सहकारी ट्रिब्यूनल को है जिसमें तीन सदस्य होते हैं। अध्यक्ष, उच्च न्यायिक सेवा का अधिकारी भी होता है और सुनवाई करने में निष्पक्ष निर्णय देता है। लेकिन इस विधेयक में प्रस्ताव को अपखंडित करने की शक्ति पूर्व कानून 1965 के अनुसार फिर रजिस्ट्रार को देना सहकारी समितियों के हित में नहीं है। क्योंकि कोई सहकारी समिति यदि पदाधिकारियों के रिक्त पद को किसी सदस्य से भरती हैं और किसी राजनेता को यह चीज पसंद नहीं आती है तो वह रजिस्ट्रार के माध्यम से उसमें संशोधन करा सकता है। इसी प्रकार धारा 27 में विद्यमान अभिव्यक्ति के द्वारा धारा 21 के स्थान 16 प्रति-स्थापित की जावेगी। इस धारा में किसी भी सहकारी समिति के 16 में से 12 सदस्य साधारण सभा द्वारा किए जाएंगे यानी कार्यकारिणी में 12 निर्वाचित सदस्य होंगे। मेरी इस पर यह आपत्ति है और मांग है कि अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रावधान है कि कम से कम 15 व्यक्ति ही एक सहकारी समिति का पंजीयन करा सकते हैं। कुल 15 सदस्य में से 12 निर्वाचित होना कार्यकारिणी का आवश्यक है। यदि यहां 12 सदस्य होंगे तो डायरेक्टर होंगे तो उनको करने का तात्पर्य 80 प्रतिशत पदाधिकारी डायरेक्टर हो गए जो कि न्यायोचित नहीं है। कार्यकारिणी की बैठक प्रत्येक तीन माह में अनिवार्य है जिसके कार्यों की पुष्टि आम सभा में होती है और जो साल में एक बार होती है.....

(20.50 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जिसका कोरम 2/3 यानी दस सदस्यों का होता है। अगर कार्यकारिणी के बारह सदस्यों में दस सदस्य ही उपस्थित होकर आम सभा बन जाएगी अर्थात् कार्यकारिणी के सदस्य की आम सभा के रूप में बनकर अपने कार्यों की पुष्टि कर लेगी तो यह अनुचित होगा और समिति की धारा-5 में संशोधन

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

कर कम से कम पच्चीस सदस्यों को सहकारी समिति में पंजीयन होना यह प्रमाणित करेगा। धारा-28 में संशोधन कर पृष्ठ संख्या-7 में 11 नया जोड़ा गया है। पैरा-1 में समिति का कोई सदस्य राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण को चुनाव करवाने की सूचना भेजने में पैरा-2 में जांच हेतु रिकार्ड उपलब्ध कराने में और पैरा नं. 3 में लेखा परीक्षक यानी आडिटर को रिकार्ड लेखे उपलब्ध कराने में असफल रहता है तो एक्ट में 6 साल की अवधि के लिए चुनाव लड़ने से रोकना प्रस्तावित किया गया है। इस पर भी मेरा निवेदन है कि किसी भी सहकारी समिति में रोकड़ लेखे, बाउचर खाते, कार्यवाही रजिस्टर मैनेजर, सैकेट्री के पास होते हैं तथा वो ही जांच आडिट करवाता है। यदि मेनेजर रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाता है और जांच नहीं करवाता है, आडिट नहीं करवाता है तो बेचारा अध्यक्ष क्या करे, उपाध्यक्ष क्या करे, सम्बन्धित डाइरेक्टर क्या करेंगे। इसका दण्ड क्यों? उसे 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से क्यों रोक रहे हैं? यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि पाप कौन करे और भुगते कौन। समस्त वितीय और आंतरिक प्रशासनिक मामलों में पृष्ठ नंबर-10 पर 30(ख) में सहकारी साख सोसाइटी की कार्मिक नीति, कर्मचारीवृंद, नियोजन, पदस्थापन की स्वायतता उचित है, लेकिन (ग) में अपनी कारोबारी आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्षेत्र में वृद्धि की स्वायत्तता दिया जाना उचित नहीं है, क्योंकि इस तरीके की जिले में कार्यरत अन्य सहकारी साख समितियों के कारण कारोबार में विपरीत असर पड़ेगा। अन्य साख समितियां निष्क्रिय हो जाएंगी और व्यवसाय प्रभावित होगा। प्रत्येक पंजीकृत सहकारी समिति अपने कार्यक्षेत्र में कार्य करे, इसके लिए उसे स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। धारा-55 में धारा-55 (क) के रूप में जोड़ा गया है पृष्ठ नंबर-15 पर राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 में सहकारी समिति के निरीक्षण करने का अधिकार रजिस्ट्रार, सहकारी निरीक्षक को वापस दिया गया है यानी प्रावधान नहीं रखा था, क्योंकि पूर्व में अधिनियम, 1965 में रजिस्ट्रार व निरीक्षक राजनीतिक द्वेषता से या दबाव में आकर निरीक्षण करके सहकारी समितियों के पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करते थे। 6 वर्ष के लिए चुनाव के लिए रोकते थे। इंस्पैक्टर राज समाप्त करने की वजह से ही वर्तमान अधिनियम, 2001 में इस धारा का प्रावधान हटाया गया था। पुन: धारा-55 (क) के नाम से ठीक नहीं है, इसे वापस जोड़ कर रजिस्ट्रार, सहकारी इंस्पैक्टर को ताकतवर बनाया जाए, राजनीतिक दबाव में सहकारी समितियों को तहस-नहस कर दिया

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

जाए, जब धारा-55 में राजनीतिक में रजिस्ट्रार को जांच का अधिकार स्वप्रेरणा से ही है तो फिर 55क में जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सहकारी समितियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हमेशा सरकार से डरते रहेंगे तथा विकास के बारे में सोचना बंद कर देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा जनमत जानने के लिए जो प्रस्ताव किया गया था उसे मैं पुन: वापस लेने की इच्छा जाहिर करता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय मंत्रीजी द्वारा इस विधेयक के माध्यम से लाये गये हैं, कुल मिलाकर ये संशोधन सहकारिता को, अलग-अलग संशोधनों के द्वारा सहकारिता आंदोलन आगे जाएगा। मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान जो विषय वस्तु संशोधन की है उसके अलावा आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूं कि आपको सहकारी समितियों और सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए हमारी कितनी प्रतिशत सहकारी समितियां डिवीडेंड देती हैं, इस बात को आपको देखना चाहिए और जब तक हमारी सहकारी समितियां अपने शेयर होल्डर्स को डिवीडेंड नहीं देतीं तब तक न तो वो कारपोरेट वर्ल्ड के मुकाबले खड़ी हो सकती हैं और न वो सहकारिता का जो सही उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सकती हैं। मेरे ध्यान में ऐसी सोसाइटियां हैं जो 30 साल तक जिन्होंने आज तक डिवीडेंड दिया ही नहीं और वो सोसाइटियां प्रोफिट में हैं। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो सोसाइटी प्रोफिट में है उसके लिए कानून में यह आवश्यक करिये कि वो डिवीडेंड दे और डिवीडेंड देने से जब उनको डिवीडेंड मिलेगा चाहे 6 परसेंट मिले, चाहे 7 परसेंट मिले तो निश्चित रूप से जो आदमी दो सौ, पांच सौ रुपये उसमें इन्वैस्ट कर रहा है वो उसमें हजार रुपये भी इन्वैस्ट करेगा। जब आप उसको कोई प्रेरणा ही नहीं देते हैं डिवीडेंड के माध्यम से तब तक वो हमारा कोआपरेटिव मूवमेंट, हमारे कारपोरेट वर्ल्ड के मुकाबले किसी भी प्रकार से खड़ा होने की स्थिति में नहीं है। मैंने आपका ध्यान सूत्र रूप में इस बात की तरफ आकर्षित किया है कि कोआपरेटिव आंदोलन तभी सफल होगा जबकि हमारी सहकारी समितियां अपने शेयर होल्डर्स को डिवीडेंड देना शुरू करेंगी और आप इसको किसी न किसी प्रकार से

(श्री मानिक चन्द सुराना)

कानून में आवश्यक करिये कि डिवीडेंड बंटे और डिवीडेंड बंटने से हमारी जो पूंजी है उसमें निश्चित रूप से बढ़ोतरी हो। मुझे ध्यान है कि एक बिल और पैंडिंग है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जो प्रस्ताव मैंने प्रवर समिति का दिया है उसको विदड्रा करने की परमीशन चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016 पर अभी माननीय सदस्यों ने चर्चा की और चर्चा के साथ-साथ अपने अच्छे विचार भी प्रकट किये। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहूंगा, मुझे एक बार तो लग रहा था कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य जो चर्चा कर रहे हैं शायद वो सहकारिता की मांग पर ज्यादा चर्चा उन्होंने की और प्रतिपक्ष के और खींवसर के विधायक का मैं अभी जवाब देना चाहूंगा हालांकि वो इस संशोधन से नहीं था इनका। उन्होंने एक बात कही कि किसानों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। मैं उसके लिए तीन-चार लाइनें बताना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से देश की आजादी के बाद में जितना पहली बार किसानों के लिए जिस सरकार ने किया है तो वो है माननीय वसुन्धरा राजे जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार। (व्यवधान) कल जाकर आप जरूर यह बात बताना।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जय जवान का, जय किसान का नारा अभी खींवसर के विधायक लगाकर गये थे। आज देश की आजादी के बाद अगर किसान कोई ट्रैक्टर खरीदने गया, अगर किसान ने कभी कृषि गतिविधियों के लिए ऋण लेने के लिए गया तो उससे सहकारी बैंकों ने, हमारी भूमि विकास बैंकों ने 13 या 14 प्रतिशत ब्याज लिया, लेकिन हमने आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने गत बजट में पांच प्रतिशत अनुदान दिया और इस बजट में भी उन्होंने अनुदान दिया और हम साढ़े सात प्रतिशत पर आज ये ले रहे हैं। इसके अलावा आते ही हमने वन टाइम सैटलमेंट का भी हमने दो साल उनको मौका दिया है कि अगर किसी भी तरह का इस तरह का वो लाभ लेना चाहता है तो वो ले सकता है। इसके अलावा केन्द्रीय सहकारी बैंकों की जो ब्रांचेज अभी ऋण दे रही हैं हमारे किसानों को मध्यकालीन ऋण वो भी पिछले वर्ष भी हमने 12.5 से ज्यादा ले रहे थे उसको

(श्री अजय सिंह)

हमने 11.5 प्रतिशत किया और इस बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुदान दिया और हमने इस बार फिर दो प्रतिशत ब्याज दर किसानों के लिए कम की। तो मेरा आपसे कहना है कि किसानों के हित में जो कदम हमने लिये हैं, शायद कभी भी नहीं लिये हैं। हमने किसानों की सामाजिक सुरक्षा का भी बहुत ध्यान रखा। जब आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी तो किसान की अगर किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को केवल पचास हजार रुपये तक का लाभ देय था। हमने आते ही इसको तीन लाख किया और तीन लाख के बाद में अब पांच लाख कर दिया है और उसमें भी हमारे बैंक्स भी कुछ राशि उसमें जमा करा रहे हैं, उनकी भी भागीदारी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विगत वर्षों में राज्य में सहकारिता आंदोलन ने तेजी पकड़ी है और आज हमारे प्रदेश में तैंतीस हजार से ज्यादा सहकारी समितियां हैं। एक करोड़ से अधिक लोग इनसे सीधे जुड़े हुए हैं और हमारा सरकार में आने के बाद लगातार यह प्रयास रहा है कि जो भी सहकारी समितियां हैं वो अच्छा व्यापार करें, उनकी गतिविधियों में वृद्धि हो। और हम यह चाहते हैं कि हमारी समितियां अपने जो भी उनके सदस्य हैं, उनकी अपेक्षाओं पर भी वो खरा उतरें, अच्छा कार्य करें। इसी को ध्यान में रखकर के हमने कुछ कतिपय अच्छे सुधारात्मक प्रावधानों को इस बार बजट में जोड़ा है।

(21.00 बजे)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में, सरकार की यह प्राथमिकता है कि हर क्षेत्र में हमें शिक्षित नेतृत्व मिले और हम भी यह चाहते हैं कि सहकारिता में शिक्षित नेतृत्व हमें मिले। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी केन्द्रीय सहकारी बैंक है उनकी ब्रांचेज हैं। पिछली सरकार तक जब हम आये थे तो मैन्युअल कार्य हो रहा था, हम उसको सीबीएस के प्लेटफार्म पर लेकर आ गये, पूरा कम्प्यूटराइज्ड हो गया। आज जब हमारी समिति को बिजनस कोरसपोंडेंट बनाने की बात कर रहे हैं और हमने 3 हजार से ज्यादा समितियों को बिजनस कोरसपोंडेंट बना भी दिया, ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि शिक्षित नेतृत्व आये ताकि वह अच्छी तरीके से उसे समझ सके, अच्छे तरीके से अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करे। इसके सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था कि एक्ट में यह शिक्षा का प्रावधान नहीं

(श्री अजय सिंह)

किया कि कितना पढ़ा होना चाहिये, उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश में 33 हजार से भी अधिक समितियां है। एक तरफ जहां हमारी एपेक्स बैंक है, हमारी केन्द्रीय सहकारी बैंक है तो दूसरी महिलाओं की छोटी-छोटी समितियां भी हैं। हमारे बुनकर संघ भी हैं, हमारे प्राथमिक बुनकर संघ हैं, गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं, प्राथमिक डेयरी है, राजफैड है, कानफैड है, इसके लिये यह बहुत मुश्किल था कि एकदम आप हरेक के लिये क्या-क्या एजुकेशन की क्वालिफिकेशन करो। इसके लिये हो सकता है कि हमें 7-8 स्लैब बनानी पड़े। हम जल्दी ही इसके नियम बनाकर और पूरा व्यापक स्तर पर, पूरी तर्क सम्मत चर्चा करके इसके नियम बनायेंगे ताकि आगे भी उसकी पालना हो सके।

इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि पंचायती राज का भी यहां बताया गया कि पंचायत राज में यह क्वालिफिकेशन सुनिश्चित कर दी गई। मैं बताना चाहूंगा कि पंचायत राज में सिर्फ यह था कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, लेकिन हमारी स्थिति वेरिएशन ज्यादा है इसलिए इसको बाद में एक नियम के तहत किया जायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने यह महसूस किया है कि सहकारी सोसाइटियों में कर्मचारियों के चयन नहीं हो पा रहे हैं और न उसमें पारदर्शिता आ पा रही है। इसको ध्यान में रखकर हमने यह निर्णय लिया कि हम इसका चयन बोर्ड बनायेंगे। कर्मचारियों के चयन हेतु एक सहकारी कर्मचारी भर्ती बोर्ड का शीघ्र गठन किया जायेगा और निश्चित रूप से जब यह गठन हो जायेगा तो चयन प्रक्रिया में एकरूपता आयेगी, पारदर्शिता रहेगी और हमारे हजारों युवाओं को रोजगार भी इससे मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारी 33 हजार सहकारी समितियां हैं उनका अभी तक यह प्रावधान था कि उनका जो चुनाव है वह राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के द्वारा कराया जाता है। हम यह महसूस करते हैं कि इसका विकेन्द्रीकरण होना चाहिये। हर छोटी-छोटी समितियों का, मान लो कोई छोटी समिति है जैसे चर्म उत्पादक सहकारी समितियां, महिलाओं द्वारा पापड़ मंगोड़ी की, गोटा किनारी की, इस तरह की कई छोटी समितियां हैं, हम चाहते हैं कि वह समितियां अपनी आम सभा में अपना निर्वाचन स्वयं कर लें और

(श्री अजय सिंह)

जो कतिपय ऐसी बड़ी समितियां हैं उनका ही सिर्फ हमारे राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण चुनाव कराये।

मानननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यह आवश्यक हो गया है कि जो भी समिति है उसके लेखों की जानकारी उनके सदस्यों को हो लेकिन जब हम सरकार में आये तो हमने पाया कि इस तरह का प्रावधान था कि कोई भी समिति अगर वह आडिट कराना चाहती है तो वह अपनी आम सभा में यह निर्णय ले कि हम जो पैनल में है उस अमुक से आडिट करायेंगे लेकिन यदि वह नहीं कराती है या निर्णय नहीं लेती है तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि फिर क्या होगा। अब हम यह प्रावधान लेकर आये हैं चूंकि आम सभाओं में बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है इसलिए अब के हमने समिति को यह अधिकार दिया है कि उनका संचालक मंडल यह निश्चित कर दे कि जिससे भी आडिट कराना है, जो पैनल है उससे वह आडिट करा ले लेकिन साथ में हमने यह भी रखा है कि सरकार मूक दर्शक नहीं बनी रहेगी। यदि वह आडिट नहीं कराता है तो रजिस्ट्रार उसको निर्धारित करेगा कि आप फलां से आडिट करा लो, वह सुनिश्चित करेगा और अगर वह करा लेती है तो रजिस्ट्रार को कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। इसी तरह से हमने स्पेशल आडिट का प्रावधान भी रखा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में दो वर्षों में बार-बार प्रश्नों के माध्यम से चाहे वह प्रतिपक्ष के हो या सत्ता पक्ष के हो, बार-बार इस चीज को उठाया कि यह शिकायत है इनकी आडिट नहीं हो रही है, हमें रिकार्ड नहीं बताया जा रहा। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने यह किया है और निश्चित रूप से जब हम सरकार में आये थे तो गृह निर्माण सहकारी समितियों का किसी भी समिति ने आडिट नहीं करवा रखा था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी वर्तमान में हमने 60 से अधिक समितियों का आडिट करा लिया है। आज इस आडिट से यह तो हो ही गया है कि वह समितियां बैक डेट में काम नहीं कर सकतीं। अब जो समितियां रही हैं उनका मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी से जल्दी और जो हमने अभी सुधार किये हैं, जो हमने अभी संशोधन किये हैं निश्चित रूप से उनका आडिट जल्दी से जल्दी सबका होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रावधान भी पहले से चल रहा था कि कोई भी सहकारी समिति है उसमें अगर सरकार का मंत्री है, जिला प्रमुख है, पंचायत समिति का प्रधान है वह उसमें अध्यक्ष नहीं हो सकता। इसके साथ

(श्री अजय सिंह)

हमने अब और जोड़ा है कि सांसद, विधायक, जिला प्रमुख के साथ उप प्रमुख, सरपंच, उप सरपंच या स्थानीय निकाय का सदस्य, उपाध्यक्ष वह भी इसमें नहीं रह सकता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल सही है एक पद एक व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति जिला प्रमुख भी रहेगा और साथ साथ कोई समिति का अध्यक्ष भी है तो निश्चित रूप से वह दोनों पदों पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि हमारी समिति का जो भी संचालक मंडल हो वह समिति पर अपना पूरा ध्यान दे और पूरा लाभ अर्जित करे और लोगों को भी उसका फायदा दे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक हमने और सुधार किया है, संशोधन किया है कि कोई भी सदस्य लगातार दो बार से अधिक संस्था के संचालक मंडल में बना नहीं रहेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज के समय में यह बहुत आवश्यक है और अगर हम सहकारिता आंदोलन में आज नई ऊर्जा का संचार चाहते हैं तो निश्चित रूप से यह तभी होगा जब नये लोग आयेंगे, नई पीढ़ी आयेगी। अगर हम उस तरीके से भी इसको देखें पंचायत राज के माध्यम से तो आज कौनसा प्रधान है जो लगातार वापस बनकर आया। अगर एक बार वह वर्ग जनरल के लिये आरक्षित है तो निश्चित रूप से वह दूसरी बार एससी में आ गया, तीसरी बार ओबीसी में आ गया। जबकि हमने इसको समाप्त नहीं किया, हमने यह कहा है कि दो कार्यकाल के लिये, तीसरी बार वह फिर आ सकता है। इसमें हमें भी नये लोगों को मौका देना चाहिये और यह जो समितियां हैं और जो दूसरे हैं उनमें बहुत फर्क है। हरेक समिति का अलग-अलग उद्देश्य है, उस तरीके के लोग जब तक इसमें नहीं आयेंगे तब तक यह आगे नहीं बढ़ सकती। इसको ध्यान में रखते हुए नये लोग आये, नई पौध आये, नई पीढ़ी के आये, युवा आये, इसी बात को देखते हुए हमने यह संशोधन किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक सोसाइटी को अवसायन में लाने के लिये और अवसायन के बाद में उसका जो कार्य है उसको आगे बढ़ाने के लिये, किस तरह से परि सम्मपत्तियों का निपटारा हो, इसके सम्बन्ध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं थे। अब हम स्पष्ट प्रावधान कर रहे हैं ताकि धरातल पर किसी तरह की कोई समस्या न हो और लगातार अवसायन के लिये 10-10 साल, 15-15 साल से कई समितियों में अवसायन की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पा रही है। मान लो कोई समिति में कोई छोटी सी भी लेनदारी है तो उस

(श्री अजय सिंह)

कारण से भी उसका अवसायक है वह नहीं कर पाता लेकिन हम अब यह प्रावधान कर रहे हैं, उसके लिये स्पष्ट नियम बना रहे हैं कि जो उसको निश्चित सीमित समय दिया गया उसी में वह करे। इसी तरह से जब वह अपनी समिति को वाइंडअप करता है तो यह देखा गया कि उसकी कई सम्पत्तियां रहती हैं, उसकी भूमि हो सकती है, कोई उसका सामुदायिक भवन हो सकता है, हमने इसको ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है कि इन सामुदायिक भवनों को और भूमियों को अगर राज्य सरकार को भी दिया जा सकता है, राज्य सरकार उसको उपयोग समझे तो हम राज्य सरकार को भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर उसको उस क्षेत्र विशेष के नागरिक उस सम्पत्ति को, सार्वजनिक सामुदायिक भवन को अगर यूज कर रहे हैं तो हम यह भी व्यवस्था कर रहे हैं कि अलग से सहकारी समिति बनाकर जो हमारे नागरिक गण हैं, उपयोग करते आ रहे हैं, उनको भी उसका कब्जा दिया जा सकता है। उनको यह अधिकार दिया जा सकता है कि वह उसका उपभोग करते रहें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय-समय पर आवश्यकता महसूस की जाती रही है कि कतिपय वर्ग की सहकारी सोसाइटियों के लिये अलग कैडर का गठन किया जाये किन्तु वर्तमान में अधिनियम में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। भविष्य में अगर कैडर से सम्बन्धित किसी व्यवस्था पर निर्णायक रूप से विचार किया जाता है तो इसके लिये आवश्यक है कि अधिनियम में इस हेतु कोई प्रावधान किये जायें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम अभी यह प्रावधान कर रहे हैं और भविष्य में इसके बारे में कोई निर्णय लिया जायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने एक यह भी निर्णय लिया है कि अक्सर हम आडिट करते हैं या किसी समिति के निरीक्षण के लिए आदेश किया जाता है तो अक्सर यह देखा जाता है कि उस समिति के जो भी हैं, चाहे संचालक मण्डल हो, चाहे दूसरे कार्मिक हैं, वो इसका रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाते और बार-बार इस कारण से वो लम्बित रहता है। तो हमने अब यह प्रावधान किया है कि संचालक मण्डल है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सचिव है, उनका यह कर्तव्य है कि अगर इस तरह का कोई भी रिकार्ड उनसे उपलब्ध कराने के लिए कहा जाए, तो उसे उपलब्ध करायें वरना उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। उनको निर्योग्य भी घोषित किया जा सकता है।

(श्री अजय सिंह)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं कुछ और कतिपय धाराओं के अन्दर भी कुछ छोटे हमने संशोधन किये हैं। धारा 2, 10, 15, 20, 21, 27, 30, 31, 36, 40, 56, 105, 107, 109, 123 और 125 के अन्दर। धारा 125 के बारे में अभी सदस्यों ने यह कहा कि आपने रजिस्ट्रार को पूरे पावर दे दिये तो मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि रजिस्ट्रार को अपखंडन का जो अधिकार दिया गया है। उसकी अपील ट्रिब्यूनल के अन्दर की जा सकती है, अभी भी यह प्रावधान है। इसलिए किसी तरह से रजिस्ट्रार को तानाशाह नहीं बनाया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने के जो संशोधन सुश्री कीर्ति कुमारी, श्री जोगाराम पटेल, श्री प्रहलाद गुंजल, श्री रामहेत सिंह यादव, श्री फूलचन्द भिण्डा, श्री नंदकिशोर महरिया, श्री विद्याशंकर नन्दवाना ने प्रस्तुत किये हैं, उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने के संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रवर समिति को निर्देशित किये जाने के जो संशोधन श्री मानिक चंद सुराना ने प्रस्तुत किये हैं, उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्देशित किये जाने के संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

<u>खण्डश: विचार</u>

खण्ड 2 से 25 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 25 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 25 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि, स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री जी।

विधेयक का पारण

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री पूरण मल जी सैनी।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016 संख्या-8 जो लाया गया है, उसमें काफी बातें ऐसी हैं कि जो वास्तव में किसान के लिए तुलनीय नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारी समिति जब भी कभी शुरू की गयी है, वो वास्तव में किसान के हित के लिये है और समय-समय पर जो अमेंड्स लाये जा रहे हैं, वो भी किसानों की हितों की रक्षा के लिए। लाने भी चाहिए लेकिन अभी मंत्री महोदय ने जो बात बतायी है, उसमें मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा कि 2002 में जो संशोधन विधेयक लाया गया था, उसी को अमेंड करते

(श्री पूरणमल सैनी)

हुए 2013 में भी और फिर उसी पर दोबारा विचार करने के लिए 2016 में भी लाया जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में, इस संशोधन विधेयक में जो त्रुटियां हैं, वे मेरी तरफ से ये हैं कि इन्होंने सर्वप्रथम कहा है कि शिक्षित नेतृत्व मिले। माननीय मंत्री महोदय ने श्रीमुख से बताया है। उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षित नेतृत्व देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें अड़चन यह आयेगी कि किसान वो ही गा, इस सहकारिता में वो ही आ पायेगा, जिसके नाम रजिस्टर्ड खातेदारी होगी और रजिस्टर्ड खातेदार जो हैं, उनकी आयु कम-से-कम 60 से ऊपर 70-80-100 वर्ष तक होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वो किसान और वो ही किसान जिसके नाम से खेती होगी, कृषि जमीन होगी वो ही इसका मैम्बर बनेगा और जो मैम्बर बनेगा वो ही चुनाव फाइट कर पायेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो संशोधन विधेयक है, यह आगामी दस वर्ष बाद के लिए अगर कहीं प्रभावी हो तो आज का जो युवा पढ़ा-लिखा है वो उस दिन तक किसान बन जायेगा लेकिन आज की तारीख में वह किसान का बेटा है और किसान का बेटा होने के नाते सहकारिता का वह ऋणी मैम्बर नहीं बन सकता और ऋणी मैम्बर नहीं बन सकता तो किसानों के लिए यह कानून वर्तमान में वाजिब नहीं है। अच्छा होते हुए भी वाजिब इसलिए नहीं है कि किसानों की स्वीकृति इसमें नहीं हो पायेगी।

दूसरा, इसलिए मैं इसमें कहूंगा कि वर्तमान में यह संशोधन विधेयक जो है, वो किसान विरोधी है। इन्होंने कहा कि चयन बोर्ड का इस संशोधन विधेयक में लिया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो आदमी या जो संस्था किसी की नियुक्ति करने का पावर रखती है, वो संस्था उनके वेतन का भी भुगतान करे, जिनकी नियुक्ति कर रही है। लेकिन पिछले दिनों भी एक क्वेश्चन था और कल भी माननीय कृषि मंत्रीजी इस बात का जवाब दे रहे थे। आज सुबह भी कि जिन बोर्डों के द्वारा नियुक्ति की जाती है तो नियुक्तियों की पावर जब ये ले रहे हैं। पिछले दिनों मैंने इस सदन में रखा कि रजिस्ट्रार महोदय ने व्यवस्थापक और सहायक व्यवस्थापकों को नियमितीकरण का आदेश तो जारी कर दिया, लेकिन उस आदेश में यह प्रोविजन नहीं फरमाया कि उनकी तनख्वाह का इंतजाम कहां से होगा? सहकारिता में यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं भी सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने जो डेढ़

(श्री पूरणमल सैनी)

प्रतिशत का अंतर, जो चार प्रतिशत केन्द्र की सरकार और तीन प्रतिशत राज्य की सरकार जो किसान के ब्याज की राशि केन्द्रीय सहकारी बैंकों को पे कर रही है, इसमें डेढ़ प्रतिशत का अंतर जो इन्होंने किया है, यह बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डेढ़ प्रतिशत का अंतर कर देने के बाद नियमितीकरण का काम तो करेगी राज्य सरकार और उनके भुगतान का कोई प्रोविजन ही नहीं किया गया। तो ऐसे में यह नियम जो अपने हाथ में नियुक्ति का पावर तो ले रहे हैं, लेकिन उनको भुगतान का पावर नहीं है और न ही उन सहकारी समितियों में कोई प्रोविजन फरमाया गया है। यह साफ गलत है मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर नियुक्ति का पावर इस कानून के माध्यम से सरकार अपने हाथ में या उन बोर्डों को देने जा रही है तो उन बोर्डों को यह भी साथ-साथ निर्देशित किया जाना चाहिए कि उन सहकारिता में काम करने वाले कर्मचारियों का भुगतान कहां से किया जायेगा?

तीसरा, मैं कहना चाहूंगा कि इसमें माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि चयन बोर्ड के माध्यम से एकरूपता आयेगी। एकरूपता किस आधार पर लाना चाह रहे हो? अगर एकरूपता लाना चाह रहे हो तो फिर विभिन्न जगह क्यों दे रहे हो? जैसे हमारे राजस्थान में दूसरे विभागों की नियुक्तियां एक के ही द्वारा की जा रही है, वहां उनके लिए वित्तीय प्रबंधन भी किया जा रहा है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि निचले स्तर के बोर्डों को इनके चयन की ताकत नहीं देकर और अगर चाहे तो राजस्थान की सरकार इस पावर को ले। इसमें संशोधन कर ले, लेकिन उन बोर्डों के लिए, क्योंकि वहां वित्तीय प्रबंधन ही नहीं है तो फिर नियुक्ति का पावर उनको क्यों दें? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल उसी प्रकार किसान के खिलाफ जायेगा, जिस प्रकार किसान कृषि के क्षेत्र में खेती के विभिन्न आयामों को, विभिन्न खर्चों को खुद वहन करता है और वहन करने के बाद जो भी पैदा करता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज तक इस प्रदेश में नहीं, पूरे देश में और पूरे संसार में भी कह लें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कोई भी मैन्यूफैक्चरिंग किसी व्यक्ति विशेष या संस्था के द्वारा की जाती है तो उसके मूल्य का निर्धारण वह कम्पनी करती है जो उसका प्रोडक्शन तैयार करती है।

लेकिन किसान के प्रोडक्ट का मूल्य केन्द्र की सरकार के द्वारा तय किया जाता है जो किसान के बिलकुल खिलाफ है। उसी प्रकार यह कानून

(श्री पूरणमल सैनी)

निश्चित रूप से उस किसान के खिलाफ जाना है। आप किसान के हाथ की पावर छीन रहे हो। उसकी पैदावार का मूल्य जैसे निर्धारण वह कर रहा है तो उसकी तनख्वाह का निर्धारण भी वह बोर्ड करेगा इसलिए भी गलत है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नई पीढ़ी आएगी कहां से? क्योंकि इसके साथ-साथ अगर माननीय सहकारिता मंत्रीजी, इसमें यह प्रोवीजन करते कि किसान के बेटों की पावर, राजस्व के हाथ में है कि किसान के बेटे के भी इसमें ऋणी का प्रावधान करते कि रजिस्टर्ड किसान को ही जब प्रोवीजन किया हुआ है तो किसान का बेटा या नई पीढ़ी इसमें शिरकत कहां से करेगी। अंत में विरोध भी करूं तो भी बहुमत के हिसाब से पारित होना है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अच्छी बात है समय-समय पर कानून में संशोधन लाए जाते रहे हैं और आज जो लाया गया है यह भी किसान के हित में है लेकिन मेरे जो प्रस्ताव हैं इनको भी ध्यान में रखते हुए, इस बिल का पारण मेरे ना कहने पर भी होगा, तो मेरा भी इसमें समर्थन है कि पारण फरमाया जाए। आपने समय दिया, अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शंकर सिंह जी राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सबके लिए, सब एक के लिए, यह है कोआपरेटिव ...(व्यवधान) खाली एक-दो बिन्दु कहता हूं। माननीय मंत्री महोदय, आज भी महाराष्ट्र और गुजरात कोआपरेटिव वाले मामले में बहुत आगे हैं। आज भी महाराष्ट्र का महिला गृह उद्योग और लिज्जत पापड़, मेरा जहां तक ख्याल है शायद देश भर में सबसे बड़ी सोसाइटी है। हम उस तह पर कहीं न कहीं सोचकर राजस्थान में वह डवलप करें। एक सोसाइटी के व्यवस्थापकों का भ्रष्टाचार वाली शिकायतों में, उसमें कहीं न कहीं लगाम कैसे कसे। ऋणी है वह गांव का अनपढ़ है, उससे अंगूठा दिलाया, दो हजार रुपये दिए और नीचे लिख दिए उसने नौ हजार रुपये। जब वह कुर्की जाती है, पैसा भर देता है तब उसको मालूम होता है कि मैंने तो दो हजार ही लिए थे, ऐसा भी कहीं न कहीं है। हम कैसे व्यवस्थापक का भ्रष्टाचार कम कर पाएं, एक व्यवस्थापक के पास एक सोसाइटी हो । 5-5, 6-6 सोसाइटी, एक-एक व्यवस्थापक, वह घूमता रहता है, ऋणी या जो भी लाभ लेने वाला है वह उसके पीछे घूमता रहता है।

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी, रजिस्ट्रेशन तो आप करते हैं लेकिन रजिस्ट्रार रजिस्टर्ड करता है। उस क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से अगर कोई घपला हुआ है, बहुत बड़ा गबन हुआ है, उसकी प्रोपर्टी को सीज करने का आपको अधिकार नहीं है, यह कैसा नियम।

मेरे यहां सर्वोदय क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी, विधान सभा में पिछली बार उठाने के बाद उस पर कार्यवाही हुई। आज आठवीं पास और तीन-तीन करोड़ रुपये का घपला, उसका चेयरमैन आठवीं पास और तीन-तीन करोड़ रुपये का घपला हुआ। छोटे-छोटे अल्प बचत वाले आज दिन तक उनको, वह प्रोपर्टीज सैट करके बेचते जा रहे हैं। कहीं न कहीं आपके कलक्टर को ऐसा पावर मिल जाए कि उसकी प्रोपर्टी सीज कर लें और सीज करके जो भी बचत धारक है उनको हम पैसा लौटा सकें, ऐसी व्यवस्था कहीं न कहीं हमें कानून में करनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं पहली बार सोसाइटी के नियमों में कई ऐसे बदलाव किए हैं, शिक्षा, आडिट वाले मामले में जिससे काफी कुछ फर्क आएगा। फिर से इस बिल के समर्थन में और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बंशीधर जी।

श्री बंशीधर (खण्डेला): माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016 की थर्ड स्टेज पर आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। जो बात हो गई उस पर भी दोबारा बात नहीं करूंगा। मंत्री महोदय ने अभी बाद में फरमाया था लेकिन कहीं इस एक्ट में इसके बारे में कोई लेख नहीं है, उल्लेख नहीं है कि सोसाइटी के अपील होती है तो लास्ट स्टेज आपने रजिस्ट्रार को पावर दे दिया। ट्रिब्यूनल होना जरूरी है, नहीं तो यह लालफीताशाही सोसाइटी में बढ़ जाएगी। आपने अभी बोला कि ट्रिब्यूनल खतम नहीं किया चालू है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसमें लेकिन कहीं मेंशन नहीं है, तो इसका ध्यान रखा जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लगातार दो बार अध्यक्ष चुनने के बाद में तीसरी दफा गैप देकर फिर दोबारा चुना जाए यह लोकतंत्र के खिलाफ बात है। इसको कन्टीन्यू रखा जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। इसमें कोई आए ना आए

(श्री बंशीधर)

लेकिन इसमें अच्छा काम कर रहा है इसीलिए तो दोबारा चुना गया है। आडिट की बात कर रहे हैं, आपने आडिट के लिए बहुत अच्छा प्रावधान किया है। गृह निर्माण सहकारी समितियां जीएसएस सहकारी समितियां आडिट कराने का प्रावधान था लेकिन उसमें यह नहीं था कि आडिट नहीं कराने के बाद में क्या होगा। बिल में अच्छा प्रावधान कर दिया, आडिट ना कराने के बाद में रजिस्ट्रार बुक्स रखकर आडिट कराएगा, यह अच्छा संदेश जाएगा। मैं धारा 125 की बात करना चाहता हूं कि सोसाइटी के हितों के विरुद्ध यदि सोसाइटी कोई निर्णय लेती है तो रजिस्ट्रार को पावर है कि वह सुनवाई करके, समिति के अधिकारों की होती है, तो उसको खंडित कर सकता है। आपने मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि आपने शिक्षा के बारे में बताया है तो शिक्षा के बारे में आज मां-बाप के नाम जमीन है और बेटा उसमें लोनी नहीं बन सकता, मां-बाप तो अनपढ़ हैं तो बेटा उसके अन्दर कहां से आ गया, अध्यक्ष का या, बनेगा सदस्य, इसमें थोड़ा यह संशोधन करना चाहिए कि यदि उसका लड़का है तो उसके अन्दर उसको छूट दी जाए। आपने संशोधन विधेयक पेश किया है उसके समर्थन में मैं बोलता हूं। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी खेतड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात बताई, मैं उनको बताना चाहूंगा कि ऋणी अऋणी का इस संशोधन से कोई सम्बन्ध नहीं है। अलग से बायलोज बने हुए हैं, इससे इसका सम्बन्ध नहीं है। लूणकरणसर से आने वाले बहुत ही सम्माननीय विधायक महोदय ने बिलकुल सही बात कही है कि यह संशोधन सहकारिता आंदोलन को आगे ले जाने वाले हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमने जो भी यह संशोधन किए हैं, बहुत सोच विचार करके किए हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में सहकारिता का राजस्थान में सुनहरा भविष्य होगा। अभी यहां पर आपने गुजरात की बात कही, हमारी भी कई योजनाएं ऐसी है यहां पर जो गुजरात के अन्दर भी नहीं है। सामाजिक सुरक्षा का, हमने किसानों के बीमा का किया है 20 लाख से अधिक बीमा हमने उनका किया। आपने डिविडेंट की बात कही, यह बिलकुल सही बात है कि बहुत कम ऐसी

(श्री अजय सिंह)

समितियां हैं जो डिविडेंट दे पा रही हैं, लेकिन भविष्य में हम इसका कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि हमारी समिति सुदृढ़ हो, हमारी समिति विविध व्यापार करे, आर्थिक रूप से सक्षम हो, तभी यह चीजें हो पाएंगी। हम पूरा इसका प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से आडिट वगैरह जो भी करवा रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): जो सहकारी समिति प्रोफिट में है, कम्फर्टेबल है उनके लिए आप यह आज्ञात्मक प्रावधान करिए कि उसको डिविडेंट बांटना ही होगा। डिविडेंट बटने से अपनी पूंजी में वृद्धि होगी और जो सहकारिता की भावना है उसमें हर साल इन्टरेस्ट मिलने से उसकी रुचि भी बढ़ेगी इसलिए आप इसको देखें कि यह आज्ञात्मक प्रावधान बनाया जा सकता है, कि नहीं बनाया जा सकता।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बात की वह बिलकुल देखूंगा। इसके पहले से ही हम इस पर विचार कर रहे थे, सकारात्मक कदम हम इस पर उठाएंगे ताकि जो किसान सदस्य बने हैं उनकी रुचि बनी रहनी चाहिए और उनको इसमें लाभ भी मिलना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि प्रस्तावित संशोधनों से न केवल सहकारी सोसाइटी के आम सदस्यों को लाभ होगा अपितु सहकारिता क्षेत्र में नये नेतृत्व का विकास होगा तथा सहकारी सोसाइटी को शिक्षा का लाभ भी प्राप्त हो सकेगा, सहकारिता क्षेत्र में नये आयाम जुड़ सकेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया गया।

राजस्थान नगरीय भूमि (हक प्रमाणन) विधेयक, 2016 श्री राजपाल सिंह।

विधेयक पर विचार

राजस्थान नगरीय भूमि (हक प्रमाणन) विधेयक, 2016

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरीय भूमि (हक प्रमाणन) विधेयक, 2016 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: सुश्री कीर्ति कुमारी।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरीय भूमि (हक प्रमाणन) विधेयक, 2016 जनमत जानने के लिए परिचालित किया, इसको वापस लेने का मैं आपसे आदेश चाहती हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): पांच मिनट में, जनभावना का आदर किया जायेगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। यह सदन बिल पारित करने के लिये ही है इसलिये बिल पर ही नहीं बोलने दे रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्रीजी बार-बार इशारा कर रहे हैं, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बिल पारित करने के लिये ही तो यह सदन है, इस पर चर्चा होनी चाहिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): संसदीय कार्य मंत्रीजी ने कोई इशारा नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि मुद्दे की बात बताओ, नपे-तुले शब्दों में बताओ और पूरी बताओ। यह कहा है उन्होंने।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान अरबन लैण्ड के सम्बन्ध में यह जो बिल आया है, सर्टिफिकेशन आफ टाइटल बिल, यह नया एक्ट है। मेरा निवेदन भी रहेगा। भले ही पांच मिनट का ही समय लगे, लेकिन माननीय सदस्यों से भी निवेदन रहेगा कि यह वाकई समझने की चीज है।

केन्द्र सरकार ने, अभी 2011 में कैबिनेट ने एक बिल पास किया, और कैबिनेट ने बिल पास करके ये उसमें प्रोविजन किये कि हिन्दुस्तान के जितने भी प्रदेश हैं, जिन प्रदेशों में अलग-अलग टाइटल डाकूमेंट बनते हैं, टाइटल डाकूमेंट अनेक प्रकार के बनते हैं, जो अरबन बाडीज हैं, वे लीज इश्यू कर सकती हैं, लाइसैंस इश्यू करती हैं। सम-टाइम लाइसैंस रह सकता है लेकिन

(श्री जोगाराम पटेल)

पर्टिकूलर टाइम के बाद It become a lease. Lease must be registered. कुछ स्टाम्प ड्यूटी फिक्स है that become a lease; that is a perfect title. अब Lease is also of two types; One is perpetual lease and another is lease for a particular time. It may be 99 years. तो अब प्रश्न यह आयेगा, अभी दूसरे टाइटल और बनते हैं First is a license lease, whether it is a perpetual lease or it is for some priorities. एक ग्राण्ट है, अभी भी अपने यहां ग्राण्ट है so many titles, अपने अरबन एरियाज में ग्राण्ट हैं, ग्राण्ट एक्ट के तहत हैं। वो ग्राण्ट एक्ट की जितनी भी ग्राण्ट दी हुई हैं, that is a perfect title. Free hold title एक है फ्री होल्ड टाइटल। आपकी लीज और लाइसैंस में भी, मुझे जयपुर का तो नहीं पता है, जानकारी अदर सिटी की नहीं है, लेकिन जोधपुर में है। जोधपुर में जो सरदारपुरा है उसमें जितने भी टाइटल हैं वे फ्री होल्ड के हैं। फ्री होल्ड मींस उसमें किसी का कण्ट्रोल नहीं है। आइदर गवर्नमेंट और किसी बाइ-लाज का भी नहीं है। So many judgment is there, कि फ्री होल्ड हैं उसका वह राइट है कि मर्जी आये उतना कंस्ट्रक्शन कर सके। आपके जो बाइ-लाज हैं कि सैट-बैक छोड़ोगे, इतना कंस्ट्रक्शन करोगे, वह उस पर एप्लाई नहीं होता है, because there is a freehold और सरदारपुरा में जितना भी कंस्ट्रक्शन है, आज भी हो रहा है, उसमें भी वह फ्री होल्ड है। वह म्युनिसिपल बाय-लाज उस पर लागू नहीं होते हैं। तीसरा आता है, बाय सक्सैशन। बाय सक्सैशन में मेरे फादर के नाम का, मेरी मदर के नाम का या मेरे पेरेण्ट्स के नाम की जो भी प्रोपर्टी रही है, उस प्रोपर्टी के by successor as मुझे मिलेगी। उस सक्सैशन में एक ही जगह, so many जगह पर डिवाइड होती है। तो वह टाइटल है, चाहे वह लीज है, चाहे वह लाइसैंस है, चाहे वह ट्रांसफर है वह किन्हीं टुकड़ों में जाएगी तो प्रश्न यह होगा कि वह लीज किस तरह से सक्सैशन में मिलेगी। ऐसी स्थिति में यह जो कानून लाया गया है, इन सब परिस्थितियों की वजह से केन्द्र सरकार ने यह तय किया कि अलग-अलग प्रदेशों में इस तरह का कोई लॉ नहीं है, जिससे उनका सर्टिफिकेशन हो, अलग-अलग चलता है और उन्होंने लिखा भी है ''An Act to provide for the establishment, administration and management of a system of conclusive property titles, through registration of immovable properties and further to amend the relevant Acts as stated in the Schedule and matters connected therewith or incidental thereto.''

"Whereas the Union Cabinet has given its approval for introducing the conclusive property titling system. It is hereby expedient to formulate a Model

(श्री जोगाराम पटेल)

Law for favorable consideration by all States and the Union territories" और इस तरह से यह एक्ट आया है। इसमें यह सिस्टम भी दिया हुआ है। माननीय मंत्रीजी ने इसके एम्स एण्ड आब्जैक्ट्स में भी उसका वर्णन दिया है कि इस तरह से यह एक्ट जरूरी है। अब इसमें पांच बाते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह इसमें कंसीडर करनी बहुत जरूरी हैं। for example; सी-स्कीम में प्रोपर्टीज है। सबके पास अपने-अपने परफैक्ट टाइटल हैं, वे आराम से रह रहे हैं। उनको कोई डाकूमेंटेशन की जरूरत या सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है लेकिन आपका जो यह एक्ट है, वह अरबन एरियाज पर लागू होगा। यह इसमें लिखा हुआ है, सैक्शन तीन में अरबन एरिया में लागू होगा। अरबन एरिया क्या होगा, यह 15 में डिफाइन है। यहां तक कोई विवाद नहीं है। लेकिन ज्योंही यह सैक्शन 4 के तहत आपका नोटिफिकेशन होगा, "Survey of land and premises in the urban areas.- The State Government may, whenever it thinks fit, order, by notification in the Official Gazette, that a survey shall be made of any urban area within the State or any part thereof and such urban area or, as the case may be, part thereof shall thereupon be deemed to be under survey" उससे वह under survey, i.e, सी-स्कीम अण्डर-सर्वे आ गया, या पूरा जयपुर अण्डर-सर्वे आ गया या और कोई भी सिटी आ गई। अण्डर सर्वे में सब क्लाज 2 में आपकी एक बाडी कांस्टीट्यूट होगी, वह करेगी। वह नहीं है तो पहली ड्यूटी जो दी है, वह लोकल बाडी की दी है कि लोकल बाडी वाले हैं, चाहे वह म्युनिसिपलिटी है, कहीं नगर निगम होगा या कोई नगरपालिका होगी, आइदर नगरपालिका, नगर परिषद या निगम, इन तीनों में से, इनकी पहली प्राइमरी ड्यूटी बताई है कि वह इसको करें। वह नहीं करें तो सब-क्लाज 4 में यह बतलाया है कि गवर्नमेंट कोई न कोई बाडी कांस्टीटयूट कर देगी। वह भी नहीं करे तो कलैक्टर को पावर दिया गया है और कलैक्टर को बाउण्ड किया गया है कि वह उसका सर्वे करे। तो पहला जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं It may be local self Government, का कोई भी चाहे नगरपालिका है, नगर परिषद है या नगर निगम है, इनके पास ऐसे संसाधन नहीं हैं कि पूरे के पूरे का सर्वे करे। सर्वे में बहुत बड़ा काम है। बाउण्ड्रीज का सर्वे है, सर्वे नम्बर हैं, उसके मेजरमेंट हैं, उसका टाइटल का वैरीफिकेशन है, उसकी बाउण्ड्रीज का नम्बर लगाने का, मैं समय की वजह से वह सब बता नहीं रहा हूं। अण्डर सर्वे में जो भी एरिया आयेगा, वह इतना बड़ा काम खुल जायेगा कि उसको कण्ट्रोल करना ही मुश्किल हो जायेगा। मैं कहूंगा कि मेरे दस फुट इधर है, वह कहेगा

(श्री जोगाराम पटेल)

कि नहीं मेरे दस फुट इधर है। वह कहेगा कि नहीं मेरी बुआ की थी पहले, इसलिये आज मुझे मिली है। वह कहेगा कि नहीं, मेरे मामा की थी। वह कहेगा कि नहीं, हम पांच भाई हैं। वह कहेगा कि इस भाई का अधिकार नहीं है, इसने दूसरी प्रोपर्टी ले ली थी, यह तो छोड़कर चला गया तो इसमें हक नहीं है। तो यह इतना बड़ा लार्ज स्केल पर कार्य खुल जायेगा कि वह अनकण्ट्रोल हो जायेगा इसलिये इसमें कहीं भी यह नहीं लिखा है, च्वाइस में नहीं दिया है कि अगर आपके पास कोई टाइटल नहीं है और हमारे पास दफ्तर खुला है, आप अपना टाइटल वैरीफिकेशन कराना चाहते हैं तो आप आ जाओ। तब तो सब ठीक है कि जिसको वैरीफिकेशन कराना है, वह आयेगा ही। लिमिटेड लोग आयेंगे, जिसको जरूरत है वह आएंगे। यहां तो ओपन कर दिया है। ओपन कर दिया है तो सबके लिये जरूरी हो गया। सबके लिये जरूरी हो गया तो आप अनुमान लगा दें कि कितनी नगरपालिकाएं हैं, कितने नगर निगम हैं, कितनी नगर परिषदें हैं, उनमें कितने लोग रहते हैं, कितने मकानात हैं। आज की तारीख में भी कितने डिस्प्यूट्स हो सकते हैं और कितने डिस्प्यूट्स और ओपन हो जायेंगे। ऐसी स्थिति में मेरा पहला निवेदन है कि आप इसमें वालन्टरी करें। जिनको अपना टाइटल वैरीफिकेशन कराना है, वह पर्टिकूलर फीस, जो इसमें सर्वे फीस आपकी प्रैस्क्राइब्ड की है, वह सर्वे फीस दे, अपना टाइटल वैरीफाई करा ले। नहीं तो मेरे पास भले ही फ्री होल्ड का टाइटल है, मेरे पास भले ही ग्राण्ट है, मेरे पास भले ही रजिस्टर्ड लीज डीड है, परपीचुअल लीज डीड है, फिर भी मुझे इसका वैरीफिकेशन कराना पड़ेगा। इसलिये मेरा पहला मंत्री महोदय, आपसे निवेदन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत कि इसको कम्पलसरी नहीं करें, इसको वालन्टरी करें, जिसको जरूरत है, वह करे, एक तो यह। अदरवाइज इसमें तीन झगड़े पड़ने वाले हैं। पहला यह कि आपके सैक्शन 5 में एण्ट्री के पावर दिये हैं। अभी जो एक बिल में, एण्ट्री के पावर पर जितने आर्ग्यूमेंट हुए, उस समय भी वह सनराइज और सनसैट से पहले होगा, तो यह आपको राइट होगा। फिर आपको, अगर नहीं मानोगे तो नोटिस देंगे। नोटिस मिलने के बाद भी आपने इसका कम्पलायंस नहीं किया तो फिर इसमें पैनल्टी है। एक हजार रुपये की पैनल्टी है। वह पैनल्टी भी एज ए लैण्ड रेवेन्यू आप रिकवर करेंगे। तो जिसने भी यह लैण्ड रेवेन्यू के ये प्रोविजंस बनाये हैं, वह लैण्ड रेवेन्यू के प्रोविजंस को जानता नहीं है। आपने नोटिस, पहले मेरे आये, दरवाजा खटखटाया कि हम आपका सर्वे करना चाहते हैं। मैंने

(श्री जोगाराम पटेल)

कहा, मेरा सर्वे नहीं कराना है या मैं यहां हूं ही नहीं, बाहर चला गया हूं। आपने नोटिस दे दिया। नोटिस के अन्दर जो आपने रिक्वायरमेंट मांगी, मुझे डाकूमेंट पेश करने का कहा, मुझे सर्वे कराने को कहा, मैंने सर्वे नहीं कराया। तो आपका सीधा नोटिस आयेगा कि आपके ऊपर पैनल्टी लगाई जाती है और वह पैनल्टी जो है, एक हजार रुपये, उसको आप रिकवर करेंगे एज ए लैण्ड रेवेन्यू और उसका सर्टिफिकेट जो जारी करेगा, आपका वह आफिसर जारी करेगा, जो सर्वे है, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में सिर्फ कलैक्टर ही सर्टिफिकेट, या तो उसमें भी अमेंडमेंट करें। अगर आप एज ए लैण्ड रेवेन्यू रिकवर करना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट जो है, वह सिर्फ कलैक्टर इश्यू कर सकता है। उसको रिकवरी सर्टिफिकेट बोलते हैं। रिकवरी सर्टिफिकेट कलैक्टर इश्यू कर सकता है। उसमें कोई दूसरा आफिसर प्रैस्क्राइब्ड ही नहीं है। और अगर एज ए लैण्ड रेवेन्यू रिकवर करना चाहते हैं तो लैण्ड रेवेन्यू डेफिनेशन में भी यह नहीं आयेगा। पैनल्टी जो होती है, कभी लैण्ड रेवेन्यू नहीं हो सकती। वह तो मैंने कोई, मेरे तो कोई ड्यू है नहीं। अब आपके अनुसार आप यह मानते हो कि इस नोटिस का मैंने कम्पलायंस नहीं किया, इसलिये हजार रुपये की पैनल्टी है तो वह एज ए लैण्ड रेवेन्यू रिकवर नहीं हो सकता। दूसरा, मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन यह था। तीसरा जो है कि आपने इसमें उसको सी.पी.सी. के सारे पावर्स दिये हैं। जो सर्वे आफिसर सर्वे कण्डक्ट करेगा, वह किसी भी रैंक का आफिसर हो सकता है। उसको आपने जो पावर दिये हैं, वह सी.पी.सी. के पावर दिये हैं। अब सी.पी.सी. के पावर अगर आप दोगे तो फिर सी.पी.सी. के सारे प्रोविजन्स लागू होंगे और जब सी.पी.सी. के सारे प्रोविजन्स लागू होंगे तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क नहीं रहेगा यह। फिर उसकी अपील, रिवीजन, उसका राइट वह सारा उसमें हो जाएगा तो यह इन्कन्सिस्टेंट हो जाएगा आपका, यह एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। यह सी.पी.सी. के पावर इसमें नहीं दिये जा सकते अगर सी.पी.सी. के पावर, तो फिर आप अपील के, रिवीजन के, वह सैकिण्ड अपील के, फर्स्ट अपील के सारे पावर्स देने पड़ेंगे इसलिए इसको भी री-कंसिडर करें, आप विचार करें क्योंकि आपको सब क्लाज-4 में "For the purpose of inquiry of an officer authorized under sub-section (1) shall power to summon and enforce attendance of witnesses and compel the production of documents by the same means and in the same manner as is provided in the case of a court under the Code of Civil Procedure" तो यह बड़ा harsh हो जाएगा कि आप किसी को कम्पेल करें कि नहीं तू तेरे सारे डाकुमेंट लेकर मेरे पास आ और

(श्री जोगाराम पटेल)

सी.पी.सी. में उस सम्मन की कम्प्लायंस नहीं करता है तो वह न्यायालय के आदेश की अवहेलना होती है इसलिए मेरा यह सबमिशन है कि आप इस सैकिण्ड, जो मेरा आपसे निवेदन था, को, इस बात को भी आप एक बार कंसीडर करें और फिर इसमें अपील का प्रोविजन आपने दिया, सब क्लाज-6, इस आदेश के खिलाफ कोई अपील करना चाहता है तो वह अपील कर सकता है। अब अपील कहां पर करेगा? वह आपने ट्रिब्यूनल बनाया वहां करेगा। मैं ट्रिब्यूनल के बारे में अभी निवेदन करूंगा। अपील में ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है, अपीलेट ट्रिब्यूनल, वह सैक्शन-33 में है। अगर आप, सी.पी.सी. के तहत वह सर्वे कंडक्ट कर रहा है, एज ए सी.पी.सी. के तहत कार्यवाही कर रहा है तो फिर उसकी सी.पी.सी. की अपील तो सैक्शन-96 में फर्स्ट अपील जो होगी, वह वहीं पर होगी जहां होती है। अगर आप इसकी अपील आप सैक्शन-33 में अपील के प्रोविजन्स करते हैं तो जो इस एक्ट के तहत प्रोविजन के अनुसार यह अपील होनी चाहिए, फिर सी.पी.सी. के प्रोविजन वहां पर लागू नहीं होंगे। ज्यों ही सी.पी.सी. के प्रोविजन लागू होंगे तो सैक्शन-96 सी.पी.सी. यह कहता है कि फर्स्ट अपील जो है वह डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में होगी। इसलिए मेरा सबमिशन था यह कि सर्वे पार्ट पर, जो एक पार्ट है इस एक्ट का, सर्वे, सर्वे पार्ट पर यह इन तीन-चार बातों पर आप कंसीडर करें और कंसीडर करने के बाद आप जो भी ठीक समझें, इसमें करें। मेरा सबमिशन है कि यह बहुत ज्यादा ही रहेगा। और, लास्ट में इसमें जो एक बात आपने विशेष रूप से रखी है, वह रखी है सैक्शन-16 की पैनल्टी की और वह सैक्शन-16 क्या है- Penalty for failure to comply with requisition in notice.- “Whoever fails to comply with a requisition contained in any notice issued under this Act and duly served shall be liable to fine not exceed rupees one thousand” तो पैनल्टी ज्यों ही आप लगाएंगे तो फिर तो पैनल्टी तो बहुत हेवी हो जाएगी मेरे ऊपर, मैं आफेंडर हो जाऊंगा, ऐसा मेरा नहीं होना चाहिए, यह पहला निवेदन था।

दूसरा, मेरा जो निवेदन है वह विशेष, मंत्री महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरा ध्यान में चाहूंगा कि एक आफिसर बनाया, इनको कोई ड्यूटी दी है, अपाइंटमेंट आफ अरबन लैंड टाइटल सर्टिफिकेशन आथोरिटी, एक आथोरिटी कांस्टीट्यूट की हुई है और एक आई.ए.एस. आफिसर को इसमें आथोरिटी के पावर्स दिये हैं और उनको पावर्स जो दिये हैं, मैं यह सिर्फ तीन मिनट में, आप मंत्री महोदय, ध्यान दें कि इसमें सैक्शन-21 में वह एक

(श्री जोगाराम पटेल)

आथोरिटी कांस्टीट्यूट हो गयी, उसको पावर्स दे दिया और अपाइंटमेंट हो गया। सैक्शन-22 में एक कोई भी अगर आदमी चाहता है तो वह एप्लीकेशन लेकर आएगा, विथ आल डाकूमेंट लेकर आएगा और उसकी जो लैंग्वेज है, वह आपके सामने निवेदन करूंगा- Applications for issuance of certificate of title.- "(1) A person who either holds title of any urban land immediately before the commencement of this Act, or a person who acquires title of any urban land after the commencement of this Act, may apply in such manner and within such time as may be prescribed" अब जो सब क्लाज-2 है, जिसकी के लिए मैं ध्यान करवा रहा हूं, आगे वह आपसे निवेदन करूंगा- "(2)The application under sub-section (1) shall be accompanied by the documents of title or the documents on the basis of which the applicant claims the title and such fee as may be prescribed." तो डाकूमेंट लाएगा, टाइटल डाकूमेंट लाएगा और एप्लीकेशन लाएगा। सैक्शन-23 में स्क्रूटनी होगी और वह जो आपकी आथोरिटी है वह इसकी पूरी स्क्रूटनी करेगी और जो लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने सैक्शन-23 की- "satisfy himself about the veracity of the information and authenticity of such documents." If he is satisfy, वह उन डाकूमेंट की वेरेसिटी और आथेन्टिसिटी को सैटिस्फाई होगा और सैटिस्फाई होगा तो नैक्स्ट स्टेप आएगा, एडिशनल इन्फार्मेशन कोई मांग सकता है, सैक्शन-24 में आ गयी, may required any additional information और सैक्शन-25 में प्रोविजनल सर्टिफिकेट, सैटिस्फैक्शन, फिर सैटिस्फैक्शन लिखा है "The Certification Authority, if he is satisfied, on the scrutiny and verification of the information and documents furnished to him with the application 40 under section 22 and sought by him under section 24, about the veracity of the information and authenticity of such documents and is of the opinion that the title of the applicant may be certified confirming the status of applicant as lawful holder of title of the urban land specified in the application, he may record a finding to that effect stating reasons therefore and enter the data" सैटिस्फाइड होगा, रिकार्ड रीजन करेगा और उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा और जो प्रैस्क्राइब्ड फीस है, वह फीस उससे क्लेम कर ली जाएगी। प्रक्रिया अब जो जारी, चेंज हो रही है, यह पता नहीं किस तरह से लॉ बनाया। सब क्लाज-3 में जो है, सब क्लाज-3 में और सब क्लाज-4 में जो बनाया, इसमें भी नेगेटिव प्रोविजन बना दिया। यह सब होने के बावजूद भी वहां नहीं मिलेगा। No provisional certificate of title shall be issued to any person - unless he- (i) pays the certification cum guarantee charges as specified in sub-section (1), यह बात तो ठीक है कि आप जब तक यह नहीं देंगे, हम प्रोविजनल सर्टिफिकेट, produces no dues certificates

(श्री जोगाराम पटेल)

from such authorities and pertaining to such matters, as may be prescribed; अब जितने भी आप, यह गृह कर है, हाउस टैक्स है, यू.डी. टैक्स है, वह सारा, सारी रिकवरी हो जाएगी इसमें। कहेंगे कि पहले ला, सब ले आ पहले, फिर बाद में तेरे को देंगे। अब वह फंस गया, पहले तो उसने एप्लाई कर दिया, एप्लाई कर दिया तो सब हो गया, अब सारी की सारी रिकवरी की इंक्वायरी हो जाएगी इसमें, मंत्री महोदय, वह सारा यू.डी. टैक्स और हाउस टैक्स, जितना भी पानी का, बिजली का सारा नो-ड्यूज लाकर देगा, सारा नो-ड्यूज। अब वह नो-ड्यूज भी लाएगा, इंक्वायरी भी करवाएगा, आफिसर की सैटिस्फैक्शन भी करवाएगा, एडिशनल इन्फार्मेशन भी देगा, डाकूमेंट भी देगा, वेरेसिटी, आथेन्टिसिटी भी करवाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, सब क्लाज-3 में The Certification Authority shall recall and cancel the provisional certificate issued under sub-section (1), where - a bonafide counter claim or objection regarding the title of the holder of the certificate is filed before him; anycody can say. कि साहब, यह गलत हो गया, मेरा है, मैं मालिक हूं इसका तो लेकिन यह इंक्वायरी पहले नहीं दी है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया, नो-ड्यूज मंगवा दिया फिर भी ... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य सचेतक महोदय, समझ में आ रही है क्या यह बात? हां, बस ठीक है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपसे तो ज्यादा आ रही है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि यह डोटासराजी कोई भी खड़ा होता है इधर से तो यह कहते हैं कि आप ही समझ रहे हो? मतलब, इनके अलावा कोई समझता ही नहीं इस बात को? यह यही कहते हैं कि आप जो बोल रहे हो, आप ही समझ रहे हो और कोई नहीं समझ रहा है। बुद्धिजीवी आप ही हो क्या? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने क्या समझा, वह बता दो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): पूरी इस विधान सभा में 200 में बुद्धिजीवी आप ही हो क्या? बाकी हमारे सदस्य तो कुछ समझते ही नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक घंटे से बोल रहे हैं, माननीय सदस्य। आपने समझा क्या इसको?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): हमारे बालूरामजी गुर्जर खड़े हुए, तो क्या आप ही समझते हो? जीवारामजी खड़े होते हैं तो क्या आप ही समझते हो? हेतरामजी खड़े होते हैं तो आप ही समझते हो?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको तो नींद आ गयी थी। आपको नींद आ रही थी। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई बात थोड़ी ही होती है क्या? आप ही बुद्धिजीवी हो क्या यहां पर? आपके बाकी समझदार कहां गये बाईस? दो ही रह गये हो यहां पर। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय सचेतक महोदय तो अपनी कुर्सी की रक्षा करेंगे, यह पद कैसे बरकरार रखें? (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मैं जो रिक्वेस्ट कर रहा था आपसे, मेरा नम्र निवेदन है, वह यह है कि अगर आप, जो दो ग्राउंड है, एक तो If anyone can say in bonafide claim है उसके पास, वह आकर कहें तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं और दूसरा है- If matter is pending before the any civil court or a competent court. लेकिन यह प्रोविजन आपने सारा कुछ करने के बाद में फिर जो किया है, वह गलत है, इसको प्रोविजन उस स्थान पर डालें कि ज्यों ही आप सैटिस्फाइड हो जाएं, उसके बाद आप कोई पब्लिक नोटिस जारी कर दें। कोई ऐसी कार्यवाही करें जिससे वह पहले हो सकें। उसके पास सर्टिफिकेट हो गया, सब फाइनल स्टेज पर हो गया, उसके बाद कहो कि नहीं-नहीं, तेरा तो कैंसिल। इससे आगे अब जो निवेदन कर रहा हूं, वह ध्यान से सुनें। पहला सैटिस्फैक्शन हो गया, डाकूमेंट का वेरिफिकेशन हो गया, तीसरी तरह से प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए सैटिस्फैक्शन हो गया, यह कोई कैंसिल और री-काल भी नहीं हुआ, फाइनल सर्टिफिकेट इश्यू हो गया। फाइनल सर्टिफिकेट में फिर उसका वैरिफिकेशन है। डाकूमेंट का वैरिफिकेशन है और उस आथोरिटी का स्पेसिफिक सैटिस्फैक्शन है, जैसा प्रोविजनल सर्टिफिकेट में विथ रीजन्स रिकार्ड करेगा, उसके बाद ही इश्यू करेगा। फिर भी आपने उसको पावर जो दिये हैं, अब जो पावर देखें आप, सैक्शन-30 के एक बार देखें। पांच बार वह सेटिस्फाइड हो रहा है, पांच बार वह रीजन्स लिख रहा है और इतने लिखने के बाद भी अब आप देखें कि

(श्री जोगाराम पटेल)

कैंसिलेशन के पावर उसको दिये हैं सैक्शन-30 में "Cancellation, modification or suspension of the permanent certificate of title.- (1) Where after issuance of a permanent certificate of title under section 25, the Certification Authority is satisfied that the certificate has been issued under mistake and contains a declaration which is materially wrong, he may immediately suspend the certificate and call upon the title holder"

सर, मैंने चार बार सैटिसफैक्शन कराया, फोर एग्जाम्पल में एप्लीकेंट हूं। सबसे पहले मैंने 22 में एप्लीकेशन दी, विद आल डाकूमेंट्स दिया, पुन: प्राइमाफेसी सैटिसफैक्शन हुआ, तो मेरे से सैक्शन 23 में फिर वह स्क्रूटनी करवाते हैं अपने डाकूमेंट्स की, सारी स्क्रूटनी कराने के बाद वह उसमें रीजन्स लिखते हैं Satisfy himself about the veracity of the information and authenticity of such documents. उसके बाद सैक्शन 24 में मेरे से एडिशनल इन्फोर्मेशन मांगते हैं। मैंने वह एडिशनल इन्फोर्मेशन भी दे दी फिर सैक्शन 25 में तीन बातें हैं। वह रीजन्स लिखेंगे कि मैं सैटिसफाई हूं, डाकूमेंट्स सही है, डाकूमेंट्स की आथेंटिसिटी वैरीफाई करेंगे, जैनुइननैस को सैटिसफाई करेंगे। यह सब होने के बाद 25 में मुझे वह प्रोविजनल सर्टिफिकेट देंगे, तब मैं नो-ड्यूज लाकर दूंगा और सारे ड्यूज जमा कराऊंगा। सैक्शन 25(3) में रिकाल आफ कैंसिल के प्रोविजन भी बना दिये, उसको भी मैं सैटिसफाई कर रहा हूं, वह सारा कर दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सैक्शन 25 (3) में उन्होंने जो रिकाल करना है, जो कैंसिल करना है, वह सब किया। प्रोविजनल सर्टिफिकेट, उसकी भी मैंने स्टेज पार कर दी, उनको सैटिसफाई कर दिया और फाइनल सर्टिफिकेट इश्यू हो गया। फिर फाइनल सर्टिफिकेट को बिना किसी आधार के फिर कैंसिल कर दिया। इतना तो कैसे हो सकता है "to produce the certificate before him within such time as may be specified by him" और इसकी भी पैनल्टी लगा दी मेरे ऊपर। सर, मैं जो निवेदन करना चाहता हूं इसकी भी मेरे ऊपर पैनल्टी लगा दी। "Penalty for obtaining the certificate of title by fraud, misrepresentation or suppression of facts.- If any person has obtained a certificate of title, whether provisional or permanent, by fraud, misrepresentation or suppression of facts, the Certification Authority may, after making such enquiry as he may think necessary and after affording a reasonable opportunity of being heard to such person, impose a penalty" तो वह जो आफिसर है, जो आथोरिटी है, क्या उनकी कहीं पर किसी स्टेज पर रेस्पोंसिबिलिटी नहीं है? वह पांच बार वही

(श्री जोगाराम पटेल)

सैटिसफैक्शन हो रहा है, उसी का जंच गयी तो फिर कैंसिल कर देगा तो मैं जो निवेदन करना चाहता था वह जो होने वाली संभावना है, जिसमें मैं वर्ड 'संभावना' यूज कर रहा हूं कि वह एक आर्बिट्रेरी एक्शन लेने के लिये हमेशा स्वतन्त्र हो जाएगा। उसकी कहीं भी लायबिलिटी नहीं है कि मिस्टर, आप जब सैटिसफाई हो गये थे, आपने रीजन रिकार्ड कर दिये थे, आपने प्रोविजन सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया था, फिर रिकैंसिल की स्टेज पर भी आप फिर सैटिसफाई हो गये थे, फिर आपने रीजन रिकार्ड कर दिया था, फिर आपने नो-ड्यूज मंगा दिया था, फिर आपने फीस ले ली थी, और फिर आपने परमानेंट सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया था तो फिर आप कैसे मान सकते हो कि सर्टिफिकेट मेरे से गलत इश्यू हुआ है। वही देने वाला, वही चार बार इंक्वायरी करने वाला और वही अंत में फिर जाकर मेरे ऊपर पैनल्टी कर दे। इसलिए इसका पावर आप अपीलांट आथोरिटी को दे दें। यह कैंसिलेशन का पावर उसी आफिसर को नहीं देवें, यह अपीलांट आथोरिटी को दे दें। अपीलांट आथोरिटी तो कह सकती है कि लोअर कोर्ट का जो आर्डर है, वह गलत है। वह खुद ही अपने आर्डर का जज कैसे बन सकता है? वही आर्डर कर रहा है, वही जज बन रहा है। He can't become a judge on his order. और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस ओर आप विशेष ध्यान देवें। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी मिलेगा। कोई आदमी आया कि साहब, एक बार कैंसिल कर दो, वापस इश्यू कर देना। वह कैंसिल कर देगा, थोड़े दिन हुआ कि मैं सैटिसफाई हो गया। पहले दिन इधर सैटिसफाई हो गया, दूसरे दिन उधर सैटिसफाई हो गया। फिर आया कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट में कैंसिल कर दिया, फिर आएगा फाइनल का कैंसिल कर दिया। फिर आया नहीं यह फ्रोड हो गया, तो वह लिटिगेशन को बढ़ाने का बहाना भी मिलेगा। वह आर्बिट्रेरी एक्शन कर सकता है, लिटिगेशन को बढ़ावा मिल सकता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है और अगर यह पावर अपीलेट आथोरिटी के पास होगा तो इनसे कर्टेल किया जा सकता है और सपोज इसकी अपील पेंडिंग हो और पेंडेंसी आफ अपील के दौरान ही कोई जाकर कहे कि अपीलेट कोर्ट तो बिल्कुल सही काम करेगा या कर रहा है उसको वहां से कोई नहीं मिल रहा है तो वापस वहीं एप्लीकेशन लगा देगा कि साहब देखिये, यह फ्रोड हो गया, यह तो मिस-रिप्रजेण्टेशन हो गया और वह कहे कि चलो कैंसिल। ऐसी स्थिति में अपील का जो आपने एक्सपायरी आफ टाइम दिया है 60 डैज, तो एक बार फाइनल सर्टिफिकेट इश्यू करने के बाद

(श्री जोगाराम पटेल)

कैंसिलेशन का पावर जो सर्टिफिकेट आथोरिटी के पास है, वह नहीं रखे। जब आपने एक बार फाइनल सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया तो उसके बाद अपील, जो भी सिविल कोर्ट, जो भी है, इसमें आपने अपील के प्रोविजन दिये। अपीलेंट आथोरिटी को पावर जरूर दें। He can satisfy, he can consider all the documents and then pass some particular order. और लास्ट जो मेरा अधिकार है सर, संतुष्टि का आधार क्या है? सब जगह एक ही लिखा है 'Satisfaction of the Authority' उसका कहीं भी कोई क्राइटेरिया नहीं है उसके सैटिसफैक्शन का। अब सैटिसफैक्शन को हम जज कैसे करें? नहीं तो जज करते कि आप अविश्वास क्यों कर रहे हो इस आफिसर पर? मैंने स्टेज बतायी है, उस आफिसर पर अविश्वास करने का कारण है, वह खुद ही सैटिसफाई हो रहा है। दूसरे दिन वह खुद ही कैंसिल कर रहा है। तीसरे दिन फिर सैटिसफाई हो रहा है, रीजन रिकार्ड कर रहा है फिर कैंसिल कर रहा है। चौथी बार फाइनल सर्टिफिकेट फिर इश्यू हो रहा है, फिर कैंसिल कर रहा है, तो उस पर अविश्वास करने के कारण भी हैं। इसलिए मेरा सब्मिशन है या अगर आप इससे सैटिसफैक्शन चाहते हैं तो सैटिसफैक्शन एक बार जो उसका सैटिसफैक्शन है, वह गलत था या दुबारा उसका सैटिसफैक्शन है, वह गलत है। क्योंकि सैटिसफैक्शन तीन बार हो रहे हैं, तीन बार सैटिसफैक्शन में से एक सैटिसफैक्शन तो गलत होगा ही होगा। तो वह कौनसा सैटिसफैक्शन उसका गलत है, यह तो कहीं न कहीं लॉ में तय करना ही पड़ेगा। आज तक किसी लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन कभी नहीं बना कि वह खुद ही आफिसर जो सर्टिफिकेट देने वाला है, वह खुद ही आकर कह रहा है कि मेरा आर्डर गलत है और एक बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार। ऐसी स्थिति में आपकी भावना की कद्र करता हूं, बहुत शोर्ट करूंगा।

ऐसी स्थिति में इसको इस लाइट में देखना जरूरी है और मेरा लास्ट में जो निवेदन है माननीय मंत्री महोदय, यह जो अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं रहा है। अपीलेट ट्रिब्यूनल की आप देखें, अपीलेट ट्रिब्यूनल जो एक पावर बनाया, "Any person aggrieved by an order of the Certification Authority may appeal within sixty days from the date of such order to the Tribunal" अब ट्रिब्यूनल होगा कौन? उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, उसका क्राइटेरिया क्या होगा? नोमिनेशन का क्राइटेरिया क्या होगा? उसका टैन्योर क्या होगा? यहां अगर आप लिख सकते हैं सैटिसफैक्शन सर्टिफिकेट

(श्री जोगाराम पटेल)

आथोरिटी में, कि उसका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एक आफिसर होगा तो यहां भी बता दो न, यहां कौन होगा और अगर हमारा एक्सपीरियंस यह है कि अगर कोई आई ए एस आफिसर ने कोई आर्डर पास किया, कोई डाकूमेंट जारी किया या कोई फाइनल या प्रोविजन सर्टिफिकेट इश्यू किया है और उसका आर ए एस आफिसर अपीलेट ट्रिब्यूनल होगा तो कोई हिम्मत नहीं कि उसको बदल दे। हमने यह अनुभव किया है अभी, यह आर ए ए में जो बैठते हैं, उसका हमने कई बार अनुभव किया है। इसीलिये इस मामले में भी मेरा निवेदन है कि आप कंसीडर करें कि अपीलेट ट्रिब्यूनल आपने बनाया है, उसमें उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? उस मैम्बर की क्वालिफिकेशन क्या है? उसका टैन्योर क्या है? बाकी सर्विसेज क्या है? उसका इन लोगों के हटाने के प्रोविजन्स क्या हैं इन दोनों में ही, सर्टिफिकेशन आथोरिटी और अपने ट्रिब्यूनल को हटाने के कोई प्रोविजन नहीं बताये, न ही कोई लॉ बनाये।

इस आधार पर मेरा निवेदन है कि कृपया इन सब बातों को आप कंसीडर करें और अन्त में, मैं यही निवेदन करूंगा कि मंशा बिल्कुल सही है, लॉ सही लाया जा रहा है, इससे कई लोगों को फायदा होगा, पर जिनको जरूरत है। जिनको जरूरत नहीं है, उनको जबर्दस्ती फायदा देने की मेरे हिसाब से कोई आवश्यकता नहीं है और आप जो रिकवरी निकाल रहे हैं, वह बहुत ही हाई लेवल की है। उसकी पैनल्टी लगा रहे हैं, वह भी गलत है और Jurisdiction of the appellate authority, में जो मैंने बातें बताईं, उसका क्षेत्राधिकार क्या होगा? वह एक जिले के लिये होगा, एक तहसील के लिये होगा, पूरे राजस्थान के लिये होगा, इसमें कई प्रसारित नहीं है। अपीलेट आथोरिटी होगी बस। अपीलेट आथोरिटी किसके लिये होगी? तो उसका जुरिस्डिक्शन भी बताना पड़ेगा जिला प्रदेश, तहसील वाट एवर में बी और इन सब बातों के आधार पर मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि इनके रिमूवल के प्रोविजन भी बनाये जाएं और जिन डाकूमेंट की रिपीटिशन की लाइन पर ओनली, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, On cost of repetition, कि जिनके पास परफैक्ट टाइटल है It may be grant , it may be freehold Pattas, it may be lease, it may be license or it may be Patta by the municipalities. आज की तारीख में खाली पंचायत म्युनिसिपैलिटी बन जाएगी। ऐसे जो आलरेडी है और अन्त में, विशेष आपका ध्यान दिलाते हुए, अगर किसी केस में कोर्ट ने डिक्री पारित की है, मेरा टाइटल का डिस्प्यूट तो भाइयों का था, पड़ौसी का था, सक्सैसर का था और कोर्ट की डिक्री है, मेरे पास कोर्ट की डिक्री है, काम्पीटेंट कोर्ट की डिक्री है तो भी आपका आफिसर कहेगा कि नहीं-

(श्री जोगाराम पटेल)

नहीं, ला मैं चैक करता हूं। तेरा तो सेटिफेक्शन ही गलत है तो क्या वह कोर्ट का आर्डर भी कैंसिल हो जाएगा। आप एक बार विचार करें। वह लगती है कि नहीं, कुछ भी नहीं है लेकिन आप विचार करें कोर्ट का सर्टिफिकेट इश्यू किया हुआ है, वह डिक्री जो होती है वह सर्टिफिकेट है एक तरह का। वह डिक्री है वह एक परफेक्ट टाइटल है और परफेक्ट टाइटल जो आपके पास है, उसको भी अगर आप कह देंगे सर्वे में कि नहीं-नहीं, हम तो तेरा सर्वे करेंगे और सर्वे में जो बाउण्ड्री, मैंने बहुत शोर्ट में बताया नहीं है, अब इतने डिस्प्यूट एराइज हो जांएगे कि संभल भी नहीं पायेंगे। इन सबके आधार पर मेरा आपसे निवेदन है कि यह कानून बहुत अच्छा है, बनाने की मंशा अच्छी है, सरकार की मंशा बहुत अच्छी है, लेकिन कानून का जो फ्रेम हुआ है, वह सही नहीं है इसलिए आप इसको रिकंसीडर करें, ऐसा ही मेरा निवेदन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस पर जो जनमत जानने का अपना प्रस्ताव दिया है, उसे मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद।

(22.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जोगाराम जी से कमजोर साबित नहीं होना है आज। हम बैठे हैं रात को दो बजे तक।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): यह प्रतिस्पर्धा हमारे बीच में नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरीय भूमि (हक प्रमाणन) विधेयक, 2016 सदन में विचार के लिए लिया है। लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने उसके कानूनी पहलुओं को उजागर करने का प्रयास किया है और प्रारम्भ में उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार पूरे देश में एक समान प्रकार का कानून लेकर आयी और उस लाइट में हम राजस्थान में इस एक्ट को लेकर आये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 13 अक्टूबर, 2008 को इस राजस्थान में यह अध्यादेश अधिसूचित हुआ। यह प्रोग्रेसिव कानून है। इस कानून के फार्म में आने के बाद, अभी लूणी से आने वाले माननीय सदस्य यह कह रहे थे, जो फ्री होल्ड है, पट्टाधारी है, मैं उस डिटेल बहस में नहीं जाना चाहता लेकिन इस कानून के अस्तित्व में आने के बाद दो प्रकार की बात कायम होगी। पहले नागरिकों के संविधान सम्मत सम्पत्ति के अधिकार का हक प्रमाणन, संविधान

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सम्मत द्वारा औपचारिक अनुपालन हो सकेगा और दूसरा, राज्य द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रियान्तर्गत किये गये सुधारों से भूमि सम्बन्धी खरीद-फरोख्त और व्यापार को पारदर्शिता मिलेगी।

(22.01 बजे)

(श्री श्रीचन्द कृपलानी, सभापति, पदासीन)

आज भूमि विवादों के कारण सैकड़ों मुकदमे अदालतों में लम्बित हैं और उन विवादों के चलते हुए प्रापर्टी के बंटवारों के, शहरों की पुरानी आबादियों में आज भी चाहे ग्राण्ट एक्ट के पट्टे देने की सहूलियत सरकार ने दे रखी हो, चाहे झाडकटी का पट्टा देने की सहूलियत सरकार ने दे रखी हो, पारिवारिक विवादों के चलते हुए और उनका निस्तारण ठीक तरीके से नहीं होने के कारण आज भी उस सम्पत्ति का मालिकाना हक कई परिवारों को नहीं मिल पा रहा है। और यह कानून केवल भारत सरकार लेकर नहीं आयी, भारत सरकार के लाने से पहले यह राजस्थान इस हिन्दुस्तान का पहला प्रांत था जिसने यह अधिसूचना जारी की, आर्डिनेंस लेकर आये और दुनिया के तमाम, विश्व के जो लगभग विकसित देश हैं उन तमाम देशों में इस प्रकार के कानून प्रभावी हैं।

जिस प्रकार से इस कानून की भावना है, जो एक्ट की भावना है, भूमि हक प्रमाणन, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे जमीन खरीदता हूं, हमारा जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 है वो केवल रजिस्ट्री की गारंटी देता है और भूमि के इतिहास के बारे में प्रमाण-पत्र नहीं देता। केवल रजिस्ट्रेशन करता है और यह जो कानून बनने जा रहा है, ये कानून भूमि के इतिहास की गारंटी देगा, भूमि के इतिहास का प्रमाणीकरण देगा और जब इस प्रकार की गारंटी इस एक्ट के माध्यम से मिलेगी तो मैं समझता हूं कि निश्चित आम आदमी को इसका लाभ मिलेगा। बिंदुश: चर्चा नहीं करना चाहता।

मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, सदन की भावना है।

श्री सभापति: बिलकुल सही है।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय मंत्री महोदय का ध्यान मैं केवल इस दिशा में दिलाना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, बहुत सारी प्रक्रिया बतायी और लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने इस पर डिटेल चर्चा भी की है। मैं कुछ व्यावहारिक बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं और सदन की भावनाओं को समझते हुए अपनी बात को विराम दूंगा।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

यह हक प्रमाण-पत्र का जारी किया जाना, आप जो हक प्रमाण-पत्र जारी करेंगे उसके आधार क्या होंगे? क्या जिसके पास म्यूनिसिपैलिटी का, यू.आई.टी. का पट्टा होगा, या किसी ने म्यूनिसिपैलिटी, यू.आई.टी. से जमीन खरीदी होगी या किसी लीज होल्डर से, पट्टाधारी से जमीन खरीदी होगी? माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब राजस्थान के शहर बसे तो यह किसी म्युनिसिपल एक्ट के तहत, अरबन एक्ट के तहत जो सोसाइटियां, समितियां हमारी पालिका और नगर सुधार न्यास बने, उनसे पट्टा लेकर नहीं बसे। आज जयपुर की ब्रह्मपुरी में जाओगे, वहां कोई जयपुर के नगर निगम से, जयपुर की नगरपालिका, परिषद से कोई पट्टा लेकर वहां की आबादी नहीं बसी है। कोटा के रामपुरा, लाडपुरा, कर्बला में जाओगे, घंटाघर और मकबरा में जाओगे तो वहां कोई यू.आई.टी. से या के.डी.ए., कोटा डवपलमेंट आथोरिटी जो कभी हुआ करती थी, पट्टे लेकर शहर नहीं बसे हैं। ये शहर गांवों की शकल में बसे हैं। और गांवों की शकल में बसने के बाद जो शहर का चेहरा-मोहरा बना, शहर के कानून बाद में एप्लाई हुए। सैकड़ों साल पहले ये शहर बने। कुछ जिम्मेदार, जागरूक लोगों ने उन शहरी नियमन के कानूनों का लाभ लेकर पट्टे तो ले लिये, जिनको पट्टे मिल गये विवाद नहीं है, हक का प्रमाण-पत्र दे दोगे लेकिन शहरों में आज भी आजादी के 69 साल बाद आप ग्राण्ट एक्ट का पट्टा दे रहे हो। किस को, उसी व्यक्ति को जो वहां 500 साल से बैठा है, 200 साल से बैठा हुआ है। आज जिसके पास ग्राण्ट एक्ट का पट्टा नहीं और जब शहरों की आबादी बढ़ी और रोजगार के अवसर गांवों में सीमित हुए और गांव का व्यक्ति चल कर शहरों में पलायन करके आया, आज शहरों की शकल पर एक नया अध्याय और जुड़ गया। मैं जब आपकी डिमांड पर बात कर रहा था तब मैंने कहा था कि जयपुर की 25 परसेंट आबादी कच्ची बस्तियों में रहती है, कोटा की लगभग 27 प्रतिशत आबादी कच्ची बस्तियों में रहती है। आप कच्ची बस्ती में 90 मीटर से ज्यादा पट्टा नहीं देते और कच्ची बस्ती में रहने वाला व्यक्ति 90 मीटर नहीं, कच्ची बस्ती में रहने वाले व्यक्ति का परिवार सी-स्कीम में रहने वाले व्यक्ति के परिवार से बड़ा है। वो अगर वहां 200 मीटर, 300 मीटर के भू-खण्ड पर रहता, आपने उसको कच्ची बस्ती में 90 मीटर का पट्टा दे दिया, आप उस 200 मीटर के हक प्रमाण-पत्र के बारे में क्या करेंगे? रहता तो सदियों से है, ग्राण्ट एक्ट का पट्टा नहीं लिया, उसके बारे में क्या करेंगे? इस बारे में भी देखें।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

मैं समझता हूं, मंत्रीजी विद्वान हैं, मैं डाइरेक्ट सैक्शन 25 पर बात कर रहा हूं, औरों पर मैंने चर्चा नहीं की है। क्या वो लोग जो कच्ची बस्ती में बैठे हुए हैं, आपने कह दिया अधिसूचित करेगी राज्य सरकार कि इसका शहर का सर्वे होगा और उसमें आप कच्ची बस्ती को अलग कर देंगे। जो व्यक्ति उस म्यूनिसिपल एरिया में बैठा हुआ है, चाहे उसके ग्राण्ट एक्ट का पास पट्टा है या नहीं है, कच्ची बस्ती में रहता है, पट्टा 90 मीटर का भू-खण्ड अधिशेष बचा हुआ है, उसके बारे में किसका हक मानेंगे आप? इस बारे में भी निश्चित रूप से स्थिति को स्पष्ट करें।

माननीय सभापति महोदय, केवल आखिरी बात, मैं यह भी जानना चाहता हूं, मैं कानूनी पहलुओं पर जाता, लम्बा हो जायेगा, सदन के माननीय लूणी से आने वाले सदस्य जब बोल रहे थे तो ये मेज थपथपाने लगे। ये आपका हक प्रमाण-पत्र जो होगा, हक प्रमाण-पत्र जारी करना, क्या इस हक प्रमाण-पत्र को वो कानूनी वैधताएं प्राप्त होंगी कि इसके आधार पर वो बैंक गारंटी से लोन ले सकता है? इसके आधार पर जहां-जहां भी उसको अपने पट्टे को या किसी मालिकाना हक को मोरगेज रखने की जरूरत पड़ेगी? क्या इस हक प्रमाण-पत्र के आधार पर जहां उसकी प्रोपर्टी को मोरगेज रखने की कानूनी सहूलियत और उसका लाभ लेने की सहूलियतें इस प्रमाण-पत्र के आधार पर उसको मिलेंगी? मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिनके पास पट्टा नहीं है, जिनके पास ग्राण्ट एक्ट का पट्टा नहीं है, आपने इस हक प्रमाण-पत्र को इस रूप में कानूनी मान्यता प्रदान कर दी।

यह उसकी ज़रूरतों के लिए, लोन लेने के लिए या जहां भी प्रोपर्टी की जमानत देने के लिए, यह कानूनी रूप से हक प्रमाण पत्र मान्यता रखेगा, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि वास्तव में ही यह आपका कानून प्रोग्रेसिव कानून होगा।

उस व्यक्ति को जो सैकड़ों सालों से मकान बनाकर के बैठा हुआ है। शहर में आकर के 2 गज जमीन पर छप्पर बनाकर के रह रहा है। शहरी कानून 90 मीटर से ज्यादा नहीं देंगे कच्ची बस्ती को, क्यों नहीं देंगे? कई जगह आप बना रहे हो 360 फीट के मकान, स्लम फ्री करने के लिए। 360 फीट में आप रखना चाहते हो। लेकिन वह 2 हजार फीट में रह रहा है, आपने अगर उसको 2 हजार फीट का उसका हक मानकर के, उसको प्रमाण-पत्र जारी

(श्री प्रहलाद गुंजल)

कर दिया, आपने उसको 90 मीटर का पट्टा देने के बाद 2 हजार फीट में से उसका 1100 फीट पर, हजार फीट पर उसका हक नहीं माना तो फिर आपके कानून का लाभ उस गरीब आदमी को नहीं मिलने वाला है।

शहरों में आप रामपुरा में चले जाइए, 2-2 हजार गज के पुराने मकान हैं। कुछ लोगों के पट्टे होंगे। कुछ के नहीं होंगे। ग्रांट एक्ट में उनको प्रिविलेज प्राप्त हैं। आप हटा भी नहीं सकते। आपका कानून नहीं आया, डेमोक्रेसी नहीं आई उससे पहले के बसे हुए शहर हैं। अगर आप उन लोगों के साथ इस प्रकार का न्याय करते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके इस कानून के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ेगा और यह प्रगतिशील कानून बनेगा।

जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, वह रजिस्ट्री के बाद भी जमीनों के विवाद सुलटाने की गारंटी नहीं देता है। आपका एक्ट गारंटी देगा। आपने व्यवस्थाएं की हैं। कोई भी व्यक्ति ओपन रिकार्ड है। दस्तावेज ले सकता है। एक-एक बात में नहीं जाना चाहता। जो पारदर्शिता आपने इसमें रखी है, लेकिन इसको कानूनी मान्यता व्यक्ति की जरूरतों के हिसाब से पूरी मिले, इस बात की गारंटी दें। तब आप इसकी लाइट में रूल्स, रैगुलेशन बनायें, मंत्री महोदय। इसकी कानूनी वैधता के बारे में विस्तार से बताएं कि व्यक्ति को यह कानून कहां-कहां उसके हक, अधिकार को प्रमाणित करेगा। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से यह बिल एक प्रोग्रेसिव और क्रांतिकारी बिल होगा। राजस्थान के उस व्यक्ति को जिसको सदियों से और दर्जनों सालों से अपनी सम्पत्ति का मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा था, आपके इस प्रमाण पत्र से, इस सर्वे से निश्चित रूप से उसको हक मिलेगा। उसकी अनुभूति बदलेगी। इतना कहते हुए मैंने जनमत जानने के लिए परिचालित करने का जो प्रस्ताव दिया है, उसको वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापतिः श्री सुखराम विश्नोई।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नगरीय भूमि हक प्रमाण-पत्र विधेयक, 2016 इस पर काफी चर्चा हुई। मेरा आपके मार्फत मंत्रीजी से निवेदन है कि इसका अध्याय 2, संरक्षण और अभिलेखा संधारण, इसमें जो पहला शब्द है, क्लाज फर्स्ट में, 'राज्य सरकार जब कभी ठीक समझेगी, राज पत्र में सूचना द्वारा आदेश दे सकेगी'। मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि ठीक समझने का तात्पर्य क्या है? अगर आप ठीक

(श्री सुखराम विश्नोई)

नहीं समझें किसी कालोनी के प्रति, किसी मौहल्ले के प्रति तो वहां क्या अभियान चलाकर के हक प्रमाण-पत्र नहीं मिलेंगे। यह क्या है, ठीक समझेगी। अगर यह कानून मैंडेटरी हो कि जहां भी कालोनियां बसी हुई हैं, पूरा शहर, नगरपालिका क्षेत्र सभी को लेना कम्पलसरी है। इस तरह का इसमें प्रावधान होना चाहिए ताकि सभी लोगों के पास हक प्रमाण-पत्र हो।

सभापति महोदय, यह एक्ट फोर्स में आने के बाद प्राविधिक अधिकारी, ट्रिब्यूनल, अब वर्तमान में ईओ है, उप निदेशक क्षेत्रीय है, निदेशक स्वायत्तशासी संस्था है, यह जो पैरेलल बने हुए हैं, उनकी ड्यूटी क्या होगी? यह इसमें स्पष्ट नहीं किया हुआ है। जब नगरपालिका में हक प्रमाण-पत्र के लिए जायेंगे तो क्या सबूत पेश करने पड़ेंगे? क्या पुराने पट्टे पर ही हम प्रमाण-पत्र दिये जायेंगे या कोई दूसरे 91 के सबूत होंगे या कोई दूसरा सबूत होगा लाइट, पानी का सबूत होगा। किस आधार पर हक प्रमाण-पत्र जारी किये जायेंगे? वह कम से कम स्पष्ट होने चाहिए। कितने पुराने होने चाहिए? कितने साल पुराने लाइट कनेक्शन, बिजली कनेक्शन या दूसरे कोई सबूत हों, ताकि उस आधार पर हक प्रमाण-पत्र जारी किया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि अधिनियम में जो यह सैक्शन इसके आगे है, क्लाज 4, 'जहां कोई भी नगरीय निकाय उप धारा (1) में आदिष्ट किसी सर्वेक्षण का प्रभारी होने के लिए निदेशित नहीं किया जाता है, वहां इस प्रयोजन के लिए नियुक्त राज्य सरकार का कोई अन्य अधिकारी ऐसे सर्वेक्षण का प्रभारी होगा और जहां कोई भी अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाता है, वहां उस जिले का कलेक्टर ऐसे सर्वेक्षण का प्रभारी होगा'। मतलब, यह 3 और 4 में स्पष्ट किया हुआ नहीं है कि वहां जब नहीं होगा तो सीधा कलेक्टर होगा। एक आईएएस को आप जिम्मेदारी दे रहे हो। आईएएस अगर जिम्मेदारी नहीं ले रहा है तो किसको जिम्मेदारी दे रहे हो? इसका भी स्पष्ट होना चाहिए कि आईएएस के पास अपना खुद का ही बहुत ज्यादा काम हैं। नगरपालिका स्तर के छोटे काम को आप दे दोगे तो क्या कलेक्टर उस काम को कर पायेगा। यह भी स्पष्ट होना चाहिए।

सभापति महोदय, क्लाज 5 के अन्दर, भूमि पर प्रवेश, यह माननीय मंत्रीजी हम समझ नहीं पाये हैं कि आपने इसमें लिखा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में, आप उस भूमि के अन्दर जा सकते हैं। सर्वे कर सकते हैं।

(श्री सुखराम विश्नोई)

कोई भी आदमी जा सकता है और सर्वे कर सकता है। सहमति अगर नहीं है परन्तु कोई भी ऐसा प्रवेश, ऐसी किसी भूमि या परिसर पर, जो किसी भी समय अधिमुक्त हो, उसके अधिभोगी की सहमति के बिना जाते हैं तो 24 घंटे पहले नोटिस देना पड़ता है। साथ ही धारा 5 में लिखा है भूमि पर प्रवेश और 6 में आपने लिखा है कि सर्वेक्षण का नोटिस देते हो तो 3 दिन पहले नोटिस तामील होने के बाद ही आप सर्वे कर सकते हो। यह परस्पर समझ में आने वाली बात नहीं है। विरोधाभासी बात है। अब आप अन्दर चले गये, सर्वे आप कर रहे हो तो फिर सर्वे का नोटिस किस बात का दिया जा रहा है? यह थोड़ा स्पष्ट करावें ताकि बात सरल हो जाये।

सभापति महोदय, उसके बाद में धारा 7 में लिखा हुआ है कि 'ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उक्त नोटिस द्वारा अपेक्षितानुसार उपसंजात होने या उपस्थित रहने में विफल रहता है, सर्वेक्षण के परिणामों से उसी रीति से और उसी सीमा तक आबद्ध होगा मानो सर्वेक्षण उसकी उपस्थिति में किया गया हो'। यह जो तामील का प्रोसीजर है, आज जिस तरह से सिविल सूट में तामील होती है, तामील होती नहीं है और साइन कराके वापिस आ जाते हैं। एक सही स्तर पर तामील नहीं होगी। तामील सही नहीं हुई और आप उसकी हाजिरी मानकर के कोई निर्णय करोगे तो यह गलत होगा। इसमें तामील का प्रोसीजर सार्थक बनाया जाये ताकि उसकी तामील भी हो जाये, वह आदमी हाजिर हो जाये, ताकि वह अपने सारे कागजात दे सके।

माननीय सभापति महोदय, उसके बाद सीमा चिह्नों का परिनिर्माण का मामला है, इसमें स्पष्ट लिखा है कि अस्थायी और स्थायी, दोनों सीमा चिह्न हैं और स्थायी के हैं, वह वहां का भूमि धारक है या पट्टा धारक है, किस तरह का है, उसकी जिम्मेदारी होगी कि वह उसकी देखरेख रखे। उसमें कोई तोड़फोड़ नहीं करे। मान लो अगर कर देता है तो उसके ऊपर भी आपको पैनल्टी का प्रावधान किया है। लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत उसकी वसूली होगी। यह भी इस तरह के प्रावधान इसमें नहीं होने चाहिए। अगर वह तोड़फोड़ करता ही नहीं है और दूसरा कर देता है या अस्थायी सीमा चिह्न किस आधार पर किया है, खाली रेत का कर दिया या कच्चा कर दिया तो वह स्पष्ट होना चाहिए ताकि मामला समझ में आये।

माननीय सभापति महोदय, इसके बाद में प्राधिकरण ट्रिब्यूनल बनेगा, उसमें ट्रिब्यूनल में कोई पदाधिकारी होगा, किस ग्रेड का ट्रिब्यूनल होगा, स्पष्ट

(श्री सुखराम विश्नोई)

नहीं है। कम से कम ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ट्रिब्यूनल वहां तो कलेक्टर तक को पावर दे दी, परन्तु ट्रिब्यूनल में किस कैडर का अधिकारी बैठेगा, वह भी इसमें स्पष्ट नहीं है। यह स्पष्ट किया जाये। ताकि मामला सही समझ में आये।

माननीय सभापति महोदय, एक आपने जो दंड का प्रावधान किया है, शास्ति का, कपट, दुर्व्यपदेशन या तथ्यों को छिपाकर प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए शास्ति है, इसमें केवल मात्र जो डीएलसी रेट है, उसके आधार पर शास्ति की जायेगी। यह तो एक गम्भीर अपराध है। आईपीसी के दंडनीय अपराध से 468, फॉल्स डाक्यूमेंट तैयार करता है, एक तरफ फाल्स डाक्यूमेंट तैयार कर रहा है तो आईपीसी पैरेलल आपने अलग धारा बना दी। एक तो कूट रचना करता है, वह तो 468 में जेल जायेगा और एक हक प्रमाण-पत्र में केवल मात्र डीएलसी की शास्ति करके कम किया है अपराध को। यह कानून की मंशा ठीक नहीं है। कम से कम जो छल, कपट करता है उसकी आईपीसी की धारा इसमें गवर्न होनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री रामहेत सिंह यादव।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरीय (हक प्रमाणन) विधेयक, 2016 को मेरा जनमत जानने का जो प्रस्ताव था उसको मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति: डा. फूलचन्द भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, यह कई वर्षों से शहरी क्षेत्र की सम्पदा के बारे में सम्पत्ति और प्रमाणीकरण के बारे में आवश्यकता थी, उसको वर्तमान सरकार लाई है। यह वास्तव में एक आवश्यकतापूर्ण विधेयक है। इसमें अधिकांश प्रावधानों के बारे में माननीय सदस्यों ने विचार किए हैं। मैं केवल एक प्रावधान के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें प्रमाणीकरण की जो फीस तय की है वह आधा परसेंट की है और हमारा एक लाख जिसकी डीएलसी रेट है और तीन सौ गज का प्लाट तो सामान्य बात है, उसके डेढ़ लाख रुपए देने पड़ेंगे और उसका अगर थोड़ा संशोधन करवाना पड़ा तो पन्द्रह हजार रुपए और देने पड़ेंगे। यह हकीकत में ही ऐसी रेट है जिसका हजार गज का प्लाट है जैसे पुरानी बस्ती में हजार गज का प्लाट है तो फिर पांच लाख रुपए और चेंज कराएंगे

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

तो साढ़े पांच लाख रुपए लग जाएंगे। इस प्रकार का फीस का प्रावधान इसमें है। यह राशि ज्यादा है क्योंकि जो पहले से व्यवस्थित है उसकी खुद की प्रापर्टी है, विभिन्न प्रकार से वह काबिज है, हर प्रकार से उसका हक है, उसके प्रमाणीकरण की फीस इतनी बड़ी रखी जाए, यह मुझे उचित नहीं लगता लेकिन मैंने जो संशोधन दिया था उसको मैं वापस लेता हूं।

श्री सभापति: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा। (व्यवधान) आप भी भिण्डाजी से प्रेरणा लेंगे? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नगरीय (हक प्रमाणन) विधेयक, 2016 आज सरकार लेकर आई है, इसमें हक प्रमाणन की व्यवस्था करने का सरकार ने एक तरीके से एक कानूनी अमली जामा पहनाने की चेष्टा की है। माननीय सभापति महोदय, नगरपालिका, नगर परिषद, यूआईटी, सब में एक ही बात बार-बार आती है कि यहां पर इंस्पेक्टर राज है और इंस्पैक्टर राज के कारण से हर व्यक्ति परेशान रहता है और कई तरह की शिकायतें आती हैं। मैं समझता हूं कि इस बिल के आने के बाद में वह इंस्पैक्टर राज और ज्यादा प्रभावी हो जाएगा और उस इंस्पैक्टर राज की वजह से और लोगों में और ज्यादा भय व्याप्त हो जाएगा, मैं समझता हूं कि यह बात गले नहीं उतर रही है। माननीय सभापति महोदय, आज नगरपालिकाओं की सीमाओं में कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इंस्पैक्टर जाते हैं, जो सेवा पूजा कर देता है उसका तो चलता रहता है और बाकी चाहे सड़क के बीच में बनाए चाहे एंक्रोचमेंट करे, कुछ भी करे, जो स्थितियां बनती हैं वह हमसे किसी से छिपी हुई नहीं हैं, हम सब उसके भुगत भोगी हैं और रोजाना हमको टेलीफोन करने पड़ते हैं। यह जो एक्ट लाया गया है इसके आधार पर सरकार उन लोगों को जिनके पास में पट्टे हैं या लीज है उनको प्रमाण-पत्र देने की बात कर रही है, उनके सर्वेक्षण की बात कर रही है और एक प्राधिकारी भी बनाया गया है, मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, उस प्राधिकारी को इतने अधिकार दे दिए और आज नगरपालिकाओं में मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ी माननीय सदस्यों की कांफ्रेंस पांच मिनट बंद करवा दें तो बात हो जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, थोड़ा शांति से। जल्दी कर देंगे, शांति से सुनेंगे तो फटाफट हो जाएगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उच्च शिक्षा मंत्रीजी का तो दिल्ली वाले अख़बार में नाम क्या छप गया उसके बाद में तो बस एकदम ....

श्री सभापति: अब आप अपनी बात कहें। (व्यवधान) प्रोवोक करने की आदत है इनमें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके से सर्वेक्षण की बात कही है, नोटिस देने की बात कही है, 24 घंटे का नोटिस देकर के आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं, उसका डिसाइड करेंगे, मैं समझता हूं, यह और ज्यादा कानूनी पेचीदगियां बढ़ाने वाला है, न कि कम करने वाला है। उसको प्रमाण-पत्र लेने के नाम पर और ज्यादा झगड़े फैल जाएंगे माननीय सभापति महोदय, इसलिए माननीय मंत्रीजी से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको दुबारा देखा जाए कि कहीं हम ऐसा सर्टिफिकेट जारी करने के लिए जो सुविधा के लिए हम बात कर रहे हैं, वह कहीं इतनी बड़ी दुविधा नहीं हो जाए कि हम रोजाना यह झगड़े निपटाते रहें। आईएएस कैडर के अधिकारी की आपने बात कही है, एक कलेक्टर होता है जिले में तो और कौन होता है आईएएस कैडर का अधिकारी, वह कहां बैठेगा, कहां उसका आफिस होगा, नगरपालिका में, मेरे लक्ष्मणगढ़ में मान लीजिए नगरपालिका है तो अब आप उस आईएएस अधिकारी को अधिकार दे रहे हो तो कहां देंगे, वह जिला कलेक्टर को देंगे या जयपुर संभागीय आयुक्त में आना पड़ेगा या डीएलबी में आना पड़ेगा, मैं समझता हूं कि इसका खुलासा नहीं है। अभी हम सबके दिमाग में एक ही था कि सबका सर्वे होगा, सबको सर्टिफिकेट मिलेगा लेकिन मंत्रीजी यह बता रहे थे कि नहीं, यह वालेंटरी है, वालेंटरी है तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर वालेंटरी नहीं है, स्वैच्छिक नहीं है तो मैं समझता हूं इसमें और ज्यादा पेचीदगियां आएंगी, झगड़े बढ़ेंगे और हर परिवार में, किसी के पिताजी मान लीजिए एक्सपायर हो गए, उसके बाद में भाई कह रहा है, मेरा हक है, बहन कह रही है कि मेरा हक है, अभी आपने जो ड्यूटी बढ़ाई है वह हक त्याग कर नहीं सकते, वह रोजाना के रोजाना एक तरीके से नगरपालिका नगर परिषदों के चक्कर लगाता रहेगा और उसकी लीगल सैंक्टिटी क्या है? लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी कहा कि अगर कोर्ट की डिक्री होगी तो फिर आप क्या करेंगे? इस प्रमाण-पत्र को जो

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

एक प्राधिकारी आपने नियुक्त किया है इस एक्ट के माध्यम से क्या वही फाइनल उसका टाइटल की अथोरिटी हो जाएगी कि उसने जो टाइटल दे दिया वही ठीक है। क्या सिविल कोर्ट में किसी को आप जाने से रोक सकते हैं? वह उसका राइट है सिविल कोर्ट और अगर वह सिविल कोर्ट में जाएगा, इसमें यह भी कह दिया कि प्रमाण-पत्र भी देगा और उसने छल कपट से ले लिया तो वह वापस भी ले लेगा। तो इन पेचीदगियों का समाधान इस एक्ट के माध्यम से माननीय सभापति महोदय, नहीं किया गया है। जिस प्रकार से यह साक्ष्य लेकर तय करेगा, मैं समझता हूं कि यह और ज्यादा पेचीदगी वाला काम है, एक छोटा-सा काम है माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमें आज दो साल, तीन हो गए चक्कर लगाते, बारह महीने तो हमारे समय में और दो साल आपके समय में, एक एससी, एसटी के व्यक्ति ने मान लीजिए कोई कालोनी काटी और वह कालोनी काटने के बाद में नक्शा अप्रूव करवा लिया और नक्शा अप्रूव्ड करवाने के बाद में उसमें पट्टे जारी हो गए और पट्टे जारी होने के बाद में 25 परसेंट पट्टे जारी हो गए, 50 परसेंट मकान मिल गए और आज उस व्यक्ति को दुबारा उस जमीन में पट्टे नहीं मिल रहे, उस कालोनी में और इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि 1999 के बाद में अगर किसी एससी के व्यक्ति की जमीन में प्लाट काट दिए, कालोनी विकसित कर दी तो उसको पट्टे नहीं देंगे क्योंकि वह तो एससी का व्यक्ति था। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस व्यवस्था को दो, ढाई, तीन साल हो गए इस बात को करते-करते, बार-बार हम चिट्ठियां भी लिखते हैं, सब कुछ करते हैं लेकिन आज जब आप इतनी सी व्यवस्था नहीं कर सकते तो मैं समझता हूं कि यह तो बहुत बड़ा काम है, यह कोई छोटा काम नहीं है और रोजाना के झगड़े बढ़ जाएंगे। जो इंस्पेक्टर राज है, जो टैक्स वगैरह बनता है वह भी उसको देना पड़ेगा और माननीय सदस्य, भिण्डाजी ने कहा कि यह 0.5 परसेंट, जयपुर में आप देखिए, जिसके पास में ...(व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय, आपकी जांच हो गई हो तो कृपया, खाद्य मंत्रीजी, आप जांच, चालीस पचासेक की घोषणा कर चुके, जांचों का रिजल्ट तो देते नहीं हो और वहां जाकर बात करके डिस्टर्ब करते हो पूरे सदन को।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह और ज्यादा पेचीदगियां बढ़ाने वाला, जनता को परेशान करने वाला बिल कहीं नहीं

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

साबित हो जाए। हमें मंत्रीजी की विद्वता पर तो कोई शक नहीं है लेकिन जिस तरीके का वातावरण जो नगरपालिका, नगर परिषदों का है, और उसमें जिस तरीके से इंस्पैक्टर राज हावी है, कहीं यह बिल लाने के बाद में लोगबाग इस हक प्रमाणन के नाम पर दुबारा झगड़ों में नहीं उतर जाएं, कहीं इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो जाए कि एक व्यक्ति जो किसी भी बैंक में जाएगा तो कहा जाएगा कि आजकल तो कानून आ गया, आप हक प्रमाणन करा कर लाइए, सर्टिफिकेट लाइए और वह इस सर्टिफिकेट के चक्कर में, माननीय सभापति महोदय, आज कोई पट्टा लेता है तो उसकी घिसते-घिसते नगरपालिका और नगर परिषद में चप्पलें टूट जाती हैं और उसको पट्टा ही नहीं मिलता, 90-बी का काम नहीं होगा, उसका नोटिस चस्पा नहीं होगा, उसका अख़बार में नहीं आएगा, फिर उसको मिलता है तो बाद में भी उसको कई तरह की दिक्कतें होती हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां सीकर में यूआईटी है उदाहरण के लिए, आज तीन साल हो गए यूआईटी को, तीन साल में वहां पर दो कालोनियों, एक कालोनी, गोविन्ददेव कालोनी, मेरे नाम से कालोनी उन्होंने काट दी, अब क्या उनके जंच गई, 'गोविन्द' के नाम से काट दी।

कोई बात नहीं, मुझे तो एतराज नहीं है मेरे नाम से, लेकिन उस कालोनी का आज भी हश्र यह हो रहा है उसमें न कन्वर्जन हुआ, लोगों के पैसे ले लिये, हजारों लोगों ने पैसे दे दिये, वापस लाने जाते हैं तो पैसे काटकर वापस देने की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि नगरपालिकाओं के पास संसाधन नहीं हैं। आज छोटी-छोटी नगरपालिकाएं हैं, गवर्नमेंट की तरफ से तो उनको कुछ मिलता नहीं है। जब गवर्नमेंट के पास संसाधन नहीं हैं, ऐसी-ऐसी नगरपालिकाएं हैं जिनमें एक बाबू है, दो बाबू हैं। अब वे क्या व्यवस्था करेंगे, किस तरीके से सर्वे करेंगे, किस तरीके से इनकी व्यवस्था होगी, ये सारी चीज समझने की है। इसलिए मैं यह नहीं कहता कि आपने बिना सोचे-समझे, क्योंकि औरों के लिए, कइयों के लिए लागू हो सकती है, लेकिन हमारे मंत्रीजी के लिए कम से कम यह तो लागू नहीं होती कि इन्होंने पढ़ा नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं और अधिकारियों ने यों ही गुपचुप में पेश करा दिया, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इसकी पेचीदगियां फील्ड हैं उनकी जानकारियां करने के लिए माननीय मंत्री महोदय, उसके लिए जनमत जानना जरूरी है कि जनता को कहां-कहां क्या-क्या प्रोब्लम्स आ सकती हैं, किस प्रकार से नगरपालिकाओं

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

में क्या दिक्कतें आ सकती हैं, सर्वे में क्या हो सकता है, कितने टाइटल के लिए पूरे परिवार में झगड़े होंगे। हमारे यहां शेखावाटी में ऐसी-ऐसी हवेलियां हैं जो 100-100 साल पहले छोड़कर चले गये, करोड़ों रुपये की हवेलियां हैं, हैरिटेज हवेलियां हैं, मैं समझता हूं उनमें जब सर्टिफिकेट की बात आएगी तो उनमें आपस में घमासान मच जाएगा और मैं समझता हूं कि आपका यह सर्टिफिकेट विवाद की जड़ न बन जाएं कि इस तरह के विवाद दुबारा न हो जाए। इसलिए इस राजस्थान नगरीय भूमि (हक प्रमाणन) विधेयक, 2016 को जनमत जानने के लिए परिचालित करना चाहिए, लोगों की राय लेनी चाहिए और उसके बाद में इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो नगरपालिकाएं हैं जिनके पास संसाधन भी नहीं हैं, सर्वे के चक्कर में लोगों को पट्टे नहीं मिल रहे हैं। वो कहते हैं एक कालोनी में पट्टे देने हैं तो उसका तो नक्शा ही नहीं बना। जब नक्शा बनाने की बात आती है तो नगर परिषद कहता है हमारे पास में संसाधन नहीं है हम कहां से बनाएं। प्राइवेट लोगों से नक्शे बनवाये थे उनमें पता नहीं कितनी गलतियां रह गईं।

श्री सभापति: सत्ता पक्ष तालियां बजा रहा है आपके लिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): संसदीय कार्य मंत्रीजी, मैं तो 10 मिनट बोला हूं। माननीय सदस्य ने एक घंटा बोला और वे अच्छा बोले। जब विधेयक की बात आती है तो यह कायदे की बात है कि विधेयक के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। यह सदन ही कानून बनाने के लिए है। यहां रसगुल्ले खाने के लिए नहीं है, यह तो कानून बनाने के लिए है। आप डिमाण्ड में हैण्डपम्प दे देना, हैण्डपम्प दे देना और मंत्रीजी शाम को जब जवाब देते हैं तो एक हैण्डपम्प देते नहीं किसी को। इसके लिए सदन थोड़े ही है। मैं यह कहता हूं कि यह सदन ही कानून बनाने के लिए है, कानून पर चर्चा करने के लिए है और जितनी ज्यादा संजीदगी से चर्चा होगी...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें। आपकी बात पूरी कीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बात पूरी ही तो कर रहा हूं, कोई गुठले थोड़े ही गिट रहा हूं।

श्री सभापति: आप दूसरी बात कहने लग गये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं बात ही तो पूरी कर रहा हूं, लेकिन ये संसदीय कार्य मंत्रीजी...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप हैण्डपम्प में उलझ गये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये संसदीय कार्य मंत्रीजी मेरे को और ज्यादा निखारना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये और ज्यादा निखरें। मेरे इतने वैल विशर हैं क्योंकि मैं इनका छोटा भाई हूं, ये मेरे बड़े भाई है, फिर चूरू, सीकर, लक्ष्मणगढ़ एकदम एडजोइनिंग हैं।

श्री सभापति: मेडिकल कालेज भी दिया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये इशारा यह कर रहे हैं कि समय चाहे कुछ भी लग जाय, लेकिन पूरी बात...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपको उस रास्ते की सौगंध है, विराज जाओ आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं इनकी बात टाल नहीं सकता।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसलिए यह जो बिल है उसके बारे में पहले जनमत जानना चाहिए, पूरी सुविधाएं किस प्रकार से हों, क्या अथोरिटी हों, क्या करेगी, किस प्रकार से वहां नगरपालिकाओं में संसाधन होंगे, ये सारी व्यवस्था करने के बाद में इसको लाना चाहिए। इसलिए जनमत जानने के लिए परिचालित करने का मैं निवेदन करता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री घनश्याम तिवाड़ी (अनुपस्थित) श्री शुभकरण चौधरी (अनुपस्थित) श्री रमेश। चलो थैंक यू। श्री हनुमान बेनीवाल (अनुपस्थित)।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नगरीय भूमि (हक प्रमाणन) विधेयक, 2016 के संदर्भ में चर्चा हो रही है। वैसे जो हक प्रमाणन सर्वे का विधेयक ला रहे हैं, वैसे एक अच्छा विधेयक है। यदि वास्तव में पारदर्शिता के साथ काम किया जाय और इसमें हमारे जोगाराम जी ने जो संशोधन बताये थे कि इसमें लिटिगेशन हो जाएगा, कोर्ट में चले जाएंगे तो उससे लोगों को फायदा नहीं मिलेगा। इसमें संशोधन करके उसके बाद पारित कराएं तो अच्छा है।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सर्वे, जितने भी प्लाट्स हैं पूरे राजस्थान में करना चाहेंगे नगर निकायों में, वहां सर्वे सभी जगह पर हो, कंपलसरी हो जाय तो जो डिस्पुटेड मैटर हैं, उनका करीब-करीब निस्तारण हो जाएगा। लेकिन डिस्पुटेड मैटर्स में जो अधिकारी नियुक्त रहेगा

(श्री रमेश)

या प्रभारी अधिकारी होगा वह किस लेवल का होगा, उसकी हैसियत क्या होगी। यह तो कह दिया कि कोई नहीं होगा तो बाद में उसका प्रभारी कलेक्टर होगा। ये चीजें जरूरी हैं कि उसमें पारदर्शिता के साथ में काम हो और किसका कब्जा है, कौनसे कागज होंगे, क्या पैरामीटर होंगे, इसकी भी सारी जानकारी हो और हक प्रमाण-पत्र बनाने की बात हो रही थी कि प्रोविजनल बनेगा, उसके बाद अंतिम प्रमाण-पत्र मिलेगा। जो भी बनाओ आप 15 दिन में बनाओ, 20 दिन में बनाओ, महीने भर में बनाओ, 15 दिन का जो समय रखा है उसमें एकदम फाइनल हक प्रमाण-पत्र बनाओ। उसमें ऐसा नहीं कि बाद में उसको कैंसिल कर दो जैसा आपके बिल में है कि उसको कैंसिल भी कर देंगे। इतनी मेहनत करेगा आदमी, चक्कर काटेगा, उसके बाद वह कैंसिल हो जाएगा। उसकी अपील भी उस अधिकारी के पास होगी तो अपील नैक्स्ट अधिकारी के पास होनी चाहिए। यह हक प्रमाण-पत्र बनेगा उससे क्या रजिस्ट्री हो पाएगी या उससे हैसियत प्रमाण-पत्र मिल पाएगा या बैंक से लोन मिल पाएगा यह जानकारी भी थोड़ी सी हो जाय कि हक प्रमाण-पत्र मिलेगा। इस पर आपने ड्यूटी रखी है, जो फीस लगेगी उसकी दर क्या होगी?

सैक्शन 37 में समय सीमा तय नहीं की है। रिकवरी वाला रखा है उसमें पहले जोगाराम जी ने बता दिया, उसमें मैं चर्चा नहीं करूं। मैं जो मेन बात कहना चाहता हूं, सभी कह रहे हैं लम्बा नहीं खींचें। जो आप लाने जा रहे हैं...(व्यवधान) मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं आप सुन लें। जिस प्रकार पृथ्वीराज नगर में अभी पट्टों में अनियमितताएं हुईं, सड़कों के अलाइनमेंट चेंज कर दिये गये और इसमें भ्रष्टाचार हुआ तथा मंत्रीजी को खुद को जाना पड़ा, शिकायत मिली, शिकायत के बाद कहा मैं एसीबी से जांच कराऊंगा। उसके बाद कहा एसीएस से जांच कराऊंगा। कहीं ऐसा नहीं कि आप ला तो रहे हो कि सर्वे करा देंगे, वहां पर स्थायी चिह्न लगवा देंगे, सारी व्यवस्थाएं हम कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो कि भ्रष्टाचार का नया सिस्टम डवलप हो जाय, लोगों को परेशानी पैदा हो जाय, चक्कर काटते रहें, उसके बाद में पता लगे कि हक प्रमाण-पत्र की कोई वैल्युएशन ही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप जो सर्टिफिकेट देंगे, चिन्हित करेंगे वह कोर्ट कचहरी में सिस्टम नहीं बन जाय, एविडेंस का एक नया प्रूफ हो जाय कि हमें तो हक प्रमाण-पत्र मिल गया है, चाहे वह फर्जी आदमी है, लेकिन हक प्रमाण-पत्र के आधार पर कोर्ट में जो ओरिजिनल आदमी है, जिसकी जमीन है, उसके पास

(श्री रमेश)

कागज है, कहीं ऐसा नहीं हो दूसरे के प्लाट पर कब्जा कर ले, दूसरे का प्लाट या उसकी सम्पत्ति हड़प ले। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि राजस्थान नगरीय भूमि (हक प्रमाणन) विधेयक, 2016 का मैं विरोध करता हूं और तीन माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करने के लिए मैं निवेदन करता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हनुमान बेनीवाल। (अनुपस्थित) श्री घनश्याम (अनुपस्थित) विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे मानिक चंद जी सुराना। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): राज्य सरकार और अपनी इस विधान सभा की प्रक्रिया में कहीं तो यह ध्यान होना चाहिए कि हम दो बिल से अधिक बिल पास न करें। हम वह तो कर नहीं सकते कि दो बिल की सीमा हो। आखिर हमको तो घास काटनी ही है कि तीन-तीन बिल हम एक साथ पास करा रहे हैं चाहे कोई बिल कितना ही महत्वपूर्ण हो। माननीय सदस्यों की अधीरता तो मैं समझता हूं, आखिर 10.40 का समय हो गया है।

सभापति जी, मैं निवेदन करूंगा यह जो विधेयक है, यह विधेयक जहां तक सर्वे करने का प्रश्न है, रजिस्टर बनाने का सवाल है और मैप्स बनाने का सवाल है।

सभापति जी, ये प्रावधान तो भू-राजस्व अधिनियम जो हमारा 1959 में पास हुआ उसमें 1959 में ही संशोधन आया कि सर्वे आफ आबादी एरियाज और पूरा चैप्टर है कि सर्वे आफ आबादी एरियाज हो। 1959 से लगातार 41 साल तो 2000 में हो गये और 16 ये गये तो 57 साल में राज्य सरकार ने किसी भी आबादी एरिया का सर्वे नहीं किया और वो प्रावधान जो सर्वे में हैं, माननीय मंत्री महोदय, वो ही प्रावधान करीब-करीब आपके सर्वे वाले पोर्शन में हैं।

सभापति जी, इस बिल को मैं दो पार्ट में देखता हूं। एक तो सिर्फ सर्वे तक और एक धारा 21 के बाद, जहां है कि यह हक प्रमाणन के लिए अधिकारी की नियुक्ति होगी और हक प्रमाणन किया जाएगा। सभापति जी, जहां तक सर्वे का पार्ट है, मैं अधिक बात कुछ नहीं कहूंगा, नगरीय भूमि हक प्रमाणन अधिकारी की नियुक्ति, वो ठीक है कि नियुक्ति होनी चाहिए पर प्रश्न यह है कि इसके परव्यू में कौन आये। आज राजस्थान की 28 परसेंट आबादी शहरों

(श्री मानिक चन्द सुराना)

में है और 28 परसेंट आबादी में हक प्रमाणन यदि हरेक के लिए आवश्यक है, तो मैं यह कानून पढ़ता हूं, विधेयक पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि हरेक के लिए आवश्यक है। मैंने कल-परसों आपसे बात की तो आपने फरमाया था कि आप्शनल है। माननीय मंत्री महोदय, मैं चाहता हूं कि आज इसमें ऐसा प्रावधान डाल दें कि यह हक प्रमाणन आप्शनल है। लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा कि जिनके कोई विवाद है ही नहीं, जो संतुष्ट हैं कि हमारे कोई विवाद है ही नहीं, जिनके या तो रियासतकालीन पट्टे हैं, चाहे जयपुर महाराजा के दिये हुए हैं, चाहे बीकानेर महाराज के, चाहे जोधपुर महाराज के, चाहे उदयपुर महाराज के, और जिनके परिवारों में भी कोई विवाद नहीं हैं तो वो क्यों हक प्रमाणन के लिए आयें, यह आपके सोचने की बात है। अन्यथा आप यह ध्यान करें कि राजस्थान के कितने नगरीय, अरबन एरियाज में हमारी नगरपालिकाएं जो 188 हो गईं...

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अब 189 हो गईं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): 189 हो गईं, वो तो आप ज्यादा अपडेटेड हैं। तो 189 में कितने परिवार हैं? मेरा निवेदन है कि धारा 22 में आप इसको आप्शनल रखें और आप्शनल इसलिए रखें कि हक प्रमाणन जिनको कराना है, जो किसी भी कारण से आना चाहते हैं हक प्रमाणन में, वो आयें और जो समझते हैं कि हमारे तो कोई विवाद है ही नहीं, उनके लिए हक प्रमाणन में आवश्यक नहीं है। माननीय मंत्रीजी, जो भाषा आपकी इस 22 की है वो भाषा बिल्कुल मेंडेटरी है। आपने लिखा है – 'कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी नगरीय भूमि में हक धारित करता है, या कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् किसी नगरीय भूमि में कोई हक अर्जित करता है, ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर-भीतर, जो विहित किया जाये, आवेदन कर सकेगा।' माननीय मंत्रीजी कुछ संशोधन इस धारा में किया है। माननीय मंत्रीजी द्वारा खण्ड 3, खण्ड 22, खण्ड 27 और खण्ड 30 में संशोधन किये गये हैं।

सभापति जी, मैं जो इस बिल को प्रवर समिति में भेजना चाहता हूं, कुछ संशोधन मैंने भी किये हैं। माननीय मंत्रीजी द्वारा जो 4 संशोधन आज सर्कुलेट किये गये हैं वो इस बात का प्रमाण है कि इस बिल को प्रवर समिति

(श्री मानिक चन्द सुराना)

को भेजा जाना आवश्यक है। यह तो आपने बहुत ध्यान देकर खण्ड 3 में संशोधन किया है जहां 'अध्याय' को अब 'अधिनियम' लिखना पड़ा है। खण्ड 22 में आपने संशोधन किया है कि 'हक प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए।' मैं निवेदन यह करना चाहता हूं, मेरा संशोधन इसमें यह है कि जिनके पास रियासतकालीन पट्टे हैं और जिनके पास आज भी यूआईटी के द्वारा प्रमाण पत्र, कोई सेल में, आक्शन में लिये हुए प्रमाण-पत्र हैं तो कल तक तो यूआईटी से प्रमाण-पत्र लिया, आक्शन में जमीन ली, टाइटल है तो आपके पास क्यों आयें? किस कारण से आये? मेरा निवेदन यह है कि इसको हम मकड़जाल न बनायें, हम आप्शनल रखें और आप्शनल की भाषा इस 22 में डालें। कृपा करके उस भाषा को 22 में डालिये अन्यथा हर गांव, हर घर के लिए यह मेंडेटरी होगा और हर घर के लिए मेंडेटरी होगा तो, सभापति जी, शायद राजस्थान की प्रबुद्ध जनता इसको पसन्द नहीं करेगी और अनावश्यक ही वातावरण सरकार के खिलाफ बनेगा, इस बिल के खिलाफ भी बनेगा। तो मेरा पहला निवेदन यह है कि आप इसमें संशोधन करने की कृपा करें जिससे कि यह मेंडेटरी न होकर आप्शनल हो कि वो हक प्रमाणन के लिए आपके सामने आये या नहीं आये।

सभापति जी, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान धारा 13 अभिलेखों का संधारण की तरफ दिलाना चाहता हूं। माननीय मंत्रीजी, धारा 13 (2), धारा 13 (3) और धारा 13 (4), आप इनको गौर से पढ़ें, ये तीनों धाराएं एक ही खण्ड में सम्मिलित की जा सकती हैं। इसमें जो कुछ कहा गया है, 13 (2), 13 (3), 13 (4) में, इसको खूबसूरती से 13 (2) में ही सारी चीज आ सकती है और (3) और (4) की कोई आवश्यकता नहीं है।

मैं निवेदन करूंगा कि यदि हक प्रमाणन आप्शनल है तो बहुत आवश्यक कानून है और हक प्रमाणन यदि ऑप्शनल नहीं है, मेंडेटरी है तो यह बहुत रिट्रोग्रेड कदम होगा इस सरकार का कि जिसके कोई विवाद नहीं है उसको विवाद के घेरे में लाकर आपके प्राधिकृत अधिकारी या आपके आईएएस आफिसर के सामने खड़ा करने लग जाएं।

सभापति जी, आपने धारा 21 में जो प्रावधान किया है, 21 में आपने कहा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। मेरा निवेदन है कि हक प्रमाणन करना है तो आरएचजेएस और

(श्री मानिक चन्द सुराना)

आदमी, जो डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल का है, वो क्यों नहीं लगा दिया जाए? राजस्थान में आखिर तो हक प्रमाणन, सिविल राइट्स से मतलब है और सिविल राइट्स में जो आज डिस्ट्रिक्ट जज की कैटेगिरी का है, आपकी तनख्वाहों में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा यह तो इम्मैटीरियल है इस बात के लिए, पर आदमी न्यायिक प्रणाली का ही होना चाहिए। हमने बहुत आईएएस अफसर देखे हैं। मेरे बीकानेर में भी आपके नगर निगम में एक आईएएस आफिसर कोई एन.एल. मीणा साहब हैं, वो एन.एल. मीणा साहब की करतूत यह है कि नगर निगम को काम ही नहीं करने दे रहे। यह मेरे पास में पुरुषोत्तम जी बियाणी का पत्र है 2.2.2016 का, वहां एक नगर निगम की मीटिंग हुई, नगर निगम ने बीकानेर नगर निगम भवन नियम, 2013 बनाये और जब नगर निगम ने बना लिये और उसको एप्रूवल भी 2.2.2016 के पत्र से माननीय पुरुषोत्तम जी बियाणी ने कर दिया तो आईएएस आफिसर चुप कैसे रहने वाला था। 2.2.2016 को जब उन्होंने इस आधार पर इसको खारिज किया कि सैक्शन 49 (2) में जो समय सीमा दी हुई है आपत्ति करने की, उस समय सीमा के भीतर उसने लिखा नहीं, उन्होंने मीटिंग के कोई 18 दिन बाद लिखा और इस आधार पर डायरेक्टर, लोकल बाडीज ने इसको खारिज किया तो उन्होंने दूसरा पत्र एक और डाल दिया कि एक नगर में दो तरह के नियम नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? आपके जयपुर विकास प्राधिकरण के नियम अलग हैं, नगर निगम जयपुर के नियम अलग हो सकते हैं। नगर निगम को शहर पनाह के अन्दर भी डील करना है, शहर पनाह के बाहर भी डील करना है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य हैं, कितना अच्छा बोल रहे हैं और सबने कांफ्रेंस रूम बना लिया सदन को ही। मंत्रियों से इस तरीके से...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं तो विराज जाऊंगा लेकिन आप भी कुछ कराइयेगा, आसन भी तो कुछ करेगा। आसन के ध्यान में लाये हैं कि कांफ्रेंस रूम बना लिया इन्होंने सदन को ही।

श्री सभापति: विराजिये आप। माननीय सदस्य, ये इतना अच्छा बोल रहे हैं कि आप बाहर पधार गये थे और अभी आये हैं आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अच्छा, यही तय हो गया कि यहां बैठेगा वो भी पार्टीबाजी की बात करेगा। अगर मैंने सही बात कही है तो आपको काग्नीजेंस लेना चाहिए।

श्री सभापति: पार्टीबाजी वाली बात नहीं कर रहा हूं। माननीय सदस्य, आप सही कह रहे हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप इतने वरिष्ठ हैं और आसन पर विराजमान हैं, मैंने कोई गलत बात कही है क्या? आप मेरे को ही कह रहे हैं कि विराजो। मैं तो विराज ही रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं। उनको डिस्टर्ब मत करिये प्लीज।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, तो कम से कम मंत्रियों को तो हिदायत दें।

श्री बंशीधर (खण्डेला): विराजें विराजें। आप बैठ जाइये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं आपका ध्यान इस बात के लिए आकर्षित करता हूं कि आईएएस की फैंसी आप जैसे विद्वान आदमी की तो होनी ही नहीं चाहिए शेखावत साहब। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, बहुत माननीय सदस्य विराजे हुए हैं। उनमें से बहुत योग्य भी हैं पर जब वह निकम्मेपन पर आते हैं और जब वह जन प्रतिनिधि को फंक्शन करने के लिए अवरोध पैदा करते हैं तो उनसे घटिया और किसी सर्विस का आदमी नहीं हो सकता। वह तो जोम में है कि मैं आईएएस हूं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने जो पत्र 8 तारीख को लिखा। अभी तक पत्र पैंडिंग है डीएलबी के यहां। एक शहर में दो नियम होंगे ही होंगे। गंगासिंहजी महाराज ने जो पट्टे दिये, वह 150-200 गज के हैं। बीकानेर शहर में 150-200 गज के मकान हजारों हैं और आज 150-200 गज के मकान पर यदि वही सैटबैक लागू किये जायें जो नई कालोनीज में लागू किये जाते हैं, कुछ बनेगा ही नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह इर्रेशनल बात है कि एक शहर में एक ही नियम रहेंगे। और खूबी यह है कि जब देखता है कि डीएलबी में रिजेक्ट कर दिया तो उसने टाउन प्लानिंग का रास्ता पकड़ लिया और टाउन प्लानिंग से अलग डील कर रहा है और मैटर वह का वह है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आईएएस आफिसर सिंघवी साहब नहीं थे क्या जो फोरेस्ट में थे? या आईएएस आफिसर जी.एस. संधु नहीं हैं जिनका एकल पट्टा प्रकरण अभी भी पैंडिंग है। इसमें लाखों पट्टों का मामला है

(श्री मानिक चन्द सुराना)
माननीय मंत्री महोदय। मैं निवेदन करूंगा कि उचित तो यह हो, मैं तो आरएचजेएस का कह रहा हूं। आप किसी प्रबुद्ध हाई कोर्ट के जज को, जो सिविल लॉ से भिज्ञ हैं, उनको इसका प्राधिकरण का अध्यक्ष बनायें ताकि यदि हक प्रमाणन ही करना है, चाहे उसमें आप्शनल लोग आयेंगे। जो लोग आयेंगे, वह भी लाख-पचास हजार से कम नहीं होंगे। उनके भी फेट का सही तरीके से निर्णय हो। यह मेरा आपसे निवेदन है।

मैंने तो खैर आरएचजेएस का ही अमेंडमेंट रखा है। लेकिन मेरा निवेदन है कि इसको चूंकि प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव है कि इसको आप और देखें और हाई कोर्ट के प्रबुद्ध जज को जो सिविल लॉ में माहिर रहे हैं, उस तरह के व्यक्ति को छांटकर इस प्राधिकरण का अध्यक्ष बनायें।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान धारा-25 की ओर आकर्षित करता हूं। हम दो बार पट्टा दे रहे हैं। एक, अनन्तिम पट्टा और एक फिर दो साल बाद, उसका फाइनल पट्टा। माननीय मंत्री महोदय, यह जो पट्टे के निरस्तीकरण के समय हम जो कह रहे हैं कि जहां किसी न्यायालय के समक्ष या अन्यथा विवादित है, वहां दिया हुआ पट्टा निरस्त हो जायेगा। धारा-25 के सब-सैक्शन (2), ''किसी भी व्यक्ति को हक का कोई भी अनन्तिम प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जायेगा।'' (ख) जहां हक किसी न्यायालय के समक्ष अन्यथा विवादित है।'' मेरा निवेदन है कि जब वह आदमी हमारे पास एप्लाई करने आता है माननीय मंत्री महोदय, उसी वक्त एफिडेविट लीजिए कि मामला हमारा किसी कोर्ट में पैंडिंग नहीं है। जिसका मामला पैंडिंग है, वह एफिडेविट देगा ही नहीं और यदि देता है और वाकई में यदि मैटर सिविल कोर्ट में पैंडिंग है तो वह प्रोसीक्यूशन के लायक हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि साधारण आदमी जिसका मैटर पैंडिंग है, वह देगा ही नहीं। इसलिए यह प्रक्रिया तो हम पहले ही कर सकते हैं। एक तो पट्टा जारी करें, उससे प्रत्याभूति की फीस लें, सर्टिफिकेशन की फीस लें, फिर उसको रिफण्ड करें। ये दो काम हम करें ही क्यों? इसलिए मेरा निवेदन है कि यह प्रिकाशन तो पहले ही ले लीजिए। यह प्रिकाशन तो प्रार्थना पत्र आते वक्त ही अपन ले सकते हैं, नियमों में ले सकते हैं। शपथ पत्र ले सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक बार यदि पट्टा जारी होता है, उससे पहले ही हमको एन्श्योर करना है कि सिविल कोर्ट में कोई मैटर पैंडिंग नहीं है ताकि इस आधार पर जो प्रोविजनल पट्टा हमने दिया है, उसको खारिज करने का कोई मैटर न रहे।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि मेरे इसको प्रवर समिति को भेजे जाने के जो कारण हैं, उसमें यह भी कारण है कि यह जो प्रिकाशंस तो हम पहले ले सकते हैं, बाद में लेने की आवश्यकता ही नहीं है।

अब आप जरा धारा-29 को देखें। क्षतिपूर्ति। वैसे तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह प्रावधान बहुत शानदार प्रावधान है। एक बार हमने किसी को पट्टा दे दिया और उस पट्टे के आधार पर किसी ने उससे एग्रीमेंट कर लिया और एग्रीमेंट करने के बाद में यदि हमने जो सर्टिफिकेट दिया, उसमें कोई त्रुटि पाई गई जो हमने मेंशन की है, उसके अलावा कोई त्रुटि पाई गई तो आपने प्रोविजन किया है कि ''राज्य सरकार की ओर से प्रमाणन अधिकारी से प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा;'' मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रमाणन अधिकारी, ऊपर आपने यह भी लिखा है कि गुड फेथ में जो किया जाएगा धारा-32 में ''सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण है।'' तो माननीय मंत्री महोदय, धारा-32 में सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण और उसके बाद उससे प्रमाण-पत्र जारी, प्रत्याभूतिदाता के रूप में राज्य सरकार की ओर से प्रमाणन अधिकारी से प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा।'' ये दोनों ही कंट्राडिक्ट्री बातें हैं।

(22.56 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

और उसके सैकड़ों-हजारों केस होंगे तो राज्य सरकार पर आज कोई लाइबिलिटी नहीं है आपकी इस धारा-29 के मार्फत। मैंने शानदार इसलिए कहा कि एक बार पट्टा जारी होने के बाद, प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद यानी स्टेट गवर्नमेंट या उसके अधिकारी उसके लिए लाइबल होते हैं, इसलिए मैंने कहा, यह शानदार प्रोविजन है। पर मैं निवेदन करता हूं कि यह प्रैक्टिकल नहीं होगा। यदि वह सद्भावनापूर्वक कार्रवाई मानी जायेगी तो कोई प्रतिकर दिया ही नहीं जायेगा। इसलिए भी इस बिल को जिसमें एक पार्ट बिलकुल जरूरी है कि हम सर्वे करें, नम्बर डालें, मैप्स बनायें, इसका रजिस्टर संधारण करें जो राजस्व एक्ट में चैप्टर 7(ए) में लिखा है। जो 1959 के बाद कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसको आप इम्प्लीमेंट करें। लेकिन ये आईएएस आफिसर की जगह धारा-21 में आरएचजेएस या हाई कोर्ट के जज को लगायें और इसमें मुझे मालूम है कि शायद आप प्रवर समिति को भेजने के प्रस्ताव को वापस लेने

(श्री मानिक चन्द सुराना)

का, जैसा हाउस का मूड है, प्रवर समिति को भेजने के प्रस्ताव को आप मंजूर नहीं करेंगे तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे निवेदन को यह कहकर समाप्त करता हूं कि आवश्यकता तो इसको प्रवर समिति को भेजने की है पर राज्य सरकार की या माननीय मंत्रीजी की कोई मजबूरी हो कि उसको नहीं भेजना है तो उस स्थिति में मैं मेरे प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल जिस पर आज चर्चा सदन के माननीय सदस्यों ने की है, काफी माननीय सदस्यों ने अच्छे सजेशन्स दिये हैं, अच्छी बात की है तो मुझे लगता है उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को जरा ध्यान से पढ़ा गया होता और काम्प्रिहेंसिवली पढ़ा गया होता तो मुझे लगता है, जिस प्रकार के क्रिटिसिज्म करने का प्रयास किये गये हैं, वह यहां पर नहीं होते। इस एक्ट के अन्दर इस बिल के सामने पहले ही लिखा हुआ है। पहले तो "(3) It shall come into force in such urban areas of the State and from such date as the State Government may by notification in the Official Gazatte appoint from time to time and different dates may be appointed for different areas." दो चीजें हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय। एक तो मैंने जैसा पहले कहा था कि एक तो यह हिन्दुस्तान में पहला इस प्रकार का प्रोग्रेसिव बिल लाया गया है और जैसाकि लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि सर्वे का काम इतना बड़ा हो जायेगा। लाखों की तादाद होगी, हजारों की तादाद होगी। उसको मैनेज करना मुश्किल हो जायेगा। उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जायेगा। तो मैंने निवेदन किया कि यह चूंकि हिन्दुस्तान के अन्दर यह अपनी तरह का पहला बिल है। हिन्दुस्तान के बाहर तो कई देशों में यह पहले से है। ब्रिटेन में है, कनाडा में है, इंग्लैण्ड में है, जर्मनी में है लेकिन हिन्दुस्तान में यह बिल नहीं आया है। इसलिए हमने इसको धीरे-धीरे राजस्थान के वेरिएस इलाके में एक्सपेंड करने की मंशा है।

दूसरा, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह उन्हें लगता है कि यह मेंडेटरी है...

(23.00 बजे)

सैक्शन-22. "A person who either holds title of any urban land immediately before the commencement of this Act, or a person who acquires title of

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

any urban land after the commencement of this Act, may apply in such manner and within such time as may be prescribed."

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस एक्ट के विधान सभा के पटल पर लाने से पहले कैबिनेट में डिस्कसन के दरमियान जिन सब चिंताओं की चर्चा आज आपने की है। वो कैबिनेट के मेरे माननीय सहयोगियों ने कुछ उन प्रकार की चिंताओं की बात की थी और इसीलिए कैबिनेट ने एक सब कमेटी बनाई और सब कमेटी में कटारिया साहब चेयरमैन थे, राजेन्द्र जी, मैं था, कालीचरण जी थे और इन चिंताओं की चर्चा इस कमेटी में की गई। और इसीलिए जब एक्ट का ड्राफ्ट जो हम कैबिनेट में लाए थे वह मेन्डेटरी था और इसीलिए उस "शैल" शब्द को सब्स्टीट्यूट किया "मे" से और इस "शैल" शब्द को जब "मे" से सब्स्टीट्यूट किया तो यह मेन्डेटरी नहीं रहा। इसलिए दोनों प्रकार की एप्रिहेंशंस की इतना वाल्यूम इतना झटके से बढ़ जाएगा, हजारों, करोड़ों लाखों आ जाएंगे। जिनको कंट्रोल करना पासिबल नहीं होगा, जिसको मानिटरिंग करना पासिबल नहीं होगा और दूसरा यह लगता है कि यह मेन्डेटरी है, माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह मेन्डेटरी नहीं है इसमें स्पेसिफिक सैक्शन-22 में है। (व्यवधान) आप तो वकील हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं वकील हूं, पर 'मे' को अनेक सैकड़ों एक्ट में शैल पढ़ा गया है और जब आपने जो फरमाया है वह आप्शनल है तो यह लिखने में प्रिक्योशन के तौर पर कोई दिक्कत नहीं है कि प्रोविजो डालकर के हम इसको साफ करें।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं सोचता हूं कि यह सफिशिएंट है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय उसके बावजूद भी यह लगता है एप्रिहेंशंस है तो मैं रिकार्ड पर कह रह रहा हूं कि यह होने चाहिए और ये "मे" का मतलब यहां पर वालेंटरी है।

यह प्रोग्रेसिव बिल है माननीय अध्यक्ष महोदय। आप तो जानते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय कि कृषि भूमि के लिए वैल डाक्यूमेंटेशन है तो अबरन लैंड में उस प्रकार का वैल डाक्यूमेंटेशन नहीं है। आज जयपुर के अन्दर आप किसी मकान में मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग बनाना चाहते हो, अपना नक्शा पास कराना चाहता है। छोटे व पांच सौ गज के मकान में नक्शा बनाना है तो लोग

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

कहते हैं चैन आफ डाक्युमेंट लाओ। यह प्लाट आया कैसे आपके पास और एक पूरा का पूरा बस्ता लेकर के आदमी जाता है और बस्ते के डाक्युमेंट देता है। ए से बी के पास गया, बी से सी के पास गया, पट्टा जेडीए से मिला, इलाका नगर निगम में आ गया और चैन डाक्युमेंट किसमें गिफ्ट हो गई है, किसी में सैल हो गई है, किसमें सक्सेशन हो गया है। और वह पूरा का पूरा बस्ता लेकर जाता है जिसको एग्जामिन करना और एग्जामिन करके यह पुख्ता कर लेना कि यह टाइटल जिसका वह क्लेम कर रहा है वह टाइटल पजेज्ड है। इसलिए कई टाइटल पजेज्ड होने के बावजूद भी प्रिज्मटिव होता है। इनफरेंस के आधार पर राजपाल सिंह जी का बेटा है तो उनका ही होगा। शाहपुरा का गढ़ राव साहब का ही होगा। होगा क्या होता है? यह टाइटल प्रिज्मटिव क्यों हो? यह टाइटल इनफरेंस के आधार पर क्यों हो? यह टाइटल डेफिनेट क्यों नहीं हो और यह टाइटल डेफिनेट अगर है तो उस टाइटल के पक्ष में इंडिबिलिटी क्यों नहीं हो?

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कई जगह कन्फ्यूजन है, डिस्पुट्स हैं, कान्फ्लीक्ट्स हैं। ये कान्फ्लीक्ट्स कैसे रूकने चाहिए और अरबन सैक्टर के अन्दर किस प्रकार से जेनुइन टाइटल को गवर्नमेंट गारंटी कर सके। एक टाइटल प्रदान करने का हमारा नहीं है जैसा कि डोटासरा साहब कह रहे थे। जो पट्टा नहीं मिला है, यह पट्टा नहीं है, पट्टा तो होगा ही पहले। यह है सर्टिफिकेशन आफ टाइटल। यह टाइटल नहीं दे रहा, यह पहले से एग्जिस्टेंट टाइटल को सुपीरियरटी दे रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कंसेप्ट आफ लैंड टाइटल का सर्टिफिकेशन कान्सेप्ट दूसरा है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम ऐसा सिस्टम इवाल्व करना चाहते हैं जिसमें कन्फ्यूजन घटे, कान्फ्लीक्ट्स घटे, लिटिगेशंस घटे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय चिंता मत करो आप। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष ही होता है एक तरह से माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: I don't mind.

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई सिस्टम हैसल फ्री हो, ये गुड गवर्नेंस की हम लगातार बात कर रहे हैं। यह गुड गवर्नेंस क्या है? गुड गवर्नेंस में क्लियरिटी,

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

गुड गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह जो एक्ट हम राजस्थान के अन्दर पहली बार लाये हैं और जो हिन्दुस्तान में भी पहली बार एक्ट है, यह बड़ा ही इनोवेटिव है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल उठाया गया कि सीपीसी के तहत आप रिकवरी कैसे करेंगे। "Powers of CPC under Section 11 (4)." लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था "Powers of CPC under Section 11 (4) are given to the Officers authorized under Section 11(1) to enforce attendance of witness and production of documents." इसका मतलब यह नहीं है कि सारे बाकी के excel due to as per CPC और माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो जानते हैं कि ज्यादातर एक्स के अन्दर रिकवरी के प्रोविजंश आर स्पेसिफाइड एज एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू। इसी एक्ट की बात नहीं, कई और बहुत सारे एक्ट्स हैं जिन एक्ट्स के अन्दर रिकवरीज को स्पेसिफाई किया गया है एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू के तहत। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो एक्ट है यह उन सब लोगों को एक गारंटी देगा।

यह कहा गया कि 0.5 परसेंट विराटनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि ये सर्टिफिकेशन जो है 0.5 परसेंट बहुत बड़ा है। 0.5 परसेंट मतलब एक लाख पर पांच सौ रुपया, दस लाख पर पांच हजार रुपया, एक करोड़ पर पचास हजार रुपया, यह बड़ी रकम नहीं है। जिसके आपका डाक्युमेंट, आपका टाइटल एलिवेट हो जाता हो। आपके टाइटल के सुपीरियरटी बढ़ जाती हो, आपका टाइटल गारंटेड हो जाता हो उसमें 0.5 परसेंट ज्यादा नहीं है।

आपने कहा कि यह पैनल्टी है, फोरजरी करने पर पैनल्टी यह लगा दी, बहुत ज्यादा लगा दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये दो प्रोविजंस है सैक्शन 30 कहता है कि आपके प्रमाण पत्र को गलत उद्घोषणा के आधार अगर जारी कर दिया गया है और यह निर्देश दिया गया है कि उसका उपयोग नहीं करे। जानते बूझते भी अगर आप उपयोग करते हैं तो उस प्रोपर्टी की डीएलसी की कीमत के दुगनी आप पर पैनल्टी लेवी हो जाती है। क्यों हो जाती है? वह इसलिए हो जाती है कि हम इन्डेम्नीफाई कर रहे हैं। जिस आदमी के सर्टिफाइड टाइटल का सर्टिफिकेशन है, गारंटी सर्टिफिकेशन है अगर उसके आधार पर वह कोई उसका उपयोग करता है। मैंने आपके इस सर्टिफिकेशन के आधार पर परचेज कर ली प्रोपर्टी। मालूम पडा आपका टाइटल डिफेक्टिव है तो

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

फिर गारंटी किस बात की है? मुझे इस बात की गारंटी देगी स्टेट गवर्नमेंट कि जिस प्रोपर्टी को मैंने इस सर्टिफिकेट के आधार पर परचेज कर लिया है और सर्टिफिकेशन में कोई डेफिसिएंसी है। अगर वह सर्टिफिकेट एरोनियस है तो यह राजस्थान की सरकार उसको इन्डेम्नीफाई करेगी उस कीमत तक जो कि उस प्रोपर्टी की वर्तमान में कीमत है। इसलिए हम जब तक इसमें कोई स्पेशल कानून नहीं लाएंगे तब तक उस आदमी को जिसके पास ये सर्टिफाइड टाइटल है उसको इन्डेम्नीफाई नहीं कर पाएंगे।

सिंकिंग फंड की चर्चा हम लोगों ने इसमें की, इसके बारे में किसी माननीय सदस्य ने चर्चा नहीं की है। वह सिंकिंग फंड जो इन्डेम्नीफाई करेगा जो किसी भी क्लेम को सेन्सफाई करेगा उसके लिए सिंकिंग फंड के लिए इस प्रकार के प्रोविजंस जरूरी हैं। साथ में इस प्रकार की फोरजरी रूके, गवर्नमेंट के डायरेक्शंस को माना जाए इस कानून के लिए उसके लिए भी माननीय अध्यक्ष महोदय यह बहुत जरूरी है।

आपने कहा कि हम अथोरिटी में आईएएस को क्यों लगाना चाहते हैं? ज्युडिशियरी की हालत के बारे में मैं सोचता हूं, मानिक चन्द जी सुराना साहब का ख्याल क्या है, यह मुझे नहीं पता है, अब इसका कोई बेरोमीटर नहीं है। कौन किससे बैटर कब निकल जाए। यह राजस्थान में कई अच्छे-अच्छे आईएएस अफसरों की बड़ी परम्परा रही है। इसलिए केवल अनुमान के आधार कि किसी आईएएस के लगाने से रेड-टेपिज्म बढ़ेगा, एरोगेंस बढ़ेगी। हम ये कानून अनुमान के आधार पर नहीं बनाते हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय। कानून अनुमान के आधार पर बनने भी नहीं चाहिए और जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो ट्रस्ट उसका एक एलिमेंट है।

मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि उसके बाद उसकी अपील है। उसके पास अपीलेंट अथोरिटी है और अपीलेंट अथोरिटी में आईएएस अफसर ही होगा यह जरूरी नहीं है। यह हमने रखा भी नहीं है कि उसकी अपील सुनने वाला आदमी आईएएस अफसर होगा।

इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो प्रोग्रेसिव बिल है और जो हिन्दुस्तान में बहुत पहले आ जाना चाहिए था लेकिन वो हिन्दुस्तान में बहुत पहले नहीं आया। मुझे खुशी है कि राजस्थान की सरकार ने इस प्रकार का प्रोग्रेसिव बिल राजस्थान में इंट्रोड्यूस किया है।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

हम उम्मीद करते हैं कि सर्वे, एक कंपनी द्वारा धीरे-धीरे एक इलाका तय करने के बाद शहरों में छोटे शहरों में भी जायेगा और 189 नगरपालिकाओं में पहुंचायेंगे। मैं समझता हूं कि उसके बाद में बहुत बड़ी तादाद में लोग-बाग़ अपने टाइटल का सर्टिफिकेशन कराने के लिए यहां पर आएंगे और उसके आधार पर जितने भी अरबन लैंड में डिस्प्यूट्स हैं उनमें कमी आएगी और कोई भी उस टाइटल के आधार पर परचेज करता है उस टाइटल के आधार पर उसका उपयोग करता है तो उस उपयोग करने वाले व्यक्ति के पास एक हिम्मत रहेगी कि मेरे पास यह टाइटल का सर्टिफिकेशन है और टाइटल के सर्टिफिकेशन के आधार पर वो छाती ठोक कर कह सकता है। लेने वाला भी छाती ठोक कर कह सकता है और देने वाला भी छाती ठोक कर कह सकता है, क्योंकि उसके पीछे उसकी गारंटी है कि क्लेम अगर कोई गलती हुई, आपने एक और सवाल उठाया है आपने कहा है कि सैक्शन के तहत आपने कहा कि...

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अंतिम प्रमाण-पत्र के बाद वो सिविल कोर्ट में पेंडिंग है इस आधार पर...(व्यवधान)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां। सैक्शन था ये 25 "No provisional certificate of title shall be issued to any person." मतलब फाइनल सर्टिफिकेट पहले ही रोक दिया है प्राविजनल सर्टिफिकेट को भी रोक दिया। आपने कहा कि एफीडेविट ले लें। विधान सभा में इसी सत्र में एक प्रश्न उठा था जिसके जवाब में मैंने कहा था कि गलत डिक्लेयरेशन दे दिया गया और जब ये पता लगा कि डिक्लेयरेशन गलत था तो केवल डिक्लेयरेशन के आधार पर, फाल्स डिक्लेयरेशन के लिए प्राविजन रखना पड़ता। अगर यह मान लेते कि डिक्लेयरेशन के आधार पर हम आगे बढ़ते तो फाल्स डिक्लेयरेशन करने पर क्या किया जा सकता है इसका प्राविजन डालना पड़ता और यह सर्टिफिकेट तो प्राविजनल सर्टिफिकेट इश्यु करने से पहले का ही है। अगर यह मामला सबजूडिश है, कोर्ट में है तो फाइनल सिटफिकेट तो दूर की बात है प्राविजनल सर्टिफिकेट को भी रोक रहे हैं। इसमें आपत्ति क्या है?

मैं समझता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं लम्बी-चौड़ी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं खुद भी उम्मीद करता था कि लोग जल्दी से जल्दी

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

बात को खतम करें तो मैं सोचता हूं कि मुझसे भी लोग यह उम्मीद करते होंगे कि जल्दी से जल्दी बात को खतम करूं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस प्रकार का प्रोग्रेसिव कानून अरबन सैक्टर में रियल स्टेट सैक्टर को बूम देगा और जो टाइटल होल्डर्स हैं उनके राइट्स को और पुख्ता बनायेगा। मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से ...(व्यवधान) मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। आपने जो 0.5 रखा है, 26 के नीचे पर 27 में जब वो दुबारा यानी जब आपने एक बार सर्टिफिकेट दे दिया और 0.50 ले लिया तो फिर किसी ने उसको खरीदा उससे भी 0.50 लेने का कोई औचित्य नहीं है उससे आप 0.25 लें, क्योंकि सर्टिफिकेशन आपने कर दिया 0.5 ले भी लिया पर नैक्स्ट उसका कोई परचेजर आता है और उसका स्थानान्तरण होता है तो उस स्थिति में मेरा निवेदन है कि उसको 0.25 करें।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आथोरिटी जब काम करेगी और आथोरिटी के पास हम जायेंगे कि मैंने किसी प्रापर्टी को बेचा उस प्रापर्टी का वहां पर रजिस्ट्रेशन कराना है इन्द्राज कराना है तो उसमें रकम बहुत कम है .05 है। .05 नेग्लीजेबल है और उसमें हम इसके माध्यम से .05 परसेंट तो मेरे ख्याल से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई कीमत ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि .5 में जब एक लाख रुपये में पांच सौ रुपये होता है तो .05 निकालिये कितना हुआ पचास रुपये। पचास भी नहीं हुआ मेरे ख्याल पांच रुपये? पांच रुपये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): हजार पर पांच रुपये।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हजार पर पांच, तो ये रकम कोई इतनी बड़ी नहीं है जिसके लिए कि जब ट्रांसफर करने पर इन्द्राज कराने के लिए जाएंगे तो पांच रुपये ले लें हम हजार रुपये पर तो कोई बड़ी रकम नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): एक बार सर्टिफिकेशन आपने कर दिया तब 0.50 ले लिया।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, ले लिया।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उसके बाद जब कोई खरीददार खरीदता है तो उसमें फिर आपको ज्यादा...

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): तो ट्रांसफर के पैसे लूंगा न। मैंने एक बार पैसा लिया सर्टिफिकेशन का माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बार पैसा ले रहा हूं .05 ट्रांसफर का, सर्टिफिकेट का थोड़े ले रहा हूं। सर्टिफिकेट का पैसा तो एक बार ले लिया मैंने।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने के जो संशोधन सुश्री कीर्ति कुमारी, श्री जोगाराम पटेल, श्री प्रहलाद गुंजल, श्री रामहेत सिंह यादव, डा. फूलचंद भिण्डा ने प्रस्तुत किये हैं, उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने के संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रवर समिति को निदेशित किये जाने के जो संशोधन श्री मानिक चंद सुराना ने प्रस्तुत किये हैं, उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निदेशित किये जाने के संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरीय भूमि (हक प्रमाणन) विधेयक, 2016 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरीय भूमि (हक प्रमाणन) विधेयक, 2016 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड-2 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-3 प्रभारी मंत्री संशोधन मूव करेंगे।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं विधेयक के खण्ड-3 के उपखण्ड (xi) में विद्यमान शब्द 'अध्याय' के स्थान पर शब्द 'अधिनियम' प्रतिस्थापित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-3 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-3 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-4 श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस खण्ड में मैंने जो संशोधन का प्रस्ताव दिया है, उसे वापस लेने की प्रार्थना करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-4 में जो संशोधन श्री जोगाराम पटेल ने प्रस्तुत किया है, उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रश्न यह है कि खण्ड-4 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-4 स्वीकार किया गया।

खण्ड-5 श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस खण्ड में मैंने जो संशोधन का प्रस्ताव दिया, उसे वापस लेने की प्रार्थना करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-5 में जो संशोधन श्री जोगाराम पटेल ने प्रस्तुत किया है, उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रश्न यह है कि खण्ड-5 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-5 स्वीकार किया गया।

खण्ड-6 श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस खण्ड में मैंने जो संशोधन का प्रस्ताव दिया, उसे वापस लेने की प्रार्थना करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-6 में जो संशोधन श्री जोगाराम जी पटेल ने प्रस्तुत किया है, उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रश्न यह है कि खण्ड-6 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-6 स्वीकार किया गया।

खण्ड-7 से 20 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड – 7 से 20 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-7 से 20 स्वीकार किये गये।

खण्ड-21 श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड-21, 22 और 34 पर जो मैंने संशोधन प्रस्तुत किये हैं मुझे उसे वापस लेने की इजाजत दी जाए।

श्री उपाध्यक्ष: आदरणीय, खण्डश: जैसे मैं आऊंगा, वैसे-वैसे आपको...

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड-21 में मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसे मैं विदड्रा करने की परमीशन चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-21 में जो संशोधन श्री मानिक चन्द सुराना ने प्रस्तुत किया है, उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रश्न यह है कि खण्ड-21 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-21 स्वीकार किया गया।

खण्ड-22 प्रभारी मंत्री।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के खण्ड 22 के उप-खण्ड (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति 'किया जाये' के पश्चात और विद्यमान अभिव्यक्ति 'आवेदन कर सकेगा' के पूर्व अभिव्यक्ति 'हक प्रमाणपत्र जारी करने के लिए' अंत:स्थापित की जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 22 में मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसे मैं वापस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड 22 में जो संशोधन श्री मानिक चन्द सुराना ने प्रस्तुत किया है उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रश्न यह है कि खण्ड 22 में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 22 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 22 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 23 से 26 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 23 से 26 स्वीकार किये जाएं?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

खण्ड 23 से 26 स्वीकार किये गये।

खण्ड 27, प्रभारी मंत्री।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के खण्ड 27 के उप-खण्ड (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति '0.5 प्रतिशत के बराबर रकम' के स्थान पर अभिव्यक्ति '0.5 प्रतिशत से अनधिक ऐसी रकम जो विहित की जाए' प्रतिस्थापित की जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड 27 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 27 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 27 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 28 से 29 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 28 एवं 29 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 28 एवं 29 स्वीकार किये गये।

खण्ड 30, प्रभारी मंत्री।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के खण्ड 30 में के-

(1) शीर्षक में, विद्यमान अभिव्यक्ति 'या निलम्बन' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'निलम्बित या परिबद्ध किया जाना' प्रतिस्थापित की जाये, और

(2) उप-खण्ड (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति 'प्रमाणपत्र को' के पश्चात और विद्यमान अभिव्यक्ति 'परिबद्ध कर सकेगा' के पूर्व अभिव्यक्ति 'निलम्बित या' अंतस्थापित की जाये।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड 30 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 30 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 30 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 31 से 33 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 31 से 33 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 31 से 33 स्वीकार किये गये।

खण्ड 34 मानिक चन्द जी सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 34 में जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है, उसे वापस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जोगाराम जी पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 34 में जो मैंने संशोधन का प्रस्ताव दिया है, उसे वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड 34 में जो संशोधन श्री मानिक चन्द सुराना एवं श्री जोगाराम पटेल ने प्रस्तुत किया है उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रश्न यह है कि खण्ड 34 स्वीकार किया जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 34 स्वीकार किया गया।

खण्ड 35 से 40 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 35 से 40 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 35 से 40 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियम सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री राजपाल सिंह शेखावत।

विधेयक का पारण

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरीय भूमि हक प्रमाणन विधेयक, 2016 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कोई बोलना चाहे तो।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): उपाध्यक्ष महोदय, एक लाइन पूछनी है, सिर्फ एक लाइन पूछनी है, कुछ नहीं बोलूंगा। जैसे अपने पुश्तैनी पट्टों पर और रजिस्टर्ड पट्टों पर बैंक लोन देता है, उसी तरह आपके हक प्रमाणन पत्र के आधार पर भी बैंक लोन देगा या नहीं देगा?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): देगा, धन्नाट देगा।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): कांस्टीट्यूशनल वैलिडिटी कितनी है, उसका उत्तर मिल जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: ...(व्यवधान) मैं बैठ जाऊं?

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरीय भूमि (हक प्रमाणन) विधेयक, 2016 को संशोधित रूप में पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगरीय भूमि (हक प्रमाणन) विधेयक, 2016 संशोधित रूप में पारित किया गया।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 5 अप्रैल 2016 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 23.26 बजे मंगलवार, दिनांक 5 अप्रैल 2016 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

किशनगंज-शाहबाद (बारां) में स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र

481. श्री ललित कुमार (किशनगंज): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले के किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं व गत डेढ़ वर्ष में कितने नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि किशनगंज-शाहाबाद में स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों में स्टाफ व भवन की कमी है? यदि हां, तो कौन-कौनसे केन्द्रों पर? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले के किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र में बाल विकास परियोजना किशनगंज के अन्तर्गत 285 तथा बाल विकास परियोजना शाहबाद के अन्तर्गत 217 कुल 502 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। गत डेढ़ वर्ष में उक्त परियोजनाओं में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं खोले गये हैं।

(2) बाल विकास परियोजना किशनगंज व शाहबाद में रिक्त मानदेय कर्मियों के पदों की स्थिति एवं विभागीय भवनों की स्थिति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बायतू में नये जी.एस.एस. स्वीकृत करने की योजना

482. श्री कैलाश चौधरी (बायतू): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बायतू दूर-दूर फैला होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति सुचारु रूप से नहीं हो पा रही है?

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में बिजली आपूर्ति को सुचारु करने के लिए नये जी.एस.एस. स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। किन्तु कुछ सुधार किये जा सकते हैं।

(2) जी हां। नये सब-स्टेशन खोलने एवं स्वीकृत करने का कार्य क्षेत्र के बढ़े हुए विद्युत भार के अनुसार तकनीकी एवं वित्तीय रूप से साध्य पाये जाने पर आवश्यकतानुसार समय-समय पर किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में एक 33/11 केवी सब-स्टेशन जोगेश्वर कुआं का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है व एक अन्य सब स्टेशन खींपर स्वीकृत है।

इसके अतिरिक्त एक 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन बायतू में दिनांक 22.06.2015 को स्वीकृत किया जा चुका है, जिसका निर्माण आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धतानुसार कराया जावेगा।

गोगामेड़ी (हनुमानगढ़) के पुलिस थाने का क्रमोन्नयन

483. **श्री संजीव कुमार** (भादरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी में लोक देवता गोगाजी का विशाल मंदिर होने के कारण प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में कई राज्यों के श्रद्धालुओं का आवागमन होने के उपरान्त भी उप निरीक्षक ग्रेड का थाना संचालित है?

(2) क्या सरकार गोगामेड़ी के प्रसिद्ध मेले में कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए उक्त थाने को क्रमौन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला हनुमानगढ़ के पुलिस थाना गोगामेड़ी हेतु उप निरीक्षक का पद स्वीकृत है।

(2) पुलिस थाना गोगामेड़ी में उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक स्तर का थाना क्रमोन्नत करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। गोगामेड़ी मेले के दौरान कानून व्यवस्था के मद्देनजर थाना गोगामेड़ी को अतिरिक्त पुलिस बल, जिला व रेंज के अन्य जिलों से उपलब्ध करवाया जाता है तथा कानून व्यवस्था सुचारु रूप से बनाई रखी जाती है।

मनोहरथाना के माडा योजनान्तर्गत सम्मिलित गांव

484. श्री कंवर लाल (मनोहरथाना) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में माडा योजना में कौन-कौन से गांव सम्मिलित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा वर्तमान में माडा क्षेत्र में कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त योजनान्तर्गत गत 2 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में कौन-कौनसे कार्य स्वीकृत किये तथा वर्तमान में कौन-कौनसे कार्यों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विचाराधीन प्रस्तावों पर स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में माडा क्षेत्र में आने वाले गांव की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) माडा क्षेत्र में संचालित की जा रही योजना की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) सरकार द्वारा गत 2 वर्षो में विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में स्वीकृत किये गये कार्यों की सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है। उक्त विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के कोई भी प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

(4) विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के प्रस्ताव विचाराधीन नहीं होने के कारण सूचना शून्य है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना में आबंटित राशि

485. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा वितरण योजना के अन्तर्गत गत 5 वर्षों

(श्री रामहेत सिंह यादव)

मे अलवर जिले में वर्षवार व तहसीलवार कितनी राशि आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत आबंटित की गई राशि में से वर्षवार व तहसीलवार कितनी-कितनी राशि जनवरी, 2014 तक व्यय की जा चुकी है तथा कितनी राशि शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना के प्रचार-प्रसार के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई है एवं उसमें से कितनी राशि जनवरी, 2014 तक व्यय की जा चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजना के अन्तर्गत कितने संविदाकर्मी लगे हुए हैं एवं उनको कितना मासिक वेतन मिलता है? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त योजनान्तर्गत किन-किन कम्पनियों से कौन-कौनसी दवाइयां खरीदी जा रही हैं? कम्पनी के नाम सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा वितरण योजना के अन्तर्गत राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम जयपुर द्वारा समस्त स्रोतों से प्राप्त राशि के विरुद्ध गत 5 वर्षों में अलवर जिले को आबंटित राशि का वर्षवार एवं तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-'अ' एवं 'ब' पर संलग्न है।

वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मुख्यालय द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत अलवर जिले में आबंटित राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

(2) राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम जयपुर द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत आबंटित की गई राशि में से जनवरी 2014 तक अलवर जिले में व्यय की गई एवं शेष राशि का वर्षवार एवं तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-'अ' एवं 'ब' पर उपलब्ध है।

वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मुख्यालय द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत आबंटित राशि में से जनवरी, 2014 तक अलवर जिले में व्यय की गई राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-'द' पर संलग्न है।

(3) मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा वितरण योजनान्तर्गत राजस्थान

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

चिकित्सा सेवा निगम जयपुर को औषधि एवं उपकरणों के वितरण से 5 प्रतिशत राशि सरचार्ज के रूप में प्राप्त होती है उक्त राशि में से राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम जयपुर तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा प्रचार/प्रसार पर जनवरी 2014 तक निम्न राशि व्यय की गयी:-

(राशि रुपये लाखों में)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	व्यय राशि
1	2011-12	74.21
2	2012-13	53.02
3	2013-14	7.02
	कुल राशि	134.25

वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मुख्यालय द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत अलवर जिले को स्वीकृत राशि में से जनवरी, 2014 तक व्यय की गई राशि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि रुपये लाखों में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
1.	2012-13	100.00	शून्य

उक्त राशि के अलावा जिले में प्रचार-प्रसार के लिये कोई राशि आबंटित/स्वीकृत नहीं की गई है।

(4) मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजनान्तर्गत अलवर जिले में संविदा पर लगे हुए मशीन विद मैन, फार्मासिस्ट एवं डीडीसी सहायक (हैल्पर) का मासिक मानदेय सहित तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-'य' पर संलग्न है।

(5) मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के अन्तर्गत राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम जयपुर द्वारा योजना प्रारम्भ से लेकर 31 जनवरी, 2016 तक क्रय की गई औषधियों का कम्पनी के नाम सहित विवरण परिशिष्ट-'र' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रामगंजमण्डी में मृदा परीक्षण केन्द्र की स्थापना

486. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमंडी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के किसानों को मृदा परीक्षण कराने हेतु काफी दूर जाना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार रामगंजमण्डी क्षेत्र में ही मृदा परीक्षण केन्द्र स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। रामगंजमण्डी के नजदीक झालावाड़ मुख्यालय पर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित है, इसके अतिरिक्त कोटा जिले में कोटा मुख्यालय एवं सांगोद में मृदा परीक्षण प्रयोगशालायें कार्य कर रही हैं। साथ ही सिंचित क्षेत्र विकास के अधीन नान्ता फार्म पर एक प्रयोगशाला स्थापित है एवं पीपीपी मोड पर संचालित भ्रमणशील मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा भी कोटा जिले के गांवों में जाकर मिट्टी व पानी के नमूनों की जांच कर जांच रिपोर्ट किसानों को उपलब्ध करायी जा रही है।

बजट घोषणा 2014-15 की अनुपालना में राज्य में 55 पंचायत समितियों में मिट्टी-पानी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है (सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है)। जिसमें कोटा जिले में नवीन प्रयोगशाला प्रस्तावित नहीं है।

वर्तमान में सायल हैल्थ कार्ड योजना के तहत मृदा नमूनों का एकत्रीकरण कृषि पर्यवेक्षक द्वारा किये जा रहे हैं, जिन्हें सम्बन्धित प्रयोगशालाओं को नमूने भेजे जा रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मुख्यमंत्री राजस्थान खेल प्रतिभा खोज योजना के तहत खेल प्रतिभाओं को देय सुविधाएं

487. श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर) : क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में पंचायत समिति/जिला एवं प्रदेश स्तर पर खेल प्रतिभाओं की खोज के लिए "मुख्यमंत्री राजस्थान खेल प्रतिभा खोज योजना" की घोषणा की गई है?

(श्रीमती कामिनी जिन्दल)

(2) उक्त योजना के तहत कितनी खेल प्रतिभाओं की खोज कर उनको क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) मुख्यमंत्री खेल प्रतिभा खोज योजना के अनुसार वैज्ञानिक परीक्षण कर 14-18 आयु वर्ग के 200 खिलाड़ियों का चयन किया जायेगा। यह चयन प्रमुख 5 खेलों तीरंदाजी, घुडसवारी, बास्केटबाल, निशानेबाजी एवं हाकी के लिए निजी एजेन्सी के मार्फत सभी जिला प्रशिक्षण केन्द्रों पर किया जायेगा। इस योजना के तहत चयनित युवा खिलाड़ियों को प्रतिमाह राशि 10,000/- प्रति खिलाड़ी की छात्रवृत्ति का पुनर्भरण किया जायेगा।

वर्तमान में निजी एजेन्सियों का चयन किया जा चुका है एवं उनके माध्यम से खिलाड़ियों के पंजीकरण का कार्य प्रक्रियाधीन है जो 1 मई, 2016 तक पूर्ण होने की संभावना है।

प्रश्न संख्या-488

(स्थगित)

आसीन्द में खोले गये नये आंगनबाड़ी केन्द्र

489. श्री राम लाल गुर्जर (आसींद) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां संचालित हैं? स्थान के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) 1 जनवरी, 2013 से 31 जनवरी, 2016 तक नए आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां व कब-कब खोले गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना आसीन्द के 200 मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 08 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र तथा परियोजना हुरडा के 112 मुख्य आंगनबाडी केन्द्र एवं 09 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र कुल 312 मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 17 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के अन्तर्गत 1 जनवरी, 2013 से 31 जनवरी, 2016 तक नई आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत नहीं किये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर शहर में खराब विद्युत मीटर बदलने की योजना

490. श्री कैलाश भंशाली (जोधपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर में 4000 व जिला वृत्त में करीब 15 हजार से अधिक बिजली के मीटर खराब हैं? यदि हां, तो इनको बदलने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि खराब मीटर के कारण उपभोक्ताओं के बिल विवाद और बकाया राशि दिन प्रतिदिन बढ़ रही है तथा उपभोक्ताओं को औसत के हिसाब से बिल भेजे जा रहे हैं? यदि हां, तो अब कब तक नये मीटर लगा दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माह फरवरी 2016 तक जोधपुर शहर वृत्त में सिंगल फेज के 1948 मीटर व थ्री फेज के 13 मीटर खराब हैं तथा जोधपुर ग्रामीण वृत्त में सिंगल फेज के 8742 मीटर व थ्री फेज के 28248 (कृषि के 28032 व अकृषि के 216) मीटर खराब हैं। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के अनुसार मीटर खराब होने की जानकारी/सूचना मिलने के बाद दो माह में बदलने का प्रावधान है। उक्त में से वर्तमान में कृषि श्रेणी के अलावा दो माह से अधिक अवधि वाले लगभग सभी खराब मीटरों को बदल दिया गया है। अन्य खराब मीटरों को भी सतत् प्रक्रिया के तहत बदलने की कार्यवाही की जा रही है।

साथ ही कृषि श्रेणी के खराब मीटरों के अक्टूबर, 2016 तक बदलने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(2) वर्तमान में राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के अनुसार मीटरों के खराब होने की अवधि में निगम नियमानुसार ही औसत विद्युत बिल जारी किये जा रहे हैं। कृषि श्रेणी के खराब मीटरों के अलावा अन्य सभी श्रेणी के खराब मीटरों को निर्धारित अवधि में बदलने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(ऊर्जा मंत्री)

साथ ही कृषि श्रेणी के खराब मीटरों के अक्टूबर, 2016 तक बदलने के प्रयास किये जा रहे हैं।

तिजारा के थानों को वाहन उपलब्ध कराने की योजना

491. मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र तिजारा में पुलिस थाना भिवाड़ी फेज-3 के पास कोई वाहन नहीं है?

(2) क्या सरकार उक्त थाने में वाहन उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि पुलिस थाना तिजारा में केवल एक ही वाहन होने के कारण घटना स्थल पर पहुंचने में अत्यधिक समय लगता है?

(4) क्या सरकार पुलिस थाना तिजारा को एक वाहन और उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र तिजारा में पुलिस थाना भिवाड़ी फेज-3 में वर्तमान में दो वाहन उपलब्ध हैं।

1. आरजे 40-यूए-0742 (जिप्सी)

2. आरजे 02-यूए-1527 (बोलेरो)

(2) पुलिस थाना भिवाड़ी फेज-3 को पूर्व से ही दो वाहन आबंटित हैं।

(3) तिजारा थाने के अतिरिक्त इस थाने की चौकी शेखपुर अहीर पर भी एक वाहन आरजे.14-यूए-8468 जीप उपलब्ध कराई हुई है। आवश्यकता पड़ने पर चौकी की जीप को उपयोग में लिया जाता है।

(4) वर्तमान में थाना तिजारा पर एक वाहन एवं तिजारा थाने की चौकी पर एक वाहन कुल दो वाहन उपलब्ध हैं। पुलिस मुख्यालय से जिले को नये वाहन आबंटित किये जाने पर ही थाना तिजारा को आवश्यकता के अनुरूप वाहन उपलब्ध कराने पर विचार किया जा सकेगा।

कौशल विकास कार्यक्रम के प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना

492. श्री सुशील कटारा (चौरासी) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के अन्तर्गत अनुसूचित एवं गैर-अनुसूचित क्षेत्र के युवक/युवतियों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण का कार्यक्रम कहां-कहां किसके द्वारा संचालित है? प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षणार्थियों की जिलावार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि टी.एस.पी. क्षेत्र के छात्रों को उक्त कार्यक्रम में अभी तक पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) आजीविका कौशल कार्यक्रम के तहत कितने प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को कहां-कहां रोजगार मिला? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के अन्तर्गत अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के युवक/युवतियों के कौशल विकास हेतु संचालित कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों की जिले एवं प्रशिक्षण प्रदाताओं के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र की सूची परिशिष्ट-अ एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र की सूची परिशिष्ट -ब पर संलग्न है। 31 जनवरी, 2016 को प्रशिक्षण ले रहे आशार्थियों की जिलेवार सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। टी.एस.पी. क्षेत्र में उक्त कार्यक्रमों में उचित मात्रा में छात्रों को प्रतिनिधित्व मिल रहा है। उक्त क्षेत्रों के युवा प्रदेश के किसी भी जिले में संचालित प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

(3) प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं से प्राप्त सूचना के अनुसार अब तक कुल 309 युवाओं को विभिन्न निजी क्षेत्र के संस्थानों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं। जिलेवार सूची परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र सायला में ब्लड बैंक की स्थापना

493. श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती अमृता मेघवाल)

(1) विधान सभा क्षेत्र जालौर के सायला उपखण्ड मुख्यालय पर संचालित राजकीय सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में वर्तमान में कौन-कौनसी जांच सुविधाएं एवं जांच उपकरण उपलब्ध हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार मरीजों की संख्या एवं बड़ा उपखण्ड मुख्यालय होने के कारण एवं सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए उक्त चिकित्सा केन्द्र पर ब्लड बैंक स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जालौर विधान सभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सायला में वर्तमान में की जा रही नि:शुल्क जांचों एवं उपलब्ध उपकरणों की सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) कस्बा सायला में वर्तमान में 30 शैय्याओंयुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। 30 शैय्याओंयुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ब्लड बैंक खोले जाने का वर्तमान में प्रावधान नहीं है, परन्तु एनआरएचएम योजनान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सायला पर ब्लड स्टोरेज केन्द्र से सम्बन्धित उपकरण उपलब्ध करा दिये गये हैं। औषधि नियंत्रण संगठन से लाईसेन्स लिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में मंत्रालयिक कर्मचारियों की भर्ती में साक्षात्कार समाप्त करने की योजना

494. श्री दर्शन सिंह (करौली) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विभाग में किन-किन पदों पर सीधी भर्ती हेतु वर्ष 2015-16 में साक्षात्कार लिये गये थे तथा कितने पदों के विरुद्ध कितने आवेदन प्राप्त हुये? पदवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सीधी भर्ती में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा मंत्रालयिक कर्मचारियों की भर्ती में साक्षात्कार खतम करने की नीति बनाई गई है? यदि हां, तो क्या? नीति की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती

(श्री दर्शन सिंह)

हेतु साक्षात्कार उपरान्त परिणाम घोषित कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त भर्ती को रद्द कर पुन: नवीन नीति अनुसार सीधी भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि विपणन विभाग के अधीनस्थ प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 143 पदों पर वर्ष 2015-16 में सीधी भर्ती हेतु साक्षात्कार लिए गये थे। उक्त 143 पदों के विरुद्ध कुल 77644 आवेदन प्राप्त हुए।

(2) मंत्रालयिक सेवा नियमों में कर्मचारियों की भर्ती हेतु साक्षात्कार का प्रावधान नहीं है।

(3) जी नहीं। इस सम्बन्ध में निर्णय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

बारां जिले में मुख्यमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत ऋण उपलब्ध कराने की कार्यवाही

495. श्री रामपाल (बारां-अटरू) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र, बारां द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाता है? यदि हां, तो वर्ष 2014-15 में अनुसूचित जाति/जन-जाति के कितने व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। मुख्यमंत्री रोजगार योजना दिनांक 31.03.2014 से बंद हो गयी थी।

कैलादेवी मन्दिर ट्रस्ट द्वारा सरकारी भूमि पर किये गए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही

496. श्री रमेश (सपोटरा) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कैलादेवी मन्दिर ट्रस्ट, जिला करौली का उनके नाम दर्ज भूमि के

(श्री रमेश)

अतिरिक्त किस-किस खसरा नम्बर की भूमि पर कब्जा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मन्दिर ट्रस्ट द्वारा अन्य भूमियों पर किया गया कब्जा विशुद्ध रूप से अतिक्रमण है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे नहीं हटाने के क्या कारण हैं?

(3) जिस भूमि पर कैलादेवी ट्रस्ट का अवैध कब्जा है उसमें से किस-किस खसरा नम्बर पर न्यायालय का स्थगन या विधिक रोक है एवं किस-किस खसरा नम्बर से अतिक्रमण हटाने में कोई विधिक बाध्यता नहीं है?

(4) सरकार द्वारा जिन खसरों पर विधिक बाध्यता नहीं है, वहां से अतिक्रमण हटाने हेतु क्या कार्यवाही की गई एवं जिन खसरों पर स्थगन/अन्य विधिक बाध्यता है, उसके लिए न्यायालय में ठोस पैरवी हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई? गत दो वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार किसी भी राजकीय भूमि पर कितना भी पुराना कब्जा हो, उसे नियमित नहीं किया जा सकता? यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

(6) सरकार अब कब तक चमर खोहरा बस्ती से ट्रस्ट का अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ट्रस्ट श्री कैलादेवी जी का उसके नाम दर्ज भूमि के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी कब्जा है। जिसमें ग्राम कैलादेवी के खसरा नम्बर 2861/1, 2865/1, 2856 किस्म उसर सिवायचक (ट्रस्ट कार्यालय, धर्मशाला व चबूतरे) पर निर्माण व कब्जा है। खसरा नम्बर 2862 किस्म मंदिर (मंदिर कैलादेवी स्थित है) ख.नं. 2859 किस्म चाह, खसरा नम्बर 2583 किस्म कुण्ड पर भी मंदिर ट्रस्ट का कब्जा है। खसरा नम्बर 2856, 2852/1 किस्म उसर सिवायचक भूमि पर दुकानें निर्माण कर कब्जा किया हुआ है। आबादी सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 2860 व 2863 में धर्मशाला, चबूतरा आदि निर्माण कर कब्जा है। कैलादेवी के खसरा नम्बर 2559 जो कि श्रीमती लक्ष्मी मंगल जोजे अमरनाथ मंगल अग्रवाल निवासी आगरा के नाम राजस्व रिकार्ड

(राजस्व राज्य मंत्री)

में दर्ज है पर अमर कुंज नाम से होटल बना हुआ है, जिसका संचालन मंदिर ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। नकल जमाबन्दी परिशिष्ट 1 व 2 संलग्न है।

(2) ट्रस्ट श्री कैलादेवी जी का अन्य भूमियों पर किया गया कब्जा विशुद्ध रूप से अतिक्रमण है परन्तु माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश क.ख. करौली में दर्ज दीवानी प्रकरण संख्या 38/06 (41/05) ट्रस्ट मूर्ति मंदिर कैलादेवीजी जरिये सोल ट्रस्टी श्री कृष्णचन्द्र पाल एवं श्री हनुमन्त सिंह बनाम राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर करौली व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.05.2012 से मूल दावा के निस्तारण तक मौके की यथा स्थिति के कारण अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सम्भव नहीं है। स्थगन आदेश की प्रति परिशिष्ट-3 संलग्न है।

(3) खसरा नम्बर 2861/1, 2865/1, 2856, 2862, 2859, 2583, 2856, 2852/1, 2860 व 2863 सरकारी भूमियों पर कब्जा है, जिन पर माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश क.ख. करौली में ता फैसला स्थगन आदेश है। उक्त खसरों के अतिरिक्त अन्य सरकारी भूमियों पर ट्रस्ट श्री कैलादेवी जी का अतिक्रमण नहीं है।

(4) विधिक बाध्यता वाले कोई खसरा नम्बर नहीं है जिन पर ट्रस्ट श्री कैलादेवी जी का अतिक्रमण है। जिन खसरों पर स्थगन/अन्य विधिक बाध्यता है उसके लिए सम्बन्धित माननीय न्यायालयों में ठोस पैरवी हेतु प्रभारी अधिकारी एवं राजकीय अधिवक्ता की नियुक्ति की गई है जो समय-समय पर राज्य सरकार की ओर से नियमित पैरवी की जा रही है।

(5) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं. 1132/2011@SLP (c)No. 3109/2011 जगपाल सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 शामलात भूमि के निजी तथा व्यवसायिक आबंटन एवं उक्त भूमि पर किये गये अवैध कब्जों को नियमित किये जाने को अवैध माना है। अतः पूर्व में ऐसे आबंटन एवं नियमित किये जाने के सम्बन्ध में जारी आदेश/दिशा निर्देशों परिपत्र को अतिक्रमण में राज्य सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 25.04.2011 जारी कर चरागाह भूमि के निजी अथवा व्यवसायिक उपयोग के लिए आबंटन एवं नियमन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है।

(6) माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश क.ख. करौली के स्थगन आदेश के कारण ता फैसला अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सम्भव नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खैरवाड़ा में आंगनबाड़ी केन्द्रों से वंचित गांव

497. श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में दिसम्बर 2009 से 31 जनवरी, 2016 तक कितने आंगनबाड़ी व मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये? स्वीकृत केन्द्रों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन से राजस्व गांवों में आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं एवं कौन-कौन से में नहीं हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के वंचित राजस्व गांवों एवं ढाणियों में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र खैरवाड़ा में दिसम्बर 2009 से अब तक बाल विकास परियोजना खैरवाड़ा में 68 मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 22 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र तथा परियोजना ऋषभदेव में 49 मुख्य आंगनबाड़ी एवं 22 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में बाल विकास परियोजना खैरवाड़ा में 179 राजस्व गांव एवं परियोजना ऋषभदेव में 88 राजस्व गांव कुल 267 राजस्व गांव में आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत है। सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

परियोजना खैरवाडा में 13 राजस्व गांव एवं परियोजना ऋषभदेव में 24 राजस्व गांव कुल 37 राजस्व गांव में आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं हैं। सूची परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(3) जनसंख्या के मापदण्ड पूरा करने वाले वंचित राजस्व गांवों एवं ढाणियों में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के प्रस्ताव उप निदेशक के द्वारा प्राप्त होने पर परीक्षण उपरान्त नियमानुसार भारत सरकार को भिजवाये जाते हैं। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर डिस्कॉम में इंडेक्सिंग में हुई अनियमितता की जांच

642. **श्री कृष्णा कड़वा** (संगरिया) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य सरकार, भारत सरकार व विद्युत वितरण निगमों के मध्य उदय योजना पर सहमति हो गयी है व योजना के अन्तर्गत नियमों को सभी उपभोक्ताओं की इंडेक्सिंग करनी है?

(2) क्या यह सही है कि इससे पूर्व भी सभी उपभोक्ताओं की इंडेक्सिंग एक से अधिक बार करायी जा चुकी है? यदि हां, तो पुनः इंडेक्सिंग करने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पूर्व में इसी बाबत जयपुर डिस्कॉम द्वारा मैसर्स के.जी.जी. सिस्टम लिमिटेड व M/S Date Gen Power System Ltd. को इंडेक्सिंग के लिए लगभग 15 करोड़ रुपये के कार्यादेश दिये गये थे व उक्त फर्मों को अधूरे कार्य व अनुपयोगी कार्य के होते हुए भी भुगतान कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि तत्कालीन प्रबंध निदेशक व अंकेक्षण शाखा ने इस प्रकरण में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की अनुशंसा की थी? यदि हां, तो किस-किस अधिकारी पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो प्रकरण को दबाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही प्रस्तावित है?

(5) क्या सरकार डिस्कॉम में उदय योजना के अन्तर्गत डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की मीटरिंग करवाने का विचार रखती है एवं इस बाबत कार्यादेश दे दिये गये हैं? यदि हां, तो किस फर्म को कितनी राशि का कार्यादेश दिया गया है?

(6) क्या यह सही है कि जयपुर डिस्कॉम ने वर्ष 2007-2008 में भी डी.टी. मीटरिंग हेतु M/s Omni Agate Systems Pvt. Ltd. को टी.एन. 04 के अन्तर्गत लगभग 26 करोड़ रुपये के आदेश दिये गये थे? यदि हां, तो पुनः आदेश देने के क्या कारण हैं?

(7) क्या यह सही है कि पूर्व में दिये गये आदेश के अनुसार कार्य न होने या अधूरे कार्य के आधार पर ही फर्म को भुगतान कर दिया गया? यदि हां, तो इसमें दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) विद्युत वितरण निगमों के अन्तर्गत इससे पूर्व उपभोक्ताओं की इंडेक्सिंग करवाई गई है। तथा नये सबस्टेशन एवं नई लाइनों का निर्माण होने पर, नये उपभोक्ताओं के जुडने पर एवं उपभोक्ताओं के शिफ्टिंग होने पर उपभोक्ताओं की पुन: इंडेक्सिंग करवाई जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

(3) यह सही है कि पूर्व में इसी बाबत् जयपुर डिस्कॉम द्वारा मै. केएलजी सिस्टम लिमिटेड रु. 4.26 करोड़ व मै. डाटा जेन पावर सिस्टम लिमिटेड को रु. 8.26 करोड़ के लिए कार्यादेश दिये गये थे। जिसमें पी.डी.सी. सर्वे, कृषि उपभोक्ताओं की लोड जांच एवं इंडेक्सिंग का कार्य दिया गया था। सम्बन्धित क्षेत्र के अधिकारी जैसे कि कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता और अधिशासी अभियन्ता द्वारा काम के विधिवत सत्यापन करने पर ही उक्त कम्पनियों से सम्बन्धित वृत्त लेखाधिकारी द्वारा 95 प्रतिशत भुगतान जारी किया जा चुका है।

(4) तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक व अंकेक्षण शाखा ने इस प्रकरण में एक जांच का संचालन करने के लिए प्रस्ताव दिये थे तथा जिसके लिए कोई जांच समिति का गठन नहीं किया गया था।

वर्तमान में प्रकरण समझौता समिति के लिए लम्बित है। समझौता समिति के निर्णयानुसार उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

(5) जी हां। नीति अनुसार योजना के अन्तर्गत हस्ताक्षरित MOU के तहत डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की मीटरिंग की जानी है। वर्तमान में इस बाबत् अभी तक कार्यादेश नहीं दिए गए हैं।

(6) यह सही है कि जयपुर डिस्कॉम ने वर्ष 2007-08 में भी डीटी मीटरिंग हेतु M/s Omni Agate Systems Pvt. Ltd. को टीएन 04 के अन्तर्गत कार्यादेश दिये थे। उक्त कार्य आदेश के अन्तर्गत जयपुर शहर वृत्त को छोड़कर सभी अन्य जिला मुख्यालय, नगरपालिका क्षेत्र व 5,000 से अधिक आबादी वाले कस्बों में कुल 9540 डी.टी. मीटरिंग की सप्लाई करना, उन्हें लगाना तथा परिचालन एवं संधारण का कार्य दिया गया था। फर्म के द्वारा 9060 डी.टी. मीटरिंग का कार्य पूर्ण पूर्ण किया गया है। पूर्व के कार्यादेश में सभी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की मीटरिंग का कार्य सम्मिलित नहीं था। अत: अब उदय योजना के तहत् निर्णयानुसार डी.टी. मीटरिंग कार्य किया जाना है।

(ऊर्जा मंत्री)

(7) यह सही नहीं है कि पूर्व में दिये गये आदेश में कार्य ना होने या अधूरे कार्य के आधार पर फर्म का भुगतान कर दिया गया है। फर्म को कार्यादेश राशि रु. 26 करोड़ का था, परन्तु फर्म को केवल राशि 13.75 करोड़ का ही भुगतान किया गया है। फर्म द्वारा किये गये कार्य का सत्यापन करने के बाद ही भुगतान किया गया है। अत: किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

स्टाम्प विक्रेताओं को ई-स्टाम्पिंग हेतु अधिकृत करने की योजना

643. **श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा स्टाक होल्डिंग कार्पोरेशन लि. को स्टाम्प विक्रय (ई. स्टाम्पिंग) हेतु नियुक्त/अधिकृत किया गया है? यदि हां, तो किन नियमों एवं कब से व कितनी अवधि के लिए? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्टाक होल्डिंग कार्पोरेशन को पूर्व में महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी स्टाम्प विक्रय (ई. स्टाम्पिंग) हेतु नियुक्त/अधिकृत किया गया था? यदि हां, तो कब किन नियमों के अन्तर्गत तथा उक्त कार्पोरेशन द्वारा कितनी अवधि तक कार्य किया गया व महाराष्ट्र सरकार द्वारा उसे कब व क्यों हटाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त स्टाक होल्डिंग कार्पोरेशन लि. को सरकार द्वारा विभिन्न विभागों की फीस ई ग्रास द्वारा जमा किये जाने की भी अनुमति प्रदान की गई है? यदि हां, तो किन-किन विभागों की व किन नियमों/आदेशों के अन्तर्गत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त स्टाक होल्डिंग कार्पोरेशन द्वारा ई-स्टाम्पिंग का कार्य अन्य फर्म/व्यक्तियों को सब लैट किया गया है? यदि हां, तो क्यों व किन-किन को तथा किन नियमों के अन्तर्गत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि प्रदेश के स्टाम्प विक्रेताओं को स्टाम्प विक्रय की सीमा वर्ष 2012 में 3,00,000/- रुपये की गई थी, जिसे कम कर वर्ष 2014 में 1,00,000/- रुपये एवं मार्च 2015 में 50,000/- रुपये कर दी

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

गई? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार स्टाम्प विक्रेताओं को पूर्व की भांति तीन लाख रुपये की सीमा में स्टाम्प विक्रय करने के अधिकार प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(6) क्या यह भी सही है कि प्रदेश के स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा अपनी मांगों के सम्बन्ध में गत छह माह में सरकार को ज्ञापन दिये गये हैं एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु विरोध स्वरूप धरने/प्रदर्शन भी किये गये हैं? यदि हां, तो कब-कब? दिये गये ज्ञापनों व उन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या यह सही है कि स्टाम्प विक्रेताओं की मांगों के सम्बन्ध में प्रदेश के विधायकों/मंत्री परिषद् के सदस्यों द्वारा सरकार को पत्र प्रेषित कर अनुशंसा की गई है? यदि हां, तो किस-किस द्वारा कब-कब व उन पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? विधायकों/मंत्रियों से प्राप्त पत्र की प्रति एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या सरकार स्टाक होल्डिंग कार्पोरेशन की तर्ज पर प्रदेश के स्टाम्प विक्रताओं को सरकार के अधीन 'ई स्टाम्पिंग' हेतु अधिकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.12.05 के अनुसरण में राज्य में 500/- रुपये से अधिक मूल्य के ई-स्टाम्प जारी करने के लिए राज्य सरकार की ओर से महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग तथा स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि. के बीच दिनांक 06.04.11 को 5 वर्ष के लिए एग्रीमेन्ट एवं सर्विस लेवल एग्रीमेन्ट निष्पादित किया गया है। निष्पादित एग्रीमेन्ट एवं सर्विस लेवल एग्रीमेन्ट की प्रतियां संलग्न हैं।

(2) राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं होने से सूचना उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है।

(3) Stock Holding Corporation of India Ltd. (SHCIL) को पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग से सम्बन्धित दस्तावेजों के पंजीयन पर देय पंजीयन एवं अन्य शुल्कों का संग्रहण करने के लिए अधिकृत किया गया है। आदेश दिनांक 22.04.2015 की प्रति संलग्न है।

(4) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.12.05 के

(वित्त मंत्री)

अनुसरण में राज्य सरकार एवं SHCIL के मध्य निष्पादित एग्रीमेन्ट एवं सर्विस लेवल एग्रीमेन्ट के अन्तर्गत SHCIL को बैंक, वित्तीय संस्थानों एवं स्टाम्प विक्रेताओं को Authorized Collection Centres (ACC) नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। निष्पादित एग्रीमेन्ट एवं सर्विस लेवल एग्रीमेन्ट की प्रति संलग्न है।

(5) भौतिक स्टाम्प पत्रों के दुरुपयोग की घटनाओं के मध्यनजर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलात् विभाग द्वारा राज्य में ई-स्टाम्प को बढ़ावा देने बाबत की गई अनुशंसा के अनुसरण में राज्य में एक स्टाम्प विक्रेता द्वारा बेचे जाने वाले स्टाम्प पत्रों की सीमा को वर्ष 2014-15 में 3 लाख से घटाकर एक लाख रुपये तथा वर्ष 2015-16 में एक लाख से घटाकर 50 हजार रुपये की गई। बजट वर्ष 2016-17 में ई-स्टाम्प बेचने के लिए अधिकृत स्टाम्प विक्रेताओं के लिए उक्त सीमा को 50 हजार रुपये से बढाकर एक लाख रुपये किया गया है।

(6) कतिपय स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किये गये। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ-4 (6) वित्त/कर/2016/234 दिनांक 08.03.2016 के द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 23 में नया परन्तुक जोड़ कर ऐसे स्टाम्प वेण्डर जो ई-स्टाम्प विक्रय करने के लिए भी अधिकृत हैं के लिए, प्रत्येक दस्तावेज के लिए 50 हजार रुपये की सीमा को इन ज्ञापनों के क्रम में बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है।

(7) स्टाम्प विक्रेताओं की मांगो के सम्बन्ध में राज्य के विधायकों/ मंत्री परिषद के सदस्यों द्वारा की गई अनुशंसा के पत्रों का विवरण निम्नलिखित है-

1. डा. अरुण चतुर्वेदी, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सामान्य प्रशासन, अल्प संख्यक मामलात, मोटर गैराज, सम्पदा, मुद्रण लेखण सामग्री विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदया को सम्बोधित अर्धशासकीय टीप क्रमांक-स्पेशल-06 दिनांक 18.09.2015
2. श्री नरपत सिंह राजवी, माननीय विधायक, जयपुर का पत्र क्रमांक-2621 दिनांक 31.12.2015
3. श्री मोहनलाल गुप्ता, माननीय विधायक, जयपुर का पत्र क्रमांक-1003 दिनांक 02.01.2016

(वित्त मंत्री)

4. श्री रामलाल शर्मा, माननीय विधायक चौमूं का पत्र दिनांक 03.02.2016
5. श्री सुरेन्द्र पारीक, माननीय विधायक, जयपुर का पत्र क्रमांक-6075 दिनांक 05.01.2016
6. श्री कालीचरण सर्राफ, कार्यालय मंत्री, उच्च, संस्कृत, तकनीकी, अभियांत्रिकी शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा सैनिक कल्याण विभाग के अर्द्धशासकीय टीप क्रमाक- 405 दिनांक 01.02.2016
7. श्री विशवेन्द्र सिंह, डीग कुम्हेर, माननीय विधायक, भरतपुर का पत्र दिनांक 15.01.2016
8. श्री विजय बंसल, माननीय विधायक, भरतपुर।
9. श्री निर्मल कुमावत, माननीय विधायक, फुलेरा।

उपरोक्त विधायकों/मंत्रियों से प्राप्त पत्रों की फोटोप्रतियां संलग्न हैं। स्टाम्प वेण्डरों के ज्ञापनों तथा माननीय मंत्रियों एवं विधायकों द्वारा की गई अनुशंसा के क्रम में बजट 2016-17 में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.4 (6) वित्त/कर/2016/234 दिनांक 08.03.2016 के द्वारा ऐसे स्टाम्प वेण्डर जो ई-स्टाम्प विक्रय करने के लिये भी अधिकृत है के लिये, प्रत्येक दस्तावेज के लिये 50000/- रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये तक स्टाम्प विक्रय तक की सीमा निर्धारित की गई है।

(8) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.12.05 के अनुसरण में राज्य सरकार एवं SHCIL के मध्य निष्पादित एग्रीमेन्ट एवं सर्विस लेवल एग्रीमेन्ट के अन्तर्गत SHCIL को बैंक, वित्तीय संस्थानों एवं स्टाम्प विक्रेताओं को Authorized Collection Centres (ACC) नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मानसरोवर जयपुर में विद्युत तारों को केबल में परिवर्तित करने की योजना

644. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हीरालाल)

(1) क्या सरकार प्रदेश में विद्युत तारों को केबल में परिवर्तित करने की योजना चला रही है? यदि हां, तो योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मानसरोवर, जयपुर में विद्युत तारों के स्थान पर अण्डर ग्राउण्ड या ऊपर केबल डाली जा रही है? यदि हां, तो कहां-कहां तथा किस योजना के तहत विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि मानसरोवर, रजत पथ पर आवास संख्या 50/279-280 एवं 336 से 340 तक के विद्युत तारों को केबल में परिवर्तित किया गया है? यदि हां, तो किस आदेश के तहत? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) म.नं. 331 से 335 तक के विद्युत तारों को केबल में परिवर्तित नहीं किये जाने के क्या कारण रहे? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। तारों के स्थान पर विद्युत केबल डालने का कार्य उपभोक्ता के द्वारा आवेदन करने पर नियमानुसार शुल्क जमा करा कर अथवा जहां पर तार खराब होने/हादसे की संभावना वाले क्षेत्रों में ए.बी. केबल डाली जा रही हैं।

(3) जी हां। मानसरोवर, रजत पथ पर आवास संख्या 50/279-280 पर तारों के स्थान पर केबल डालने का कार्य आवेदक 50/241, 265, 280 के द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराने पर किया गया है। आवास संख्या 50/339-340 पर ACSR Weasel Conductor के खराब होने एवं 50/338 के सामने नीम के पेड़ से तारों के बार-बार टकराने के कारण लाइन फाल्ट/जनहानि/दुर्घटना को रोकने के कारण केबल में परिवर्तित किया गया है। आदेशों की प्रति प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(4) मकान नं. 331 से 335 तक एल.टी. तारों के मध्य कोई अवरोध नहीं है तथा लाइन की स्थिति ठीक है। साथ ही 50/331 से 335 तक के उपभोक्ताओं द्वारा इस कार्य हेतु कोई आवेदन भी नहीं किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-645

(स्थगित)

केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा प्रदेश को स्वीकृत राशि

646. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2010 से 31 जनवरी, 2016 तक केन्द्रीय योजना से राज्य को किस-किस योजना के अन्तर्गत कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? वर्षवार व योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा उक्त स्वीकृत राशि में से प्रतिवर्ष कितनी-कितनी राशि राज्य को उपलब्ध कराई गई? वर्षवार व योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त उपलब्ध राशि में से राज्य द्वारा कितनी-कितनी राशि किस-किस योजना में व्यय की गई? वर्षवार व योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) ऐसी कितनी योजनाएं हैं जिनमें केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा स्वीकृत राशि की तुलना में कम राशि राज्य सरकार को प्राप्त हुई है? राशि कम प्राप्त होने के क्या कारण रहे? योजनावार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2010 से केन्द्रीय योजनाओं में राज्य को स्वीकृत राशि का वर्षवार व योजनावार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

वर्ष 2010 से केन्द्रीय योजना आयोग, भारत सरकार से राज्य को स्वीकृत राशि का वर्षवार व योजनावार विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(2) केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा उक्त स्वीकृत राशि में से राज्य को उपलब्ध कराई गई राशि का वर्षवार व योजनावार विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) उक्त उपलब्ध राशि में से राज्य सरकार द्वारा व्यय की गई राशि का वर्षवार व योजनावार विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(4) स्वीकृत राशि की तुलना में राज्य को कम राशि प्राप्त होने के कारणों का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रेस फोटोग्राफरों हेतु दुर्घटना सहायता एवं बीमा योजना लागू करने की कार्यवाही

647. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : क्या सूचना एवं जन संपर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सुराज संकल्प घोषणा पत्र-2013 में प्रेस फोटोग्राफरों हेतु दुर्घटना सहायता एवं बीमा योजना प्रारम्भ करने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त घोषणानुसार प्रेस फोटोग्राफरों हेतु दुर्घटना सहायता एवं बीमा योजना प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। अधिस्वीकृत प्रेस फोटोग्राफरों के लिए बजट वर्ष 2014-15 के बिन्दु संख्या 216 में यह घोषणा की गई "अधिस्वीकृत Photo Journalist के लिए पृथक से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पालिसी, राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पालिसी के अनुरूप जारी की जायेगी"।

बजट घोषणा की पालना में विभाग द्वारा माह अक्टूबर, 2014 से योजना लागू की जा चुकी है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) योजना लागू की जा चुकी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर में अग्नि पीड़ितों को सहायता

648. डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अलवर जिले में गत पाँच वर्ष में किस-किस तहसील में आगजनी की घटनाएं हुईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकरणों में किस-किस व्यक्ति का कितना-कितना नुकसान हुआ तथा सरकारी सहायता हेतु उसने कब-कब आवेदन किया एवं उन्हें कितनी-कितनी सहायता राशि कितनी-कितनी अवधि में उपलब्ध कराई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला अलवर की तहसील अलवर में 159, रामगढ़-231, बहरोड़-12, मुण्डावर-52, किशनगढ़ बास-113, कोटकासिम-24, लक्ष्मणगढ़-86, मालाखेड़ा-9, गोविन्दगढ़-2, रैणी-5, कठूमर-109, राजगढ़-185, तिजारा-143, बानसूर-133, थानागाजी-160 कुल 1423 आगजनी की घटनाएं घटित हुई हैं।

(2) विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पशुओं की तस्करी/वध की रोकथाम हेतु कार्य योजना

649. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में पशुओं की तस्करी/वध के लिए ले जाते समय गत दो वर्षों में कितने ऊंट एवं गायों को बचाया गया एवं कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया?

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में गायों के लिए गौशालायें संचालित हैं? यदि हां, तो ऊंटों की देखरेख के लिए कितनी राशि सरकार द्वारा दी जाती है एवं नहीं, तो क्यों? विवरण प्रस्तुत करें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त कार्य हेतु दी गई राशि का उपयोग एवं पकड़ी गई गायों एवं ऊंटों की समय-समय पर जांच की व्यवस्था भी है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में पशुओं की तस्करी/वध के लिए ले जाते समय वर्ष 2014 में 386 ऊंटों को बचाया गया व 71 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया एवं वर्ष 2015 में 458 ऊंटों को बचाया गया व 104 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार वर्ष 2014 में 9568 गायों को बचाया गया व 1044 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया एवं वर्ष 2015 में 6846 गायों को बचाया गया व 731 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। विवरण परिशिष्ट-अ संलग्न है।

(2) जी हां। ऊंटों के स्वास्थ्य संरक्षण के उद्देश्य से इनके प्रमुख रोग सर्रा (तिबरसा) के रोग सर्वेक्षण व उपचार हेतु सर्रा नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत सर्रा सर्वेक्षण व उपचार शिविरों का आयोजन किया जाता है। इस क्रम में

(गृह मंत्री)

वित्तीय वर्ष 2015-16 में अभी तक जिलों से प्राप्त सूचना के आधार पर 126 शिविर लक्ष्यों में से 123 शिविर आयोजित किये जाकर 14625 सामान्य रोग व 2662 सर्रा रोग से ग्रसित ऊंटों का उपचार कर कुल 3145 ऊंटपालकों को लाभान्वित किया गया है।

इन शिविरों हेतु वर्ष 2015-16 में राशि रु. 12.45 लाख का प्रावधान किया गया है।

(3) सरकार द्वारा गायों की देख-रेख के लिये दी जाने वाली राशि के उपयोग के लिये समय-समय पर विभागीय अंकेक्षण तथा ए.जी. द्वारा अंकेक्षण करवाया जाता है। प्रदेश में गौ-तस्करी से बचाये गये पशुओं को गौशाला में संधारित किया जाता है। उनकी नजदीक की पशु चिकित्सा संस्था से समय-समय पर स्वास्थ्य जांच करवाई जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पटाखों की वैज्ञानिक जांच कराने की कार्यवाही

650. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए काम कर रहे गैर सरकारी संगठन आवाज फाउण्डेशन द्वारा मुम्बई की प्रतिष्ठित लैब इटालेब में आतिशबाजी में उपयोग आने वाले पटाखों की जांच कराने पर इसमें सीसा व पारा अधिक मात्रा में पाया गया है, जो मानव शरीर के लिए बेहद खतरनाक है? क्या सरकार भविष्य में सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाले पटाखों की बिक्री की इजाजत देने से पूर्व उनकी वैज्ञानिक जांच करवाकर मानव द्वारा इस्तेमाल योग्य मानने पर ही अनुमति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

गैर सरकारी संगठन आवाज फाउण्डेशन द्वारा मुम्बई की प्रतिष्ठित लैब इटालेब में आतिशबाजी में उपयोग आने वाले पटाखों की जांच कराने की जानकारी नहीं है। विस्फोटक अधिनियम एवं नियम 2008 के प्रावधानानुसार ही पटाखों की ब्रिक्री की अनुमति दी जाती है।

भीलवाड़ा जिले के पुलिस थानों में पदस्थापित लांगरियों का नियमितीकरण

651. श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है पुलिस थानों तथा अन्य स्थलों पर कार्यरत पुलिसकर्मियों एवं अधिकारियों के लिए उन्हें समय पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न थाना परिसरों तथा अन्य स्थलों पर मेस (भोजनशालाओं) का संचालन हो रहा है? यदि हां, तो जिलेवार मेसों की संख्या तथा उनमें लांगरी के स्वीकृत पदों, रिक्त पदों तथा अंशकालीन नियुक्तियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मेसों में लम्बे समय से कई व्यक्ति भोजन बनाने का कार्य कर रहे हैं लेकिन सरकार द्वारा उक्त व्यक्तियों के स्थान पर फर्जी नाम से अन्य व्यक्तियों को नियोजित बताकर गलत तरीके से भुगतान कर दिया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में उक्त लांगरियों के हितों हेतु कोई कल्याणकारी नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) भीलवाड़ा जिले के पुलिस थानों में गत 2 वर्षों की अवधि में जिन-जिन लांगरियों ने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं तथा जिन्हें विभाग द्वारा भुगतान किया गया है, उनका नाम, पता, सेवा-अवधि एवं भुगतान का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार वर्तमान में विभिन्न पुलिस थानों व अन्य मेसों में कार्य कर रहे लांगरियों को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पुलिस थानों तथा अन्य स्थलों पर कार्यरत पुलिसकर्मियों एवं अधिकारियों के लिए उन्हें समय पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न थाना परिसरों तथा अन्य स्थलों पर स्वयं के स्तर/राज्य सरकार के स्तर से भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, जिसका जिलेवार पूर्ण विवरण परिशिष्ट "अ" पर अंकित है।

(2) जी नहीं।

(गृह मंत्री)

(3) भीलवाड़ा जिले के विभिन्न पुलिस थानों में विगत 2 वर्षों से जनवरी 2016 तक की अवधि में स्थाई/अंशकालीन लांगरियों के द्वारा दी गई सेवाऐं तथा उन्हें किये गये भुगतान का थानावार विवरण परिशिष्ट "ब" पर अंकित है।

(4) राज्य सरकार द्वारा अंशकालीन कार्मिकों के नियमितिकरण का विनिश्चय कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 5(2)डीओपी/ए-II/2008 दिनांक 27.02.2009 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में सोने-चांदी में मिलावट के दर्ज प्रकरण

652. **श्री रतन लाल जलधारी** (सीकर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में 1 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2015 की अवधि में सोने-चांदी में मिलावट के कितने परिवाद दर्ज किये गये? जिलेवार एवं पुलिस थानावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में किन-किन दुकानों पर कब-कब कीमती धातुओं में मिलावट की जांच की गई एवं जांच में क्या तथ्य उजागर हुए? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश में सोने-चांदी की धातुओं में मिलावट पर रोकथाम हेतु कोई ठोस कार्ययोजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में 1 जनवरी 2014 से 31 दिसम्बर, 2015 की अवधि में सोने-चांदी में मिलावट सम्बन्धी दर्ज परिवादों की सूचना शून्य है।

(2) उक्त बिन्दु भारत सरकार के अधीन भारतीय मानक ब्यूरो से सम्बन्धित है।

(3) उक्त बिन्दु भारत सरकार के अधीन भारतीय मानक ब्यूरो से सम्बन्धित है।

प्रदेश की जेलों में गम्भीर बीमारियों से पीड़ित कैदी

653. श्री कैलाश भंशाली (जोधपुर) : क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश की जेलों में वर्तमान में कितने कैदी, विचाराधीन बंदी विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं व उनके उपचार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? एड्स, कैंसर, टीबी तथा अन्य घातक बीमारियों से पीड़ितों का कारागारवार व संख्यावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश के कारागृहों में 1 जनवरी, 2011 से 31 दिसम्बर, 2015 की अवधि तक कितने कैदियों, विचाराधीन बंदियों की विभिन्न बीमारियों से मृत्यु हुई? कारागारवार व बीमारीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य की जेलों में वर्तमान में बीमारियों से पीडित कैदी/विचाराधीन बंदियों का कारागारवार व बीमारीवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

राज्य की जेलों में बीमार बंदियों को वर्तमान में दी जा रही चिकित्सा सुविधा का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) राज्य की जेलों में 1 जनवरी, 2011 से 31 दिसम्बर, 2015 की अवधि में विभिन्न बीमारियों से मृत्यु प्राप्त दण्डित कैदी/विचाराधीन बंदियों का कारागारवार व बीमारीवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों के लिये आबंटित बजट में वृद्धि करने की योजना

654. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों में किस-किस योजना में किस-किस मद में कितनी राशि आबंटित की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जनजाति क्षेत्रों के लिए आबंटित बजट में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों?

(डा. किरोडी लाल)

(3) क्या सरकार जनजाति क्षेत्रों में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कोई विशेष पैकेज देने की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रों में जनजाति प्रवाह के रूप में प्रत्येक विभाग के बजट उपशीर्ष 796 मांग संख्या 30 में राशि आबंटित करती है। वर्ष 2015-16 में कुल राज्य प्रावधान 7140578.10 लाख रुपये मे से 988671.27 लाख रुपये जनजाति प्रवाह के रूप में आबंटित किये गये हैं जो राज्य योजना का 13.85 प्रतिशत है। विवरण परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2015-16 में जनजाति उपयोजना प्रवाह में राज्य योजना का 13.85 प्रतिशत प्रावधान रखा गया है। जनजाति उपयोजना मद में राज्य की जनजाति जनंसख्या (13.48 प्रतिशत) के अनुपात में प्रावधान किया गया है।

(3) बजट घोषणा वर्ष 2014-15 में ढांचागत अंतराल के लिए अगले 5 वर्षों हेतु 1000 करोड़ रुपये के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई। इस राशि को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। मामला प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के टी.एस.पी. क्षेत्रों में ओपनवैल खुदवाने की कार्य योजना

655. श्री सुशील कटारा (चौरासी) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार टी.एस.पी. क्षेत्र में नये ओपनवैल (कुएं) खुदवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार जनजाति क्षेत्र में निवास कर रहे बिखरी आबादी वाले परिवारों के लिए पेयजल हेतु नलकूप या ट्यूबवैल लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) टी.एस.पी. क्षेत्र में जनजाति विकास विभाग द्वारा नये ओपनवैल (कुएं) खुदवाने के सम्बन्ध में कृषि प्रयोजनार्थ खुला कुआं निर्माण की योजना संचालित नहीं है।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

किन्तु पेयजल प्रयोजनार्थ खुले कुएं का निर्माण पंप एण्ड टैंक योजनान्तर्गत सार्वजनिक भूमि पर आवश्यकता होने पर किया जाता है।

(2) जनजाति क्षेत्र में निवास कर रहे बिखरी आबादी वाले परिवारों की पेयजल हेतु नलकूप या ट्यूबवैल लगाने का कार्य आवश्यकतानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर, राशि की उपलब्धता एवं योजना में अनुमत होने पर स्वीकृत किया जा सकता है।

जोधपुर जिले में कब्रिस्तानों की सुरक्षा हेतु चारदीवारी का निर्माण

656. श्रीमती कमसा (भोपालगढ़) : क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

प्रदेश में राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ द्वारा जोधपुर जिले में जनसहभागिता योजनान्तर्गत कब्रिस्तानों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए चारदीवारी निर्माण का कार्य किस-किस तहसील में कितना कराया एवं इस हेतु कितनी राशि आबंटित हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रदेश में कर्बिस्तान की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ के माध्यम से जोधपुर जिले में जनसहभागिता योजनान्तर्गत चारदीवारी निर्माण का कोई कार्य नहीं कराया गया है। किन्तु उप निदेशक स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर से प्राप्त सूचनानुसार निकाय क्षेत्र में इंतेजामिया कमेटी पीपाड़ सिटी द्वारा सीधे जन सहभागिता योनान्तर्गत हिस्सा राशि 1.05 लाख रुपये जमा कराने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा राशि 18.50 लाख रुपये स्वीकृत किये गये। कर्बिस्तान पीपाड़ सिटी की चारदीवारी हेतु स्वीकृत राशि में से कुल राशि 13.05 लाख रुपये व्यय कर 150 रनिंग मीटर दीवार का निर्माण कराया गया है। इसी प्रकार जिला परिषद जोधपुर से प्राप्त सूचनानुसार जोधपुर जिले की तहसील जोधपुर में 01 तहसील ओसिया में 06 तहसील फलौदी में 06, तहसील शेरगढ़ में 02, तहसील बिलाड़ा में 06, तहसील लूणी में 01 तहसील भेपालगढ़ में 02 तथा तहसील बालेसर में 01 ग्रामीण क्षेत्र के कर्बिस्तान की चारदीवारी आदि का जनसहभागिता योजनातर्गत निर्माण कार्य कराया गया है। (सूची संलग्न परिशिष्ट-अ) ग्रामीण क्षेत्रों के उक्त कर्बिस्तानों में निर्माण कार्य हेतु वर्ष 2012-13 में राशि 111.36 लाख रुपये एवं वर्ष 2013-14 में राशि 65.70 लाख रुपये आबंटित हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में

(वक्फ मंत्री)

जनसहभागिता योजनान्तर्गत उपरोक्त 25 कब्रिस्तानों में कराये गये कार्य में से 20 कब्रिस्तानों में कार्य पूर्ण हो गये हैं तथा शेष 05 कब्रिस्तनों में कार्य प्रगति पर है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जिला आयुर्वेद अधिकारियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना

657. **श्रीमती कामिनी जिन्दल** (गंगानगर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विभाग में प्रशासनिक एवं अन्य विभागीय कार्यो, नियन्त्रण एवं विभाग को चुस्त दुरुस्त करने हेतु जिला आयुर्वेद अधिकारियों के पद स्वीकृत हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त आयुर्वेद अधिकारियों के पास चिकित्सा अधिकारियों की भांति सुविधाएं एवं साधन एवं प्रशासनिक नियंत्रण एवं भ्रमण हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधिकारियों को भी सभी सुविधायें देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) आयुर्वेद अधिकारियों को विभागीय निर्देशों एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

जिला आयुर्वेद अधिकारियों को प्रशासनिक नियंत्रण एवं भ्रमण हेतु किराये के वाहन की स्वीकृति दी गई है।

सिकराय के चिकित्सालयों में उपलब्ध सुविधाएं

658. **श्रीमती गीता वर्मा** (सिकराय) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में वर्तमान में कितने एवं किस-किस श्रेणी के चिकित्सा केन्द्र संचालित हैं? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में ऐसे कितने केन्द्र हैं, जो भवन विहिन हैं और कितने

(श्रीमती गीता वर्मा)

केन्द्र ऐसे हैं, जिन्हें दूसरे भवनों में संचालित किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त श्रेणीवार चिकित्सा केन्द्रों में किस प्रकार की सुविधा होना अनिवार्य है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान में संचालित केन्द्रों पर कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त क्षेत्र में संचालित चिकित्सा केन्द्रों में पानी, सुलभ शौचालय एवं रोगी वाहन सुविधा उपलब्ध है? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में निम्न प्रकार के चिकित्सा संस्थान स्वीकृत हैं:-

चिकित्सा संस्थान का नाम	चिकित्सा संस्थान का संख्या विवरण
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	5
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	10
उप स्वास्थ्य केन्द्र	75

उक्त चिकित्सा संस्थानों का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में भवन विहिन चिकित्सा संस्थान एवं जिन्हें अन्य भवन में संचालित किया जा रहा है। उनका विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है तथा उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रसव पूर्व जांच, प्रसूति सेवा, प्रसव पश्चात जांच, टीकाकरण, परिवार कल्याण सेवायें, सामान्य रोगियों का प्राथमिक उपचार, मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा वितरण योजना की सुविधाएें उपलब्ध होती हैं।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(4) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में स्वीकृत चिकित्सा संस्थानों में स्वीकृत, कार्यरत/पदस्थापित एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-'द' पर संलग्न है।

जी हां। चिकित्सकों के पदौन्नति के रिक्त पदों को डी.ए.सी.पी. के अन्तर्गत पदौन्नत चिकित्सकों से अथवा स्थानान्तरण से प्रतिबन्ध हटने पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी के 1300 पदों पर भर्ती हेतु आर.यू.एच.एस. को अर्थना भिजवाई गई है। चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर अथवा स्थानान्तरण से प्रतिबन्ध हटने के उपरान्त भरने के प्रयास किये जायेंगे।

नर्स श्रेणी-प्रथम, महिला स्वास्थ्य दर्शिका के रिक्त पदों को विभागीय स्तर पर की जाने वाली पदौन्नति अथवा स्थानान्तरण के समय भरने के प्रयास किये जायेंगे।

नर्स श्रेणी-द्वितीय एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पदों को भरने हेतु चयन सूची जारी कर अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करते हुये जिला आबंटित कर दिया गया है।

सीधी भर्ती के रिक्त पदों को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(5) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में स्वीकृत चिकित्सा संस्थानों में पानी, शौचालय एवं रोगी वाहन की सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट-'य' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में स्थापित कंट्रोल रूम

659. डा. मंजू बाघमार (जायल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है सरकार द्वारा निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में एक कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की गई थी, जिसमें पूरे दिन एक सक्षम अधिकारी उक्त कंट्रोल रूम में बैठेगा जो माननीय सदस्यों को डाक्टरों से मुलाकात आदि के संदर्भ में सहयोग प्रदान करने का कार्य करेगा? यदि हां, तो उक्त कंट्रोल रूम में नियुक्त अधिकारी का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. मंजू बाघमार)

(2) उक्त कंट्रोल रूम की स्थापना के बाद 29 फरवरी, 2016 तक कितने माननीय सदस्यों ने उक्त कंट्रोल रूम में फोन कर सहायता ली? कंट्रोल रूम में रखे गये रजिस्टर की छाया प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में डा. रामस्वरूप शर्मा वरिष्ठ विशेषज्ञ (शिशुरोग) एवं डा. हेमराज मित्तल, चिकित्सा अधिकारी कार्यरत है।

(2) माननीय सदस्यों ने अभी तक कन्ट्रोल रूम में व्यक्तिगत रूप से कोई फोन नहीं किया है। उनके प्राप्त फोन का इन्द्राज करने हेतु रजिस्टर बनाया हुआ है।

कन्ट्रोल रूम में संधारित रजिस्टर की छाया प्रति परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बारां जिले के चिकित्सालयों में चिकित्सा कर्मियों के रिक्त पद

660. श्री ललित कुमार (किशनगंज) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बारां जिले के चिकित्सालयों में चिकित्सकों, मेल नर्स व ए.एन.एम. के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसे चिकित्सालयों में कितने-कितने पद? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बारां जिले में स्वीकृत राजकीय चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों, नर्स श्रेणी-प्रथम, नर्स श्रेणी-द्वितीय एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) के रिक्त पदों का चिकित्सा संस्थानवार संख्या विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) चिकित्सकों के पदोन्नति के रिक्त पदों को डी.ए.सी.पी. के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से अथवा स्थानान्तरण से प्रतिबन्ध हटने के उपरान्त भरने के प्रयास किये जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी के 1300 पदों पर भर्ती हेतु आर.यू.एच.एस. को

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

अर्थना भिजवाई गई है। चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने के प्रयास किये जायेंगे।

नर्स श्रेणी प्रथम के रिक्त पदों को विभागीय स्तर पर की जाने वाली पदौन्नति अथवा स्थानान्तरण के समय भरने के प्रयास किये जायेंगे।

नर्स श्रेणी द्वितीय एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पदों को भरने हेतु चयन सूची जारी कर अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करते हुये जिला आबंटित कर दिया गया है। बारां जिला आबंटित अभ्यर्थियों के पदस्थापन के समय रिक्त पदों को भरने के प्रयास किये जायेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रावतसर तहसील मुख्यालय पर ए.डी.जे. कोर्ट की स्थापना

661. श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा) : क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के रावतसर तहसील मुख्यालय पर ऐ.डी.जे. कोर्ट नहीं है?

(2) क्या सरकार रावतसर तहसील मुख्यालय पर ऐ.डी.जे. कोर्ट स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के रावतसर तहसील मुख्यालय पर कोई ए.डी.जे. कोर्ट नहीं है।

(2) किसी स्थान पर नवीन अपर जिला एवं सैशन न्यायालय की स्थापना निर्धारित मानदण्ड के अनुसार 1000-1200 प्रकरण लम्बित होने पर न्यायालय की स्थापना हेतु माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/स्वीकृति प्राप्त होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही की जा सकती है।

रावतसर तहसील मुख्यालय पर (ADJ) कोर्ट स्वीकृत करने का प्रस्ताव पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है तथा वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/स्वीकृति प्राप्त होने पर रावतसर

(विधि एवं विधिक कार्य मंत्री)

में अपर जिला एवं सैशन न्यायालय (ADJ) कोर्ट की स्थापना हेतु कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रदेश में चिकित्सा अधिकारियों की नव-नियुक्ति में नियम 22-A की अवहेलना

662. **श्री पूरणमल सैनी** (खेतड़ी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि चिकित्सा अधिकारी की प्रथम नियुक्ति नियम 22-ए के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में होना अनिवार्य है? यदि हां, तो वर्ष 2010 के बाद किन-किन चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति 22-ए नियम की अवहेलना करते हुए शहरी क्षेत्र में की गई? चिकित्सकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2010 के बाद चिकित्सा अधिकारी की नई नियुक्ति में नियम 22-ए की पालना की गई थी? यदि हां, तो कितने चिकित्सा अधिकारियों को नियम 22-ए के तहत नियुक्ति दी गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि प्री.-पी.जी. सेवा कोटे के लाभ में वर्ष 2014 के चिकित्सा अधिकारी को दोनों (ग्रामीण व शहरी) क्षेत्रों में ही नियुक्त का लाभ मिलता रहा है, परन्तु 2015 में सरकार द्वारा पुराने नियमों का हवाला देते हुए चिकित्सकों को उक्त लाभ नहीं दिया गया? क्या सरकार भविष्य में ऐसे चिकित्सा अधिकारियों, जो सी.एच.सी. में लगे हैं, को भी ग्रामीण क्षेत्र का लाभ दिये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। एमबीबीएस चिकित्सा अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में तीन वर्ष तक पदस्थापित किये जाने का प्रावधान है। चिकित्सा अधिकारी जो कि नवनियुक्ति से पूर्व ही पीजी/पीजी अध्ययनरत होने पर इनका पदस्थापन शहरी क्षेत्रों में किया जाता है। सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) नवनियुक्ति पर यथासंभव चिकित्सकों का पदस्थापन नियमानुसार किया गया है, पदस्थापन आदेश की सूची परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। प्री-पीजी में सेवारत कोटे के तहत उन्ही चिकित्सकों को लाभ देय है जिनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित राजकीय चिकित्सा संस्थानों

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

पर वांछित सेवा अवधि पूर्ण कर ली गई है। इसकी गणना राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर के आर्डिनेन्स 278-ई-4 एवं वित्त विभाग के ग्रामीण भत्ते के सम्बन्ध में नोटिफिकेशन दिनांक 26.12.2011 के आधार पर की जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों का अभिप्राय 5000 से कम आबादी की तहसील एवं म्यूनिसिपल क्षेत्रों के अतिरिक्त क्षेत्रों से है। ग्रामीण क्षेत्रों को क्रमोन्नत करने का कार्य राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है। साथ ही चिकित्सा विभाग की सेवायें आवश्यक प्रवृत्ति की होने के कारण कई बार चिकित्सकों को कार्य सम्पादन हेतु शहरी क्षेत्रों में भी व्यवस्थाऐं बनाये रखने के कारण लगाया जाना आवश्यक हो जाता है, जैसे मौसमी बीमारियां, धार्मिक आयोजन, विशेष अभियान आदि। वर्ष 2014 तक सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी द्वारा ग्रामीण भत्ते के भुगतान आधार पर अग्रेषित सेवारत कोटे के प्रपत्र के आधार पर पात्रता की गणना की जाती थी।

वर्ष 2015 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा एसबी सिविल रिट संख्या 3711/2015 में दिनांक 07.04.2015 को पारित निर्णय में सेवारत कोटे में पात्रता का आधार आर्डिनेन्स 278-ई-4 एवं नोटिफिकेशन दिनांक 26.12.2011 के तहत "ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित चिकित्सा संस्थानों में वास्तविक कार्य अवधि को ही सेवारत कोटे के तहत गणना योग्य मानने हेतु निर्देशित किये जाने के उपरान्त तद्नुसार पात्रता की गणना की गई।

शहरी क्षेत्रों की पदस्थापन/कार्य अवधि को गणना योग्य माने जाने पर नियमों का उल्लंघन होगा। अतः इस पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कृषि उपज मण्डी बस्सी के सब मण्डी यार्ड को विकसित करने की योजना

663. श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी की बस्सी कृषि उपज मण्डी में सब मण्डी यार्ड स्थित है?

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त मण्डी यार्ड पूर्ण विकसित है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसको पूर्ण विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कृषि उपज मण्डी समिति जयपुर (अनाज) के अन्तर्गत बस्सी गौणमण्डी घोषित है तथा मण्डी यार्ड निर्मित है एवं कृषि उपज मण्डी समिति जयपुर (फल-सब्जी) के अन्तर्गत बस्सी विशिष्ट जिन्स (टमाटर) गौणमण्डी घोषित है तथा मण्डी यार्ड निर्मित है।

(2) जी हां। कृषि उपज मण्डी समिति जयपुर (अनाज) के अन्तर्गत गौण मण्डी प्रांगण बस्सी एवं कृषि उपज मण्डी समिति जयपुर (फल-सब्जी) के अन्तर्गत विशिष्ट जिन्स टमाटर गौणमण्डी प्रांगण बस्सी पूर्ण रूप से विकसित है।

टोंक जिले में पंजीकृत गौशालाओं को अनुदान

664. श्री अजीत सिंह (टोंक) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा टोंक जिले में स्थित पंजीकृत गौशालाओं को गत पांच वर्ष में कितना-कितना अनुदान स्वीकृत किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) टोंक स्थित गांधी गौशाला को गत पांच वर्षों में कितना अनुदान दिया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ग्राम पंचायत डारडाहिन्द में ग्रामवासियों के सहयोग से वर्षों से चल रही गौशाला को भी अनुदान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक तथा कितना व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत पांच वर्ष के दौरान टोंक जिले की पंजीकृत गौशालाओं को दिये गये अनुदान का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) टोंक स्थित गांधी गौशाला को पांच वर्ष के दौरान वित्तीय वर्ष 2010-11 में राशि रु. 15,900/- का अनुदान दिया गया है।

(3) जी हां। श्री कपिला गौशाला, डारडाहिन्द को वित्तीय वर्ष 2010-11 में राशि रु. 1,72,860/- तथा वर्ष 2013-14 में राशि रु. 4,90,928/- का अनुदान दिया गया है।

(पशुपालन मंत्री)

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान द्वारा रबी संवत् 2071 के लिए राज्य में अभावग्रस्त जिलों की समस्त पंजीकृत गौशालाओं में संधारित प्रति बड़े गोवंश हेतु रु. 50 एंव प्रति छोटे गोवंश हेतु रु. 25 प्रतिदिन की दर से दिनांक 30-03-2015 से 15-07-2015 तक की अवधि के लिये अधिकतम 90 दिवस हेतु अनुदान स्वीकृत करने के सम्बन्ध में दिशानिर्देश जारी किये गये थे। तदनुरूप जिला कलक्टर सहायता के माध्यम से गौशालाओं को अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में फसल बीमा योजना के तहत बीमा कम्पनियों को देय प्रीमियम

665. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक फसल बीमा योजनान्तर्गत कुल कितने किसानों ने अपनी फसल का बीमा करवाया तथा इस पेटे कितनी राशि प्रीमियम के बतौर बीमा कम्पनियों को अदा की गई? वर्षवार एवं जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में बीमा कम्पनियों से किसानों को कितनी राशि का क्लेम जारी हुआ? वर्षवार एवं जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में कब-कब किस-किस प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि एवं पाले आदि से किसानों की कितनी राशि की फसल का नुकसान हुआ? जिलेवार एवं वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि बीमा कम्पनियां केन्द्र एवं राज्य सरकार से करोड़ों रुपये प्रीमियम के प्राप्त करने के उपरान्त भी किसानों को उनका उचित मुआबजा नहीं देती हैं? यदि हां, तो क्यों एवं इसके लिए सरकार क्या सार्थक उपाय कब से लागू करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में क्रियान्वित फसल बीमा योजनान्तर्गत कुल बीमित कृषकों की संख्या, बीमित कृषकों से प्राप्त प्रीमियम राशि का वर्षवार/जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(कृषि मंत्री)

(2) उक्त अवधि में बीमा कम्पनियों द्वारा फसल बीमा योजनान्तर्गत पात्र बीमित कृषकों को दिए गए बीमा क्लेम का वर्षवार/जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) विगत पांच वर्षों में प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि एवं पाले आदि से किसानों को कितनी राशि की फसल का नुकसान हुआ है, इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(4) जी नहीं। मौसम आधारित फसल बीमा योजनान्तर्गत प्रत्येक अधिसूचित फसल व सन्दर्भ इकाई क्षेत्र के विभिन्न मौसमी जोखिमों जैसे कम तापमान, अधिक तापमान, बेमौसमी वर्षा एवं आर्द्रता के जिलेवार/ तहसीलवार विस्तृत विवरण (टर्मशीट) में अभिलिखित सम्बन्धित जोखिमों के मौसमी आंकड़ों को निर्धारित जोखिम अवधियों के दौरान सन्दर्भ मौसम केन्द्र से प्राप्त आंकड़ों से तुलना करके मुआवजे (बीमा क्लेम) की गणना की जाती है, जबकि संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त औसत उपज के आधार पर पूर्व निर्धारित गारण्टी उपज से तुलना कर पात्र बीमित कृषकों को बीमा क्लेम दिया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मारवाड़ जंक्शन में खेल स्टेडियम का निर्माण

666. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड जंक्शन) : क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या योजनाएं संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रदेश में खेलों के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया है एवं उसमें से कितना-कितना बजट किस-किस मद पर व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए स्टेडियमों का निर्माण कार्य भी करवाया जाता है? यदि हां, तो मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र में कितने स्टेडियमों का निर्माण करवाया गया? यदि नहीं, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्टेडियम का निर्माण कब तक करवा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खेल प्रतिभाओं को बढ़ाने हेतु प्रदेश में चलाई जा रही योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2)वित्तिय वर्ष 2015-16 में खेलों के लिए राशि रुपये 9179.33 लाख का प्रावधान किया गया था जिसमें से अभी तक बजट मद 2204 में राशि रुपये 3634.11 लाख और बजट मद 4202 में राशि रुपये 3876.64 लाख व्यय किये गये।

(3) जी हां। मारवाड़ जंक्शन में स्टेडियम निर्माण हेतु बजट आबंटित नहीं किया गया है।

युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा समन्वित स्टेडियम (आधारभूत खेल सुविधायें) विकास कार्यक्रम-2015 चलाया जा रहा है जिसके तहत संभाग, जिला, तहसील/पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर स्टेडियम निर्माण एवं विकास कार्य करवाये जाने का प्रावधान है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

केकड़ी उपखण्ड मुख्यालय पर जिला उद्योग उपकेन्द्र की स्थापना

667. श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार केकड़ी उपखण्ड मुख्यालय पर जिला उद्योग उपकेन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा जिला उद्योग उपकेन्द्र खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केकड़ी उपखण्ड पर जिला उद्योग उप केन्द्र खोले जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) औद्योगिक उपादेयता के आधार पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है।

प्रदेश में उद्योगों की स्थापना हेतु देय सुविधाएं

668. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

(1) प्रदेश में 1 जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2016 तक कौन-कौनसी एवं कितनी उद्योग नीतियों में परिवर्तन/प्रवर्तन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नीति क्या है? पूर्ण प्रावधानों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राजस्थान स्टार्टअप नीति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा उद्योगों हेतु कर, विद्युत, भूमि अथवा अन्य क्षेत्रों में वांछित औपचारिकता में कोई शिथिलता प्रदान की गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा राज्य में 1 जनवरी, 2009 से अब तक राजस्थान एमएसएमई नीति, 2015, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2010 एवं राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2014 जारी की गई है।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2010 एवं राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2014 में समय-समय पर संशोधन किया गया।

(2) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान एमएसएमई नीति, 2015 जारी की गई है जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित सहायता/सुविधाएं देय हैं:-

- आईएसआई/बीआईएस/डब्लूएचओ-जीएमपी/हालमार्क सर्टिफिकेशन प्राप्त करने पर 50 प्रतिशत पुनर्भरण (अधिकतम 3 लाख)
- अनुसंधान, विकास एवं परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एसोसिएशन को डीएलसी दर से 50 प्रतिशत दर पर भूमि उपलब्ध कराना तथा 50 प्रतिशत पूंजी लागत उपलब्ध कराना (अधिकतम 2 करोड़)
- उद्योग संघों द्वारा कामन इफ्यूलेन्ट ट्रीटमेट प्लान्ट (सीईटीपी) की स्थापना करने पर पूंजी में 50 प्रतिशत का पुनर्भरण।
- लघु एवं मध्यम उद्यम द्वारा इफ्यूलेन्ट ट्रीटमेंट प्लान्ट (ईटीपी) की स्थापना के उपरान्त यदि पुनर्चक्रित पानी का 80 प्रतिशत उपभोग किया जाता है तो स्थिर पूंजी का 50 प्रतिशत का पुनर्भरण (अधिकतम 25 लाख)

(उद्योग मंत्री)

- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा वित्तीय संस्थाओं के क्रेडिट गारण्टी ट्रस्ट फार माइक्रो एण्ड स्माल एन्टरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) के तहत सीकिंग कालेटरल फ्री लोन (अधिकतम 1 करोड़ रु.) हेतु सर्विज चार्ज के तहत ऋण राशि का 0.5 प्रतिशत या 25000 रुपये जो भी कम हो, का पुनर्भरण।
- लघु एवं मध्यम उद्यम हेतु एसएमईज एक्सजेंज द्वारा रेजिंग आफ फण्ड पर हुए व्यय का 10 प्रतिशत (अधिकतम 2.5 लाख रुपये) की सहायता

(3) राजस्थान स्टार्टअप नीति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(4) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2014 के अन्तर्गत उद्योगों हेतु विद्युत कर, भूमिकर अथवा अन्य क्षेत्रों में छूट एवं अनुदान के सम्बन्ध में वांछित औपचारिकता में कोई शिथिलता प्रदान नहीं की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किशनगढ़ (अजमेर) में अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय की स्थापना

669. श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या प्रदेश में स्थित कुछ उपखण्ड मुख्यालयों पर अतिरिक्ति जिला कलक्टर कार्यालय संचालित हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर एवं कब से?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालयों के लिये मानदण्ड निर्धारित किये गये है? यदि हां, तो क्या प्रदेश में संचालित उक्त सभी अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय मानदण्ड के अनुरूप ही हैं? मानदण्डों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या किशनगढ़ में सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था व राजस्व कार्यों की अधिकता को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(राजस्व राज्य मंत्री)

क्र.सं.	जिला	उपखण्ड/अति. जिला कलक्टर मुख्यालय	कब से
1	बारां	शाहबाद	वर्ष 1977-78
2	भरतपुर	डींग	सितम्बर 1996
3	श्रीगंगानगर	सूरतगढ़	07.06.1996
4	जयपुर	कोटपूतली	19.03.1999
5	नागौर	डीडवाना	16.10.1996
6	हनुमानगढ़	नोहर	वर्ष 1996

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। जिले के अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) न्यायालय में 239 व अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) न्यायालय में 136 राजस्व प्रकरण ही विचाराधीन हैं तथा अजमेर से किशनगढ़ की दूरी केवल 25 कि.मी. होने से किशनगढ़ में नवीन अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय खोले जाने का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई औचित्य नहीं है।

कोटा जिले में सैनिकों को आबंटित भूमि

670. **श्री विद्याशंकर नन्दवाना** (पीपल्दा) : क्या उपनिवेशन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सैनिकों को भूमि आबंटित किये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो कोटा जिले में गत दस वर्षों में कितने सैनिकों को भूमि आबंटित की गई एवं कितने सैनिकों ने कब्जा प्राप्त कर पूर्ण स्वामित्व प्राप्त कर लिया है तथा कितने शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कोटा जिले में कुछ सैनिकों की आबंटित भूमि पर कब्जा लेने से पूर्व ही मृत्यु हो जाने के कारण वे अपने अधिकार से वंचित हो गये हैं? यदि हां, तो ऐसे कितने प्रकरण हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सैनिकों को भूमि आबंटित होने के बाद सैनिकों द्वारा उक्त भूमि को बेचान करने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित है? क्या सैनिक आबंटित भूमि को बेच सकता है? यदि हां, तो गत दस वर्षों में कोटा जिले में

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

आबंटित भूमि को कितने सैनिकों अथवा उनके उत्तराधिकारियों द्वारा बेचान कर दिया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 12क में भूतपूर्व सैनिकों को भूमि आबंटन के प्रावधान हैं। कोटा जिले में गत 10 वर्षों में तहसील पीपल्दा में एक सैनिक तथा तहसील दीगोद में दो सैनिकों को कुल तीन सैनिकों को भूमि आबंटित की गई है। उक्त सैनिकों ने कब्जा प्राप्त कर पूर्ण स्वामित्व प्राप्त कर लिया है। अन्य कोई प्रकरण कब्जा देने से शेष नहीं है।

(2) कोटा जिले में सैनिकों को आबंटित भूमि पर कब्जा लेने से पूर्व ही मृत्यु हो जाने का कोई प्रकरण नहीं है।

(3) राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 12क के तहत आबंटित भूमि को राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्तें 1955 की शर्त संख्या-9 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के पश्चात विक्रय किया जा सकता है। कोटा जिले में गत 10 वर्षों में श्री इन्द्रजीत सिंह पुत्र पूरण सिंह जाति जटसिख निवासी कुन्हाडी कोटा द्वारा उन्हें आबंटित भूमि ग्राम प्रेमपुरा तहसील दीगोद खसरा नम्बर 306 रकबा 1.0 हैक्टेयर का बेचान किया गया है।

जैसलमेर जिले के डी.एन.पी. क्षेत्र का विकास

671. श्री शैतानसिंह (पोकरण) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि प्रदेश में डी.एन.पी. क्षेत्र का पुन: सीमांकन किया जाना प्रस्तावित हैं? यदि हां, तो जैसलमेर जिले का जो क्षेत्र पूर्व में ही उक्त क्षेत्र में आ चुका है, उसके विकास एवं मूलभूत सुविधाओं हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। यह सही है कि डी.एन.पी. क्षेत्र का पुन: सीमांकन प्रस्तावित है। जैसलमेर जिले के जो क्षेत्र इसमें पहले से ही आ चुके हैं उसके विकास एवं मूलभूत सुविधाओं से काश्तकार को वंचित नहीं किया गया है। डी.एन.पी. की सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले राजस्व गांवो में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट-अ में अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सोजत की चरागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही

672. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सोजत में पंचायतवार कितनी भूमि चरागाह की है? क्या उक्त चरागाह भूमि पर अतिक्रमण है? पंचायत सर्कलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण के कितने प्रकरण लम्बित हैं तथा कितने प्रकरणों में सिवायचक भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है? पटवार सर्कलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में तहसीलदार सोजत व रायपुर द्वारा सिवायचक भूमि से वर्ष 2010 से 2015 तक निस्तारित कितने प्रकरणों में सिवायचक भूमि पर से कितने अतिक्रमण हटाये गए तथा कितने प्रकरणों में कब्जे प्रकरण निस्तारण के बाद भी आज दिनांक तक नहीं हटाए गए? कारण सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सोजत की तहसील सोजत में 11756 हैक्टेयर भूमि चरागाह है एवं 44.01 हैक्टेयर चरागाह भूमि पर अतिक्रमण है।

विधान सभा क्षेत्र सोजत की तहसील रायपुर में 1699.3112 हैक्टेयर भूमि चरागाह है एवं 3.1653 हैक्टेयर चरागाह भूमि पर अतिक्रमण है।

सूचियां संलग्न हैं।

(2) तहसील सोजत में सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण के 63 प्रकरण लम्बित हैं तथा 3469 प्रकरणों में सिवायचक भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है।

तहसील रायपुर में सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण के लम्बित प्रकरणों की सूचना शून्य है तथा 79 प्रकरणों में सिवायचक भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है।

सूचियां संलग्न हैं।

(3) तहसील सोजत द्वारा विगत वर्ष 2010 से 2015 तक कुल दायर 20992 प्रकरणों में अतिक्रमियों के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,

(राजस्व राज्य मंत्री)

1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए अतिक्रमियों को अर्थदण्ड से दण्डित कर भौतिक रूप से बेदखली के आदेश पटवारी हल्का को दिये गये। 773 प्रकरणों में गैरसायलानों द्वारा पक्के निर्माण कर रहवासी मकान बने हुए हैं एवं 63 अतिक्रमण के प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में स्थगन एवं विचाराधीन हैं।

तहसील रायपुर द्वारा वर्ष 2010 से 2015 तक सिवायचक भूमि पर से 5 पटवार मण्डलों में कुल 79 प्रकरणों में अतिक्रमण हटाये गये।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बड़ी सादड़ी में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

673. **श्री गोतम कुमार** (बड़ी सादड़ी) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में से कितने आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित किये जा रहे हैं, कितने आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन बने हुए हैं व कितने आंगनबाड़ी केन्द्र दूसरे विभाग के भवनों में संचालित हो रहे हैं? आंगनबाड़ियों के नाम सहित व भवनों की स्थिति सहित पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भवन स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना भदेसर के 42, परियोजना डूंगला के 127, परियोजना बड़ी सादड़ी के 143 तथा परियोजना प्रतापगढ़ द्वितीय के 137 कुल 449 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। पंचायत समितिवार आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 63 आंगनबाडी केन्द्र किराये के भवनों में, 294 आंगनबाड़ी केन्द्र विभागीय भवनों में एवं 61 आंगनबाड़ी केन्द्र स्कूल एवं 31 आंगनबाड़ी केन्द्र अन्य सरकारी भवनों में संचालित हो रहे

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों की पंचायत समितिवार स्थिति का विवरण परिशिष्ट 'अ' में ही समाहित है।

(3) जी हां। वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत भवनविहीन आंगनबाड़ियों के लिए भवन निर्माण का कार्य किया जायेगा।

परिशिष्ट-1

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

मकराना की ग्राम पंचायत बोरावड़ में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

महोदय,

विधान सभा क्षेत्र मकराना के राजस्व ग्राम बोरावड में खसरा नम्बर 413, 415 गौचर भूमि के नाम से करीब 500 बीघा जमीन दर्ज है जिस पर अतिक्रमणियों ने आधी जमीन से ज्यादा भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है इसी प्रकार उक्त ग्राम में खसरा नम्बर 238 रकबा 99 बीघा गैर मुमकिन जौड के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। इस भूमि पर भी अतिक्रमणियों ने काफी भूमि पर कब्जा कर अवैध मकान बना लिये हैं। इस सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों को काफी बार शिकायत की गई परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है जिससे वर्तमान में भी अतिक्रमणियों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। मकराना शहर व बोरावड में उक्त जमीनों के अलावा सरकारी कार्यालय आबंटन हेतु अन्य कोई भूमि नहीं है। अत: राजस्व मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि उपरोक्त भूमि से अतिक्रमणियों को अविलम्ब हटाकर जमीन को पूर्व की स्थिति में कराने की कार्यवाही करावें।

श्रीराम भींचर

(मकराना)

जोधपुर शहर में बढ़ता भू-जल स्तर

महोदय,

मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जोधपुर शहर भू-जल पर तैर रहा है, आज भी हालात वैसे ही हैं जैसे 1998 में सामने आए थे। उस समय इस समस्या का पता लगाने के बाद इस पर कामकाज शुरू किया गया था, अब तक इस समस्या के निदान पर गत 6 साल में 1369.55 लाख फूंके जा चुके हैं, लेकिन अंशमात्र कुछ क्षेत्रों में पानी कम होता है तो दूसरे क्षेत्र उसकी चपेट में आ जाते हैं, पहले शहर के भीतर के क्षेत्र चपेट में आए तो 89 स्थानों पर नलकूप लगाकर पानी खींचने का काम शुरू किया गया, अब महामंदिर व लक्ष्मीनगर में भूजल बढ़ता देख वहां पर 7 नए नलकूप लगाकर चालू किए गए हैं।

जोधपुर शहर में बढ़ते भूजल स्तर की समस्या का चिन्हीकरण सबसे पहले 1998 में किया गया। इस समस्या से जोधपुर शहर में परकोटे के भीतर पुराने शहर के दर्जनों क्षेत्र, सरदारपुरा व नेहरू पार्क के क्षेत्र, गांधी मैदान आदि क्षेत्रों में भूजल जमीन खुदाई पर 4 फीट पर ही पाया गया था। उसके बाद यहां पर 89 स्थानों पर कुएं, नलकूप व बावड़ी से प्रतिदिन औसतन 30 मिलियन लीटर पानी निकाला जाकर 14 मिलियन लीटर पानी पेयजल के अतिरिक्त उपयोग यानी आर्मी व बीएसएफ को आपूर्ति किया जाने लगा। वहीं 8 मिलियन लीटर पानी उद्यानों के लिए व शेष 8 मिलियन लीटर पानी सीवर, नालों में प्रवाहित किया जा रहा है। इसके बाद अब महामंदिर, लक्ष्मीनगर और पावटा क्षेत्र में भूजल बढ़ने की नयी समस्या सामने आयी है। यहां पर नए 7 नलकूप लगाकर पानी निकाला जाने लगा है। शहर के बाहरी भाग जिसमें रिक्तियां भैरूजी, न्यू कैम्प्स, न्यू पावर हाउस, शास्त्रीनगर, मेडिकल कालेज, देवनगर, काजरी, पाल रोड, कुडी इत्यादि में भूजल बढ़ने की समस्या अधिक नहीं पायी गयी है। भूजल को कम करने के लिए एनआईएच रूड़की व एनजीआरआई हैदराबाद द्वारा सुझाए गए सुझावों के तहत ही शहर में एकांतरे पानी की सप्लाई की जाने लगी है।

भू-जल स्तर के नियंत्रण के लिए प्रभावी क्षेत्रों में चार जोन क्रमश: खरबूजा बावड़ी, बाईजी की तालाब, फतेहसागर, लक्ष्मीनगर, महामंदिर में विभक्त कर विभाग द्वारा अप्रैल 2009 से 89 स्थानों से भूजल की पंपिंग की जा रही है। पंपिंग के प्रभाव से तीन जोन खरबूजा बावड़ी, बाईजी का तालाब, फतेहसागर में क्रमश: 0.49 मीटर, 3.08 मीटर एवं 0.97 मीटर की गिरावट आंकी गयी है। लक्ष्मीनगर-महामंदिर जोन में भूजल स्तर में 9.74 मीटर की बढ़ोतरी पायी जाने के कारण विभाग द्वारा इस जोन में 7 नए अतिरिक्त नलकूपों का वैधन कार्य किया गया है, इन नलकूपों को माह अप्रैल 2015 चालू किया गया हैं। परन्तु फिर भी 8 जल स्तर कहीं कमी होने के आसार नजर नहीं आ रहे है। अभी हाल ही में केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री साध्वी उमा भारती जोधपुर पधारने पर उन्होंने कहा जोधपुर को भूजल पर तैरने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने भूजल बोर्ड को अध्ययन करने के निर्देश दिये हैं।

अत: मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री का ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा कि वे इस पर तुरन्त प्रभावी

कार्यवाही अमल में लायें ताकि बढ़ते हुए जलस्तर पर अंकुश लगाया जा सके एवं आमजन को राहत पहुंचायी जा सके।

कैलाश भंसाली

(जोधपुर)

सागवाड़ा में डेयरी संयंत्र की स्थापना

माननीय अध्यक्ष महोदय,

नियम 295 के तहत आज आपने मुझे सदन में मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता की भावनाओं को रखने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जनजाति क्षेत्र के वागड़ अंचल डूंगरपुर-बांसवाड़ा जिलों में पशुपालकों को पशुपालन के प्रति बढ़े रूझान ने सार्थक कर दिया है कि भारत में घी दूध की नदियां बहती हैं। राजस्थान का अंतिम छोर गुजरात की सीमा पर डूंगरपुर जिले में हर रोज डेढ़ से दो लाख लीटर दूध उत्पादन हो रहा है, लेकिन पशुपालकों के लिए बौनी व्यवस्थाओं के चलते दोनों जिलें में पैक्ड दूध मार्केट के 44 फीसदी हिस्से पर पड़ोसी राज्य गुजरात की निजी डेयरी का कब्जा है। सरकारी स्तर पर दुग्ध संग्रहण, विपणन और दुग्ध उत्पादों की मार्केटिंग सुविधा बढ़े, तो समूचे अंचल में घी दूध की नदियां बहती नजर आयेंगी।

अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किये गये। बांसवाड़ा संघ ने डूंगरपुर में माथुगामड़ा मार्ग पर डेयरी संयंत्र स्थापित किया था। कुछ सालों तक तो इकाई अच्छी चली। मांडली क्षेत्र के पशुपालक भी डूंगरपुर केन्द्र के लिए दूध देते थे। लेकिन अपेक्षित कीमत तथा सुविधाएं नहीं मिल पाने के कारण जिले के पशुपालकों ने गुजरात की सरकारी व निजी डेयरियों की ओर अपना मानस बना लिया। इससे डूंगरपुर केन्द्र पर दूध नहीं के बराबर आने लगा। घाटे का सौदा साबित होने पर संघ ने इसे बंद कर दिया। पाश्चयुराइजिंग मशीन सहित अन्य उपकरण भी हटवा लिए गए। हालांकि अभी भी लाखों के उपकरण लगे हुए हैं तथा जंग खा रहे हैं। वहीं परिसर भी खण्डहर में बदल रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब स्थितियां बदलने लगी हैं गुजरात की निजी डेयरी की ओर से शुरूआती तौर पर अच्छी कीमत देने से जिले में एक बार फिर पशुपालन का रूझान तो बढ़ा। सागवाडा क्षेत्र में बड़ी तादाद में किसान व पशुपालक हजारों रुपए खर्च कर उच्च नस्ल की गायें व भैंसे ले

आए। लेकिन अब डेयरी ने दरें घटा दी हैं, और सरकारी स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण मजबूरन पशुपालक औने-पौने दामों पर दूध निजी डेयरी को दे रहे हैं।

पशुपालकों सहित जनप्रतिनिधियों ने डेयरी विकास को प्राथमिकता के रूप में सरकार के सामने प्रस्तुत भी किया है। इसके अलावा जिले में दूध और दुग्ध उत्पादों के लिए भी काफी गुंजाइश है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले की सीमा पर सागवाड़ा में दुग्ध उत्पाद तैयार कराकर पैकिंग सुविधा शुरू की जाए और सरस पार्लर स्थापित किए जाएं तो पशुपालन को संबल मिलेगा। हालांकि जिला मुख्यालय सहित चार जगहों पर सरस पार्लर की योजना लम्बे समय से कागजों में ही है।

सदन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि वागड़ के दोनों जिलों में बडी तदाद में दूध उत्पादन हो रहा है और यहां की अधिकांश लोगों के रोजी रोटी का साधन पशुपालन है राज्य सरकार इस क्षेत्र के पशुपालकों को ध्यान में रखते हुए जल्द ही कोई ठोस कदम उठाए ताकि मेरे विधान सभा क्षेत्र के पशुपालकों को राहत पहुंचे।

श्रीमती अनिता कटारा

(सागवाड़ा)

श्रीगंगानगर नगर परिषद हेतु बजट आबंटन

महोदय,

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, श्रीगंगानगर नगर परिषद में अन्तर्कलह से शहर के हालात अत्यन्त बूरे हो गये हैं। गत दो वर्षों से विकास कार्य ठप पड़े हैं। सरकार द्वारा भापना से निलम्बित नगर परिषद सभापति की स्थिति स्पष्ट नहीं करने से नगर परिषद में सत्ता दल के पार्षदों के भी दो धड़े बन गये हैं। निर्दलीय और विपक्षी पार्षदों की स्थिति तो और भी विकट है जिससे नगर परिषद में या तो कोई भी बैठक आयोजित नहीं की जाती या फिर अव्यवस्था और शोरगुल की भेंट चढ़ जाती है। शहर के किसी वार्ड में कार्य नहीं होने से अराजकता का माहौल है, आमजन के मन मस्तिष्क में जनप्रतिनिधियों के प्रति आक्रोश पनप रहा है।

महोदय, शहर की सभी प्रमुख सड़कें जर्जर हालत में हैं, वहीं सीवरेज के निर्माण कार्य के चलते लगभग सारा शहर टूटा-फूटा पड़ा है। शहरवासी त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। अभी हाल ही में नगर परिषद में आयोजित बजट बैठक भी प्रशासनिक अव्यवस्था की भेंट चढ़ गई है। नगर परिषद आयुक्त की

उदासीनता व नियम विरुद्ध बजट बैठक के प्रस्तावों को कभी स्वीकृत तो कभी अस्वीकृत बताने से पार्षद भी असमंजस की स्थिति में हैं। फिर बिना किसी कारण के बजट बैठक के कार्यवाही को निर्देश प्राप्त करने के लिए मुख्यालय को भेजना भी समझ से परे है।

महोदय, गत दो वर्षों में श्रीगंगानगर शहर में नगर परिषद प्रशासन की अकर्मण्यता एवं आयुक्त की हठधर्मिता से स्थानीय निकाय विभाग द्वारा गत दो वर्षों में श्रीगंगानगर नगर परिषद को कोई बजट स्वीकृत नहीं किया गया जिससे श्रीगंगानगर नगर परिषद में एक रुपये का कार्य भी नहीं हो सका है। जिला मुख्यालय की इस अत्यन्त ज्वलन्त समस्या के प्रति जिला प्रशासन भी कतई गम्भीर नजर नहीं आ रहा। अत: श्रीगंगानगर शहर हित में नगर परिषद हेतु विशेष बजट स्वीकृत करने हेतु मैं विशेष उल्लेख प्रस्ताव करती हूं।

श्रीमती कामिनी जिन्दल

(श्रीगंगानगर)

कोटा की आवासीय कालोनियों के निवासियों एवं सेना के मध्य विवाद

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र कोटा उत्तर में विगत कई वर्षों से नन्दा जी की बाडी, बालाजी टाउन, भगत सिंह कालोनी, सेन्ट्रल स्कूल नं. 01 के आस-पास के क्षेत्र, चांदमारी बालाजी जाने के रास्ते के पास का आबादी क्षेत्र सहित कई आवासीय कालोनियां स्थित हैं। जिनमें वर्षो से हजारों परिवार निवास कर रहे हैं। इन्हें नल, बिजली, सड़क सहित कई सामुदायिक सुविधाएं भी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई हैं। ये क्षेत्र के.डी.ए. 1950 के प्लान में आवासीय क्षेत्र था, तथा के.डी.ए. द्वारा ही इसे यहां के निवासियों को बेचा गया, जिसे बाद में सेना के नाम दर्ज कर दिया गया। वर्तमान में इन क्षेत्रों में रहने वाले आमजन एवं सेना के मध्य आये दिन विवाद की स्थितियां बनी रहती हैं। सेना के आये दिन के विवादों से आमजन पूर्णत: भय ग्रस्त है एवं यह समस्या दिनों दिन विकट रूप लेती जा रही है।

सेना ने हाल ही में सैकड़ों साल पुराने आस्था के केन्द्र चान्दमारी बालाजी का रास्ता भी बंद कर दिया। यहां हर मंगलवार, शनिवार हजारों श्रद्धालु दर्शनार्थ आते हैं। रास्ता बंद कर दिये जाने से श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश है। यही नहीं नंदा जी की बाड़ी, छोटू जी की बाड़ी में जाने में रास्ता मात्र डेढ़ से दो सौ फीट मिलिटरी सीमा में आता है वहां भी सेना द्वारा रास्ता

नहीं दिये जाने के कारण बारिश में रास्तो पर गम्भीर समस्या पैदा हो जाती है। हाल ही में नान्ता-डाबी तिराहा सड़क का निर्माण भी सेना द्वारा रुकवा दिया गया है। इस बारें में सेना व प्रशासन के मध्य कई बार बैठकें होकर संयुक्त सर्वे कर विकल्पों पर चर्चा के बाद प्रस्ताव भी तैयार कर राज्य सरकार को भिजवायें जा चुके हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सेना-सिविल विवाद समिति में भी चर्चा हो चुकी है। राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश व इच्छा शक्ति के अभाव में ही निर्णय होना टल रहा है।

अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि राज्य सरकार उक्त प्रकरण में निर्देश प्रदान कर मुख्य सचिव एवं सेना के सम्बन्धित उच्च अधिकारियों की अतिशीघ्र निर्णायक बैठक रखवाकर कोटा की आवासीय कालोनियों के निवासियों एवं सेना के मध्य विवाद को समाप्त करवाने का कष्ट करें।

प्रहलाद गुंजल

(कोटा उत्तर)

आर्थिक रूप से पिछड़े अनारक्षित वर्ग हेतु आरक्षण बिल

महोदय,

राजस्थान विधान सभा ने अनारक्षित वर्ग के लिए आर्थिक आधार पर 14 प्रतिशत आरक्षण का बिल पास किया। यह बिल सन् 2008 में भी पास किया गया था मगर उच्च न्यायालय की रोक के कारण कभी लागू ही नहीं हो पाया। इस बिल पर रोक लगाए जाने के प्रमुख कारण आरक्षण का 50 प्रतिशत से अधिक हो जाना, संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान ना होना तथा अनारक्षित वर्ग के संदर्भ में आयोग की कोई रिपोर्ट ना होना मुख्य थे। किसी भी बिल को विधान सभा में पेश करने से पहले निश्चित ही कानूनी राय ली जाती है, तो इस बिल के सन्दर्भ में कानूनी राय क्या थी? क्या यह बिल संविधान संशोधन के बिना लागू किया जा सकता है? उच्च न्यायालय के रोक के निर्णय में सभी बिन्दु स्पष्ट थे तो फिर बिल को पश करने से पूर्व आयोग की रिपोर्ट और अन्य संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था जो इस प्रकरण में पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। जिस दिन ईबीसी का बिल पास किया गया उसी दिन एसबीसी का बिल भी पास किया गया, मगर एक ही दिन पास हुए 2 बिलों में से एक को (एसबीसी) को लागू कर दिया गया और दूसरे को (ईबीसी) नहीं किया गया। इस बिल के पारित होने के पश्चात लगभग 50000 नौकरियों की विज्ञप्ति निकाली गई मगर इसका लाभ आर्थिक रूप से पिछले अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नहीं मिल पाया। बिल पारित होने के पश्चात आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन

किया गया जिसे रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मेरी मांग है कि यह आयोग जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट दे और इस बिल को लागू करें ताकि अभ्यर्थियों का और नुकसान ना हो। महोदय, सरकार ने इसी विषय पर आंदोलनरत आर्थिक पिछड़ा आरक्षण संघर्ष समिति के साथ 7 मार्च को वार्ता की गई जिसमें 3 सदस्यीय मंत्री समूह की एक कमेटी के गठन का फैसला लिया गया जो आर्थिक पिछड़ों के उत्थान के लिए बोर्ड के गठन सम्बन्धी अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट देगी। आर्थिक पिछड़ा आरक्षण संघर्ष समिति के साथ हुए समझौते पर कितनी प्रगति हुई, कृपया बतायें। आर्थिक रूप से पिछडे अनारक्षित वर्ग के लोग इस विषय पर बहुत उदवेलित हैं।

अत: मैं सदन के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त अति गम्भीर विषय को गम्भीरता से लेकर अनारक्षित वर्ग को राहत पहुंचायें।

भंवर सिंह

(कोलायत)

भादरा में रेलवे अण्डरब्रिज की स्वीकृति

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हनूमानगढ़-सादुलपुर रेलवे लाइन का आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है। आमान परिवर्तन के बाद भादरा शहर के कुछ वार्ड एवं शहर का श्मशान घाट शहर के दक्षिणी दिशा में स्थित है। इसके विपरीत मुस्लिम समुदाय के लोग रेलवे लाइनों के दक्षिण में निवास करते हैं एवं कब्रिस्तान रेलवे लाइनों के उत्तर में स्थित है, जिससे भादरा शहर वासियों एवं भादरा-साहवा सड़क पर जाने वाले वाहनों को भारी परेशानियां को सामना करना पडेगा। उक्त रेलवे अण्डरब्रिज बाबत शहर वासियों ने काफी दिनों तक उपखण्ड मुख्यालय पर धरना देकर आन्दोलन किया था। इसी तरह भादरा गोगामेड़ी के मध्यम आमान परिवर्तन के बाद करनपुरा एवं सिकरोड़ी सहित कई गांवों के किसानों का अपने खेतों से सम्पर्क टूट जायेगा, जिससे सैकड़ों किसान रेलवे लाइन के इस पार खेती नहीं कर पायेंगे।

अत: जनहित में ग्रामीणों, किसानों एवं शहरवासियों की लम्बे समय से मांग को देखते हुए उक्त दोनों आर.यू.बी. (रेल्वे अण्डरब्रिज) क्रमश: सी-64 पोल संख्या 114/3-4 एवं कि.मी. 109/14 पर सी-60ई.ए. पर स्वीकृत करने की कृपा करें।

संजीव कुमार

(भादरा)

बाड़मेर में गाडोलिया-लुहार एवं पाक विस्थापितों हेतु भूखण्डों का आबंटन

महोदय,

मैं आपका ध्यान अत्यन्त ही जन हित के मुद्दे पर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जिला मुख्यालय बाड़मेर पर गाडोलिया लुहारों एवं पाक विस्थापितों को बसाने के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि गाडोलिया लुहार जो कि शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से अत्यन्त ही गरीब वर्ग है उसको बाड़मेर में आवास उपलब्ध कराने हेतु पूर्व में जिला मुख्यालय पर जमीन का भी आबंटनर किया गया और सरकार की नीति भी है कि गाडोलिया लुहारों को भूखण्ड आबंटन कर उनको स्थायी बसाने की, लेकिन दस वर्ष से अधिक हो गया है। लेकिन प्रशासनिक शिथिलता के चलते अभी तक गाडोलिया लौहारों को भूखण्ड आबंटन नहीं हुए हैं। इसको लेकर कई बार अधिकारियों को कहा गया लेकिन अभी तक न तो इनको भूखण्ड आबंटन किया गया है और न ही वहां बसाया गया है। नतीजा यह है कि जो जमीन गाडोलिया लुहारों हेतु आरक्षित की गई थी उस पर भी अतिक्रमण हो रहा है। गाडोलिया लोहार जिनका अपना कोई आवास नहीं है, बहुत ही कठिन परिस्थितियों में यह जाति अपना गुजारा चलाती है और उसको भी हम स्थायी आवास हेतु आवास नहीं दिला पा रहे है यह हम सब के लिए चिंता का विषय है। पिछले दस वर्षों से अधिक समय हो गया है, यह लोग आवास को लेकर संघर्ष कर रहे हैं लेकिन अभी तक उक्त इनको आवास आबंटन नहीं किया गया है।

इसी प्रकार पाक विस्थापित जो पूर्व में यहां आकर जैसे तैसे बैठे हैं उनके लिए भी जिला मुख्यालय पर जमीन आबंटित हुई थी लेकिन उक्त जमीन पर वर्तमान में कॉलोनी बस गई है लोगों ने अतिक्रमण कर दिये हैं। इसको लेकर पाक विस्थापितों ने नगर परिषद में राशि भी जमा कराई थीं लेकिन अभी तक इनको जमीन का कब्जा नहीं मिला है। अतः इनको कही दूसरी जगह जमीन आबंटन कर इनको बसाया जाये तो वर्षों से पीडा भुगत रहे हैं।

अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जिला मुख्यालय बाड़मेर में गाडोलिया लुहारों को अतिशीघ्र पट्टे देकर भूखण्ड आबंटन कर उनको बसाया जाये ताकि इनको रहने के लिए स्थायी आवास बन सके। इसी प्रकार पाक विस्थातिपों के लिए भी सरकार उनको भूखण्ड का कब्जा दिलावे क्योंकि इनकी नगर परिषद में राशि तक जमा कर रखी है।

मेवाराम जैन

(बाड़मेर)

अनूपगढ़ की रावला से 365 हैड तक सड़क का चौड़ाईकरण

मान्यवर जी,

माननीय अध्यक्ष महोदय आपका धन्यवाद मुझे अपने नियम 295 के तहत बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अनूपगढ़ के अन्तर्गत आने वाली रावला से 365 हैड तकव सड़क को चौड़ा किया जावें रावला से 365 हैड सिंगल सड़क बनी हुई है। रावला व 365 हैड उप तहसील व धान मंडियां हैं। जो कि व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह सड़क दोनों तरफ से जर्जर अवस्था में है। जिस वजह से आमजन को काफी परेशानी होती है। यह सड़क दोनों तरफ से बैठी हुई है। आने-जाने वाले वाहन नीचे लग जाते हैं। आने-जाने वाले वाहनों को साइड देते समय क्षति होती है। इस कारण सड़क पर आये दिन दुर्घटना होती रहती है। इस सड़क की लंबाई 27 कि.मी. व कुल 8 ग्राम पंचायतें, 7 केएनडी, 10 केडी, 8 केएनडी, 12 केएनडी, खानुवाली, 2 केएलडी, 13 डीओएल को जोड़ती है। यह सड़क श्रीगंगानगर जिले को बीकानेर जिले से जोड़ती है। इस सड़क का सम्पर्क भारत-पाक सीमा से है। भारतीय सेना का आवागमन इसी सड़क से होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहती हूं कि इस सड़क को दोनों साइड से 3-3 फीट और चौडा किया जावे तो आमजन और किसानों को होने वाली परेशानी को दूर किया जा सकता है। अतः आपसे निवेदन है कि इस सड़क को डब्बल या दोनों तरफ से चौड़ा कर आमजन को राहत प्रदान करें।

श्रीमती शिमला बावरी

(अनूपगढ़)

जैसलमेर के सेवण एवं पशु बहुल क्षेत्रों में पेयजल हेतु नलकूप लगाना

महोदय,

जैसलमेर जिला पशु बाहुल्य क्षेत्र है विशेषकर थारपारकर एवं अच्छी नस्ल की लाखों गायें जिले में मौजूद हैं पुराने समय पर जिले की लाखों बीघा भूमि घास विशेषकर सेवण घास से भरी हुई रहती थी जिसमें पशु स्वच्छन्द रूप से विचरण करते रहते थे। जिले में कई बड़े-बड़े सेवण घासयुक्त प्राकृतिक चरागाह मौजूद थे। परन्तु वर्तमान में इंदिरा नहर के आगमन तथा खेती में हुई अप्रत्याशित बढ़ोतरी एवं व्यवसायिक कार्यों से घास वाला क्षेत्र कम हुआ है।

परन्तु फिर भी कई ऐसे प्राकृतिक सेवण घास से युक्त क्षेत्र आज भी मौजूद हैं जिसमें पशुओं के विचरण की व्यवस्था है। जैसलमेर में देवजी क्षेत्र, देगराय क्षेत्र, घोटारू क्षेत्र, धनाना क्षेत्र आज भी सेवण से परिपूर्ण हैं। वहां पर लाखों की संख्या में गाय-बैल, भेड़-बकरियां एवं अन्य पशुधन विचरण करते हैं। परन्तु वहां पर उनके पीने के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण उक्त पशु या तो छोटे-छोटे गांव/ढाणियों के आस-पास सीमित विचरण करने पर मजबूर हो रहे या फिर दूर-दराज जाकर बिना पानी के प्यासे रहकर काल कलवित हो रहे हैं। विचरण करने वाले ऐसे पशु जो कि बीमार एवं कमजोर हैं वे बिना पानी के काल का ग्रास बन रहे हैं। मेरा अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है कि ऐसे सेवण घास युक्त चरागाह में पीने के पानी के लिए नलकूप खुदवाये जावें तथा वहां पर पशुओं के पीने के लिए जिल स्रोत बनाये जावें ताकि पशुधन उस पेयजल का उपयोग कर प्राकृतिक चरागाह क्षेत्र में सेवण एवं अन्य घास का उपयोग कर सके एवं जिले के पशुपालकों को राहत मिल सके।

छोटू सिंह
(जैसलमेर)

पीलीबंगा की केसरदेसर वितरिका का लेवल

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में सादर निवेदन है कि पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र की केसरदेसर वितरिका का बैड लेवल तीन आर.डी. तक सही नहीं होने के कारण इ.गा.न.प. में पानी कम होने पर केसरदेसर वितरिका में पानी नहीं चल पाता है। जिससे केसरदेसर वितरिका के काश्तकारों को अपने हिस्से का पूरा पानी नहीं मिलने के कारण परेशानी होती है एवं फसलों को बहुत नुकसान होता है। अतः श्रीमानजी, केसरदेसर वितरिका का बैड लेवल सही कर केसरदेसर वितरिका के किसानों को राहत देने का श्रम करें।

केसरदेसर वितरिका एवं इ.गा.न.प. की आर.डी. 109, व आर.डी. 122.5 पर स्थित मोघों की दूरी गांव खोडा से 3 किलोमीटर है। इनका जल संसाधन खण्ड कार्यालय सूरतगढ़ लगता है। काश्तकारों को राज कार्य से सूरतगढ़ जाना पड़ता है। खोडा से सूरतगढ़ की दूरी लगभग 80 किलोमीटर पड़ती है। श्रीमान् जी, रावतसर में भी जल संसाधन विभाग का खण्ड कार्यालय लगता है। रावतसर से गांव खोड़ा की दूरी 15 किलोमीटर है। अतः श्रीमानजी,

केसरदेसर वितरिका एवं इ.गा.न.प. की आर.डी. 109 व आर.डी. 122.5 का जल संसाधन खण्ड कार्यालय सूरतगढ़ के स्थान पर जल संसाधन खण्ड कार्यालय रावतसर के उपखण्ड में करने का श्रम करें। जिससे किसानों का समय और पैसा बचेगा। किसान सदैव आपके आभारी रहेंगे।

श्रीमती द्रोपती

(पीलीबंगा)

शिक्षा विभाग में प्रबोधकों हेतु स्थानान्तरण नीति

महोदय,

कांग्रेस सरकार की हमेशा से यही मंशा रही है कि गांवों के लोगों को शिक्षित कर दिया तो लोग जागरूक हो जाएंगे और हमें वोट नहीं देंगे। इसी धारणा को लेकर गहलोत सरकार के 1998 से 2003 के कार्यकाल के दौरान आनन-फानन में राजीव गांधी पाठशाला के नाम से कई प्राथमिक पाठशालाएं खोल दीं। उसके बाद 2008 से 2013 के कार्यकाल में आठवीं तक किसी भी बच्चे की परीक्षा न ली जाये और किसी बच्चे को फेल नहीं करने जैसे नियम बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को गर्त में धकेलने का कार्य किया था। राजीव गांधी पाठशालाओं और अन्य विद्यालयों में अध्यापन कार्य करवाने के लिए आठवीं पास की योग्यता रखकर पैरा टीचर्स के नाम से सीधी भर्ती आयोजित की गई। इनको वेतन के नाम पर मानदेय के रूप में 1200 रुपये देने का प्रावधान किया गया। जिसमें अधिकांशत: ऐसे लोगों का चयन किया गया, जो काफी समय पहले स्कूल छोड चुके थे उनका शिक्षा से दूर-दूर तक का कोई लेना देना हीं नहीं था।

इसके बाद अपनी सरकार द्वारा 2003 से 2008 के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में सभी राजीव गांधी पाठशालाओं को प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करके स्थाई शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। सभी पैरा टीचर्स को सीनियर सैकण्डरी की योग्यता रखकर विशेष बीएसटीसी बैच शुरू कर प्रशिक्षित करवाकर स्थाई शिक्षकों की योग्यता देकर प्रबोधकों के रूप में स्थाई नियुक्ति प्रदान की गई। जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। उस समय कई पैरा टीचर्स वांछित योग्यता अर्जित नहीं कर पाने के कारण आज तक स्थाई नहीं हो पाए हैं और वे आज भी पैरा टीचर्स के रूप में कम वेतन में शिक्षण कार्य करने को मजबूर हैं। सरकार को उस समय वंचित रहे पैरा टीचर्स को एक मौका देकर स्थाई करने के बारे में विचार करना चाहिए।

प्रबोधकों के रूप में अधिकांशतः हमारी बहिन बेटियां ही कार्यरत हैं, जिनकी शादी बाद में हुई थी और जिस विद्यालय में पैराटीचर्स के रूप में कार्यरत थे उसी विद्यालय में प्रबोधक की स्थाई नियुक्ति दे दी। प्रबोधकों के स्थानान्तरण के लिए कोई नीति नियम नहीं होने के कारण आज उन बहिनों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वे अपने ससुराल की जिम्मेवारियों का अच्छी तरह से निर्वहन नहीं कर पा रही हैं।

मैंने 14वीं विधान सभा के द्वितीय सत्र में दिनांक 18.07.2014 को तारांकित प्रश्न के माध्यम से शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों/कार्मिकों की स्थानान्तरण नीति की तर्ज पर प्रबोधकों का जिले से जिले में स्थानान्तरण करवाने की नीति बनाने के लिए पूछा था। विभाग द्वारा शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों/कार्मिकों की स्थानान्तरण नीति निर्धारण का कार्य प्रक्रियाधीन होना बताया था कि प्रबोधकों के स्थानान्तरण के आवश्यक प्रावधान किये जावेंगे। परन्तु आज दिन तक प्रबोधकों के स्थानान्तरण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये हैं।

सरकारी विभागों में कार्यरत सभी कार्मिकों के लिए स्थानान्तरण के नीति नियम बनाये गये हैं तो प्रबोधकों के स्थानान्तरण के लिए भी नीति नियम बनाये जाने चाहिए। मैं अपनी यशस्वी सरकार से आशा करता हूं कि शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों/कार्मिकों की स्थानान्तरण नीति की तर्ज पर प्रबोधकों का जिले से जिले में स्थानान्तरण करवाने की नीति बनाकर प्रबोधकों की समस्याओं का जल्द ही समाधान करवाएंगे।

कैलाश चौधरी

(बायतू)